रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

PP 614

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1972/पौष 11, 1893

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1972/PAUSA 11, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 8th December* 1971

**G.S.R. 1.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) read with clause (c) of rule 2 of the Central Reserve Police Force Rules, 1955, the Central Government hereby appoints the Wireless Adviser to the Director General of the Central Reserve Police Force as an *ex-officio* Deputy Inspector General of Police for the Central Reserve Police Force.

[No. F. R-IX3/69-Adm(Pers.I).]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 1.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 2 के खंड (ग) के साथ पठित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के बेतार सलाहकार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का पदेन पुलिस उप महानिरीक्षक एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० फा० आर० IX 3/69-प्रशासन (कार्मिक-1).]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

*New Delhi, the 1st December* 1971

**G.S.R. 2.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health, Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works, Housing and Urban Development) Junior Analyst and Research Assistant Recruitment Rules, 1969, published under G.S.R. 1976, dated the 5th December, 1970.

1. (1) These Rules shall be called Ministry of Works and Housing Junior Analyst and Research Assistant Recruitment Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In sub-rule (1) of rule 1 i.e. "Short title and commencement", the figure 1969 may be substituted by 1970.

[No. F.27/2/66-Adm.I.]

V. R. IYER, Under Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 2.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग) के कनिष्ट विश्लेषक तथा अनुसंधान सहायक भर्ती नियम, 1969 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जो जी० एस० आर० 1976 के अन्तर्गत, दिनांक 5 दिसम्बर, 1970 को प्रकाशित किये गये थे।

1. (1) इन नियमों को निर्माण और आवास मंत्रालय कनिष्ट विश्लेषक तथा अनुसंधान सहायक भर्ती संशोधन नियम 1971, कहा जायेगा।

(2) ये, सरकारी राजपत्र में छपने की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 1 के उप-नियम (1) अर्थात् "संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ" में 1969 अंक के स्थान पर 1970 प्रतिस्थापित किया जाय।

[सं० फा० 27/2/66-प्रशा० I.]

(वी० आर० अय्यर, अवर सचिव।

NATIONAL LIBRARY
7036
I. D. D.
17-1-73
CALCUTTA-27

## PRIME MINISTER'S SECRETARIAT

*New Delhi, the 7th December,* 1971

**G.S.R. 3.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Pradhan Mantri Sachivalaya, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Pradhan Mantri Sachivalaya (Staff Car Driver), Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, as limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification**:—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to Relax.**—Where the Central Goverament is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of staff Car Driver.*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or Non-Selection Post | Age for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Staff Car Driver | One | General Central Service, Class III Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 130-5-175-EB-6-205-7-212. | Not applicable | 26 to 35 years |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any. | Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Essential* : possession of a valid driving licence for motor cars, knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least eight years.<br>*Desirable* : A pass in the 8th standard. | Not applicable. | Two years | By transfer or deputation failing which by direct recruitment. |

| In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists, what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| By transfer, on the results of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in Drivers of Staff Cars, from amongst the regular Staff Car Drivers working in the Pradhan Mantri Sachivalaya and drawing pay in the scale of Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180 and possessing the qualifications specified in column 7, failing which by deputation or transfer, on the results of the test referred to above from amongst persons holding posts of Staff Car Drivers in the said pay scale in other Ministries or Departments. No test would be required in case of deputation or transfer of persons holding posts of Staff Car Drivers in the scale of Rs. 130-5-175-EB-6-205-7-212 in other Ministries or Departments. (Period of deputation ordinarily not exceeding two years ). | Not appliable | Not applicable |

[No. F. 61/134/ 1-PMA.]

S. P. KHANNA,
P. S. to the Prime Minister.

## प्रधान मंत्री सचिवालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 3.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रधान मंत्री सचिवालय में, स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (स्टाफ कार ड्राईवर) भर्ती नियम 1971 होगा ।

(1) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पद की संख्या, वर्गीकरण और उसको वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं** .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय उरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**अनुसूची**

स्टाफ कार ड्राईवर के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| स्टाफ कार ड्राइवर | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अनुसचिवीय अराजपत्रित | 130–5–175–द० रो०–6–205–7–212 रु० | लागू नहीं होता | 2 मे 35 वर्ष |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| **आवश्यक**<br>मोटर कार चलाने का विधिमान्य ड्राईविंग लाइसेंस पास होना, मोटर मेकेनिक्स का ज्ञान और मोटर कार चलाने का कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ।<br>**वांछनीय** : आठवां स्टैण्डर्ड पास | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातन्रण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| स्थानातन्रण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रधान मंत्री सचिवालय में नियमित रुप से कार्य कर रहे स्टाफ कार ड्राइवरों में से जो 100–3–131–4–155–द०रो०–4–175–5–180 रु० के वेतनमान में वेतन ले रहे हों और स्तम्ब (7) में विनिर्दिष्ट अर्हता रखते हों, स्टाफ कार ड्राइवरों में आवश्यक समझी जाने वाले क्षमता-मान के प्रतिनिदेश से पद की उपयुक्तता को निर्णीत करने के प्रयोजन के लिए ड्राईवरी में परीक्षण के परिणाम पर स्थानान्तरण द्वारा. जिसके न हो सकने पर अन्य मंत्रालयों और विभागों में उक्त वेतनमान में स्टाफ कार ड्राइवरों के पद पर काम कर रहे व्यक्तियों में से अपर-निर्दिष्ट परीक्षण के आधार पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । 130–5–175–द०रो०–6–205–7–212 रु० के वेतनमान में अन्य मंत्रालयों और विभागों में काम कर रहे स्टाफ कार ड्राइवरों को प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की स्थिति में कोई परीक्षण अपेक्षित नहीं होगा (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत : दो वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

[सं० फा० 61/134/71–पी एम० ए०]

सर्व प्रकाश खन्ना,
प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव ।

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE
### (Scientific Surveys and Development Division)

*New Delhi, the 29th November 1971*

**G.S.R. 4.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Stores Officer in the Survey of India, Dehra Dun, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Survey of India (Assistant Stores Officer) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the schedule aforesaid:

Provided that the age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of presons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Repeal and saving.**—Any rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

SCHE

*Recruitment rules for the post of Assistant Stores Officer, Surveyor General's Office, Survey of*

| Name of post | No of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Aaaistant Stores Office | 8 | General Central Service Class II Gazetted (Non-Ministerial) | Rs. 350—25—575 | Not applicable | 35 years and below. (Relaxable for Govt. servants) | *Essential* :<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 3 years' experience of procurement and maintenance and accounting of Survey Instruments/equipments and photographic etc. stores in a Government Department or Commercial organisation of repute.<br>(Qualifications rexable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>Knowledge of Survey and Map reproduction instruments and materials. |

DULE

*India, Dehradun, in Ministry of Education & Social Welfare*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation / transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a DPC. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/2/70-Sur. I]
S. R. AGARWAL, Under Secy.

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**(वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास खंड)**

**(सर्वेक्षण 1 अनुभाग)**

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 209 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय सवक्षण, देहरादून में सहायक भण्डार अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम भारतीय सर्वेक्षण (सहायक भण्डार अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए विहित आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के मामले में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित हो हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. **निरसन और व्यावृत्ति** :—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृ किन्हीं नियमों को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन दिया गया समझा जाएगा या की गई समझी जाएगी ।

## अनुसूची

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में महासर्वेक्षक के कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादन में सहायक भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| सहायक भण्डार अधिकारी | 8 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II राजपत्रित, (अननुसचिवीय) | 350–25–575 रु | लागू नहीं होता | 35 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| **आवश्यक:**<br>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य ।<br>(ii) सरकारी विभाग या ख्यातिप्राप्त वाणिज्यिक संगठन में सर्वेक्षण उपकरणों /उपस्करों और फोटो आदि भंडारों के उपापन और अनुरक्षण तथा लेखा का लगभग 3 वर्ष का अनुभव ।.<br>(अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय) ।<br>**वांछनीय :**<br>सर्वेक्षण और नक्शा प्रत्युत्पादन उपकरणों और सामग्रियों का ज्ञान । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० ए० 12018/2/70-सर० I]

एस० आर० अग्रवाल,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

**(Department of Education)**

*New Delhi, the 29th October 1971*

**G.S.R. 5.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to artic 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulatin the method of recruitment to the post of Library Attendant (Senior Grade) in the Ministry of Education & Social Welfare, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Education and Social Welfare [Library Attendant (Senior Grade)] Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of the post, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in thhe case of the Scheduled Tribes, the Scheduled Castes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Repeal and saving.**—Any rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHE-

*Recruitment Rules for the Post of Library Attendant [Senior (Department of Education) Grade]*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection] post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Library Attendant (Senior Grade) | 9 | General Central Service, Class III, Non-gazette Non-ministerial. | Rs. 95-3-—131—EB —4—155 | Non-selection | Between 25—30 years | Matriculation with good handwriting and previous experience of Library work. |

DULE

*in the Ministry of Education and Social Welfare*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees] | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | Two years] | By promotion from among the Library Attendants (Junior Grade) who have rendered 5 years continuous service in that grade, failing which by direct recruitment. | Library Attendant (Junior Grade) | Class III DPC | Not applicable |

[No. A. 12018/3/71-E. IV]

N. D. JAYAL,
Director (Administration)

**(शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1971

**सी० एस० आर० 5.**—संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में पुस्तकालय परिचर वरिष्ठ ग्रेड के पद के लिए भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **लघु शीर्षक तथा आरम्भ होना** :—(1)इन नियमों को शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (पुस्तकालय परिचर वरिष्ठ ग्रेड,) भर्ती नियम, 1971 कहा जाए ।

(2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से ये लागू होंगे ।

2. **प्रयोज्यता**:—इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद के लिए ही नियम लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :— पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान उसी प्रकार होगा, जिस प्रकार उक्त (अनुसूची) के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की प्रणाली वय सीमा अर्हताएं आदि**:— इस पद के लिए भर्ती की प्रणाली, वय सीमा तथा अन्य विषय उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ।

5. **अयोग्यताएं** :—कोई भी ऐसा व्यक्ति :

(क) जो ऐसे व्यक्ति के विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो, अथवा ।

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं, किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार को यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, तो लिखित रूप में कारणो को दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वह आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों/पदों के संबंध में न नियमों के किसी भी उपबंध में रियायत दे सकती है ।

7. **निरसन तथा प्रतिबंध** :—इन नियमों के अनुरूप कोई भी नियम तथा इन नियमों के शुरू होने से तत्काल पहले से लागू नियमों का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

बशर्ते कि इस प्रकार से निरसन किए गए नियमों के अधीन कोई दिया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई इन नियमों की अनुरूप शर्तों के अधीन दिया गया अथवा की गई समझा जाए ।

## शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में पुस्तकालय परिचर (वरिष्ठ ग्रेड) के पद के लिए भर्ती नियम

### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है या अप्रवरण | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए आयु | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पुस्तकालय परिचर (वरिष्ठ ग्रेड) | 9 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी (III) अराजपत्रित गैरलिपिक वर्गीय | रु0 95-3-131 दरो-155 | अप्रवरण | 25-30 वर्षों के बीच | मैट्रिकुलेशन के साथ सुलेखा तथा पुस्तकालय के कार्य का पूर्व अनुभव |

| क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के विषय में भी लागू होगी। | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली प्रत्यक्ष भर्ती या प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थान की प्रतिशतता। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादले की स्थिति में उन ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है। | परिस्थितियां/जिनके अधीन भर्ती करने के विषय में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| नहीं | दो वर्ष | जिन पुस्तकालय परिचरों की (कनिष्ठग्रेड) के पद पर पांच वर्ष की लगातार सेवा है, उनमें से पदोन्नति के आधार पर जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पुस्तकालय परिचर (कनिष्ठ ग्रेड) | श्रेणी III वि0प0स0 | लागू नहीं होता |

[सं0 12018/3/71 ई0-4]

न० ध० जयाल,
निदेशक (प्रशासन)।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

**(Posts and Telegraphs Board)**

*New Delhi, the 30th October 1971*

**G.S.R. 6.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the reserved posts in the Telegraph Engineering Service Class I in Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts in the Posts and Telegraphs Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Telegraph Engineering Service Class I (Reserved Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise require—

(a) 'approved service' in relation to any grade of the Service means the period or periods of service in that grade rendered after selection for a long term appointment in that grade, and includes any period or periods—

(i) taken into account for purposes of seniority in the case of those persons appointed before the commencement of these rules;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post;

(b) 'Commission' means the Union Public Service Commission;

(c) 'Department' means the Posts and Telegraphs Department;

(d) 'Government' means the Central Government;

(e) 'Service' means the Telegraph Engineering Service Class I—Reserved Posts in Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts.

3. **Application.**—(1) These rules shall apply to the posts as specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

(2) Nothing contained in the Telegraph Engineering Service (Class I) Recruitment Rules, 1965 shall apply to the posts reserved to in sub-rule (1).

4. **Number, Classification and Scales of Pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

5. **Method of Recruitment, period of probation and mode of promotion.**—The method of recruitment to the service, the period of probation and the grades from which promotion will be made shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Inter-pretation.**—If any question arises as to the scope of application of these rules or any of them to any person, the matter shall be referred to the Central Government, whose decision thereon shall be final.

SCHE-

*Recruitment Rules for the Reserved Posts of (1) Divisional Engineer and (11) Assistant of Communications (P&T Board)*

| Name of Post | No. of posts | Classification. | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post. | Age for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Divisional Engineer | Bombay-4 Calcutta-3 Madras-1 — 8 | Telegraph Engineering Service Class-I (Gazetted). | Rs. 700-40-1100-50/2-1250. | Non-selection | Not applicable. | Not applicable. |
| 2. Assistant Divisional Engineer. | Bombay-3 Calcutta-1 Madras-1 — 8 | Telegraph Engineering Service Class-I Gazetted. | Rs. 400-40-450-EB-10-600-35-670-EB-35-950. | Selection | Not applicable. | Not applicable. |

DULE

*Divisional Engineer in Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts in Ministry*

—

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Two years. | By Promotion. | *PROMOTION* : Ex-Company Assistant Divisional Engineers in the order of seniority subject to the rejection of the unfit, the ex-Company Assistant Divisional Engineers of the Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts being considered for the vacant posts in the Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts respectively. Assistant Divisional Engineers should have put in not less than five years approved service as such, failing which eight years approved service as Assistant Divisional Engineer and Assistant Engineer. | Class-I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958. |
| Not applicable | Two Years | By Promotion | *PROMOTION* :— Ex-Company Assistant Engineers with 3 years approved service in Telegraph Engineering Service Class-II, the Ex-Company Assistant Engineers of the Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts being considered for the vacant posts in Bombay, Calcutta and Madras Telephone Districts respectively. | Class-I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958 |

[No. 5/3/68-STA-I]

S.C. SACHDEVA,
Assistant Director General (I&T).

संचार विभाग

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1971

**सा० का० नि० 6.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक -तार विभाग के मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफान जिलों में तार इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 में आरक्षित पदों पर भर्ती की प्रद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम तार इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 (आरक्षित पद) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में जब तक कि सम्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) सेवा की किसी श्रेणी के सम्बन्ध में 'अनुमोदित सेवा' से उस श्रेणी में दीर्घ-कालीन नियुक्ति के लिए चयन के पश्चात उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसमें ऐसी अवधि या अवधियां सम्मिलित होगी —

(i) जो इन नियमों के प्रारम्भ के पूर्व नियुक्त उन व्यक्तियों को दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई ;

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने यदि वह छुट्टी पर होता या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं होता, उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण किया होता ।

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "विभाग" से डाक-तार विभाग अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "सेवा" से मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफोन जिलों में तार इंजीनियरी सेवा वर्ग 1 आरक्षित पद अभिप्रेत है ।

3. **लागू होना**

(1) ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

(2) तार इंजीनियरी (वर्ग 1) भर्ती नियम, 1965 में की कोई भी बात उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पदों को लागू नहीं होगी ।

4. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **भर्ती की पद्धति, परिवीक्षा की अवधि और प्रोन्नति की रीति** :—सेवा पर भर्ती की पद्धति, परिवीक्षा की अवधि और वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जाएगी वे होगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में यथा विनिर्दिष्ट है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह,उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करने, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध, को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

7. **निर्वाचन** :— यदि इन नियमो या उनमें से किसी को, किसी व्यक्तिको लागू करने की परिधि के बारे में, कोई प्रश्न उठता है तो मामला केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, जिसका उस पर का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(i) संचार विभाग (डाक-तार बोर्ड) के बम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफोन जिलों में मण्डल इंजीनियर और

1036
17-1-73

(ii) सहायक मंडल इंजीनियर के आरक्षित पदों के लिए भर्ती नियम ।

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद । |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. मण्डल इंजीनियर | बम्बई– 4<br>कलकत्ता– 3<br>मद्रास– 1<br>8 | तार इंजीनियरी सेवा वर्ग–1 (राजपत्रित) | 700–40–1100–50/2–1250 रु० | अचयन |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कावालधि, यदि हो |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 13 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति :<br>ज्येष्ठता के क्रम में भुतपूर्व कम्पनी सहायक मंडल इंजीनियर, अयोग्यों को अग्रहीत करते हुए, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफोन जिलोंके वे भूतपूर्व कम्पनी सहायक मंडल इंजीनियर उन पर क्रमशः बम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफोन जिलो में रिक्त पदों के लिए विचार करते हुए सहायक मंडल इंजीनियर को इस रूप में पांच वर्ष से अन्यून की अनुमोदित सेवा होनी चाहिए जिसके न हो सकने पर सहायक मंडल इंजीनियर या सहायक इंजीनियर के रूप में आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा । | वर्ग–I विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित |

| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | सहायकमंडल इंजीनियर | मुम्बई–3<br>कलकत्ता–4<br>मद्रास—1<br>———<br>8 | तार इंजीनियरी सेवा वर्ग–1 राजपत्रित | 400–400<br>450–30–600–35<br>670–द०रो०–35<br>950–ह० | चयन | लागू नहीं होता |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति:**<br>तार इंजीनियरी सेवा, वर्ग–2 में 3 वर्ष की अनुमोदित सेवा के सहित भूतपूर्व कम्पनी सहायक इंजीनियर, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलीफोन जिलों के भूतपूर्व–कम्पनी सहायक इंजीनियर, उन पर क्रमश: मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास टेलिफोन जिलों में रिक्त पदों के लिए विचार करते हुए । | वर्ग—1 विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1858 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० 5/3/68-एस०टी०ए०-I]

शिव चन्द्र सचदेव,
सहायक महानिदेशक (एस० जी०) ।

---

**(P. and T. Board)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 9th December 1971*

**G.S.R. 7.**—In the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1969, published with the notification of the Government of India in the Department of Communications (P. and T. Board) No. G.S.R. 411 dated the 18th February, 1970 on page 911 of the Gazette of India, Part II—Section 3(i) dated the 7th March, 1970, in rule 1(1), *for* "These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1969", *read* "These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Selection Grade Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1970."

[No. 4/31/71-SPB-II.]

R. RAJAGOPALAN.
Assistant Director General (SPN).

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

**(Department of Industrial Development)**

*New Delhi, the 11th October 1971*

**G.S.R. 8.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal under the Department of Industrial Development, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Research and Development Organisation for Electrical Industry, Bhopal (Staff Car Driver) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications.** The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit, prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general instructions of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No Persons—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any persons,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE-

*Recruitment rules for*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay. | Whether selection post or non-selection post. | Age for direct recruitments. | Educational and other qualifications required for direct recruitments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Staff Car Driver. | One | General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—5—175—5—180. | Not applicable. | Not less than 23 years and not more than 30 years. | (i) Matriculation or equivalent qualification.<br>(ii) A valid licence for driving cars carrying passengers.<br>(iii) At least five years experience in the driving of a cars used in the transport of passengers. |

DULE

*staff car driver*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitments will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case recruitment by promotion deputation transfer grades from which promotion deputation transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Two years. | By transfer, falling which, by direct recruitment. | By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in Drivers of Staff Cars, from amongst the regular Class IV employees of the Research and Development Organisation for Electrical Industry who possess the qualifications prescribed in column 7. | Not applicable. | Does not arise. |

[No. F.20-19/70-HEM.]

P. B. SAXENA, Under Secy.

## औद्योगिक विकास मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर 1971

जी० एस० आर० 8.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा औद्योगिक विकास विभाग के अधीन वैद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की विधि का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

(1) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों को वैद्युत उद्योग के लिए अनुसंधान तथा विकास संगठन, भोपाल (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1971 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **उपयोजन**—ये नियम इससे अनुबन्धित अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—संख्या और वर्गीकरण तथा उपर्युक्त पद से सम्बद्ध वेतन मान वही होंगे जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में उल्लिखित हैं।

4. **भर्ती की विधि, आयुसीमा तथा अन्य अर्हताएं**:—स्थान पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले वही होंगे जिनका उल्लेख उपरिलिखित अनुसूची के कालम 5 से 13 में किया गया है।

बशर्ते कि प्रत्यक्ष भर्ती के सम्बन्ध में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में उन उम्मीदवारों के लिये छूट दी जा सकती है जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए सामान्य आदेशों के अनुसार अन्य विशेष वर्गों में आते हैं।

5. **अनर्हता**:—(क) जो पुरुष/महिला ऐसी/ऐसे महिला/पुरुष से विवाह करने की सोच रहा/रही है, अथवा विवाह कर लिया है जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जो जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी महिला/पुरुष से विवाह करने की सोच रहा/रही है, वह पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह उचित है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह इस नियम से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की यह सम्मति हो कि ऐसा करना आवश्यक या कालोचित है, वह आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण बता कर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों अथवा स्थानों के इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

### स्टाफ कार ड्राइवर हेतु भर्ती नियम

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | स्टाफ कार ड्राइवर |
| 2 | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी 3, अराजपत्रित, अननुसचिवीय। |

| | | |
|---|---|---|
| 4. | वेतन क्रम | रु० 110-3-131-4-155-द०रो०-5-175-5-180/-1 |
| 5. | चुनाव पद अथवा गैर चुनाव पद | लागू नहीं होता |
| 6. | प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वालों के लिए आयु सीमा | 23 वर्ष से कम नहीं और 30 वर्ष से अधिक नहीं। |
| 7. | प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएं | (1) मैट्रीकुलेट अथवा समकक्ष योग्यता,<br>(2) यात्री कार चलाने का वैध लाइसेंस,<br>(3) यात्रियों के परिवहन में प्रयोग होने वाली कारों के चलाने का 5 वर्ष का अनुभव। |
| 8. | क्या प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति किये जाने वाले व्यक्तियों के साथ भी लागू होंगी। | लागू नहीं होता |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | दो वर्ष |
| 10. | भर्ती की विधि: क्या भर्ती प्रत्यक्ष या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा की जायेगी तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत | स्थानान्तरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती से। |
| 11. | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में निम्न ग्रेडों में पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानांतरण किया जायेगा। | स्थानांतरण के मामले में कालम 7 में उल्लिखित अर्हताएं वाले वैद्युत उद्योग के लिए अनुसन्धान तथा विकास संगठन के इन श्रेणी 4 के नियमित कर्मचारियों में से जो स्टाफ कार चलाने के लिए आवश्यक निर्धारित मानक योग्यता रखते हैं और कार चलाने की परीक्षा में उपयुक्तता हेतु उत्तीर्ण होंगे। |
| 12. | क्या विभागीय पदोन्नति समिति बनी हुई है, यदि हो तो उसकी रचना क्या है। | लागू नहीं होता। |
| 13. | परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग में परामर्श किया जाना है ? | प्रश्न ही नहीं होता। |

है।

[सं० 20-19/70-एच० ई० एम०]

पी० बी० सक्सेना, अवर सचिव।

---

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 29th November 1971*

**G.S.R. 9.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the Indian Institute of Labour Studies under the Chief Labour Commissioner's Organisation namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Institute of Labour Studies, (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

*Recruitment Rules for the posts of Administrative Officer in the Indian Institute of under the Organisation of the Chief Labour Commissioner (Central) in the Ministry*

| Name of post | No of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Administrative Officer. | 1 | General Central Service-Class II (Gazetted) Non-Ministerial. | Rs. 620-30-800-EB-30-830-35-900 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

DULE

*Labour Studies (formerly Central Institute for Training in Industrial Relations) of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment)*

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vanancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made. | If a D. P.C. exists what is its composition | Circumstances in which U.P. S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | I | | |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation* (i) Section Officers of the Central Secretariat Service. (ii) Officers of selection grade of Central [Secretariat Stenographers Service. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |
| | | | II With 3 years service in the respective grades and having experience of handling administrative matters. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | | |

[No. F.16(17)/69-CLT.]

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

### (श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1971

**सा० का० नि०** 9.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के अधीन भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान में प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम भारतीय श्रम अध्ययन संस्थान (प्रशासन अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान**.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निर्हताएं**.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रशासन अधिकारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–II (राजपत्रित) अननुसचिवीय | रु० 620–30–800–द०रो०–30–830–35–900. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | I<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण**—<br>(i) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ।<br>(ii) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के चयन श्रेणी के अधिकारी ।<br>II<br>अपनी-अपनी श्रेणी में 3 वर्ष की सेवा सहित जिन्हें प्रशासनिक मामले संभालने का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित |

[सं० फा० 16(17)/69–सी०एल०टी०]

*New Delhi, the 3rd December* 1971

**G.S.R. 10.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Labour Enforcement Officers (Central) Recruitment Rules, 1958, namely:—

(1) These rules may be called Labour Enforcement Officers (Central) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Labour Enforcement Officers (Central), Recruitment Rules;

(i) in Rule 2, after entry (e) the following entry shall be inserted, *viz.*;

(f) 'appointing authority' has the same meaning as in clause (a) of rule 2 of the Central Civil Services (Classification, Central and Appeal) Rules, 1965;

(ii) for the word "Government" wherever it occurs in Rule 13, the words "Appointing Authority" shall be substituted;

(iii) the following note shall be inserted under rule 14:—

NOTE.—For the purpose of these rules the expression "Appointing Authority" means the Chief Labour Commissioner (Central).

[No. F.16(88)/69-CLT.]
P. R. NAYAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 10.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ?

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) भर्ती नियमों में :—

(i) नियम 2 में प्रविष्टि (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(च) "नियुक्ति प्राधिकारी" के वही अर्थ है जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 2 के खण्ड (क) में दिए हैं ;

(ii) नियम 13 में जहां कहीं भी "सरकार" शब्द आता है उसके स्थान पर "नियुक्ति प्राधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 14 के अन्तर्गत निम्नलिखित टिप्पणी अन्त: स्थापित की जाएगी।

**टिप्पण** : इन नियमों के प्रयोजनार्थ "नियुक्ति प्राधिकारी" से "मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)" अभिप्रेत है।"

[सं० फा० 16(88)/69-सी०एल०टी]
पी० आर० नैयर, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 12th November*, 1971

**G.S.R. 11.**—In pursuance of sub-section (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies that Shri R. D. Pusalkar has been elected by the Mahratta Chamber of Commerce and Industries, Poona, to be a Trustee on the Board of Trustees of the port of Mormugao *vice* Shri S. M. Bhadkamkar, resigned.

[No. 7-PG(16)/71.]

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

### (परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 1971

सा० का० नि० 11.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री आर० डी० पुसालकर का श्री एस० एम० भदकामकर जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर मराठा चैंबर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, पूना द्वारा मारमुगाओं के पत्तन के न्यासी बोर्ड के न्यासी के रूप में निर्वाचित किया गया है ।

[सं० 7-पी० जी० (16)/71]

*New Delhi, the 10th December 1971*

**G.S.R. 12.**—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 12 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government, having been satisfied that the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur have failed for reasons beyond their control to elect a representative trustee on the Board of Trustees for the Port of Kandla under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act within the period specified therefor in sub-section (3) of section 10 of the said Act, hereby directs that the election shall be held on or before the 15th December, 1971.

[No. F. 2-PG(49)/70.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 12.—महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन कांडला पत्तन के लिए न्यासी बोर्ड पर उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिनिधि न्यासी को निर्वाचित करने में राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री जयपुर अपने काबू से परे के कारणों से असफल रह हैं, एतद्द्वारा निदेश देती है कि निर्वाचन 15 दिसम्बर 1971 को या उसके पहले किया जाएगा ।

[सं० फा० 2-पी० जी० (49)/70]

क० ल० गुप्ता,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

---

### (Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

*New Delhi, the 8th December 1971*

**G.S.R. 13.**—In exercise of the powers conferred by section 360A of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Merchant Shipping (Removal of Difficulties) Order, 1971.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of July, 1970.

2. **Extension of period of validity of certain international load-line certificates.**—Every International Load-line Certificate issued or renewed under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 958), on or after the 21st day of July, 1968 and in force on the 20th day of July, 1970, shall, notwithstanding anything contained in sub-section (7) of section 317 of the said Act, continue to be in force for the period for which such certificate is issued or, as the case may be, renewed or until it ceases to be valid or cancelled under the provisions of the said Act.

## EXPLANATORY MEMORANDUM

SUBJECT.—*Merchant Shipping (Removal of Difficulties) Order, 1971.*

The International Convention on Load Lines, 1966 came into force on the 21st July, 1968. The Convention, on balance, tends to liberalise the load line/free board requirements. In effect, it permits deeper loading of ships on larger parts of the globe in longer periods during a year than its predecessor Convention permitted. It was, therefore, considered desirable to ratify the Convention in time so that Indian Shipping could avail of the liberalised provisions of the Convention from the date of its entry into force. Necessary action to this end was processed and completed by Government and the ratification of the Convention by India took effect on the 21st July, 1968, simultaneously with the entry into force of the Convention.

2. Legislative action for translation of the provisions of the Convention in our municipal law was also processed with the intention of suitably amending the Merchant Shipping simultaneously with the commencement of our international Act, 1958, so that national legislation could come into force Simultaneously with the commencement of our international obligation on entry into force of the Convention. The wording of sub-section (7) of Section 317 of the Act proposed in the Bill, therefore, provided for validation of existing load line certificates for the unexpired period of their validity or for a period of two years from the date of commencement of that section, whichever is shorter, in accordance with the provisions of paragraph (4) of Article 16 of the said Convention. This provision of our law would have been adequate and appropriate had the Merchant Shipping (Amendment) Bill been passed into Act and published in the Gazette on or before the 21st July, 1968. Due to some administrative difficulties, however, the passing of the Bill in the Parliament was delayed and ultimately it was passed by the Parliament in May, 1970 and published in the Official Gazette on the 1st June, 1970.

3. One adverse effect of this delayed legislation was that it brought also load line certificates issued under the provisions of the International Convention on Load Lines 1966, after the 21st July, 1969, the date of entry into force of the Convention, but before the 1st June, 1970, the date of publication of the Merchant Shipping (Amendment) Act, 1970, within the mischief of sub-section (7) of the said section 317 and restricted their validity for a maximum period of two years from the 21st July, 1968 *i.e.* upto the 20th July, 1970. This was far from the intention of the Convention.

4. In the circumstances, with a view to avoiding adverse effect of application of sub-section (7) of the said section 317 to load lines certificates issued under the new Convetion between 21st July, 1968 and the 1st June, 1970 the present order is issued under section 460A of the Merchant Shipping Act, 1958 [as amended by the Merchant Shipping (Amendment) Act, 1970] exempting such certificates from application of the provision of sub-section (7) of the said section 317. The intension of giving retrospective effect to this order is to save inconvenience to the Indian Shipping Industry which would otherwise have to obtain fresh load line certificates after the 21st July, 1970 although the existing certificates issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966 could remain valid for the unexpired period of their validity in accordance with the provisions of the said Convention.

[No. 42-MA(11)/70.]

J. K. BHATTACHARYA, Dy. Secy.

(परिवहन पक्ष)

व्यापारिक नौवहन

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 1971

जी० एस० आर० 13.—व्यापार पोत अधिनियम 1958 (1958 का 44) की धारा 460 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस आदेश का नाम व्यापार पोत (कठिनाईयां हटाना) आदेश, 1971 होगा ।

(2) यह जुलाई, 1970 के 21 वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. कुछ अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा प्रमाण पत्रों की वैधता की अवधि की वृद्धि.—व्यापार पोत अधिनियम 1958 (1958 का 44) के अन्तर्गत जारी किए गए या नवीकृत प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा प्रमाण पत्र जुलाई 1968 के 21वें दिन को या उसके पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (7) में कुछ होने पर भी इस अवधि के लिए प्रवृत रहेगा

जिसके लिए ऐसे प्रमाण पत्र जारी किए जायें या नवीकृत किए जाएं जैसी भी स्थिति हो जब तक यह वैध न रहे या उक्त अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत रद्द न किया जाए ।

[फा० सं० 42 एम० ए० (11) 70]

व्याख्यात्मक ज्ञापन

विषय:—व्यापार पोत (कठिनाइयां हटाना) आदेश, 1971

अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा अभिसमय, 1966, 21 जुलाई, 1968 को प्रवृत्त हुआ । अभिसमय, संतुलन पर, भार-रेखा । खुली जगह की आवश्यकताओं को उदार करने का टहल करता है । परिणामत : यह अपने पूर्वगामी अभिसमय की अनमति देने की तुलना में वर्ष में दीर्घतर अवधियों में विश्व के बडे भागों में जहाजों के गहन भार लादान की अनुमति देता है । अतएव यह वांछित समझा गया कि अभिसमय की समय पर पुष्टि की जाय ताकि भारतीय नौवहन अपने प्रवेश के लागू होने की तिथि से अभिसमय के उदार उपबंधों का लाभ उठा सकें । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही शुरु व पूरी की गई और अभिसमय के प्रवेश में आने के साथ साथ ही भारत द्वारा अभिसमय की पुष्टि 21 जुलाई, 1968 की प्रभावी हुई ।

2. व्यापार पोत अधिनियम, 1958 को समुचित रूप से संशोधन करने के आशय से हमारे नगरपालिक विधि में अभिसमय के उपबंधों के अनुवाद के लिए भी विधायी कार्यवाही की गई ताकि अभिसमय के प्रवश में आने पर हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रारम्भ होने के साथ साथ ही राष्ट्रीय विधान भी लागू हो सके । उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ 4 के उपबंधों के अनुसार विधेयक में प्रस्तावित अधिनियम की धारा 317 की उपधारा 7 के शब्दों में अतएव उनकी वधता की असमाप्त अवधि के लिए मौजूदा भार-रेखा प्रमाण पत्रों की वैधता या उक्त धारा के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए जो भी कम हो, की व्यवस्था थी ।

यदि व्यापार पोत (संशोधन) विधेयक पारित हो जाता और 21 जुलाई 1968 को या उससे पहले राजपत्र में प्रकाशित हो जाता तो हमारी विधि का यह उपबंध पर्याप्त और समुचित होता । परन्तु कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विधेयक के संसद में पारित होने में विलम्ब हुआ और अन्तत: यह संसद में मई 1970 को पारित हुआ और 1 जून, 1970 को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हुआ ।

2. इस विलम्बित विधान का एक प्रतिकूल प्रभाव यह पड़ा कि यह इसे 21 जुलाई 1968, अभिसमय के प्रवेश में आने की तारीख के बाद परन्तु 1 जून, 1970 व्यापार पोत (संशोधन) अधिनियम 1970 की प्रकाशन की तारीख से पहले अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा अभिसमय 1966 के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किए गए भार-रेखा प्रमाण पत्र भी उक्त धारा 317 की उपधारा (7) की रिष्टि के अन्तर्गत ले आया और उनकी वैधता 21 जुलाई, 1968 से दो वर्ष की अधिकतम अवधि अर्थात् 20 जुलाई 1970 तक सीमिति हो गयी । यह अभिसमय का आशय नहीं था ।

4. इन परिस्थितियों में, 21 जुलाई 1968 और 1 जून, 1970 के बीच नए अभिसमय के अन्तर्गत जारी किए गए भार रेखा प्रमाण पत्रों की उक्त धारा 317 की उपधारा (7) के प्रवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को टालने की दृष्टि से वर्तमान आदेश व्यापार पोत (संशोधन) अधिनियम 1970 द्वारा यथा संशोधित व्यापार पोत अधिनियम 1958 की धारा 460 ए के अन्तर्गत जारी किया गया है जिसमें उक्त धारा 317 की उपधारा (7) के उपबंध के प्रवर्तन से ऐसे प्रमाण पत्रों को छट दी गई है । इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव देने का आशय इसलिए है कि भारतीय पोत उद्योग जिनको अन्यथा 21 जुलाई, 1970 के बाद नए भार-रेखा प्रमाण पत्र प्राप्त करना है असुविधा से बचाया जा सके यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 के उपबंधों के अन्तर्गत जारी किए गए वर्तमान माण पत्र उक्त अभिसमय के उपबंधों के अनुसार उनकी वैधता की असमाप्त अवधि के लिए वैध रह सकती है ।

[सं० 42 एम० ए० (11) 70]

जे० के० भट्टाचार्य,
उप सचिव, भारत सरकार ।

**(Transport Wing)**

PORTS

*New Delhi, the 8th December 1971*

**G.S.R. 14.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Marine Engineer in the Andaman and Nicobar Administration, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Administration, Marine Department (Assistant Marine Engineer) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specifie din column 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage wih a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary for expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post. | Age for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant Marine Engineer | 1 | General Central Service Class II, Gazetted Non-Ministerial | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 | Not applicable | Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants) | *Essential*: Second Class B.O.T. or M.O.T. Engineer Certificate (Motor) or Inland Engineers/ Certificate (Motor) or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified) *Desirable* Experience in the maintenance and repairs of marine crafts or in a ship repairing Workshop or Dock yard or an equivalent Service as an Engineer on Merchant Navy Ships. |

DULE

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recuits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in whch UPSC is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No applicable | 2 years | By direct recruitment, failing which by transfer on deputation (including short term contract) | *Transfer on deputation (including short term contract)* Officers holding analogous post in the Indain Navy or any organisation under the Central/State Governments or a Public Sector Undertakings possessing qualifications indicated in colums 7. (Period of deputation/ contract-ordinarily not exceeding 3 years) | No applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation. Regulations, 1958. |

[No. 18-PE(16)/68]

JASWANT SINGH, Under Secy.

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि०** 14.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अण्डमान और निकोबार प्रशासन में सहायक समुद्री इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम अण्डमान और निकोबार प्रशासन, समुद्री विभाग (सहायक समुद्री इंजीनियर) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और उसके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताए**:— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए विशेष आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके या संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**सहायक समुद्री इंजीनियर, समुद्री विभाग, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप के पद के लिए भर्ती नियमों**

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सहायक समुद्री इंजीनियर | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग II, राजपत्रित अननुसचिवीय | रु० 350–255–500–30–590 द०रो० 30–800–द०रो०–30 830–35–900 | लागू नहीं होता | 45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियां द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| **आवश्यक**<br>द्वितीय श्रेणी बी०ओ०टी या एम० ओ० टी इंजीनियर प्रमाणपत्र (मोटर) या अन्तर्देशीय इन्जीनियर प्रमाणपत्र (मोटर) या समतुल्य अर्हता । (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताए आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकगी )<br>**वांछनीय**<br>समुद्री जलयान के आरक्षण और मरम्मत में या जहाज मरम्मत वर्कशापों या गोदी यार्ड में अनुभव या वाणिज्यिक बेड़े में इंजीनियर के रूप में समतुल्य सेवा । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (अल्प अवधि संविदा सहित) |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण**<br>(अल्प अवधि संविदा सहित) भारतीय नौसेना या केन्द्रीय राज्य सरकारों के अन्तर्गत किसी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम में समान पद धारण करने वाले अधिकारी, जिनके पास स्तम्भ 7 में निर्दिष्ट अर्हताएं हों । (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित हो । |

[सं० 18-पी० ई० (16)/68]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव ।

**(Inland Water Transport Directorate)**

*New Delhi, the 8th December 1971*

**G.S.R. 15.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain non-gazetted posts in the Regional Organisation of the Inland Water Transport Directorate, of the Ministry of Shipping and Transport, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Inland Water Transport Directorate—Regional Organisation (Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications, for the posts and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid:—

Provided that the maximum age limit specified in column (6) for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

SCH

*Recruitmedt rules*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits. | Educational qualifications required for direct recruitments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Head Clerk | 1 | General Central Service Class III-Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. | Selection post | 35 years and below. | *Essential*: Graduate of a recognised University with minimum of 5 years experience in Government office.<br>*Desirable*: (1) Administration, Establishment and Budget work and (2) Purchase of engineering stores with thorough knowledge of Government's rules and regulations. |

DULE

*for the Non-gazetted posts*

| Whether age & Educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various method. | In case of recruitment by promotion/ transfer grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | If a D.P.C. exists what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | Two years | By promotion failing which, by direct recruitment. | By promotion from U.D.Cs possessing five year service in the grade. | Class III Departmental Promotion Committee. (D.P.C.) | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. U.D.C. (including Cashier and Field Cashier). | 5 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256-EB—8—280—10—300. (Special pay only for Cashier and Field] Cashier). | Non-Selection posts. | Not applicable. | Not applicable. |
| 3. Stenographer (Jr.) | | General Central Service Class III, Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. | 18—24 years. | (i) Matriculation or equivalent qualification;<br>(ii) Minimum speed in typewriting at 40 words per minute; and<br>(iii) Minimum speed in shorthand at 100 words per minute, provided that where candidates possessing the speed at 100 words per minute are not available, persons having minimum speed at 80 words per minute in shorthand may be considered. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable. | By Promotion | By Promotion from L.D.C. having *four* year's service in the grade. | Class III Departmental Promotion Committee (D.P.C.). | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | By Selection through a competitive test from amongst L.D.C.s and Traffic Clerks in the Regional Office of the Inland Water Transport Directorate, Patna possessing the qualifications prescribed in Column 7 failing which by direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. L.D.C. | 10 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | Not Applicable | 18—27 years. | Matriculation or equivalent qualification with minimum speed of 30 words per minute in typewriting:—<br>(a) Provided that a person not possessing the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that he/she will not be eligible for drawing increment in the pay scale or confirmation or for quasi-permanency in the grade till he/she acquires a speed of 30 words per minute in typewriting; and<br>b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualifications in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no Board, the Civil Surgeon, certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to typewriting. |
| 5. Traffic Clerk. | 17 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | Not applicable. | 35 years and below. | *Essential :*<br>(i) Matriculation or equivalent qualification.<br>(ii) About three years experience of handling/booking cargo and warehousing work in a river/road/rail transport company or similar commercial firm. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Applicable. | Two years | By diret recruitment. 10% of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks to be filled by direct recruitment shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment subject to the following conditions:—<br>(a) Selection shall be made through a departmental examination confined to such class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification *viz.* Matriculation or equivalent qualification.<br>(b) The maximum age limit for this examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Castes/ Scheduled tribes candidates). Provided that for the first two examinations under this scheme the upper age limit shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes).<br>c) At least 5 years service in Class IV is essential to qualify to the post.<br>(d) The maximum number of posts to be filled by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of L.D.C. occuring in a year. Vacancies not filled up during the year shall not be carried out to the succeeding year. | Not Applicable. | Not Applicable.. | Not Applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Overseer | 1 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 250—10—290—15—380—EB—15—470. | Not applicable | 30 years and below | Diploma in Civil Engineering of recognised Institute and a minimum of five years practical experience in a Government Office or in a firm of repute.<br>*OR*<br>Dufferin Cadet/Surveying Recorder Second class of Indian Navy with a minimum of three years experience in hydrographic survey.<br>*OR*<br>Diploma in Mechanical Engineering (three years course with minimum experience of three years in a Marine Workshop or reputable Marine Organisation or five years experience in a reputable Mechanical Workshop. |
| 7. Supervisor | 3 | General Central Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 150—10—250—EB—10—290—15—335—EB—15—380 plus 20% as special pay. | Not applicable. | 30 years and below. | *Essential:* Diploma in Civil Engineering from a recognised Institute.<br>OR<br>Surveying Recorder II Class of Indian Navy.<br>*Desirable*:—Experience in Hydrographic survey. |
| 8. Draftsman | 1 | General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 150—5—175—6—205—EB—7—240. | Not applicable. | 30 years and below. | *Essential*: Diploma in Draftsmanship of a recognised Institute<br>*Desirable*:<br>About 2 years experience in a Government office or a firm of repute. |
| 9. Tracer | 1 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 110—4—150—EB—4—170—5—180—EB—5—200. | Not applicable. | 18—21 years. | Matriculation or equivalent qualification and a minimum of two years experience in tracing, lettering, enlarging and reducing of maps, in a Government office or recognised institution or firm. |
| 10. Junior Mechanic. | 2 | General Central Service Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 134—4—150—5—200. | Not applicable. | 30 years and below. | (i) Matriculation with a diploma as Mechanic from any Indian Institute of Technology or equivalent with about three years experience in repairs/overhauling of Diesel Engines. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | Direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Driver for Jeep. | | General Central Service Class III, Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—139. | Not applicable. | 35 years and below. | *Essential* : Valid licence for driving vehicles, like jeep etc. with knowledge of reading and writing Hindi/ English.<br>*Desirable*: Matriculation or equivalent qualification. |
| 12. Ferro-printer-*cum*-Gestetner Operator. | 1 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 110—3—131. | Non-Selection. | 18—25 years. | Middle school standard pass and sufficient experience of taking ferro-prints, handling the Gestetner Duplicator Machine and maintenance of drawing. |
| 13. Storeman | 1 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 75—1—85—EB—2—95. | Non-Selection. | Not applicable. | Not applicable |
| 14. Daftary | 1 | General Central Service Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 75—1—85—EB—2—95. | Non-Selection. | Not applicable. | Not applicable |
| 15. Peon | 4 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Non-Selection. | 18—21 years. | Middle School standard pass. |
| 16. Chowkidar(2) Ghatpeon-*cum*-Chowkidar (18) | 20 | General Central Service Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable. | 18—21 years. | *Desirable* : Primary Standard. |
| 17. Mali-*cum*-Farash | 1 | Do. | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable. | 18—21 years. | *Desirable*: Primary Standard. |
| 18. Sweeper (*Floating Staff*) | 1 | Do. | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable. | 18—21 years. | *Desirable*: Primary Standard. |
| 19. Inland Master 2nd Class. | 3 | General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 140—5—210. | Non-Selection Post. | 35 years and below. | *Floating Staff* :<br>(i) Certificate of competency as Master 2nd Class valid for Bihar, Assam and West Bengal issued by Mercantile Marine Department, Calcutta.<br>(ii) Should know swimming. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | Promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion*: Daftry/Storeman having three years service in the grade and possessing experience of handling Duplicating Machine and taking ferro-prints. | Class III, DPC. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | Promotion | *Promotion*: Peon, qualified Ghatpeon-*cum*-Chowkidar having five years service in the grade. | Class IV, D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | Promotion | *Promotion*: Peon having five years service in the grade. | Class IV, D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| (i) Age, not applicable.<br>(ii) Other qualifications are applicable. | Two years | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Master 3rd class possessing qualifications as prescribed in col. 7 | Class III Departmental Promotion Committee. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. Inland Master 3rd Class. | 3 | General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted | Rs. 116—3—140 | Non-Selection post. | 35 years and below. | (i) Certificate of competancy as Master 3rd Class (Serang) valid for Bihar, Assam and West Bengal issued from M.M.D. Calcutta.<br>(ii) Should know swimming. |
| 21. Driver 1st Class. | 5 | General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted | Rs.134—4—150—5—200 | Non-Selection Post. | 35 years and below. | (i) Certificate of competency as 1st Class Driver issued from M.M.D., Calcutta, Bombay, Madras and experience of running and maintaining of different types of marine diesel engines.<br>(ii) Should know swimming. |
| 22. Driver IInd Class. | 5 | General Central Service Class III Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 110—3—131—4—135 | Non Selection post. | 30 years and below. | (i) Certificate of competency as 2nd Class Driver issued from the M.M.D., Calcutta, Bombay or Madras.<br>(ii) Should know swimming. |
| 23. Seacunny | 12 | General Central Service Class IV Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 76—1—85—EB—2—89. | Non Selection Post. | 25 years and below. | (i) I.W.T. trained or ex-naval personnel or trained in Merchant Shipping (Deck side) with minimum four years experience as a Lascar.<br>(ii) Should know swimming. |
| 24. Greaser | 12 | General Central service Class IV Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 76—1—85—EB—2—89 | Not applicable. | 25 years and below. | (i) I.W.T. trained or ex-naval personnel or trained in Mercantile ships (Engine side)<br>(ii) Should know swimming. |
| 25. Lascar | 46 | General Central Service Class IV Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. | 25 years and below. | (i) I.W.T. trained or ex-naval personnel or trained in Mercantile Ship (Deck side)<br>(ii) Should know swimming. |
| 26. Cook | 2 | General Central Service Class IV Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. | 30 years and below. | (i) Knowledge of cooking all types of food (vegetarian and non-vegetarian).<br>(ii) Should know swimming. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) Age, not applicable.<br>(ii) Other qualifications are applicable. | Two years. | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Seacunny possessing a certificate of competency as Serang *i.e.* Master 3rd class. | Class III Departmental Promotion Committee. | Not Applicable. |
| (i) Age, not applicable.<br>(ii) Other qualifications are applicable. | Two years. | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Driver IInd Class possessing qualifications prescribed in Column 7. | Class III Departmental Promotion Committee. | Not Applicable. |
| (i) Age, not applicable<br>(ii) Other qualifications are applicable. | Two years. | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Greaser possessing qualifications, prescribed in Column 7. | Class III Departmental Promotion Committee. | Not Applicable. |
| (i) Age, not applicable.<br>(ii) Other qualifications are applicable. | Two years. | By promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Lascar having 4 years service in the grade. | Class IV Departmental Promotion Committee. | Not Applicable. |
| Not Applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. |
| Not Applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. |
| Not Applicable. | Two years. | By direct recruitment. | Not Applicable. | Not Applicable. | Not Applicable. |

[No. F. 14-1.WT/15/68.]

R. C. GUPTA, Under Secy.

(अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 15.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के क्षेत्रीय संगठन में कुछ अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पदधति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियमों एतदद्वारा बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय क्षेत्रीय संगठन (अराज पत्रित पद) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना**:— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से लेकर 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताए और उनसे संम्बधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से लेकर (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गये आदेशों के अनसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संम्बध में शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हता**:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया, है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिये विशेष आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उनके लिये जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना का क्षेत्रीय कार्यालय

(नौवहन और परिवहन मंत्रालय)

अराजपत्रित पदों के लिए "भर्ती नियम"

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1—मुख्य लिपिक | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग-3 अराजपत्रित अनुसचिवीय | 210–10–270–15–300–द०रो०–450–द०रो०–20–530 रुपए | चयन पद | 35 वर्ष और उससे कम |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| आवश्यक :<br>सरकारी कार्यालय में निम्नलिखित के कम से कम 5 वर्ष के अनुभव सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का स्नातक :<br>वांछनीय :<br>(1) प्रशासन स्थापना तथा बजट कार्य और<br>(2) सरकारी नियमों तथा विनियमों के पूर्ण ज्ञान सहित, इंजीनियरी सामान की खरीद । | नहीं | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| उच्च श्रेणी लिपिकों, जिनकी अपने ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो में से, प्रोन्नति द्वारा | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति (वि० प्री० स०) | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2—उच्च श्रेणी लिपिक (जिसमें रोकड़िया तथा क्षेत्र रोकड़िया सम्मिलित हैं) | 5 | यथोक्त | 130–5–160–8–200–द०रो०–8 256 द०रो०–280–10–300 रुपए (विशेष वेतन केवल रोकड़िया और क्षेत्र-रोकड़िया के लिए) | चयन पद | लागू नहीं होता |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | | प्रोन्नति द्वारा |
| निम्न श्रेणी लिपिकों, जिनको अपने ग्रेड में चार वर्ष की सेवा हो में से प्रोन्नति द्वारा | | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति (वि० प्रो० स०) | | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3—आशुलिपिक (कनिष्ठ) | 2 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय | 230–5–260–8–300–द०रो० –8–356–द० रो० –8–380–10–400 रूपए | लागू नहीं होता | 18–24 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता<br>(2) टाइपींग में न्यूनतम 40 शब्द प्रतिमिनट की गति<br>(3) आशुलिपि में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट की गति, परन्तु जहां 100 शब्द प्रति मिनट की गति वाले उम्मीदवार उपलब्ध न हों, वहां आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रतिमिनट की गति रखने वाले व्यक्तियों को भी विचार में लिया जाएगा । | लागू नहीं होता | ो वर्ष | अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय पटना के क्षेत्रीय कार्यालय में के स्तम्भ 7 में विहित अर्हताओं वाले निम्न श्रेणी लिपिकों तथा थातायात लिपिकों में से प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| 3. लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. निम्न श्रेणी लिपिक | .. | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय | 110-3-131-4-155 द०री० -4-175-5-180 रुपए | लागू नहीं होता | 18-21 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| टंकण में प्रतिमिनट 80 शब्दों की गति सहित मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता ।<br>(क) परन्तु टाइपिंग में उक्त योग्यता न रखने वाले व्यक्ति को इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि वह उस ग्रेड में अपने वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने का/की अथवा स्थायीकरण अथवा स्थायीवत् होने का/की पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि वह टाईपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त न कर ले; और<br>(ख) उस व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से अपंग हो, और अन्यथा लिपिक पद ग्रहण करने के लिए योग्यता हो परन्तु टाइपिंग में उक्त योग्यता नहीं रखता, इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्त किया जा सकता है कि अपंग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार दफ्तर से संबंधित चिकित्सा बोर्ड और जहां बोर्ड न हो वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर दे कि उक्त अपंग व्यक्ति टाइप करने की ठीक दशा में नहीं है । | लागू नहीं होता | दो व. | सीधी भर्ती द्वारा निम्न श्रेणी लिपिकों की श्रेणी से भरी जाने वाली रिक्तियों के 10 प्रतिशत स्थान निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जो नियमित स्थापन पर कार्य कर रहे हों) द्वारा भरने के लिए आरक्षित रखे जायेंगे ।<br>(क) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा किया जायेगा जो ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सीमित होगी जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्थात् मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता की अपेक्षा पूरी करते हों ।<br>(ख) इस परीक्षा के लिए कम से कम आयु सीमा 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष) परन्तु इस योजना के अन्तर्गत पहली दो परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 50 वर्ष) होगी । |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| | | | (ग) पद की अर्हता के लिए वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक है।<br>(घ) इस पद्धति द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या एक वर्ष मे निम्न श्रेणी लिपिक संवर्ग मे होने वाली 10 प्रतिशत रिक्तियों तक सीमित होगी । वर्ष के दौरान न भरी गई रिक्तियो उत्तरवर्ती वर्ष मे नही ले जाई जाएगी । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | यातायात 17 लिपिक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय | 110-3-131-4-155 दo रो-4-175-5-180 रुपये | लागू नही होता | 35 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| आवश्यक :<br>(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता ;<br>(ii) माल के रखरखाव मे माल बुक करने का तथा रेलवे/सड़क/रेल परिवहन कंपनी या तत्समान वाणिज्यिक फर्म में माल को संभालने/बुक करने और भाडांगारण कार्य का लगभग 3 वर्ष का अनुभव । | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. ओवर सियर | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अनन्सचिवीय | 250–10–290–15–380–द०रो०–15–470 रुपये | लागू नहीं होता | 30 वर्ष और उससे कम | मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा तथा सरकारी कार्यालय या विख्यात फर्म में कम से कम 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव।<br>या<br>भारतीय नौसेना का डफरिन केडेट सर्वेक्षण रिकार्डर द्वितीय श्रेणी जिसका जल सम्बन्धी सर्वेक्षण कार्यों में कमसे कम 3 वर्ष का अनुभव हो।<br>या<br>समुद्री वर्कशाप में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव या ख्याति प्राप्त यांत्रिक वर्कशाप में 5 वर्ष के अनुभव सहित, यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा (त्रिवार्षिक कोर्स)। |
| 7. पर्यवेक्षक | 3 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अनन्सचिवीय | 150–10–250–द०रो०–10–290 15–335–द०रो०–15–380 रुपये जमा विशेष वेतन के रूप में 20 प्रतिशत। | लागू नहीं होता | 30 वर्ष और उससे कम | आवश्यक :<br>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा।<br>या<br>भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण रिकार्डर द्वितीय श्रेणी।<br>वांछनीय :<br>जल सम्बन्धी सर्वेक्षण का अनुभव। |
| 8. नक्शानवीस | 1 | यथोक्त | 150–175–6–206–6–द०रो०–7–240 रुपये | लागू नहीं होता | 30 वर्ष और उससे कम | आवश्यक :<br>किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से नक्शानवीस में डिप्लोमा।<br>वांछनीय :<br>सरकारी कार्यालय या ख्यातिप्राप्त फर्म में लगभग 2 वर्ष का अनुभव। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 अनुरेखक | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय | 110-4-150-द०रो०-4-170-5-180-द०रो०-5-200 रुपये | लागू नहीं होता | 18-21 वर्ष | मैट्रिकुलेशन या उसके समान अर्हता और सरकारी कार्यालय में अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान या फर्म में अनुरेखन अक्षर बनाने, नक्शों को बड़ा तथा छोटा करने का कम से कम दो वर्ष का अनुभव । |
| 10 कनिष्ठ यांत्रिक | 2 | यथोक्त | 135-4-150-5-200 रुपये | लागू नहीं होता । | 30 वर्ष और उससे कम | डीजल इंजनों की मरम्मत/ओवरहालिंग के कार्यों में लगभग तीन वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिकुलेशन जिसके साथ किसी भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्थान से यांत्रिक का डिप्लोमा हो या समतुल्य अर्हता । |
| 11. जीप के लिये ड्राइवर | 1 | यथोक्त | 110-3-131-4-139 रुपये | लागू नहीं होता । | 35 वर्ष और उससे कम | आवश्यक : हिन्दी-अंग्रेजी पढ़ने और लिखने के ज्ञान सहित जीप आदि जैसी गाड़ियों को चलाने के लिये विधिमान्य-अनुज्ञप्ति वांछनीय : मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू लागू होता । |
| लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. फैरो-प्रिंटर-एवं गेस्टेटनर आपरेटर | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसूचित | 110—3—131 रुपए | अचयन | 18—25 वर्ष | माध्यमिक विद्यालय स्तर पास तथा फैरो मुद्रण, गेस्टेटनर डुप्लिकेटिंग मशीन तथा नकशों के अनुरक्षण का पर्याप्त अनुभव। |
| 13. भंडारी | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित | 75—1—85—द० रो०—2—95 रु० | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 14. दफ्तरी | 1 | यथोक्त | यथोक्त | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 15. चपरासी | 4 | यथोक्त | 70—1—80—द०रो० 1—85 रुपए | अचयन | 18—21 वर्ष | माध्यमिक विद्यालय स्तर पास |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती | प्रोन्नति दफ्तरी/ भंडारी जिनका ग्रेड में तीन वर्ष का अनुभव हो तथा अनुलिपिक पर कार्य करने तथा फैरा-प्रिन्ट लेन का अनुभव हो | श्रेणी 3 वि०प्रा०स० | लागू नहीं होता |
| 13. लागू नही होता | 2 वर्ष | प्रोन्नति | प्रोन्नति चपरासी, योग्य घाट-चपरासी एव चौकी-दार जिसका ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव हो । | श्रेणी 4 वि०प्रा०स० | लागू नहीं होता |
| 14 लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रोन्नति | प्रोन्नति चपरासी जिसका ग्रेड में 5 वर्ष का अनुभव हो । | श्रेणी 4 वि०प्रा०स० | लागू नहीं होता |
| 15. लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. चौकीदार (2) घाट चपरासी एवं चौकीदार (18) | 20 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 अराजपत्रित | 70—1—80—1 ई०रो०—1—85 रुपये | लागू नहीं होता | 18—21 वर्ष | वांछनीय : प्राथमिक स्तर |
| 17. माली एवं फराश | 1 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | 18—21 वर्ष | यथोक्त |
| 18. झाड़ूकश | 1 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | 18—21 वर्ष | यथोक्त |
| तिरता अमला : | | | | | | तिरता अमला |
| 19. अन्तर्देशीय मास्टर द्वितीय श्रेणी | 3 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अननुसचिवीय अराजपत्रित | 14 5—210 ई० | अचयन पद | 35 वर्ष और उस से कम | (i) मर्केंटाइल मैरीन डिपार्टमेंट, कलकत्ता द्वारा जारी किया गया द्वितीय श्रेणी मास्टर सक्षमता-प्रमाण पत्र जो बिहार, आसाम, तथा पश्चिमी बंगाल के लिये मान्य हो।<br>(ii) तैरना जानता हो। |
| 20. अन्तर्देशीय मास्टर तृतीय श्रेणी | 3 | साधारण केंद्रीय सेवा वर्ग 3 अननुसचिवीय अराजपत्रित | 116—3—140 रुपये | अचयन पद | 35 वर्ष और उससे कम | (i) एम० एम० डी० कलकत्ता द्वारा जारी किया गया तृतीय श्रेणी मास्टर (सारंग) का सक्षमता प्रमाणपत्र जो बिहार, आसाम और पश्चिमी बंगाल के लिये मान्य हो।<br>(ii) तैरना जानता हो। |
| 21. ड्राइवर प्रथम श्रेणी | 5 | यथोक्त | 134—4—150—5—200 पये | अचयन पद | यथोक्त | (i) एम० एम० डी० कलकत्ता द्वारा जारी किया गया प्रथम श्रेणी ड्राइवर का सक्षमता प्रमाण पत्र और विभिन्न प्रकार के समुद्री डीजल इंजनों को चलाने तथा अनुरक्षण का अनुभव।<br>(ii) तैरना जानता हो। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नही होता | लागू नही होता |
| लागू नही होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | ल,गू नही होता | ल,गू नही होता |
| (1) आयु, लागू नही होती<br>(2) अन्य अर्हताएं लागू नही होती हैं | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जो न हो पर सीधी भर्ती द्वारा | तृतीय मास्टर से प्रोन्नति द्वारा जिसके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं हों। | श्रेणी 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नही होता<br>लागू नही होता |
| (i) आयु लागू नहीं होती<br>(ii) अन्य अर्हताऐं लागू होती हैं | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा जो न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | सुकानियों में से प्रोन्नति द्वारा जिन के पास सेरांग अर्थात् तृतीय श्रेणी मास्टर का सक्षमता प्रमाणपत्र हो | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नही होता |
| (i) आयु लागू नहीं होती<br>(ii) अन्य अर्हताएं लागू होती हैं | दो वर्ष | यथोक्त | द्वितीय श्रेणी को ड्राइवरों से प्रोन्नति द्वारा जिन के पास स्तम्भ 1 में विहित अर्हताएं हों | यथोक्त | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. ड्राइवर, द्वितीय श्रेणी | 5 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अनन्तु सचिवीय अराजपत्रित | 110–3–131–4–135 पये | अचयन पद | 30 वर्ष और उससे कम | (i) एम० एम० डी० कलकता मुम्बई या मद्रास द्वारा जारी किया गया द्वितीय श्रेणी ड्राइवर का सक्षमता प्रमाणपत्र । (ii) तैरना जानता हो । |
| 23. सुकानी | 12 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4, अन-नुसचिवीय अराज-पत्रित | 76–1–85–द० रो०–2–89 रुपये | अचयन पद | 25 वर्ष और उससे कम | (i) अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा प्रशिक्षित या नौसेना का भूतपूर्व कर्मचारी या वाणिज्य का पोतों (जहाज पर) में का प्रशिक्षित लसकर जिसका कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो । (ii) तैरना जानता हो । |
| 24. ग्रीसर | 12 | यथोक्त | यथोक्त | लागू नही होता | 25 वर्ष और उससे कम | (i) अन्तर्देशीय जल परिवहन द्वारा प्रशिक्षित या नौसेना का भूतपूर्व कर्मचारी या वाणिज्य पोतों में (इंजन पर) प्रशिक्षित । (ii) तैरना जानता हो । |
| 25. लसकर | 46 | यथोक्त | 70–1–80–द० रो०–1–85 रुपये | लागू नही होता । | 25 वर्ष और उससे कम | (i) अन्तर्देशीय जल परिवहन प्रशिक्षित या नौसेना का भूतपूर्व कर्मचारी या वाणिज्यक पोत (जहाज पर) प्रशिक्षित । (ii) तैरना जानता हो । |
| 26. रसोइया | 2 | यथोक्त | यथोक्त | लागू नही होता । | 30 वर्ष और उससे कम | (i) सभी प्रकार के भोजन तैयार करने का ज्ञान (शाकाहारी और मांसाहारी) । (ii) तैरना जानता हो । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| (i) आयु लागू नहीं होती<br>(ii) अन्य अर्हताएं लागू होती हैं | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा; जो न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | फ़ोरमैन जिसके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं (हों, की प्रोन्नति द्वारा | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| 23. (1) आयु: लागू नही होती<br>(2) अन्य: अर्हताऐं लागू होती हैं | दो वर्ष | | लसकर, जिसको ग्रेड में 4 वर्ष की सेवा हो को प्रोन्नति द्वारा | वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नही होता |
| 24. लागू नही होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |
| 25. लागू नही होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 26. लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |

[सं० 14—आई० डब्लू० टी० 15/68]

आर० सी० गुप्ता, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

### (Department of Health)

*New Delhi, the 16th December 1971*

**G.S.R. 16.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Class II posts in the Hospital for Mental Diseases, Ranchi.

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Hospital for Mental Diseases, Ranchi (Class II posts) Recruitment Rules, 1971,

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—This rule shall apply to the post as specified in column 1 of the Scheduled annexed hereto.

3. **Number of the posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of persons belonging to scheduled castes, scheduled tribes and other special categories in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Administrative Officer, Hospital for Mental Diseases, Ranchi.*

| Name of Post. | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Administrative Officer. | 1 | General Central Service Class II Gazetted Ministerial | Rs. 620-30-830-35-900. | Not Applicable. | 35 years and below (Relaxable for Government servants. | *Essential:* (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) About years experience of establishment work in responsible capacity under Government or in public bodies or in Private concerns of repute. (iii) Knowledge of Government rules and regulations including audit and accounts and secretariat procedure. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Experience of administrative work in a Medical and Public Health Institute. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by Promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable | 2 years | By transfer on deputation failing which by direct rectuitment. | *Transfer on deputation*: Officers holding analogous posts under the Central/ States Government or Section Officers of the CSS with at least 3 years approved service in the grade, failing which Assistants of the CSS with at least 10 years approved service in the grade. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultion) Regulations, 1958 |

[No. 7-8/70-MPT.]

P. C. ARORA, Under Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 16** :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा मानसिक रोग चिकित्सालय रांची में श्रेणी–ii के पद पर भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं; नामत :

(1) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :—(i) उन नियमों को मानसिक रोग चिकित्सालय श्रेणी–ii भर्ती नियम, 1971 कहा जाये ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

(2) **प्रयोजन** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ–1 में निर्दिष्ट पदो पर लागू होंगे ।

(3) **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** : पदो की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

(4) **भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हतायें आदि** . उक्तपदो पर भर्ती कीविधि, आयुसीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियो के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

(5) **अनर्हतायें** : (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो। अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक-पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है,
सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगी।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

(ङ) शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध की आदेश जारी कर शिथिल करती है।

अनु

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलेक्शन है अथवा नान-सलेक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| प्रशासनिक अधिकारी | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी—II राजपत्रित सचिवीय | 620—30—830—35—900 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष | **अनिवार्य** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा उसके समकक्ष (ii) सरकार के अन्तर्गत अथवा सार्वजनिक निकायों में अथवा सुप्रतिष्ठित निजी संस्थाओं में किसी उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर व्यवस्था संबंधी काम का लगभग पांच वर्ष का अनुभव (iii) सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान जिनमें लेखा परीक्षा तथा हिसाब किताब तथा सचिवालय कार्य प्रणाली भी सम्मिलित है। (उमीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय **वांछनीय** : किसी चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य संस्थान में प्रशासनिक कार्य का अनुभव। |

सूची

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीको द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता । | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमे पदोन्नति प्र तिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है । | परिस्थितिया जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण** केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अनुरूप पदों पर काम करने वाले अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होने इस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की अनुमोदित सेवा कर ली हो । ऐसा न हो सकने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जिनकी इस ग्रेड में 10 वर्ष की अनुमोदित सेवा हो चुकी हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नही) | लागू नही होता | जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट विनियमन 1958 के अधीन अपेक्षित है) |

[सं० फा० 7-8/70-एम० पी० टी०]

प्रकाश चन्द्र अरोरा,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture)

*New Delhi, the 25th August 1971*

**G.S.R. 17.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Research Officer in the Frozen Semen Bank at Central Cattle Breeding Farm, Hesserghatta, under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), *namely*:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Frozen Semen Bank (Assistant Research Officer), Recruitment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 2 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid;

Provided that the maximum age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Assistant Research Officer, in the Frozen Semen Bank at Cattle Breeding Farm, Hesserghatta, Bangalore under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Assistant Research Officer, Frozen Semen Bank, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).*

| Sl. No. | Name of the post | No. of posts | Classification of the posts | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruitment | Educational & other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Assistant Research Officer | 1 | General Central Service, Class II, Gazetted. | Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. | Not applicable. | Not exceeding 35 years (Relaxable for Government Servants) | *Essential* :— (i) A degree in Animal Husbandry or Veterinary Sciecne from a recognised University or equivalent. (ii) About 3 years experience of working on Artificial Insemination/ Frozen Semen. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified) *Desirable* : Post Graduate degree or diploma in Physilology of reproduction with special reference to studies on Semen. |

| Whether age & educational qualifications perscribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/ trans.er | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer & percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of promotion/ deputation/transfer, grades or sources from which promotion/transfer deputation to be made | Composition of D.P.C. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 9-2/69-L.D.III.]

S. N. TULSIANI, Under Secy.

**कृषि मंत्रालय**

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1971

**सा० का० नि०** 17.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म हेस्सरघट्टा के हिमीभूत वीर्य बैंक मे सहायक अनुसन्धान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को, विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:— (i) इन नियमों का नाम हिमीभूत वीर्य बैंक (सहायक अनुसन्धान अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

   (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 मे विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 तक मे विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताए और उससे सम्बन्धित अन्य बाते वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 तक मे विनिर्दिष्ट है ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो की बाबत विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशो के अनुसार, अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति और विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा मे शिथिल की जा सकेगी ;

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुदेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन हिमीभूत वीर्य बैंक में सहायक अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

| क्रम सं० | पद का नाम | पदों की संख्या | पदों का वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | सहायक अनुसंधान अधिकारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2, राजपत्रित। | 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800 द०रो०–30–830–35–900 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अधिक न हो (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा की गई नियुक्ति की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 8. | 9 | 10 |
| आवश्यक :—<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशुपालन या पशुचिकित्सा विज्ञान में उपाधि या समतुल्य<br>(ii) कृत्रिम गर्भाधान/हिमीभूत वीर्य के संबंध में कार्य करने का लगभग तीन वर्ष का अनुभव।<br>(अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)<br>वांछनीय :—वीर्य के संबंध में विशेष अध्ययन सहित प्रजनन-क्रिया-विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां या श्रोत जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जाएगी | विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथापेक्षित। |

[सं० 9-2/69-एल० डी० 3]

एस० एन० तुलसियानी,
अवर सचिव, भारत सरकार।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 25th August* 1971

**G.S.R. 18.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Deep Sea and Off-shore Fishing Stations (Recruitment to Class I and Class II posts), Rules, 1959 namely:—

(1) These rules may be called the Deep Sea and Off-Shore-Fishing Stations (Recruitment to Class I and Class II posts) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) In the Schedule to the Deep Sea and Off-shore Fishing Stations (Recruitment to Class I and Class II posts) Rules, 1959, in the entries relating to the post of Administrative Officer, in column 6, after the existing entry, the entry "(Relaxable for Government Servants)" shall be inserted.

[ No. A. 12018/9/71-EE.I.]

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली, 25 अगस्त 1971

**सा० का० नि० 18.**— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गहन समुद्र और अपतट मत्स्य ग्रहण केन्द्र (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती) नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम गहन समुद्र और अपतट ग्रहण केन्द्र (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती) संशोधन नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) गहन समुद्र और अपतट मत्स्य ग्रहण केन्द्र (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद भर्ती) नियम, 1959 में, प्रशासन अधिकारी के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, विद्यमान प्रविष्टि

के पश्चात् "(सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी)" प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी ।

[सं० ए० 12018/9/71-ई ई]

---

*New Delhi, the 10th November 1971*

**G.S.R. 19.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Gazetted posts in the Pelagic Fisheries Investigation on the South West Coast under the Department of Agriculture namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Pelagic Fisheries Investigation on the South West Coast (Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 1 of the Scheduled hereto annexed.

3 **Number, classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE-

*Recruitment Rules for Class I and Class II posts under the UNDP Assisted Scheme "Pelagic*

| Name of Post. | No. of Posts. | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-Selection Post. | Age for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Senior Biologist (Survey) | | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 700-50-1250. | N. A. | N. A. | N. A. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2. Senior Biologist (Assessment) | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 700-50-1250 | N.A. | N.A. | N. A. |

*Fishery Investigation on South West Coast in Department of Agriculture (File No. F. 3/7(64)/70. RR)*

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotions or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer grades from which promotion)deputation/ transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N. A. | N. A. | By transfer on deputation including short term contract | *Transfer on deputation including short term contract.* Officers of the Indian Council of Agricultural Research holding posts in the scale of Rs.700-1250, or in the scale of Rs. 400-950 with 5 years service as such, or in the scale of Rs. 350-900 with 7 years service as such and possessing M.Sc. degree in Zoology of a recognised University or equivalent and experience in Planning and conducting fishery surveys. (Period of deputation/ contract ordinarily not exceeding 5 years) | N. A. | As required under the U.P.S.C. (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |
| N. A. | N. A. | By transfer on deputation including short term contract. | Transfer on deputation including short term contract. Officers of the Indian Council of Agricultural Research holing posts in the scale of Rs. 700-1250 or in the scale of Rs. 400-950, with 5 years service as such, or in the scale of Rs. 350—900 with 7 yrs. service, as such, and possessing Masters degree in Mathematics, Biometrics/ Biology of a recognised University or equivalent and experience of Fisheries Research. (Period of deputation/ contract ordinarily not exceeding 5 years.) | N. A. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Biologist (Fish Eggs) and Larvae) | 1 | General Central Service Class I Gazatted | Rs. 400-40-800-50-950. | N.A. | N. A. | N. A. |
| 4. Biologist (Survey) | 1 | Central Civil Service Class I Gazetted. | Rs. 400-40-800-50-950 | N.A. | N.A | N. A |
| 5. Oceano-grapher | 1 | Central Civil Service Class I Gazetted. | Do. | N.A. | N.A. | N,A |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. A. | N. A. | By transfer on deputation including short term contract. | Transfer on deputation including short term contract. Officers of the Indian Council of Agricultural Research holding posts in the scale of Rs. 400-950, or in the scale of Rs. 350-900 with 3 years service as such, and possessing M.Sc. degree uin Zoology from a recognised niversity or equivalent and experience in Marine Fisheries with specialisation on fish, eggs and larvae. (Period of deputation/ contract ordinarily not exceeding 5 years). | N. A. | As required under the Union Public Service Commission (Exemtion from Consulations) Regulations, 1958 |
| | | By transfer on deputation including short term contract. | Transfer on deputation including short term contract. Officers of the Indian Council of Agricultural Research holding posts in the scale of Rs. 400-950, or in the scale of Rs. 350-900 with 3 years service as such— and possessing M. Sc. degree in Zoology from a recognised University or equivalent and experience in Marine Fisheries research specialising in resources survey. (Period of deputation/ contract ordinarily not exceeding 5 years). | N. A. | As required under the U.P.S.C. (Exemption from Consultations) Regulations, 1958. |
| N A. | N. A. | By transfer on deputation including short term contract. | Transfer on deputation including short term contract. Officers of the Indian Council of Agricultural Research holding posts in the scale of Rs. 400-950, or in the scale of Rs. 350-900 with 3 years service as such, and possessing M.Sc. degree in Physical/ Chemical Oceanography from a recognised University or equivalent and experience in Marine Fisheries Research work and planning and conducting field work in oceanography. Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 5 years). | N. A | Do. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Engineer (Electronics) | 1 | Central Civil Service Class I Gazetted. | Rs. 400-40-800-50-950. | N.A. | N.A. | N.A. |
| .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 7. Administrative Officer. | 1 | Central Civil Service Class II (Ministerial) Gazetted. | Rs. 350-25-575. | N.A. | N.A. | N.A. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| N.A. | N.A. | By transfer on deputation including short term contract. | Transfer on deputation including short term contract. Officers of the Indian Council of Agricultural Research holding posts in the scale of Rs. 400–950, or in the scale of Rs. 350-900 with 3 years service as such, and possessing a degree in Electronics Engineering from a recognised University or equivalent and having experience in installation, repairs and maintenance of marine electronics equipment. (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 5 years). | N.A. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultations) Regulations, 1958. |
| N.A. | N.A. | Transfer on deputation. | Transfer on deputation. Assistants of the Central Secretariat Service with 5 years' service as such and having experience of establishment work. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | N.A. | Do. |

[No. 1-32-7/70-Fy (P-2)]

P. U. THOMAS,
Under Secy.

नई दिल्ली, दिनांक 10 नवम्बर, 1971

**सा० का० नि० 19.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि विभाग के अधीन दक्षिण पश्चिम तट पर पैलाजिक मीन उद्योग अन्वेषण में कतिपय राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम दक्षिण-पश्चिम तट पर पलाजिक मीन उद्योग अन्वेषण (राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **लागू होना.**—ये नियम इससे उपबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक विनिर्दिष्ट हैं।

4 **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं.**—उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताए आदि और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5. **निर्हताएं** — वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पदो में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

कृषि विभाग में यू एन डी पी से सहायता प्राप्त स्कीम "दक्षिण-पश्चिम तट पर पेलाजिक मीन उद्योग अन्वेषण" के अधीन वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों के लिए भर्ती नियम (फाइल सं० एफ० 3/7(64) 70-आर आर)

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1—ज्येष्ठ जीव-विज्ञानी (सर्वेक्षण) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित | 700—50—1250 रु० | लागू नही होता | लागू नही होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतों की दशा मे लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या तिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में जिन समितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है।<br><br>भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के ऐसे अधिकारी जो 700–1250 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों, या जो 400–950 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों जिन्होंने उस हैसियत में पांच वर्ष सेवा की हो, या जो 350–900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों जिन्होंने उस हैसियत में 7 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणि-विज्ञान में एम० एस० सी० उपाधि या समतुल्य हो और मीन उद्योग सर्वेक्षण की योजना बनाने और उसका संचालन करने का अनुभव हो। (तिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक न होगी)। | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2—ज्येष्ठ जीव-विज्ञानी (निर्धारण) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित | 700—50—1250 रु० | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नही होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही होता | लागू नही होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमे अल्प-कालिक सविदा भी सम्मिलित है। | प्रति नियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमे अल्पकालिक सविदा भी सम्मिलित हैं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के ऐसे अधिकारी जो 700—1250 रु० वेतनमान में पद धारण करते हो, या जो 400—950 रु० वेतन-मान में पद धारण करते हों जिन्होंने उस हैसियत में पांच वर्ष सेवा की हो, या जो 350—900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हो जिन्होंने उस हैसियत मे सात वर्ष सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से गणित, जीव-सांख्यिकी/जीव-विज्ञान मे मास्टर की उपाधि या समतुल्य हो और मौन उद्योग अनुसन्धान का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामा-न्यत. पांच वर्ष से अधिक न होगी) | लाग नही होता | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छुट) विनियम 1958 के अधिन यथा अपेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3—जीव-विज्ञानी (मछली-अण्डे और लार्वा) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 राजपत्रित | 400—10—800—50—950 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के ऐसे अधिकारी जो 400—950 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों, या जो 350—900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों जिन्होंने उस हैसियत में तीन वर्ष सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान में एम० एस० सी० उपाधि या समतुल्य हो और मछली-अण्डे और लार्वा में विशेषज्ञता सहित समुद्री मीन उद्योग का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यता पांच वर्ष से अधिक न होगी) | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. जीव-विज्ञानी (सर्वेक्षण) | एक | केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 1 राज-पत्रित । | 400–40–800–50–950 रुपये | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 8. | 9. | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के ऐसे अधिकारी जो 400–950 रु० वेतनमान मे पद धारण करते हो, या जो 350–900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हो जिन्होंने उस हैसियत में तीन वर्ष की सेवा की हो, और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणिविज्ञान मे एम० एस० सी० की उपाधि या समतुल्य हो और साधन-सर्वेक्षण मे विशेषज्ञता सहित समुद्री मीन-उद्योग अनुसन्धान में अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक न होगी।) | लागू नही होता। | संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. समुद्र-विज्ञानी | एक | केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 1 राजपत्रित | 400–40–800–50–950 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के ऐसे अधिकारी जो 400–950 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों, या जो 350–900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों जिन्होंने उस हैसियत में तीन वर्ष सेवा की हो, और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से भौतिक/रासायनिक समुद्र-विज्ञान में एम०एस०सी० उपाधि या समतुल्य हो और समुद्री मीन उद्योग अनुसंधान कार्य और समुद्र-विज्ञान में क्षेत्र-कार्य की योजना बनाने और उसका संचालन करने का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति संविदा की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक न होगी) । | लागू नहीं होता । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन तथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. इंजीनियर (इलैक्ट्रानिकी) | एक | केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 1 राज-पत्रित | 400-40-800-50-950 रु० | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के ऐसे अधिकारी जो 400-950 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों, या जो 350–900 रु० वेतनमान में पद धारण करते हों। जिन्होंने उस हैसियत में तीन वर्ष सेवा की हो, और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी में उपाधि या समतुल्य हो और जिनको समुद्री इलैक्ट्रानिकी उपस्कर के प्रतिष्ठापन, मरम्मत और अनुरक्षण का अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक न होगी)। | लागू नहीं होता। | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. प्रशासन-अधिकारी | एक | केन्द्रीय सिविल सेवा वर्ग 2 (अनु-सचिवीय) राजपत्रित | 350-25-575 रुपये | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जिन्होंने उस हैसियत में पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्हें स्थापन कार्य का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी।) | लागू नहीं होता। | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित। |

[सं० 1-32-7/70-एफ०वाई० (पो० 2)]

बी० यू० टामस,
अवर सचिव, भारत सरकार।

**(Department of Food)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 1st December 1971*

**G.S.R. 20.**—In this Department Notification No. A. 12018/5/70-EI dated 9th November, 1971, the words "vegetables in a factory or repute" under Column 7 in Essential (ii) against item 5B relating to Senior Inspecting Officer (Fruit and Vegetable Preservation) are substituted by the words "vegetables in a factory of repute".

[No. A.12018/5/70-EI.]

U. V. BHAT, Under Secy.

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 30th November 1971*

**G.S.R. 21.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Hydrometeorology) in the Central Ground Water Board, namely:—

1. **Short title and comencement.**—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrometeorology) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Givernment is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

ANNEXURE I

Recruitment rules for the post of *Senior Technical Assistant* (Hydrometeorology) *Central Ground Water Board*

| Name of post | No of post | Classification | Scale of pay | Whether selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Technical Assistant (Hydro-meteorology | 1 | General Central Service, Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 325—15—475 | Not applicable. | Not exceeding 30 years. | *Essential*—A post graduate degree Meteorology/Physics [Applied. Physics Mathematics/Statistics/Geophysics.<br>*Desirable*—<br>Experience in meteorological work. |

| Whether age & educational qualification etc. prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation | Method of recruitment etc. | In case recruitment by promotion/transfer grades from which promotion to be made | If DPC exists what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Two years. | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable | Not applicable. |

[No. F-89/71-MI(A).]

L. N. LADDHA, Dy. Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1971

**सा० का० नि० 21** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1)इन नियमों का नाम केन्द्रीय भूमिगत जलबोर्ड, ज्येष्ठ तकनीक सहायक (जलोत्काविज्ञान) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** —भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी।

5. निरर्हताएं —वह व्यक्ति —

(क) जिसने उस व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है : उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

**उपाबन्ध 1**

**केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड** में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पद की सं० | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसूचित। | 325—13—475 | लागू नहीं होता। | 30 वर्ष से अधिक न होगी। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले परिवीक्षा की अवधि व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>मौसम विज्ञान/ भौतिकि/ अनुप्रयुक्त भौतिकी/गणित/ सांख्यिकी/ भूभौतिकी में स्नातकोतर उपाधि।<br>वांछनीय :<br>मौसम विज्ञान सम्बन्धी कार्य का अनुभव। | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति आदि | प्रोन्नति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जाएगी। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं. 7-60/71-एम० आई० (ए)]
एल० एन० लड्ढा, उप सचिव।

---

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 8th December 1971*

**G.S.R. 22.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Attendant (Women) in the offices of the Regional Home Economists under the Directorate of Extension, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Extension [Attendant (Women)] Recruitment Rules, 1971.

(2) Thehy shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule:

4. Method of recruitment, age limit, qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 5 to of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect, to any class or category of persons.

"THE SCHEDULE"

Recruitment Rules for the post of Attendant (Women) in the Offices of the Regional Home economists under the Directorate of Extension.

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Slection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Attendant (Women) | 4 (four) | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs.75-1-85-EB-2-95. | Not applicable | 21-25 years | *Essential:* Middle School Standard Pass. |

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in thecase of promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or transfer/ [depu-tation/ and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/transfer/ deputation grade sfrom which promotion/transfer/deputation to be made. | If a D.P.C. exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulated in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. A-12011/22/71-EE.III.]

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर 1971

**जी०एस०आर० 22.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तार निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालयों में परिचर (महिला) के पद पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात —

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :**

(1) इन नियमों का नाम विस्तार निदेशालय परिचर (महिला) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

**2. लागू होना :**

ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 मे विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

**3 संख्या, वर्गीकरण और वतनमान :**

उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हतायें, आदि :**

भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बात वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।'

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सबध मे शिथिल की जा सकेगी ।

5 निरर्हताएं—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छट दे सकेगी ।

**6. शिथिल करने की शक्ति :**

जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, उन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

विस्तार निदेशालय के अधीन क्षेत्रीय गृह अर्थशास्त्रियों के कार्यालयों में परिचर (महिला) के पद के लिए भर्ती नियम।

| पद का नाम | पदों की सं० | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| परिचर (महिला) | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, अराजपत्रित। | 75-1-85-द० रो०-2-95 रु० | लागू नहीं होता | 21-25 वर्ष |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की अवधि यदि हो। |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक : मिडिल स्कूल स्टैण्डर्ड उत्तीर्ण। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति की जाएंगी | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० ए-12011/22/71-ईई-III]

*New Delhi, the 9th December 1971*

**G.S.R. 23.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class II—Non-gazetted posts in the Directorate of Marketing and Inspection, Faridabad, under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection (Class II—Non-Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed

3 **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:—

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitments may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/ posts.

THE

*Recruitment Rules for the post of (i) Artist (ii) Photographer, in the Ministry of Agriculture*

| Name of the post | No. of posts. | Classification. | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Artist | One | General Central Service Class II (Non-Gazetted, Non-Ministerial). | Rs.370-20-450-25-575 | Not applicable. | Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants) | *Essential*:—<br>1. Degree/Diploma in fine Art or Commercial Art of a recognised University/Institution.<br>2. About 2 years' experience of lay out work in colour and black and white, including preparation of illustrations and cover designs for magazines, pamphlets and for publicity materials.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidate otherwise well qualified.<br>*Desirable*:—<br>Knowledge Photographic work. |

SCHEDULE

*(Department of Agriculture) Directorate of Marketing & Inspection*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees ? | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer, and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/ grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ? | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years. | Direct Recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the UPSC (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Photographer | One | General Central Service Class II (Non-Gazetted, Non-Ministerial) | Rs. 370-20 450-25-575 | Not applicable | Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants) | *Essential.*—<br>1. Matriculation or equivalent of a recognised University/Institution.<br>2. Adequate proficiency in Photography, evidence of which should be furnished. Detailed mention should be made of the important or interesting photographs taken indoors, enclosing a few specimen copies thereof.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates well qualified.<br>*Desirable*—<br>Diploma in photography from a recognised Technical Institution. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | Direct Recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A-11020/10/71-E.E. III.]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1971

**का० आ० सं० 23**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद में कतिपय वर्ग 2 अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाये है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों का नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय (वर्ग 2—अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें**.—भर्ती की पद्ति अय-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विहित अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनसूचित जनजाति, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरहतायें**.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया, है, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** .—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख बद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों/पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनु

कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के विपणन और निरीक्षण, निदेशालय

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. कलाकार | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 (अराजपत्रित अननुसचिवीय) | 370—20—430—25—575 रु० | लागू नहीं होता | तीस वर्ष से अधिक न होगी। (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी। | आवश्यक :<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से ललित कला या वाणिज्य-कला में उपाधि/डिप्लोमा ।<br>2. रंगीन और सादा अभिन्यास कार्य का लगभग 2 वर्ष का अनुभव जिसमें पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं के लिए और प्रचार सामग्री के लिए निदर्शनों और आवरण डिजाइनों को तैयार करना सम्मिलित है ।<br>अर्हताएं : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी ।<br>वांछनीय :<br>फोटोग्राफ —संबंधी कार्य का ज्ञान । |

सूची

में (1) कलाकार (II) फोटोग्राफर के पद के लिए भर्ती नियम

| भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो | भर्ती की पद्धति प्रोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति; स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति की जाएगी | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फोटो-ग्राफर | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित-अननुसचि-वीय | 370-20-450-25-575 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक न होगी (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) | आवश्यक : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से मट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य । 2. फोटो चित्रण में पर्याप्त प्रवीणता जिसका साक्ष्य देना चाहिए । मकान के भीतर लिए गये महत्व-पूर्ण या रुचिपूर्ण फोटो-चित्रण का ब्यौरेवार उल्लेख देना चाहिए और उनकी कुछ नमूना प्रतियां संलग्न करनी चाहिए । अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी । वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था से फोटो चित्रण में डिप्लोमा । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होता | लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० ए०11020/10/71 बाह्य स्थापना-III]

*New Delhi, the* 10th December 1971

**G.S.R. 24.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Mechanic (Generator) in the Delhi Milk Scheme under the Department of Agriculture, namely:—

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme Mechanic (Generator) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of Scheduled Castes or Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Mechanical Generator in the Delhi Milk Scheme, New Delhi*

| Name of the post | Number of posts | Classification. | Scale of pay | Whether selction post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Mechanic (Generator) | One | General Central Service Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 150—5—175—6—205—EB—7—240 | Not applicable | below 35 years. | *Essential :*<br>1. Middle School Standard Pass.<br>2. 10 years' experience in the repair and overhauling of Multi-Cylinder Diesel Engines. Out of this experience, at least 6 years must be as a Skilled Fitter working on overhauling of diesel engines independentl .<br><br>*Desirable:*<br>. Certificate from an I.T.R. in Internal combustion engines.<br>. Experience of overhauling of generators. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer, and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Does not arise | 2 years | By direct recruitment. | Does not arise | Not applicable. | Not applicable. |

[No. A-11020/11/71-EE.III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

जी०एस०आर० 24.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृषि विभाग के अधीन दिल्ली दुग्ध स्कीम में मैकेनिक (जनित्र) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम दिल्ली दुग्ध स्कीम मैकेनिक (जनित्र) भर्ती नियम 971 होगा ;

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती को लागू होंगे ।

3. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु उक्त सूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय से निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. निरर्हताएं— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में/पद पर/ उक्त पद में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वे किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध 1

दिल्ली दुग्ध स्कीम

दुग्ध संग्रहण और अनिशीतन केन्द्रों में मैकेनिक (जनित्र) के पद के लिए भर्ती नियम ।

| | |
|---|---|
| 1. पद का नाम | मेकेनिक (जनित्र) |
| 2. पदों की संख्या | एक |
| 3. वर्गीकरण | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित) (अननुसूचितीय) |
| 4. वेतनमान | 150—5—175—6—205—ई०बी०—7—240ई० |
| 5. चयन पद अथवा अचयन पद | लागू नहीं होता । |

| | |
|---|---|
| 6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | 35 वर्ष से कम |
| 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | आवश्यक :<br>1. मिडिल स्कूल स्टैन्डर्ड उत्तीर्ण ।<br>2. बहु-सिलिन्डर डीजल इंजनों की मरम्मत और ओवरहाल करने का 10 वर्ष का अनुभव। इसमें से कम से कम 6 वर्ष का अनुभव डीजल इंजनों के स्वतन्त्र रूप से ओवर हाल करने का कार्य करने वाले कुशल फिटर के रूप में होना चाहिए ।<br>वांछनीय :<br>1. किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से अन्तदहन इंजनों का प्रमाण-पत्र ।<br>2. जनित्रों के ओवरहाल करने का अनुभव । |
| 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं । | प्रश्न ही नहीं उठता । |
| 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि हो । | दो वर्ष |
| 10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत । | सीधी भर्ती द्वारा । |
| 11. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा है वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | प्रश्न ही नहीं उठता । |
| 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना । | लागू नहीं होता । |
| 13. भर्ती करने मे किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । | लागू नही होता । |

[सं० ए०-11020/11/71-ई०ई० III]

रा० सुब्रह्मणियम,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 23rd October 1971*

**G.S.R.25.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III posts) Recruitment Rules, 1962, namely:

1. These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III posts) Recruitment (Amendment I) Rules, 1971.

2. They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

3. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class III posts) Recruitment Rules, 1962 after Serial No. 22 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Telephone Operator | General Central Service, Class III (Non-Ministerial) (Non-Gazetted) | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | 100% by direct recruitment. | Not applicable |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | 18 to 25 years | *Essential*: Matriculation or equivalent with experience of Operating PABX Switch Board.<br>*Desirable*: Knowledge of Hindi. | Not applicable | Not applicable |

[No. A.12018/4/71-Est.I]

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1971

सा० का० नि० 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1962 की अनुसूची में क्रम सं० 22 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | टेलीफोन आपरेटर | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 (अननुसचिवीय) (अराजपत्रित) | 110—3—131—4—155—द०रो०—4—175—5—180—रु० | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष | आवश्यक<br>मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य और पी ए बी एक्स स्विच बोर्ड के परिचालन का अनुभव।<br>वांछनीय<br>हिन्दी का ज्ञान। | लागू नही होता | लागू नही होता |

[सं० ए० 12018/4/71-ई एस टी .I]

*New Delhi, the 8th November 1971*

G.S.R. 26.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 809 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class II posts) Recruitment Rules, 1971, namely :—

(1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publicity (Class II posts) Recruitment Rules, 1971 against Serial Nos '5' and '16' for the existing entries the following entries shall respectively be substituted, namely —

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Assistant Production Manager (Printed Publicity) | 9 | General Central Service Class II Gazetted | Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800 | Selection | 35 years and below (Relaxable for Government servants. | *Essential*: (i) Diploma in printing technology from a recognised technical institution or equivalent. (ii) About 5 years experience in a Printing Press or advertising agency of repute or a Government publicity organisation of which about 3 years should be in a responsible capacity of printing and production of posters, folders, and other forms of display publicity material. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable*: (i) Degree of a recognised Univesity. (ii) Practical experience in Litho and Offset Printing lay out, designing and block making Departments with experience of preparing estimates or cost of printed publicty material. (iii) Knowledge of Hindi. |
| 16 | Technical Assisant (Printed Publicity) | 5 | General Central Service Class II Non-Gazetted | Rs.325—15—475—EB—20—575 | Not applicable | 30 years and below (Relaxable for Government servants). | *Essential* : (i) Matriculation of a recognised University or equivalent. (ii) Certificate or Diploma in Printing Technology from a recognised Technical Institution or equivalent. (iii) About 3 years experience in printing and production of posters, folders and other forms of display publicity material in a reputable printing press publishing house or advertising agency or a Government Department. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desiable* : (i) Knowledge of Hindi. (ii) Degree of a recognised University. (iii) Practical experience in Litho and Photo Offset Printing and trades connected therewith. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 2 years | By promotion 33-1/3% by direct recruitment 66-2/3% | *Promotion:* Technical Assistant (Printed Publicity) and Technical Assistant (Maps) with at least 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class II Departmental Promgtion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. 1/ac/69-Estt.I]

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1971

सा० का० नि० 26.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1971 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमो का नाम विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती (संशोधन) नियम 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे ।

2. विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1971 की अनुसूची में क्रम सं० '5' और '16' के सामने, प्रविष्टियो के स्थान पर, क्रमश · निम्नलिखित प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सहायक प्रबंधक (मुद्रित-प्रचार) | निर्माण | 9 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित | 400–25–500– 30–590–द०रो० 30–800 अ० । | चयन | 35 वर्ष और उससेकम (सरकारी सेवकों लिए शिथिल की जा सकेगी) । |

| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| **आवश्यक:** | | |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी सस्था से मुद्रण प्राद्योगिकी मे डिप्लोमा या समतुल्य । | नहीं | दो वर्ष |
| (ii) किसी मुद्रणालय या ख्यातिप्राप्त विज्ञापन ऐंजेसी या सरकारी प्रचार सं ठन में लगभग पांच वर्ष का अनुभव हो जिसमें लगभग तीन वर्ष का अनुभव पोस्टरों फोल्डरों और अन्य प्रकार की प्रदर्शन-प्रचार सामग्री के मुद्रण और निर्माणकरने की उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत में होना चाहिए । | | |
| (अर्हताए अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) | | |
| **वांछनीय** | | |
| (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि । | | |
| (ii) लीथो और आफसेट-मुद्रण ले आउट, डिजाइन बनाने और ब्लाक-निर्माण विभागों में व्यावहारिक अनुभव हो और मुद्रित प्रचार सामग्री की लागत के प्राक्कलन तैयार करने का अनभव हो । | | |
| (iii) हिन्दी का ज्ञान हो । | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| 3[3] प्रोन्नति द्वारा 4[प्रतिशत] सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति ऐसे तकनीकी सहायक (मुद्रित प्रचार) और तकनीकी सहायक (नक्शा) जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति। | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित)"। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | "तकनीकी सहायक (मुद्रित प्रचार) | 5 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित | 325—15—475—द०रो० 20—575 द० | लागू नहीं होता। | 30 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवकों के लिए छिपिल की जा सकेगी) |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| आवश्यक : | | | | | |
| (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य । | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |
| (2) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या समतुल्य । | | | | | | |
| (3) किसी ख्यातिप्राप्त मुद्राणालय, प्राकाशन गृह या विज्ञापन एजेन्सी या किसी सरकारी विभाग में पोस्टरो फोल्डरों और अन्य प्रकार की प्रदर्शन प्रचार सामग्री के मुद्रण और निर्माण का लगभग तीन वर्ष का अनुभव । (अर्हताए, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी) | | | | | | |
| वांछनीय : | | | | | | |
| (1) हिन्दी का ज्ञान हो । | | | | | | |
| (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि । | | | | | | |
| (3) लीथो और फोटो आफसेट मुद्रण और सम्बद्ध व्यवसायो में व्याहारिक अनुभव हो । | | | | | | |

[सं० फा० 1/20/69-स्था० I]
एस० पद्मनाभन, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 22nd November 1971*

**G.S.R. 27.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules for regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Directorate of Field Publicity, Ministry of Information and Broadcasting of the Government of India, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Field Publicity (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules

3. **Number, classification, and scales of pay etc.**—The number, classification and the scales of pay of the said posts, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limits, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant | 6 | General Central Service, Class III, Ministerial Non-gazetted | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530 | Non-selection for promotion quota. | Not applicable | Not applicable |

SCHEDULE

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exits what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years in the case of promotees. | Promotion/deputation (two years in the first instance). | (i) 25% by promotion from amongst Upper Division Clerks of Directorate (Proper) with 5 years' Service in the grade.<br>(ii) 75% by deputation from amongst Assistant of Central Secretariat Service or by deputation of Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service with years' service in the grade. | Class III Departmental Promotion Committee. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Store-keeper | 1 | General Central Service, Class III, Non-Ministerial Non-gazetted. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable | Between 21 and 30 yrs. | *Essential*: (i) Matriculation of a recognised University or its equivalent examination. (ii) Five years experience as Store-keeper in a large Industria/Government organisation. iii) Should be fully conversant with electronics, auto and audio-visual stores. |
| Stenographer | 4 | General Central Service, Class III, Ministerial Non-gazetted | Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10 300 | Not applicable | Not less than 18years and not more than 25 years, Relaxable for Government servants. | *Essential* : (i).Matriculation of a recognised university or its equivalent examination. (ii). A speed of 100 words per minute in shorthand. (iii) A speed of 40 words per minute in typing. |
| Upper Division Clerks | 9 | General Central Service, Class III, Ministerial Non-Gazetted. | Rs.130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10 300. | Non Selection | Not applicable. | |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years in the case of direct recruits | (i).25% by transfer. (ii).75% by direct recruitment. | i).25% by transfer of Stenographers from Regional Offices of the Directorate of Field Publicity or Media Units of the Ministry of Information and Broadcasting *failing which* by direct recruitment. (ii).75% by direct recruitment. | not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years. | 100% by promption | Promotion from Lower Division Clerks of the Directorate (Proper), having at least five years service in the grade. | Class III Departmental Promotion Committee. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lower Division Clerk | 19 | General Central Service, Class III, Ministerial Non-Gazetted. | Rs.110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicable | (1) Not less than 18 years and not more than 21 years.<br>(2) Up to 45 years for educationally qualified class IV employees of Regional Offices and Field Publicity Mobile Units of Directorate o Field Publicity. Relaxable upto a maximum of 5 years for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Candidates. | *Essential* :<br>(i) Matriculation of a recognised University or its equivalent examination.<br>(ii) A speed of 30 words per minute in typing.<br>NOTE:—The qualification regarding typing speed is relaxable in the case of Physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical postsand who are certified as unable to type by the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for the handicapped or by a Civil Surgeon. |
| Telephone Operator. | 1 | General Central Service, Class III Non-Ministerial Non-Gazetted. | Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicabe. | Not less than 18 years and not more than 25 years. | *Essential* :<br>(i) Matriculation of a recognised University or its equivalent examination.<br>(ii) Should have completed the Posts and Telegraphs Training in Private Battery Exchange.<br>*Desirable* :<br>One years' experience in a Government Office or a commercial or industrial firm. |
| Gestetner - Operator. | 1 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted-Non-ministerial. | Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110. | Non-selection | Not applicable. | Middle School Standard Certificate. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years in the case of direct recruits. | (i) 25% by transfer<br>(ii) 65% by direct recruitment.<br>(iii) 10% by promotion from Class IV Employees. | (i) 25% by transfer of Lower Division Clerks from Regional Offices or Field Units, failing which by direct recruitment.<br>(ii) 65% by direct recruitment.<br>(iii) 10% of the vacancies in the grade of L.D.C.'s shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Directorate of Field Publicity) having at least 5 years' service in the grade. Selection would be made through a Departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, *viz.*, Matriculation or equivalent. The maximum number of appointments by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of L.D.C's occuring in a year; unfilled vacancies would not be carried over to the next year. | Not applicable. | Not applicable |
| Not Applicable | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Not Applicable. | Not applicable. |
| No | 1 year | By Promotion. | Promotion from amongst Daftries of the directorate (Proper ), having at least three years' service in the grade, failing which by promotion from amongst Daftries of the Regional Offices having three years' service in the grade. | Class IV Departmental Promotion Committee. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daftry | 3 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted - Non-Ministrial. | Rs. 75-1-85-EB-2-95 | Non-Selection. | Not applicable. | Middle School Standard Certificate |
| Peon | 10 | Do. | Rs. 70-1-80 EB-1-85. | Not applicable. | Not less than 18 years and not more than 25 years. | Do. |
| Chowkidar | 1 | Do. | Do. | Do. | Do. | No educational or other qualifications necessary. |
| Farash cum-Sweeper | 1 | Do. | Do. | Do | Do. | Do. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No | 1 year | By Promotion. | Promotion from amongst peons of the Directorate (Proper), having three years' service in the grade, failing which by promotion from amongst Peons of the Regional Offices and Field Publicity Units, having three years' service in the grade. | Class IV Departmental Promotion Committee. | Not applicable |
| Not applicable. | 1 year | (i) 25% transfer.<br>(ii) 75% direct recruitment. | (i) 25% by transfer of Peons from Regional Officers or Field Units, failing which by direct recruitment.<br>(ii) 75% by direct recruitment. | Not applicable. | Do. |
| Do. | Do. | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

[No. 4/3/68-Admn./US(I)]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1971

**जी० एस० आर०** 27—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में तृतीय श्रेणी एंव चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती पद्धति विनियमित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**.—(1) इन नियमों को क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** .—ये नियम इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान**: आदि —उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इससे संबंधित वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**.— उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उनसे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक मे दिए अनुसार होंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों या अन्य विशिष्ट वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के मामले में उक्त अनुसूची के कालम 6 मे निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जा सकेगी ।

5. **अनर्हताएं** .—(क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरूष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, या जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो

वह उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी/होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय हैं तथा ऐसा किए जाने के अन्य कारण हैं तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने का अधिकार**.—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणो के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग मे संबंधित व्यक्तियों को इन नियमो के किसी उपबंध से छूट दे सकती है ।

अनु-

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अनर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक | 6 | सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिक वर्गीय | 210-10-270-15-300 द०रो० 15-450-द० रो० 20-530 रूपए | पदोन्नति कोटे के लिए अप्रवरण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

सूची

| क्या सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं तथा निर्धारित आयु, पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होगी। | परिवीक्षा की अवधि यदि, कोई हो | भर्ती पद्धति-सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती किए जाने के लिए वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है। | यदि विभागीय समिति मौजूद है तो उसका गठन क्या है? | किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | पदोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति (प्रारम्भ में 2 वर्ष के लिए) | (1) 25% निदेशालय के मुख्यालय के उन उच्च श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो। (2) 75% केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों से प्रतिनियुक्त या केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उन उच्च लिपिकों जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो, में से प्रतिनियुक्ति के द्वारा। | विभागीय पदोन्नति समिति। | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| स्टोर-कीपर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी अराजपत्रित लिपिक वर्गीय | 130–5–160–8–200 द०रो० 8–256–द०रो० –8–280–10–300 रुपए | लागू नहीं होता | 21 और 30 वर्ष के बीच | अनिवार्य :— 1– किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास । 2. किसी बड़े औद्योगिक सरकारी संगठन में स्टोर कीपर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव । 3. एलेक्ट्रोनिक ओटो और आडोविल भंडार की पूरीज पूरी जानकारी । |
| स्टनोग्राफर | 4 | तथैव | तथैव | तथैव | 18 वर्ष से कम नहीं और 25 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मकमचारियों के लिए छूट दी जा सकेगी) | अनिवार्य :— 1. किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास या समकक्ष परीक्षा पास 2. शार्टहैंड में 100 शब्द प्रति-मिनट की गति । 3. टाइ पिंग में 40 शब्द प्रति–मिनट की गति । |
| उच्च श्रणी लिपिक | 9 | तथैव | तथैव | अप्रवरण पद | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता । |
| लागू नहीं होता | सीधी भर्ती वालों के लिए 2 वर्ष | (1) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा । (2) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | (1) 25 प्रतिशत प्रादेशिक कार्यालयों या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य विभागों से स्टनौ-ग्राफरों के स्थानान्तरण द्वारा ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । (2) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लाग नहीं होता | 2 वर्ष | 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा । | निदेशालय (मुख्यालय) उन अवर श्रेणी के लिपिकों जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो में से पदोन्नति । | ततीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अवर श्रेणी लिपिक | 19 | 110–3–131–4–155–द० रो०–4–175–5–180 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | (1) 18 वर्ष से कम नहीं और 21 वर्ष से अधिक नहीं (2) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के शैक्षिक अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए 45 वर्ष। अनुसूचित आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष अधिक से अधिक छूट होगी। | अनिवार्य:—<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मट्रिक या समकक्ष की परीक्षा पास।<br>2. टाईपिंग में 30 शब्द प्रतिमिनट की गति।<br>नोट :—टाइपिंग में गति संबंधित योग्यता की शारीरिक दृष्टि से अक्षिण उन व्यक्तियों के मामले में छूट होगी जो अन्यथा लिपिक वर्गीय पदों पर कार्य कर सकते हों और अक्षिण व्यक्तियों के लिए विशेष जिनके बारे में सिविल सर्जन या शारीरिक दृष्टि से रोजगार कार्यालयों में संबद्ध मैडिकल बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि वह टाइपिंग करने में असमर्थ है। |
| टेलीफोन आपरेटर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय। | तथव | तथव | 18 वर्ष से कम नहीं और 25 वर्ष से अधिक नहीं | अनिवार्य:—(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास। (2) पी०बी० एक्स में डाक तार विभाग का प्रशिक्षण पूरा किया हो।<br>वांछनीय : किसी सरकारी कार्यालय या व्यापारिक या औद्योगिक फर्म में एक वर्ष का अनुभव। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | सीधी भर्ती के लिए 2 वर्ष। | (1) 65 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>(2) 25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा<br>(3) 10 प्रतिशत शैक्षिक अर्हता प्राप्त चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों में से जिनकी 5 वर्ष की स्वीकृत सेवा हो। | (1) 25 प्रतिशत प्रादेशिक कार्यालयों या क्षेत्रीय यूनिटों से स्थानान्तरण द्वारा ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।<br>(2) 10 प्रतिशत निदेशालय के उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा जिनकी 5 वर्ष की स्वीकृत सेवा हो और शैक्षिक योग्यता रखते हों। चयन विभागीय परीक्षा जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त अर्थात् मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए सीमित होंगी। के माध्यम से किया जाएगा। इस पद्धति द्वारा नियुक्तियों की अधिकतम संख्या एक साल में अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग मे होने वाली रिक्तियों का 10 प्रतिशत होगी। भरी न जाने वाली रिक्तिया अगले वर्ष नहीं भरी जाएंगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |
| तथैव | 2 वर्ष | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गैस्टेटनर आपरेटर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा चतुर्थ श्रेणी अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 80–1–85–2–95 द० रो०–3–110 रु० | अप्रवरण पद | लागू नहीं होता | मिडिल स्कूल स्तर प्रमाण-पत्र |
| दफ्तरी | 3 | तथैव | 75–1–85–द० रो०–2–95 रु० | तथैव | तथैव | तथैव |
| चपरासी | 10 | तथैव | 70–1–80–द० रो० –1–85 रु० | लागू नही होता | 18 वर्ष से कम नहीं और 25 वर्ष से अधिक नही | तथैव |
| चौकीदार | 1 | तथैव | तथव | तथैव | तथैव | कोई शैक्षणिक या अन्य योग्यता आवश्यक नहीं |
| स्वीपर–कम–फराश | 1 | तथैव | तथैव | तथैव | तथैव | तथैव |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 1 वर्ष | पदोन्नति द्वारा | निदेशालय (मुख्यालय) के उन दफ्तरियों जिनकी इस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो, ऐसा न कर सकने पर प्रादेशिक कार्यालयों के उन दफ्तरियों जिनकी इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, में से पदोन्नति द्वारा । | चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति । | लागू नहीं |
| तथैव | 1 वर्ष | तथैव | निदेशालय (मुख्यालय) चपरासियों जिनकी इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, से पदोन्नति ऐसा न हो सकने पर प्रादेशिक कार्यालयों तथा क्षेत्रीय प्रचार यूनिटों के उन चपरासियों जिनकी इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, में से पदोन्नति द्वारा | तथैव | तथैव |
| तथैव | 1 वर्ष | 1.75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2.25 प्रतिशत स्थानान्तरण द्वारा | (1) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती (2) 25 प्रतिशत प्रादेशिक कार्यालयों या क्षेत्रीय प्रचार निदेशालयों के यूनिटों के चपरासियों में से स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | तथैव | तथैव |
| तथैव | 1 वर्ष | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | तथैव |
| तथैव | तथैव | तथैव | तथैव | तथैव | तथैव |

[सं० 4/3/68-प्रशासन]

**G.S.R. 28.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Regional Offices and Field Publicity Mobile Units (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Regional Offices and Field Publicity Mobile Units (Recruitment to Class III and Class IV posts) Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Regional Offices and Field Publicity Mobile Units (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, for the post against serial No. 4 and the relating entries thereto, the following shall be substituted, namely:—

THE

| Sl. No. | Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limits for direct recruitment | Educational and other qualifications for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | **Lower Division Clerk.** | 250 | General Central Services Class III Ministerial, Non-Gazetted | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | Not applicable. | Not less than 18 years and not more than 21 years for direct recruitment. Upto 45 years for educationally qualified Class IV employees of Regional Offices and Field Publicity Mobile Units of Directorate of Field Publicity. Relaxable upto a maximum of 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. | *Essential*:<br>1. Matriculation of a recognised university or its equivalent examination.<br>2. A speed of 30 words per minute in typewriting.<br><br>*NOTE*:—<br>The qualification regarding typing speed is rexable in the case of physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical posts and who are certified as unable to type by the Medical Board attached to the special Employment Exchange for a handicapped person or by a Civil Surgeon. |

SCHEDULE

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruit will apply in the case of promotees/ transferees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable. | 2 years. | 1. 90% direct recruitment.<br>2. 10% by promotion. | 10% of the vacancies in the grade of L.D.Cs. shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Directorate of Field Publicity / Regional and Field Publicity Mobile Units) having atleast 5 years' service in the grade. Selection would be made through a Departmental Examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, *viz.*, Matriculation or equivalent. The maximum numbet of appointments by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of L.D.Cs. occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over to the next year. | Not applicable. | Not applicable. |

[No. 4/3/70-Admn./UB(I).]

J. SANYAL, Under Secy.

जी० एस० आर० 28.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये निम्नलिखित

1. (1) इन नियमों को प्रादेशिक कार्यालय एवं चलते फिरते क्षेत्रीय प्रचार एकक

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक कार्यालय एवं चलते फिरते क्षेत्रीय प्रचार एकक (तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

अनु

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | अवर श्रेणी लिपिक | 250 | सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित लिपिक वर्गीय) | 110–3–131–4–155–द० रो०–4–175–5–180 रुपये। | लागू नहीं होता। | (1) सीधी भर्ती के लिए 18 वर्ष से कम और 21 वर्ष से अधिक नहीं होगी। (2) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों एवं चलते फिरते प्रचार एकक के शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये 45 वर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों के लिये 5 वर्ष अधिक से अधिक छूट होगी। |

प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रादेशिक कार्यालय एवं चलते फिरते क्षेत्रीय प्रचार एकक (तृतीय नियम बनाते हैं :—

(तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) संशोधन नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

पद भर्ती) नियमावली, 1959 की अनुसूची में, क्रम संख्या 4 के सामने के पद तथा इससे सम्बन्धित स्तंभों

| सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिए शैक्षिक व अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति/स्थानान्तरण व्यक्तियों पर भी लागू होगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो | भर्ती पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों या पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | पदोन्नति/स्थानान्तरण/नियुक्ति द्वारा भर्ती किए जाने पर जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है। | यदि भर्ती विभागीय परीक्षा समिति द्वारा करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 |
| अनिवार्य:—<br>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास।<br>2. टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति।<br>नोट :—<br>टाइपिंग में गति संबंधित योग्यता को शारीरिक दृष्टि से अक्षिण उन व्यक्तियों के मामले में छूट होगी या अन्यथा लिपिक वर्गीय पदों पर कार्य कर सकते हों और अपंग व्यक्तियों के लिये विशेष छूट जिनके बारें में सिविल सर्जन या शारीरिक दृष्टि से रोजगार कार्यालयों से संबद्ध मैडिकल बोर्ड ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि वह टाइपिंग करने में असमर्थ हैं। | लागू नहीं होता | 2 वर्ष। | 1. 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।<br>2. 10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। | अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में 10 प्रतिशत रिक्तियों क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के प्रादेशिक कार्यालयों और चलते फिरते क्षेत्रीय प्रचार एकक चतुर्थ श्रेणी के उन नियमित कर्मचारियों द्वारा भरी जाने के लिये आरक्षित होगी जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो। चयन् विभागीय परीक्षा जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त अर्थात् मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये सीमित होगी, के माध्यम से किया जाएगा। इस पद्धति द्वारा नियुक्तियों की अधिकतम संख्या एक साल में अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग में होने वाली रिक्तियों का 10 प्रतिशत होगी। भरी न जाने वाली रिक्तियों अगले वर्ष नहीं भरी जाएंगी। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[संख्या 4/3/70—प्रशासन/यू०एस० (आई)]

जे० सान्याल, अवर सचिव।

*New Delhi, the 30th November 1971*

**G.S.R. 29.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Information and Broadcasting Scooter Driver/Despatch Rider and Staff Car Driver Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting Scooter Driver/Despatch Rider and Staff Car Driver Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Information and Broadcasting Scooter Driver/Despatch Rider and Staff Car Driver Recruitment Rules, 1968,—

(i) in sub-rule (1) of rule 1, for the words "Scooter Driver/Despath Rider and Staff Car Driver", the words "Scooter Driver and Staff Car Driver" shall be substituted;

(ii) in the Schedule, against the post of Scooter Driver/Despatch Rider for the existing entries in columns 1, 7, 8, 10 and 11, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

column 1: Scooter Driver.

column 7: *Essential.*—Possession of a valid licence for motor cycle and experience of driving a motor cycle or a three wheeler autoriksha for at least 3 years.

*Desirable.*—A pass in the 8th standard.

column 8.—Age limits will not apply but qualifications in column 7 will apply.

column 10.—By transfer, failing which by direct recruitment.

column 11.—By transfer, on the basis of results of a test on driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standard of competence considered essential in driving a three wheeler autoriksha from amongst the regular class IV employees of the Ministry of Information and Broadcasting who possess the qualifications in column 7.

[No.9/3/69-Admn.II.]

S. N. MITAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1971

**जी० एस० आर०** 29.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्कूटर ड्राइवर/डिस्पैच राइडर एवं स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियमावली, 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्कूटर ड्राइवर/डिस्पैच राइडर एवं स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय स्कूटर ड्राइवर/डिस्पैच राइडर एवं स्टाफ कार ड्राइवर भर्ती नियमावली, 1968 में—

(1) नियम 1 के उपनियम (1) में "स्कूटर ड्राइवर/डिस्पैच राइडर एवं स्टाफ कार ड्राइवर" शब्दों के स्थान पर "स्कूटर ड्राइवर तथा स्टाफ कार ड्राइवर" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(2) अनुसूची में, स्कूटर ड्राइवर/डिस्पैच राइडर के पद के सम्मुख कालम 1, 7, 8, 10 तथा 11 की वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

| | |
|---|---|
| कालम 1 : | स्कूटर ड्राइवर |
| कालम 7 : | आवश्यक : मोटर साइकिल चलाने का विधिमान्य लाइसेंस रखता हो तथा मोटर साइकिल या तीन पहियों वाली आटो रिक्शा चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखता हो ।<br>वांछनीय : आठवीं कक्षा पास हो । |
| कालम 8 : | आयु सीमा लागू नहीं होगी परन्तु कालम 7 में दी गई अर्हतायें लागू होंगी । |
| कालम 10 : | स्थानान्तरण द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । |
| कालम 11 : | तीन पहियों वाली आटो रिक्शा के चलाने में अनिवार्य समझे जाने वाले सामर्थ्य के मानदंडों के सन्दर्भ में इस पद के लिए उपयुक्तता की जांच करने के उद्देश्य से ली गई परीक्षा के परिणाम के आधार पर, कालम 7 में निर्दिष्ट अर्हतायें रखने वाले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा । |

[संख्या 9/3/69-प्रशासन-2]

एस० एन० मित्तल, अवर सचिव ।

---

*New Delhi, the 2nd December 1971*

**G.S.R. 30.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, published with the notification of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1090 dated the 21st September, 1959, namely:—

1. (i) These rules may be called the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Seventh Amendment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules 1959, against Serial Number 32 relating to the post of Lower Division Clerk in column 5, in condition (b), the words "for the first two examinations to be held under this Scheme" shall be omitted.

[No. 3/10/70-F(A).]

K. K. KHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर०** 30 —संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1090, तारीख 21-9-1959 में प्रकाशित फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात —

1 (1) इन नियमों को फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) सातवां संशोधन नियमावली 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1959 की अनुसूची में, अवर श्रेणी लिपिक पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 32 के सम्मुख कालम 5 के अन्तर्गत, शर्त (ख) में से "इस योजना के अन्तर्गत होने वाली प्रथम दो परिक्षाओं के लिए" शब्दों को निकाल दिया जायेगा

[संख्या 3/10/70-एफ. ए]

के० के० खान, अवर सचिव ।

---

*New Delhi, the 3rd December, 1971.*

**G S R.** 31 In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Research and Reference Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules 1965, namely :—

1 (1) These rules may be called the Research and Reference Division (Class III and Class IV posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Research and Reference Division (Class III and Class IV posts Recruitment Rules 1965, after S No 9 and the entries relating thereto, the following S No and the entries relating thereto shall be inserted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tarash | -do- | -do- | 100 failing which by transfer | Not applicable | Not applicable | As in column 5 |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| 18 to 25 years | *Desirable* Pass in the Primary School Standard | Not applicable | By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Government Offices. |

[No. A. 11018/3/71-Admn/R&RD/UPS]

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1971.

**जी० एस० आर० 31**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति गवेषण तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली 1965 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (2) इन नियमों को गवेषण तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) (भर्ती तृतीय संशोधन) नियमावली 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गवेषण तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली 1965 की अनुसूची में क्रम संख्या 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रमसंख्या तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | फराश | —तथैव | —तथैव— | 100 प्रतिशत ऐसा न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | कालम 5 में दिए अनुसार | 18 से 25 वर्ष तक |

| 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|
| वांछनीय: प्राइमरी पास | लागू नहीं होता | उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में इसी प्रकार के या समकक्ष पदों पर कार्य करत हों। |

[संख्या ए. 11018/3/71-प्रशासन/आर० एंड आर० डी०/यू० एस० पी]

बानू राम अग्रवाल, अवर सचिव।

... ... **MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

*New Delhi, the 10th December 1971*

**G.S.R. 32.**—In pursuance of paragraph 4 of the Foreigners (Internment) Order, 1962, the Central Government hereby establishes an Internment Camp at Deoli in the State of Rajasthan, and appoints S. P. Bhargava as Commandant of the Camp.

[No. 25019/3/71-I-F.I.]

---

ORDER

*New Delhi, the 10th December 1971*

**G.S.R. 33.**—In exercise of the powers conferred by paragraph 9 of the Foreigners Order, 1948, the Central Government hereby declares the Internment Camp established at Deoli under paragraph 4 of the Foreigners (Internment) Order, 1962, to be a protected area.

[No. 25019/3/71-II-F.I.]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

---

*New Delhi, the 16th December 1971*

**G.S.R. 34.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate of Coordination (Police Wireless) Recruitment to Class I and Class II posts Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Coordination (Police Wireless) Recruitment to Class I and II posts (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Directorate of Coordination (Police Wireless) Recruitment to Class I and Class II Posts, Rules, 1966, for the existing entries, under columns 2, 10 and 11 in respect of Serial Number 2 Deputy Director, the following entries shall respectively be substituted :—

| *Col.* 2 | *Col.* 10 | *Col.* 11 |
|---|---|---|
| | | *Promotion* |
| "Three . . | By promotion failing which by dueputation/ transfer failing which by direct recruitment. | (*a*) (*i*) Assistant Director Communication or Maintenance or Coordination or Equipment with five years service in the grade. |
| | | (ii) failing (i) above, with twelve years total service in the grades of Assistant Director Communication or Maintenance or Coordination or Equipment and Extra Assistant Director (Maintenance) combined together, of which three years service should be in the former grade. |
| | | (*b*) *Deputation/Transfer* |
| | | (*i*) Superintendent of Police (Telecommunications or Wireless of State Police Wireless Organisations with five years service in the grade. |
| | | (ii) Officers of the rank of Major of Signals Branch of the Indian Armed Forces with five years service in the grade who are exempted from or qualified in Signal Officers Degree Engineering course, Parts I and II. |
| | | (Period of deputation—ordinarily not exceeding three years). |
| | | NOTE :—Deputationists will not be eligible for promotion". |

[No. A.21/55/70—Wireless(Pers-I.)]

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1971

**सा० का०नि० 34**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों के लिए भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार) वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों के लिए भर्ती (संशोधन) नियम 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

2. समन्वय निदेशालय (पुलिस बतार) वर्ग 1 और वर्ग 2 पदों के लिए भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में क्रम संख्या 2—उपनिदेशक से संबंधित स्तंभ 2, 10 और 11 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश : निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

| स्तंभ 2 | स्तंभ 10 | स्तंभ 11 |
|---|---|---|
| "तीन | प्रो ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **प्रोन्नति :**<br>(क) (i) सहायक निदेशक संचार या अनुरक्षण या समन्वय या उपस्कर, जिसने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (ii) उपरोक्त (i) के न हो सकने पर, सहायक निदेशक संचार या अनुरक्षण या समन्वय या उपस्कर और अतिरिक्त सहायक निदेशक (अनुरक्षण), जिन्होंने दोनों श्रेणियों को एक साथ मिलाकर, उनमें कुल बारह वर्ष सेवा की हों, जिसमें से तीन वर्ष की सेवा पूर्वकथित श्रेणी में होनी चाहिए।<br>(ख) **प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण**<br>(i) राज्य पुलिस बेतार संगठनों का पुलिस अधीक्षक (संचार या बेतार), जिसने उप-श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। (ii) भारतीय सशस्त्र बल की संकेतशाखा के मेजर को रैंक के ऐसे अफसर, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्हें संकेत अफसर डिग्री इंजीनियरिंग कोर्स, भाग 1 और 2 से छूट दे दी गई हो या जिन्होंने उसको अर्हित कर लिया हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक न होगी)<br>**टिप्पणी** :—प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के पात्र नहीं होंगे।" |

*[सं० ए० 21/55/70-बेतार (कार्मिक-1)]*

**G.S.R. 35.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Investigator in the Police Research and Development Bureau, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Police Research and Development (Senior Investigator) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.** The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said Schedule in respect of direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to any of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or any other special category in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHE-

| Name of Post | No. of Posts. | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Investigator. | One | General Central Services Class II Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 325—15—475 EB—20—575 | Selection | 30 years (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(i) Master's degree in Social Work or Sociology or Criminology of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 2 years experience of collection, compilation and interpretation of Statistical data.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)<br>*Desirable* :<br>Specialisation in Statistics or Social Research. |

DULE

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion, failing which by direct recruitments, failing both by transfer or transfer on deputation. | *Promotion*: Junior Investigator with 5 years service in the grade. *Transfer on Deputation* Officers holding analogous posts under the Central Government or State Government or officers with 5 years service in posts in the scale of Rs. 210—425 or equivalent from Central Government or State Government Police Forces or Social Welfare Departments or Bureau | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption consultation) from Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | of Correctional Services under the Central Government or State Government and possessing the qualifications mentioned in column 7 (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years.)<br><br>*Transfer* :<br>Officers holding analogous posts under the Forces or Departments or services referred to above. | | |

[No. 53/3/70-Pers.I.]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

**जी० एस० आर०** 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज्येष्ठ अन्वेषक, पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं; अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**: (1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो (ज्येष्ठ अन्वेषक) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और और उसका वेतनमान ये होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और अन्य बातें** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ; परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी।

4. **निरर्हतायें**:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | अनु- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| जयेष्ठ अन्वेषक | 1 | केन्द्रीय साधारण सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित अननुसचिवीय | 325-15-475-दो रो०-20--575 रु० | चयन | 30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) | **आवश्यक :** (i) समाज कार्य विज्ञान या समाज विज्ञान या अपराध विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याय की मास्टर की उपाधि या समतल्य। (ii) आंकड़ों के जुटाने, संकलन करने और उनके निर्वचन का करीब दो वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में आयोग के विवकानुसार योग्यताएं शिथिल की जा सकती है) **वांछनीय :** साख्यकीय या सामाजिक अनुसन्धान में विशेषज्ञता। |

सूची

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू हो या नही | परि-वीक्षा की अवधि यदि हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिसमें प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| नही | दो वर्ष | प्रोन्नति, द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा दोनो के न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थाना-न्तरण द्वारा | प्रोन्नति : कनिष्ठ अन्वेषक जिसकी श्रेणी मे 5 वर्ष की सेवा है प्रतिनियुक्ति पर स्थाना-न्तरण केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार मे सदृश पद धारण करने वाले अधि-कारी या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पुलिस बल के या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के के समाज कल्या विभागो या 210–425 रुपये या समतुल्य वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी दुरुस्ता सेवा ब्यूरो के अधिकारी जिनके पास स्तंभ 7 में उल्लिखित अर्हताए हो (प्रति-नियुक्ति की अवधि सामा-न्यत: 3 वर्ष से अनधिक) स्थानान्तरण : ऊपर नि-दिष्ट बल या विभागों या सेवाओं के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी। | वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति | जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनि-यम 1958 के अधीन अपेक्षित हो |

[संख्या 53/3/70-कार्मिक–1]

बी० एल० शेवाल, उप सचिव।

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 24th November 1971*

**G.S.R. 36.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Enforcement Officer and Assistant Enforcement Officer in the Directorate of Enforcement, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement, Enforcement Officer and Assistant Enforcement Officer (Class III posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specfied in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provision of these rules with respect to any class or any category of persons or posts.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Enforcement Officer | 51 | General Central Service, Class III (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 355—15—475—EB—20—575 | Selection |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ trasfer and percentage of vecancies to be filled by various methods. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | (i) Promotion<br>(ii) Deputation<br>(iii) Transfer | 50<br>40<br>10 |

| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| A. *Promotion* :<br>From amongst Assistant Enforcement Officers (Rs. 210—320) in the Directorate of Enforcement with five years of service in that grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis | Class III D.P.C. | Not applicable |
| B. *Deputation* :<br>From among the following categories:<br>(a) Inspector of Central Excise (Senior Grade) (Rs.320—575) with three years service in the grade.<br>(b) Inspector of Police of Central/State Police Organisations wih three years service in the grade.<br>(c) Customs Preventive Officer (Senior Grade) (Rs.210—485) with eight years of service in the grade<br>The period of deputation shall not ordinarily exceed three years. | | |
| C. *Transfer* :<br>From among Assistants (Rs.210—530)/Stenographers (Rs. 425) in the Directorate of Enforcement who satisfy the following conditions :<br>(a) Five years service as Assistant/Stenographers rendered from the date of appointment thereto on a regular basis.<br>(b) Qualifying at an examination held in this behaalf. | 210 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant Enforcement Officer | 54 | General Central Service, Class III (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 210—10—290—15—30. | Selection |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 25 years and below. | A degree in Art, Science or Commerce or equivalent from a recognised University. | Not applicable | Two years | (i) Direct recruitment 50%<br>(ii) Deputation 30%<br>(iii) Transfer 20% |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| A. *Deputation*<br>From among the following categories:<br>(a) Sub-Inspector of Central Excise (Rs. 110—180) with not less than five years service:<br>(b) (i) Inspector of Central Excise (Ordinary Grade) (Rs. 210—425).<br>(ii) Inspector of Income Tax (Rs. 210—485).<br>(iii) Sub-Inspector of Police in Central/State Police organisations.<br>(iv) Customs Preventive Officer (Grade II) (Rs. 150—300).<br>having at least three years service.<br>The period of deputation shall not ordinarily exceed three years.<br>B. *Transfer*<br>From among Upper Division Clerks/Stenographers (Rs. 130—300) in the Directorate of Enforcement who satisfy the following conditions:<br>(a) Five years service as Upper Division Clerk/Stenographer in the Directorate of Enforcement rendered from the date of appointment thereto on a regular basis.<br>(b) Qualifying at an examination held in this behalf. | Class III D.P.C. | Not applicable |

[No. 275/60/70-AVD-IV]

K. L. RAMACHANDRAN, Under Secy.

## मंत्रीमंडल सचिवालय
## (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 1, 24 नवम्बर 1971

**सा०का०नि० 36.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रवर्तन निदेशालय में प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम प्रवर्तन निदेशालय प्रवर्तन अधिकारी और सहायक प्रवर्तन अधिकारी (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताए**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ;

5. **निरर्हताएं**:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नही होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुदेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करन की शक्ति** :—जहा केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

### अनुसूची

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. प्रवर्तन अधिकारी | 51 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–3 (राजपत्रित) (अनुसचिवीय) | 350-15-475–द०ो०-30-575 रु० | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| (i) प्रोन्नति 50 प्रतिशत<br>(ii) प्रतिनियुक्ति 40 प्रतिशत<br>(iii) स्थानान्तरण 10 प्रतिशत | क—**प्रोन्नति**<br>प्रवर्तन निदेशालय में सहायक प्रवर्तन अधिकारियों (210–320 रु०) में से जिनकी उस श्रेणी मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष की सेवा हो।<br>ख—**प्रतिनियुक्ति**<br>निम्नलिखित प्रवर्गों में से—<br>(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक (ज्येष्ठ श्रेणी) (320—575 रु०) जिनकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा हो।<br>(ख) केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठनों के पुलिस निरीक्ष जिनकी उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा हो। | वर्ग-3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| | (ग) सीमा-शुल्क निवारक अधिकारी (ज्येष्ठ श्रेणी) (210—485 रु०) जिनकी उस श्रेणी मे 8 वर्ष की सेवा हो। | | |
| | सामान्यत. प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही होगी। | | |
| | **ग—स्थानान्तरण** | | |
| | प्रवर्तन निदेशालय मे सहायक (210—530 रु०) आशुलिपिको (210—425 रु०) मे से या निम्नलिखित शर्तें पूरा करते हो— | | |
| | (क) सहायक/आशुलिपिक के रूप म नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से पाच वर्ष क. सेवा। | | |
| | (ख) इस निमित आयोजित परीक्षा मे अर्हित। | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. सहायक प्रवर्तन अधिकारी | 54 | साधारण केन्द्रीय सेवा (अराजपत्रित) (अनु-सचिवीय) | 210-10—290-15-320 रु० | चयन | 25 वर्ष और कम |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य मे उपाधि या समतुल्य । | लागू नही होता । | दो वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| (*i*) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती<br>(*ii*) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति<br>(*iii*) 20 प्रतिशत स्थानान्तरण | क—प्रतिनियुक्ति<br>निम्नलिखित प्रवर्गों में से :<br>(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उप-निरीक्षक (110–180 रु०) जिनकी कम से कम पांच वर्ष की सेवा हो ।<br>(ख) (*i*) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क निरीक्षक (सामान्य श्रेणी) (210–425 रु०) ।<br>(*ii*) आय-कर निरीक्षक (210–485 रु०)<br>(*iii*) केन्द्रीय/राज्य पुलिस संगठनों के उप-निरीक्षक ।<br>(*iv*) सीमा-शुल्क निवारक अधिकारी (श्रेणी–2) (150–300 रु०) जिनकी कम से कम तीन वर्ष की सेवा हो । सामान्यतः प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अधिक नही होगी ।<br><br>ख—स्थानान्तरण<br>प्रवर्तन निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिकों/आशुलिपिकों में से जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हो—<br>(क) प्रवर्तन निदेशालय मे उच्च श्रेणी लिपिक/आशुलिपिक के रूप मे जिनकी नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से पांच वर्ष की सेवा हो ।<br>(ख) इस निमित्त आयोजित परीक्षा मे अर्हित । | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता । |

के० एल० रामाचन्द्रन,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 13th December 1971*

**G.S.R. 37.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Nineteenth Amendment Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In rule 4 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, after sub-rule (6), the following sub-rule shall be inserted, namely —

"(6A) The initial pay of a person, who is not a member of the Service and who is also not a member of a State Civil Service, shall on appointment to a Cadre post in an officiating capacity in accordance with rule 9 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, be fixed *ad hoc* by the Central Government in consultation with the State Government concerned."

[No 1/38/70-AIS(II)-A ]

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1971

**सा० सा० नि० 37**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 मे और सशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1 (1) ये नियम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) 19वा सशोधन नियम 1971 कहे जा सकेगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2 भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम 4 मे उप-नियम (6) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड दिया जाएगा अर्थात् —

"(6क) भारतीय प्रशासन सेवा (सवर्ग) नियम 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सवर्ग पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किये जाने पर जो कि सेवा का सदस्य नही है तथा राज्य सिविल सेवा का भी सदस्य नही है तो उनको प्रारभिक वेतन सम्बन्धित राज्य सरकार की परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा तदथ रूप स नियत की जाय ।"

[सख्या 1/38/70-अ०भा०से (II)क]

*New Delhi, the 15th December 1971*

**G.S.R. 38.**—In exercise of the powers conferred by sub-section 3 of the All India Service Act 1951 (61 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely —

1 (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Seventh Amendment Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In rule 4 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, after sub rule (5), the following sub rule shall be inserted, namely —

'(5A) The initial pay of a person, who is not a member of the Service and who is also not a member of a State Police Service, shall, on appointment to a Cadre post in an officiating capacity in accordance with rule 9 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, be fixed *ad hoc* by the Central Government in consultation with the State Government concerned"

[No. 1/38/70-AIS(II)-B.]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 38** —अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 मे और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवा संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगे ।

2 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 4 मे उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड दिया जायेगा, अर्थात् —

"(5क) भारतीय पुलिस सेवा (सवर्ग) नियम, 1954 के नियम 9 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सवर्ग पद पर स्नापन्न रूप से नियुक्त किये जाने पर, जो कि सेवा का सदस्य नही है तथा राज्य पुलिस सेवा का भी सदस्य नही है तो उसकी प्रारम्भिक वेतन सम्बन्धित राज्य सरकार की परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा तदर्थ रूप से नियत की जाये ।"

[सं० 11/38/70-आ० भा० सै० (II)-ख]

बी० नरसिंहन,

अवर सचिव, भारत सरकार।

---

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

### (Department of Labour and Employment)

*New Delhi, the 26th November* 1971

**G S.R. 39**—The following draft of certain rules further to amend the Minimum Wages (Central) Rules, 1950, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) and in supersession of the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No G S R. 841, dated the 7th May, 1970, is published as required by sub-section (1) of that section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th March, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with regard to the said draft before the said date will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

1 These rules may be called the Minimum Wages (Central) Second Amendment Rules, 1971.

2. In the minimum Wages (Central) Rules, 1950, in rule 26.—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) A Register of Wages shall be maintained by every employer at the workspot in form X and entries in respect of each person employed in the establishment pertaining to any wage period shall be recorded therein before the date on which the wages for that particular wage period falls due excepting in columns relating to "actual wages" and "signature or thumb impression of the employee" which may be completed on the date of actual payment."

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely —

"(5) A muster-roll shall be maintained by every employer in respect of each person at the workspot and kept in form V and the attendance or absence of each person employed in the establishment shall be recorded daily in that form within 3 hours of the commencement of the work shift/relay for the day as the case may be."

(iii) in Form V, Muster Roll prescribed under Rule 26(5), the column "Total number of days worked" may be added before the column "Remarks".

[No. 53(2)/69-WE(MW).]

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

### (श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1971

**सा० का० नि० 39** — न्यूनतम मजदूरी केन्द्रीय नियम, 1950 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० का० नि० 841 तारीख 7 मई, 1970 को अधिक्रांत करते हुए, बनाने की स्थापना करती है, इसके द्वारा सम्भाव्यत प्रभावी होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस धारा की उपधारा 1 द्वारा यथाअपेक्षित, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15-3-1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा ।

उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में उक्त तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं भी आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

### प्रारूप नियम

1 इन नियम का नाम न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियम, 1971 होगा ।

2 न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 में, नियम 26 में — (i) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात् —

"(i) प्रत्येक नियोजक द्वारा कर्मस्थल पर मजदूरों का एक रजिस्टर प्ररूप एक्स में रखा जाएगा और स्थापन में नियोजित हर व्यक्ति की बाबत किसी भी मजदूरी अवधि के बाद में उस अवधि विशेष के लिए मजदूरी दी होने की तारीख से पहले प्रविष्टियां उसमें अभिलिखित की जाएंगी सिवाय "वास्तविक मजदूरी" और "कर्मचारी के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा" से सम्बन्धित स्तम्भों के जिन्हें वास्तविक संदाय की तारीख को पूरा किया जा सकता है ।"

(ii) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(5) प्रत्येक नियोजक द्वारा कर्मस्थल पर हर व्यक्ति की बाबत एक मस्टर रोल प्ररूप 5 में रखा जाएगा और स्थापन में नियोजित हर व्यक्ति की हाजिरी या अनुपस्थिति उस दिन के लिए काम-पारी/पाली, जैसी भी स्थिति हो, के प्रारम्भ होने के तीन घंटे के भीतर उस प्ररूप में प्रति दिन अभिलिखित की जाएगी ।"

[सं० 53(2)/69-डब्ल्यू० ई० (एम० डब्ल्यू०)]

हुस राज डावड़ा,
अवर सचिव ।

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 15th December 1971*

**G.S.R. 40.**—The following draft regulations further to amend the Coal Mines Regulations 1957 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published, as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th April, 1972

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

*Draft Regulations*

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1971.

2. After regulation 28 of the Coal Mines Regulations, 1957, the following regulations shall be inserted, namely:—

"28A *Medical Certificate of fitness to be required in certain cases*—No adolescent who has not completed seventeen years of age shall be, or permitted to be, employed above ground in a mine unless he has been granted a medical certificate certifying that he is fit to work

28B *Right of employees representative to inspect the register maintained under the Mines Rules, 1955.*—The register maintained in form B under the Mines Rules, 1955 shall be made available for inspection to a representative of the persons employed in the mine on an application made by him in this behalf"

[No. S.29012/1/71-MI

**(श्रम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 40 — कोयला खान विनियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रस्थापना करती है एतद्द्वारा सम्भाव्यत प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15 अप्रैल, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

**प्रारूप विनियम**

1 इन विनियमों का नाम कोयला खान संशोधन विनियम, 1971 होगा ।

2 कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 28 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"28 क. कतिपय मामलों में आरोग्य चिकित्सा प्रमाणपत्र का अपेक्षित होना — कोई भी कुमार जिसने 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है किसी खान में भूमि के ऊपर नियोजित या नियोजित होना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे काम करने के योग्य प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो ।"

28ख. खान नियम, 1955 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर के निरीक्षण का कर्मचारियों के प्रतिनिधि का अधिकार —

खान नियम, 1955 के अधीन प्ररूप (ख) में रखे गए रजिस्टर को खान में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए, इस निमित्त किए गए उसके आवेदन पर, उपलब्ध कराया जाएगा ।

[सं० एस०-29012/1/71-एम० आई०]

*New Delhi, the 16th December 1971*

**G.S.R. 41.**—The following draft regulations further to amend the Metalliferous Mines Regulations, 1961 which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 57 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), is published, as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th April, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect of the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

*Draft Regulations*

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1971.

2. In the Metalliferous Mines Regulations 1961

(i) in regulation 31, for the marginal heading "Medical Certificate of fitness to be required in certain cases" the marginal heading "Retirement age for managers and officials etc." shall be substituted,

(ii) after regulation 31, the following regulations shall be inserted, namely —

"31A. *Medical Certificate of fitness to be required in certain cases*—No adolescent who has not completed seventeen years of age shall be, or permitted to be, employed above ground in a mine unless he has been granted a medical certificate certifying that he is fit to work.

31B *Right of employees representative to inspect the register maintained under the mines Rules* 1955—The register maintained in form B under the Mines Rules, 1955 shall be made available for inspection to a representative of the persons employed in the mine on an application made by him in this behalf"

[No S 29012/1/71-M.I]

J D TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि०** 41 — धातुत्पादक खान विनियम 1961 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप विनियम जिन्हें खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार बनाने की प्रस्थापना करती है, एतद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15 अप्रैल, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**प्रारूप विनियम**

1 इन विनियमों का नाम धातुत्पादक संशोधन विनियम, 1971 होगा।

2 धातुत्पादक खान विनियम 1961 में—

( ) विनियम 31 में "कतिपय मामलों में आरोग्य चिकित्सा-प्रमाण-पत्र का अपेक्षित होना" पार्श्व शीर्ष के स्थान पर "प्रबन्धक और अधिकारी आदि के लिए सेवा निवृत्ति आयु" पार्श्वशीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) विनियम 31 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"31क कतिपय मामलों में आरोग्य चिकित्सा-प्रमाणपत्र का अपेक्षित होना :— कोई भी कुमार, जिसने 17 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है किसी खान में भूमि के ऊपर नियोजित या विनियोजित होना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि

उसे काम करने योग्य प्रमाणित करने वाला चिकित्सा-प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो ।

"31ख. खान नियम, 1955 के अधीन रखे जाने वाले रजिस्टर के निरीक्षण का कर्मचारियों के प्रतिनिधि का अधिकार —

खान नियम, 1955 के अधीन प्ररूप (ख) मे रखे गए रजिस्टर को खान मे नियोजित व्यक्तियों के प्रतिनिधि के निरीक्षण के लिए इस निमित्त दिए गए उसके आवेदन पर, उपलब्ध कराया जाएगा ।

[[सं० एस०-29012/1/71-एम० आई०]

जे० डी० तिवाडी,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

---

**(Department of Rehabilitation)**

*New Delhi, the 9th December 1971*

**G.S.R. 42.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the mehod of recruiment to the post of Special Officer (Relief) in the Department of Rehabilitation, Ministry of Labour & Rehabilitation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Rehabilitation, Special Officer (Relief) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the posts, its classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to there rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, qualifications and other matters connected therewith shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

| Name of post | No. of Posts | Classification. | Scale of pay | Whether Selection Post of non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Special Officer (Relief). | 2 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 1300—60—1600. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

S

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by Promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made. | If a D.P.C. exists, what is its Composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Not applicable. | By transfer on deputation or Re-employment. | *Transfer on deputation*<br>Officers of the rank of Lt. Col. or equivalent or Civilian officers holding analogous posts; failing which Class I officers with 5 years service in post in the scale of Rs. 700—1250 or equivalent, and having experience in organising relief camps for displaced persons & in movement programme including procurement of stores and general liasion with State Governments, Railway or—Defence authorities, etc.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).<br>*Re-employment* :<br>Retired officers of the rank of Lt. Col. or equivalent and having the experience mentioned above.<br>NOTE (1) Serving officers of the Armed Forces taken on deputation but retiring from the Armed Forces within the period of deputation may be re-employed until they attain the age of superannuation with reference to Civil posts.<br>(2) Retired officers of Armed Forces may be re-employed till they attain the age of superannuation with reference to Civil posts. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption form Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 12018(8)/70-Adm.I.

J. K. ALUWALIA, Undr Secy.

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर 1971

**सा० का० नि० 42.**— सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग में विशेष अधिकारी (राहत) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .—(1) ये नियम पुनर्वास विभाग बिशेष अधिकारी (राहत) के पद पर, भर्ती के नियम, 1971 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—इन पदों की संख्या इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और योग्यताएं इत्यादि** :—उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा योग्यताएं और इन से सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुचची के कालम 5 से 13 में दी गई है ।

4. **अयोग्यताएं** :—कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो ।

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. रियायत देने की शक्ति :—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है

अनु

| नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शिक्षा सम्बन्धी अन्य योग्यताएं | क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शिक्षा सम्बन्धी योग्यताएं पदोन्नति वालों की दशा में भी लागू होंगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| विशेष अधिकारी (राहत) | दो | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–1 राजपत्रित | 1300–60–1600 रु० | लागू नहीं होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

सूची

| परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो तो | भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है । | वे परिस्थितियां जिनमे नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण या पुनर्नियुक्ति | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण लै० कर्नल के ओहदे के अधिकारी या उनके समकक्ष या समान पदों पर कार्य कर रहे असैनिक अधिकारी ऐसा न होने पर श्रेणी–I के वे अधिकारी जिन्हें 700–1250 रु० या इसके समकक्ष वैतनमान मे इस पद पर पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो तथा जिन्हे विस्थापित व्यक्तियों के लिए राहत शिविरो का संगठन करने तथा संचलन कार्यक्रम का जिसमें सामग्री मुहैया करने तथा राज्य सरकारों, रेलवे या रक्षा प्राधिकारियों आदि से सामान्य सम्पर्क रखने का काम भी शामिल है अनुभव प्राप्त हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी)<br><br>पुनर्नियुक्ति : लै० कर्नल या इसके समकक्ष ओहदे के सेवा निवृत्त अधिकारी और जिन्हें उपर्युक्त अनुभव प्राप्त हो । | लागू नहीं होता | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग। (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| | | नोट : (1) सशस्त्र सेना में सेवा कर रहे वे अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर लिए गए हों परन्तु प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान व सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त हो रहे हों तो उन्हें असैनिक पदों के लिए निर्धारित निवर्तन आयु के प्राप्त होने तक पुनर्नियुक्ति किया जा सकता है । | | |
| | | (2) सशस्त्र सेना के सेवा निवृत्त अधिकारियों को असैनिक पदों के लिए निर्धारित आयु तक पुनर्नियुक्त किया जा सकता है । | | |

[संख्या ए० 12018(8)/70-प्रशासन-I]

जय किशन अहलूवालिया, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

*New Delhi, the 30th October 1971*

**G.S.R. 43.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to certain Research Posts in the Economic Division of the Ministry of External Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of External Affairs (Research Posts in the Economic Division) Recruitment Rules 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2 **Application.**—These rules shall apply to the posts of (i) Deputy Director (ii) Senior Research Officer (iii) Research Officer in the Economic Division of the Ministry of External Affairs as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid;

Provided that the maximum age limit specified in columns 6 of the said schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled castes or the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No persons (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or empedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

SCHE

*Recruitment Rules for the posts of (I) Deputy Director (II) Senior M/o E.A.*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-Selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Deputy Director. | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 1300-60-1600. | Not applicable. | Not applicable. | Not aapplicable. |
| 2. Senior Research Officer | 3 | Do. | Rs. 700-40-1100-50/2-1250. | Do. | Do. | Do. |

DULE

*Research Officer (III) Research Officer in the Economic Division*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable. | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation* : Officers holding analogous posts or officers in the approved panel for promotion to such analogous posts under the Central Government. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |
| Do. | Do. | Do. | *Transfer on deputation* : Officers holding analogous posts or officers in the approved panel for promotion to such analogous posts under the Central Government. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | Do. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Research Officer. | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. | Not applicable. | 35 years (Relaxable for Government servants). | *Essential* :<br>(i) Second Class Master's degree in Economics or Commerce of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 3 years experience in collection, tabulation and analysis of statistical data or about 3 years experience of economic Research/Investigation.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>Doctorate in Economics or Commerce. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By transfer on deputation, failing which, by direct recruitment. | *Transfer on deputation* : Officers holding analogous posts or officers in the approved panel for promotion to such analogous posts under the Central Government. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 63/PF/71.]

N. C. BANERJEE, Dy. Secy.

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1971

**जी० एस० आर०** 43 ——संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विदेश मंत्रालय के अर्थ प्रभाग में कुछ अनुसन्धान पदो पर भर्ती की पद्धति के नियमन से सम्बद्ध निम्नलिखित नियम बनाते है, यथा :——

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** .——(1) इन नियमों को, विदेश मंत्रालय (अर्थ प्रभाग में अनुसन्धान पद) भर्ती नियम, 1971 कहा जायेगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगे ।

2. **विनियोग** :——ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित विदेश मंत्रालय के अर्थ प्रभाग में (1) उप-निदेशक (2) वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी (3) अनुसन्धान अधिकारी के पद पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.——इन पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन-मान वही होंगे जो सम्बद्ध अनुसूची के कालम 2, 3 और 4 में बताये गये हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:——पद की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वही होंगी जो अनुसूची में 5 से 13 तक के कालमों में बताई गई हैं ।

5. **अयोग्यतायें** :——ऐसा कोई व्यक्ति——(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह की विधित: समझौता किया हो, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते हुये किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित: समझौता किया हो, इस पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी | 3 | ,, | 700-40-1100-50/2-1250 रु० | ,, | ,, | ,, | | | ,, | ,, | ,, | ,, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. अनुसंधान अधिकारी | 1 | ,, | 400-400-450 30-600-35-670 कु० रो० 350-950 रु० | ,, | 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| **अनिवार्य** :<br>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की अर्थशास्त्र या वाणिज्य संबंधित श्रेणी में मास्टर्स डिग्री या उसके समकक्ष ।<br>(2) सांख्यिकी आकड़ों के संग्रह, सारणीयन और विश्लेषण में लगभग 3 वर्ष का अनुभव अथवा आर्थिक अनुसंधान/जांच पडताल का 3 वर्ष का अनुभव । (उम्मीदवार के अन्यथा सुयोग्य होने पर, आयोग के विवेक पर, योग्यताओं में छूट दी जा सकती है)<br>**वांछनीय**<br>अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य में डाक्टरेट । | ,, | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| ,, | ,, | ,, |

[संख्या 63/पी एफ/71]

एन० सी० बनर्जी, उपसचिव ।

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

**(Audyogic Vikas Mantralaya)**

*New Delhi, the 30th November 1971*

**G.S.R. 44.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Junior Field Officers and Investigators (Small Scale Industries Organisation) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Junior Field Officers and Investigators (Small Scale Industries Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 11th day of February, 1970.

2. In the Junior Field Officers and Investigators (Small Scale Industries Organisation) Recruitment Rules, 1962, in Schedules I, II and IV, with the headings "Engineering Division", "Non-Engineering (Technical) Division" and "Industrial Management and Training Division" respectively for the entries against serial numbers 1,3,5,7,9,11 and 12 of Schedule I, serial numbers 1,3,5 and 7 of Schedule II, and serial number 1 of Schedule IV, relating to the posts of Junior Field Officer, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:—

SCHE-

*Recruitment rules for the posts of Junior Field Officer in the Small Scale Industry Development*

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Junior Field Officer | 102 | General, Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325-15-475-EB-20-575. | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants). | (a) *Mechanical Engineering Section Essential* :— (i) Degree / Diploma in Mechanical Engineering from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) In the case of diploma holders, practical experience for about three years in Machine Shop Practice/Design and Drawing of Jigs, Tools and Fixtures/Tools and Die Making/Smithy, Welding and Forging/ Sheet Metal work/ Manufacture of Machine Tools Manufacture, Maintenance and Repair of Instruments/Carpentry, Pattern Making, Wood work, Timber seasoning or allied products/ Production of Light Engineering Stores. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates other wise well qualified). *Desirable* :—Some professional experience in the case of Degree holders only. |

DULE I

*Organisation Engineering Division*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age: No, Qualifications Yes | Two years | 75% by direct recruitment and 25% by promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion*: Investigators with 3 years service in the grade. | Class-II Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Junior Field Officer | 19 | General Central Service Class II Non-Gazetted Ministerial | Rs. 325-15-475-EB-20-575. | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants) | (b) *Electrical Engineering Section Essential* :— (i) Degree/Diplcma in Electrical Engineering from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) In the case of diploma holders, practical experience for about three years in manufacture of light electrical machinery and appliances/Production of Radios and Electrical Instruments. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Disirable*:—Some professional experience in the case of Degree holders only. |
| 5. Junior Field Officer | 17 | Do. | Do. | Do. | Do. | (c) *Metalurgical Section Essential*: (i) Degree Diploma in Metallurgy from a recognised University/ Institution or equivalent. (ii) In the case of diploma holders practical experience for about three years in Foundry work/Heat treatment of different varities of steel and tool. (Qualifications relaxable at Commisssion discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable*: Some professional experience in the case of Degree holders only. |
| 7. Junior Field Officer | 2 | Dc | Do. | Do. | Do. | (d) *Hosiery Section* *Essential* : (i) Degree/Diploma in Textile Technology or Hosiery Technology from a recognised University Institution or equivalent. (ii) In the case of diploma holders, practical experience in manufacture of Hosiery. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified). *Desirable* : Some professional experience in the Case of Degree holders only. (e) *Civil Engineering Section.* |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No Qualifications: Yes | Two Years | 87½% by direct recruitment and 12½% by promotion failing which by direct recruitment | *Promotion*: Investigators with 3 years service in the grade | Class-II Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | 50% by direct recruitment, 50% by promotion failing which by direct recruitment. | Do | Do | Do |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *(c) Civil Engineering Section* |
| 9. Junior Field Officer | 2 | General Central Service Class-II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325-15 475-EB-20-575. | Not applicable | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants. | *Essential* : (i) Degree Diploma in Civil Engineering from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) In the case of diploma holders, practical experience for about 3 years in planning, estimating and supervision of construction work. (Qufilifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable* : Some professional experience in the case of Degree holders only. |
| 11 Junior Field Officer | 1 | Do. | Do. | No applicable. | Do. | (f) *Cane making Section* *Essential* :— i) Matriculation. ii) Certificate in Cane making from a recognised Institute. iii) About three years practical experience in Cane-making. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |
| | | | | | | *(g) Tailoring Section* |
| 12. Junior Field Officer | 1 | Do. | Do. | Do. | Do. | *Essential* :— i) Matriculation. ii) Certificate in Tailornig from a recognised Institute. iii) About 3 years practical experience in Tailoring. (Qualifications relaxabe at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable | Not applicable. | Do |
| Do | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

SCHE

*Non-Engineering*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Junior Field Officer | 19 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministrrial. | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants) | (a) *Chemical Section*<br>*Essential* :<br>(i) Master's Degree in Chemistry or Industrial chimistry Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised University/ Institution or equivalent.<br>(ii) Practical experience for about one year in Drugs Pharmaceutical, Fine Chemicals, Paints and Varnishes, oils, fats and sopes, matches, rubber and plastics, Dye-stuffs, organic chemicals or other allied trades.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br><br>(b) *Leather/Footwear Section* |
| 3. Junior Field Officer | 25 | Do. | Do. | Do. | Do. | *Essential* :<br>(i) Degree/Diploma in Leather/Footwear Technology from a recognised University Institution or equivalent.<br>(ii) Practical experienc for about three years in the case of Diploma holder in leather tanning/manufacture of leather goods and footwear/manufacture of sports goods and allied products.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br><br>*Desirable* :<br>Some professional experience in the case of Degree holders only. |

RULE II

*(Technical) Division*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | Two years | 75% by direct recruitment and 25% by promotion failing which by direct recuitment. | *Promotion*: Investigators with three years service in the grade. | Class-II Departmental promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Junior Field Officer | 15 | General Central Serivce Class II Non-Gaze-tted Non-Minis-terial | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Selection | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants) | (c) *Glass/Ceramics Section*<br>*Essential* :<br>(i) Degree/Diploma in Glass/Ceramics Technology from a recognised University/ Institution or equivalent.<br>(ii) Practical experience for about three years in the case of Diploma holders in the manufacture of glass, glassware and scientific apparatus, table blown ware and allied articles/pottery, porcelain, insulators, crockeries and other ceramic wares.<br>(Qualifications relaxble at Commission's discretion in cese of candidates othrwise well qualified).<br>*Desirable*:<br>Some professional experience in the case of Degree Holders only. |
| 7. Junior Field Officer | 5 | Do. | Do. | Do. | Do. | (d) *Metal Finishing Section*<br>*Essential* :<br>(i) Master's degree in Chemistry from a recognised University Institution or equivalent<br>(ii) Practical experience for about one year in plating industries with respect to plating of nickel, coppe, chromium, silver and eadmium/annodising.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Two years | 75% by direct recruitment and 25% by promotion failing which by direct recruitment | *Promotion*: Investigators with 3 years service in the grade. | Class -II Departmental promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations 1958. |
| Do. | Do | Do. | Do. | Do. | Do. |

SCHE

*Industrial Management and*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Junior Field Officer | 39 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 325—15—475—EB—20—575 | Not applicable. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants | *Essential*: Degree in Engineering from a recognised University/Institution or equivalent.<br>OR<br>(i) Degree from a recognised University, or equivalent; and<br>(ii) Post-graduate Degree or Diploma in Industial/production Engineering or Indusrial/Business Management or Cost Accountancy.<br>OR<br>About one year's experience in a supervisory capacity in a manufacturing concern of repute, including experience in industrial management, training and consultancy work;<br>OR<br>About 3 years' experience in industrial management, training and consultancy work including departmental experience in this field as well as teaching experience on managerial subjects in a recognised Institution. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

DULE IV

*Training Division*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ /deputation/ transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Two years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 4/12/67-SSI(C).]

*Explanatory Memorandum*

The Union Public Service Commission in their letter No. F. 3/1(18)/69-RR dated the 11th February, 1970, while approving the upgradation to Class-II of the posts of Junior Field Officers, also approved the adoption of Recruitment Rules for the upgraded Class-II posts of Junior Field Officers. Accordingly, the posts of Junior Field Officers in various trades were advertised through the Union Public

Service Commission as Class-II posts in accordance with the Revised Recruitment Rules. The candidates so interviewed and nominated for appointment by the Union Public Service Commission, will have Class-II status with effect from the dates of joining their respective appointments. These Rules are being given effect from 11th February, 1970 so that the rights and privileges of persons who were appointed from the dates prior to the promulgation of these Rules and who are allowed to continue in the respective upgraded Class-II posts of Junior Field Officers in consultation with the Union Public Service Commission, are not jeopardised vis-a-vis the persons appointed after the date of promulgation of the Revised Rules. The interests of no one will, however, be prejudically affected by the retrospective effect given to these Rules.

H. L. SETH, Under Secy.

---

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economic Affairs)

*New Delhi, the 2nd December 1971*

**G.S.R. 45**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Assay Department (Bombay and Calcutta) Class I and Class II posts Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. GSR 250, dated the 22nd February, 1964, namely:—

1 (1) These rules may be called the Assay Department (Bombay and Calcutta) Class I and Class II posts Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In column 7 against S No 2 "Deputy Chief Assayer" in the Schedule to the Assay Department (Bombay and Calcutta) Class I and Class II posts Recruitment Rules, 1964 for the existing entries, the following shall be substituted namely:—

*"Essential"*

(i) M Sc degree in Chemical Technology or M Sc in inorganic or physical Chemistry or Degree in Metallurgy from a reconginsed University/ Institute or equivalent

(ii) Special training in Metallurgy and Assaying of precious Metals or research experience and knowledge of modern analytical techniques.

(iii) About two years' practical experience as Assayer or research experience involving the use of modern analytical techniques.

Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates other wise well qualified

*Desirable.*—Administrative Experience.

[No. F. 2/35/66-Coin.]

A. K. MUKHERJEE, Dy. Secy

### वित्त मंत्रालय

### (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1971

**सा०का०नि० 45.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 250, दिनांक 22 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित धातु परीक्षण विभाग (बम्बई और कलकत्ता) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पद भर्ती नियमावली, 1964 में संशोधन के लिए, निम्नलिखित नियम बनाये है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को धातु परीक्षण विभाग (बम्बई और कलकत्ता) (प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पद भर्ती संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. धातु परीक्षण विभाग (बम्बई और कलकत्ता) प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी पद भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में स्तम्भ 7 में क्रम संख्या 2 "उप-मुख्य धातुपरीक्षक" के सामने मौजूदा प्रविष्टियों की बजाय यह पढ़ा जाय, अर्थात् .—

"आवश्यक"

(i) मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय संस्थान से रसायन प्रौद्योगिकी में एम०एससी० या अकार्बनिक या भौतिकी रसायन में एम०एस०सी० या धातु विज्ञान में डिग्री या इनके समतुल्य ;

(ii) बहुमूल्य धातुओं के धातु-विज्ञान और धातु-परीक्षण में विशेष प्रशिक्षण या आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकों का अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव तथा ज्ञान;

(iii) धातु-परीक्षक के रूप में लगभग 2 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव या अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव जिसमें आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

ऐसे उम्मीदवार के मामले में, जो अन्यथा उपयुक्त रूप से योग्यता प्राप्त हो, आयोग अपने विवेकानुसार शैक्षणिक योग्यता के सम्बन्ध में ढील दे सकता है।

**वांछनीय :**

प्रशासनिक अनुभव

[सं० एफ 2/35/66-क्वाइन]
ए० के० मुखर्जी, उपसचिव, I

---

**(Department of Economic Affairs)**

*New Delhi, the 17th December 1971*

**G.S.R. 46.**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970, namely —

1. (1) These rules may be called the National Savings Certificates (IV Issue) (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force with immediate effect

2. In the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970, for Form I, the following form shall be substituted, namely —

"FORM I (*See* rule(6)

*Form of Application for the purchase of National Savings Certificates (IV Issue)*

(1) I/We hereby apply for the purchase of National Savings Certificates (IV Issue) detailed in the statement below and tender the amount shown in column 1 of the statement.

| Form of tender | Amount Rs. | Denomination of certificates applied for. Rs. | No. of certificates required. | *Type of joint certificates required ('A' or 'B' type) | Total face value Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| (I) Cash | | | | | |
| (II) Cheque, demand draft or an approved local Bank's Pay order or Pay slip. No .....dated.... on..... ....Bank. | 100 | | | | |
| | 1,000 | | | | |
| (III) Application for withdrawal from P.O. Savings Bank. | | | | | |
| (IV) Matured Certificates for re-investment. | 5,000 | | | | |
| Total face value | | | | | |

*To be filled in only in case of joint holding.

(a) **In my/our name(s) .....

(In block capitals) with aliases, if any.

**For single or joint holder.

(b) †On behalf of minor ..... .....

(Block Capitals)

†For purchase on behalf of minor.

Date of birth of minor.....

& to be made encashable by the minor's—

(i) Father, (ii) Mother, (iii) Either parent, (iv) Legal Guardian. & (Cross out the alternative not required or all the items, if it is not desired to make an authorisation).

[Cross out (a) or (b) whichever is not required.]

(2) I/We hereby agree to abide by the National Savings Certificates (IV Issue) Rules, 1970.

(3) ††I/We do/do not require indentity slip. (In case of an investment through an authorised agent or a messenger, specimen signature(s) and marks of identification should be given below paragraph(5).

††Cross out whichever is not applicable.

NOTE.—No identity slip shall be issued to a person other than the one authorised vide paragraph (1)(b) above in case of purchase on behalf of a minor.

Signature (not thumb impression) of the person(s) authorise, if any, per paragraph (1)(b) above.

Date.....

Address .... ..... . . ... . ...

Signature or thumb impression (if illiterate) of investor.

Date..... .....

Address .... ... ..... .....

NOTE.—In case of an illiterate applicant, the father's name may be given.

(4) The certificate(s) and the indentity slip may be made over to my/our agent Shri/Smt. . ... . ... . ...Authority No. ... .....
or messenger who presents this application. (Cross out words not applicable).

*.....

Signature or thumb impression (if illiterate) of investor.

Date.... ...

*to be signed or thumb impression affixed only when the investor does not take delivery of certificates personally.

(5) Received the Certificates detailed above@ and identity slip.

@Cross out, if the identity slip is not to be issued.

. . .....

Signature or thumb impression of purchaser or his agent/messenger.

(In case of authorised agent his Authority No. should be given).

Marks of Identification.

Specimen signature.

(6) ††Under provisions of section 6(1) of the Government Savings Certificates Act, 1959, I/... . . .. the holder of Savings Certificate(s) mentioned in this application hereby nominate the person(s) mentioned below who shall on my death become entitled to the Savings Certificate(s) and the amount due thereon to the exclusion of all other person(s):—

| Serial No. | Nome of the Nominee(s) | Full address | Date of birth of nominee in case of minor. |
|---|---|---|---|
| | | | |

As the nominee(s) at serial No.(s) .. .....above is/are minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari.....(name and full address) as the person to recover the amount due thereon in the event of my death during the minority of the nominee(s).

Signature and full address of witness.

Signature or thumb impression (if illiterate) of holder.

††Applicable in the case of Single Holder Type Certificates only; to be crossed out in other cases.

To be completed by the Post Office

| Serial No. of Certificates issued. | Issue Price Rs. | Date of Payment of interest | Date of en-cashment and initials of Postmaster.. | Remarks like Transfer issue of Duplicates etc. and initials of Postmaster |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Total number of National Savings Certificates (IV Issue).....—.....

Date.....19 Signature of Posmaster.

[No. F. 7(16)-NS/70.]
LAKSHMI NARAIN, Dy. Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर 1971

**सा० का० नि० 46.**—सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम 1959 (1959 का 46) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (बीमा निर्गम) नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) नियम, 1970 में प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

**राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (चौथा निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन का प्ररूप**

(1) मैं/हम एतद्द्वारा निम्न विवरण मे ब्यौरेवार दिए गए राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) के क्रय के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं और विवरण के स्तम्भ 1 में दिखलाई गई रकम निबिदत्त करता हूं/करते हैं

| निबिदान का प्रकार | रकम रु० | आवेदन किए गए प्रमाण पत्रों का मूल्य वर्ग रु० | अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की संख्या | अपेक्षित संयुक्त प्रमाण पत्रों* का प्रकार ('क' या 'ख' प्रकार) | कुल अंकित मूल्य रु० |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) नकद | | | | | |
| (2) चेक मांगदेय ड्राफ्ट या अनुमोदित स्थानीय बैंक का अदायगी आदेश या अदायगी पर्ची सं०.....तारीख .....बैंक पर | | 100<br>1,000 | | | |
| (3) डाकघर बचत बैंक से निकालने के लिए आवेदन | | | | | |
| (4) पुनर्विनिधान के लिए परिणत प्रमाण-पत्र | | 5,000 | | | |
| कुल अंकित मूल्य | | | | | |

*संयुक्त धारण की दशा में केवल भरा जाना है।

(क) **मेरे/हमारे नाम में .....
(मोटे अक्षरों में) उपनामों सहित, यदि कोई हो

**एकल या संयुक्त धारक के लिए

(ख) †अवयस्क की ओर से.....(मोटे अक्षरों में) ।

†अवयस्क की ओर से क्रय के लिए ।

अवयस्क की जन्म तारीख .....
और अवयस्क के (1) पिता (2) माता (3) माता-पिता में से कोई (4) विधिक संरक्षक द्वारा भुनाने योग्य किए जाने के लिए और (जो अपेक्षित न हो, उस अनुकरण को या सभी मदों को यदि प्राधिकरण करने की वांछा न हो, काट दें)

[(क) या (ख) में से जो अपेक्षित न हो, काट दें]

(2) मैं/हम राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) नियम, 1970 का पालन करने के लिए एतद्द्वारा सहमत हूं/हैं ।

(3) ***मुझे/हमें पहचान-पर्ची की आवश्यकता है/आवश्यकता नही हैं ।

(प्राधिकृत अभिकर्ता या संवाहक की मार्फत विनिधान की दशा में नमूना हस्ताक्षर और पहचान के चिन्ह पैरा (5) के नीचे दिए जाने चाहिएं) ।

***जो लागू न हो, उसे काट दें ।

टिप्पण—कोई भी पहचान-पर्ची अवयस्क की ओर से क्रय की दशा में (उपर्युक्त पैरा (1) (ख) देखिए) प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को जारी नही की जाएगी ।

..... .....

उपर्युक्त पैरा (1) (ख) के अनुसार विनिधाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई (यदि अशिक्षित हो)

हो के हस्ताक्षर (अंगूठे की छाप नहीं) । तारीख.....

तारीख..... पता .....

पता .....

.....

टिप्पण—अशिक्षित आवेदक की दशा में पिता का नाम दिया जाय ।

(4) प्रमाण-पत्र और पहचान-पर्ची मेरे/हमारे अभिकर्ता श्री/श्रीमती.....
प्राधिकार सं०.....को या संवाहक को जो यह आवेदन प्रस्तुत करता है, सौंपी जा सकेगी । (जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें)

*केवल उस समय हस्ताक्षर किया जाय या अंगूठे की छाप लगाई जाए जब विनिधाता स्वयं प्रमाण पत्रों का परिदान नहीं लेता ।

*.....
विनिधाता के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप (यदि अशिक्षित हो) ।
तारीख.....

(5) ऊपर व्यौरेवार दिए गए प्रमाण-पत्र

*और पहचान-पर्ची प्राप्त ।

*यदि पहचान-पर्ची जारी नहीं की जाती है तो काट दें ।

.....
क्रेता या उसके अभिकर्ता/संवाहक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ।

(प्राधिकृत अभिकर्ता की दशा में उसकी प्राधिकार संख्या दी जानी चाहिए)

पहचान के चिह्न

नमूना हस्ताक्षर

(6) @ सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के उपबन्धों के अधीन मैं.....इस आवेदन में उल्लिखित बचत प्रमाण-पत्र (प्रमाणपत्रों) का धारक एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों) को नाम निर्दिष्ट करता हूं, मेरी मृत्यु पर, सभी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को अपवर्जित करके उस/उन पर शोध्य रकम का/के हकदार होगा/होंगे।

| क्रम सं० | नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) का नाम | पूरा पता | अवयस्क की दशा में नाम निर्देशिती की जन्म तारीख |
|---|---|---|---|
| | | | |

जैसा कि उपर्युक्त क्रम सं० (संख्याओं) .....का/के नाम निर्देशिती अवयस्क है/है, मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....(नाम और पूरा पता) को, नाम निर्देशिती (नाम निर्देशितियों) की अवयस्कता के दौरान मेरी मृत्यु की दशा में उस पर शोध्य रकम को वसूल करने वाले, व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं।

..... .....

साक्षी के हस्ताक्षर और पूरा पता — धारक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप (यदि अशिक्षित हो)

@केवल एकल धारक प्रकार प्रमाण-पत्रों के मामले मे ही लागू होगा; अन्य मामलों में काट दें।

डाकघर द्वारा पूरा करने के लिए

| जारी किए प्रमाण-पत्रों की क्रम संख्या | निकासी की गई राशि रु० | ब्याज के संदाय की तारीख | भुनाने की तारीख और डाकपाल के आद्याक्षर | टिप्पणियां, जैसे द्विप्रति आदि का अन्तरण, निकासी और डाकपाल के आद्याक्षर |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (चौथा निर्गम) की कुल संख्या .....

तारीख.....197 . डाकपाल के हस्ताक्षर"

[सं० फा०7/(16)/रा० ब०/70]

लक्ष्मी नारायण, उपसचिव।

**(Department of Economic Affairs)**

*New Delhi, the 13th December 1971*

**G.S.R. 47.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1965, namely:—

1.(1) These rules may be called the Post Office Savings Banks (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force atonce

2. In sub-rule (1) of rule 16 of the Post Office Savings Banks Rules, 1965.—

(a) after the words "to open a single account", the words "or to open a security deposit account in connection with the purchase of a motor vehicle or a tractor" shall be inserted,

(b) for the words "of an account standing in the name of a single depositor", the words "of such an account" shall be substituted

[No. F.7(15)-NS/70.]

A V SRINIVASAN, Under Secy

**(आर्थिक कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर 1971

**सा० का० नि० 47**—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, डाक घर बचत बैंक नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम डाकघर बचत बैंक तृतीय (संशोधन) नियम, 1971 होगा।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 16 के उपनियम (1) में, —

(क) "एकल खाता खोलना" शब्दों के पश्चात् 'या मोटर-यान या ट्रैक्टर के क्रय के सम्बन्ध में प्रतिभूति निक्षेप खाता खोलना" शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे,

(ख) "ऐसे खाने का जो किसी एकल निक्षेपकर्ता के नाम में है" के स्थान पर "ऐसे खाते का" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 7(15)/एन०एस०/70]

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING**

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 10th December 1971*

**G.S.R. 48.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Health Services, Central Health Education Bureau (Junior Investigator, Davidson Press Operator, Vari-type Operator and Bromide Printer) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (i) These rules may be called the Directorate General of Health Services, Central Health Education Bureau (Junior Investigator, Davidson Press Operator, Vari-type Operator and Bromide Printer) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. In the Directorate General of Health Services, Central Health Education Bureau (Junior Investigator, Davidson Press Operator, Vari-type Operator and Bromide Printer) Recruitment Rules, 1966, in the Schedule, against the Post relating to Junior Investigator,

(a) in column 5 for the words 'Not applicable', the word 'Selection' shall be substituted,

(b) in column 7, under the heading 'Essential' for the entry, the following entry shall be substituted, namely.—

"Master's or equivalent Honour's Degree in Cultural Anthropology, Social Psychology, Sociology or Statistics",

(c) in column 8 for the words "Not applicable" the words

"Qualifications—Yes

Age No"

shall be substituted;

(d) in column 10 for the words "100 per cent direct recruitment", the words, "66-2/3 per cent by direct recruitment
33-1/3 per cent by promotion",

shall be substituted

(e) in column 11 for the words 'Not applicable' the words
"**Promotion**

Computors working in Central Health Education Bureau with three years' service in the grade"

shall be substituted

[No A 12018/11/71-Estt (P)]

R N SINHA, Under Secy

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 48 —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (कनिष्ठ अन्वेषक, डेविडसन प्रेस आपरेटर, वेरी टाइप आपरेटर और ब्रोमाइड प्रिंटर) भर्ती नियमावली, 1966 मे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :—

1 (1) इन नियमो को स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय, केन्द्रीय शिक्षा ब्यूरो (कनिष्ठ अन्वेषक, डेविडसन प्रेस आपरेटर, वेरी टाइप आपरेटर और ब्रोमाइड प्रिंटर) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (कनिष्ठ अन्वेषक, डेविडसन प्रेस आपरेटर, वेरी टाइप आपरेटर और ब्रोमाइड प्रिंटर) भर्ती नियमावली, 1966 मे कनिष्ठ अन्वेषक के पद से सम्बन्धित अनुसूची मे ,

(क) कालम 5 में "लागू नहीं होता" शब्दों की जगह "चयन" शब्द को रखा जाए;

(ख) कालम 7 में "अनिवार्य" शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाए, नामत :

"सास्कृतिक मानव शास्त्र, समाज मनोविज्ञान, समाज विज्ञान अथवा सांख्यिकी में मास्टर अथवा समकक्ष आनर्स डिग्री"

(ग) कालम 8 मे "लागू नही होता" शब्दो के स्थान पर

"अर्हताएं—हां

आयु—नहीं"

शब्दों को रखा जाए ।

(च) कालम 10 में "100 प्रतिशत सीधी भर्ती" शब्दों के स्थान पर
"66 2/3 प्रति-शत सीधी भर्ती द्वारा
33-1/3 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा"
शब्दों को रखा जाए ।

(छ) कालम 11 में "लागू नहीं होता" शब्दों के स्थान पर
"पदोन्नति

केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में काम करने वाले संगणक जिन्होंने इस ग्रेड में तीन वर्ष कार्य किया हो"
शब्दों को रखा जाए ।

[सं० फ० ए 12018/11/71-स्थापना (नीति)]

रबीन्द्र नाथ सिन्हा, अवर सचिव ।

---

**(Department of Family Planning)**

*New Delhi, the 14th December 1971*

**G.S.R. 49.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist-cum-Draftsman in the Central Health Transport Organisation, New Delhi, under the Department of Family Planning, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Health Transport Organisation (Artist-*cum*-Draftsman) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, have entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Artist-cum-Draftsman | One | General Central Service Class III, Nod-Ministerial, Non-Gazetted. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425. | Not applicable | 30 years and below | (1) Matriculation or equivalent from a recognised University or Board.<br>(2) National Trade Certificate in Mechanical Draftsman and National Certificate in Commercial or Fine Arts.<br>(3) Two years experience either in Mechanical Draftsmanship with aptitude in preparing artistic charts or in Commercial drawing with a taste in Engineering Draftsmanship. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. Whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/tansfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstance in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years. | 100% by direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. 40-6/69-Estt.II.]

R. P. MARWAHA, Under Secy.

**(परिवार नियोजन विभाग)**

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 49.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में कलाकार-सह-नक्शानवीस के पद की भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** —(क) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन (कलाकार-सह-नक्शानवीस) भर्ती नियमावली 1971 कहा जाए।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **वर्गीकरण और पदों की संख्या वेतनमान**:—इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** .—भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

4. **अनर्हताएं**:—वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा शादीवाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा पद के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है।

6. परन्तु इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

| पदनाम | पदों की सं० | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| कलाकार-सह-नक्शानवीस | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3, अनुसचिवीय, अराजपत्रित | रु० 210—10—290—15—320 द० रो०—15—425 | लागू नहीं होता | 30 वर्ष और कम | (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा अथवा समकक्ष।<br>(2) यांत्रिक ड्राफ्टसमैन व्यवसाय-प्रमाणपत्र व्यावसायिक अथवा ललित कलाओं में राष्ट्रीय प्रमाणपत्र।<br>(3) कलात्मक चार्ट तैयार करने में रुचि सहित यांत्रिक नक्शानवीसी अथवा इंजीनियरी नक्शानवीसी में रुचि सहित व्यावसायिक नक्शानवीसी का दो वर्ष का अनुभव। |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति या प्रति-नियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिन से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | दो वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नही होता |

[सं० 40-6/69-स्थापना-2.]

आर० पी० नरवाह, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

*New Delhi, the 31st March 1971*

**G.S.R. 50.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Geomorphologist and Soil Chemist in the Indian Photo-interpretation Institute, Survey of India, Dehra Dun, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Photo-interpretation Institute, Survey of India, (Class I Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5 **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/ posts.

SCHE

*Recruitment Rules for the post of* (1) *Geomorphologist, and* (2) *Soil Chemists*

*of Education & Youth Services*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Geomorphologist. | 1 | General Centra Service Class I, Gazetted. | Rs. 900—40—1100 —50/2—1250. | Not applicable. | Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). | *Essential* :<br>(i) M.Sc. in Geology of a ecognised University or equivalent.<br>(ii) 5 years field experience in Geomorphology related to Engineering and Structural Geology and Pedology.<br>(iii) Adequate working knowledge of photo-interpretation.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise wellqualified).<br>*Desirable* :<br>(i) Doctorate in Geology/Geomorphology<br>(ii) Research experience in Geomorphology supported by published papers. |

RULE

*in the Indian Photo interpretation Institute, Survey of India in the Ministry*

*U.P.S.C. F. No. F. 3/5 (18)/70-RR*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 Years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Soil Chemist. | 1 | General Central Service Class I, Gazetted. | Rs. 400—40—800—50—950. | Not applicable. | Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). | *Essential:*<br>(i) M.Sc. in Agricultural Chemistry of a recognised University, or Associateship of I.A.R.I., with specialisation in Soil Science and Agricultural Chemistry or equivalent.<br>(ii) About 3 years professional or research experience in Soil Science or Agricultural Chemistry.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*<br>(i) Doctorate degree in Soil Science and Agricultural Chemistry.<br>(ii) Field Soil Survey experience.<br>(iii) Research experience in Soil Science and Agricultural Chemistry as applied to Soils duly supported by published papers. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 Years | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | As required Under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. 25-33/70-Sur. I]

R. R. AGARWAL, Under Sec.

## शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1971

**सा०का०नि० 50.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय फोटो-निर्वचन संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण, देहरादून, में भू-आकृतिविज्ञानी और मृदा सर्वेक्षक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम, एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमो का नाम भारतीय फोटो-निर्वचन संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** —ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3 **पद संख्या वर्गीकरण, और वेतनमान** —उक्त पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 **भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** —उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति आयु-सीमा, अर्हताए और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट है :

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** —वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हे लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों/पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

## अनुसूची

शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय, रतीय सर्वेक्षण, भारतीय फोटो-निर्वाचन सस्थान, मे

1–भू–आकृतिविज्ञानी के पदो पर भर्ती के नियम

2–मृदा रसायनज्ञ

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. भू-आकृति विज्ञानी | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1, राजपत्रित | 900–40—1100 –50/2—1250रु० | लागू नही होता | 35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवको के लिए शिथिल की जा सकती है) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताए | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नही | परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **आवश्यक** | लागू नही होता | वर्ष |

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान में एम० एस० सी० या समतुल्य

2) इजीनियरी और सरचना भूविज्ञान और मृदा विज्ञान से सबधित भू-आकृति विज्ञान में 5 वर्ष का क्षेत्र मे काम करने का अनुभव।

3) फोटो-निर्वाचन का पर्याप्त कार्की ज्ञान (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे अर्हताए सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है)

**वांछनीय**

1) भूविज्ञान भू-आकृतिविज्ञान मे डाक्टरेट।

2) भू आकृतिविज्ञान में अनुसंधान का अनुभव, जिसके समर्थन मे प्रकाशित निबंध प्रस्तुत कि जाएं।

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 मृदा रसायनज्ञ | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग–1 राजपत्रित | 400–40–800–50–950 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|

**आवश्यक**

1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि रसायन में एम० एस० सी० या भा० कृ० अनु० प० की एसोसिएटशिप, मृदा विज्ञान और कृषि रसायन में विशेषज्ञता सहित, या समतुल्य
2) मृदा विज्ञान या कृषि रसायन में लगभग 3 वर्ष का वृत्तिक या अनुसंधान संबंधी अनुभव
(अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं)

**वांछनीय**

1) मृदा विज्ञान और कृषि रसायन में डाक्टरेट डिग्री
2) क्षेत्र में मृदा सर्वेक्षण का अनुभव
3) मृदा विज्ञान और कृषि रसायन में जैसा वह मृदा के संबंध से प्रयुक्त होता हो अनुसंधान का अनुभव, जिसके समर्थन में प्रकाशित निबन्ध प्रस्तुत किए जाएं

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|

[सं० फा० 25-33/70-सर्व-I]

एस० आर० अग्रवाल, अवर सचिव।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 6th December 1971*

**G.S.R. 51.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, namely.—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Class I Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio, (Class I Posts) Recruitment Rules, 1963, after Serial No 17 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

ANNE

**Ministry of Information &**

*Recruitment Rules for the post of Deputy Director (Accounts) Central Sales Unit, Commercial*

| S. No. | Name of post. | No. of posts | Classification. | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection posts | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18. | Deputy Director (Accounts.) | 1 | General Central Service ( Class I Gazetted Non-Ministrial, | Rs. 700—40—1100—50/2—1250. | Selection | Not application | Not applicable. |

SCHEDULE I

**Broadcasting**

***Broadcasting Service, All India Radio***

| Whether age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if, any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation / transfer grades from which promotion / deputation/transfer to be made. | If a D. P.C. exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P. S C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable. | Two years. | By promotion failing which by transfer on deputation. | *Promotion* :<br>Permanent Inspectors of Accounts with 5 year service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis.<br>*Transfer on Deputation* :<br>Officers of the organised Accounts Services, *e.g.* Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Railway Accounts Service, etc. failing which officers of the rank of Accounts/ Audit Officer with 5 years service in the grade from any of the organised Accounts Departments, *e.g.* Indian Audit & Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Defence Accounts Department, Indian Railway Accounts Department etc.<br>(Period of deputation —not exceeding three years). | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the U. P. S. C. (Exemption from consultation Regulations, 1958. |

[No .F.A. 1/2/71-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1971.

**जी० एस० आर० 51.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1963 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावलि, कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (प्रथम श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1963 की अनुसूची के क्रम-संख्या 17 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

### अनुसूची

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

केन्द्रीय विक्रय यूनिट, वाणिज्यिक सेवा, आकाशवाणी में उप-

निदेशक (लेखा) के पद के लिए भर्ती नियम

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | पद का वर्गीकरण | पद का वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती से लिए जाने वालों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | उपनिदेशक (लेखा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा प्रथम श्रेणी राजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 780–40–1100 –50/2–1250 रुपए | प्रवरण | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती से लिए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती से लिए जाने वालों के लिए जो अर्हताएं निर्धारित हैं वे पदोन्नति द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए लागू होंगी । | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो | भर्ती पद्धति पत्र सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या तिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| लाग् नही होता | लागू नही होता | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । |

| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन | किन परिस्थितियो में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| **पदोन्नति :**<br>वे स्थायी लेखा निरीक्षक जिनकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त 5 वर्ष की सेवा हो । | पथम श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 में अपेक्षित है । |
| **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>संगठित लेखा सेवाओ अर्थात भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, आदि के अधिकारी/इसके न हो सकने पर किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग, भारतीय रेलवे लेखा विभाग, आदि के वे लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो । (प्रतिनियुक्ति की अवधि-3 वर्ष से अधिक नही होगी) | | |

[संख्या 1/2/72-बी (ए)]

ए० बी० नारायणन, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 20th December 1971*

**G.S.R. 52.**—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. PF15(5)/48 dated the 11th December, 1948, namely —

(1) This Scheme may be called the Coal Mines Provident Fund (Fourth Amendment) Scheme, 1971.

(2) In the Coal Mines Provident Fund Scheme, in paragraph 65B—

(i) in sub-paragraph (4), for the words "ten years" and "rupees one thousand" the words "twelve years'" and "rupees two thousand" shall respectively be substituted;

(ii) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraphs shall be substituted, namely —

"(6) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house or for converting a temporary or kuchha house into a pucca house o rfor making additions or alterations to an existing house, the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within six months of the withdrawal of the final instalment A certificate of completion of the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be from the Tehsildar or Block Development Officer or Municipal authorities of the area concerned shall be submitted by the member to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf within six months from the date of drawal of the final instalment In the case of purchase of a dwelling house or a dwelling site, the purchase shall be completed and the house or site purchased shall be registered in the name of the member drawing the advance who shall furnish within six months from the date of drawal of the advance to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf for inspection, the original deed of registration;

Provided that the time limits prescribed in this sub-paragraph may be extended by the Commissioner or the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf to such extent as he may consider proper in cases where he is satisfied about the genuineness of the difficulties in adhering to the said time limits."

[No I/11015(71)/71-P.F.I(i).]

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 52.**—कोयला खान भविष्य निधि, कुटम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा भारत सरकार के भतपूर्व श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना स० पी० एफ० 15 (5)/48 तारीख 11 दिसम्बर, 1948 के साथ प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे सशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात —

(1) इस स्कीम का नाम कोयला खान भविष्य निधि (चतुर्थ संशोधन) स्कीम, 1971 होगा ।

(2) कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 65 ख में —

(i) उप-पैरा (4) म, 'दस वर्ष' और एक हजार रूपए' शब्दो के स्थान पर क्रमश: 'बार वर्ष और' दो हजार रुपए' शब्द तिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(6) जहां उधार निवास गृह के सन्निर्माण के लिए या अस्थायी या कच्चे गृह को पक्के गृह में संपरिवर्तित करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए मंजूर किया जाता है वहां यथास्थिति सन्निर्माण या परिवर्धन या परिवर्तन प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास भीतर आरंभ किया जाएगा और अन्तिम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर पूरा किया जाएगा सबद्ध क्षेत्र के यथास्थिति तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी या नगरपालिका प्राधिकारीयो से सन्निर्माण या संपरिवर्तन या परिवर्धन या परिवर्तन के पूरा हो जाने का प्रमाण पत्र सदस्य द्वारा, प्रादेशिक आयुक्त द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को, अन्तिम किस्त लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। निवास गृह या निवास स्थल के क्रय की दशा में क्रय पूरा किया जाएगा और क्रय किया गया गृह या स्थल उधार लेने वाले सदस्य के नाम मे रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो उधार लेने की तारीख के छह मास के भीतर प्रादेशिक आयुक्त को या या आयुक्त, द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को मूल रजिस्ट्रीकरण विलेख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा

परन्तु उन मामलो मे जिन में उक्त समय सीमाओ का अनुपालन करने की कठिनाइयो के असली होने के बारे मे आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाए, वहा वह इस उपपैरा मे विहित समय सीमाओ को ऐसी सीमा तक बढा सकेगा जैसी कि वह उचित समझे।

[सं० I 11015 (71)/71-पी एफ I (i)]

---

**G.S.R. 53.**—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.R.O. 657, dated the 12th March, 1956, namely:—

1. This Scheme may be called the Andhra Pradsh Coal Mines Provident Fund (Third Amendment) Scheme, 1971.

2. In the Andhra Pradesh Coal Mines Provident Fund Scheme, in paragraph 43B—

(i) after clause (f) of sub-paragraph (1), the following shall be inserted, namely:—

"Provided that in respect of the Telengana area an application from a member for advance for any of the purposes mentioned in clauses (b) (e), and (f) shall be accompanies by certificates regarding ownership of the house given by Group Executive Officers of Panchayats or Sarpanches, as the case may be, having jurisdiction ever the area in which the house is situated together with the original house tax receipts given by the concerned Panchayat and verified by Block Development Officers or such other authority as may be specified by the Commissioner from time to time, which may be accepted, by the Commissioner of Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf, as valid proof of ownership of the house.

*Explanation.*—The certificate of ownership for purposes of clause (b) shall relate to the ownership of the person who has agreed to sell the house."

(ii) in sub-paragraph (4), for the words "ten years" and "rupees one thousand" the words, "twelve years" and "rupees two thousand" shall respectively be substituted,

(iii) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely.—

"(6) Where an advance is sanctioned for the contruction of a dwelling house or for converting a temporary or a kucha house into a pucca house or for making additions or alterations to an existing house, the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within six months of the withdrawal of the final instalment. A certificate of completion of the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, from the Tahsildar or Block Development Officer or Municipal authorities of the area concerned shall be submitted by the member to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf within six months from the date of drawal of the final instalment. In the case of purchase of a dwelling house or a dwelling site, the purchase shall be completed and the house or site purchased shall be registered in the name of the member drawing the advance who shall furnish within six months from the date of drawal of the advance to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf for inspection, the original deed of registration.

Provided that the time limits prescribed in this sub-paragraph may be extended by the Commissioner or the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf to such extent as he may consider proper, in cases where he is satisfied about the genuineness of the difficulties in adhering to the said time limits

[No I/11015(71)/71-PF. I(ii)]

**सा० का० नि०** 53.—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा दत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 657 तारीख 12 मार्च, 1956 के साथ प्रकाशित आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात —

1. इस स्कीम का नाम आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि (तृतीय संशोधन) स्कीम 1971 होगा ।

2. आंध्र प्रदेश कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 43 ब में —

(i) उपपैरा (1) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात —

परन्तु तेलंगाना क्षेत्र की बाबत, खण्ड (ख), (ङ) और (च) में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए, उधार के लिए सदस्य से आवेदन के साथ, यथास्थिति पंचायतों के समूह कार्यपालक अधिकारियों या सरपंचों द्वारा जिनकी उस क्षेत्र में अधिकारिता हो जहां कि गृह स्थित है, गृह स्वामित्व के बारे में प्रमाणपत्र तथा संबंधित पंचायत द्वारा दी गई और खंड विकास अधिकारियों या ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा, जो आयुक्त द्वारा समयसमय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, सत्यापित की गई मूल गृह कर रसीदें जिन्हें आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा गृह स्वामित्व के विधिमान्य सबूत के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए भी दी जाएगी ।

**स्पष्टीकरण**—खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए स्वामित्व का प्रमाणपत्र उस व्यक्ति के स्वामित्व से संबंधित होगा जिसने गृह के विक्रय का करार कर लिया है ।"

(ii) उपपैरा (4) में, "दस वर्ष" और "एक हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः बारह वर्ष" और "दो हजार रुपए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(iii) उपपैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपपैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात –

"(6) जहां उधार निवास गृह के सन्निर्माण के लिए या अस्थायी या कच्चे गृह को पक्के गृह में सपरिवर्तित करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए मंजूर किया जाता है वहां यथास्थिति सन्निर्माण या सपरिवर्तन या परिवर्धन या परिवर्तन प्रथम किस्त के प्रत्याहरण से छह मास के भीतर प्रारंभ किया जाएगा और अन्तिम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर पूरा किया जाएगा। संबद्ध क्षेत्र के यथास्थिति तहसीलदार या ब्लाक विकास अधिकारी या नगरपालिका प्राधिकारियों से सन्निर्माण या सपरिवर्तन या परिवर्धन या परिवर्तन के पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र सदस्य द्वारा, प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को, अन्तिम किस्त लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। निवास गृह या निवास स्थल के क्रय की दशा में, क्रय की संव्यवहार क्रय पूरा किया जाएगा और क्रय किया गया गृह या स्थल उधार लेने वाले सदस्य के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो उधार लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को मूल रजिस्ट्रीकरण विलेख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

परन्तु उन मामलों में जिनमें उक्त समय सीमाओं का अनुपालन करने की कठिनाइयों के असली होने के बारे में आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाए, वहां वह इस उपपैरा में विहित समय सीमाओं को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगा जैसा वह उचित समझे।"

[सं० 1/11015 (71)/71-पी० एफ० I (ii)]

**G.S.R. 54.**—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. S.O. 32, dated the 11th February, 1958, namely:—

(1) This Scheme may be called the Rajasthan Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1971.

(2) In the Rajasthan Coal Mines Provident Fund Scheme, in Paragraph 42B—

(i) in sub-paragraph (4), for the words "ten years" and "rupees one thousand" the words "twelve years" and "rupees two thousand" shall respectively be substituted;

(ii) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(6) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house or for converting a temporary or a kucha house into a pucca house or for making additions or alterations to an existing house, the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, shall commence within six months of the withdrawal of the first instalment and shall be completed within six months of the withdrawal of the final instalment. A certificate of completion of the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, from the Tahsildar or Block Development Officer or Municipal authorities of the area concerned shall be submitted by the member to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf within six months

from the date of drawal of the final instalment. In the case of purchase of a dwelling house or dwelling site, the purchase shall be completed and the house or site purchased shall be registered in the name of the member drawing the advance who shall furnish within six months from the date of drawal of the advance to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf for inspection, the original deed of registration:

Provided that the time limits prescribed in this sub-paragraph may be extended by the Commissioner or the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf to such extent as he may consider proper, in cases where he is satisfied about the genuineness of the difficulties in adhering to said time limits"

[No I/11015(71)/71-PF. I (iii).]

सा०का० नि० 54.—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूना सं० का० आ० 32 तारीक 11 फरवरी, 1958, के साथ प्रकाशित राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:—

(1) इस स्कीम का नाम राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम 1971 होगा ;

(2) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 42ख में —

(i) उप-पैरा (4) में, 'दस वर्ष' और 'एक हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर क्रमश 'बारह वर्ष' और 'दो हजार रुपए' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(6) जहां उधार निवास गृह के सन्निर्माण के लिए या अस्थायी या कच्चे गृह को पक्के गृह में संपरिवर्तित करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए मंजूर किया जाता है वहां यथास्थिति सन्निर्माण या संपरिवर्तन या परिवर्धन या परिवर्तन प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर प्रारम्भ किया जाएगा और अन्तिम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर पूरा किया जाएगा । संबद्ध क्षेत्र के यथास्थिति तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी या नगरपालिका प्राधिकारियों से सन्निर्माण या संपरिवर्तन या परिवर्धन या परिवर्तन के पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र सदस्य द्वारा, प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को, अन्तिम किस्त लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा । निवास गृह या निवास स्थल के क्रय की दशा में, क्रय पूरा किया जाएगा और क्रय किया गया गृह या स्थल उधार लेने वाले सदस्य के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो उधार लेने की तारीख के छह मास के भीतर प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को मूल रजिस्ट्रीकरण विलेख निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा :

उन मामलों में जिन में उक्त समय सीमाओं का अनुपालन करने की कठिनाइयों के अमली होने के बारे में आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधि-कारी का समाधान हो जाए, वहां वह इस उपपैरा में विहित समय सीमाओं को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

[सं० I/110/5(71)/71-पी० एफ० I (iii)]

**G.S.R. 55.**—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the Department of Labour and Employment No. G.S.R. 1771, dated the 14th November, 1966, namely:—

(1) This Scheme may be called the Neyveli Coal Mines Provident Fund (Second Amendment) Scheme, 1971.

(2) In the Neyveli Coal Mines Provident Fund Scheme, in paragraph 53—

(i) in sub-paragraph (4), for the words "ten years' " and "rupees one thousand" the words "twelve years" and "rupees two thousand" shall respectively be substituted;

(ii) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(6) Where an advance is sanctioned for the construction of a dwelling house or for converting a temporary or a kucha house into a pucca house or for making additions or alterations to an existing house, the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, shall commence within six months or the withdrawal of the first instalment and shall be completed within six months of the withdrawal of the final instalment. A certificate of completion of the construction or conversion or addition or alteration, as the case may be, from the Tahsildar or Block Development Officer or Municipal authorities of the area concerned shall be submitted by the member to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf within six months from the date of drawal of the final instalment. In the case of purchase of a dwelling house or a dwelling site, the purchase shall be completed and the house or site purchased shall be registered in the name of the member drawing the advance who shall furnish within six months from the date of drawal of the advance to the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf for inspection, the original deed of registration:

Provided that the time limits prescribed in this sub-paragraph may be extended by the Commissioner or the Regional Commissioner or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf to such extent as he may consider proper, in cases where he is satisfied about the genuineness of the difficulties in adhering to the the said time limits."

[No. I/11015(71)/71-PF. I(iv).]

DALJIT SINGH, Under Secy.

**सा० का० नि० 55.**—कोयला खान भविष्य निधि, कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियम, 1948 (1948 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1771 तारीक 14 नवम्बर, 1966 के साथ प्रकाशित नेवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इस स्कीम का नाम नैवेली कोयला खान भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम, 1971 होगा ।

(2) नैवेली कोयला खान भविष्य निधि स्कीम के पैरा 53 में—

(i) उप-पैरा (4) में 'दस वर्ष' और 'एक हजार रुपए' शब्दों के स्थान पर क्रमशः 'बारह वर्ष' और 'दो हजार रुपए' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(6) जहां उधार निवास गृह के सन्निर्माण के लिए या अस्थायी या कच्चे गृह को पक्के गृह में संपरिवर्तित करने के लिए या विद्यमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने

के लिए मंजूर किया जाता है वहां यथास्थिति सन्निर्माण या संपरिवर्तन या परिवर्तन प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर प्रारम्भ किया जाएगा और अन्तिम किस्त के प्रत्याहरण के छह मास के भीतर पूरा किया जाएगा। संबद्ध क्षेत्र के यथास्थिति तहसीलदार या खण्ड विकास अधिकारी या नगर-पालिका प्राधिकारियों से सन्निर्माण या संपरिवर्तन या परिवर्तन या परिवर्तन के पूरा हो जाने का प्रमाणपत्र सदस्य द्वारा, प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को, अन्तिम किस्त लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। निवास गृह या निवास स्थान के क्रय की दशा में, क्रय पूरा किया जाएगा और क्रय किया गया गृह या स्थान उधार लेने वाले सदस्य के नाम में रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जो उधार लेने की तारीख से छह मास के भीतर प्रादेशिक आयुक्त को या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य, प्राधिकारी को मूल रजिस्ट्रीकरण रसीद निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा :

परन्तु उन मामलों में जिन में उक्त समय सीमाओं का अनुपालन करने की कठिनाइयों के असली होने के बारे में आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाए, वहां वह इस उप पैरा में विहित समय-सीमाओं को ऐसी सीमा तक बढ़ा सकेगा जैसी वह उचित समझे ।

[सं० I/11105(71)/71-सी० एफ० I(4)]

हजारी सिंह, अवर सचिव, ।

---

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 26th October 1971*

**G.S.R. 56.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Service Act 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Uttar Pradesh have revised the Strength and composition of the Indian Police Service cadre of Uttar Pradesh and hereby direct that in the Schedule to the Indian Police Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1955 for the entries relating to "UTTAR PRADESH", the following shall be substituted as under:—

(i) The amendment shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette of India.

(ii) These Regulations may be called the Indian Police Service (Fixation of Cadre Strength) 5th Amendment Regulations, 1971.

AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE STRENGTH

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Senior posts under State Government | 120 |
| | Inspector General of Police. | 1 |
| | Additional Inspector General of Police. | 1 |
| | Deputy Inspector General of Police | 12 |
| | Director of Vigilance. | 1 |
| | Deputy Inspector General of Police, Training and Principal Training College, Moradabad | 1 |
| | Director Civil Defence UP. *cum*-Commandant General, PRD of Home Guards UP | 1 |
| | Assistant to Inspector General of Police. | 1* |
| | Deputy Inspector General of Police, Railways | 1 |
| | Superintendent of Police. | 48 |

| | |
|---|---|
| Superintendent of Police, Headquarters. | 1 |
| Superintendent of Police, Kanpur City. | 1 |
| Superintendent of Police, Lucknow City. | 1 |
| Superintendent of Police, Intelligence Department. | 4 |
| Superintendent of Police, Criminal Investigation Department | 6 |
| Superintendent of Police, Vigilance Establishment. | 5 |
| Additional Superintendent of Police. | 6 |
| Superintendent of Police, C. I. D., U. P. | 1 |
| Superintendent of Police, Vigilance Establishment VI and VII. | 2 |
| Superintendent of Police, High Court, Allahabad. | 1 |
| Deputy Commissioner, Sales Tax (Vigilance) Uttar Pradesh, Lucknow. | 1 |
| Commandant, P. A. C. Battalions. | 18 |
| Commandant, Special Police Force, Moradabad. | 1 |
| Deputy Commandant, Special Police Force, Moradabad. | 1 |
| Administrative Commandant, PRD, U. P., Lucknow. | 1 |
| Staff Officer to the Commandant General, PRD, and Home Guards, U. P., Lucknow. | 1 |
| Commandant R. T. S., Moradabad. | 1 |
| Deputy Director, Civil Defence, U. P., Lucknow. | 1 |
| | 120 |
| 2. Central Deputation Reserve @ 40% of 1 above. | 48 |
| | 168 |
| 3. Posts to be filled by promotion and Selection under Rule 8 of the IPS (Recruitment) Rules, 1954 @ 25% of 1 and 2 above. | 42 |
| 4. Posts to be filled by Direct Recruitment 1 and 2 minus 3 above. | 126 |
| 5. Deputation Reserve @ 20% of 4 above. | 125 |
| 6. Leave Reserve @ 5% of 4 above. | 6 |
| 7. Junior Posts @ 20.60% of 4 above. | 26 |
| 8. Training Reserve @ 10.59% of 4 above. | 13 |
| Direct Recruitment posts. | 196 |
| Promotion posts. | 42 |
| Total Authorised Strength. | 238 |

[No. 31/1/71-AIS(II)-A.]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

## मंत्रीमंडल सचिवालय

## (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1971

सा० का० नि० 56.—भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से उत्तर प्रदेश के भारतीय

पुलिस सेवा संवर्ग की संख्या और गठन में संशोधन किया है और वह एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग की संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "उत्तर प्रदेश" से सम्बन्धित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

(i) यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा।

(ii) इन विनियमों को भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग की संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1971 कहा जाएगा।

**संवर्ग की संख्या का नियतन में संशोधन**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद | | 120 |
| | पुलिस महानिरीक्षक | 1 | |
| | अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक | 1 | |
| | पुलिस उप–महानिरीक्षक | 12 | |
| | सतर्कता निदेशक | 1 | |
| | पुलिस उप–महानिरीक्षक प्रशिक्षण और प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण कालेज, मुरादाबाद | 1 | |
| | निदेशक, सिविल डिफेन्स, उ० प्र० व कमान्डेन्ट जनरल, पी० आर० डी० होमगार्ड, उ० प्र० | 1 | |
| | पुलिस महानिरीक्षक का सहायक | 1 | |
| | पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे | 1 | |
| | पुलिस अधीक्षक | 48 | |
| | पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय | 1 | |
| | पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर | 1 | |
| | पुलिस अधीक्षक, लखनऊ नगर | 1 | |
| | पुलिस अधीक्षक, खुफिया विभाग | 4 | |
| | पुलिस अधीक्षक, अपराध जांच विभाग | 6 | |
| | पुलिस अधीक्षक, सतर्कता स्थापना | 5 | |
| | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक | 6 | |
| | पुलिस अधीक्षक, सी० आई० डी०, उ० प्र० | 1 | |
| | पुलिस अधीक्षक, सतर्कता स्थापना VI और VII | 2 | |
| | पुलिस अधीक्षक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद | 1 | |
| | उपायुक्त, बिक्रीकर (सतर्कता) उ० प्र० लखनऊ | 1 | |
| | कमांडेन्ट, पी० ए० सी० बटालियन | 18 | |
| | कमांडेन्ट स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद | 1 | |
| | डिप्टी कमांडेन्ट स्पेशल पुलिस फोर्स, मुरादाबाद | 1 | |
| | प्रशासी कमांडेन्ट, पी० आर० डी०, उ० प्र० लखनऊ | 1 | |
| | कमांडेन्ट जनरल, पी० आर० डी०, यू० पी० का स्टाफ अधिकारी लखनऊ | 1 | |
| | कमांडेन्ट, आर० टी० एस०, मुरादाबाद | 1 | |
| | उपनिदेशक, सिविल सुरक्षा, यू० पी०, लखनऊ | 1 | |
| | | 120 | |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त के 40 प्रतिशत के हिसाब से . | 48 |
| | | 168 |
| 3. | भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद, उपर्युक्त 1 और 2 के 25 प्रतिशत के हिसाब से . . . . . | 42 |
| 4. | सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में से 3 घटाकर | 126 |
| 5. | प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से | 25 |
| 6. | छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से . . | 6 |
| 7. | कनिष्ठ पद, उपर्युक्त 4 के 20.60 प्रतिशत के हिसाब से . . | 26 |
| 8. | प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त 4 के 10.30 प्रतिशत के हिसाब से . | 13 |
| | सीधी भर्ती के पद . . . . . | 196 |
| | पदोन्नति पद . . . . . | 42 |
| | कुल प्राधिकृत संख्या . . . . . | 238 |

[संख्या 31/1/71-अ० भा० से० (II)(क)]

बी० नरसिंहन, अवर सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 16th December 1971*

**G. S. R. 57.**—Whereas the Central Government considers it expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons into certain places ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the places specified in the Schedule hereto annexed to be the protected places.

THE SCHEDULE

| Name of Protected Place | Locality | Boundaries or other description |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. India Security Press including Old Currency Note Press and Central Stamp Store. | Nasik Road | Area enclosed by security wall and bounded by Central Railway lines on the East, Distillery factory area on the South, India Security Press Estate on the West and North. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 2. New Currency Note Press | Nasik Road | Area enclosed by security wall having cheval-de-frise on the top and bounded by Jail Road (now known as Dadaji Chandaji Road) on the East, New Currency Note Press Estate on the South, Open lands in Survey No. 120 belonging to private parties on the West and private property and estate belonging to Shri X.P.D. 'Souza on the North. |
| 3. India Government Mint | Bombay | Bounded on the East by the Mint House and Indian Naval wharf expansion, on the West by the Mint Road, on the North by the Ballard Road, and on the South partly by harbour and partly by the Indian Naval Barracks. |
| 4. India Government Mint | Alipore (Calcutta) | Bounded on the East by Diamond Harbour Road, on the West by Garbage Dumping ground and Calcutta Corporation's incinerator, on the South by Goragacha Road, and on the North by Calcutta Port Commissioner's Staff quarters area. |
| 5. India Government Mint, Hyderabad— | | |
| (a) Main Factory Building | Hyderabad | Bounded on the North by the road and Railway track leading to the New Power House of the Electricity Department and Hussain Sagar Tank, on the South by the Public Works Department of the Andhra Pradesh Government, on the East by the New Power House and on the West by the Printing Press of the Andhra Pradesh Government. |
| (b) Mint House Building | Do. | Area enclosed by brick walls and bounded by Electricity Department's Stores Yard on the North, private road leading to the Power House on the South and West, and Secretariat compound of the Andhra Pradesh Government on the East. |
| 6. Silver Refinery, Calcutta— | | |
| (a) Premises Nos. 47 and 48 | Calcutta | Bounded on the North by portion of Nawab Lane and Fishery Department Building of the Government of West Bengal, on the South, by Meer Bahar Ghat Street, on the East by Maharishi Debendra Road, and on the West by Strand Road. |
| (b) Premises Nos. 68 and 69 | Do. | Bounded on the North by Juggennath Ghat Road, on the South by Port Commissioner's private passage to the Railway yard adjoining Howrah Bridge, on the East by Strand Road, and on the West by Port Commissioner's Railway Yard. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 7. Security Paper Mill, Hoshangabad— | | |
| (a) Security Paper Mill complex including water supply and effluent treatment plant. | Hoshangabad | Area enclosed by 900 ft. masonary wall and Chain Link fence on the East, Chain Link fence passing Khasra Nos. 3, 5 and 8 on the South, 865 ft. masonary wall on the West and 1725 ft. masonary wall on the North. |
| (b) Intake Well feeding raw water to Security Paper Mill. | Do. | Area enclosed by the Chain Link fence on the East, South and West and by Narmada River on the North. |

[No. 28/25/71-Poli. II.]

*New Delhi, the 20th December 1971*

**G.S.R. 53.**—Whereas the Central Government considers it expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons into certain places.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government is pleased to declare the places specified in the Schedule hereto annexed to be protected places.

SCHEDULE

| Sl. No. | Name of the prohibited area | Boundaries or other description. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Bombay. | Bounded on one side by the sea, from Essors Oil Pier to Survey No. 153 A of Trombay Village and on the other sides by the following Survey Numbers.<br>*Trombay.*<br>Trombay, Gaotha, Survey Nos. 4, 3 IB, 119A, 158 & 10.<br>Payalipada Gaothan Survey No. 89.<br>*Mandala.*<br>Survey Nos. 34, 79, 137 and 143.<br>*Manbudruk.*<br>Survey Nos. 41, 42, 64 and 63.<br>*Mahul.*<br>Survey Nos. 22, 26, 28, 30 and 31. |
| 2. | Tarapur Atomic Power Station, Tarapur, P.O. Boisar, Maharashtra. | *AREA Bounded By :—*<br>*North:*<br>Survey Nos. 56 part, 57 part, 50 part, 49, 48 part, 47, 46 44, 45, 77, 78, 84 part, 42, 41, 40, 84, A part of Ghivoli Village<br>*East:*<br>Survey Nos. 84 A part of Ghivoli Village and survey Nos. 86 of Akarpatti Village.<br>*South:*<br>Survey Nos. 252, 47, 44, 43, 42, 41 39, 38, 310, 236 A 1/1 part, 15 part, 19 part of Akarpatti Village as delineated by the continuous barbed wire fencing.<br>*West:*<br>Sea. |
| 3. | Rajasthan Atomic Power Project | Area, within a limit of 1½ miles radius from the reactor site situated on the right bank of Rana Pratap Sagar lake on land bearing Khasra No. 13/1 14/1, 15, 16/1, 17/1 and 37/11 of village Kharli under Patwar Circle, Matasara, Panchayat Bhainsrodgarh, Tehsil Begun, Distt. Chittorgarh, Rajasthan. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | Madras Atomic Power Project. Reactor Research Centre. | The entire village in No. 195 Kalpakkam. The village in No. 176 Edaiyur excluding S. Nos. 66, 104, 106, 131, 254 and part of 252 S. Nos. 164, 163, 141, 140 and 137 of Village 194 Kunnathur. The village in No. 175 Kokkilimedu, excluding S. Nos. 129, 109, 141, 142, 138, 139, 136, 137, 77, 62, 61 133, 132, 41, 131, 32 12, 145, 11, 10, 1, 9, 30, 31, 24, 23, 13, 8, 2, 29, 22, 14, 7, 25, 28, 26, 21, 19, 20, 15, 3, 6, 27, 18, 16, 5, 4, 17, 123, 124, 144 and part of 125. The above block of land is bounded by the Bay of Bengal in the East. S. Nos. 233, 226, 225, 224, and 223 of Village No. 197 Mayyur in the South, Buckingham Canal in the West and S. No 30, 29, 28, 27, 123, 144 and 130 (part) of village No. 175 Kokkilimedu in the North. |
| 5. | 1 Jaduguda Mines Project<br>2 Jaduguda Mill Project<br>3 Administrative buildings occupied by the Managing Director and his office and by the Administration Finance and Purchase and Mines Deptt. | Situated in village Machua and Ichra, Distt. Singhbhum, Bihar and all the three are enclosed with link fencing barbed wire fencing, and brick wall compound. |
| | 4 Magazines at Vill. Bhatin and at village Jharia. | Enclosed by barbed wire fencing over R.C.C. posts. |
| | 5 Barrage over Gara Nallat village Machua | Enclosed by barbedwire fencing over R.CC. posts. |
| 6. | Heavy Water Project, Baroda | Area, within a limit of 8.3531 Hectares consisting of :<br>*Survey Nos.* — *Area*<br>781 Paiki — 3·0048 Hectares.<br>781 Paiki — 1·8514 ,,<br>781 (Part) — 1·1635 ,,<br>786 — 1·0218 ,,<br>724 — 0·2732 ,,<br>735/2 Paiki — 0·5280 ,,<br>735/2 Paiki — 0·3456 ,,<br>735/4(Part) — 0·1648 ,,<br>of Chhani Village, Distt: Baroda, Gujarat State. |
| 7. | Rajasthan Atomic Power Project. Heavy Water Project, Kota: | Area, within a limit of 1½ miles radius from the reacter site, situated on the right bank of Rana Pratap Sagar lake on land bearing Khasra.<br>No. 13/1, 14/1, 15, 16/1, 17/1 and 37/11 of village Kherli Under Patwar Circle Matasara Panchayat Bhainsrodgarh, Tehsil Begun, Distt. Chittorgarh, Rajasthan. |
| 8. | Nuclear Fuel Complex,<br>1 Hyderabad-40. | *Bounded by :—*<br>*On the East* : Mallspur Village Survey Nos. 54(part), 66, 73, 74, 75 and 76 and Public Works Division Road leading to Hindustan Cables.<br>*On the West:* Government (Deptt. of Atomic Energy) Kacha Land Survey Nos. 24 and 31 (Part) of Mallspur Village.<br>*On the North :* Government (Deptt. of Atomic Energy) Land Survey Nos. 26 of Mallapur Village.<br>*On the South :* Public Works Division Road leading to Hindustan Cables. |
| | 2. Water Reservoirs & Pump House No. I of the Nuclear Fuel Complex. | *Bounded by :—*<br>*On the East* : Survey no. 52 of Kallpur village.<br>*On the West :* Public Works Division, Road leading to Hindustan Cables.<br>*On the North :* Public Works Division, Road leading to Hindustan Cables.<br>*On the South :* Public Works Division Road leading to Hindustan Cables. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 3 33/1 KV Main Step Down Sub-Station of the Nuclear Fuel Complex. | Bounded on the sides by Government (Deptt. of Atomic Energy) and situated in Survey No. 28 of Maliapur Village. |
| 9. | 1 Site for the location of Sector 1 Block AE of the Northern Salt the Variable Energy Cyclo-Lake City Extension Area in the district tron Project Bhabha Atomic of Twenty four Parganas, Police Station/Research Centre, Calcutta Stations: Dum Dum and Rajarhat. | |
| | 2 The Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta. | *Boundaries :*<br>*On the North :* One type V road running East-West and linking the Northern most extremity of Block AE with the Northern most extremity of Sector II.<br>*On the South :* Portion of type V road running East-West linking a type II road on the East of Block AE and the type II road on the Western border of Sector II.<br>*On the West :* Portion of type III road for a length of 189·53 M starting from its junction with a type V road linking the northern most extremity of Block AE with the northern most extremity of Sector II and running along the Eastern border of Block AE. |

[No. 28/17/71-Poll. II]

*New Delhi, the 21st December 1971*

**G.S.R. 59.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971) the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by rule 7 read with rule 8 of the Defence of India Rules, 1971 shall, in respect of the places specified in column (1) of the Schedule hereby annexed, being protected places, be exercisable also by the officers mentioned in the corresponding entry in column (2)of the said Schedule.

SCHEDULE

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | Bhabha Atomic Research Centre, Trombay, Bombay. | 1 Director, Bhabha Atomic Research Centre<br>2 Directors of Groups, Bhabha Atomic Research Centre.<br>3 Controllre, Bhabha Atomic Research Centre.<br>4 Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.<br>5 Chief Security Officer, Bhabha Atomic Research Centre.<br>6 Public Relations Officer, Bhabha Atomic Research Centre. |
| 2. | Tarapur Atomic Power Station | 1 Chief Superintendent, Tarapur Atomic Power Station.<br>2 Chief Accounts Officer, Tarapur Atomic Power Station.<br>3 Security Officer, Tarapur Atomic Power Station. |
| 3. | Rajasthan Atomic Power Project | 1 Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project.<br>2 Chief Administrative Officer, Rajasthan Atomic Power Project.<br>3 Chief Security Officer, Rajasthan Atomic Power Project.<br>4 General Administration Officer, Rajasthan Atomic Power Project.<br>5 Security Officer, Rajasthan Atomic Power Project. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | Madras Atomic Power Project.<br><br>Reactor Research Centre. | 1 Chief Construction Engineer, Madras Atomic Power Project.<br>2 Project Engineer (Civil) Madras Atomic Power Project.<br>3 Administrative Officer, Madras Atomic Power Project.<br>4 General Administrative Officer, Madras Atomic Power Project. |
| 5. | Uranium Corporation of India Ltd.,<br>(i) Jaduguda Mines Project.<br>(ii) Jaduguda Mill Project.<br>(iii) Administrative buildings occupied by the Managing Director and his office and by the Administration, Finance and Accounts, Purchase and Mines Department.<br><br>(iv) Magazines at village Bhatin and at village Jaria.<br>(v) Barrage over Gara Nalla at village Mechua. | 1 Joint Sedretary to the Government of India. Deptt. of Atomic Energy.<br>2 Deputy Secretary to the Government of India, Deptt. of Atomic Energy.<br>3 Under Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy. |
| 6. | Heavy Water Project. Baroda. | 1 Project Manager, Heavy Water Project, Baroda.<br>2 Construction Manager/ Construction Engineer. Heavy Water Project, Baroda.<br>3 Administrative Officer, Heavy Water Project Baroda.<br>4 Security Officer, Heavy Water Project, Baroda. |
| 7. | Rajasthan Atomic Power Project.<br>Heavy Water Project, Kota. | 1 Project Manager, Heavy Water Project, Kota.<br>2 Construction Manager/Construction Engineer. Kota.<br>3 Administrative Officer,s Heavy Water Project Kota.<br>4 Security Officer, Heavy Water Project, Kota. |
| 8. | (i) Nuclear Fuel Complex. Hyderabad.<br><br>(ii) Water Reservoirs and Pump House No. 1 of the Nuclear Fuel Complex.<br><br>(iii) 33/11 Kw Main Step Down substation of the Nuclear Fuel Complex. | 1 Officer on Special Duty, Nuclear Fuel Complex.<br>2 Project Director, Nuclear Fuel Complex.<br>3 Project Engineer, Nuclear Fuel, Complex.<br>4 Scientific Officer, Engineer Grade SF CFFP/EFFP, Nuclear Fuel Complex.<br>5 Senior Administrative Officer, Nuclear Fuel Complex.<br>6 Security Officer, Nuclear Fuel Complex. |
| 9. | (i) Site for the location of veriable Energy Cyclotron Project, Bhabha Atomic Research Centre, Calcutta.<br>(ii) The Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta. | 1 Director, Bhabha Atomic Research Centre<br>2 Directors of Groups Bhabha Atomic Research Centre.<br>3 Controller, Bhabha Atomic Research Centre.<br>4 Head, Personnel Division, Bhabha Atomic Research Centre.<br>5 Chief Security Officer, Bhabha Atomic Research Centre.<br>6 Public Relations Officer, Bhabha Atmoic. Research Centre.<br>7 project Engineer, Veriable Energy Cyclo-Tron Project, Bhabha Atomic Research Centre.<br>8 Project Officer, Veriable Energy Cyclotron Project, Bhabha Atomic Research Centre, Calcutta.<br>9 Security Officer, Veriable Energy Cyclotron Project, Bhabha Atomic Research Centre, Calcutta.<br>10 Building Project Officer, Veriable Energy Cyclotron Project, Bhabha Atomic Research Centre, Calcutta. |

[No. 28/17/71-IIT.]

(B. K. GOSWAMI, D. Secy.

*New Delhi, the 20th October 1971*

**G.S.R. 60.**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Fifth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Rules, 1955, for sub-rule (d) of rule 27, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(d)(1) Where two or more members of the Force, including those on deputation to the Force, are concerned in any case, the Inspector General may make an order directing that disciplinary action against all of them may be taken in a common proceeding.

NOTE.—Where in such a proceeding, the misconduct of a deputationist is to be dealt with, the consent of the disciplinary authority competent to impose the penalty of dismissal shall be obtained for the taking of such a disciplinary action.

(2) Such order shall specify—

(i) the authority which may function as the disciplinary authority for such a common proceeding;

(ii) the penalties specified in the table of sub-rule (a) above which such disciplinary authority shall be competent to impose;

(iii) whether such disciplinary authority shall hold the departmental inquiry himself or may designate any other inquiry officer for that purpose; and,

(iv) that the inquiry shall be held in accordance with the provisions of sub-rule (a) and sub-rule (c)."

[No. 4/12/71-Pers.I/GPA.I.]

PREM PARKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 60.—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (पांचवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में, नियम 27 के उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) (1) यदि बल के दो या दो से अधिक सदस्यों, जिनके अन्तर्गत बल में प्रतिनियुक्त किए गए सदस्य भी है, का सम्बन्ध किसी मामले से है तो महानिरीक्षक यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संयुक्त कार्यवाही में की जाए।

टिप्पण: यदि ऐसी किसी कार्यवाही में, प्रतिनियुक्त किए जाने वाले सदस्य के आचार के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है तो पदच्युति की शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम अनुशासन-प्राधिकारी की सम्मति, ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) ऐसे आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:—

(1) ऐसा प्राधिकारी जो ऐसी किसी संयुक्त कार्यवाही के लिए अनुशासन-प्राधिकारी का कृत्य कर सकेगा ;

(2) उपरोक्त उप-नियम (क) की सारणी में विनिर्दिष्ट शास्तियां जिन्हें अधिरोपित करने के लिए ऐसा अनुशासन प्राधिकारी सक्षम होगा ;

(3) क्या ऐसा अनुशासन – प्राधिकारी स्वयं विभागीय जांच करेगा या वह उस प्रयोजन के लिए अन्य जाच अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगा , और

(4) कि जांच, उपनियम (क) और उपनियम (ग) के उपबन्धों के अनुसार की जाएगी ।

[सं० 4/12/71-कार्मिक-1/जी० पी० ए०-1]

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव ।

---

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि०** 1843.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 359 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति का, जो :—

(क) एक विदेशी है या

(ख) ऐसा व्यक्ति है, जो या उसके माता या पिता में से कोई या उसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई किसी समय किसी ऐसे देश का जो भारत के विरुद्ध अभ्याक्रमण करता है, या किसी ऐसे देश का जो भारत के विरुद्ध अभ्याक्रमण करने वाले देश की सहायता करता है, नागरिक या प्रजा था,

संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 द्वारा दिये गए अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसी न्यायालय के प्रचालन का अधिकार उस अवधि के लिए, जिसमें कि उसके अनुच्छेद 352 के अधीन 3 दिसम्बर, 1971 को जारी की गई आपात की उदघोषणा लागू रहती है, निलम्बित रहेगा ।

**स्पष्टीकरण** : इस आदेश में, "विदेशी," शब्द का वही अर्थ होगा जो विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 का 31) में उसका है ।

[सं० 25019/4/71-एफ० 1.]

गोविन्द नारायण, सचिव।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

*New Delhi, the 23rd December 1971*

**G.S.R. 61.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the constitution, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called Fundamental (Eighth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the officials Gazette.

2. In the Fundamental Rules, in Rule 49,

(a) In clause (iii),

(i) for the words "charge of a higher post" in both the places where they occur, the words "charge of another post" shall be substituted,

(ii) for the words "or the highest post if he holds charge of more than one posts", the words "or of the highest post if he holds charge of more than two posts" shall be substituted;

(b) In clause (iv), for the words "a higher post" the words "another post or posts" shall be substituted.

[No. F. 6(28)-E III(B)/68.]

KIRPA SINGH, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 61.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात, मौलिक नियमों में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात.—

1. (1) इन नियमों का नाम मौलिक (आठवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) वे शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मौलिक नियमों में, नियम 19 में,

(क) खण्ड (iii) में,

(i) "उच्चतर पद का भार" जहां वे दोनों स्थान पर आते हैं, शब्दों के स्थान पर "अन्य पद का भार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ii) "क्या यदि वह एक से अधिक पद का भार धारण करता हो तो उच्चतम पद" शब्दों के स्थान पर "या यदि वह दो पदों से अधिक का भार धारण करता हो तो उच्चतम पद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे,

(ख) खण्ड (iv) में "उच्चतम पद" शब्दों के स्थान पर "अन्य पद या पदों" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 6(28)-ई-3(बी)/68]

कृपा सिंह, उप सचिव।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 1st January 1972*

**G.S.R. 62.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products, falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced by the Ordnance Factories belonging to the Central Government and intended for consumption by such Ordnance Factories for defence purposes from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No 1/72.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

**सा० का० नि०** 62.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची को मद संख्या 26क के अधीन आने वाले और केन्द्रीय सरकार के आर्डनेंस कारखानों द्वारा उपादित और रक्षा प्रयोजनों के लिए ऐसे आर्डनेंस कारखानों द्वारा उपभोग के लिए आशयित, लोहा या इस्पात उत्पादनों को, उन पर उदग्रहणीय समूचा उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 1/72]

---

**G.S.R. 63.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts bars and rods, falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excies and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and used as stirring/poking rods in the manufacture of steel ingots falling under Item No. 26 of the said First Schedule, from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty leviable on steel ingots:

Provided that this exemption shall apply to such bars or rods which are melted in the furnaces in the factory of production and form part of steel ingots so manufactured.

[No. 2/72.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

**सा०का०नि० 63.**—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ऐसी छड़ों और सलाखों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क्क के अन्तर्गत आती हैं, और उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत आने वाली इस्पात की सिल्लियों के विनिर्माण में बिलोडन/अंगार सलाखों के रूप में प्रयोग की जाती है, उतने उत्पाद-शुल्क से जो इस्पात की सिल्लियों पर उदग्रहणीय शुल्क के समतुल्य है, एतद्द्वारा छूट देती है;

परन्तु यह छूट ऐसी छड़ों या सलाखों को लागू होगी जो उत्पादन कारखाने की भट्टियों में गलाई जाती है और वे इस प्रकार विनिर्मित इस्पात की सिल्लियों का भाग है ।

[सं० 2/72]

सतत कुमार घोषाल, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

DANGEROUS DRUGS

*New Delhi, the 1st January, 1972*

**G.S.R. 64**—In pursuance of clause (a) of rule 2 of the Central Opium Rules, 1934, the Central Government hereby defines the tracts in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan specified in the Schedule annexed hereto as the tracts within which poppy may be cultivated on account of the Central Government during the Opium Year commencing on the 1st October, 1971, and ending with the 30th September, 1972.

THE SCHEDULE

*Part I*

STATE OF UTTAR PRADESH

| Designation of tracts | District | Extent |
|---|---|---|
| | | Tehsil / Pargana |
| Barabanki I Opium Division. | Barabanki | Satrikh, Nawabganj, Mohammadpur, Fatehpur, Ram Nagar. |
| Barabanki II Opium Division. | Barabanki | Bhitauli, Baddoosarai, Partapganj, Daryabad, Surajpur Rudauli, Mewai, Bisudhi, Sidhaur. |
| Lucknow Opium Division. | Barabanki | Haidergarh, Subeha, Dewa, Kursi. |
| | Lucknow | Mohanlalganj. |
| | Raibareilly | Kumherawaun, Samrausta, Inhauna, Bachherawan. |
| Faizabad Opium Division. | Faizabad | Maugalsi, Rath, Khandasa, Haveli, Amsin. |
| | Ghazipur | Zamania, Ghazipur, Mohammadabad, Zahurabad. |
| | Azamgarh | Nathoopur, Ghosi. |

| Designation of tracts | District | Extent |
|---|---|---|
| | | Tehsil / Pargana |
| | Gonda | Digsir, Nawabganj, Mankapur, Mahadewa. |
| | Basti | Amorha. |
| Bareilly Opium Division | Bareilly | Aonla, Ballia Saneha, Sirauli, Faridpur. |
| | Shahjahanpur | Jalalabad. |

*Part* II

STATE OF MADHYA PRADESH

| Designation of tracts | District | Extent |
|---|---|---|
| | | Tehsil/Pargana |
| Neemuch I Opium Division. | Mandsaur | Neemuch. |
| Neemuch II Opium Division. | Mandsaur | Manasa and Bhanpura. |
| Neemuch III Opium Division. | Mandsaur | Malhargarh. |
| Neemuch IV Opium Division. | Mandsaur | Jawad. |
| Mandsaur I Opium Division | Mandsaur. | Mandsaur (Part) |
| Mandsaur II Opium Division. | Mandsaur | Sitamau (Part) |
| Mandsaur III Opium Division. | Mandsaur | Mandsaur (Part) Sitamau (Part) |
| Mandsaur IV Opium Division | Mandsaur | Garoth. |
| Ratlam Opium Division | Ratlam | Ratlam, Sailana, Jaora and Alot. |
| Ujjain Opium Division. | Ujjain Shajapur. | Khachrod, Mahidpur, Tarana, Susner and Agar. |
| | Rajgarh | Khilchipur. |

*Part* III

STATE OF RAJASTHAN

| Designation of tracts | District | Extent |
|---|---|---|
| | | Tehsil/Pargana |
| Kota I Division | Kota | Atru, Sangod, Ramganjmandi, Baran, Mangrol. |
| | Bundi. | Hindoli, Talera. |
| Kota II Division. | Kota. | Chhabra, Chhipabarod. |
| Jhalawar I Division. | Jhalawar. | Patan, Pirawa. |
| Jhalawar II Division. | Jhalawar. | Khanpur, Aklera. |
| Bhawanimandi Division. | Jhalawar. | Pachpahar, Gangdhar. |
| Chittorgarh I Division. | Chittorgarh. | Chittorgarh, Chhotisadri, Rashmi Kapasan, Bhadesar, Gangrar, Dungla. |
| Chittorgarh II Division. | Chittorgarh. | Nimbahera, Begun. |
| | Bhilwara. | Bhilwara, Kotri, Mandalgarh, Sahara, Raipur, Banera, Mandal, Asind, Jhazpur, Shahpura. |
| Chittorgarh III Division. | Chittorgarh. | Partabgarh and Barisadri. |

[No. 1/F. No. 616/11/71-OPIUM]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

खतरनाक औषधि

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 64.**—केन्द्रीय अफीम नियम, 1934 के नियम 2 खण्ड (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में के भूभागों को, ऐसे भूभागों के रूप में, जिनमें पोस्तकी खेती 1 अक्टूबर, 1971 से प्रारम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 1972 को समाप्त होने वाले अफीम वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के मद्धे की जाए, एतदद्वारा परिनिश्चित करती है।

अनुसूची

भाग 1

उत्तर प्रदेश राज्य

| भूभागों का नाम | जिला | विस्तार |
|---|---|---|
| | | तहसील/परगना |
| बाराबंकी I अफीम प्रभाग | बाराबंकी | सतरीख, नवाब गंज, मोहम्मदपुर, फतेहपुर, रामनगर । |
| बाराबंकी II अफीम प्रभाग | बाराबंकी | भिटौली, बाड़मराय, प्रतापगंज, दरयाबाद, सूरजपुर, रदौली, सेंदी, बिसुधी, सिधौर । |
| लखनऊ अफीम प्रभाग | बाराबंकी | हैदरगढ़, सुबेहा, देवा, कुर्सी । |
| | लखनऊ | मोहनलाल गंज |
| | रायबरेली | कुमहरावं, समोखा, इनहौना बछेरावं । |
| फैजाबाद अफीम प्रभाग | फैजाबाद | मगलसी, रथ, खंडासा, हवेली, अम्सीन । |
| | गाजीपुर | जमानिया, गाजीपुर, मोहम्मदाबाद जहूराबाद । |
| | आजमगढ़ | नाथूपुर धौसी । |
| | गोंडा | डिगसीर, नवाबगंज परकापुर महादेवा । |
| | बस्ती | अमोरा । |
| बरेली अफीम प्रभाग | बरेली | आवला, बलिया, सनेहा, सिरौली, फरीदपुर । |
| | शाहजहांपुर | इलालाबाद |

भाग 2

मध्य प्रदेश राज्य

| भू भागो का नाम | जिला | विस्तार | |
|---|---|---|---|
| | | तहसील | परगना |
| नीमच I अफीम प्रभाग | मदसौर | नीमच । | |
| नीमच II अफीम प्रभाग | मदसौर | मनासा और मानपुरा । | |
| नीमच III अफीम प्रभाग | मदसौर | मल्हारगढ । | |
| नीमच IV अफीम प्रभाग | मदसौर | जावद । | |
| मंदसौर I अफीम प्रभाग | मदसौर | मदसौर (भाग) | |
| मदसौर II अफीम प्रभाग | मदसौर | सीतामाऊ (भाग) | |
| मदसौर III अफीम प्रभाग | मदसौर | मदसौर (भाग<br>सीतामाउ (भाग) | |
| मदसौर IV अफीम प्रभाग | मदसौर | गरोठ | |
| रतलाम अफीम प्रभाग | रतलाम | रतलाम, सैलाना, जावरा और एलोट । | |
| उज्जैन अफीम प्रभाग | उज्जैन<br>शाजापुर<br>राजगढ | खचरोद मक्सीपुर तराना सुसनेर और अगार ।<br>खिलचीपुर । | |

भाग 3

राजस्थान राज्य

| भूभागो का नाम | जिला | विस्तार |
|---|---|---|
| | | तहसील/परगना |
| कोटा I प्रभाग | कोटा<br>बूंदी | अंता, सगोड़, रामगंज मंडी, बारन, मांगरोल<br>हिंडोली तलेरा । |
| कोटा II प्रभाग | कोटा | छबरा, छिपाबरोद । |
| झालावाड़ I प्रभाग | झालावाड | पारण पिरावा । |
| झालावाड़ II प्रभाग | झालावाड | खानपुर, अकलेरा |
| झवानी मंडी प्रभाग | झालावाड | पचपहाड़, गंगधर । |
| चित्तौड़गढ़ I प्रभाग | चित्तौडगढ | चितोडगढ, छोटी सादडी, रश्मि, कपासन, मादेसर, गंगार, डूंगला । |
| चित्ताड़गढ़ II प्रभाग | चितोडगढ़<br>भीलवाडा | नीबहेरा, बेंगू ।<br>भिनवाड़ा, काटरी, मंडलगढ़, महारा, रायपुर, बनेरा, मंडन, आसिंद, झाजपुर, शाहपुरा । |
| चित्तौड़गढ़ III प्रभाग | चित्ताड़गढ़ | प्रतापगढ़ और बारीसाद्री । |

[स०/का० सं० 816/11/71-अफीम]

वि० रा० सोनालकर, उपसचिव ।

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

**(Department of Mines)**

*New Delhi, the 21st December 1971*

**G.S.R. 65.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In the said schedule, for sub-items (i) and (ii) of item 4 and the entries relating thereto, the following sub-items and entries shall be substituted, namely:—

| | |
|---|---|
| "(i) Ore— | |
| (a) Containing more than 62% of Fe. | Rs. 2.00 per tonne. |
| (b) Containing up to 62% of Fe. | Rs. 1.50 per tonne. |
| (ii) Ore fines in size less than 1.25 centimeters, produced incidental to mining and sizing of ore. | Re. 0.35 per tonne.". |

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 1(46)/67-MVI(Vol.II.).]

## इस्पात और खान मंत्रालय

**( खान विभाग )**

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 65.—खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपयुक्त अनुसूची में, मद 4 के उप-मद (i) क और (ii) और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियो के लिए निम्नलिखित उप-मद और प्रविष्टियों प्रतिस्थापित की जाऐगी , अर्थात्: —

| | |
|---|---|
| "(i) अयस्क – | |
| (क) जिसमें 62% से अधिक लोहा हो | 2.00 रुपए प्रतिटन |
| (ख) जिसमें 62% तक लोहा हो | 1.50 रुपए प्रतिटन |
| (ii) अयस्क के खनन और चिक्कण किए जाने के अनुषंग में उत्पादित, अयस्क-चूर्ण जिसमें दाने 1.25 सेंटीमीटर से कम हो | 0.35 रुपए प्रतिटन " |

2. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी

सं० 1 (46)/67 खान 6 (अंग )

हर्ष गुप्ता, अवर सचिव ।

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 21st December, 1971*

**G.S.R. 66.**—In the Mineral Concession (First Amendment) Rules, 1971, published in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) notification No. 1(33)/67-MVI (Pt. II) dated 22nd July, 1971, as G.S.R. No. 1279, in the Gazette of India Part II, Section 3(i) dated 11th September, 1971, at page 3480, following corrections may be made:—

1. In the proviso (a) under para 2(i)(a) of the above said notification the words 'proposes' may be substituted in place of 'proposed.'

2. In para 2(ii)(a) of the above said notification the words 'by the State Government only after obtaining' shall be inserted after the words 'will be granted.'

[No. 1(33)/67-MVI(Pt.II).]

HARSH GUPTA, Under Secy.

**(Department of Mines)**

*New Delhi, 23rd the December 1971*

**G.S.R. 67.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the India Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965, after Serial No. 70 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Senior Technical Assistant (Publication) | General Central Service Class III (Non-Ministerial) (Non-gazetted) | Rs. 325-15-475 | Selection | Between 25 and 35 years |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Essential*<br>i) Degree in Science or in Arts with Economics of a recognised University or its equivalent<br>ii) Two years' experience in handling technical publications and proof reading.<br>iii) Familiarity with the operation of printing processes, type, layout, etc<br><br>*Desireable* : Nil | No. | 2 years | 50% by promotion, failing which by direct recruitment ; and 50% by direct recruitment | *Promotion*<br>Junior Technical Assistant (Publication with 3 years service in the grade rendered after apptt. thereto on a regular basis. | Class III DPC | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Junior Technical Assistant (Publication) | Do. | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425 | Not applicable | Between 20 and 30 years |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Essential* : Degree in Science or in Arts with Economics of a recognised University or its equivalent<br>*Desireable* :<br>One years' experience in dealing with the Publication of Technical Journals and other publications and proof-reading. | Not applicable | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

V. G. NIGAM, Dy. Secy.

[No. F. 6/32/68-M.III/M.2]

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 4th September 1971*

**G.S.R. 68.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Office of the Registrar of Newspapers (Recruitment to Class III post) Rules, 1967, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting G.S.R. No. 1494 dated 20th September, 1967.

1. (i) These rules may be called the Registrar of Newspapers for India (Recruitment to Class III posts) Amendment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. The existing entry under column 7 of the Schedule to the Office of the Registrar of Newspapers for India (Recruitment to Class III posts) Rules, 1967, may be substituted by the following entry:—

(i) 90% by direct recruitment; failing which by transfer or deputation.
10% of the vacancies shall be filled through a departmental examination from among Class IV employees borne on the regular establishment of the Registrar of Newspapers for India, who

(a) have passed the matriculation or equivalent examination;

(b) have completed five years' continuous service in Class IV posts on the date of the examination; and

(c) are not more than forty years of age (forty-five years of age in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates) provided that for the first two examination to be conducted under the scheme, the upper age limit shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates).

Note.—The maximum number of recruits by this method shall be limited to ten per cent of the vacancies in the grade of L. D. Cs. occurring in a year; unfilled vacancies shall not be carried over.

[No. F. 8/14/71-Admn.]

B. K. SHARMA, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1971

**जी०एस०आर० 68**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1494 तारीख 20-9-1967 में प्रकाशित भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (तृतीय श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1967 अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (तृतीय श्रेणी पद भर्ती) संशोधन नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे

2. भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (तृतीय श्रेणी पद भर्ती) नियमावली 1967 के परिशिष्ट के कालम 7 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

(i) 90% सीधी भर्ती ; इसके ना होने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । 10% रिक्तियां विभागीय परीक्षा के माध्यम से भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में काम करने वाले उन नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से भरी जाएगी जो :—

(क) मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा पास हों ;

(ख) परीक्षा की तारीख को चतुर्थ श्रेणी पदों पर 5 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हों ; तथा

(ग) 40 वर्ष (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में 45 वर्ष) की आयु से अधिक नहो परन्तु योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली प्रथम दो परीक्षाओं के लिए उपरि आयु सीमा 15 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो के लिए 50 वर्ष) होगी ।

नोट :— इस पद्धति के द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या अवर श्रेणी लिपिको के ग्रेड में एक वर्ष में होने वाली रिक्तियो के 10% तक सिमित होगी न भरी जाने वाली रिक्तियां अगल वर्ष नही ले जाई जाएगी ।

(फाइल संख्या 8/14/71-प्रशासन)

बी० के० शर्मा, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 17th November 1971*

**G.S.R. 69.**—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), No. G.S.R. 1214, dated the 20th August, 1971, relating to the Fertiliser (Control) Third Amendment Order, 1971, published at pages 809 and 810 in Part II, Section 3, Sub-Section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 21st August, 1971, at page 809, under clause 2, under the heading "Name of the Fertiliser", for "3. NPK Compond 22-22-11", read "30. NPK Compound 22-22-11".

[No. 16-9/70-M.]

P. V. SHENOI, Dy. Secy.

---

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 18th December 1971*

**G.S.R. 70.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Act, 1971 (41 of 1971), the Central Government hereby appoints the 26th January, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 14-17/71-P; H.]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

### (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर, 1971

**सी० एस० आर० 70.**—खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1972 का 41) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद-द्वारा 26 जनवरी, 1972 को वह तिथि नियुक्त करती है जिस तिथि से उक्त अधिनियम लागू होगा।

[सं० प० 14-17/71-जन स्वा०]

के० सत्यनारायण, अवर सचिव।

---

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 6th September 1971*

**G.S.R. 71.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class II posts in the Planning Commission, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Planning Commission (Class II posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, the age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and then there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons (Schedule annexed).

ANNE

*In Ministery/Department of Planning Commission*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant Programmer. | Two | General Ceneral Service Class II, Non-Gazetted; Non-Ministerial. | Rs. 325-15-475-EB-20-575. | Not applicable. | Not exceeding 30 years (Relaxable for Govt. servants). | *Essential* :—<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent qualification preferably with Statistics or Mathematics as a subject<br>(ii) Training in Programming on electronic computer preferably I.B.M. 1620.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).<br>*Desirable* :—<br>Experience of operating Mechanical Tabulation equipment and of planning and supervising work on such equipment. |

XURE I

*Recruitment Rules for Assistant Programmer*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | Two years. | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12011/3/71 - Adm. II]
N. K. AGGARWAL, Under Secy.

**योजना आयोग**

**नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1971**

**जी० एस० आर० 71.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग में वर्ग 2 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम योजना आयोग (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. **लागू होना** ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति,, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं:** —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5. **निरर्हता**:— :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन नुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध 1

योजना आयोग मंत्रालय/विभाग में सहायक प्रोग्रामर के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वालों व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सहायक प्रोग्रामर | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित अनुसचिवीय | 325-15-475-द० रो०-20-575 रुपये | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विषय के रूप में सांख्यिकी या गणित सहित डिग्री या समतुल्य अर्हता ;<br>(2) इलेक्ट्रोनिक संगणक अधिमान्तः आई० बी० एम० 1620 पर मे प्रशिक्षण (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)<br>वांछनीय :<br>यांत्रिक स्मरणीय करण उपस्कर प्रचालित करने और ऐसे उपस्कर कार्य की योजना करने और पर्यवेक्षण का अनुभव । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा । |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित हो । |

[सं० ए० 12011/3/71-प्रशासन-2.]

एन० के० अग्रवाल, अवर सचिव भारत सरकार।

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

**(Department of Education)**

*New Delhi, the 29th November 1971*

**G.S.R. 72.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Programme Advisers in the National Service Scheme, under the Ministry of Education and Social Welfare, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Service Scheme (Deputy Programme Adviser) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule

4 **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns 6 to 13 of the Schedule aforesaid.

5 **Disqualifications.**—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in this respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection Post or non-selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Deputy Programme Adviser. | 3 | General Central service, class I, Gazetted. | Rs. 1300-60-1600. | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. |

DULE

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfor, gnades from which promotion deputation/ transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable. | By tranfer on deputation (including short term contract) | *Transfer on deputation*: Officers of the I.A.S., with 9 years' service or Class I Officers under the Central/State Governments, with 5 years service in the posts in the scale of Rs. 700-1250 or equivalent and having 3 years experience in organising and developing social service programmes and liaison work. *Short terms contract* :— Professors of Universities in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent, or Readers of Universities in the scale of Rs. 700-1250 or equivalent with 5 years service in the grade, and having experience in organising and developing social programmes and liaison work. (Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 4 years | Not applicable. | As required under the U.P.S.C. (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A 12018/2/71-YSI(I).]

S. KRISHNAMOORTHY, Dy. Secy.

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनाक 29 नवम्बर, 1971

**जी० एस० आर०** 72.—संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सेवा योजना में उप कार्यक्रम सलाहकार के पद के लिए भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक तथा आरम्भ होना:**—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय सेवा योजना (उप कार्यक्रम सलाहकार) भर्ती नियम, 1971 कहा जाए ।

(2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से ये लागू होंगे ।

2. **प्रयोज्यता** :—इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट-पद के लिए ही नियम लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतन-मान उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की प्रणाली वय सीमा अर्हताएं आदि** :—इस पद के लिए भर्ती की प्रणाली वय सीमा तथा अन्य विषय उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं ।

5. **अयोग्यताएं** .—कोई भी ऐसा व्यक्ति :—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6 **रियायत देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से वह आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों पदों के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत दे सकती है ।

7. **प्रतिबन्ध** :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों तथा आरक्षकों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नही करेगे ।

अनु

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मान | प्रवरण पद है या अप्रवरण | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए आयु | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं | क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के विषय में भी लागू होगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| उप कार्यक्रम सलाहकार | 3 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–1 राजपत्रित | 1300–60–1600 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

सूची

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली, प्रत्यक्ष भर्ती या प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता । | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति तबादले की स्थिति में उन ग्रेडों का उल्लेख जिससे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति तबादला किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है | परिस्थितियां जिनके अधीन भर्ती करने के विषय में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागु नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा (अल्प कालिक ठेके सहित) | **प्रतिनियुक्ति पर तबादला** : आई० ए० एस० के अधिकारी, 9 वर्ष की सेवा के साथ अथवा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन वर्ग । के अधिकारी, रु० 700–1200 अथवा इसके तुल्य वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की सेवा सहित तथा समाज सेवा कार्यक्रमों के आयोजन और विकास तथा संपर्क कार्य में तीन वर्ष का अनुभव धारण करने वाले । **अल्पकालिक ठेका** :—रु० 1100–1600 अथवा इसके तुल्य के वेतनमान वाले विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, अथवा रु० 700–1200 या इसके तुल्य के वेतनमानों वाले विश्वविद्यालयों के रीडर जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो तथा समाज सेवा कार्यक्रमों के आयोजन और विकास तथा सम्पर्क कार्य में अनुभव हो । | लागू नहीं होता | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | प्रतिनियुक्ति/ठके की अवधि साधारणतया 4 वर्षों से अधिक नहीं होगी )। |

सं० ए 12018/2/71 बाई एस (1)

एस० कृष्णमूर्ति उप सचिव, भारत सरकार।

*New Delhi, the 22nd December 1971*

**G.S.R. 73.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Botanical Survey of India (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Botanical Survey of India (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Botanical Survey of India (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1965, after rule 5, the following rule shall be inserted namely:—

"6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any Class or category of persons/posts."

[No. A 12018(10)/71-Sur. 3.]

K. K. KHULAR, Under Secy.

नई दिल्ली दिसम्बर 1971

जी० एस० आर० 73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात्—

1 (1) ये नियमों का नाम भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम 1965 में, नियम 5 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात :—

'6 **शिथिल करने की शक्ति** जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों में किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के पदों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

[सं० ए० 12018(10)/71- सर्वे-3]

के० क० खूलर अवर सचिव।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

*New Delhi, the 4th October 1971*

**G.S.R. 74.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the non-gazetted posts in the Kandla Free Trade Zone Administration under the Ministry of Foreign Trade, namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Kandla Free Trade Zone Administration, Ministry of Foreign Trade (Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come int force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Applications.**—These rules shall apply to the posts specified in Col. 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in Cols. 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Col. 5 to 13 of the said schedule. Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

SCHEDULE

*Draft recruitment rules for Non-Gazetted*

| S. No. | Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection posts | Age limit for direct recruitment | Educational and other qualifications required for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Examiner | 1 | General Central Service Class III, Non-Gazetted, non-ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425—EB—15—485. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable |
| 2. | Preventive Officer Gr. I. | 3 | General Central Service, Class III Non-gazetted Non-Ministerial | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425—EB—15—485 | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| 3. | Office Suprintendent. | 1 | General Central Service, Class III Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 350—20—450—25—475. | Selection. | Not applicable. | Not applicable |

*posts in the Kandla Free Trade Zone*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit wil apply in case of promotion | Period of probation, if any | Method of recruitment Whether by direct recruitment or deputation by transfer % age of the vacancies to be filled in by various methods | In case of the recruitment by promotion tranfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its Composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Not applicable. | By deputation | Deputation of suitable officers of corresponding grades in the Customs and Central Excise Departments (p eriod of deputation 3—5 years). | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | Not applicable. | By deputation | Deputation of suitable officers of corresponding grades in the Customs & Central Excise Deptts. (period of deputation 3-5 years). | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years | By promotion. | 1. Head Clerk Class III.<br>2. Accountant.<br>3. P.A. to Development Commissioner.<br>possessing a Bachelors Degree qualification and with experience of three years as Head Clerk and/or Accountant | D.P.C. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Accountant | 1 | General Central Service, Class III Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 180—10 —290—EB— 15—380—EB— 15—440. | Selection. | Not applicable. | Not applicable. |
| 5. | Head-Clerk | 1 | General Central Service, Class III Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 210—10 —290—15— 320—EB— 15—425. | Selection. | Does not arise. | Does not arise. |
| 6. | P.A. to Development Commissioner. | 1 | General Central Service, Class III. Non-gazetted Ministerial. | Rs. 210—10 —290—15— 320—EB— 15—425. | Selection. | Not exceeding 25 years. | 1. Matriculation or equivalent.<br>2. Previous experience of stenography for at least 2 years in a Government [or Semi Government or Privaye firm.<br>3. Speed of typewriting at 40 words per minute and stenography speed at 120 words per minute. |
| 7. | Fire Superintendent. | 1 | General Central Service, Class III Non-gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 250—10 —290—15— 380. | Not applicable. | 18 to 25 years. | *Essential:*<br>1. Matriculation or equivalent.<br>2. Certificate of Junior Officers' Course from National Fire Service College.<br>3. The candidate should possess the physical standard as mentioned below:<br>(*a*) Height 5'-5"<br>(*b*) Chest Minimum 33"<br>(*c*) Chest expanded 35"<br>(*d*) Weight minimum 110 lbs.<br>Preferential 3 years' practical experience in an organised fire service. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years. | By promotion, failing which by deputation. | Promotion from Class III Upper Division Clerks with a minimum service of 5 (five) years in the grade. Deputation of Upper Division Clerks from the Indian Audit Deptt. with minimum of 5 (five) years service in the grade. (period of Deputation 3-5 years). | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years. | By promotion. | Promotion from the Upper Division Clerks with minimum five years service in the Grade. Stenographers having adequate experience of working as Upper Division Clerks. | Class III D.P.C. | Not applicable |
| Age : No, Qualification : Yes. | 2 years. | By promotion, failing which by direct recruitment | Promotion from Stenographer's post with 3 years' service in the grade and possessing qualifications mentioned in column 8. | Calss III D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years. | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Preventive Officer Gr. II. | 7 | General Central Service, Class III Non-gazetted Non-Ministerial | Rs. 150—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| 9. | Upper Division Clerk. | 5 | General Central Service, Class III Non-gazetted Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. | Not applicable | Not applicable |
| 10. | Stenographer | 2 | General Central Service, Class III Non-gazetted Ministerial | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. | 18-24 years. | Matriculation certificate or equivalent Speed 100 words per minute in shorts hand and 40 words per minute in typing. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | By deputation. | Deputation of suitable officers of corresponding grades in the Customs and Central Excise Departments. (period of deputation 3-5 years). | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years. | 50% by promotion; 25% by limited competitive examination confind to Lower Division Clerks; 25% by deputation. | Promotion from Lower Division Clerks with 3 years service in the grade. Deputation from Upper Division Clerks or Lower Division Clerks with three years experience in accounts and establishment matters from other Central Government offices. (period of deputation normally 3-5 years). | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years. | By direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Lower Division Clerk. | 4 | General Central Service Class III Non-gazetted Ministerial | Rs. 100-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicable | Not exceeding 21 years. | 1. Matriculation or equivalent qualifications ;<br>2. Minimum speed of 30 words per minute in typewriting, provided :<br>(a) that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting ;<br>(b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condtion that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. |
| 12 | Caretaker | 1 | General Central Service Class III Non-gazetted Ministerial. | Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicable | Not exceeding 25 years. | Matriculation Certificate or equivalent. |
| 13 | Fire Jeep Driver. | 1 | General Central Service Class III Non-gazetted Ministerial. | Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155. | Not applicable. | 21 to 30 years. | *Essential.*<br>1. Should possess L.M.V. licence.<br>2. 2 years experience as driver (preferably in Government Deptt. with some fire fighting experience.<br>3. Middle School Pass. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | 90% by direct recruitment ;<br>10% from among the Class IV employees borne on regular establishment of the Kandla Free Trade Zone subject to the following conditions ;<br>(a) Selection shall be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum qualification, *viz.*, Matriculation, or equivalent ;<br>(b) The maximum age for this Examination shall be 40 years (45 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes candiates) Provided that for the first two examination to be conducted under the scheme, the upper age limit shall be 45 years (50 years for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes, candiSates) ;<br>(c) At least 5 years service in Class IV shall be essential ;<br>(d) The maximum number of candidates appointed by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of lower Division Clerks accruing in the year ; Unfilled vacancies shall not be carried forward. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years. | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Staff Car Driver | 1 | General Central Service Class II Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 110-3-131-4-139. | Not applicable | 23 to 30 years. | Possession of valid driving licence for motor cars, knowledge of motor machines and experience of driving a motor car for at least five years. *Desirable* : A pass in 8th standard. |
| 15 | Fireman Jamadar. | 1 | General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 110-3-131. | Not applicable. | 18 to 30 years. | *Essential* : 1. With alteast 10 years' expereicnce as Fireman. 2. A certificate of training from National Fire Service College etc. |
| 16 | Jamadar | 4 | General Central Service Class IV Non-Gazetted | Rs. 75-1-85-EB-2-95. | Not applicable. | Not apcable | Not applicable. |
| 17 | Daftry | 1 | General Central Service Class IV Non-gazetted. | Rs. 75-1-85-EB-2-95. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| 18 | Security Guard. | 4 | General Central Service Class IV Non-Gazetted. | Rs. 75-1-85-2-89. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| 19 | Sepoy | 42 | General Central Service Class IV Non-gazetted. | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable. | Not exceeding 25 years | Primary School Certificate. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years. | By transfer falling which by direct recruitment. | On the result of the test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of staff cars from amongst the regular Class IV employees of the K.F.T.Z. possessing qualification mentioned in Column 8. | Not applicable. | Not applicable. |
| Yes. | 2 years. | By promotion failing which by direct recruitment. | Fireman with 10 years' experience in the grade. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years. | By promotion failing which by transfer on deputation. | Promotion from Security Guards Sepoys, and Peons withthree years' service in the grade. Transfer on deputation of suitable persons of similar or equivalent grades in other Central Govt. Deptts. (period of deputation 3-5 years.) | Class IV D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years. | By promotion. | Peon with 3 years service in the grade. | Class IV D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years | By promotion. | Promotion from Sepoys and Peons with three years' service in the grade. | Class IV D.P.C. | Not applicable. |
| Not applicable | 2 years. | Direct recruitment | Not applicable. | Class IV D.P.C. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fireman | 4 | General Central Service Class IV Non-gazetted. | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable. | 18 to 25 years. | 1. Should be able to read and write regional language and preferably Hindi.<br>2. Familiarity with Fire Fighting equipment and procedure. Persons possessing a certificate of training from N.F.S., Nagpur will be preferred.<br>3(a) The candidate should possess the physical standard as mentioned below :<br>(*i*) Height without shoes 5'. 5".<br>(*ii*) Chest minimum 33"<br>(*iii*) Weight minimum 110 lbs.<br>(b) The candidate should also pass the following physical and fitness test :<br>(*i*) Running a distance of 100 yards with a weight of 10 m stones in one minute.<br>(*ii*) Lifting the hook ladder from horizontal to vertical position by 3rd and 6th round from the heel.<br>(*iii*) Climbing a rope or a vertical pipe to a height of 8 to 10 feet.<br>(*iv*) Any other suitable test. |
| 21 | Peon | 4 | General Central Service Class IV. | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable. | 18 to 25 years | Middle School Standard Pass. |
| 22 | Chowkidar | 2 | General Central Service Class IV | Rs. 70-1-80-EB-1-86. | Not applicable. | 18 to 25 years | *Desirable* : Primary School Pass. |
| 23 | Farash | 1 | General Central Service Class IV | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable. | 18 to 25 years. | *Desirable* : Primary School Pass. |
| 24 | Sweeper | 2 | General Central Service Class IV | Rs. 70-1-80-EB-1-85 | Not applicable | 18 to 25 years | *Desirable* : Primary School Pass. |
| 25 | Mali | 1 | General Central Service Class IV | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable. | 18 to 25 years. | *Essential* : Should possess knowledge of the work of Mali/Gardner.<br>*Desirable* : Primary School Pass. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years. | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

[No. F. 1/12/67-Transport.

T. K. SARANGAN,
*Director*.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1971

**सा० का० नि० 740**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेश व्यापार मंत्रालय के अधीन कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन में अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—ये नियम कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, विदेश व्यापार मंत्रालय (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 **लागू होना** —ये नियम उससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3 **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्गों के किसी व्यक्ति की दशा में सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी/पति जीवित हो,

(ख) जिसकी एक पत्नी/पति जीवित रहते हुए उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा विवाह उक्त व्यक्ति पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और इस नियम के प्रवर्तन में छूट देने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों, की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनु

कांडला निर्बंध व्यापार क्षेत्र में अराजपत्रित

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | पद सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. परीक्षक | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III अराजपत्रित, अननुसचिवीय | रु० 210—10—290—15—320—द०रो०—425—द०रो०—15—485 | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नही होता |
| 2. निवारक अधिकारी वर्ग। | 3 | वही | वही | वही | वही | वही |
| 3. कार्यालय अधीक्षक | 1 | वही | 350—20—450—25—475 रू० | चयन | वही | वही |

सूची

पदों के लिए भर्ती नियम

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियक्ति/स्थानान्तरण किया जायगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | लागू नही होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा | सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागो में समरूपी श्रेणी उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष तक) | लागू नही होता | लागू नहीं होता |
| वही | वही | प्रतिनियुक्ति द्वारा | वही | वही | वही |
| वही | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा | 1. प्रधान लिपिक वर्ग III<br>2. लेखाकार<br>3. विकास आयुक्त का निजी सहायक स्नातक डिग्री अर्हता युक्त हो तथा प्रधान लिपिक और/अथवा लेखाकार के रूप में तीन वर्ष का अनुभव हो । | विभागीय प्रोन्नति समिति | वही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. लेखाकार | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 180–10–290–द०रो० 15–380–द०रो०–15–440 रु० | चयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 5. मुख्य लिपिक | 1 | वही | रु० 210–10–290–15–320–द०रो०–15–425 | चयन | प्रश्न नहीं उठता | प्रश्न नहीं उठता |
| 6. विकास आयुक्त का निजी सहायक | 1 | वही | वही | चयन | 25 वर्ष से अधिक न हो। | 1. मैट्रिक अथवा समकक्ष<br>2. सरकारी / अथवा अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी फर्म में कम से कम 2 वर्ष का आशुलिपि का पूर्व अनुभव।<br>3. टंकण गति 40 शब्द प्रति मिनट तथा आशु लिपिगति 120 शब्द प्रति मिनट हो। |
| 7. अग्नि अधीक्षक | 1 | वही | रु० 250–10–290–15–380 | लागू नही होता | 18 से 25 वर्ष | आवश्यक :—<br>1. मैट्रिक अथवा समकक्ष।<br>2. नैशनल फायर सर्विस कालिज से कनिष्ठ अधिकारी के पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र।<br>3. अभ्यर्थी का शारीरिक स्तर निम्नांकित प्रकार होना चाहिए :—<br>(क) ऊंचाई—5'5"<br>(ख) छाती—न्यूनतम 33" |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके संभव न होने पर प्रति-नियुक्ति द्वारा | उच्च श्रेणी लिपिकों से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 (पांच) वर्ष सेवा कर ली है। भारतीय लेखा परिक्षा तथा लेखा विभाग से उच्च श्रेणी लिपिकों की प्रतिनियुक्ति जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 (पाँच) वर्ष सेवा कर ली हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष तक) | श्रेणी III विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| वही] | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा] | उच्च लिपिकों से प्रोन्नति जिनकी इस वर्ग में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो] (क) आशुलिपिकों जिनका उच्च श्रेणी के रूप में पर्याप्त अनुभव हो। | श्रेणी III विभागीय प्रोन्नति समिति | [वही] |
| आयु—नहीं," अर्हता—नही। | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा और इसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा। | आशुलिपिकों के पद से प्रोन्नति जिनका इस वर्ग में सेवाकाल 3 वर्ष का हो, [ और स्तम्भ 7 में उल्लिखित] अर्हताएं रखते हों। | श्रेणी III विभागीय प्रोन्नति समिति | वही] |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नही होता | वही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (ग) छाती फुलाकर 35" (घ) वजन न्यूनतम 110 पौंड संगठित अग्नि सेवा में 3 वर्षीय क्रियात्मक अनुभव वाले को वरीयता। |
| 8. निवारक अधिकारी वर्ग 2 | 7 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III अराजपत्रित अननुसचिवीय | रु० 150–5 –160–8– –200–द० रो–8–256 –द०रो०–8 –280–10– –300। | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |
| 9. उच्च श्रेणी लिपिक | 5 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय | रु० 130– 5–160–8– 200–द०रो० –8–256– –द०रो०–8 –280–10– 300 | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता। |
| 10. आशु-लिपिक | 2 | वही | रु० 130–5 –160–8– 200–द०रो० –8–256– द०रो०–8– 280–10– 300 | लागू नही होना | 18–24 वर्ष | मैट्रिक अथवा समतुल्य, आशुलिपि में गति 100 शब्द प्रति मिनट तथा टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति द्वारा | सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभागों में तत्स्थानी वर्गों के उपयुक्त अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष) | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत; निम्न श्रेणी लिपिकों तक सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 25 प्रतिशत।<br>प्रतिनियुक्ति द्वारा 25 प्रतिशत। | प्रोन्नति उन निम्न श्रेणी लिपिकों से जिनकी इस वर्ग में 3 वर्ष की सेवा हो।<br>प्रतिनियुक्ति उन उच्च श्रेणी-लिपिकों अथवा निम्न श्रेणी लिपिकों से जिनका अन्य केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों का लेखा तथा व्यवस्था मामलों में तीन वर्ष का अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष) | श्रेणी III विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा। | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. निम्न श्रेणी लिपिक | 4 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय | रु० 110–3 लागू नहीं –131–4– होता 155–द०रो० –4–175– 5–180 | | 21 वर्ष से अधिक नहीं | 1. मैट्रिक अथवा समतुल्य अर्हताएं ।<br>2. टंकण में न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट ।<br>(क) यदि एक व्यक्ति के पास टंकण में उपर्युक्त अर्हताएं न हों तो उसे इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि वह इस वर्ग के वेतनमान में वृद्धि अथवा स्थायित्ववत्ता अथवा पुष्टि के लिए तब तक पात्र नहीं माना जायेगा जब तक कि वह टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त नहीं कर लेता ।<br>(ख) यदि एक व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है एवं अन्यथा लिपिक पद के लिए योग्य है परन्तु टंकण में उपर्युक्त योग्यता नही रखता है तब उसे इस शर्त पर नियुक्त किया जा सकता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशिष्ट रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड अथवा जहां पर ऐसा बोर्ड न हो, वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उक्त विकलांग व्यक्ति टंकण कार्य के लिए योग्य नहीं है । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा —90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा तथा 10 प्रतिशत कांडला निर्बाध क्षेत्र की नियमित व्यवस्था के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से निम्नोक्त शर्तों पर रखे जायेंगे<br>(क) वरण ऐसे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में से विभागीय परीक्षा द्वारा किया जायेगा जो इस प्रयोजन हेतु न्यूनतम अर्हताएं अर्थात् मैट्रिक अथवा समतुल्य अर्हताए रखते होंगे।<br>(ख) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45 वर्ष)। इस योजना के अन्तर्गत पहली दो परीक्षाओं के लिए उच्च आयु सीमा 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष)।<br>(ग) चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी।<br>(घ) इस पद्धति द्वारा उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या, वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में रिक्त स्थानों के 10 प्रतिशत तक होगी। बिना भरे रिक्त स्थान आगे नहीं ले जाये जायेंगे। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. अग्निक्षक | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अनमानवीय | रु० 110–3 –131–4– 155–द०रो– 4–175–5– 180 | लागू नहीं होता | 25 वर्ष से अधिक नहीं | मैट्रिक प्रमाण पत्र अथवा समतुल्य । |
| 13. अग्नि-शमन जीप ड्राइवर | 1 | वही | रु० 110–3 –131–4– 143–द०रो० –4–155 | लागू नहीं होता | 21 से 30 वर्ष | अनिवार्य<br>1. एल० एम० वी० लाइसेंस होना चाहिए ।<br>2. अग्निशमन के अनुभव सहित ड्राईवर क रूप में 2 वर्ष का अनुभव (यदि सरकारी विभाग में हो तो प्राथमिकता दी जायेगी ।)<br>3. मिडिल स्कूल पास । |
| 14. स्टाफ कार ड्राइवर | 1 | वही | रु० 110–3 –131–4– 139 | लागू नहीं होता | 23 से 30 वर्ष | मोटर कार चलाने का वैध लाइसेंस, मोटर मशीनों का ज्ञान तथा मोटर कार चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो ।<br>वांछनीय—8वीं कक्षा पास । |
| 15 फायर–मैन जमादार | 1 | वही | रु० 110–3–131 | लागू नहीं होता | 18 से 30 व | अनिवार्य<br>1.फायरमैन के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ।<br>2. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज आदि से प्रमाण पत्र |
| 16 जमादार | 4 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 अराजपत्रित | रु० 75–1– 85–द०रो– 2–95 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 17. दफतरी | 1 | ,, | वही | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |
| 18. सुरक्षा गार्ड | 4 | ,, | वही | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | अन्तरण द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | कालम 7 में उल्लिखित अर्हता रखने वाले का० मु० व्या० क्षेत्र के श्रेणी 4 के नियमित कर्मचारियों में से स्टाफ कारों के ड्राइवरों के निमित योग्यता के जिन मानकों को आवश्यक समझा जाता है उन के संदर्भ में पद के लिये उपयुक्त व्यक्ति चुनने के वास्ते निर्धारित ड्राइविंग की परीक्षा के परिणाम पर। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| हां | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | स ग्रेड में 10 वर्ष का अनु व रखने वाला फायरमैन। | श्रेणी 3 विभागीय पदोन्नति समिति। | लागू नहीं होता। |
| लागू नहीं होता। | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा | इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले सुरक्षा गार्डों सिपाहियों तथा चपरासियों में से पदोन्नति द्वारा। अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों में उसी अथवा उसके समकक्ष ग्रेडों के उपयुक्त व्यक्तियों का प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा (प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 से 5 वर्ष) | श्रेणी 4 विभागीय पदोन्नति समिति। | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा | इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाला चपरासी। | श्रेणी 4 विभागीय पदोन्नति समिति। | लागू नहीं होता। |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा | इस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा का अनुभव रखनें वालें सिपाहियों तथा चपरासियों में से पदोन्नति करके। | श्रेणी 4 विभागीय पदोन्नति समिति। | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. सिपाही | 42 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 अराजपत्रित | 70–1–80–लागू नहीं द०रो०–1– 85 रु० | होता | 25 वर्ष से अधिक नहीं | प्राइमरी स्कूल प्रमाणपत्र |
| 20. फायर मैन | 4 | ,, | वही | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष | 1. प्रादेशिक भाषाएं, विशेषत: हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।<br>2. अग्निशमन उपकरणों तथा क्रिया–विधि का ज्ञान / राष्ट्रीय अग्निशमन स्कूल नागपुर से प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।<br>3(क) आवेदक का शारीरिक मान निम्न प्रकार होना चाहिये।<br>1. ऊंचाई बिना जूतों के 5′–5″<br>2. छाती, न्यूनतम 33″<br>3. वजन न्यूनतम 110 पौंड।<br>3. (ख) आवेदक को निम्नलिखित शारीरिक तथा दुरुस्ती परीक्षा उतीर्ण करनी चाहिये।<br>1. एक मिनट मे 10 मे० स्टोन वजन के साथ 100 गज दूरी की दौड़। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता । | श्रेणी 4 विभागीय पदोन्नति समिति । | लागू नहीं होता । |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2. तीसरे तथा छठे च मे ड़ी से ग्राडी तथा खडी स्थितियों मे क–लेडर उठाना ।<br>3. 8 से 10 फुट की ऊचाई तक किसी रस्सी ग्रथवा खड़े पा प के उपर चढ़ना<br>4. ग्रन्य कोई भी उप-युक्त परीक्षा । |
| 21. चपरासी | 4 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 | 70–1–80–लागू नही द०रो०–1– 85 रु० | होता | 18 से 25 वर्ष | माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण |
| 22 चौकी दार | 2 | ,, | 70-1–80– लागू नही द०रो० 1 85 रु० | होता | 18 से 25 वर्ष | वांछनीय प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण |
| 23 खराश | 1 | ,, | 70–1–80– लागू नही द०रो०–1– 85 रु० | होता | 18 से 25 वर्ष | वांछनीय प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण |
| 24 मैहतर | 2 | ,, | 70–1–80– लागू नही द०रो०–1– 85 रु० | होता | 18 से 25 वर्ष | वांछनीय प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण । |
| 25 माली | 1 | ,, | 70–1–80– लाग नही द०रो1–85– होना रु० | | 18 से 25 वर्ष | अनिवार्य – माली / बागवानी का ज्ञान होना चाहिये ।<br>वाछनीय<br>प्राथमिक कक्षा उत्तीर्ण |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होना | लागू नही होना | लागू नही होता । |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होना | लागू नही होना | लागू नही होता |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होना | लागू नही होना | लागू नही होता |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होना | लागू नही होना | लागू नही होता |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होना | लागू नही होना | लागू नही होता |

[स एफ 1/12/67 पर्सिवहन]

टी० के०सारगन निदेशक ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 8, 1972/पौष 18, 1893
No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 8, 1972/PAUSA 18, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### CABINET SECRETARIAT
### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 23rd December* 1971

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961 namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 10th December, 1966

2. In schedule I to the Indian Statistical Service Rules, 1961 under the heading "GRADE IV ASSISTANT DIRECTOR," in item 1, in sub-item (ii), for the entries in column 4, 5 and 6, the following entries shall be substituted, namely:—

| 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|
| "I | — | 1" |

[No. F. 1/20/70-Estt.(E).]

K. V. MAHALINGAM, Under Secy.

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 27th December* 1971

G.S.R. 76.—In pursuance of the provisions of rule 24 of, and sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Fifth Schedule to, the Central Secretariat Stenographers' Service Rules, 1969, the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination) Regulations 1971, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination) (Second Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 9th October, 1971

2. In the Central Secretariat Stenographers' Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination) Regulations 1971, after clause (c) of sub-regulation (1) of regulation 4, the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE. Grade III Stenographers appointed at the initial constitution of the Service, who have passed in the School's qualifying test conduc-

ed for the purpose of confirmation or continuance in Grade III on the date of notification of the examination, or have not been exempted from passing such a test specifically and who have been allowed extension of time limit to qualify in the School's qualifying test may be allowed to appear in the first examination to be held in 1972, provisionally However, only such persons as qualify in the School's qualifying test for Grade III to be held in July 1972 or earlier, or become eligible for exemption prior to July, 1972 would become finally ehgible for the examination"

[No 8/36/71 CS-II]

*Explanatory Memorandum*

The provision regarding the unqualified Stenographers is proposed to be given effect from 9th October, 1971 since the rules for the Grade II Limited Departmental Competitive Examination were published in the Gazette on 9th October, 1971 It has therefore become necessary to give retrospective effect to the above amendments to the parent regulations The interests of no one will, however, be prejudicially affected by the retrospective effect given to the above notification

M K VASUDEVAN Under Secy

---

## मंत्रिमंडल सचिवालय

### (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1971

**सा० का०नि० 76**—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 24 और पांचवीं अनुसूची । पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (2) के उपबन्धों के अनुसरण में, मंत्रिमण्डल सचिवालय का कार्मिक विभाग, एतद् द्वारा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के (ग्रेड -II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1971 में, संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है यथा —

1 (1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड–II सीमित विभागीय नियोगता परीक्षा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये विनियम 9 अक्तूबर, 1971 से लागू समझे जाएंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड–II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1971 में, नियम 4 के उप-विनियम (1) को धारा (ग) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ दिया जाएगा, अर्थात —

"टिप्पणी सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किए गए ग्रेड–III के आशुलिपिक जिन्होंने परीक्षा की अधिसूचना जारी होने की तिथि को स्थायीकरण या ग्रेड–III में अविरामता के लिए ली जाने वाली स्कूल की अर्हक परीक्षा पास न की हो, या जिन्हें इस प्रकार की परीक्षा पास करने से विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो, और जिन्हें स्कूल की अर्हक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिये कालावधि में बढ़ोतरी दी गयी है उन्हें अन्तिम रूप से सर्वप्रथम 1972 में ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति दी जा सकती है । तथापि, केवल ऐसे व्यक्ति हो जो जुलाई, 1972 में या उससे पूर्व ग्रेड के लिए ली जाने वाली स्कूल की अर्हक परीक्षा पास कर लें या जुलाई 1972 से पूर्व छूट के लिए पात्र हो जाये अन्तिम रूप से परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे ।"

[सं० 8/36/71-के० से० (II)]

### व्याख्यात्मक ज्ञापन

अनर्ह आशुलिपिकों के सम्बन्ध में की गई व्यवस्था को 9 अक्तूबर, 1971 से लागू करने का प्रस्ताव है क्योंकि ग्रेड II सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियमों 9 अक्तूबर 1971 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । अतः मूल विनियमों में उपर्युक्त संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । तथापि उपर्युक्त अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभावन से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue and Insurance)

*New Delhi, the 8th January 1972*

**G S R 77**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Department Non-Gazetted Ministerial Posts Recruitment Rules, 1969, namely —

1 (1) These rules may be called the Income-tax Department Non-gazetted Ministerial Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Income-tax Department Non-gazetted Ministerial posts Recruitment Rules, 1969, in the entries against the post of "Staff Car Driver," for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely —

"On the result of a test in driving, designed to adjudge suitability for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of Staff Cars, from amongst Notice Servers (Class III) and Class IV employees of the Department possessing the qualifications specified in Column 7"

[No F 69/70/71-Ad VII]

M M. SETHI, Dy Secy

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1972

**सा०का०नि० 77.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर विभाग अराजपत्रित अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम आयकर विभाग अराजपत्रित अनुसचिवीय पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर विभाग अराजपत्रित अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में, "स्टाफ कार चालक" के पद के सामने की प्रविष्टियों में स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"चालन की ऐसी परीक्षा, जो स्टाफकारों के ड्राइवरों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले क्षमता स्तरों के प्रति निर्देश से इस पद के लिए उपयुक्तता निर्णीत करने के लिए परिकल्पित है, के परिणाम के आधार पर विभाग की सूचना तामील करने वाले (वर्ग III) और वर्ग IV के कर्मचारियों में से, जिनके पास स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं ।"

[फा० सं० 69/70/71-प्रशा०]

एम० एम० सेठी, उप सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

*CORRIGENDUM*

CUSTOMS

*New Delhi, the 8th January 1972*

**G.S.R. 78.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 93-Customs, dated the 13th November, 1971, for "a shop, in a bazaar or other premises, known to the public," read "a shop in a bazaar or other premises known to the public."

[No. 2-Cus/F. No. 491/10/71-Cus.VI]

P. K. KAPOOR, Under Secy

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**शुद्धि पत्र**

**सीमा-शुल्क**

नई दिल्ली, 8 जनवरी 1972

**सा० का० नि० 78.**—भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की दिनांक 13 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या 93-सीमा शुल्क में—"किसी दुकान पर बाजार या अन्य परिसर में" इन शब्दों के स्थान पर "किसी बाजार अथवा अन्य परिसर में स्थित दुकान" ये शब्द पढ़े जाएं ।

[सं० 2-सीमा शुल्क/फा० सं० 491/10/71 सीमा शुल्क-5]

पी० के० कपूर, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CUSTOMES

*New Delhi, the 8th January 1972*

**G.S.R. 79.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts prototypes of engineering goods, when imported into India as samples for executing, or for use in connection with securing, export orders, from the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and also from the additional duty leviable under section 2A of the latter mentioned Act, subject to the following conditions,—

(i) the importer produces a certificate from the Export Promotion Council concerned with the particular Export or the Trade Development Authority to the effect that the samples are required for executing, or for use in connection with securing, export orders;

(ii) where the value of a sample exceeds one thousand rupees, the same shall be re-exported out of India within six months of import or such extended period as may be allowed by the Assistant Collector of Customs (or if the importer does not wish to so re-export, the duty leviable thereon shall be paid):

Provided that the Assistant Collector of Customs shall, unless he is satisfied that the samples are required for executing, or for use in connection with securing, export orders and have in fact been so used, and where the value of sample exceeds one thousand rupees, to re-export the sample within the prescribed period, and, on failure of either, to pay on demand an amount equal to the duty which would have been, but for this exemption, leviable on the samples.

[No. 9/F. No. 5/114/70-Cus.I.]

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**सीमा-शुल्क**

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 79.**—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, निर्यात आर्डरों को निष्पादित करने या उनके सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिए इंजीनियरिंग माल के मूल रूपों को, जब उनका नमूने के तौर पर

भारत में आयात किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और पश्चात्-वर्णित अधिनियम की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए एतद्द्वारा छूट देती है:—

(i) आयातकर्ता विशिष्ट निर्यात से सम्बन्धित निर्यात प्रोन्नति परिषद् या व्यापार विकास प्राधिकारी से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र कि निर्यात आर्डरों का निष्पादन करने या सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिए नमूने अपेक्षित है, प्रस्तुत करता है,

(ii) जहां नमूने का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक हो वहां वह आयात से छह मास के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो सीमा शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा अनुज्ञात की जाए भारत के बाहर पुनः निर्यात किया जाएगा (या यदि आयात-कर्ता इस प्रकार पुनः निर्यात करना नहीं चाहता, तो उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क का संदाय किया जाएगा) :

परन्तु सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर, जब तक उनका यह समाधान न हो गया हो कि नमूने निर्यात आर्डरों को निष्पादित करने या सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिए अपेक्षित है, आयातकर्ता से ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम में ऐसी प्रतिभू सहित जो सीमा शुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यह समाधानप्रद साक्ष्य विहित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिये जिम्मा लेते हुए कि प्रश्नगत-नमूने आर्डरों के निष्पादन के लिए या उनके सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में उपयोग के लिए है और तथ्यतः इस प्रकार उपयोग में लाए गए हैं और जहां नमूने का मूल्य एक हजार रुपए से अधिक हो, विहित अवधि के भीतर नमूने का पुनः निर्यात करने के लिए और दोनों में से किसी एक के असफल होने पर, मांग पर, नमूनों पर उद्ग्रहणीय, यदि यह छूट प्राप्त न होती, शुल्क के बराबर रकम के संदाय के लिए बन्धपत्र के निष्पादन की अपेक्षा करेगा।

[स० 9/फा० सं० 5/114/70-सी० शु०-I]

---

**G.S.R. 80.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts commercial samples, brought into India as personal baggage by *bona fide* commercial travellers and businessmen or imported into India by post or by air, from the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) and also from the additional duty leviable under section 2A of the latter mentioned Act, subject to the following conditions:—

(i) the importer declares at the time of importation that the samples have been imported solely for the purpose of being shown in India for the guidance of exporters and produces in support thereof a certificate from one of the Export Promotion Councils or Commodity Boards or the Jute Commissioner or in the case of foreign businessman, a certificate signed by the First Secretary (Commercial) in the Indian Missions abroad, as the case may be.

(ii) the samples are supplied free of cost, but the concession being available even if freight and insurance charges are to be borne by the importers,

(iii) not more than 6 units of samples, each unit of a f.o.b. value not exceeding one hundred rupees are imported within a period of six months.

(iv) the samples are rendered useless as merchandise by marking, tearing, perforation, or other process and where this is not possible they are re-exported within a period of six months of import or such extended period as may be allowed by the Assistant Collector of Customs.

Provided that the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself to pay on demand in respect of such samples as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 10/F. No. 5/114/70-Cus.I.]

**सा० का० नि० 80**—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वास्तविक वाणिज्य-यात्रियों और व्यवसायियों द्वारा स्वीय यात्री-सामान के रूप में भारत में लाए गए या डाक द्वारा या वायु मार्ग द्वारा भारत में आयात किए गए वाणिज्यिक नमूनों को उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क से, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और पश्चात्वर्णित अधिनियम की धारा 2-क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क से भी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, एतद्द्वारा छूट देती है:—

(i) आयात करते समय आयातकर्ता घोषित करता है कि भारत में निर्यातकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिए दिखाने के एक मात्र प्रयोजन के लिए नमूनों का आयात किया गया है और उसके समर्थन में, यथास्थिति, निर्यात प्रोन्नति परिषदों या वस्तु बोर्डों या जूट आयुक्त में से किसी एक से प्रमाणपत्र या विदेशी व्यवसायी की दशा में, विदेश में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव (वाणिज्य) से हस्ताक्षरित, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है।

(ii) नमूने निःशुल्क प्रदाय किए गए है, किन्तु ढुलाई और बीमा प्रभार आयातकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने पर भी रियायत उपलब्ध होगी।

(iii) छह मास की अवधि के भीतर, नमूनों के छह यूनिटों से अनधिक, प्रत्येक यूनिट का पोत तक निःशुल्क मूल्य एक सौ रुपए से अनधिक हो, आयात किए गए हैं।

(4) नमूने चिन्हित करके, फाड़ के, छेद कर के या अन्य प्रक्रिया द्वारा वाणिज्य के रूप में अनुपयोगी कर दिए गए है और जहां यह सम्भव न हो, वहां वे आयात से छह मास की या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर द्वारा अनुज्ञात की जाए, पुनःनियति किए गए है :

परन्तु आयातकर्ता, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रकम के लिए, जो सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर द्वारा विहित की जाए, बन्ध-पत्र के निष्पादन द्वारा, मांग पर ऐसे नमूनों के बारे में, जो सीमा-शुल्क सहायक कलेक्टर के समाधानप्रद रूप मे पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उपयोग मे लाए गए हैं यह साबित नही किया गया है, ऐसे परिमाण पर उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि इसमें अन्तर्विष्टी छूट न दी जाती, और आयात के समस्त पहले ही सदत्त रकम के बीच के अन्तर के बराबर रकम के सदाय के लिए अपने को बाध्य करेगा ।

[सं० 10 फा० सं० 5/114/70-सी०शु०-I]

G.S.R. 81.—In exercise of the power conferred by sections 24 and 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the 'Denatured Spirit (Ascertaining and Determining) Rules, 1957, published with notification No. 140-Customs, dated the 6th July, 1957 of the Government of India, Ministry of Finance (Late Department of Revenue); the Central Government hereby makes the following rules for causing imported spirit and spirit contents of imported spirituous preparations to be denatured at the request of the importer:

1. **Short title**.—These rules may be called the "Denaturation of Spirit Rules, 1972".

2. **Application by importer or agent.** An importer or his agent (hereinafter referred to as the Applicant) shall make a request in writing to the proper officer of Customs for the denaturation of imported spirit or preparation containing spirit.

3. **Applicant to provide the ingredients for denaturation.** The applicant shall provide all the ingredients (denaturants) of the quality as specified by the proper officer of Customs and in sufficient quantities for the denaturation.

4. **Denaturation under Customs Supervision.**—All operations of denaturation shall be carried out by the applicant under the supervision of an officer of Customs at such place as may be approved by the proper officer of Customs.

5. **Drawal of samples for test.**—After denaturation, arrangements shall be made by the applicant for drawal of samples from each cask or vessel for test in a customs laboratory. The samples drawn shall be in adequate quantities to permit more than one test, in case such a contingency arises.

6. **Test of samples.**—Each sample drawn after denaturation shall be tested in a Customs laboratory to determine whether denaturation has been properly done. The result of such tests shall be made available to the applicant.

7. **Re-denaturation.**—Should any one of the samples on test be reported to be not properly denatured, the applicant may make a request for redenaturation and the proper officer of Customs may, having regard to the reasons for which the request is made and all other circumstances of the case, allow the same. Provided that the said officer shall not refuse to allow such request without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard in the matter.

8. **Appeal for Re-test.**—Where a re-test of the sample is desired by the applicant and a request is made in that behalf within fifteen days of the date of receipt by the applicant of the results of the initial test, the Collector of Customs may having regard to the reasons for which the request is made and all other circumstances of the case, allow such re-test to be conducted by the Chief Chemist, Central Revenues Control Laboratory. Provided that the Collector shall not refuse to allow such re-test without giving the applicant a reasonable opportunity of being heard in the matter.

9. **Fees for test and re-test.**—For test and re-test of samples, fees at the following rates shall be paid by the applicant:—

(a) Rupees twenty-five for test of each sample.

(b) Rupees fifty for re-test of each sample.

10. **Other charges to be paid by the applicant.**—The applicant shall pay supervision charges and all other expenses in connection with the denaturations of spirit, drawal and despatch of sample for test and re-test where necessary, and other incidental charges connected therewith.

11. **Disposal of Remnants.**—Un-consumed samples, if no more required, shall be returned to the applicant.

[No 7/F. No. 24/3/68-Cus.(TU).]

सा० का० नि० 81.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 24 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (भूतपूर्व राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 140-सीमा-शुल्क, तारीख 6 जुलाई, 1957 के साथ प्रकाशित, 'विकृत स्पिरिट' (अभिनिश्चित करना और अवधारण करना) नियम, 1957 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आयातित स्पिरिट और आयातित स्पिरिटमय निर्मितियों की स्पिरिट अन्तर्वस्तु को आयातकर्ता के अनुरोध पर विकृत बनवाने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है :

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का नाम "स्पिरिट-विकृतिकरण नियम, 1972" होगा ।

2. **आयातकर्ता या अभिकर्ता द्वारा आवेदन.**— कोई आयातकर्ता या उसका अभिकर्ता (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) सीमा-शुल्क के उचित अधिकारी को आयातित स्पिरिट या स्पिरिटयुक्त निर्मिति के विकृतिकरण के लिए लिखित आवेदन करेगा ।

3. **आवेदक द्वारा विकृतिकरण के लिए संघटकों की व्यवस्था करना.**—आवेदक सीमा-शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट विकृतिकरण के लिए क्वालिटी के सभी संघटकों (विकृतिकारकों) की व्यवस्था पर्याप्त परिमाणों में करेगा ।

4. **सीमा-शुल्क के पर्यवेक्षण के अधीन विकृतिकरण.**—विकृतिकरण की सभी सक्रियाएं, आवेदक द्वारा, सीमा-शुल्क के अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, ऐसे स्थान पर जो सीमा-शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए, क्रियान्वित की जाएंगी ।

5. **परख के लिए नमूनों का निकाला जाना.**— विकृतिकरण के पश्चात् आवेदक द्वारा, सीमा-शुल्क प्रयोगशाला मे परख के लिए प्रत्येक पीपे या पात्र से नमूनों को निकालने के लिए इन्तजाम किए जाएगे । निकाले गए नमूने यदि ऐसी आकस्मिकता उद्भूत हो एक से अधिक परख करने के लिए पर्याप्त मात्रा मे होंगे ।

6. **नमूनों की परख.**—विकृतिकरण के पश्चात् निकाले गए प्रत्येक नमूनो की परख सीमा-शुल्क प्रयोगशाला मे यह अवधारित करने के लिए की जाएगी कि क्या विकृतिकरण उचित रूप से किया गया है । ऐसी परखों का परिणाम आवेदक को उपलभ्य किया जाएगा ।

7 **पुनःविकृतिकरण.**—यदि उस परख पर नमूनो मे से किसी एक के बारे मे यह कहा जाए कि उसे उचित रूप से विकृत नही किया गया है तो आवेदक पुन विकृतिकरण के लिए अनुरोध कर सकेगा और सीमा-शुल्क का उचित अधिकारी उन कारणो को जिनके लिए अनुरोध किया गया है और मामले की सभी अन्य परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए, उसे मजूर कर सकेगा, परन्तु उक्त अधिकारी, आवेदक को मामले मे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना, ऐसे अनुरोध को मजूर करने से इकार नही करेगा ।

8. **पुनःपरख के लिए अपील.**—जहा आवेदक द्वारा नमूने की पुन परख की वाछा की गई है और आवेदक द्वारा प्रारम्भिक परख के परिणामो की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर इस निमित्त अनुरोध किया गया है वहा, सीमा-शुल्क कलक्टर, उन कारणों को, जिनके लिए अनुरोध किया गया है, और मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हुए, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला के मुख्य रसायनज्ञ द्वारा ऐसी पुनःपरख सचालित किए जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, परन्तु कलक्टर आवेदक को मामले मे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ऐसी पुन परख को मजूर करने से इकार नही करेगा ।

9. **परख और पुनःपरख के लिए फीस.**—नमूनों की परख या पुन परख के लिए आवेदक द्वारा निम्नलिखित दरों पर फीस सदत्त की जाएगी —

(क) प्रत्येक नमूने की परख के लिए पच्चीस रुपए ।

(ख) प्रत्येक नमूने की पुनःपरख के लिए पचास रुपए ।

10. **आवेदक द्वारा अन्य प्रभारों का दिया जाना.**—आवेदक, पर्यवेक्षण प्रभारों और स्पिरिट के विकृतिकरणों, परख और पुनःपरख, जहां आवश्यक हो, के लिए नमूने के निकालने और भेजने से सबंधित सभी अन्य व्ययों और उससे सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक प्रभारों का सदाय करेगा ।

11. **अवशेषों का व्ययन.**— उपभोग न किए गए नमूने, यदि और नही अपेक्षित हो, तो आवेदक को वापस किए जाएगे ।

[स० 7/फा स० 24/3/68(टी० यू०)]

---

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts greeting cards and calendars imported by the United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) from the whole of the duty of customs leviable thereon under Item No 45(1) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934)

[No 3/F. No 355/31/71-Cus 1]

J DATTA, Dy Secy

**सा० का० नि० 82.**—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित मे ऐसा करना आवश्यक है, यूनाइटेड नैशनस इंटरनैशनल चिलड्रन एमरजेन्सी फड (यूनीसेफ) द्वारा आयातित ग्रीटिंग कार्डों और केलेण्डरों को भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सख्या 45(क) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

[स० 3/फा० स० 355/31/71-सी शुल्क 1]

ज्योतिमंय दत्त, उप सचिव ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 27th December 1971*

**G.S.R. 83.**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955, namely:—

1 These rules may be called the Central Reserve Police Force (Seventh Amendment) Rules, 1971.

2 They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

3 In the Central Reserve Police Force Rules, 1955, for para 2 of Appendix 'D' (relating to scales of pay and allowances of retired/released army officers re-employed in the Central Reserve Police Force), the following para shall be substituted, namely:—

"2 **Retired released army officers re-employed in the Central Reserve Police Force.**

| Designation Post | Pay Scale |
|---|---|
| 1 Commandant in a battalion or equivaleut posts in training institutions. | Rs. 820—40—1100—50/2 1250 plus special pay of Rs. 100/- p.m. and compensatory allowance of Rs. 100/- p.m. |
| 2. Assistant Commandant in battalion or equivalent posts in training institutions. | Rs. 820—40—1100—50/2 1250 plus compensatory allowance of Rs. 50/- p.m. |
| 3. Company Commander/Quarter Master in a battalion or equivalent posts in training institutions. | Rs. 325—25—600—35—670—EB—35—950 plus special pay of Rs. 150/- p.m. |

**Fixation of pay.**

(a) The pay of re-employed members of the force shall be fixed in the above scales in accordance with the Ministry of Finance Office Memorandum No. 8(34)-E/III-57 dated the 25th November, 1958, as amended from time to time In fixing the pay in the above scales. the benefit of ignoring the first Rs. 50 of pension shall be allowed in accordance with the provisions of the Ministry of Finance Office Memorandum No. 7(34)-Est.III/62. dated the 16th January, 1964.

(b) Special pay attached to various posts shall be treated as part of the scales and shall be taken into account in fixing the pay, provided that the compensatory allowance shall be allowed in addition to the pay fixed in the above scales.

(c) Those members of the Force who are already re-employed in the Central Reserve Police Force shall be given the option to continue in the present pay scales or to come over to the new scales and have their pay re-fixed as above, provided that the option shall be exercised within 6 months of the issue of these orders and the option once exercised shall be final.

(d) Members of the Force re-employed after the issue of these orders shall have their pay fixed only in the new scales prescribed in these rules.

(e) Pending cases shall also be decided in accordance with the provisions of sub-para (d) above".

[No. R. 9/1/GPA I.]

PREM PARKASH, Under Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर 1971

**जी० एस० आर० 83**—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सातवां संशोधन) नियम, 1971 होगा।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में परिशिष्ट "घ" के पैरा 2 (जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियोजित सेवा निवृत्त/निर्मुक्त सेना अफसरों के वेतन-मान और भत्तों से संबंधित है) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियोजित सेवा निवृत्त/निर्मुक्त सेना—अफसर—

| पदाभिधान | वेतन-मान |
|---|---|
| 1. किसी बटालियन में कमान्डेन्ट या प्रशिक्षण संस्थाओं में समतुल्य पद। | 820—40—1100—50/2—1250 रु० साथ ही 100 रु० प्रतिमास विशेष वेतन और 100 रु० प्रतिमास प्रतिकारात्मक भत्ता। |
| 2. किसी बटालियन में सहायक कमान्डेन्ट या प्रशिक्षण सस्थाओं में समतुल्य पद। | 820—40—1100—50/2—1250 रु० साथ ही 50 रु० प्रतिमास प्रतिकारात्मक भत्ता। |
| 3. किसी बटालियन मे कम्पनी कमान्डर/क्वाटर मास्टर या प्रशिक्षण संस्थाओं में समतुल्य पद। | 325—25—600—36—670—ई० रो०—35—950 रु० साथ ही 150 रु० प्रतिमास विशेष वेतन। |

**वेतन का नियतन**

(क) बल के पुनर्नियोजित सदस्यों का वेतन, समय समय पर यथासंशोधित वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(34) ई—3—57, तारीख 25 नवम्बर, 1958 के अनुसार उपरोक्त वेतनमानों में नियत किया जाएगा। उपरोक्त वेतनमानों में वेतन नियत करने में, पेंशन के प्रथम 50 रुपए छोड़ देने की सुविधा वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(34)-स्था० 31[illegible], तारीख 16 जनवरी, 1964 के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञात की जाएगी।

(ख) विभिन्न पदों से संलग्न विशेष वेतन, वेतनमानों का भाग समझा जाएगा और वह वेतन नियत करने में हिसाब में लिया जाएगा, परन्तु प्रतिकारात्मक भत्ता उपरोक्त वेतन-मानों में नियत वेतन के अतिरिक्त अनुज्ञात किया जाएगा।

(ग) बल के उप सदस्यों को जो पहले से ही केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल में पुनर्नियोजित हैं, वर्तमान वेतन-मानों मे बने रहने के लिए या नए वेतन-मानों में आने के लिए विकल्प दिया जाएगा और वे अपना वेतन उपरोक्त रीति मे नियत करा सकगे, परन्तु विकल्प इन आदेशों के जारी करने के छह मास के भीतर प्रयुक्त किया जाएगा और एक बार प्रयुक्त किया गया विकल्प अंतिम होगा

(घ) इन आदेशों के जारी करने के पश्चात् पुनर्नियोजित किए गए बल के सदस्यों को अपना वेतन इन नियमों मे विहित नए वेतन-मानों में ही नियत कराना होगा।

(ङ) लम्बित मामलों का विनिश्चय भी उपरोक्त उप-पैरा (घ) के उपबन्धो के अनुसार किया जाएगा।

[स० आर० 9/1/जी०पी०ए० 1.]

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव।

---

ORDER

*New Delhi, the 3rd January* 1972

**G.S.R. 84.**—In exercise of the powers conferred by sub-section 1) of section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by rule 52 of the Defence of India Rules, 1971, shall, in so far as photography at Civil Aerodromes is concerned, be also exercised and discharged by the officers mentioned below, namely:—

1. The Director General of Civil Aviation.
2. The Deputy Director General of Civil Aviation
3. The Director, Regulations and Information.

[No. 28/8/71-Poll.II.]

B. K. GOSWAMI, Dy. Secy.

---

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

*New Delhi, the 21st October* 1971

**G.S.R. 85.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Contitution the President hereby makes the following rules further to amend the Press Information Bureau Regional and Branch offices Class III (Non-gazetted) Recruitment rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called he Press Information Bureau Regional and Branch Offices Class III (Non-gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Press Information Bureau Regional and Branch offices Class III (Non-Gazetted) Recruitment Rule, 1968:—

(a) against item 9, in column 11 after the words, figures and brackets "Clerks Grade II (Indian Language)" the words, brakets and abbreviations "and Calligraphist (Jr)" shall be inserted;

(b) against items 12 and 12(a) in column 10, in sub-paragraph (b)—

(i) for the words "forty five years" the words "fifty years" shall respectively be substituted;

(ii) for the words "forty years" the words "forty five years" shall respectively be substituted;

(c) against item 15, in column 1, for the words 16 Scooter Driver" the words "Scooter/Motor Cycle Driver" shall be substituted.

[No. F 5/8/67-Estt.(Part 2)P. S. K.(U.S.I.)]

J. SANYAL, Under Secy

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय**

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 1971

**जी० एस० आर०** 85.—संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को जो अधिकार प्राप्त है उनके अनुसार राष्ट्रपति ने पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय के तृतीय के (अराजपत्रित) कर्मचारियो की भर्ती के नियमो मे निम्नलिखित संशोधन किए है :—

1. (1) इन नियमों को पत्र सूचना कार्यालय के क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती (सशोधन) नियम, 1971 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे छपने की तिथि से लागू हो जाएंगे।

2. पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1968 की सूची मे—

(क) मद संख्या 9 के कालम संख्या 11 मे "अनुमोदित सेवा वाले ग्रेड 2 (भारतीय भाषा के)" शब्द संख्या और कोष्ठ के बाद कैलीग्राफिस्ट (जूनियर) शब्द कोष्ठक और शब्द-संक्षेप जोडे जाएंगे।

(ख) मद संख्या 12 और 12 (अ) में, कालम सख्या 10 (ब) के सामने—

(i) शब्द "पैंतालीस वर्ष" के स्थान शब्द "पचास वर्ष"

(ii) शब्द "चालीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैतालीस वर्ष" कर लिया जाए।

(ग) मद संख्या 15 में कालम संख्या 1 में स्कूटर ड्राइवर शब्द के स्थान पर शब्द स्कूटर/मोटर साईकिल ड्राइवर कर लिया जाए।

[संख्या एफ० 5/8/67-एस्टे (भाग 2) प०सू०का० (यू एस आई)]

जे० सान्याल, उप-सचिव।

*New Delhi, the 17th December 1971*

**G.S.R. 86**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate of Advertising & Visual Publicity (Class I posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising & Visual Publicity (Class I posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 In the Schedule to the Directorate of Advertising & Visual Publicity (Class I posts) Recruitment Rules, 1971 after Serial Number 9, the following number and entries relating thereto shall be inserted, namely.—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Deputy Director (Printed Publicity) | 1 | General Central Service Class I (Gazetted) | Rs. 1100—50—1400. | Selection | 45 years (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(*i*) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 10 years' experience in a responsible supervisory capacity in a printing press or Production Department of an advertising agency or publicity firm or Government Organisation.<br>(*iii*) Practical experience of quality printing and production and work relating to layout, photography and art work.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>(*i*) Diploma in Printing Technology.<br>(*ii*) Knowledge of Hindi. | No | 2 years | By Promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion:*<br>Production Managers with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Chief Exhibition Officer | 1 | General Central Service Class I (Gazetted) | Rs. 1100—50—1400. | Not applicable. | 45 years (Relaxable for Government servants) | *Essential:*<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent.<br>*OR*<br>Degree Diploma in Art of a recognised University or equivalent.<br>(ii) Good knowledge of display methods and experience of designing or organising exhibitions.<br>(iii) About 8 years' experience of publicity and public relations work, including writing of themes for exhibitions etc.<br>(iv) About 4 years' administrative experience in a responsible capacity.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable:*<br>Knowledge of more than one Indian language. | Not applicable. | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F.A. 12018/1/71-Es/. I/DS(D)]

S. PADMANABHAM, Dy. Secy.

THE GAZETTE OF INDIA: JANUARY 8, 1972/PAUSA 18, 1893

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 86.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य निदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 हो

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य-प्रचार निदेशालय (वर्ग 1 पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम संख्या 9 के पश्चात्, निम्नलिखित संख्या और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :—

अनुसूची

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | उपनिदेशक (मुद्रित प्रचार) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1, (राजपत्रित) | 1,100—50—1,400 रुपये | चयन | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकेगी) | **आवश्यक :**<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य।<br>(2) किसी मुद्रणालय या किसी विज्ञापन अभिकरण या प्रचार-फर्म या सरकारी संगठन के उत्पादन विभाग में किसी उत्तरदायित्व पूर्ण पर्यवेक्षण-हैसियत में लगभग 10 वर्ष का अनुभव।<br>(3) उत्तम मुद्रण और उत्पादन कार्य का तथा ले आउट, फोटो-चित्रण तथा कलाकार्य से सम्बद्ध कार्य का व्यावहारिक अनुभव)।<br>(अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)<br>**वांछनीय :**<br>(1) मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा।<br>(2) हिन्दी का ज्ञान। |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **प्रोन्नति :** | | |
| हो | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | (1) ऐसे उत्पादन प्रबन्धक, जिन्होंने इस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | मुख्य प्रदर्शनी अधिकारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1, राजपत्रित । | 1 100-50— 1,400 रुपये | लागू नहीं होता | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकेगी) | **आवश्यक :**<br>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य ।<br>या<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से कला मे उपाधि/ डिप्लोमा या समतुल्य ।<br>2. सप्रदर्शन की पद्धतियो का पर्याप्त ज्ञान तथा प्रदर्शनियो के डिजायनिग या सचालन का अनुभव ।<br>3. प्रचार तथा जन सम्पर्क कार्य का लगभग 8 वर्ष का अनुभव जिसमे प्रदर्शनियों आदि के लिये विषयवस्तु लिखने का अनुभव भी सम्मिलित है ।<br>4. किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत मे चार वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो । (अर्हताये, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे अ योग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी)<br>**वांछनीय :**<br>एक से अधिक भारतीय भाषाओ का ज्ञान । |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होता | लागू नही होता | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० फा० ए 12018/1/71 स्थापना I/डी एम(I)]

एस पद्मनाभन उप सचिव ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
### (Department of Legal Affairs)

*New Delhi, the 23rd December 1971*

G.S.R. 87.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. S.R.O. 351 dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of Civil jurisdiction by or against the Central Government, namely:—

In the Schedule to the said notification, under the heading "XIII—MINISTRY OF IRRIGATION&POWER", after the sub-heading "Ganga Discharge Circle", and the entries relating thereto, the following, shall be inserted namely:—

"*Bhakra Management Board*

Member (Power)

Member (Irrigation)

Secretary

Superintending Engineer, Bhakra Dam Circle

Superintending Engineer, System Operation.

*Beas Construction Board*

General Manager, Beas Project

Chief Engineer, Beas Dam

Chief Engineer, Beas Sutlej Link Project

Chief Engineer, Electrical, Beas Project

Financial Adviser and Chief Accounts Officer; Beas Project

Superintending Engineer, Administration and Accounts; Beas Project

Superintending Engineer, Administration and Accounts, Beas Sutlej Link Project

Chief Purchase Officer; Beas Project

Secretary, Beas Construction Board."

[No. F.16(1)/70-J.]

S. K. BAHADUR,
Deputy Legal Adviser.

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 87.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध लाए गए वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उनका सत्यापन करने से संबंधित, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 351, तारीख 25 जनवरी 1958 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "13-सिंचाई और विद्युत मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, उपशीर्षक "गंगा निस्सरण सर्कल" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड :

सदस्य (विद्युत)

सदस्य (सिंचाई)

सचिव,

अधीक्षक इंजीनियर, भाखड़ा बांध सर्कल ;

अधीक्षक इंजीनियर तंत्र प्रचालन ।

व्यास सन्निर्माण बोर्ड :

महाप्रबन्धक व्यास परियोजना ;

मुख्य इंजीनियर व्यास बांध ;

मुख्य इंजीनियर व्यास सतलज लिंक परियोजना ।

मुख्य इंजीनियर विद्युत, व्यास परियोजना ;

वित्त-सलाहकार और मुख्य लेखा-अधिकारी व्यास परियोजन ;

अधीक्षक इंजीनियर प्रशासन और लेखा व्यास परियोजना ;

अधीक्षक इंजीनियर प्रशासन और लेखा व्यास सतलज लिंक परियोजना ;

मुख्य क्रय-अधिकारी व्यास परियोजना ;

सचिव व्यास सन्निर्माण बोर्ड ।"

[सं० फा० 16 (1) /70-न्या०]

एस० के० बहादुर,
उप विधि-सलाहकार ।

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION
### (Department of Labour and Employment)

*New Delhi, the 28th December 1971*

G.S.R. 88.—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act 1952 (19 of 1952), the Central Board with the approval of the Central Government hereby makes the following regulation further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations 1962 published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 691 dated the 10th May, 1962, namely:—

1. These Regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) (Amendment) Regulations, 1971.

2. In the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations 1962,—

In the Third Schedule.

(a) against S. No. 8 in the second column, for the entries "75" per cent and "25" per cent the following entries "50" per cent and "50" per cent shall respectively be substituted;

(b) against S. No. 9 in the third column,—

(i) for the words beginning with "Promotion of Class IV employees" and ending with "the examination is held" the following words, figures and letters shall be substituted, namely:—

"Promotion of class IV employees serving in the respective offices on the result of a competitive examination in General English, Arithmetic and the Manuals on the working of the Act and the Scheme, restricted to Class IV employees who possess the qualifications prescribed for the post of Lower Division Clerk and have completed 2 years' service in the Organisation on the 1st day of January of the year in which the examination is held

Provided that class IV employees not possessing the qualifications referred to above shall also be entitled to promotion through the said examination if they have completed five years' service",

(ii) for the words "Provided that if any" the words "Provided further that if any" shall be substituted.

[No. A-11019(165)/71-PF I]

DALJIT SINGH, Under Secy

## श्रम और पनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर 1971

सा० का० नि० 88.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5ध की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962, जो भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 691 तारीख 10 मई, 1962 के साथ प्रकाशित किए गए थे, मे और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात —

1. इन नियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 1971 कहा जा सकेगा।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 मे,

तृतीय अनुसूची मे —

(क) दूसरे स्तम्भ मे क्रम संख्या 8 के सामने "75 प्रतिशत" और "25 प्रतिशत" प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश निम्नलिखित प्रविष्टियां "50 प्रतिशत" और "50 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायगी।

(ख) तीसरे स्तम्भ मे क्रम संख्या 9 के सामने —

(i) "वर्ग 4" के कर्मचारियों की प्रोन्नति मे आरम्भ होने वाले और "परीक्षा ली गई है" से समाप्त होने वाले शब्दो के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"सम्बन्धित कार्यालयों मे काम कर रहे वर्ग 4 के कर्मचारियों की साधारण अंग्रेजी, गणित और अधिनियम और रकीम के क्रियान्वयन पर पुस्तिकाओं मे प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर, जो उन वर्ग 4 के कर्मचारियो तक सीमित होगी जिनके पास निम्न श्रेणी लिपिक पद के लिए विहित अर्हताएं हो और जिन्होंने परीक्षा के लिए जाने वाले वर्ष के पहली जनवरी को संगठन मे दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति —

परन्तु यह कि उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अर्हताएं न रखने वाले वर्ग 4 के वे कर्मचारी भी उक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा प्रोन्नति के पात्र होंगे यदि उन्होंने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।"

(ii) "परन्तु यदि कोई" शब्दो के स्थान पर "परन्तु यह और कि यदि कोई" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[स० ए–11019 (165)/71-पी० एफ–1]

दलजीत सिंह, अवर सचिव।

---

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 21st December 1971*

NOTIFICATION

**G.S.R. 89.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the notification of the Government of India in the Planning Commission No GSR 1742, dated the 28th October, 1966, published at pages 2027-2029 of Part II-Section 3-Sub-Section (i) of the Gazette of India, dated the 19th November, 1966, since the recruitment rules for the post of Joint Director (Health) were also published in the notification of the Government of India in the Planning Commission No. GSR 1828, dated the 12th October, 1966, at pages 2134-2137 of Part II-Section 3-Sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 3rd December, 1966.

[No F. 4(26)/66-ADM I.]

N. K. AGGARWAL, Under Secy

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 89.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 19 नवम्बर,

1966 के पृष्ठ 2227–2229 पर प्रकाशित भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1742, तारीख 28 अक्तूबर, 1966 एतद्द्वारा विखंडित करते हुए जैसा कि संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य) पद पर भर्ती के नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 3 दिसम्बर, 1966 के पृष्ठ 2134–2137 पर भारत सरकार के योजना आयोग की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1828, तारीख 12 अक्तूबर, 1966 में पहले भी प्रकाशित किए जा चुके थे ।

[सं० फा० एफ–4(26)/66-ए० डी० एम०–1]

एन० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

### (Transport Wing)

*New Delhi, the 28th December 1971*

G.S.R. 90.—Whereas certain draft amendments to the Harbour Craft Rules for the Port of Madras, 1935, were published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at page 3143 of the Gazette of India—Part II—Section 3 sub-section (i) dated the 7th August, 1971 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. G S R 1148, dated the 6th July, 1971 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 16th August, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on or about the 7th August, 1971;

And, whereas no objections or suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Harbour Craft Rules for the Port of Madras, 1935 namely:—

*Amendment*

1 These rules may be called the Harbour Craft Rules for the Port of Madras (Amendment) Rules, 1971

2 In rule 27 of the Harbour Craft Rules for the Port of Madras, 1935 for the words "other than harbour craft propelled by mechanical power" the words "of all kinds" shall be substituted.

[F. No 13-PG(7)/71.]

## नौवाहन और परिवहन मंत्रालय

### (परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 90.—यतः भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित मद्रास पत्तन के लिये बन्दरगाह जलयान निगम 1935 के कुछ प्रारूप संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3(ii) तारीख 7 अगस्त, 1971 के पृष्ठ 3143 पर भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1148, तारीख 6 जुलाई, 1971 के अन्तर्गत उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव 16 अगस्त, 1971 तक आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था ;

और यतः उक्त राजपत्र 7 अगस्त, 1971 को या उसके करीब जनता को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप के बारे में जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास पत्तन के लिये बन्दरगाह जलयान नियम, 1935 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

संशोधन

1–ये नियम मद्रास पत्तन के लिये बन्दरगाह जलयान (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

2–मद्रास पत्तन के लिये बन्दरगाह जलयान नियम, 1935 के नियम 27 में, मशीनी शक्ति द्वारा नौदित्त बन्दरगाह जलयान से भिन्न शब्दों के स्थान पर "सभी प्रकार के" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० फा० 13–पी०जी० (7)/171]

के० ल० गुप्ता, अवर सचिव ।

---

### (Transport Wing)

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 29th December 1971*

G.S.R. 91. In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport, No. G.S.R. 931, dated the 27th May, 1971, relating to the Visakhapatnam Harbour Craft (Amendment) Rules, 1971, published at pages 2394 to 2396 in Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 12th June, 1971, at page 2395, in the tabular statement relating to fees for survey, etc., of boats, etc., in column "1: Service rendered", in item (ii), *for* "easy", *read* "each".

[No. 17-PG(2)/70.]

K. L. GUPTA, Under Secy.

---

### (Transport Wing)

MERCHANT SHIPPING

*New Delhi, the 29th December 1971*

G.S.R. 92.—In exercise of the powers conferred by section 460A of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following Order, namely.—

1. **Short title and commencement.**—(1) This order may be called the Merchant Shipping (Removal of Difficulties) Order, 1971.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 21st day of July, 1970.

**2. Extension of period of validity of certain international load-line certificates:**— Every International Load-line certificate issued or renewed under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) on or after the 21st day of July, 1968 and in force on the 20th day of July, 1970; shall, notwithstanding anything contained in sub-section (7) of section 317 of the said Act, continue to be in force for the period for which such certificate is issued or, as the case may be, renewed or until it ceases to be valid or cancelled under the provisions of the said Act.

*Explanatory Memorandum*

SUBJECT.—*Merchant Shipping (Removal of Difficulties) Order*, 1971.

The International Convention on Load Lines, 1966 came into force on the 21st July, 1968 The Convention, on balance, tends to liberalise the load line/free board requirements. In effect, it permits deeper loading of ships on larger parts of the globe in longer periods during a year than its predecessor Convention permitted. It was, therefore, considered desirable to ratify the Convention in time so that Indian Shipping could avail of the liberalised provisions of the Convention from the date of its entry into force Necessary action to this end was processed and completed by Government and the ratification of the Convention by India took effect on the 21st July, 1968, simultaneously with the entry into force of the convention

2. Legislative action for translation of the provisions of the Convention in our municipal law was also processed with the intention of suitably amending the Merchant Shipping Act, 1958, so that national legislation could come into force simultaneously with the commencement of our international obligation on entry into force of the Convention. The wording of sub-section (7) of Section 317 of the Act proposed in the Bill, therefore, provided for validation of existing load line certificates for the unexpired period of their validity or for a period of two years from the date of commencement, of that section whichever is shorter in accordance with the provisions of paragraph (4) of Article 16 of the said Convention This provision of our law would have been adequate and appropriate had the Merchant Shipping (Amendment) Bill been passed into Act and published in the Gazette on or before the 21st July, 1968 Due to some administrative difficulties, however the passing of the Bill in the Parliament was delayed and ultimately it was passed by the Parliament in May, 1970 and published in the Official Gazette on the 1st June, 1970.

3. One adverse effect of this delayed legislation was that it brought also load line certificates issued under the provisions of the International Convention on Load Lines 1966 after the 21st July, 1968 the date of entry into force of the Convention, but before the 1st June, 1970, the date of publication of the Merchant Shipping (Amendment) Act 1970 within the mischief of sub-section (7) of the said section 317 and restricted their validity for a maximum period of two years from the 21st July, 1968 i.e upto the 20th July 1970 This was far from the intention of the Convention

4 In the circumstances, with a view to avoiding adverse effect of application of sub-section (7) of the said section 317 to load lines certificates issued under the new Convention between 21st July 1968 and the 1st June 1970 the present order is issued under section 460A of the Merchant Shipping Act, 1958 [as amended by the Merchant Shipping (Amendment) Act, 1970], exempting such certificates from application of the provision of sub-section (7) of the said section 317 The intention of giving retrospective effect to this order is to save inconvenience to the Indian Shipping Industry which would otherwise have to obtain fresh load line certificates after the 21st July, 1970 although the existing certificates issued under the provisions of the International Convention on Load Lines, 1966 could remain valid for the unexpired period of their validity in accordance with the provisions of the said Convention.

[No. 42-MA(11)/70.]

A. R. BANERJEE, Under Secy.

## (परिवहन पक्ष)

### व्यापारिक नौवहन

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1971

**जी०एस०आर० 92.**—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 460 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इस आदेश का नाम व्यापार पोत (कठिनाइयां हटाना) आदेश, 1971 होगा ।

(2) यह जुलाई, 1970 के 21 वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

2. **कुछ अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा प्रमाणपत्रों की वैधता की अवधि में वृद्धि** :—व्यापार पोत अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अन्तर्गत जारी किये गये या नवीकृत प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय भार-रेखा प्रमाण पत्र जुलाई, 1968 के 21वें दिन को या उसके पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 317 की उपधारा (7) मे कुछ होने पर भी इस अवधि के लिये प्रवृत्त रहेगा जिसके लिये ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किये जाये या नवीकृत किये जाये जैसी भी स्थिति हो जब तक यह वैध न रहे या उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत न किया जाये ।

### व्याख्यात्मक ज्ञापन

विषय :—व्यापार पोत (कठिनाइयां हटाना) आदेश, 1971

अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966, 21 जुलाई, 1968 को प्रवृत्त हुआ । अभिसमय, संतुलन पर, भार रेखा / खुली जगह की आवश्यकताओं को उदार करने का दृष्टिकोण करता है । परिणामतः यह अपने पूर्वगामी अभिसमय की अनुमति देने की तुलना में वर्ष में दीर्घतर अवधियों में विश्व के बड़े भागों में जहाजों के गहन भार लदान की अनुमति देता है । अतएव यह वांछित समझा गया कि अभिसमय की समय पर पुष्टि की जाये ताकि भारतीय नौवहन अपने प्रवेश के लागू होने की तिथि से अभिसमय के उदार उपबन्धों का लाभ उठा सके । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही शुरू व पूरी की गई और अभिसमय के प्रवेश मे आने के साथ साथ ही भारत द्वारा अभिसमय की पुष्टि 21 जुलाई, 1968 को प्रभावी हुई ।

2. व्यापार पोत अधिनियम, 1958 को समुचित रूप में संशोधन करने के आशय से हमारी कंटरपालिका विधि में अभिसमय के उपबन्धों के अनुसार के लिये भी विधायी कार्यवाही की गई ताकि अभिसमय के प्रवेश में आने पर हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व के प्रारम्भ होने के साथ साथ ही राष्ट्रीय विधान भी लागू हो सके। उक्त अभिसमय के अनुच्छेद 16 के पैराग्राफ के उपबन्धों के अनुसार विधेयक में प्रस्तावित अधिनियम की धारा 317 की उपधारा 7 के शब्दों में अतएव उनकी वैधता की असमाप्त अवधि के लिये मौजदा भार रेखा प्रमाणपत्रों की वैधता या उक्त धारा के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये जो भी कम हो, की व्यवस्था थी।

यदि व्यापार पोत (संशोधन) विधेयक पारित हो जाता और 21 जुलाई, 1968 को या उससे पहले राजपत्र मे प्रकाशित हो जाता तो हमारी विधि का यह उपबन्ध पर्याप्त और समुचित होता। परन्तु कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण विधेयक के ससद् मे पारित होने मे विलम्ब हुआ और अन्ततः यह संसद में मई 1970 को पारित हुआ और 1 जून, 1970 को शासकीय राजपत्र मे प्रकाशित हुआ।

3 इस विलम्बित विधान का एक प्रतिकूल प्रभाव यह पडा कि यह इसे 21 जुलाई, 1968, अभिसमय के प्रवेश मे आने की तारीख के बाद परन्तु 1 जून, 1970 व्यापार पोत (सशोधन) अधिनियम, 1970 की प्रकाशन की तारीख से पहले अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किये गये भारत रेखा प्रमाणपत्र भी उक्त धारा 317 की उपधारा (7) की रिष्टि के अन्तर्गत ले आया और उनकी वैधता 21 जुलाई, 1968 से दो वर्ष की अधिकतम अवधि अर्थात् 20 जुलाई, 1970 तक सीमित हो गयी। यह अभिसमय का आशय नही था।

4. इन परिस्थितियों मे, 21 जुलाई, 1968 और 1 जून, 1970 के बीच नये अभिसमय के अन्तर्गत जारी किये गये भार रेखा प्रमाणपत्रो की उक्त धारा 317 उपधारा (7) के प्रवर्तन के प्रतिकूल प्रभार को टालने की दृष्टि से वर्तमान आदेश व्यापार पोत (सशोधन) अधिनियम, 1970 द्वारा यथा संशोधित व्यापार पोत अधिनियम, 1958 की धारा 460 ए के अन्तर्गत जारी किया गया है जिसमें उक्त धारा 317 की उपधारा (7) के उपबन्ध के प्रवर्तन से ऐसे प्रमाणपत्रों को छूट दी गई है। इस आदेश को भूतलक्षी प्रभाव देने का आशय इसलिये है कि भारतीय पोत उद्योग जिनका अन्यथा 21 जुलाई, 1970 के बाद नये भार रेखा प्रमाणपत्र प्राप्त करना है की असुविधा से बचाया जा सके यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय भार रेखा अभिसमय, 1966 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किये गये वर्तमान प्रमाणपत्र उक्त अधिसमय के उपबन्धों के अनुसार उनकी वैधता की असमाप्त अवधि के लिये बैध रह सकती है।

[सं० 42-एम०ए० (11)/70]

ए० आर० बनर्जी, अवर सचिव।

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 29th December 1971*

**G.S.R. 93.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Andaman Laccadive Harbour Works (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Andaman Laccadive Harbour Works (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Andaman Laccadive Harbour Works (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1969, in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) These rules may be called the Andaman Laccadive Harbour Works (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1970."

[No. ALHW/ADM/ESTT/1(18)/67.]

(परिवहन पक्ष)

पत्तन

नयी दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अडमान लकादीव बन्दरगाह सकर्म (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969 मे सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. (1) ये नियम अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती (सशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे।

2. अंडमान लकादीव बंदरगाह संकर्म (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1969 के नियम 1 मे, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) ये नियम अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (वर्ग 1 और वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।"

[सख्या ए एल एच डब्लू/ए डी एम/ ई एस टी टी /1(18)/67]

**G.S.R. 94.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Andaman Laccadive Harbour Works (Special Draftsman) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Andaman Laccadive Harbour Works (Special Draftsman) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Andaman Laccadive Harbour Works (Special Draftsman) Recruitment Rules, 1969, in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) These rules may be called the Andaman Laccadive Harbour Works (Special Draftsman) Recruitment Rules, 1970."

[No. ALHW/ADM/ESTT/1(3)/69.]

JASWANT SINGH, Under Secy.

**की० एस० आर० 94.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (विशेष नक्शा नवीस) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (विशेष नक्शा नवीस) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे ।

2. अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (विशेष नक्शा नवीस) भर्ती नियम, 1969 के नियम 1 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) ये नियम अंडमान लकादीव बन्दरगाह संकर्म (विशेष नक्शा नवीस) भर्ती नियम, 1970 कहे जा सकेंग ।"

[सं० ए एल एच डब्लू/ए डी एम/ई एस/टी टी/1(3)/69]

(जसवन्त सिह, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (Posts & Telegraphs Board)

*New Delhi, the 29th December 1971*

**G.S.R. 95.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Workshops Technical Assistant Recruitment Rules, 1966, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistant in the Telecom Factories Organisation of the Posts and Telegraphs Department, namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Factories Organisation (Technical Assistant) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto

3. **Number, classification and the scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age-limit prescribed in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled castes the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribe and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Technical Assistant | 96 | G.C.S. Class III Non-gazetted Non-Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—380. | Selection | 18—27 years. | *Essential,*<br>A diploma of 3 years course in Mechanical, Electrical, Metallurgical, Telecommunication or Chemical Engineering taken after Matriculation or equivalent Examination and approved by the Ministry of Education of the Government of India as equivalent to All India Certified Course of All India Council of Technical Education.<br>*Desirable:*<br>Practical Training in a Workshop (The practical training is exclusive of the training given as part of the Engineering Course. The training obtained subsequent to the final examination for the purpose of obtaining a diploma will, however, count towards this practical training). |

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any. | Method of recrt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which PSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No. | 2 yrs. | 50% by direct, recruitment, 50% by promotion, failing which by direct recruitment. | *Promotion:*—(1) Industrial workers of Telecom Factories in the skilled, highly skilled and skilled supervisory categories and other categories the minimum of whose scale of pay is Rs. 110.00 and the following categories of staff of the Telecom Factories Organisation :—<br>(2) Draftsman; (3) Tracer (4) Electrician: (5) Exchange Inspector; Grade II: (6) Planning Assistant; (7) Assistant Foreman (Ex-Bombay Telephone Company); (8) Motor Mechanic (Regular Establishment).<br><br>Candidates should satisfy the following conditions of eligibility for promotion :<br>(a) should have ordinarily passed Matriculation or its equivalent examination ;<br>(b) should have a minimum of five years continuous and satisfactory service in the grade or grades specified.<br>(c) should have passed the Departmental Merit-rating examination. | Class-III D.P.C. | Not applicable. |

[No. 2-6/71-TF]

C. S. SWAMINATHAN,
Assistant Director General (TF)

**संचार मंत्रालय**

**(डाकतार बोर्ड)**

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 95:**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक-तार वर्कशाप तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 1966 के अतिलंघन में राष्ट्रपति डाक-तार विभाग के दूर संचार कारखानों में तकनीकी सहायकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया को नियमित बनाने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **नाम तथा प्रारम्भ** :—(1) ये नियम दूर संचार कारखाना (तकनीकी सहायक) भर्ती नियम 1971 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **प्रचलन** :—ये नियम साथ वाली अनुसूची के कालम 1 में उल्लखित पदों के लिए प्रयुक्त होंगे ।

3. **संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की सख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिया गया है ।

4. **भर्ती की प्रक्रिया, आयु सीमा तथा अन्य योग्यतायें** :—भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यताओं तथा एतत् संबंधी अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में वर्णित हैं। बशर्ते कि उक्त अनुसूची के कालम 6 में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार ही दी जा सकती है ।

5. **अयोग्यतायें** :—कोई भी व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसा करने का करार किया हो

तो वह इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा । किन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि पर कि वह विवाह व्यक्ति कानून के अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति तथा दूसरी पार्टी के लिए स्वीकार्य हैं तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति** :—यदि केन्द्रीय सरकार के विचार में ऐसा करना अथवा समीचीन हो तो किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के बारे में इन नियमों के किन्ही प्रावधानों से आदेश द्वारा तथा इसके कारणों को लिखित रूप में लेखबद्ध करके छूट दे सकती है ।

7. **अपवाद** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे मे समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित दिये जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नही पड़ेगा ।

तकनीकी सहायक के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चुनाव पद अथवा गैर-चुनाव पद | सीधी भर्ती के लिए आयु | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं | सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र तथा शैक्षणिक योग्यताएं क्या पदोन्नति वाले मामले में भी लागू होंगी ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| तकनीकी सहायक। | 96 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग-III अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय । | रु० 210—10—290—15—320 द०रो०—15—380 | चुनाव | 18—27 वर्ष | आवश्यक . मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास करने के बाद यांत्रिक, विद्युत, धातु, दूर संचार अथवा रसायन इंजीनियरी में डिप्लोमा तीन वर्षीय | नही |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | पाठ्यक्रम जिसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अखिल भारतीय सार्टिफिकट कोर्स के समकक्ष स्वीकृत किया हो<br>वांछनीय :<br>—किसी कारखाने में प्रयोगिक प्रशिक्षण (यह प्रायोगिक प्रशिक्षण इंजीनियरी पाठ्यक्रम के दौरान मिले प्रशिक्षण के अलावा होगा किन्तु डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अन्तिम परीक्षा के बाद लिया गया प्रशिक्षण प्रायोगिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत गिना जाएगा | |

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती की प्रक्रिया सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / *स्थानान्तरण द्वारा तथा* विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का प्रतिशत। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के मामले में वह पद जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन कैसा है। | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के समय सं० लो०से०आ० से परामर्श किया हो। |
|---|---|---|---|---|

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| 2 वर्ष | 50 प्रतिशत सीधी भर्ती, 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिनकी पूर्ति न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **पदोन्नति**.—<br>(1) दूर संचार कारखानों के कुशल, अत्यधिक कुशल औद्योगिक कर्मचारी तथा कुशल पर्यवेक्षीय वर्ग और अन्य श्रेणियों के कारीगर जिनका निम्नतम वेतनमान 110 रु० हो तथा दूर संचार कारखानों संगठन के निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी:—<br>(2) ड्राफ्टमैन, (3) ट्रैसर, (4) अल्कैट्रीसियन, (5) एक्सचेंज निरीक्षक ग्रेड, II, (6) योजना सहायक, (7) सहायक फोरमैन (भूतपूर्व बंबई टलीफोन कम्पनी), (8) मोटर मिस्त्री नियमित (सिब्बंदी) उम्मीदवारों को पदोन्नति के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिएं :—<br>*(क) सामान्यतया मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास किया हो।*<br>(ख) उल्लिखित पद या पदों में कम से कम पांच साल की सन्तोषजनक लागातार सेवा हो।<br>(ग) विभागीय मैरिट रेटिंग परीक्षा पास कर ली हो। | श्रेणी III विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |

[सं० 2-6/71-टी एफ]

सी० एस० स्वामिनाथन, सहायक महानिदशक (टी एफ)।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 23rd December 1271.*

**G.S.R. 96.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Commissioner (Food Crops) in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture), namely:—

1. *Short title and commencement*:—(1) These rules may be called the Department of Agriculture, Joint Commissioner (Food Crops) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Application.*—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. *Number of the post, its classification and scale of pay*:—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. *Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.*—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the siad post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. *Disqualification* :—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment in the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. *Repeal and saving*:—The Department of Agriculture, Joint Commissioner (Food Crops) Recruitment Rules, 1968, are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection or Non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Joint Commissioner (Food Crops). | 1 | General Central Service Class I (Gazetted). | Rs. 1600-100-1800 | Not applicable | Not exceeding 45 yrs. (Relaxable for Government servants). | *Essential* :<br>(i) M.Sc. degree in Agriculture with specialisation in Agronomy/Plant Breeding and Genetics or Associateship of Indian Agricultural Research Institute or equivalent.<br>(ii) At least, 10 years experience in Agricultural development and Research in Food Crops, namely, cereals, pulses and millets with particular reference to High Yielding Varieties Programme in different States.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>(i) Doctorate based on work in Agronomy or Plant Breeding and Genetics.<br>(ii) Familiarity with developments problems relating to Food Crops in the country.<br>(iii) Administrative experience. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees. | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion deputation transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 yrs. | By transfer on deputation (including short term contract), failing which by direct recruitment. | *Transfer on deputation (including short term contract)*—<br>Officers holding Senior Class I posts in Agriculture /Agricultural Production Departments of Central/State Governments or officers holding posts of equivalent status in Agricultural Universities/Indian Council of Agricultural Research, with at least 10 years' experience in Agricultural Development and Research in Food Crops, of which 3 years should be in posts in the scale of Rs. 1300-1600 or equivalent or 5 years in posts in the scale of Rs. 1100-1400 or equivalent.<br>(Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 4 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958). |

[No. 11-7/66-Estt. V. (Vol. II]

S. N. SINHA, Under Secy.

## कृषि मंत्रालय

## (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 23, दिसम्बर, 1971

**जी० एस०आर० 98**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में संयुक्त (खाद्य फसलें) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम कृषि विभाग, संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसलें) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान**.—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण, और वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बंन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं.

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ;

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **निरसन और व्यावृत्ति**—कृषि विभाग, संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसलें) भर्ती नियम, 1968 एतद्द्वारा निरसित किए जाते है;

परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के तत्समय उपबन्धों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी ।

### अनुसूची

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताए | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नही |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| संयुक्त आयुक्त (खाद्य फसलें) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 1 (राजपत्रित) | 1600—100—1800 रुपए | लागू नहीं होता | 45 वर्ष से अधिक न होगी (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) | **आवश्यक** : (1) सस्य-विज्ञान/वनस्पति अभि जनन और आनुवांशिक विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ कृषि में एम०एस-सी० उपाधि या भारतीय कृषि अनुसंधान में उपसदस्यता या समतुल्य 1 | लागू नहीं होता. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (ii) खाद्य, फसलो, अर्थात् धान्य, दालें और ज्वार बाजरा, आदि में कृषि विकास और अनुसंधान का कम से कम दस वर्ष का अनुभव जिसमें विभिन्न राज्यों में अधिक पैदावार वाली किस्मों का कार्यक्रम विशेष रूप से सम्मिलित है । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की बाबत संघ लोक, सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी) । टिप्पणीय — (1) डाक्टर की उपाधि, जो सस्य-विज्ञान या वनस्पति अभिजनन और आनुवंशिक विज्ञान में किए गए कार्य पर आधारित हो । (2) देश में खाद्य फसलो से सम्बंधित विकास समस्याओ का सुपरिचय । (3) प्रशासनिक अनुभव । | |

| परिवीक्षा की अवधि यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या तिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धोतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| दो वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) ऐसे अधिकारी जो केन्द्रीय/राज्य सरकारो के कृषि/कृषि उत्पादन विभागों मे ज्येष्ठ वर्ग 1 पद धारण किए हुए है या ऐसे अधिकारी जो कृषि विश्वविद्यालयो/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में समतुल्य हैसियत के पद धारण किए हुए हैं, जिन्हें खाद्य फसलों में कृषि विकास और अनुसंधान का कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव 1300–1600 रु० वेतनमान के पदो में होना चाहिए या समतुल्य, या जिसमें से पाच वर्ष का अनुभव 1100–1400 रू० वेतनमान के पदों मे होना चाहिए या समतुल्य (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि-सामान्यत चार वर्ष से अधिक न होगी) । | लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[स० 11-7/66-स्थापना-5(जिल्द II) ]

मो० ना० सिन्हा, अवर सचिव ।

---

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 23rd December 1971*

**G.S.R. 97.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun (Ministerial Class III Posts) Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun (Ministerial Class III Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun (Ministerial Class III Posts) Recruitment Rules, 1961, against Serial Nos 3, 4, 7 and 8 relating respectively to the posts of Lower Division Clerk, Clerk-cum-Storekeeper, Stenographer (Junior), and Hindi Typist, in Column 12, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Not applicable"

[No. A-12011/8/71-EE III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली 23 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 97.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वन अनुसन्धान संस्थान और महा विद्यालय, देहरादून (अनुसचिवीय) वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1961 मे और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात –

(1) इन नियमों का नाम वन अनुसन्धान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून (अनुसचिवीय वर्ग 3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून (अनुसचिवीय वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1961 की अनुसूची मे, क्रमश: निम्न–श्रेणी–लिपिक, लिपिक-एव-अ.शुलिपिक, अ.शुलिपिक (कनिष्ठ) और हिन्दी टकक के पदों से संबंधित क्रम स० 3, 4, 7 और 8 के स.मने, स्तभं 12 मे, विद्यमान प्रविष्टियो के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

"लागू नहीं होता" ।

[सं० का० ए–12011/8/71-ई० ई०–III.]

रा० सुब्रह्मणियम, अवर सचिव

(Deparment of Food)

*New Delhi, the 27th December 1971—contd.*

**G. S. R. 98.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Non-gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Grain Storage Institute, Hapur (Non-gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Grain Storage Institute, Harpur (Non-gazetted Posts) Recruitment Rules, 1969, after the item and entries relating to the post of 'Junior Clerk', the following items and entries shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Asstt. Superintendent. | 6 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—370—EB—15—425 | Selection | Not applicable. | Not applicable | No. | Not applicable. | 50% by promotion and 50% by transfer on deputation. | *Promotion:* : From Senior Clerks and Store Keepers with 3 years service in the grade. *Transfer on deputation:* Of Upper Division Clerk with 3 years' service in the grades from other Central Governmet Offices. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Accountant . . | 4 | General Central Serivce, Class III. Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 | Selection | Not applicable. | Not applicable | No. | Not applicable | 50% by promotion and 50% by transfer on deputation. | *Promotion* : ' From Senior Clerks and Store Keepers with 3 years service in the grade. *Transfer on deputation:* Of Upper Division Clerks (B. Com)/ Upper Division Clerks who have successfully completed Cash and Accounts training imparte by Central Secretariat Training School. | Class III D.P.C. | Not applicable |
| Senior Stenographer. | 4 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425. | Not applicable. | 18—24 years | *Essential*: 1. Degree of a recognised University/ or its equivalent. 2. Shorthand speed 120 words per minute and 3. 40 words per minute speed in typing. | No. | 2 years | 100 % by promotion failing which by direct recruitment. | Promotion by selection from Stenographers in the scale of Rs. 130—300, with 3 years' service in the grade. | Class III D.P.C. | No applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stenographer . . | 4 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300 | Not applicable. | 18—24 years | *Essential* :<br>1. Matriculation or its equivalent.<br>2. Shorthand speed 100 words per minute, and<br>3. 40 words per minute speed in typing. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Senior Clerk . . | 4 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Non-Selection | Not applicable. | Not applicable | No. | Not applicable. | 50% by promotion and 50% by transfer on deputation. | *Promotion*:<br>From Junior Clerks withe 3 years service in the grade.<br>*Transfer on deputation*:<br>Of Lower Division with 3 years service in the grades from other Central Govrnment offices. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Store Keeper . . | 1 | General Central Service, Class III Non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300 | Non-Selection | 18—24 years | *Essential* :<br>Senior Cambridge/ Higher Secondary Certificate with at least 3 years experience of store keeping work in Government Department or in a Commercial Firm of repute. | No. | 2 years | 100% by promotion, failing which by direct recruitment. | Promotion from Junior Clerks with 3 years' service in the grade. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| Technical Asisstant . | 2 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 | Not applicable. | 18—24 years | *Essential*:—<br>Degree of a recognised University in Agriculture or a Degree with either Zoology or Bi-Chemistry as one of the subjects. | No. | 2 years | 50% by promotiom and 50% by direct recruitment. | Promotion by Selection from Fumigation Assistants 3 years service in the grade who have successfully completed training course conducted by the Director, Grain Storage Research and Training Centre, Hapur. | III Class D.P.C. | Not applicable |
| Analyser (Research Institute) . . | 2 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 | Not applicable. | 18—24 years. | *Essential* :<br>B.Sc. with Chemistry as one of the subjects.<br>*Desirable*:<br>3 years' experience of working in a Food Technology or Chemical Laboratory. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment | Not applicable | Class III D.P.C. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fumigation Assistant** | 2 | General Central Service, Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 150—5—175—6—205. | Not applicable | 18—24 years | *Essential*: Intermediate Science with Biology as one of the subjects or Intermediate Science in Agrculture. | No. | 2 years | 50% by promotion and 50% by direct recruitment. | Promotion from Laboratory Assistant with 3 years' service in the grade. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| **Laboratory Assistant** | 2 | General Central Service, Class III Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 110—4—150—EB—4—170—5—180—EB—5—200 | Not applicable. | 18—24 years | *Essential*: Intermediate Science with Biology as one of the subjects or Intermediate Science in Agriculture. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable |
| **Driver** . . | 9 | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—139. | Not applicable. | 30 years | *Essential*:— Possession of a valid licence for driving light and heavy vehicles, knowledge of motor mechanics and experience of driving light[ heavy vehicles for at least five years. *Desirable*: A pass in the 8th Standard. | No. | 2 years | 100% by direct recuitment. | Not applicable | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| **Peon** . . . | 6 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. | 18—25 years | Middle School Standard pass. | No. | 2 years | 100% by direct recritment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| **Watchman** . . | 8 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. | 18—25 years | *Desirable* : Primary School Standard Pass. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| **Sweeper** . . | 4 | General Central Service, Class IV. Non-Gazetted. | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable. | 18—25 years. | *Desirable*: Primary School Standard Pass. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| **Khalasi** . . . | 20 | General Central Service, Class IV, Non-Gazetted. | Rs. 75—1—85—EB—2—95. | Not applicable. | 18—15 years | Experience in workshop/powerhouse for 2 years. | No. | 2 years | 100% by direct recruitment. | Not applicable. | Class III D.P.C. | Not applicable. |

[No. A-12018/1/70-E. II.]

SHIV RAM, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1971

**सा०का०नि० 98.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय अनाज भंडारकरण संस्थान, हापुड़, (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं: अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय अनाज भंडारकरण संस्थान, हापुड़ (अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।
(2) ये राजपत्र में काशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय अनाज भंडारकरण संस्थान, हापुड़ (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1969 की अनुसूची में, 'कनिष्ठ लिपिक' के पद से संबंधित मद और प्रविष्ठियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात.—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "सहायक अधीक्षक | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय | 210–10–290–15–320–द० रो० 15–425 रु० | चयन | लागू नही होता | लागू नही होना | नही | लागू नही होना | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत तिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | **प्रोन्नति** ऐसे ज्येष्ठ लिपिको और भंडारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** अन्य केन्द्रीय सरकार कार्यलयों के ऐसे उच्च श्रेणी–लिपिक का, जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| लेखापाल | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 210–10–290–15–320–द०रो० 15–425 रु० | चयन | लागू नही होना | लागू नही होना | नही | लागू नही होता | पचास प्रतिशत प्रोन्नति ारा, और पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण ारा | **प्रोन्नति.** ऐसे ज्येष्ठ लिपिकों और भंडारियों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:** ? से उच्च श्रेणी लिपकों (बी०काम०/उच्च श्रेणी- | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समति | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | लिपि) का, जो केन्द्रीय सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा दिया गया रोकड़ और लेखा प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। | | |
| ज्येष्ठ आशुलिपिक | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 210–10–290–15–320–द०रो०–15–425 रु० | लागू नहीं होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक :<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या उसके समतुल्य।<br>2. आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट की गति, और<br>3. टंकण मे 40 शब्द प्रति मिनट की गति। | नहीं | दो वर्ष | शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | ऐसे आशुलिपिकों में से चयन द्वारा प्रोन्नति, जो 130–300 रु० वेतन-मान में हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| आशुलिपिक | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अनसचिवीय | 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द०रो०–8–280–10–300 रु० | लागू नहीं होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक :<br>1. अमैट्रिक उत्तीर्ण और उसके समतुल्य<br>2. आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति, और<br>3 टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। | नहीं | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज्येष्ठ लिपिक | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द० रो०–8–280 10–300 रु० | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | नहीं | लागू नहीं होता | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | **प्रोन्नति :** ऐसे कनिष्ठ लिपिकों में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो।<br><br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** केन्द्रीय सरकार कार्यालयों के ऐसे निम्न–श्रेणी लिपिकों का, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। | [वर्ग 3] विभागीय प्रोन्नति समिति | [लागू नहीं होता। |
| भंण्डारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द०रो०–8–280–10–300 रु० | अचयन | 18–24 वर्ष | **आवश्यक :** सीनियर केम्ब्रिज/ उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र, और सरकारी विभाग में या ख्याति प्राप्त वाणिज्यिक फर्म में भंण्डारी के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। | नहीं | दो वर्ष | शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | ऐसे कनिष्ठ लिपिकों में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| तकनीकी सहायक | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित अनुसचिवीय | 210–10–290–15–320–द० रो०–15–425 रु० | लागू नही होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि मे उपाधि या कोई उपाधि जिसके विषयो मे प्राणि विज्ञान या जीव-रसायन विज्ञान एक विषय रहा हो । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नही | दो वर्ष | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | ऐसे भूमन सहायकों मे से चयन द्वारा प्रोन्नति, जिन्होने उस श्रेणी मे तीन वर्ष सेवा की हो और जो निदेशक, अनाज भण्डारकरण अनुसधान और प्रशिक्षण केन्द्र, हापुड द्वारा सचालित प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा कर चुके हो । | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नही होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| विश्लेषक (अनुसधान सस्थान) | | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 210–10–290–15–320–द० रो०–15–425 रु० | लागू नही होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक बी० एस० सी० जिसके विषयो मे रसायन-विज्ञान एक विषय रहा हो । वाछनीय खाद्य प्रौद्योगिकी या रसायन प्रयोगशाला मे कार्य करने का तीन वर्ष का अनुभव । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नही होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भ्रमण सहायक | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय | 150–5–175–6–205 रु० | लागू नहीं होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक : इण्टर साइन्स, जिसके विषयों में जीवविज्ञान एक विषय रहा हो या कृषि में इन्टर साइन्स । |
| प्रयोगशाला सहायक | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय | 110–4–150–द०रो–4–17–5–180–द०रो०–5–200 रु० | लागू नहीं होता | 18–24 वर्ष | आवश्यक : इण्टर साइन्स, जिसके विषयों में जीवविज्ञान एक विषय रहा हो या कृषि में इण्टर साइन्स । |
| चालक | नौ | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित अननुसचिवीय | 110–3–131––4–139 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष | आवश्यक : उसके पास हल्की और भारी गाड़ियां चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति हो, मोटर यांत्रिकत्व का ज्ञान हो और उसे हल्की/भारी गाड़ियां चलाने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो । वांछनीय : आठवा स्टैण्डर्ड उत्तीर्ण हो । |
| चपरासी | छः | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4, अराजपत्रित | 70–1–80–द० रो०–1–85 रु० | लागू नही होता | 18–25 वर्ष | मिडिल स्कूल स्टैण्डड उत्तीर्ण । |
| चौकीदार | आठ | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 अराजपत्रित | 70–1–80–द० रो०–1–85 रु० | लागू नही होता | 18-25 वर्ष | वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्टैण्डर्ड उत्तीर्ण । |
| माइकश | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 अराजपत्रित | 70–1–80–द० रो०–1–85 रु० | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | वांछनीय : प्राइमरी स्कूल स्टैण्डर्ड उत्तीर्ण : |
| खल्लासी | बीस | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 अराजपत्रित । | 75–1–85–द० रो०–2–95 रु० | लागू नही होता | 18–25 वर्ष | वर्कशाप/बिजली घर मे दो वर्ष का अनुभव । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| नही | दो वर्ष | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | ऐसे प्रयोगशाला सहायकों में से प्रोन्नति जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो । | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नही होता |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नही होता । |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नहीं होता |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नही होता |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नही होता |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नहीं होता । |
| नही | दो वर्ष | शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता | वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति । | लागू नही होता । |

[सं० ए-12018/1/70-ई-II.]

शिव राम, अवर सचिव ।

**(Department of Food)**

*New Delhi, the 3rd January 1972*

**G.S.R. 99.**—In pursuance of clause (g) of sub-section (1) of section 7 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby appoints Shri Rajinder Singh Sahni, I.M.P. as Managing Director of the Central Warehousing Corporation established under the said Act, with effect from the 4th January 1972.

[No. F. 26-32/64-SG.II.]

M. SHAMS-UD-DIN, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 99.**—भाण्डागार निगम अधिनियम 1962 (1962 का 58) की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री राजिन्दर सिंह साहनी, आई०एम० पी० को उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में 4 जनवरी 1972 से नियुक्त करती है ।

[फा० 26-32/64-एस० जी० II]

मु० शमसुद्दीन, अवर सचिव ।

---

**(Department of Food)**

ORDER

*New Delhi, the 27th December 1971*

**G.S.R. 100/Ess.Com./Sugar.** In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Control) Order, 1966, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Control) Third Amendment Order, 1971.

(2) It shall come into force at once.

2. In sub-clause (1) of clause 12 of the Sugar (Control) Order, 1966, items (1), (2), (3) and (4) shall be relettered as items (a), (b), (c) and (d) thereof respectively.

[No. 1-31/70-S.Py.]

A. N. CHADDHA, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

**आदेश**

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 100/आव० वस्तु/शर्करा.**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम शर्करा (नियंत्रण) तृतीय संशोधन आदेश, 1971 होगा ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 12 के उपखण्ड (1) में, मद (1), (2), (3) और (4) क्रमशः उसकी मद (क), (ख), (ग) और (घ) के रूप में पुनः अक्षरित की जाएंगी ।

[सं० 1-31/70-एस० पी० वाई]

अमर नाथ चड्ढा, अवर सचिव

---

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 24th December 1971*

**G.S.R. 101.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Psychiatric Social Worker (Senior) in the Hospital for Mental Diseases, Ranchi, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Hospital for Mental Diseases, Ranchi Psychiatric Social Worker (Senior) Recruitment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Scheduled Annexed to these rules.

3 **Number of the posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible or appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitments Rules for the Post of Psychiatric Social Worker (Senior) Hospital for Mental Diseases, Ranchi*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/Transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recrt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recrt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Psychiatric Social Worker (Senior) | One | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Selection. | 30 years (Relaxable for Government Servants). | *Essential:*<br>(i) Master of Social Work (MSW) or M.A. in Social Work from a recognised University or equivalent, with specialisation in Medical and Psychiatric Social Work.<br>(ii) About 3 years practical experience in the field.<br>Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise wellqualified). | No | 2 years | By promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion:*<br>Psychiatric Social Worker (Junior) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958. |

[No. F. 7-19/70-MPT.]

P. C. ARORA, Under Secy.

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय**

**(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 101.**—संविधान के अनुच्छेद 309 परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची में मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्मिक (वरिष्ठ) पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम मानसिक रोग चिकित्सालय, रांची में मनश्चिकित्सा सामाजिक कार्मिक (वरिष्ठ) भर्ती नियमावली, 1971 कहलाये जा सकेंगे।

2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **उपयोजन.**—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. **अनर्हता** कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह को संविदा करता/करती है जिसका कि पति या स्त्री की पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलैक्शन है अथवा नान सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या पदोन्नति में रख जाने वाले उम्मीदवारों के मामले मे प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी | परि-वीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/-थानान्त-रण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्था-नान्तरण किया जाना है | यदि विभा-गीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थि-तियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| मनश्चिकित्सक सामाजिक कार्मिक (वरिष्ठ) | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II अराज-पत्रित अनन्-सचिवीय | 325–15–475–द० रो० 20–575 रु० | चयन | 30 वर्ष (सर-कारी कर्म-चारियों के मामले में शिथिल-नीय | अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से सामाजिक कार्य में मास्टर (एस० एस० डब्ल्यू०) अथवा/सामाजिक कार्य में एम० ए० अथवा समकक्ष योग्यता के साथ साथ चिकित्सीय तथा मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य में विशिष्टता। (ii) इस क्षेत्र में लगभग 3 वर्ष | नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | पदोन्नति.—मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्य-क्रम के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त होने के बाद इस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा सहित मनश्चिकित्सीय सामाजिक कार्मिक (कनिष्ठ) | श्रेणी–II विभागीय पदोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आ.योग (परामर्श से छूट विनि-यम, 1958 के अधीन यथापे क्षित) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | का व्यावहारिक अनुभव (सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग अपने विवेक से अर्हताओं में छूट दे सकता है) । | | | | | |

[सं० फा० 7-19/70-एम० पी० टी०.]

हस्ताक्षर,
प्रकाश चन्द्र अरोरा, अवर सचिव ।

**(Department of Family Planning)**

*New Delhi, the 24th December 1971*

G.S.R. **102.**—In exercise of the powers conferred the proviso to article, 309 of the Constitution, the sident hereby makes the following rules regulating method of recruitment to the post of Technical sistant in the Central Health Transport Organisa- on under the Department of Family Planning:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules ay be called the Central Health Transport Organisa- on (Technical Assistant), Recruitment Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their blication in the Official Gazette.

2. **pplication.**—These rules shall apply to the post pecified in column I of the Schedule annexed to these ules

3. **Number of posts, classification and scale of pay:**— he number of posts, classification and the scale of pay ttached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 f the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**— he method of recruitment, age limit, qualification and ther matters connected therewith shall be as specified n columns 5 to 13 of the said Schedule

5. **Disqualifications:—No person;**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recordered in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** —Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | No of posts | Classification | Scale of pay | Wheher Selection Post or non-Selection Post. | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Technical Assistant | One | General Central Service Class-III Non-Gazetted (Non-Ministerial) | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425. | Selection | 35 years and below. | *Essential*: (1) Matriculation or equivalent from a recognised University or Board. (2) I.T.I. passed in Motor Mechanic course or equivalent. (3) At least 10 years experience in handling automobile stores preferably in a Government Department or a reputable automobile concern. *Desirable* : Knowledge and experiende in : 1. Inspection of a tomobile spare parts. 2. Maintenance of Koordex and bin cards. 2. Preparation of auto spares and assemblies. 4. Packing. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the recruit will apply in the case of Promottee | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation ttransfer and percenage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion deputation/transfer grade from which promotion deputation transfer to be made | If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition | Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | Two years | By promotion, failing that by direct recruitment. | Store-keeper cum-purchase Assistant in the Central Health Transport Organisation with at least 5 years service in the grade after appointment on a regular basis | Class III Departmental Promotion Committee | Not applicable |

[No. A 1201/7/71-Estt. II]

R. P. MARWAHA, Under Secy.

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1971

का० आ० नि० 1 2 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद् द्वारा परिवार नियोजन विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में तकनीकी सहायक के पद की भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत

1 संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ —(क) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन (तकनीकी सहायक) भर्ती नियमावली 1971 कहा जाए।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2 उपयोजन — इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद के लिये ये नियम लागू होंगे।

3 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान —इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4 भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं आदि —भर्ती की विधि, आयुसीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई है।

5 अनर्हताएं —वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा

(क) जिसने एक व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा शादी वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6 छूट देने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है, वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा पद के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है।

7 परन्तु इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पदनाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | क्या पदोन्नति में रखे जानेवाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी | परीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| तकनीकी सहायक | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय | रु० 210–10–290–15–320–द० रो० 15–425 | सेलेक्शन | 35 वर्ष और कम | अनिवार्य — (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा । (2) आई० टी० आई० का मोटर मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण किया हो या समकक्ष । (3) किसी सरकारी विभाग या किसी प्रसिद्ध | नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति से अन्यथा सीधी भर्ती | नियमित रूप से ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात् केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव । | श्रेणी 3 की विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | आटोमोबाइल कम्पनी में आटो-मोबाइल सामग्री के काय का कम से कम दस वर्ष का अनुभव। वांछनीय 1 आटोमोबाइल पुर्जों के निरी-क्षण 2. कूर्डेक्स और बिन, कार्डों के रखरखाव, 3 आटो पुर्जे तथा संयोजन तैयार करने। 4 पैकिंग का ज्ञान और अनुभव। | | | | | | |

[स० 40-6/69-स्थापना-2]

आर० पी० सरवाह अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS DELHI 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 15, 1972/पौष 25, 1893

No 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 15, 1972/PAUSA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 27th December 1971*

**G S.R. 103(Contract/Amendment No 34).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution the President hereby directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No G.S R. 585 dated the 1st February, 1966, relating to the execution of contracts and assurance of property namely —

In the said notification

1 In part V which relates to the Ministry of External Affairs, after clause (e) of item 5, the following clause shall be added namely —

"(f) All agreements and contracts made in exercise of the executive power of the Union with the Government of U S.S.R., *by the Counsellor (Coordination) and Counsellor (Commercial) in the Embassy of India in Moscow.*

2 In Part XIII which relates to the Ministry of Irrigation and Power, Under Head 'A' after clause (vi), the following clause shall be added, namely:—

(vii) Indemnity bonds from the trainees at the Thermal Power Station Personnal Training Institute, Neyvali; *by Deputy Secretary (Administration) in the Ministry of Irrigation and Power.*

3 In Part XVIII which relates to the Ministry of Railways, in item 16, the words "or advances from the State Railway Provident Fund for the purpose of purchasing or building a house" shall be deleted.

4. In part XIX which relates to the Ministry of Supply and Technical Development, in item 7, for the existing clause (iii), the following clause shall be substituted, namely —

"(iii) All contracts and other instruments relating to clearing agency business; *by the Deputy Director (Import and Shipping) in the Directorate General of Supplies and Disposals.*

5. In Part XXII which relates to the Department of Atomic Energy, under Head 'M' for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:

1. All categories of contracts and/or instruments and or assurances of property relating to heavy Water Projects; *by the Officer on Special Duty/Project Director, Heavy Water Projects.*

2. (i) All contacts and instruments relating to word of all kinds.

(ii) contracts for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(iii) contracts and instruments relating to disposal of surplus, obsolete or unserviceable stores and equipment scrap etc.

(iv) Security bonds for the due performance and completion of works of all kinds.

(v) (a) Contracts relating to servicing of equipment, instruments, or machinery.

(b) Contracts relating to fabrication and assembly of all equipment, components and materials including those required for the unclear portion of the plant;

*by the project Manager, Heavy Water Project (Baroda) in so far as it relates to the Heavy Water Project (Baroda) and Project Manager, Heavy Water Project (Kota) in so far as it relates to the Heavy Water Project (Kota).*

3. (i) Contracts for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(ii) Contracts and instruments relating to disposal of surplus obsolete or unserviceable stores and equipment scrap etc.

(iii) Service Agreement/Service Bonds for fulfilment by Government servants of their obligation to serve Government for a specified period.

(iv) Security bonds of cashiers and other Government servants or their sureties for the performance of their duties or the due accounting of the money or other property received by virtue thereof.

(v) Agreements for hire of buildings

(vi) All contracts and/or instruments and assurances of property.

(vii) Agreements for catering contracts in hostals and canteens.

(viii) Agreements relating to supply of water or electricity.

(ix) Contracts relating to servicing of equipment, instruments or machinery;

*by the Senior Administrative Officer, Heavy Water Projects.*

4. (i) All contracts and instruments relating to civil and structural works of all kinds.

(ii) Contract for purchase, supply, conveyance or carriage of equipment, stores and machinery.

(iii) Security bonds for the due performance and completion of works of all kinds;

*by the Project Engineer (Civil), Heavy Water Projects*

No. F. 17(1)66-J

A. DAS GUPTA,
Addl. Legal Advisor.

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**(विधि कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, तारीख 27 दिसम्बर 1971

**सा०का०नि० 103.**—(संविधान/संशोधन सं० 34) राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निर्देश देते है कि संविदाओं और सम्पति के हस्तान्तरण-पत्रो के निष्पादन के बारे में भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) अधिसूचना सं० सा०का०नि० 585 तारीख 1 फरवरी 1966 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगें अर्थात :–

उक्त अधिसूचना मे :–

1 भाग 5 में जो विदश मत्रालय से सम्बन्धित है मद 5 के खण्ड (ङ) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोडा जाएगा अर्थात –

(च) सघ की कार्यपालन शक्ति का प्रयोग करते हुए यू०एस०एस०आर० सरकार के साथ किए गए सभी करार और सविदा मास्को मे भारत के राजदूतावास में परामर्श (समन्वय) और परामर्श (वाणिज्यिक) द्वारा ।

2 भाग 13 मे, जो सिचाई और विद्युत मत्रालय से सम्बन्धित है शीर्ष 'क' के नीचे खण्ड (iv) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड जोडा जाएगा अर्थात –

"(vii) थर्मल पावर स्टेशन परमोनेल ट्रेनिग इंस्टीटयुट नेवली मे प्रशिक्षणार्थियो मे क्षति पूर्ति पत्र :

सिचाई और विद्युत मंत्रालय के उपसचिव (प्रशासन) द्वारा ।

3. भाग 18 मे, जो रेल मंत्रालय से सम्बन्धित है मद 16 मे, 'या मकान खरीदने या बनाने के प्रयोजन के लिए स्टेट रेलवे प्राविडेन्ट फण्ड मे उधारो शब्द लुप्त कर दिए जाएगे ।

4. बाग 19 मे जो पूर्ति और तकनीकी विकास मंत्रालय से सम्बन्धित है मद 7 मे विद्यमान खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखिपत खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"(iii) शोधन एजेंसी कारबार से संबन्धित सभी सविदाएं और अन्य लिखते; पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के उपनिर्देशक (आयात और पोत परिवहन) द्वारा ।"

5. भाग 22 में, जो परमाण ऊर्जा विभाग से सबंधित है शीर्ष 'ङ' के नीचे विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात :

1. भारी जल परियोजनाओ से संबंधित सभी प्रवर्गो को संविदाएं और या लिखतें और या सम्पति के हस्तान्तरण पत्र ,

विशेष कार्य अधिकारी/परियोजना निदेशक भारी जल परियोजना द्वारा ।

2. (i) सभी किस्मों के संकमो से संबंधित सभी संविदाएं और लिखतें ।

(ii) उपस्कर, स्टोरों और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, द्वारा प्रवहण या वहन के लिए संविदाएं ।

(iii) फालतू अप्रचलित या काम में न आने वाले स्टोर और उपस्कर, कतरन, आदि के व्ययन से संबंधित संविदाएं और लिफाफे ।

(iv) सभी किस्मो के संकर्मों के सम्यक् सम्पादन और पूरा करने के लिए प्रतिभूति पत्र ।

(v) (क) उपस्कर औजारो या मशीनरी की सर्विस करने से सम्बन्धित संविदाएं ।

(ख) सभी उपस्कर संघटकों और सामग्रियो जिनके अन्तर्गत वे सभी है जो प्लांट के नाभिकीय भाग के लिए अपेक्षित हैं, के बनाने और जोडने से सम्बन्धित सविदाए ,

जहा तक यह भारी जल परियोजना (बड़ौदा) से सम्बन्ध रखता है परियोजना प्रबन्धक, भारी जल परियोजना (बडौदा) और जहा तक वह भारी जल परियोजना से सम्बन्ध रखता है परियोजना प्रबन्धक, भारी जल परियोजना (कोटा) द्वारा ।

3 (i) उपस्कर, स्टोरो और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, प्रवहण या वहन के लिए सविदाए ।

(ii) फालतू अप्रयोतिम या काम मे न आने वाले स्टोर और उपस्कर, कतरन आदि के व्ययन से सम्बंधित सविदाए और लिखते ।

(iii) सरकारी सेवको द्वारा, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सरकार की सेवा करने का अपना दायित्व पूरा करने के लिए सेवा करार/सेवा बधपत्र ।

(iv) अपने कर्तव्यो के पालन या उसके आधार पर प्राप्त धन या अन्य सम्पत्ति के सम्यक् सेवा देने के लिए रोकडियो और अन्य सभी सरकारी सेवको या उनके प्रतिभूतो के प्रतिभूति पत्र ।

(v) भवन किराये पर लेने के लिए सविदाए ।

(vi) सभी सविदाए और/या लिखते और सम्पत्ति के हस्तातरण पत्र ।

(vii) होस्टलो और कैन्टीनो मे खान-पान प्रबन्ध की संविदाओ के लिए करार ।

(viii) जल और विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित करार ।

(ix) उपस्कर, औजारो या मशीनरी की सर्विस करने से सम्बन्धित संविदाएं ।

**मुख्य प्रशासन अधिकारी, भारी जल परियोजना द्वारा**

(i) सभी किस्मों के सिविल और निर्माण संबंधी संकर्मों से संबंधित सभी संविदाएं और लिखतें ।

(ii) उपस्कर, स्टोरों और मशीनरी के क्रय, प्रदाय, प्रवहण या वहन के लिये संविदा ।

(iii) सभी किस्मो के संकर्मों के सम्यक् सम्पादन और पूरा करने के लिये प्रतिभूति पत्र ।

परियोजना इंजीनियर (सिविल), भारी जल परियोजना द्वारा ।

[स० फा० 17(1)/66-न्या०]

ए० दास० गुप्ता,
अपर विधि सलाहकार ।

---

**Department of Justice**

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 104.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1971 (78 of 1971), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. 19/25/71-Judl. (B).]

**(न्याय विभाग)**

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 104**—उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 78) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 1972 को उस तारीख के रूप मे निर्धारित करती है, जब से उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[स० 19/25/71-न्यायिक (ख)]

---

**G.S.R. 105.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Supreme Court Judges (Conditions of Service) Amendment Act, 1971 (77 of 1971), the Central Government hereby appoints the 15th day of January, 1972, as the date on which the provisions other than those contained in section 3 and clauses (a) & (b) of section 4 of the said Act shall come into force

[No 19/25/71-Judl.(B)]

P P NAYYAR, Jt. Secy.

**जी०एस०आर० 95**—उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम, 1971 (1971 का 77) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 15 जनवरी, 1972 को उस तारीख के रूप मे निर्धारित करती है, जब से उक्त

अधिनियम की धारा 4 के खंड (क) और (ख) और धारा 3 में विहित प्रावधान से भिन्न प्रावधान प्रवृत्त होंगे ।

[सं० 19/25/71—न्यायिक (ख)]

पी० पी० नय्यर, संयुक्त सचिव ।

---

## CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 31st December 1971*

THE CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE (QUALIFYING EXAMINATION FOR TELEPHONE OPERATORS) REGULATIONS, 1971—

**G.S.R. 106.**—In pursuance of sub-rule (4) of rule 12 of the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, the Central Government in the Department of Personnel, hereby makes the following regulations, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Clerical Service (Qualifying Examination for Telephone Operators) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force with effect from 1st January, 1972

2. **Definitions.**—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "examination" means a qualifying examination held by the Institute of Secretariat Training and Management for appointment of Telephone Operators to the Lower Division Grade of the Service;

(b) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution

(c) "Telephone Operator" means a person holding the post of Telephone Operator in any Ministry or office specified in column (2) of the First Schedule to the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962;

(d) All other words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, shall have the meanings respectively assigned to them in the said rules.

3. **Holding of the Examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Institute of Secretariat Training and Management in the manner notified from time to time by the Central Government.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the said Institute.

4. **Conditions of Eligibility.**—(1) Any permanent or temporary Telephone Operator shall be eligible to appear at the examination.

NOTE.—Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to an officer who has been appointed to another ex-cadre post or to another Service on transfer if he continues to have a lien in the post of Telephone Operator for the time being.

(2) **Attempts at the Examination.**—A candidate should not have already competed more than once at the examination held after the 1st January, 1972.

(3) **Fee**—Subject to such exemptions or concessions as may be notified from time to time in this behalf, a candidate shall pay the fee specified by the Institute of Secretariat Training and Management.

5. **Canvassing of Candidature.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Institute of Secretariat Training and Management to be a conduct which would disqualify him/her for admission to the Examination.

6. **Decision as to Eligibility.**—The decision of the Institute of Secretariat Training and Management as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final, and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the said Institute shall be admitted to the examination.

7. **Results.**—(1) The names of the candidates, who are considered by the Institute of Secretariat Training and Management to be suitable for induction to the Service on the results of the examination shall be recommended for such induction

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the said Institute may also be recommended by them with due regard to the maintenance of efficiency of administration for induction into the Service on the results of the examination.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidate shall be decided by the said Institute in their discretion and the said Institute shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

8. **Appointments.**—(1) Candidates shall have to pass if not already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Institute of Secretariat Training and Management at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi, per minute, within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to them until they have passed the said test;

(2) Candidates who do not pass the said typewriting test within the period of probation shall be liable to be discharged from service;

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation's (i) and (2), a candidate, who has been declared by the competent medical authority, i.e., the Civil Surgeon, to be permanently unfit to pass the typewriting test because of a physical disability may, in consultation with the Department of Personnel, be exempted from the requirement of passing the typewriting test and, in the event of his/her being so exempted, the provisions of sub-regulations (1) and (2) shall cease to be applicable to him/her from the date of such exemption;

(4) Candidates, who had already passed or may pass the said test within a period of 6 months from the date of appointment will, however, be granted the first increment after 6 months instead of one year's service which will be absorbed in the subsequent regular increments.

9. **Penalty for Impersonation or other Misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Institute of Secretariat Training and Management guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which has or have been tampered with or

of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the said Institute from admission to any examination or from appearance at any interview held by the said Institute for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under it;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules.

[No. 8/58/71-CS-II(II).]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy

**मंत्रिमण्डल सचिवालय**

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

मा०का०नि० 106.—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 के नियम 12 के उपनियम (4) के अनुसरण में भारत सरकार का कार्मिक विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

**केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (टैलीफोन आपरेटरों हेतु अर्हता) परीक्षा विनियम, 1971**

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**.— (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (टैलीफोन आपरेटरों हेतु अर्हता परीक्षा) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम 1-1-1972 से लागू हो जायेंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "परीक्षा" का अभिप्राय सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में टैलीफोन आपरेटरों की नियुक्ति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाने वाली अर्हता परीक्षा से है ;

(ख) "अनुसूचित जातियां" तथा "अनुसूचित आदिम जातियों" का वही अभिप्राय होगा जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खण्ड (24) तथा (25) में उन के लिए नियत किया गया है ;

(ग) "टैलीफोन आपरेटर" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 की पहली अनुसूची के कालम (2) में निर्दिष्ट किसी मंत्रालय अथवा कार्यालय में टलीफोन आपरेटर के पद पर कार्य करता हो ;

(घ) इन विनियमों में प्रयुक्त किये गये अन्य सभी शब्दों तथा वाक्य पदों का, जिनकी यहां परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में परिभाषा दी गई है, अभिप्राय वही होगा जो उक्त नियमों में क्रमशः उनके लिए नियत किया गया है ।

3. **परीक्षा का आयोजन**.—(1) परीक्षा, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ढंग से होगी ।

(2) परीक्षा लिए जाने की तारीख तथा स्थान उक्त संस्थान द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

4. **पात्रता की शर्तें**.—(1) कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी टलीफोन आपरेटर परीक्षा में बैठने के लिये पात्र होगा ।

**नोट** : ऐसे टैलीफोन आपरेटर, जो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से अन्य गैर संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर है, अन्यथा पात्र होने पर परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे । यह ऐसे अधिकारी पर भी लागू होता है जो किसी अन्य गैर संवर्ग पद पर नियुक्त किया गया हो अथवा किसी अन्य सेवा पर अन्तरित किया हो और यदि वह टैलीफोन आपरेटर के पद पर नियत रखे हुए हों ।

(2) **परीक्षा में बैठना** .—उम्मीदवार द्वारा 1 जनवरी, 1972 के पश्चात ली गई परीक्षा में एक बार से अधिक भाग न लिया गया हो ।

(3) **शुल्क**.—ऐसी छूटों तथा रिआयतों के अधीन जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर अधिसूचित की गई हों, किसी भी उम्मीदवार को सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा निर्दिष्ट शुल्क चुकाना होगा ।

5. **उम्मीदवारों के सम्बन्ध में उपार्थना**.—उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किया गया कोई भी प्रयत्न सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनर्ह माना जायेगा ।

6. **पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय**.—परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा और किसी भी ऐसे उम्मीदवार को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायगा जिसे उक्त संस्थान द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो ।

7. **परिणाम**.—परीक्षा के परिणामों पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा सेवा में शामिल किए जाने के लिए उपयुक्त समझे गये उम्मीदवारों के नामों की इस प्रकार शामिल किये जाने के लिए सिफारिश की जायेगी ।

उम्मीदवार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के होने पर भी जो उक्त संस्थान द्वारा विहित किए गये स्तर तक अर्हता प्राप्त न कर सके हों, परीक्षा के परिणाम पर

सेवा में शामिल किये जाने के लिये उनके द्वारा संस्तुत किये जा सकेंगे और ऐसा करते समय प्रशासन की कुशलता बनाये रखने के सम्बन्ध मे यथोचित ध्यान रखा जाये ।

(2) प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा के परिणामो की सूचना देने का स्वरूप और पद्धति का उक्त संस्थान अपने विवेक द्वारा विनिश्चय किया जायेगा और उक्त संस्थान परीक्षा के परिणामों के सम्बन्ध मे प्रत्येक उम्मीदवार से पत्र-व्यवहार नही करेगा ।

8. **नियुक्तियां** – (1) उम्मीदवारो को अंग्रेजी अथवा हिन्दी में, अंग्रेजी मे 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित आवधिक टंकण परीक्षा पास करनी होगी यदि वे उसमें पहले उत्तीर्ण न हुए हो और यह परीक्षा नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अन्दर पास करनी होगी अन्यथा जब तक वे उक्त परीक्षा पास नही कर लेंगे उन्हे तब तक वार्षिक वेतन वृद्धि (या) नही दी जायेगी ;

(2) ऐसे उम्मीदवार जो परिवीक्षा अवधि के अन्दर उक्त टंकण परीक्षा पास नही कर लेते वे सेवा से बर्खास्त किये जा सकेंगे

(3) उपविनियम (1) तथा (2) मे रखी गई किसी भी विषय के रहते हुए ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात सिविल सर्जन, द्वारा शारीरिक विकलांगता के फलस्वरूप टंकण परीक्षा पास करने मे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो, टंकण परीक्षा पास करने की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है और उसको इस प्रकार की छूट मिलने पर उप-विनियम (1) तथा (2) के उपबन्ध इस प्रकार की छूट की तारीख से उस पर लागू नही होंगे ।

(4) परन्तु वे उम्मीदवारों को जो उक्त परीक्षा पहले ही पास कर चुके हों अथवा नियुक्ति की तारीख से छ मास की अवधि के अन्दर पास कर लेते है, एक वर्ष की सेवा के स्थान पर छ मास बाद वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी जिसे अनुवर्ती नियमित वेतन वृद्धियों मे सम्मिलित कर दिया जायेगा ।

9. प्रतिरूपण अथवा अन्य कदाचार के लिए दण्ड –कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा प्रतिरूपण अथवा ऐसा जाली दस्तावेज अथवा दस्तावेजो के प्रस्तुत करने जिसमें ऐसा विवरण दिया गया हो जो अपूर्ण अथवा बनावटी हो, जो सही न हो अथवा झूठा हो अथवा जिसमे वास्तविक जानकारी छिपाई गई हो अथवा अन्यथा परीक्षा मे प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित अथवा अनुचित साधन प्राप्त करने अथवा परीक्षा भवन मे अनुचित साधनो का उपयोग करने अथवा परीक्षा भवन मे दुर्व्यवहार करने का दोषी घोषित किये जाने पर वह आपराधिक अभ्यारोपण के अतिरिक्त निम्नलिखित का भी भागी होगा —

(क) (i) उक्त संस्थान द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश करने अथवा उम्मीदवारों के चयन के लिए उक्त संस्थान द्वारा लिये जाने वाली किसी इन्टरव्यू और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन रोजगार से स्थायी रूप में अथवा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा ।

(ख) समीचीन नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

[सं० 8/58/71-सी०एस०-II (ii

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

---

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, 31st December 1971*

**G.S.R. 107.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos G.S.R. 1674, dated the 31st October, 1966 and G.S.R. 1180, dated the 10th June, 1968, the Central Government, with the concurrence of the State Government concerned, hereby transfers the following officers borne on the Indian Forest Service cadre of Punjab, as it existed immediately before the reorganisation of that State under the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), to the Union Territories Cadre of the said Service, with effect from the 1st day of November, 1966:—

1. Shri Ram Chandra Kaushik
2. Shri Bachan Singh
3. Shri Swarn Singh Chahal
4. Shri Romesh Chandra
5. Shri E. S. Das
6. Shri Mohinder Pal Gupta
7. Shri Inderjit Singh Kang
8. Shri Partap Singh Parmar
9. Shri Harish Chander Sharma
10. Shri Bhikhan Singh Chauhan
11. Shri Chaman Lal
12. Shri Gurdas Chand Chowdhry
13. Shri Sarbans Singh
14. Shri Gian Chand Gupta
15. Shri Dharam Pal Gupta
16. Shri Moti Singh Dod
17. Shri Dev Datt Shagotra
18. Shri Gurcharan Singh

[No. 6/40/71-(A)-AIS(IV)]

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 107.**—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना

तथा सा० सा० नि० 1974, दिनांक 31 अक्तूबर, 1966 तथा सा० सा० नि० 1180 दिनांक 1:0 जून, 1968 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकार की सहमति से, एतद्द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) के अधीन राज्य के पुनर्गठन से तत्काल पूर्व विद्यमान रूप में पंजाब के भारतीय वन सेवा के सवर्ग में शामिल किये गये निम्नलिखित अधिकारियों को 1 नवम्बर, 1966 से उक्त सेवा के सय शासित क्षेत्र सवर्ग मे अन्तरित करती है :—

1 श्री रामचन्द्र कोशिक
2 श्री बचन सिह
3 श्री स्वर्ण सिह चहल
4 श्री रमेश चन्द्र
5 श्री इ० एस० दास
6 श्री मोहिन्द्र पाल गुप्ता
7 श्री इन्द्रजीत सिह कग
8 श्री प्रताप सिह परमार
9 श्री हरीश चन्द्र शर्मा
10 श्री भिखन सिह चौहान
11 श्री चमन लाल
12 श्री गुरु दास चन्द चौधरी
13 श्री सरबन्स सिह
14 श्री ज्ञान चन्द गुप्ता
15 श्री धर्मपाल गुप्ता
16 श्री मोती सिह दाड
17 श्री देवदत शर्मा
18 श्री गुरचरण सिह

[सं० 6/40/71-(क)-अ०भा०से० (4).]

---

*New Delhi, the 3rd January 1972*

**G.S.R. 108.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) of rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Governments of the States concerned and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, namely:—

1 (1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, (hereinafter referred to as the said regulations), regulation 4 shall be omitted.

3. In regulation 5 of the said regulation, for sub-regulations (1) (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(1) Each committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year and prepare a list of such members of the State Forest Service as are held by them to be suitable for promotion to the Service. The number of members of the State Forest Service included in the list shall not be more than twice the number of substantive vacancies anticipated in the course of the period of twelve months, commencing from the date of preparation of the list, in the posts available for them under rule 9 of the Recruitment Rules, or 10 percent of senior posts shown against items 1 and 2 of the cadre schedule of each State or group of States, whichever is greater.

(2) The Committee shall consider, for inclusion in the said list, the cases of members of State Forest Service in order of seniority in the State Forest Service upto a number not less than five times the number referred to in sub-regulation (1).

Provided that:—

(i) in computing the number for inclusion in the field of consideration the number of officers referred to in sub-regulation (3) shall be excluded.

(ii) the Committee shall not consider the case of a member of the State Forest Service unless, on the first day of the January of the year in which it meets, he is substantive in the State Forest Service and has completed not less than eight years of continuous service (whether officiating or substantive) in a post of Assistant Conservator of Forests or any other post or posts declared equivalent thereto by the State Government with the prior concurrence of the Central Government.

(iii) the officers belonging to any service referred to in sub-rule (g) (ii) of rule 2 of the Recruitment Rules shall not be eligible to be considered for promotion to any Cadre other than the Union Territories Cadre.

*Explanation.*—In computing the period of continuous service for the purpose of this regulation, there shall be included any period during which an officer has undertaken:—

(a) training in a diploma course in the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun; or

(b) such other training as may be approved by the Central Government in consulations with the Commission in any other institution.

(iv) where the number of officers who fulfil the conditions referred to in clause (ii) is less than five times the number referred to in sub-regulation (1) the Committee shall consider the cases of all those officers who fulfil the prescribed conditions.

(3) The Committee shall not ordinarily consider the case of the members of the State Forest Service who have attained the age of 52 years on the first day of January of the year in which it meets:

Provided that a member of the State Forest Service whose name appears in the select list in force immediately before the date of the meeting of the Committee shall be considered for inclusion in the fresh list, to be prepared by the

Committee even if he has in the meanwhile attained the age of 52 years.

(3A) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respect".

[No. 5/9/70-AIS(IV)]

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

**सा० का० नि०.108**—भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाए अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बन्धित राज्य सरकारों और सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) वियिनम, 1966 मे आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमो का नाम भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) सशोधन विनियम, 1972 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लाग होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 (जिन्हे इससे आगे उक्त विनियम लिखा जाएगा) मे से विनियम 4 को निकाल दिया जाएगा।

3. उक्त विनियम के विनियम 5 मे उप-विनियम (1) (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रख दिये जाएंगे, अर्थात् —

"(1) प्रत्येक समिति की बैठकें साधारणत: एक वर्ष से अनधिक अन्तराल पर होती रहेंगी तथा समिति अपनी बैठक मे राज्य वन सेवा के ऐसे सदस्यो को एक सूची बनायेगी जिन्हे वह भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझती है। सूची में शामिल किए गए राज्य वन सेवा क अधिकारियों की संख्या, भर्ती नियमों के नियम 9 के अधीन उपलब्ध पदो पर सूची तैयार करने को तारीख से 12 महीनों की अवधि के भीतर प्रत्याशित स्थायी रिक्तियों की संख्या के दो गुने से अधिक नही होगी, या उन वरिष्ठ पदों की संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी, जो भी अधिकतर हो, जो कि प्रत्येक राज्य अथवा राज्य-समूहों को संवर्ग अनुसूची की मद संख्या 1 और 2 के सामने दर्शाये गये है।]

(2) समिति, उक्त सूची में स्थान देने हेतु राज्य वन सेवा के सदस्यों के मामलों पर राज्य वन सेवा में उनकी वरीयता के क्रमानुसार विचार करेगी। विचारणीय अधिकारियो की सख्या उप-विनियम (1) में निर्धारित संख्या के 5 गुने से कम नही होगी,

परन्तु —

(i) विचार-क्षेत्र में लिए जाने वाले अधिकारियो की संख्या गिनते समय उन अधिकारियो को छोड दिया जाएगा जिनका उल्लेख उप-विनियम (3) मे किया गया है।

(ii) समिति, राज्य वन सेवा के किसी सदस्य के मामले पर तब तक विचार नही करेगी जब तक कि वह समिति की बैठक वाले वर्ष की जनवरी मास के पहले दिन राज्य वन सेवा मे स्थायी न हो गया हो, और जब तक उसने सहायक वनपाल के पद पर या उन पदो पर जो राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति से उस पद के बराबर घोषित किए गये हों, 8 वर्ष से अन्यून लगातार सेवा (स्थानापन्न अथवा स्थायी) पूरी न कर ली हो।

(iii) भर्ती नियमो के नियम 2 के उप नियम (छ) (ii) मे उल्लिखित किसी भी सेवा से संबंध रखने वाले अधिकारीगण सघ शासित-क्षेत्र संवर्ग को छोड कर किसी दूसरे सवर्ग म पदोन्नति के लिये पात्र नही होगे।

**स्पष्टीकरण** :—इन विनियमो के प्रयोजनार्थ लगातार-सेवा की गणना करते समय वह अवधि भी गिनी जाएगी जिस अवधि मे अधिकारी निम्नलिखित प्रशिक्षण पर रहा हो :—

(क) वन-अनुसंधान सस्थान तथा कालेज, देहरादून के किसी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण, या

(ख) किसी दूसरे संस्थान मे कोई इतर प्रशिक्षण जिसे केन्द्रीय सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अनुमोदित किया हो।

(iv) जहां खण्ड (ii) में वर्णित शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों की संख्या उप-विनियम (i) में निर्धारित संख्या के 5 गुने से कम रहे, वहां समिति उन सभी अधिकारियों के मामलों पर विचार करेगी, जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

(3) समिति सामान्यत: राज्य वन सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिनकी आयु समिति की बैठक वाले वर्ष के जनवरी मास के पहले दिन 52 वर्ष की हो गई हो;

परन्तु बनाई जाने वाली नयी सूची में राज्य वन सेवा के उस सदस्य को शामिल करने पर समिति विचार करेगी जिसका नाम, समिति की बैठक से तत्काल पूर्व लागू प्रवरण—सूची में हो भले हो इस बीच उसकी आयु 52 वर्ष हो गई हो।

(3क) इस सूची मे शामिल करने के निमित चयन हर लिहाज से गुण तथा उपयुक्तता पर आधारित होगा।

[सं 5/9/70-ए०आई०एम०(4)]

---

*New Delhi, the 4th January 1972*

**G.S.R 109.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 39 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970) and sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with sub rule (2) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government hereby allocates to the State Cadre of the Indian Forest Service of Himachal Pradesh with effect on and from the 25th January, 1971, the following members of the Indian Forest Service borne on the cadre of that Service of the Union Territories, namely:—

| *S No* | *Name* |
|---|---|
| | *Sarvashri:* |
| 1 | V P. Agarwala |
| 2 | Ram Chandra Kaushik |
| 3 | Bachan Singh |
| 4 | Swarn Singh Chahal |
| 5 | Romesh Chandra |
| 6 | E. S. Das |
| 7 | J. N. Mullick |
| 8 | Sughan Chand Gaur |
| 9 | Vasudev Raina |
| 10 | V. K. Sharma |
| 11 | Mohinder Pal Gupta |
| 12 | Inderjit Singh Kang |
| 13 | Partap Singh Parmar |
| 14 | Ranvir Singh |
| 15 | S. D. Upadhyay |
| 16 | Bhagwan Singh Parmar |
| 17 | Ramesh Chand Datta |
| 18. | Dev Datt Sharma |
| 19. | G. S. Mathauda |
| 20 | Satya Vrat |
| 21. | Sant Ram |
| 22. | Nagar Mal Mahajan |
| 23. | Durga Dass Mehta |
| 24. | R. S. Gujral |
| 25. | A. K. Mukerji |
| 26. | V. P. Mohan |
| 27 | P. C. Sharma |
| 28. | Sarbans Singh |
| 29. | Harish Chander Sharma |
| 30. | M. S. L. Vaidya |
| 31. | P. N. Tiku |
| 32. | Chaman Lal |
| 33. | Bhikhan Singh Chauhan |
| 34. | Dharam Pal Gupta |
| 35. | Gian Chand Gupta |
| 36. | Gurdas Chand Chowdhry |
| 37. | S. K. Pande |
| 38. | R. C. Sharma |
| 39. | S. R. Arya |
| 40. | N. K. Joshi |
| 41. | Gobind Ram |
| 42. | V. M. Mohan |
| 43. | B. N. Ghildayal |
| 44. | Baldev Singh |
| 45. | G. S. Negi |
| 46. | P. L. Kaul |
| 47. | Moti Singh Dod |
| 48. | Dev Datt Shagotra |
| 49. | Gurcharan Singh |
| 50. | Durga Prasad |
| 51. | H. P. Sharma |
| 52. | T. S. Patyal |
| 53. | R. L. Verma |
| 54. | Dilaram Dhiman |
| 55. | Narendra Kumar Mathur |
| 56. | Devi Chand Thakur |
| 57. | Chering Dorje. |

[No. 6/7/71-AIS (IV).]

नई दिल्ली, 4 जनवरी 1972

**सा० का० नि०** 109— हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 (1970 का 53) की धारा 39 की उपधारा (4) और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 617 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्र के उस सेवा के संवर्ग में शामिल किए गये निम्न-लिखित भारतीय वन सेवा के सदस्यों को 25 जनवरी, 1971 से हिमाचल प्रदेश के भारतीय वन सेवा के राज्य संवर्ग को एतद्द्वारा आबटित करती है।

| क्र० सं० | नाम |
|---|---|
| 1. | सर्वश्री वी० पी० अग्रवाल |
| 2. | ,, रामचन्द्र कौशिक |
| 3. | ,, बचन सिंह |
| 4. | ,, स्वर्ण सिंह चहल |
| 5. | ,, रमेश चन्द्रा |
| 6. | ,, इ० एस० दास |
| 7. | ,, जे० एन० मलिक |
| 8. | ,, सुघन चन्द गौड़ |
| 9. | ,, वासुदेव रैना |
| 10. | ,, बी० के० शर्मा |
| 11. | ,, मोहिन्दर पाल गुप्ता |

12. सर्वश्री इन्दरजीत सिंह कांग
13. " परताप सिंह परमार
14. " रणबीर सिंह उपाध्याय
15. " एम० डी० उपाध्याय
16. " भगवान सिंह परमार
17. " रमेश चन्द दत्त
18. " देव दत्त शर्मा
19. " जी० एम० मथौटा
20. " सत्य व्रत
21. " सन्त राम
22. " नागर मल महाजन
23. " दुर्गा दास नेहता
24. " आर० एम० गुजराल
25. " ए० के० मुकर्जी
26. " बी० पी० मोहन
27. " पी० सी० शर्मा
28. " सरबजीत सिंह
29. " हरीश चन्द्र शर्मा
30. " एम० एस० एल० वैद्य
31. " पी० एन० टिकू
32. " चमन लाल
33. " भिखन सिंह चौहान
34. " धर्म पाल गुप्ता
35. " जगन चन्द गुप्ता
36. " गुरदास [illegible] चौधरी
37. ,, एस० [illegible] पाण्डे
38. ,, आर० [illegible] पी० शर्मा
39. ,, एम० आर० आर्य
40. ,, एन० के० जोशी
41. ,, गोविन्द [illegible] म
42. ,, बी० एम० मोहन
43. ,, बी० एन० धिल्डयाल
44. ,, बलदेव सिंह
45. ,, जे० एम० नेगी
46. ,, पी० एल० कोल
47. ,, मोती सिंह डोड
48. ,, देव दत्त शर्मा
49. ,, गुरचरन सिंह
50. ,, दुर्गा प्रसाद
51. सर्वश्री एच० पी० शर्मा
52. ,, टी० एस० पत्याल
53. ,, आर० एल० वर्मा
54. ,, दिलाराम चिमन
55. ,, नरेन्द्र कुमार माथुर
56. ,, देवी चन्द ठाकुर
57. ,, चैरिंग डोरजे

[सं० 6/7/71 अ०भा०से०(4)]

---

## ORDER

*New Delhi, the 31st December 1971*

**G.S.R. 110.** In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 82 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and sub-rule (1) of rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 and in supersession of the orders of the Government of India in the Ministry of Home Affairs Nos. G.S.R 1675, dated the 31st October, 1966 and G.S.R. 1181, dated the 10th June, 1968, the Central Government, in consultation with the State Government concerned, hereby directs that the members of the Indian Forest Service specified in column 2 of the Table below and borne immediately before the 1st day of November, 1966, on the Punjab cadre of the Service shall as from that day, be deemed to have been allocated to the cadre of the said Service in the States specified against their names in column 3 thereof:—

TABLE

| S. No. | Name of member | State to which allocated |
|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 |
| 1 | Shri Gurbakhsh Singh Dhillon | Punjab |
| 2 | Shri Gurbachan Singh | Punjab |
| 3. | Shri C. M. Sethi | Punjab |
| 4. | Shri Jagjit Singh | Punjab |
| 5. | Shri Avtar Singh Sidhu | Punjab |
| 6. | Shri Jagdev Singh Sidhwan | Punjab |
| 7. | Shri Surinder Kumar Kapur | Punjab |
| 8. | Shri Yash Pal Chowdhry | Punjab |
| 9. | Shri Harnek Singh Randev | Punjab |
| 10. | Shri Gurcharanjit Singh Sandhu | Punjab |
| 11. | Shri Piara Lal Kaler | Punjab |
| 12. | Shri Avtar Singh Bhinder | Punjab |
| 13. | Shri Ranjodh Singh | Punjab |
| 14. | Shri Rajinder Singh | Punjab |
| 15. | Shri Dharam Pal Singh | Haryana |
| 16. | Shri Rattan Singh Sahrawat | Haryana |
| 17. | Shri Chandan Singh | Haryana |
| 18. | Shri Kasturi Lal Malik | Haryana |
| 19. | Shri Gurnam Singh | Haryana |
| 20. | Shri Mahipal Singh | Haryana |
| 21. | Shri Sube Singh Dalal | Haryana |
| 22. | Shri Mohinder Singh Vaid | Haryana |

[No. 6/40/71-AIS (IV).
M. R. BHARDWAJ, Under Secy

## आदेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1971

सा० का० नि० 110.—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 82 की उपधारा (2) और भारतीय वन सेवा (सवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय संख्या सा० सा० नि०. 1181 तारीख 10 जून, 1968 के आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके एतद्द्वारा निदेश देती है कि निम्नलिखित तालिका के कालम 2 में निर्दिष्ट तथा इस सेवा के पंजाब संवर्ग में 1 नवम्बर, 1966 के तत्काल पूर्व शामिल किये गये भारतीय वन सेवा के सदस्यों को उसी तारीख से इस तालिका के कालम 3 में उनके नामों के सामने निर्दिष्ट राज्यों की उक्त सेवा के संवर्ग में आवंटित किया गया समझा जायेगा ।

तालिका

| क्रम संख्या | सदस्य का नाम | आवंटित किये गये राज्य का नाम |
|---|---|---|
| 1 | श्री गुरुबख्श सिंह ढिल्लों | पंजाब |
| 2 | श्री गरबचन सिंह | पंजाब |
| 3 | श्री एम० एम० सेठी | पंजाब |
| 4 | श्री जगजीत सिंह | पंजाब |
| 5 | श्री अवतार सिंह भिंडू | पंजाब |
| 6 | श्री जगदेव सिंह सिंधरा | पंजाब |
| 7 | श्री सुरेन्द्र कुमार कपूर | पंजाब |
| 8 | श्री यशपाल चौधरी | पंजाब |
| 9 | श्री हरभेक सिंह रनदेव | पंजाब |
| 10 | श्री गुरचरन जीत सिंह संधू | पंजाब |
| 11 | श्री प्यारेलाल बंसेर | पंजाब |
| 12 | श्री अवतार सिंह भिंडर | पंजाब |
| 13 | श्री रनजेध सिंह | पंजाब |
| 14 | श्री राजेन्द्र सिंह | पंजाब |
| 15 | श्री धर्मपाल सिंह | हरियाणा |
| 16 | श्री रतन सिंह सहरावत | हरियाणा |
| 17 | श्री चन्दन सिंह | हरियाणा |
| 18 | श्री कस्तूरी लाल मलिक | हरियाणा |
| 19. | श्री गुरनाम सिंह | हरियाणा |
| 20 | श्री महीपाल सिंह | हरियाणा |
| 21 | श्री सूबे सिंह दलाल | हरियाणा |
| 22 | श्री मोहेन्द्र सिंह वैद | हरियाणा |

[सं 6/40/71-अ०भा० से० (4)]

एम० आर० भारद्वाज, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

**CENTRAL EXCISES**

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R 111**—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central excise rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No 46/71-CE, dated the 24th April, 1971, namely:—

In the Table below the said notification—

(a) in column (2), in S. Nos. 1 and 3, the word 'Kraft' shall be omitted;

(b) in column (3) of S. No. 3, for the words 'corrugated board used in its manufacture', the words 'corrugated board contained therein, shall be substituted

[No. 8/72-CE—F. No. 28/15/70-CX2.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 111 —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 46/71 –के० उ० शु० तारीख 24 अप्रैल, 1971 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् --

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में --

(क) क्रम संख्या 1 और 3 में, स्तम्भ (2) में, "क्राफ्ट" शब्द लुप्त किया जाएगा ,

(ख) क्रम संख्या (3) के स्तम्भ (3) में, उसके विनिर्माण में प्रयुक्त कारुगेटेड बोर्ड" शब्दों के स्थान पर "उसमें अन्तर्विष्ट कारुगेटेड बोर्ड" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 8/72-सीमाशुल्क/फा०सं० 28/15/70-सी०शु०-2]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**

**(Transport Wing)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 6th January* 1972

**G.S.R. 112.** The Corrigenda issued with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No G S R 932, dated the 16th April, 1971, and published in the Gazette of India Part II, Section 3, Sub-section (i) at page 2396 is hereby cancelled

[No. 2-PG(25)/67]

K L GUPTA, Under Secy.

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[भाग II—खण्ड 3(i)] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 22, 1972/माघ 2, 1893

No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 22, 1972/MAGHA 2, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 30th December 1971*

G.S.R. 113.—In pursuance of rule 24 of the Central Secretariat Stenographers Service Rules 1969 (Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat hereby makes the following regulations namely —

THE CENTRAL SECRETARIAT STENOGRAPHERS' SERVICE (GRADE III—SPECIAL COMPETITIVE EXAMINATION) REGULATIONS 1971

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Grade III—Special Competitive Examination) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires.—

(a) "available vacancies" means the vacancies in Grade III of the Service which are decided to be filled on the results of an examination;

(b) "examination" means a competitive examination held by the Institute for direct recruitment to Grade III of the Service in accordance with these regulations;

(c) "ex-serviceman" means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid;

(d) "Institute" means the Institute of Secretariat Training and Management in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat;

*Explanation.*—For the purpose of this clause, "Armed Forces of the Union" means the Naval, Military or Air Forces of the Union and includes the Armed Forces of the former Indian States.

(e) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India.

(2) All other words and expressions used in these regulations and not defined herein shall have the meanings respectively assigned to them in the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969.

3. **Holding of the examination.**—(1) The examination shall be conducted by the Institute in the manner notified from time to time by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Institute.

4. **Conditions of eligibility.**—In order to be eligible to compete at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely—

(i) **Nationality**—(a) He must be a citizen of India,

Or

(b) He must belong to such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat.

(ii) **Age.**—He must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 24 years, on the first day of January of the year in which the examination is held.

Provided that the upper age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat from time to time.

(iii) **Educational qualifications.**—He must have passed the Matriculation Examination of a Board or University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, or otherwise possess any qualification recognised by the Central Government as equivalent thereto:

Provided that in exceptional cases, a candidate who, though not possessing any of the qualifications specified in this clause may be treated by the Central Government as qualified if he has passed such examinations conducted by any other institution as are in the opinion of the Central Government of a standard sufficient to justify his admission to the examination.

(iv) **Attempts at the examination.**—Unless covered by any of the exceptions notified from time to time by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat in this behalf, he should not already have competed more than once at the examinations held after 1st January, 1972.

(v) **Fees.**—Subject to such exemptions or concessions or both as may be notified from time to time in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat, he shall pay the fees specified by the Institute.

5. **Canvassing of candidature.** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

6. **Decision as to eligibility.**—The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Institute shall be admitted to the examination.

7. **Results.**—(1) The names of the candidates who are considered by the Institute to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in the order of merit and subject to the provisions of clauses (a) and (b) of sub-regulation (5) of regulation 8, they shall be recommended for appointment in that order upto the number of appointments decided to be made.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in their discretion and the Institute shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

8. **Appointments.**—(1) Success in the examination shall confer no right to appointment in Grade III of the Service unless the Central Government is satisfied after such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the public service.

(2) No candidate shall be appointed to Grade III of the Service unless he is, after such medical examination as the Central Government may prescribe, found to be free from any mental or physical defect which is likely to interfere with the discharge of the duties of the Service.

(3) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(4) Save as provided in sub-regulation (5), appointments to Grade III of the Service on the results of any Examination shall be made to the extent of the available vacancies, in the order of merit of the candidates recommended by the Institute for appointment, subject to the reservations for the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and for the ex-Servicemen in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat in this behalf.

(5) (a) Candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

(b) Ex-servicemen who are considered by the Institute to be suitable for appointment on the results of the examination shall be eligible to be appointed to the vacancies reserved for them irrespective of their ranks in the order of merit at the examination:

Provided that ex-servicemen belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the

extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination:

Provided further that in any one recruitment year, the total number of vacancies reserved for ex-servicemen, Scheduled Castes and Scheduled Tribes taken together shall not exceed 50 per cent. of the vacancies to be filled in that year.

9 **Penalty for impersonation or other misconduct.**—A candidate who is or has been declared by the Institute guilty of impersonation or of submitting fabricated documents, or documents which have been tampered with, or of making statements which are incorrect or false, or of supressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal presecution,

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Institute, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Institute for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under Government;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules if he is already in service under Government.

[No. F. 8/53/71-CS-II.]

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 113.—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 24 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय का कार्मिक विभाग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

### केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी 3–विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1971

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन विनियमों का नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (श्रेणी 3–विशेष प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :—(1) इन विनियमों में, जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उपलब्ध रिक्तियां" से सेवा की श्रेणी 3 की वे रिक्तियां अभिप्रेत हैं जो किसी परीक्षा के परिणाम के अनुसार भरी जाने के लिए विनिश्चित की गई हैं।

(ख) "परीक्षा" से इन विनियमों के अनुसार सेवा की श्रेणी 3 में सीधी भर्ती के लिए संस्थान द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) "भूतपूर्व-सैनिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने छह मास से अन्यून के निरंतर अवधि के लिए संघ के सशस्त्र बल में किसी भी रैंक में (चाहे योधक के रूप में या अन्यथा) सेवा की है और जिसे अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युति या सेवोन्मुक्ति के रूप से अन्यथा निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी निर्मुक्ति होने तक के लिए रिजर्व में अन्तरित किया गया है, या जिसे यथा पूर्वोक्त निर्मुक्ति या रिजर्व में अन्तरण का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए छह मास से अनधिक की सेवा करनी है।

(घ) "संस्थान" से मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग का सचिवालय प्रशिक्षण और संस्थान अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "संघ के सशस्त्र बल" से संघ की नौ सेना, सेना या वायुसेना अभिप्रेत है और इस में भूतपूर्व भारतीय राज्यों के सशस्त्र बल भी हैं।

(ङ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जन जाति" के वही अर्थ हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) द्वारा क्रमशः दिए गए हैं।

(2) सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में दिए गए हैं।

3. **परीक्षा का आयोजन**:—(1) परीक्षा केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति में संस्थान द्वारा संचालित की जायेगी।

(2) वे तारीखें जब और वे स्थान जहां परीक्षा आयोजित होगी, संस्थान द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. **पात्रता की शर्तें** : परीक्षा में भाग लेने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(i) राष्ट्रीयता—

(क) वह भारत का नागरिक हो,

या

(ख) वह ऐसे व्यक्ति—प्रवर्गों का हो जो केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं।

(ii) आयु—जिस वर्ष में परीक्षा आयोजित की गई हो उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 24 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी;

(iii) शैक्षिक अर्हताएं : उसने किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उस के अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्व-विद्यालय या बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा पास की हो या अन्यथा ऐसी अर्हताएं रखता हो जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने उसके समतुल्य मान्यता दी हो :

परन्तु असाधारण दशाओं में, ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके पास इस खण्ड में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई न हो केन्द्रीय सरकार द्वारा अर्हता प्राप्त माना जाएगा यदि उसने किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित कोई ऐसी परीक्षाएं पास की हों जिनका स्तर केन्द्रीय सरकार की राय में परीक्षा में उसके प्रवेश को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हो।

(iv) परीक्षा के लिए प्रयास :—यदि केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा निमित्त समय-समय पर अधिसूचित अपवादों में से किसी के अन्तर्गत वह न आता हो तो उसे 1 जनवरी, 1972 के पश्चात् आयोजित परीक्षाओं में एक से अधिक बार बैठ चुका नहीं होना चाहिए।

(v) फीस :—ऐसी छूटों या रियायतों या दोनों के अधीन रहते हुए जो कि केन्द्रीय सरकार के मंत्रि-मण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर इस निमित्त अधिसूचित की जाए वह संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट फीसें देगा।

4. अभ्यर्थिता की संयाचना :—अभ्यर्थी की ओर से किसी के भी द्वारा उसकी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न संस्थान द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकेगा जो परीक्षा में प्रवेश के लिए उसे निरर्हित कर दे।

6. पात्रता के बारे में विनिश्चय:—परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के बारे में संस्थान का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को जिसे संस्थान द्वारा प्रवेश का प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो, परीक्षा में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाएगा।

7. परिणाम :—(1) ऐसे अभ्यर्थियों के नाम, जिन्हें परीक्षा के परिणाम के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त माना जाए, गुणानक्रम में क्रमांकित किए जाएंगे, और विनियम 8 के उप-विनियम (5) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन रहते हुए विनिश्चित की गई नियुक्तियों की संख्या तक उस अनुक्रम में नियुक्ति के लिए उनकी सिफारिश की जाएगी।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के परिणाम की संसूचना का प्ररूप और रीति का विनिश्चय संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा और संस्थान, परिणाम के बारे में किसी अभ्यर्थी के साथ कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

8. नियुक्तियां :—(1) परीक्षा में सफलता, सेवा की श्रेणी 3 में नियुक्ति का तब तक कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगी जब तक केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक मानी जाए, समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

(2) किसी अभ्यर्थी को तब तक सेवा की श्रेणी 3 में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक, उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा के पश्चात् जो केन्द्रीय सरकार विहित करे, किसी ऐसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि से, जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, मुक्त न पाया जाए।

(3) वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसी छूट के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(4) इस विनियम के उप-विनियम (5) में यथा उपबंधित के सिवाय किसी परीक्षा के परिणाम के अनुसार सेवा की श्रेणी 3 में नियुक्तियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए, और केन्द्रीय सरकार के मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग द्वारा इस निमित्त समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार भूतपूर्व-सैनिकों के लिए आरक्षण के अधीन रहते हुए, नियुक्ति के लिए संस्थान द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम में उपलभ्य रिक्तियों की सीमा तक की जाएगी।

(5) (क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित उन रिक्तियों के बारे में, जो साधारण मानदण्ड के आधार पर न भरी जा सकी हों, संस्थान, आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए सिफारिश कर सकेगा कि अभ्यर्थियों के सेवा के लिए चयनार्थ योग्य होने की दशा में वे न्यूनतर मानदण्ड के आधार पर तथा परीक्षा में अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम में स्थान को ध्यान में रखे बिना, किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएं।

(ख) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें परीक्षा के परिणाम के अनुसार, नियुक्ति के लिए संस्थान द्वारा उपयुक्त समझा जाए, परीक्षा के गुणानुक्रम में उनके स्थान का विचार किए गए बिना उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे :

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित उन रिक्तियों के बारे में, जो साधारण मानदण्ड के आधार पर न भरी जा सकी हों, संस्थान, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटे में उक्त जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए सिफारिश कर सकेगा कि अभ्यर्थियों के सेवा के लिए चयनार्थ योग्य होने की दशा में वे न्यूनतम मानदण्ड के आधार पर तथा परीक्षा में अभ्यर्थियों के गुणानुक्रम मे स्थान को ध्यान में रखे बिना किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाए।

परन्तु यह और कि किसी एक भर्ती वर्ष मे भूतपूर्व-सैनिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या मिला कर उस वर्ष मे भरी जाने वाली रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

9. **प्रतिरूपण या अन्य उपचार के लिए शास्ति**.—जिस अभ्यर्थी के विषय मे संस्थान कोषित करे या उसने घोषित किया हो कि वह प्रतिरूपण का या गढ़े गए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जो बिगाड़े गए हैं प्रस्तुत करने का, या ऐसे कथन, जो अशुद्ध या मिथ्या हैं, करने का या तात्विक सूचना दबाने का या परीक्षा मे प्रवेश पाने के लिए अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाने का या परीक्षा भवन मे नावाजिब साधन अपनाने का या अपनाने का प्रयत्न का या परीक्षा भवन मे कदाचार करने का दोषी है वह, आपराधिक अभियोजन का भागी होने के अतिरिक्त,

(क) (i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा मे प्रवेश करने से या किसी साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से संस्थान द्वारा; और

(ii) सरकार के अधीन नियोजित होने से, केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वथा के लिए या विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा;

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार के अधीन सेवा में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाई का भागी होगा।

[सं० 8/53/71-कै० सै०-2]

---

G.S.R. 114.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Secretariat Training School (Examination Wing) (Non-Ministerial, Class III posts) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Secretariat Training School (Examination Wing) (Non-Ministerial, Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the 17th November 1971.

2. In the Schedule to the Secretariat Training School (Examination Wing) (Non-Ministerial, Class III Posts) Recruitment Rules, 1971, against Serial No. 2 for the entry in Column 4, the following entry shall be substituted namely:—

"Rs. 110—3—131-4—155-EB—4—175-5—180 plus special pay of Rs. 15 p.m."

[No. 6/10/71-CS II.]

*Explanatory Memorandum*

The special play attached to the post of Mechanical Operators of the Key Punch Machines (Other than Adrema Machines) in the Hollerith Section of the Secti. Training School has revised upward from Rs. 10 to Rs. 15 p.m. with effect from the 17th November, 1971, vide the Deptt., of Personnel letter No. 6/10/71-C.S. II dated the 17th November, 1971. The amendment in the recruitment rules for the posts indicating the change in the special pay attached to them is, therefore, being made effective from that date. The interest of none of the Mechanical Operators will be prejudicially affected by giving retrospective effect to the amendment.

**सा० का० नि०** 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल (परीक्षा स्कन्ध) (अलिपिक-वर्गीय, श्रेणी III के पद) भर्ती नियम, 1971 मे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल (परीक्षा (अलिपिक-वर्गीय, श्रेणी III के पद) भर्ती (संशोधन) स्कन्ध) नियम 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) में 17 नवम्बर, 1971 से लागू होंगे।

2. सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल (परीक्षा स्कंध) (अलिपिक-वर्गीय, श्रेणी-III के पद) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, क्रम संख्या 2 के सामने, कालम 4 की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"110-3-131-4-155 द०रा०-4-175-5-180 रुपये।

तथा 15 रुपये प्रति मास विशेष वेतन"।

[सं० 6/10/71-क० से० (II).]

**व्याख्यात्मक ज्ञापन**

कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 6/10/71-के०से०-II, दिनांक 17 नवम्बर, 1971 के द्वारा सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल के हालरिथ सेक्शन में "की-पंच मशीनों" (एड्रीमा मशीनों को छोड़ कर) के यांत्रिक आपरेटरों के पदों से सम्बद्ध विशेष वेतन को 17 नवम्बर, 1971 से, 10 रुपये से बढ़ा कर 15 रुपये कर दिया गया है। अतः, इन पदों से सम्बद्ध भर्ती नियमों में, इन पदों से सम्बद्ध विशेष वेतन में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला संशोधन उसी तारीख से प्रभावी बनाया जा रहा है। इस संशोधन को भूतलक्षी रूप में प्रभावी किये जाने से किसी भी यांत्रिक आपरेटर के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

*New Delhi, the 31st December 1971*

**G.S.R. 115.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force with effect from 1st January, 1972.

2. In the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), after sub-rule (1) of rule 12, the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), recruitment to the Lower Division Grade of the Service may also be made from amongst persons holding posts of Telephone Operators in any Ministry or Office specified in columns (2) and (3) of the First Schedule and who are declared qualified for induction to the Service on the results of the qualifying examination held for this purpose by the Institute of Secretariat Training and Management.

(1B) The rules for the examination referred to in sub-rule (1A) shall be as determined by regulations made by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat.".

3. In rule 17 of the said rules, in sub-rule (3), under the heading "II-Lower Division Grade", in item (ii), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

"(aa) Notwithstanding anything contained in clause (a), the seniority of persons falling in the category specified in sub-rule (1A) of rule 12 shall be such as may be determined by the Central Government in the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat.".

[No. 8/58/71-CS(II) (i).]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 1971

**सा० का० नि० 115.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 का संशोधन करनेहेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम तारीख 1-1-1972 से लागू होंगे,

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 में (इसके बाद उपर्युक्त नियम के रूप में उल्लिखित किए जाने वाले), नियम 12 के उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम जोड़ दिए जाएंगे, अर्थात :—

"(1क) उप-नियम (1) में दी गई किसी व्यवस्था के बावजूद इस सेवा के अवसर श्रेणी ग्रेड की भर्ती किसी मंत्रालय या पहली अनुसूची के कालम (2) और (3) में निर्धारित कार्यालय में टेलीफोन आपरेटरों के पद ग्रहीत व्यक्तियों, जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्था द्वारा इस प्रयोजन के लिये ली जाने वाली अर्हक परीक्षा के परिणामों के आधार पर इस सेवा में सम्मिलित करने के लिए सफल घोषित किए गए हों, में से की जायगी।

(1ख) उप-नियम (1क) में उल्लिखित परीक्षा के नियम वे होंगे जिन्हें मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग में केन्द्रीय सरकार निर्धारित करे।"

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 17 में, उप-नियम (3) के "II-अवर श्रेणी ग्रेड" शीर्षक के अन्तर्गत मद (ii) में धारा (क) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ दी जायगी, अर्थात् :—

"(कक) धारा (क) मे दी गई किसी व्यवस्था के बावजूद नियम 12 क उप-नियम (1क) में विहित वर्ग क अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता वह होगी जिस मंत्रिमण्डल सचिवालय के कार्मिक विभाग में केन्द्रीय सरकार निर्धारित करें।"

[सं० 8/58/71-के० से० (II) (i)]

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव।

---

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 5th January 1972*

**G.S.R. 116.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendments to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) First Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III appended to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "A. Posts carrying pay above the time-scale pay of the Indian Police Service under the State Governments", under the sub-heading "Union territories", for the entries.

"Government of Manipur Inspector General of Police Rs. 1,600—100—1,800.

Government of Tripura Inspector General of Police, Rs. 1,600—100—1,800",

the following entries be substituted, namely:—

"Government of Manipur Inspector General of Police—Rs. 1,600—100—2,000,

Government of Tripura Inspector General of Police—Rs. 1,600—100—2,000".

[No. 1/110/71-AIS(II).]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 5 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 116.—भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम 1954 के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1-(1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा वेतन पहला संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 के साथ संलग्न अनुसूची II1 में "क-राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा के समय वेतन-मान से ऊपर वेतन वाले पद" शीर्षक के अधीन उप-शीर्षक "संघ शासित क्षेत्र" के अधीन निम्नलिखित प्रविष्टियों के स्थान पर,—

"मणिपुर सरकार पुलिस के महानिरीक्षक 1,600-100-1 800 त्रिपुरा सरकार पुलिस के महानिरीक्षक 1,600-100-1,800" निम्नलिखित प्रविष्टयों प्रतिस्थापित की जांय, अर्थात् :—

"मणिपुर सरकार पुलिस के महानिरीक्षक-1,600-100-2 000 त्रिपुरा सरकार पुलिस के महानिरीक्षक-1,600-100-2 000"

[सं० 1/110/71-अ०भा०से० (II)]

बी० नरसिंहन, अवर सचिव।

---

**(Department of Personnel)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 30th December 1971*

G.S.R. 117.—In the notification of the Government of India in the Department of Personnel No. G.S.R. 1352, dated the 10th August, 1971, relating to the Central Vigilance Commission (Research Assistant) Recruitment Rules, 1971, published at pages 3724-3727 of the Gazette of India, Part II Section 3—sub-section (i), dated the 18th September, 1971, the following shall in inserted on page 3727 in column 11 of the Schedule—

in line 7 after the word "Law" the word "and" shall be inserted.

[No. 269/1/70-AVD. II.]

B. C. VANJANI, Under Secy.

**MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION**

**ORDER**

*New Delhi, the 13th December 1971*

G.S.R. 118.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred on the Central Government by rule 90 of the Defence of India Rules, 1971, shall also be exercised and discharged by the officers mentioned below.—

1. The Director General of Civil Aviation,

2 The Deputy Director-General of Civil Aviation.

[No. F. Av. 11015/7/71-A.]

S. N. KAUL, Dy Secy.

**पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय**

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 118.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 90 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निवहर्न नीचे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. नागर विमानन महानिदेशक

2 नागर विमानन उप-महानिदेशक

[सं० ए०वी०-11015/7/71-ए]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप-सचिव।

---

**MINISTRY OF RAILWAYS**

**(Railway Board)**

*New Delhi, the 3rd January 1972*

G.S.R. 119.—In pursuance of clause (b) of sub-section (4) of section 8 of the Central Sales Tax Act 1956 (74 of 1956), the Central Government hereby authorises the Sleeper Passing Officers in the Sleeper Control Organisation of the South Eastern Railway, Calcutta to fill and sign the certificates referred to in that clause.

[No. F(S)I71/TX/34/15.]

V. P. SAWHNEY, Secy.

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 3 जनवरी 1972

**सा० का० नि० 119**—केन्द्रीय बिक्री अधिनियम, 1956 (1956 का 74) की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दक्षिण-पूर्व रेलवे, कलकत्ता के स्लीपर नियंत्रण संगठन में स्लीपर पास करने वाले अधिकारियों को उस खंड में उल्लिखित प्रमाणपत्रों को भरने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

[स एफ (एस) I-71/टी एक्स/34/15]

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 22nd January 1972*

**G.S.R. 120.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 122/71-Central Excises, dated the 1st June, 1971, namely:—

(a) In the said notification, in the explanation,—for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) the expression 'alkyd resins' means synthetic resins manufactured by the interaction of poly-basic acids and/or anhydrides (excluding maleic acid/anhydride and fumeric acid except when used to the extent not exceeding two per cent calculated on the quantity of main polybasic acid/anhydride ingredient e.g. phthalic anhydride in the resin, to reduce cooking time and improve the colour of the resin), polyhydric alcohols and monobasic fatty acids and includes chemically modified alkyd resins and liquid alkyd resins but does not include blends or mixtures of alkyd resins with other artificial or synthetic resins;",

(b) in clause (ii), for the words "polyhydric alcohol, resin" the words "polyhydric alcohol, rosin" shall be substituted.

[No. 10/72.]

P. R. KRISHNAN, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 120.**—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 122/71-के०उ० शु०, तारीख 1 जून, 1971 में निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, पष्टीकरण में, खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(i) "एलकलाइड राल" पद से वह संश्लिष्ट राल अभिप्रेत है जिसका विनिर्माण बहुक्षारीय अम्लों और या अनहाइड्राइडों, (मलेइक अम्ल/अनहाइड्राइड और पयूमेरिक अम्ल को, उन दशाओं के सिवाय जब पकने का समय कम करने और राल के रंग में सुधार करने के लिए मुख्य बहुक्षारीय अम्ल/अनहाइड्राइड संघटक, उदाहरणार्थ, राल में थैलिक अनहाइड्राइड के परिमाण पर संगणित दो प्रतिशत से अनधिक विस्तार तक का उपयोग किया जाता है, छोड़कर) पालिहाइड्रिक एलकोहल और एकक्षारी वसा अम्लों की पारस्परिक क्रिया से होता है तथा इसके अन्तर्गत रासायनिक रूप से परिवर्तित एलकलाइड राल और द्रव एलकलाइड राल है, किन्तु अन्य कृत्रिम या संश्लिष्ट रालों के साथ एलकलाइड रालों के सम्मिश्रण या मिश्रण सम्मिलित नहीं है;"

(ख) खंड (ii) में, "पालिहाइड्रिक एलकोहल, राल" शब्दों के स्थान पर "पालिहाइड्रिक एलकोहल रोजिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 10/72]

पी० आर० कृष्णन्, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 22nd January 1972*

**G.S.R. 121.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts the print of a parent cinematograph film from the whole of the duty of excise leviable thereon under Item No. 37(II) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) provided the proper officer of Central Excise is satisfied that the said print is used solely for preparing a dubbed version in another language and is not fit for exhibition after such use.

[No. 12/72.]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

## (राजस्व और बीमा विभाग)

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 121.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मूल सिनेमाटोग्राफ फिल्म की प्रति को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 37(2) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है, परन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उचित अधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि उक्त प्रति दूसरी भाषा में डब किए गए उत्थे को बनाने के लिए केवल उपयोग की गई है और ऐसे उपयोग के पश्चात् प्रदर्शन के लिए वह उपयोग नहीं है।

[सं० 12/72]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

---

## (Department of Expenditure)

### ORDER

*New Delhi, the 11th January 1972*

G.S.R. 122. In exercise of the powers conferred by rule 84 of the Fundamental Rules, the President hereby makes the following rules further to amend the Study Leave Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Study Leave (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 18 of the Study Leave Rules, 1962, in sub-rule (1)—

(a) in clause (i), for the words "double the amount," the words "the actual amount" shall be substituted;

(b) the first proviso shall be omitted; and

(c) in the second proviso, for the words "Provided further," the word "Provided" shall be substituted.

[The Study Leave Rules, 1962 were last amended *vide* Order No. 4(1)-Est.IV(A)/70 dated the 7th September 1971.]

[No. 4(5)-E.IV(A)/70.]

V. K. PANDIT, Under Secy.

---

## CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

### CENTRAL EXCISE

*New Delhi, the 22nd January 1972*

G.S.R. 123. In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944 the Central Board of Excise and Customs hereby declares that the procedure laid down in the said rule for export out of India of articles under rebate of duty on the excisable contents thereof shall apply to Waterproof Canvas Water Bags.

[No. 13/72.]

K. L. MUKHERJI, Under Secy.

## केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

### केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 123.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-क के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा घोषित करता है कि ऐसी वस्तुओं के, जो उनकी उत्पाद-शुल्क योग्य अन्तर्वस्तुओं पर शुल्क के रिबेट के अधीन हैं, भारत से बाहर निर्यात के लिए, उक्त नियम में अधिकाधिक प्रक्रिया जलरोधी कनवास जल थैलों को लागू होगी।

[सं० 13/72]

के० एल० मखर्जी, अवर सचिव।

---

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

### *ERRATUM*

*New Delhi, the 11th January 1972*

G.S.R. 124. In the Department of Company Affairs Notification No. G.S.R. 1665 published in the Gazette dated 6th November, 1971, the word "or" appearing in clause (iii) of Note 2 may be read as "of".

H. S. KAMLANI, Under Secy.

[No. 28/1/71-CL. V.]

---

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### (Deptt. of Industrial Development)

*New Delhi, the 7th January 1972*

G.S.R. 125.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I Class II Gazetted posts] Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I and Class II (Gazetted Posts)] Recruitment (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Research and Development Organisation for Electrical Industry [Class I and Class II (Gazetted Posts)] Recruitment Rules, 1969 (herein after the referred to as the said rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. *Disqualification.*—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

3. In the Schedule to the said rules,

(i) in the entries against item 4 relating to the post of Deputy Director, in column 7, under the heading "Essential", for item (ii), the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) About 8 years' experience in a technical organisation or industrial concern of repute including 3 years' experience in research, development, design, or manufacture in a field .. ..... ...

NOTE.—The field of specific experience to be included at the time of recruitment.

(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified)."

(ii) in the entries against item 5 relating to the post of Assistant Director, in column 7, under the heading "Essential", for items (i) and (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(i) Degree in Electrical/Electronics/Mechanical Engineering/Metallurgy from a recognised University/ Institution or equivalent.

(ii) About 5 years' experience in a technical organisation or industrial concern of repute including 2 years' experience in research, development, design or manufacture in a field... .. .. .

NOTE.—The field of specific experience to be included at the time of recruitment.

(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).".

(iii) in the entries against item 6 relating to the post of Engineer, in column 7, under the heading "Essential", for item (ii), the following shall be substituted, namely:—

"(ii) About 1 year's experience in a technical organisation or industrial concern of repute including experience in research, development, design, or manufacture in a field. .....
..... .....

NOTE.—The field of specific experience to be included at the time of recruitment.

(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified)."

(iv) against item 8, in column 1 for the words "Assistant Director and Administrative Officer." the words 'Administrative Officer" shall be substituted.

[No. A-12018/3/70-E. I.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

## औद्योगिक और विकास मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 125.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा वैद्युत् उद्योग के लिए अनुसन्धान तथा विकास संगठन [श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 (राजपत्रित पदों)] के भर्ती नियम, 1969 में अग्रेतर संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. 1. इन नियमों को वैद्युत् उद्योग के लिए अनुसन्धान तथा विकास संगठन [श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 (राजपत्रित पदों)] के भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. वैद्युत् उद्योग के लिए अनुसन्धान तथा विकास संगठन [श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 (राजपत्रित पदों)] के भर्ती नियम, 1969 (इसके पश्चात् ये उक्त नियम कहे जायेंगे) नियम 5 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"5—अनर्हता : कोई व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसी/ऐसे महिला/पुरुष से विवाह कर लिया अथवा पाणिग्रहण कर लिया है जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी महिला/पुरुष से विवाह कर लिया है या पाणिग्रहण कर लिया है, उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति तथा अन्य पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह उचित है और ऐसा करने के अन्य कारण है तो वह इस नियम से व्यक्ति को छूट दे सकती है।"

"3. उक्त नियमों की अनुसूची में,

(1) 'अनिवार्य' शीर्षक के अन्तर्गत स्तम्भ 7 में उपनिदेशक के पद से सम्बन्धित मद 4 के सामने दी गई प्रविष्टि में, मद (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्

"(2) किसी प्रसिद्ध तकनीकी संगठन अथवा औद्योगिक उपक्रम में लगभग 8 वर्ष का अनुभव जिसमें अनुसन्धान, विकास, डिजायन अथवा निर्माण के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव भी शामिल है...

नोट:—विशिष्ट अनुभव क्षेत्र भरती के समय सम्मिलित किया जायेगा। (अन्यथा योग्य प्रत्याशियों के प्रकरण में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है)"

(II) "अनिवार्य" शीर्षक के अन्तर्गत कालम 7 में सहायक-निदेशक के पद से सम्बन्धित मद 5 के सामने की गई प्रविष्टि मे, (i) एवं (ii) मदों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इलैक्ट्रीकल/इलैक्ट्रोनिक्स/मैकेनीकल इंजीनियरिंग/मेटलर्जी मे डिग्री अथवा इसके समक्ष+योग्यता ।

(ii) किसी तकनीकी संगठन अथवा किसी प्रसिद्ध औद्योगिक उपक्रम मे लगभग 5 वर्ष का अनुभव जिसमे अनुसन्धान, विकास, डिजायन अथवा निर्माण के क्षेत्र मे 2 वर्ष का अनुभव भी शामिल है

नोट —विशिष्ट अनुभव क्षेत्र भर्ती के समय सम्मिलित किया जाना । (अन्यथा योग्य पत्याशियो के प्रकरण मे संघ लोक सेवा आयोग के स्वनिर्णय पर योग्यता मे छूट दी जा सकती है)

(III) "अनिवार्य" शीर्षक के अन्तर्गत कालम 7 मे इंजीनियर के पद से सम्बन्धित मद 6 के सामने दी गई प्रविष्टि मे, मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् —

"(ii) किसी तकनीकी संगठन अथवा किसी प्रसिद्ध औद्योगिक उपक्रम मे लगभग 3 वर्ष का अनुभव जिसमे अनुसन्धान, विकास, डिजायन अथवा निर्माण के क्षेत्र मे अनुभव भी शामिल है

नोट —विशिष्ट अनुभव क्षेत्र भर्ती के समय सम्मिलित किया जाना । (अन्यथा योग्य पत्याशियो के प्रकरण मे संघ लोक सेवा आयोग के स्वनिर्णय पर योग्यता मे छूट दी जा सकती है)

(4) मद 8 के सामने कालम 4 मे "सहायक निदेशक तथा प्रशासनिक"; शब्दो के स्थान पर 'प्रशासनिक अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० ए-12018/3/70-ई आई]

जी० रामनाथन्, अवरसचिव ।

---

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

### (Department of Health)

*New Delhi, the 10th December 1971*

**G.S.R. 126.**—*In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Biochemist, Serologist Department, Calcutta, Recruitment Rules, 1969, namely:—*

1 **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Biochemist, Serologist Department, Calcutta, Recruitment (Amendment) Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Biochemist, Serologist's Department, Calcutta, Recruitment Rules, 1969, for rule 4 the following rule shall be substituted, namely:—

"4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule"

[No. F.14-7/68-MA(A)]

### स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

अधिसूचना

**जी०एस०आर० 126.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा जीव रसायनज्ञ सीरमविद् विभाग, कलकत्ता भर्ती नियावली 1969 को आग और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है नामत.

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ —

1. ये नियम जीव रसायनज्ञ, सीरमविद् विभाग कलकत्ता भर्ती (संशोधन) नियमवली, 1971 कहलाये जा सकेंगे

2. ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगे ।

2. जीव रसायनज्ञ सीरमविद् विभाग कलकत्ता, भर्ती नियामवली, 1969 में नियम 4 के बदले निम्नलिखित नियम रखा जायेगा नामत:—

"4. अनर्हता.—कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह को संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

[सं० फा० 14-7/68-एम०(ए).]

**G.S.R. 127.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Accounts Officer, Serologist Department, Calcutta Recruitment Rules, 1970, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Accounts Officer, Serologist Department, Calcutta Recruitment (Amendment) Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Accounts Officer, Serologist Department Calcutta, Recruitment Rules, 1970 for rule 4 the following rules shall be substituted, namely —

"4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule"

[No F 14-7/68-MA(B)]

SATHI BALAKRISHNA, Under Secy

**जी०एस०आर० 127** —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्-द्वारा लेखा अधिकारी सीरमविद् विभाग, कलकत्ता भर्ती नियमावली, 1970 को आगे और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत.—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

1. ये नियम लेखा अधिकारी सीरमविद् विभाग, कलकत्ता, भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1971 कहलाये जा सकेंगे।

2. ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगें।

2. लेखा अधिकारी सीरमविद् विभाग कलकत्ता भर्ती नियमावली, 1970 मे नियम 4 बदले निम्नलिखित् नियम रखा जायेगा, नामत —

4. अनर्हता — कोई भी व्यक्ति।

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की सविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की सविदा करता / करती है,

सेवा मे नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है।

[सं० फा० 14-7/68 एम०ए० (बी)]

सती बालाकृष्णा, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 1972/माघ 9, 1893
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 1972/MAGHA 9, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.


## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमे साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

CUSTOMS

*New Delhi, the 29th January 1972*

**G.S.R. 128.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts component parts of dumpers, when imported into India and proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to be required for the purpose of manufacture of assembly of dumpers, from so much of the duty of customs leviable thereon under the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of the rate applicable under the latter mentioned Act to dumpers when imported complete, subject to the following conditions, namely:—

(i) the Directorate General of Technical Development of the Ministry of Industrial Development, or

the Managing Director, Bharat Earth Movers Limited, in the case of Bharat Earth Movers Limited,

certifies in each case that the component parts in question are or will be required for the purpose specified above and recommends grant of the above exemption;

(ii) the importer shall, by the execution of a bond in such form and in such sum as may be prescribed by the Assistant Collector of Customs, bind himself, to pay on demand, in respect of such component parts as are not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used for the aforesaid purpose, an amount equal to the difference between the duty leviable on such component parts but for the exemption contained herein and that already paid at the time of importation.

[No. 23/F. No. 355/80/71-Cus I.]
J. DATTA, Dy Secy.

### वित्त मंत्रालय

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 128.—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, डम्परों के

के संदाय करके वितरण पावती के लिए आवेदन करने का हकदार होगा :—

| | फीस | |
|---|---|---|
| | भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान के लिए | अन्य विदेशों के लिए |
| (क) जल-थल मार्ग से लौटाई जाने वाली वितरण पावती .— | | |
| (i) "अन्य साहित्य" पैकेटों के लिए | कुछ नही | कुछ नही |
| (ii) "अन्य साहित्य" पैकेटों से भिन्न वस्तुओं के लिए | 15 पै० | 1 25 रु० |
| (ख) वायु मार्ग से लौटाई जाने वाली वितरण पावती .— | | |
| (i) "अन्य साहित्य" पैकेटों के लिए | 15 पै० | 35 पै० |
| (ii) "अन्य साहित्य" पैकेटों से भिन्न वस्तुओं के लिए | 30 पै० | 1 60 रु० |

(2) नीचे उपदर्शित फीसो के संदाय पर तथा नियम 71-क में अधिकथित शर्तों के अधीन वस्तु को डाक द्वारा भेजने के पश्चात् वितरण पावती के लिए आवेदन किया जा सकेगा :—

| | फीस | |
|---|---|---|
| | भूटान, नेपाल, तथा पाकिस्तान के लिए | अन्य विदेशों के लिए |
| (क) जल-थल मार्ग से लौटाई जाने वाली वितरण पावती : | | |
| (i) "अन्य साहित्य" पैकेटों के लिए | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| (ii) "अन्य साहित्य" पैकेटों से भिन्न वस्तुओं के लिए | 30 पै० | 2.50 रु० |
| (ख) वायु मार्ग से लौटाई जाने वाली वितरण पावती : | | |
| (i) "अन्य साहित्य" पैकेटों के लिए | 30 पै० | 70 पै० |
| (ii) "अन्य साहित्य" पैकेटों से भिन्न वस्तुओं के लिए | 60 पै० | 3.20 रु० |

(3) जब प्रेषक वितरण पावती के बारे में पूछताछ करे, जो उसे प्रसामान्य अवधि के भीतर प्राप्त न हुई हो, तो न द्वितीय वितरण पावती फीस, न पूछताछ और जानकारी हेतु अनुरोध के लिए नियम 72-क में विहित फीस संग्रहीत की जाएगी।"

3. उक्त नियम के नियम 71 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"71—क (1) पूछताछ और जानकारी हेतु अनुरोध पर वस्तु के डाक में डाले जाने के दिन के पश्चात् एक वर्ष की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा।

(2) जब भारत मे डाक में दी गई और विश्व डाक संघ के किसी देश के पते से भेजी गई वस्तु के प्रेषक के वितरण पावती के लिए फीस का संदाय (नियम 71) न किया हो और वस्तु के व्ययन के बारे मे जाच करवाने की वांछा रखता हो तो वह नीचे उपदर्शित फीस के संदाय पर इस सेवा का हकदार होगा :

| | फीस | |
|---|---|---|
| | भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान के लिए | अन्य विदेशों के लिए |
| (i) केवल "अन्य साहित्य" के पैकेटों के लिए | कुछ नही | कुछ नही |
| (ii) "अन्य साहित्य" पैकेटों से भिन्न वस्तुओं के लिए | 15 पै० | 2.00 रु० |

परन्तु यदि तार द्वारा पारेषण के लिए अनुरोध किया जाय, और जहां जवाब के लिए लागू हो वहां पूछताछ फीस के अतिरिक्त, तार खर्च संग्रहीत किया जाएगा।

(3) यदि भारत से भिन्न विश्व डाक संघ के किसी अन्य देश में डाक मे दी गई और विश्व डाक संघ के अन्य देश में किसी स्थान के पते पर भेजी गई वस्तु का प्रेषक या प्राप्तकर्ता वांछा करता हो कि भारतीय डाक प्रशासन को वस्तु के व्ययन के बारे में उसकी पूछताछ प्रारम्भ के प्रशासन को भेजना चाहिये वह उप-नियम (2) मे उल्लिखित फीसों के संदाय पर इस सेवा का हकदार होगा।

(4) जब पूछताछ उसी प्रेषक द्वारा, उसी प्राप्तकर्ता को उसी कार्यालय से डाक में दी गई विभिन्न वस्तुओं से संबंधित हो, तो एक ही बार पूछताछ फीस उद्ग्रहणीय होगी। किन्तु यह भारत में डाक में दी गई और भूटान, नेपाल या पाकिस्तान के पते पर भेजी गई वस्तुओं के मामले में लागू नहीं होगा। किन्तु, रजिस्ट्रीकृत वस्तुओं के मामले में, जिन्हें प्रेषक के अनुरोध पर विभिन्न भागों से भेजना था, अलग फीस प्रयुक्त प्रत्येक मार्ग के लिए संग्रहीत की जाएगी।

(5) यदि पूर्वोक्त सूचना या जानकारी के लिए अनुरोध देरी की गलती के कारण हुआ हो तो, उसके लिए संगृहीत फीसें वापस की जाएंगी।"

[सं० 1-19/71-आर०]

के० आर० मूर्ति

निदेशक डाक।

---

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 14th January 1972*

G.S.R 131.—The following draft of rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that any objections or suggestions received from any person with respect of the said draft on or before the 15th March 1972 will be considered by the Central Government.

*Draft rules*

1 These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules, 1972.

2 In the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, in sub-rule (2) of rule 1, the *proviso shall be omitted.*

[No. S-65012/2/71-LR.I.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय**

**श्रम और रोजगार विभाग**

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 131.—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उनसे प्रभावित होना सम्भाव्य है, और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति से 15 मार्च, 1972 को या उसके पूर्व प्राप्त किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

**नियमों का प्रारूप**

1. इन नियमों का नाम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1972 होगा।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में, नियम 1 के उपनियम (2) से, परन्तुक लुप्त कर दिया जाएगा।

[फा० सं० एस० 65012/2/71-एल० आर० 1]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव।

**विधि और न्याय मंत्रालय**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 153 (ई).—यतः पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 79 द्वारा, केन्द्रीय सरकार को, आदेश द्वारा, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी विधि के ऐसे अनकूलीकरणों और उपान्तरों को करने के लिए, जो उस संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में ऐसी विधि को लागू करने में सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन हो, सशक्त किया गया है ;

अतः, अब, उक्त धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (अरुणाचल प्रदेश) विधियों का अनकूलीकरण आदेश, 1972

1. (1) इस आदेश का नाम पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) (अरुणाचल प्रदेश) विधियों का अनकूलीकरण आदेश, 1972 होगा।

(2) यह जनवरी, 1972 के इक्कीसवें दिन को प्रवृत्त होगा।

2. (1) इस आदेश में, 'नियत दिन' से जनवरी, 1972 का इक्कीसवां दिन अभिप्रेत है।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897, जैसा वह किसी केन्द्रीय अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता हो, वैसा ही इस आदेश के निर्वचन के लिए लागू होता है।

3. नियत दिन से, इस आदेश की अनसूची में उल्लिखित विनियम, जब तक सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न किए गए हों, तब तक अनुसूची द्वारा निर्दिष्ट अनुकूलीकरणों और उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।

4. जब कभी नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में उल्लिखित कोई पद किसी विनियम के किसी नाम या उद्देश्य में या किसी प्रोद्धरण या वर्णन में (अन्यथा) इस आदेश की अनसूची में उल्लिखित किसी विनियम में आता हो, तब उस विनियम के, यथास्थिति, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को लागू होने में, जब तक वह पद इस आदेश द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनकूलीकरण किए जाने या उपान्तर किए जाने के लिए अन्यथा निर्दिष्ट न हो, या जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक उसके लिए उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में, उसके सामने दिया गया पद प्रतिस्थापित किया जाएगा और किसी वाक्य में, जिसमें वह पद आता हो, ऐसे अतिरिक्त अनुकूलन भी किए जाएंगे, जो व्याकरण के नियम द्वारा अपेक्षित हों।

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी का असम के राज्यपाल } राज्यपाल | अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र प्रशासक |

5. जहां यह आदेश अपेक्षा करता हो कि किसी विनिर्दिष्ट विनियम में या ऐसे विनियम की किसी धारा या अन्य प्रभाग मे, कतिपय अन्य शब्दों के स्थान पर कतिपय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे, वहां अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित किया गया हो उसके सिवाय वह प्रतिस्थापन, जहां कहीं भी निर्दिष्ट शब्द उस विनियम मे या, यथास्थिति, उस धारा या प्रभाग मे, आते हों, किया जाएगा ।

9 इस आदेश के उपबन्ध, जो किसी विनियम को इस प्रकार अनकूलित या उपान्तरित करते है ताकि वह रीति जिसमे, वह प्राधिकार, जिससे या वह विनियम जिसके अधीन या उसके अनसार किन्हीं शक्तियां प्रयोक्तव्य है, परिवर्तित हो, नियत दिन के पूर्व सम्यक रूप मे की गई या दी गई किसी अधिसूचना, आदेश, अनज्ञप्ति, अनुज्ञा, अधिनिर्णय, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम या विनियम या सम्यक रूप से की गई किसी बात को अविधिमान्य नही बनाएँगे और ऐसी कोई अधिसूचना, आदेश, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा, अधिनियम, सुपुर्दगी, कुर्की, उपविधि, नियम, विनियम, या बात वैसी ही रीति में वैसे ही विस्तार तक और वैसी ही परिस्थितियों में, प्रतिसंहृत, फेरफारित या अकृत की जा सकेगी, मानो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा और ऐसे मामले को उस समय लागू उपबन्धों के अधीन और उन के अनुसार इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात् बनाई गई थी जारी की गई थी या की गई थी ।

अनुसूची

पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र (प्रशासन) विनियम, 1954
(1954 का सं० 1)

धारा 2 : खण्ड (क) मे, "पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी" पद जिसका उपान्तरित होगा ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (पोर्टरों के रूप में सेवा की अपेक्षा) विनियम, 1954
(1954 का सं० 2)

धारा 1 ; उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(2) इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश के सम्पूर्ण संघ राज्यक्षेत्र पर है" ।

धारा 2 : (i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुन: अक्षरित करें और इस प्रकार पुन: अक्षरित खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित अन्त:स्थापित करें—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है";

(ii) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(ख) 'जनजाति क्षेत्र' से पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र (प्रशासन) विनियम, 1954 (1954 का 1) की धारा 2 के खण्ड (क) मे विनिर्दिष्ट क्षेत्रों मे से कोई क्षेत्र अभिप्रेत है ।"

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (राजनीतिक अधिकारियों के कृत्यों का प्रत्यायोजन) विनियम, 1957
(1957 का सं० 4)

धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे—

"परिभाषाएं—2. इस विनियम मे,—

(क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "राजनीतिक अधिकारी" से अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र मे किसी खण्ड या क्षेत्र का राजनीतिक अधिकारी अभिप्रेत है ।"

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (प्रति-डोई कर का उत्पादन और गृह-कर का उद्ग्रहण) विनियम, 1959
(1959 का सं० 5)

धारा 2 (i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप मे पुन अक्षरित करें और इस प्रकार पुन: अक्षरित खण्ड के पूर्व, निम्नलिखित अन्त स्थापित करे—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;";

(ii) उपखण्ड (ख) को हटा दें ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (विधियो का विस्तार) विनियम, 1960
(1960 का सं० 3)

धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"परिभाषाएं 2—इस विनियम मे 'खण्ड' से पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र (प्रशासन) विनियम, 1954 (1954 का 1)

की धारा 2 में विनिर्दिष्ट सीमान्त खण्डों में का कोई खण्ड अभिप्रेत है।" ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (हाथियों का परिरक्षण) विनियम, 1962

(1962 का सं० 1)

धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"परिभाषाएं 2.—इस विनियम में 'खण्ड' से पूर्वोत्तर सीमान्त क्षेत्र (प्रशासन) विनियम, 1954 (1954 का 1) की धारा 2 में निर्दिष्ट सीमान्त खण्डों में का कोई खण्ड अभिप्रेत है।" ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी (दाण्डिक विधि संशोधन) विनियम, 1962

(1962 का सं० 2)

धारा 2 को हटा दे ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजन्सी राज्य सरकार के प्रति निर्देशो का अर्थान्वयन) विनियम, 1965

(1965 का स० 4)

धारा 2 खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक अभिप्रेत है,

धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे—

| | |
|---|---|
| "संसद् के अधिनियमो, आदि मे राज्य सरकार के प्रति निर्देशों का अर्थान्वयन | 3. अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र मे प्रवृत्त किसी विधि मे राज्य सरकार के प्रति निर्देशो का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश है, और जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तब तक उनमे प्रशासक के प्रति निर्देश भी सम्मिलित हैं।" |

धारा 4 विलोपित होगी ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजन्सी (प्रशासन) विनियम, 1965

(1965 का सं० 2)

धारा 2 : खण्ड (ग) को हटा दें ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी पंचायत राज विनियम, 1967

(1967 का सं० 3)

धारा 2 : (क) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"(i) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;"

(ख) खण्ड (vi) और (viii) हटा दें ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी लोक नियोजन (निवास के बारे में आवश्यकता) विनियम, 1968

(1968 का स० 2)

धारा 2 : (i) "पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी सिविल सेवा" के स्थान पर, "अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा" प्रतिस्थापित करे,

(ii) स्पष्टीकरण हटा दे ।

पूर्वोत्तर सीमान्त एजन्सी निवारक निरोध विनियम, 1970

(1970 का स० 1)

धारा 2 (क) खण्ड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तः स्थापित करें—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;";

(ख) खण्ड (iv) और (v) हटा दें ।

धारा 6 खण्ड (ख) और उसके परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित करे—

"(ख) प्रशासक के आदेश द्वारा निरोध के एक स्थान से निरोध के अन्य स्थान को हटाया जाना, चाहे अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के भीतर हो या उस राज्यक्षेत्र के बाहर हो :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन प्रशासक द्वारा, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र से किसी व्यक्ति को किसी राज्य या अन्य संघ राज्यक्षेत्र में हटाने के लिए, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार या उस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक की सम्मति के सिवाय कोई आदेश नहीं किया जायेगा।"

[redacted] (प्रशासन) अनुसूचक

विनियम, 1971

(1971 का सं० 4)

धारा 2 : (i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति-स्थापित करें—

"(क) 'प्रशासक' से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अरुणाचल प्रदेश संघ [redacted]

(ii) खण्ड (ग) लुप्त है।

[सं० एफ० 19(1)/72-एल ।]

एन० डी० पी० नम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 5, 1972/ माघ 16, 1893
No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 5, 1972/MAGHA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं )।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

*New Delhi, the 31st May, 1971*

**G.S.R. 132.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of persons to the posts of Assistant Edudation Officers and Evaluators for Correspondence course in the Central Hindi Directorate, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Central Hindi Directorate Assistant Education Officers and Evaluators for Correspondence Course *Recruitment Rules, 1970.*

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified to columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment of the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the age limit specified in column 6 of the said schedule for direct recruitments may be relaxed in the case of persons belonging to any Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. ***Disqualification.***—*(a) No person, who has more* than one wife living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment to the said posts; and

(b) No woman, whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage, shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Assistant Education Officer (Correspondence Course) in the Ministry of Education & Social Welefare, Central Hindi Directorate*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age for direct recruits | Education and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant Education Officer (Correspondence Course) | 3 | General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial | Rs. 400-25-500-30-590-EB-30-680. | Not applicable. | 35 years and below (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(i) Second Class Master's Degree in Hindi with English as one of the subjects at Degree level from a recognised University or equivalent.<br>(ii) Degree or Diploma in Education of a recognised University or Institution.<br>(iii) About 5 years' experience of teaching Hindi, preferably non-Hindi to speaking people (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>Working knowledge of at least one modern India language other than Hindi |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation if any | Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation or transfer grades from which promotion or deputation or transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluator | 15 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 325-15-475-EB-20-575. | Not applicable | 35 yrs. and below (Relaxable for Government servants). | *Essential* : (i) Second Class Master's degree in Hindi with English as one of the subjects at Degree level from a recognised University or equivalent.<br>(ii) Degree or Diploma in Education of a recognised Univ. or Instt.<br>(iii) About 3 years' experience of teaching Hindi preferably to non-Hindi speaking people.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* : Working knowledge of at least one modern Indian language other than Hindi |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. 21-55/68-H. I]

N. K. CHAUHAN,
Assistant Educational Adviser.

**शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय**

नई दिल्ली, 31 मई, 1971

**सी० एस० आर०** 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए सहायक शिक्षा अधिकारियों और मूल्याककों के पदों पर भर्ती को पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** —(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय मे पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए सहायक शिक्षा अधिकारी और मूल्यांकक भर्ती नियम, 1970 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** —ये नियम इससे अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाए, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 मे सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और किसी अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हता**.—(क) कोई भी व्यक्ति जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी ऐसी दशा मे विवाह करता है जिसमें उस पत्नी के जीवनकाल मे किए जाने के कारण वह विवाह शून्य हो, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नही होगा।

(ख) कोई भी स्त्री, जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति की पात्र नही होगी

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा आदेश देने के लिए विशेष आधार हैं, जो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन-से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करन की शक्ति**.—जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है उन्हे लिपिबद्ध करके तथा सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक शिक्षा अधिकारी | 3 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अननु-सचिवीय। | 400–25–500–30–590–द०रो०–30–680 रु० | लागू नही होता | 35 वर्ष और उससे कम (सरकारी सेवाओ के लिये शिथिल की जा सकती है) | **आवश्यक :**<br>1. स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर की डिग्री या समतुल्य,<br>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय या संस्थान की शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा,<br>3. हिन्दी पढ़ाने का, अधिमानत. अहिन्दी भाषी लोगों को लग-भग 3 वर्ष का अनुभव लगभग (अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है)<br>**वांछनीय :**<br>हिन्दी से भिन्न कम से कम किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा में कार्यकारी ज्ञान |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियो पर लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तण किया जाना है | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्यांकक | 15 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 अराजपत्रित अननुसचिवीय। | 325–15–475–द०रो०–20–575 द० | लागू नही होता | 35 वर्ष और उससे कम (सहकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकती है) | **आवश्यक :**<br>1. स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित हिन्दी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में मास्टर की डिग्री या समतुल्य,<br>2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा,<br>3. हिन्दी पढ़ाने का, अधिमानत अहिन्दी भाषी लोगों को लगभग 5 वर्ष का अनुभव लगभग (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अर्हताएं आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं)<br>**वांछनीय**<br>हिन्दी से भिन्न कम से कम किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा में कार्यकारी ज्ञान। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होना | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० फा० 21-55/68-एच-1.]

नरेन्द्र कुमार चौहान,
सहायक शिक्षा सलाहकार।

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

*New Delhi, the 24th December 1971*

**G.S.R. 132.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Zoological Survey of India (Central Service Class III Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Zoological Survey of India (Central Service Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Zoological Survey of India (Central Service Class III posts) Recruitment Rules, 1963, in the Schedule, after Serial No. 41 relating to the post of "Hindi Translator" and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted, namely:—

SCHEDULE

*Zoological Survey of India Recruitment rules for Class III posts*

| Sl. No. | Name of the posts | Number of post | Classification | Scale of Pay | Whether selection or non-selection (posts for promotion posts only) | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfers and percentage of the vacancie to be filled by various methods. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42. | Senior Stenographer | 1 | General Central Service, Class III (Non-Gazetted Ministerial). | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 | Non-Selection | 100% by Promotion failing which, by direct recruitment. |

| For direct recruits only | | Period of probation/ trial, if any | Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectt. will apply in the case of promotees etc. | In case of recruitment by promotion/ transfer grades from which promotion/ transfer to be made | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| Age limit | Educational qualifications required | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24—30 years. | *Essential* :<br>(i) Matriculation or equivalent Examination.<br>(ii) Should have minimum speed of 120 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing.<br>*Desirable* :<br>(i) Previous experience as a stenographer or a personal Assistant in a Government office or a commercial firm.<br>(ii) Ability to read and write Hindi. | 2 years. | No | *Promotion* : Stenographer with 3 years service in the grade. | Not applicable. |

[No. A12018(11)/71-Sur.3.]

K. K. KHULLAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर 1971

सा० का० नि० 133 — राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण (केन्द्रीय सेवा वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1963 में, अनुसूची में "हिन्दी अनुवादक" पद से संबंधित क्रम सं० 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

वर्ग III पदों के लिए भारतीय प्राणी विज्ञानसर्वेक्षण भर्ती नियम

अनुसूची

| क्रम सं० | पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद (केवल प्रोन्नति पदों के लिए | भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | ज्येष्ठ आशुलिपिक | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग III (अराजपत्रित अननुसचिवीय) | 210—10—290—15—320—दे० रो०—15—425 रु० | अचयन | 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा |

| केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | | परिवीक्षा/परीक्षण की अवधि यदि हो | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जाएगा | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु-सीमा | अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24—30 वर्ष | आवश्यक :<br>(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा।<br>(ii) आशुलिपि में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।<br>वांछनीय :<br>(i) किसी सरकारी कार्यालय या वाणिज्यिक फर्म में आशुलिपिक या निजी सहायक के रूप में पूर्व अनुभव।<br>(ii) हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता। | दो वर्ष | नहीं | प्रोन्नति : आशुलिपिक, इस श्रेणी में 3 वर्षों की सेवा सहित। | लागू नहीं होता |

[सं० क 12018(11)/71-सर्वे-3]

के० के० खुल्लर, अवर सचिव।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 30th December, 1971*

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer on Special Duty (Films) in the Ministry of Information and Broadcasting, namely:—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Information and Broadcasting Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and Scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, Age Limit, Qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

THE SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection posts | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Officer on Special Duty (Films). | 1 | General Central Service Class I, Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 700—40—1100—50/2—1250. | Not applicable. | 40 years (Relaxable for Government servants) | *Essential:*<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(ii) At least 5 years administrative experience preferably relating to social and cultural functions.<br>(iii) Knowledge of Government rules and regulations and financial procedures.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>Knowledge and background of world Cinema in general and Indian Cinema and various performing arts in particular. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | By transfer on deputation failing which by direct recruitment. | *Transfer on deputation* :<br>Officers under the Central or State Governments holding analogous posts or those holding posts in the pay scale of of Rs. 400—950 or equivalent with 5 year's service in the grade, or those holding posts in the pay scale of Rs. 350—900 or equivalent with 8 years in the grade and possessing the quaifications prescribed for direct recruits under column 7.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission. |

[No. F A-12018/1/71-Admn. II]

S. N. MITAL, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 134.**— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी (फिल्म) के पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**:—(1) इन नियमो को सूचना और प्रसारण मंत्रालय भर्ती नियमावली 1971 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—पद की सख्या इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान इस नियमावली से संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये अनुसार होंगे ।

3. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा अर्हताएं, आदि** :— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें तथा इनसे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक मे दिये अनुसार होगे ।

4. **अनर्हता ए** :— (क) जिसने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो ।

वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा/होगी ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है, उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण है, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने का अधिकार** .—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

अनुसूची

| पद नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| विशेष कार्य अधिकारी (फिल्म) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा, प्रथम श्रेणी, राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय | 700–40—1100–50/2–1250 रुपये | लागू नही होता | 40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियो के लि छूट) |

| सीधी भर्ती किये जाने वालो के लिये शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित अर्हतायें | क्या सीधा भर्ती किय जाने वालो के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताये पदोन्नति से रखे जाने वाले व्यक्तियो के मामले मे लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| **आवश्यक**<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ।<br>(2) न्यूनतम 5 वर्ष का पर्याप्त अनुभव विशेषकर सामाजिक तथा सास्कृतिक समारोहो के सम्बन्ध मे ।<br>(3) सरकारी नियमो तथा विनियमो और वित्तीय प्रक्रिया का ज्ञान ।<br>(अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवार के मामले मे आयोग के विवेक पर अर्हताओं मे छूट दी जा सकती है )<br>**वांछनीय :**<br>सामान्य रूप से विश्व सिनेमा तथा विशेष रूप से भारतीय सिनेमा एव विभिन्न अभिनय कलाओं की पृष्ठभूमि और जानकारी । | लागू नही होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । |

| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने के लिये वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन | किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी या वे अधिकारी जो 400—950 रुपये के या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर कार्य कर रहे हों, और इस ग्रेड से 5 वर्ष का अनभव रखते हों या वे अधिकारी जो 350—900 रुपये या इसके समकक्ष वेतनमान के पदों पर कार्य कर रहे हों और इस ग्रेड में 8 वर्ष का अनुभव रखते हों और कालम 7 के अन्तर्गत सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिये निर्धारित अर्हतायें रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। | लागू नहीं होता। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है। |

[सं० फा० 12018/1/71—प्रशासन-दो]

एम० एन० मित्तल, अवर सचिव।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi the 3rd January 1972*

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by ıe proviso to article 309 of the Constitution, the Presi- ent hereby makes the following rules to amend the ead Registration Scheme (Class III anl Class IV osts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Herd Registra- on Scheme (Class III and Class IV posts) Recruitment Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Herd Registration Scheme (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1968, for serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Publicity Assistant | Two | General Central Service Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425 | Not applicable | Not exceeding 30 years. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *ssential*: Degree or Diploma in Veterinary Science/ Animal Husbandry/ Agriculture.<br>*esirable*:<br>) Two years' experience in Livestock Development work.<br>i) Experience in publicity work. | Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. A-11020/15/71-EE. III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 135**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यूथ रजिस्ट्रीकरण स्कीम (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची में, क्रम सं० 2 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

अनुसूची

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "2 | प्रचार सहायक | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय | 210–10–290–15– 320–द०रो०–15– 425। | लागू नहीं होता | 30 वर्ष से अधिक न हो |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| आवश्यक। पशुचिकित्सा विज्ञान पशु-पालन / कृषि में उपाधि या डिप्लोमा। वांछनीय : (i) पशुधन विकास कार्य का दो वर्ष का अनुभव। (ii) प्रचार कार्य का अनुभव। | लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० ए-11020/15/71-ई०ई०-2]

रा० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव।

**(Department of Food)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 30th December 1971*

G.S.R. 136.—In the Order of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Food) No G.S.R. 1266, dated the 7th September, 1971, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), at pages 871-872,—

at page 872, line 3, *for* "substituted"

*read* "inserted".

[No. 1-31/70-S. PY.]

A. N. CHADDHA, Under Secy.

(खाद्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

जी०एस०आर० 136—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) का आदेश सं० सा० का०नि० 1266 दिनांक 7 सितम्बर, 1971 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में पृष्ठ 872-873 पर प्रकाशित हुआ था, में पृष्ठ 872 की सातवीं लाइन में "प्रतिस्थापित" के स्थान पर "अन्तर्निविष्ट" पढ़ा जाए।

[सं० 1-31/70-एस० पालिसी]

अमर नाथ चड्ढा, अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**

**(Department of Family Planning)**

*New Delhi, the 20th December 1971*

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Controller of Transport in the Department of Family Planning, namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Department of Family Planning (Deputy Controller of Transport) Recruitment Rules, 1971.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification:** No person;—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other's grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

अनुसूची

| पदनाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन-मान | क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| परिवहन उप-नियंत्रक | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | रु० 700—40—1100—50/2—1250 | लागू नहीं होता | 40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) | अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की मकैनिकल अथवा आटोमोबाईल इंजीनियरिंग की डिग्री अथवा समकक्ष । (2) रखरखाव, मरम्मत और खरीद का काम करने वाले किसी प्रसिद्ध आटोमोबाईल कारखाने में किसी उत्तरदायी पद पर लगभग 5 वर्ष का अनुभव । (3) मानक अनुमान तैयार करने तथा कार्यकुशलता के लिए आयोजन सहित किसी सड़क परिवहन उपक्रम में प्रशासनिक अनुभव । अन्यथा अच्छी अर्हता-प्राप्त प्रत्यायियों के लिये आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय । |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीको द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है । | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के अधीन यथापेक्षित । |

[सं० ए० 12018/7/70-स्थापना—1.]
आर० पी० नरवाहा, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

### (Transport Wing)

*New Delhi, the 31st December 1971*

**G.S.R. 138.**—Whereas the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur had failed to elect a trustee to the Board of Trustees for the Port of Kandla under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), within the period specified therefor under sub-section (4) of the said section 3;

And, whereas, the Central Government had in pursuance of sub-section (1) of section 12 of the said Act directed that the election shall be held on or before the 15th December, 1971, by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. 2-PG(49)/70, dated the 10th December, 1971;

And, whereas, the Rajasthan Chamber of Commerce and Industry, Jaipur, has, in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act elected Shri V. N. Kak as a trustee to represent them on the Board of Trustees for the port of Kandla, before the 15th December, 1971;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (6) of secion 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby notifies the election of Shri V. N. Kak as a trustee on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

[No. 2-PG(49)/70]

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

### (परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 138.—यत: महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जयपुर, कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड पर न्यासी, उक्त धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन उसके लिए विनिर्दिष्ट अवधि में निर्वाचित करने में असफल रहा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन स्कंध) की अधिसूचना स० 2-पी जी (49)/70, तारीख 10 दिसम्बर, 1971 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अनुसरण में यह निदेश दिया था कि निर्वाचन 15 दिसम्बर, 1971 को या उससे पूर्व किया जाएगा ,

और यत: उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अनुसरण में राजस्थान चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, जयपुर ने कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड पर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री वी० एन० काक को 15 दिसम्बर, 1971 से पूर्व न्यासी के रूप में निर्वाचित किया है ;

अत:, अब, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कांडला पत्तन के लिए न्यासियों के बोर्ड के न्यासी के रूप में श्री वी० एन० काक का निर्वाचन अधिसूचित करती है ।

[सं० 2-पी जी (49)/70]

---

**G.S.R. 139.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Visakhapatnam Port Pilotage (Fees) Rules, 1957, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted namely:—

"SCHEDULE I

[*See* Rule 2(iii)]

| Sl. No. | Description of the vessel | Rate of fees |
|---|---|---|
| 1. | All mechanically propelled vessels except sailing vessels not exceeding 500 tons net tonnage. | Rs. 12 per 100 tons of net registered tonnage with a minimum charge of Rs. 60 per vessel. |
| 2. | All other vessels when services of port pilot are actually made use of. | Rs. 60 per vessel". |

[No. 17-PG(29)/71.]

सा०का०नि० 139.—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) ये नियम विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम (द्वितीय संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. विशाखापटनम पत्तन कनहारी (फीस) नियम, 1957 में

अनुसूची 1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 1

[नियम 2 (iii) देखें]

| क्रम सं० | जलयान का विवरण | फीस की दर |
|---|---|---|
| 1 | सभी मशीन नोदित जलयान सिवाय ठीक पांच सौ टन से अनधिक रजिस्ट्रीकृत टनेज के पाल जलयान। | कम से कम 60 रु० प्रति जलयान के प्रभार सहित ठीक रजिस्ट्रीकृत टनेज का प्रति सौ टन 12 रु० |
| 2 | जब पत्तन पाइलट की सेवाओं का वास्तव में प्रयोग किया जाता हो, सभी अन्य जलयान। | 60 रुपए जलयान |

[सं० 17-पी० जी० (29)/71]

*New Delhi, the 4th January* 1972

**G.S.R. 140.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 64A of the Bombay Port Trust Act, 1879 (Bombay Act VI of 1879), the Central Government hereby exempts uncleared goods lying on the premises of the Board for more than two months from the date on which such goods were placed in the custody of the Board and which remain unsold after having been put up for public auction on two occasions under sub-section (2) of the said section 64A, from the operation of section 64A of the said Act.

[No. F. 8-PG(32)/70.]

S. L GUPTA, Under Secy.

नयी दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 140—मुम्बई पत्तन न्यास अधिनियम, 1879 (1879 का मुम्बई अधिनियम 6) की धारा 64क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा न भेजे गये माल को, जो बोर्ड की अभिरक्षा में आने की तारीख से 2 महीने से अधिक से बोर्ड के परिसर में पड़ा हुआ है और जो उक्त धारा 64क की उपधारा (2) के अधीन दो सार्वजनिक नीलामी पर रखे जाने के बाद भी विक्रय नहीं किया जा सकता है, उक्त अधिनियम की धारा 64क के प्रवर्तन से मुक्त करती है ।

[सं० फा० 8-पी जी (32)/70]

क० ल० गुप्ता, अवर सचिव ।

नयी दिल्ली, 28, जनवरी 1969

सा० का० नि० 215.—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 284 की उपधारा (1) और धारा 299 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बनाने की प्रस्थापना करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना सम्भाव्य है, उक्त धारा 299ख की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 1971 के नम्बर के बीसवें दिन या उसके पश्चात् विचार किया जायेगा ।

उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव जो किसी व्यक्ति से यथा विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा ।

1—संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, लागू होना और अपवाद :—(1) ये नियम वाणिज्य पोतपरिवहन (स्थौरा पोत सन्निमणि और सर्वेक्षण) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त हो जायेंगे

(3) जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो ये—

(i) क्रीडा नौकाओं तथा मत्स्य जलयानों से भिन्न, सकल 500 टन या अधिक के भारत में रजिस्ट्रीकृत सभी समुद्र पर जाने वाले स्थौरा पोतों,

(ii) क्रीड़ा नौकाओं तथा मत्स्य जलयानों से भिन्न सकल 50 टन या अधिक के सभी समुद्र पर जाने वाले स्थौरा पोतों, जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, जब वे भारत मे किसी पत्तन या स्थात पर, या भारत के राज्य क्षेत्रीय समुद्र में हों;

को लागू होंगे ।

परन्तु, उपनियम (1) के सिवाय नियम 4 नियम 6 से 12 जिसमें ये दोनों नियम सम्मिलित हैं, नियम 13 का उपनियम (2), नियम 18 का उपनियम (2), नियम 20 के उपनियम (2) के खा (ग) और (घ), नियम 24 उपनियम (1) के सिवाय नियम 25, नियम 27 और नियम 29 का उपनियम (2) ऐसे किसी पोत को लागू नहीं होंगे जिसका पठाण 20 मई, 1965 से पूर्व डाला गया हो।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोतपरिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

(ङ) "ड्राफ्ट पैमाना" से वह पैमाना अभिप्रेत है जो इन नियमों के नियम 12 की अपेक्षाओं के अनुसार है;

(ग) "पोत भीत डैक" से वह सर्वोच्च डैक अभिप्रेत है जिस तक अग्रगामी जल रोक पोत भीतों की बहुसंख्या ले जाई जाती है;

(च) "स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र" इन नियमों के अधीन सकल 500 टन या अधिक के किसी पोत को जो अन्तर्राष्ट्रीय जल यात्रा में नहीं लगा हो, दिया गया स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र अभिप्रेत है;

(छ) "स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र" से इन नियमों के अधीन किसी सकल 500 टन या अधिक के पोत को, जो अन्तर्राष्ट्रीय जल यात्रा में लगा है, दिया गया स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र, अभिप्रेत है;

(ज) "दहनशील सामग्री" से वह सामग्री अभिप्रत है जो अदहनशील सामग्री नही है;

(झ) "नियंत्रण स्टेशन" से वे जगहें अभिप्रेत है, जिसमे रेडियो उपस्कर मुख्य नौपरिवाहक उपस्कर केंद्रीय अग्नि अभिनेखन उपस्कर या आपात जनित्र अवस्थित है या हैं;

(ञ) 'समतुल्य सामग्री" से "इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री" पदाभिव्यक्ति में जहां ये शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं, ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है, जो अपने आप या रोधन विसवाहन की व्यवस्था होने के कारण समुचित अग्नि परीक्षण के पश्चात इस्पात के समतुल्य सरचना और साकत्य गुण रखती हो;

(ट) "सकल टन भार" के वही अर्थ हैं जो इसे वाणिज्य पोत परिवहन (टन भार माप) नियम, 1960 में दिये गये हैं, सिवाय इसके कि जहां पोत का दोहरा टन भार है, इन नियमों के प्रयोजन के लिये, इनमे से जो भी अधिक हो वही इसका टन भार समझा जायेगा ,

(ठ) "अदाह्य सामग्री" से ऐसी कोई सामग्री अभिप्रेत है जो न जलती है, और न पाइलट ज्वाला पर, जब वह लगभग 750° से० तक गर्म की जाती है, जलने के लिये पर्याप्त मात्रा में ज्वलन शील वाष्प छोड़ती है,

(ड) "लम्बाई" से, पोत की लम्बाई के सबध में निम्नलिखित लंबाई अभिप्रत है–

(i) ग्रीष्म भार जल रेखा पर माथे के अगले भाग से सुकान दण्ड के पिछले भाग तक मीटरों में लम्बाई, या

(ii) उन पोतो के जिनमें सुकान दण्ड नहीं हैं, माथ के अगले भाग से कुदास के अक्ष तक मीटरों में लंबाई, या

(iii) उन पोतों के लिये जिनमें कूबर पिण्डल है, मीटरों में लंबाई जो ग्रीष्म भार जल रेखा की कुल लम्बाई या माथे के अगले भाग से कुदास के अक्ष तक की लम्बाई इनमें जो भी अधिक हो का 96 प्रतिशत लिया जायेगा;

(ढ) "मशीनरी नियंत्रण कक्ष" से वह कक्ष अभिप्रेत है जिससे नोदक की आवश्यकता को पूरी करने वाले नोदक मशीनरी तथा बायलर्स नियंत्रित किए जा सकें ;

(ण) 'मशीनरी जगह" से ऐसी कोई जगह जो नोदक सहायक या प्रशीतक मशीनरी, बायलर्स, पम्प, इंजिनर्स वर्कशाप, जनित्र, संवातन या वातानुकूल मशीनरी, तेल भरने वाले स्टेशनों के प्रयोजन मे लाई जाती है तथा ऐसी ही जगहें और ऐसी जगहों के टंकवे अभिप्रत हैं;

(त) "अधिकतम सेवा गति" से वह अधिकतम गति अभिप्रेत है जिसे पोत समुद्र में अपने गहनतम समुद्र में जाने का प्रवाह को बनाये रखने के लिये डिजाइन किया गया हो;

(थ) "तेल इंधन एकक" से किसी तेल से चलने वाले बायलर के तेल बर्नरको प्रदत्त करने के लिये तेल इंधन की निर्मिति के लिये प्रयोग मे लाए जाने वाला उपस्कर अभिप्रेत है और इसमें तेल दाब पंप, फिटर और हीटर भी सम्मिलित है ;

(द) 'निथार टकी" से कोई तेल संचायक टकी जिसका तापन तल प्रति टन तेल धारित के लिये 0 183 वर्ग मीटर से कम न हो, अभिप्रेत है,

(ध) "मानक अग्नि परीक्षण" से कोई परीक्षण अभिप्रेत है जिसमे सामग्री के परिक्षित किये जाने वाले नमूने को, जिसका तल क्षेत्रफल 4 65 वर्ग मीटर से कम न हो और उचाई 2.44 मीटर से कम न हो, समय ताप क्रम-संबध श्रावली के लिये परीक्षण भट्टी मे लगभग निम्नलिखित प्रकार से खुला छोड़ा जाता है अर्थात –

| | |
|---|---|
| (i) प्रथम पाच मिनट के अन्त मे | 538° से० |
| (ii) प्रथम दस मिनट के अन्त में | 704° से० |
| (iii) प्रथम तीस मिनट के अन्त में | 843° से० |
| (iv) प्रथम साठ मिनट के अन्त में | 927° सें० |

अभिप्रत है ,

(न) "कर्ण–गियर शक्ति एकक" से–

(i) इलैक्ट्रोनिक कर्ण-गियर की दशा में विद्युत- मोटर और इसके सहयुक्त विद्युत उपस्कर, या

(ii) विद्युत द्रवचालित कर्ण-गियर की दशा में, विद्युत मोटर इसके सहयक्त विद्युत उपस्कर और सम्बद्ध पंप ,

(iii) वाष्प द्रव चालित या गैसिल द्रवचालित कर्णगियर की दशा में, चालन इंजन और संबद्ध पंप ;

अभिप्रेत है ;

(प) सामग्री के संबंध में "यथोचित" से केन्द्रीय सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिये यथोचित अनुमोदित किया जाना अभिप्रेत है जिसके लिये सका प्रयोग होता है ;

(ग) "कार्य दिवस" से रविवार या वह अवकाश दिन जिसमें मास के दूसरे शनिवार भी सम्मिलित है के सिवाय कोई दिन जिसको वाणिज्यिक सामुद्रिक विभाग के कार्यालय कारबार का संव्यवहार करने के लिये खुले हो, अभिप्रेत है।

3. **संरचनात्मक शक्ति** :—हर पोत की संरचनात्मक शक्ति और भारी जल रोक पोत भीत की संख्या तथा व्यवस्था, उस सेवा के लिये जिसके लिये पोत आशयित है, पर्याप्त होगी।

4. **जल रोक दरवाजे**.—(1) हर पोत में जिसमें जलरोक दरवाजों का पोत भीत की जलरोक साकल्य को बनाए रखने के लिये प्रबंध किया गया है, ऐसा हर जल रोक दरवाजा यथोचित सामग्री से बनाया जायेगा और उसकी संरचना दक्षता से की जायेगी।

(2) हर पोत में—

(क) विसर्पी प्रकार का हर जल रोक दरवाजा दोनो, दरवाजों पर और पोत भीत डैक के ऊपर किसी सुगम स्थिति मे, दक्ष हस्त चालित गियर द्वारा प्रचालित किये जाने योग्य होगा

(ख) वह गियर जो पोतभीत डैक के ऊपर से किसी मशीनरी जगह के पोतभीत में लगे हुए किसी विसर्पी जल रोक दरवाजों को प्रचालित करने के लिये, प्रचालित किया जाता हो, मशीनरी जगह के बाहर स्थित होगा जब तक कि ऐसी स्थिति आवश्यक गियारिंग की प्रभावशाली व्यवस्था के लिये असंगत न हो ;

(ग) जहां मशीनरी जगह के निचले हिस्से से जल रोक घरा सुरंग के लिये पहुंच हो वहां पहुंच मार्ग में विसर्पी जल रोक दरवाजा जो दरवाजे के दोनों ओर से स्थानीय रूप से प्रचालित किये जाने के योग्य होगा लगाया जायेगा ;

(घ) दूरस्थ प्रचालित स्थितियों पर, जब विसर्पी दरवाजा बंद हो, को उपदर्शित करने के लिये साधनों का प्रबंध किया जायेगा ,

(ङ) जल रोक दरवाजे, जब पोत दोनों ओर 15 अंश तक झुका हो, प्रचालित किये जाने योग्य होंगे।

5. **निसल पंप व्यवस्था**.—हर पोत में दक्ष निसल पंप संयंत्र होगा तथा जल निकास के साधनों को ऐसे व्यवस्थित किया जायेगा कि खोल के किसी भाग में प्रविष्ट जल (उस जगह से भिन्न जो ताजे जल, जल नीरम तेल इंधन या द्रव स्थोरा को ले जाने के लिये स्थायी तौर से विनियक्त हो और जिसके लिये पंप करने या जल निकास के अन्य दक्ष साधनों का प्रबंध हो) कम से कम एक चूषण पंप से, जब पोत समतल पर या दोनों ओर 5 अंश से अनधिक झुका हो बाहर निकाला जा सके। इस प्रयोजन के लिये कहा जायेगा होगा कक्ष चूषण का प्रबंध किया जाएगा ऐसे कक्ष साधनों प्रबंध किया जायेगा जहां से जल चूषण पाइपों में सुगम से बह सके।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका समाधान हो जा कि तद् द्वारा पोत की सुरक्षा का ह्रास नहीं होता किसी पोत पोतों के वर्ग के विशिष्ट कक्षों में पंप किये जाने या अ निकास के साधनों की अभियक्ति की अनुज्ञा कर सकेगी

6. **विद्युत उपस्कर और संस्थान**.— (1) हर पो में विद्युत उपस्कर और संस्थापन, जिसमें नोदन कोई विद्युत साधन सम्मिलित है, ऐसे होंगे कि पो और उस पर सवार सब व्यक्तियों का विद्युत संकट से बचा हो सके और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिगृहित मानकों के अनु रूप होंगे।

(2) हर पोत में, जिसमें विद्युत शक्ति ही पोत के नौप या सुरक्षा के लिये आवश्यक सहायक सेवाओं को बनाये रखने के लिये एक मात्र शक्ति है, ऐसी शक्ति के दो या अधिक जनित्र सैटों का बंध किया जायेगा जिससे कि पूर्वो क्त सेवाए, जब सैटों में से कोई एक खराब हो बनायी रखी जा सके।

(3) हर पोत में जिसके विद्युत भार में पोत की नोदन व सुरक्षा के लिये आवश्यक सेवाए सम्मिलित है और प्रशासन सामुद्रभार ऐसा है कि दो या अधिक जनित्रो की एक साथ कार्यचालन की अपेक्षा है, पर्याप्त अनावश्यक भार को स्वत निर्मुक्त करने का जब कुल धारा संसक्त जनित्र धारिता से अधिक हो जाती है प्रबंध किया जायेगा ।

7. **सकल 5000 टन या अधिक के पोतों में विद्युत शक्ति आपात**.—(1) सकल 5000 टन या अधिक के हर पोत में एक स्वतः पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्रोत का सर्वोच्च सपा डैक के ऊपर की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तर प्रबंध इस प्रकार व्यवस्थित किया जायगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा में जिससे मुख्य विद्यु संस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो।

(2) ऐसे हर पोत में उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्रोत, निम्नलिखित सेवाओं के साथ साथ छह घंटे से अन्यून कालवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा अर्थात

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षा सचित्र नियम 1953 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश;

(ख) वह आपात अलार्म सहित जिसकी मुख्य मशीनरी जगह, पोत के मुख्य विद्युत शक्ति संयंत्र को रखने का स्था नौचालन कक्ष के ऊपर और चार्ट कक्ष में प्रबंध किया गया है,

(ग) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हों ;

(घ) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हों, और

(ङ) दिवालोक सिग्नल लैंप यदि वह पोत का विद्युत शक्ति के मुख्य स्रोत द्वारा प्रचालित हो ।

(3) ऐसे हर पोत में –

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटरियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षा ओकयां, फिर से चार्ज हुए बिना या वोल्टता की अत्यधिक कमी हुए बिना अनुपालन करने में समर्थ हो, या यह अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र जिससे स्वतन्त्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबन्ध है, होगा और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रज्वलन ताप 43° से० से अन्यून होगा ,

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22½ अंश झुका हो और जब उसका झुकाव समतल से 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा;

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जायेगी ।

8 **सकल 1600 टन या अधिक लेकिन सकल 5000 टन से कम के पोतों में विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत**— (1) सकल 1600 टन या अधिक लेकिन 5000 टन से कम के हर पोत में एक स्वत: पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलो के बाहरी तरफ अवश्य इस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा में जिससे मुख्य विद्युत संस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो ।

(2) उपनियम (1) में अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत निम्नलिखित सेवाओं को साथ-साथ तीन घंटे से अन्यून क्रमवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा; अर्थात –

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षा साधित्र) नियम, 1956 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश;

(ख) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हो;

(ग) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हों ,

(3) ऐसे हर पोत में

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटरियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षाओं का, फिर से चार्ज हुए बिना या वोल्टता की अत्यधिक कमी हुए बिना, अनुपालन करने में समर्थ हों या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र होगा जिसमें स्वतन्त्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबंध हो और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रचालन ताप 43° से० से अन्यून होगा ;

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22½ अंश झुका हो और जब स्रोत का समतल से झुकाव 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा ।

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जायेगी ।

9. **सकल 1600 टन से कम के पोतों में विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत**.—(1) सकल 1600 टन से कम के हर पोत में जिसमें सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ इसका विद्युत शक्ति का मुख्य स्त्रोत न हों, एक स्वत: पूर्ण विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का सर्वोच्च सपाट डैक के ऊपर या उठे हुए चौथाई डैक की स्थिति में और मशीनरी खोलों के बाहरी तरफ प्रबन्ध इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि इसका, अग्नि या अन्य दुर्घटना की दशा मे जिससे मुख्य विद्युत संस्थापन में खराबी पैदा हो, काम करना सुनिश्चित हो ।

(2) उपनियम (1) मे अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत निम्नलिखित सेवाओ को साथ साथ तीन घंटे से अन्यून क्रमवर्ती कालावधि के लिये प्रचालित करने में समर्थ होगा, अर्थात –

(क) भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (प्राण रक्षक साधित्र) नियम, 1956 के अधीन अपेक्षित आपात प्रकाश,

(ख) साधारण एलार्म यदि विद्युत से प्रचालित हो

(ग) पोत के नौपरिवहन दीप यदि केवल विद्युत के ही हो ।

(3) ऐसे हर पोत में–

(क) उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति का आपात स्त्रोत या तो संचायक (स्टोरेज) बैटरियां होगी जो उपनियम (2) की अपेक्षाओं का, फिर से चार्ज हुये बिना या वोल्टता की अत्यधिक कमी हुये बिना, अनुपालन करने में समर्थ हों या अन्तर्दहन प्रकार की मशीनरी द्वारा चालित जनित्र होगा जिसमें स्वतंत्र इंधन प्रदाय और चालू करने का दक्ष प्रबंध हो और ऐसी मशीनरी के लिये प्रबंध किये गये इंधन का प्रज्वलन ताप 430 सें० से अन्यून होगा,

(ख) विद्युत शक्ति का आपात स्रोत इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि यह, जब पोत 22½ अंश झुका हो और जब पोत का समतल से झुकाव 10 अंश हो, दक्षता से प्रचालित होगा;

(ग) विद्युत शक्ति के आपात स्रोत और इसके सहयुक्त परिपथ के कालिक परीक्षण के लिये व्यवस्था की जाएगी।

10. **विद्युत और वैद्युतप्रचालित कर्ण गियर.**—(1) हर पोत में जिसमें विद्युत या वैद्युत द्रव चालित कर्ण गियर लगा है उपकर्णको का प्रबंध किया जायेगा जो, जब ऐसे कर्ण गियर के शक्ति एकक चालू हैं दर्शायेंगे, ये उपकरण, मशीनरी नियंत्रण कक्ष या ऐसी अन्य स्थित या स्थितियों जैसा कि केन्द्रीय सरकार अनुमोदित करे और नीचालन कक्ष पर स्थित होंगे।

(2) सकल 5000 टन या अधिक के हर पोत में निम्नलिखित व्यवस्था की जायेगी, अर्थात :—

(क) विद्युत और वैद्युत द्रव चालित कर्ण गियर में मुख्य स्विच बोर्ड से दो परिपथ आयेंगे जिनमें से एक आपात स्विच बोर्ड में से यदि पोत पर कोई आपात स्विच बोर्ड का प्रबंध है, होकर जा सकता है। प्रत्येक परिपथ की सब मोटरों को जो इससे प्रसामान्यतः सम्बद्ध हैं और जो साथ साथ प्रचालित होती हैं शक्ति प्रदाय को पर्याप्त क्षमता होगी और यदि कर्ण गियर कक्ष में या तो किसी मोटर या मोटरों के समुच्चय को परिपथ शक्ति प्रदाय के अन्तरण का प्रबंध है, तो प्रत्येक परिपथ की अत्याधिक भार की दशा में के लिये पर्याप्त क्षमता होगी। परिपथ अपनी पूर्ण लंबाई भर में यावत्संभव चौड़ाई से अलग अलग रखा जायेगा।

(ख) ऐसे परिपथों और मोटरों के लिये केवल लघु-पथ संरक्षण का प्रबंध किया जायेगा

(3) सकल 5000 टन से कम हर पोत जिसमें मुख्य और सहायक दोनों, कर्ण गियरों के लिये विद्युत शक्ति ही एक मात्र शक्ति का स्रोत है, उपनियम (2) की अपेक्षाओं के अनुसार होगा सिवाय इसके कि यदि सहायक कर्ण गियर किसी मोटर द्वारा शक्तिकृत है जो प्राथमिकता : अन्य स्रोत के लिये आशयित है, यथोचित अति भार संरक्षण लगाये जा सकेंगे।

11. **आघात, अग्नि और विद्युत भूल के अन्य परिसंकटों से पूर्वावधानी.**—(1) हर पोत में सभी विद्युत उपस्कर इस प्रकार संनिर्मित और संस्थापित किये जायेंगे कि किसी व्यक्ति को, जो उन्हें उचित रीति से उपयोग कर रहा हो, क्षति का खतरा नहीं होगा। उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीनरहते हुए जहां पोत के उपस्कर के रूप में दिया गया विद्युत उपस्कर का 55 वोल्ट से अधिक वोल्टीयता पर प्रचालित किया जाना अपेक्षित है, ऐसे उपस्कर के अरक्षित धातु भाग जिनका पृथ्वी की वोल्टीयता से अधिक वोल्टीयता रखना आशयित नहीं है लेकिन जो त्रुटिपूर्ण परिस्थितियों के अधीन ऐसी वोल्टीयता रख सकता है, नयोजित कर दिये जायेंगे।

(2) हर पोत में जहां पोत के उपस्कर के रूप में दिये गये सुवाह्य विद्युत दीपकों, औजारों और समरूप उपकरणों का 55 वोल्ट से अधिक वोल्टीयता पर प्रचालित किया जाना अपेक्षित है के अरक्षित धातु भाग प्रदाय केबिल में संवाहक द्वारा भूयोजित कर दिये जायेंगे जब तक कि दोहरे रोधन के प्रयोग या यथोचित पृथक्कारी ट्रांसफारमर द्वारा कम से कम संवाहक द्वारा भूयोजित होने जैसे प्रभावशाली बचाव का प्रबंध न हो। जब विद्युत दीप, औजार या अन्य उपकरण आर्द्र जगह में प्रयोग होते हैं, वह सुनिश्चित करने के लिये कि विद्युत आघातों का खतरा न्यूनतम हो जाये, या वस्तुसाध्य प्रबंध किये जायेंगे।

(3) हर पोत में प्रत्येक मुख्य और आपात स्विच बोर्ड इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा कि उसके सामने और पीछे किसी व्यक्ति को बिना खतरे के पहुंच आसान हो। ऐसे हर स्विच बोर्ड की यथोचित रूप से रक्षा की जायेगी और जहां आवश्यक हो, इसके आगे और पीछे असंवाहक चटाई या जाली लगाई जायेगी। कोई भी अरक्षित भाग जिसकी संवाहकों के बीच में या भूमि वोल्टीयता, दिष्टधारा 250 वोल्ट या प्रत्यावर्ती धारा 55 वोल्ट, से अधिक है, किसी स्विच बोर्ड या नियंत्रण पेनल के सामने संस्थापित नहीं किया जायेगा।

(4) किसी पोत में वितरण की हल फिटर्न पद्धति प्रयुक्त नहीं की जायेगी.

परन्तु केन्द्रीय सरकार टैंकर से भिन्न किसी पोत को इस उपनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से छूट दे सकती है।

(5) हर पोत में प्रत्येक विद्युत केबिल, एवंप्रत्येक स्थिति जिसमें किसी विद्युत दोष से आग लग सकती है, ज्वाला गति रोधी, आच्छादित या कवचित या अन्यथा समानतः प्रभावशाली रूप से संरक्षित होंगे विद्युत केबिल के सभी धातु आच्छादों और धातु कवचों में विद्युत का अविरत प्रवाह रहेगा और वे भूयोजित होंगे।

(6) हर पोत में प्रकाश फिटिंग इस प्रकार व्यवस्थित की जायेगी कि ताप कम का बढ़ना, जो उसको विद्युत वायरिंग के लिये क्षतिकर हो, या जिससे आस पास की सामग्री में आग का खतरा पैदा हो सकता है, रोका जा सके।

(7) हर पोत में वायरिंग में आलंबन इस प्रकार से लगाये जायेंगे कि रगड़ या अत्यधिक कंपन से बचा जा सके।

(8) हर पोत में,—

(क) प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ को लघुपथ से संरक्षित किया जायेगा,

(ख) पोत के कर्ण गियर को प्रचालित करने वाले परिपथ या किसी अन्य परिपथ जिसकी बाबत में केन्द्रीय सरकार ने छूट दे रखी है, से भिन्न ऐसे प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ अतिभार से संरक्षित किया जायेगा । प्रत्येक अतिभार संरक्षणात्मक युक्ति युक्ति के ऊपर या पास परिपथ की धारा वहन क्षमता जिसका यह संरक्षण करती है और युक्ति का वर्ग क्रम या विन्यास स्पष्ट और स्थायीरूप से उपदर्शित किया जायेगा ।

(9) हर पोत में सभी संचालक (स्टोरेज) बैटरिया बक्सो या डिब्बो में रखी जायेगी जो बैटरियों को नुकसान से संरक्षित करने के लिये संनिर्मित हैं और विस्फोटक गैसों के संचयन को न्यूनतम करने के लिये सवातित है । युक्तियों किसी डिब्बे में, जो मुख्यत संचायक बैटरियो के लिये समनुदेशित हैं, संस्थापित नहीं की जायेगी ।

(10) हर पोत में जिसमें विद्युत स्पेस हीटर, इसके उपस्कर का भाग है ऐसा हर विद्युत स्पेस होटर एसी स्थिति में लगाया जायेगा और इस प्रकार सन्निर्मित होगा जिससे कि आग लगने की जोखिम घट कर कम से कम हो जाये । ऐसा होटर ऐसे किसी तत्व से संनिर्मित नहीं किया जायेगा जो कि इस प्रकार खुला छोड़ दिये जाने पर तत्व से निकले हुये ताप से कपडो, परदों या अन्य पदार्थों को झुलसा सके या उनमें आग लगा सके ।

12 **अग्नि परिरक्षण.**—

(1) यह उपनियम सकल 4000 टन या अधिक के सभी स्थौरा पोतो को लागू होगा और उपनियम (9) सकल 500 टन या अधिक के स्थौरा पोतों को भी लागू होगा ।

(2) किसी पोत में जिसमें पोपभीत को ख वर्ग पेनलो से संनिर्माण करने की अपेक्षा है, ऐसे पेनल तीस मिनट की अवधि के पूरे मानक अग्नि परीक्षण के दौरान ज्वाला पथ की रोकथाम करने मे समर्थ होंगे ? इस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया गया हर एक अदाह्य ख वर्ग पेनल ऐसा होगा कि उसकी दोनों में से कोई सतह तीन मिनट की अवधि के मानक अग्नि परीक्षण के लिये अनावरित की जाये, तो पेनल की अनअनावरित सतह के औसत तापक्रम में परीक्षण के प्रथम 15 मिनट के दौरान वृद्धि नहीं होगी और परीक्षण की पूरी कालावधि के दौरान उस सतह के आरम्भिक तापक्रम से 139° सें० अधिक नहीं होगा और न ही उस के किसी एक बिन्दु पर आरंभिक तापक्रम से 225° सें० अधिक की वृद्धि होगी । इस प्रयोजन के लिये प्रयुक्त किया गया हर एक वहनशील ख वर्ग पेनल ऐसा होगा कि यदि उसकी दोनों में से कोई सतह तीस मिनट की अवधि के लिये मानक अग्नि परीक्षण के लिये अनावरित की जाये तो पैनल की अनअनावरित सतह के औसत तापक्रम में उस सतह पर आरंभिक तापक्रम से 139 अंश सें०अधिक की वृद्धि नहीं होगी और न ही उस के किसी एक बिन्दु आरम्भिक तापक्रम से 225 सें० अधिक की वृद्धि होगी ।

(3) हर पोत में,—

(क) खोखू जिसमें अग्निसंरचना, पोपभीत, डेक और डैक पर सम्मिलित है इस्पात से संनिर्मित किये जायेंगे;

परन्तु किन्ही विशेष मामलो मे केन्द्रीय सरकार आग की जोखिम को ध्यान में रखते हुये इनमें से किसी को भी ऐसी अन्य यथोचित सामग्री से, जैसा वह उचित समझे, सन्निर्मित करने की अनज्ञा दे सकती है ।

(ख) गलियारे पोतभीत जो वास जगह और नियंत्रण स्टेशन का काम करते हैं, इस्पात या ख वर्ग पेनलों से निर्मित किये जायेंगे ।

(4) हर पोत मे,—

(क) द्वार और गलियारे पोपभीतो में इसी प्रकार के पथ स्थायी रूप से सलग्न दरवाजो या पटों द्वारा बन्द किये जाने योग्य होंगे ।

(ख) ऐसे पोतभीतो में संवाती पटों की संख्या कम से कम रखी जायेगी । ऐसे पट, जहा तक युक्तियुक्त रूप से साध्य हो, दरवाजे के निचले भाग में होंगे ।

(5) हर पोत में वास जगहों के भीतर आन्तरिक जीना, सोढिया और कर्मोंदल लिफ्ट ट्रंक इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से सन्निर्मित किये जायेंगे ।

(6) हर पोत में किसी आपात जनित्र कक्ष की सीमा पोत भीत और रसोई, पेंट कक्ष, नीप-कक्ष या बोटा स्वेन के भडार को पृथक करने वाले पोत भीत इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री से सन्निर्मित किये जायेंगे ।

(7) हर पोत में जगहो के भीतर डैक आच्छाद और डैक नियत्रण स्टेशन जो मशीनरी का छत्र बनाते हैं और स्थौरा जगह इस प्रकार की होंगी कि तुरन्त ज्वलित न हो सके ।

(8) हर पोत में,—

(क) वास जगहों, मशीनरी जगहों और नियंत्रण स्टेशनो में पेंट, वार्निश और अन्य सतह सामग्री जिनमें नाइट्रोसेलूलोज या अन्य अत्यन्त ज्वलनशील आर हो प्रयोग नहीं की जायेगी ;

(ख) तेल या अन्य ज्वलनशील द्रव को ले जाने के लिये आशयित के पाइप आगे की जोखिम को ध्यान में रखते हुये ऐसी सामग्री के होंगे जो केन्द्रीय सरकार को प्रतिग्राह्य हो;

(ग) जहाज पर कीलाल, शौच विसर्जन या जल रेखा के समीप के अन्य भागों ऐसी सामग्री के नहीं होंगे जो आग लगने की दशा में निष्फल हो जाये और उससे बाद का खतरा पैदा हो जाये ।

(घ) चलचित्र संस्थापनों में सेलूलोज नाइट्रेट फिल्म प्रयोग नहीं की जायेगी ।

(9) हर पोत में, –

मुख्य नोदन मशीनरी या तेल से चलने वाला बायलर या अन्तर्दाह्य प्रकार की सहायक मशीनरी जिसकी कुल अश्व-शक्ति 1000 या अधिक हो, को रखने वाली जगहों के रोशन दान बन्द किये जाने के योग्य होंगे और जहां साध्य हो आग लगने की दशा में जगहों के बाहर से खोले जा सकेंगे और जहां उनमें कांच के पैनल हों, ऐसे पैनल तार प्रबलित कांच से फिट किये गये अग्नि प्रतिरोधी संनिर्माण होंगे और बाह्य स्थायी संलग्न पट इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री के होंगे,

(ख) इंजन खोल में खिड़कियां नहीं लगाई जाएंगी सिवाए वहां जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि वे आवश्यक हैं और अग्नि दुर्घटना संघटित नहीं होगी । जहां ऐसी खिड़कियां लगाई जायेंगी ये न खुलने वाले प्रकार की होंगी और ये तार प्रबलित कांच से फिट की गई अग्नि प्रतिरोधी संनिर्माण होगी और इनमें स्थायी संलग्न बाह्य पट इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री के होंगे ।

13. बायलर्स और मशीनरी – साधारण .—

(1) हर पोत में मशीनरी, बायलर्स और अन्य दाब वाहिकाएं ऐसे डिजाइन और संनिर्माण की होंगी कि उस सेवा के लिये जिसके लिये वे आशयित है समुचित हों और इस प्रकार संस्थापित और संरक्षित की जायेगी कि बोर्ड पर के व्यक्तियों को खतरा घट कर कम से कम हो जाये ।

(2) उपनियम (1) की अपेक्षाओं की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हर पोत बायलर्स और मशीनरी में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जायेगी जो ऐसी मशीनरी बायलर्स और अन्य दाब वाहिकाओं के किसी भाग के अधि-दान का निवारण करेंगे और विशेष रूप से हर बायलर और हर तेल प्रसंजित वाष्प-जनित्र में० दो सुरक्षा वाल्वों से अन्यून व्यवस्था की जायेगी ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि आधिदाब के प्रतिकूल बचाव की समुचित व्यवस्था है तो वह किसी बायलर या अप्रसंजित वाष्प जनित्र के उत्पाद या किसी अन्य लक्षण का ध्यान रखते हुए केवल एक सुरक्षा वल्व लगाने की अनुज्ञा दे सकती है ।

14. बायलर्स और अन्य दाब वाहिकाएं.—

(1) हर पोत में हर बायलर या अन्य दाब वाहिका और इनके अपने प्रथमबार उपयोग में लाये जाने से पूर्वयथास्थिति उस बायलर या दाब वाहिका के कार्यकारी दाब से यथोचित अधिक दाब पर, यह सुनिश्चित करने के लिये कि बायलर या कोई अन्य दाब वाहिका अपने माउंटिंग सहित शक्ति और डिजाइन में उस उपयोग के लिये जिसके लिये यह आशयित है,

(क) डिजाइन और सामग्री जिससे यह संनिर्मित है;

(ख) प्रयोजन जिसके लिये इसका प्रयोग आशयित है, और

(ग) कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन इसका प्रयोग आशयित है,

को ध्यान में रखते हुए द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे

(2) ऐसे हर बायलर या दाब वाहिका और इनके अपने अपने माउंटिंग प्रभावशाली परिस्थितियों में रखे जायेंगे ।

(3) हर पोत में ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे हर दाब वाहिका की सफाई और निरीक्षण पर्याप्त रूप से सुकर हो जाये ।

15. मशीनरी.—

(1) हर पोत में, पोत के नौदान और सुरक्षा के लिये आवश्यक मुख्य और सहायक मशीनरी मे नियंत्रण के प्रभावशाली साधनों की व्यवस्था की जायेगी और मशीनरी जब आरंभतः पोत में कोई शक्ति उपलब्ध नही है प्रचालित किये जाने के योग्य होगी ।

(2) हर पोत में जहां मशीनरी के अधिगतित्वरण से खतरा विद्यमान है वहां यह सुनिश्चित करने के लिये कि सुरक्षित गति न बढ़े, साधनों की व्यवस्था की जायेगी । हर पोत में जहा मुख्य या सहायक मशीनरी या ऐसी मशीनरी का कोई भाग आन्तरिक दाब के अध्यधीन है, प्रथम बार उपयोग के लाये, जाने से पूर्व कार्यकारी दाब से यथोचित अधिक दाब पर

(क) डिजाइन और सामग्री जिससे यह संनिर्मित है,

(ख) प्रयोजन जिसके लिये इनका प्रयोग आशयित है, और

(ग) कार्यकरण परिस्थितयां जिनके अधीन इनका प्रयोग आशयित है,

को ध्यान में रखते हुए द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे ।

(3) हर पोत में, मुख्य या सहायक मशीनरी या उनका कोई भाग जो आन्तरिक दाब के अध्यधीन है प्रभावशाली परि-स्थितियों में रखा जायेगा ।

16. पीछे जाने के साधन.—हर पोत सभी प्रसामान्य परिस्थितियों में पोत के समुचित नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिये पीछे जाने के लिये पर्याप्त शक्ति रखेगा।

17. शाफ्ट.—हर पोत में प्रत्येक शाफ्ट इस प्रकार डिजाइन और संनिर्मित की जायेगी की इसकी सुरक्षा की पर्याप्त और व्यवस्था।

(क) सामग्री जिससे यह संनिर्मित है,

(ख) सेवा जिसके लिये यह आशयति हैं, और

(ग) इंजन का प्रकार जिसके द्वारा यह खीची जाती है या जिसका यह भाग है,

को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अध्यधीन हो सके, को सहन कर सकेगी।

18. बायलर संभरण प्रणाली.—(1) हर पोत मे, हर बायलर मे जो पोत की सुरक्षा के लिये आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करता है और जो संभरण जलप्रदाय के खराब हो जाने पर खतरनाक बन सकता है, दो से अन्यून प्रभावशाली और पृथक संभरण जल प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित करके कि ऐसी प्रणाली मे से कोई एक दूसरी की प्रभावशीलता पर प्रभाव डाले बिना निरीक्षण या पूरी मरम्मत के लिये खोली जा सके, लगाई जायेगी। ऐसी हर प्रणाली में ऐसे साधनों की व्यवस्था की जायेगी जो प्रणाली के किसी भाग मे अधिदाब को रोके।

(2) यदि किसी पोत की बायलर संभरण प्रणाली मे तेल प्रविष्ट होने की संभावना है तो बायलर संभरण जल के प्रदाय के लिये व्यवस्था मे संभरण जल में तेल के अन्तारोधन की व्यवस्था की जायेगी।

(3) हर संभरण निरोध वाल्व, फिटिंग या पाइप जिसमें से होकर पाइप से ऐसे बायलर को संभरण जल जाता है सुरक्षा की व्यवस्था जो पर्याप्त हो, उस सामग्री जिससे यह संनिर्मित है, और कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन इसको प्रयोग किया जायेगा को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अधीन हो सके को सहन करने के लिये डिजाइन और संनिर्मित किया जायेगा। ऐसा हर वाल्व, फिटिंग या पाइप प्रथम बार उपयोग में लाए जाने से पूर्व यथोचित रूप से उस बायलर के अधिकतम कार्यकारी दाब से जिससे यह संबद्ध है या उस अधिकतम कार्यकारी दाब से जिसके संभरण लाइन अध्यधीन हो सकती है, इनमें जो भी अधिक हो से अधिक दाब पर द्रवचालित परीक्षण के अधीन होगा और प्रभावशाली दशा में बनाए रखा जायेगा।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट संभरण पाइप यथोचित रूप से व्यवस्थित किये जायेंगे।

19. वाष्प पाइप प्रणाली.—(1) हर पोत में उससे संबद्ध हर वाष्प पाइप और हर फिटिंग जिस से होकर वाष्प जा सकती है इस प्रकार डिजाइन और संनिर्मित किया जायगा इसकी सुरक्षा की पर्याप्त हो व्यवस्था जो, और

(क) सामग्री जिससे यह संनिर्मित है, और

(ख) कार्यकरण परिस्थितियों जिनके अधीन वह प्रयोग किया जायेगा।

को ध्यान में रखते हुये अधिकतम कार्यकारी प्रतिबल जिसके यह अध्यधीन हो सके, को सहन कर सके।

(2) उपनियम (1) की अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा हर वाष्प पाइप या फिटिंग प्रथम बार उपयोग में लाए जाने से पूर्व यथोचित रूप से इसके अधिकतम दाब से, जो अवधारित किया जाना है, अधिक दाब पर उपनियम (1) के खड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए द्रव चालित परीक्षण के अध्यधीन होगा, और ऐसा हर वाष्प पाइप और फिटिंग प्रभावशील दशा में बनाए रखा जायगा।

(3) वाष्प पाइप यथोचित रूप से आलंबित किये जायेंगे।

(4) ऐसी व्यवस्था की जायगी जिससे अत्यधिक प्रतिबल को जिसके कारण चाहे तापक्रम, कंपन में फेरफार होने से, या अन्यथा के कारण से ऐसे वाष्प पाइप या फिटिंग में संभाव्य खराबी हो सकती हो, परिवर्जित की जा सके।

(5) ऐसे हर वाष्प पाइप के लिये, यह सुनिश्चित करने के लिये कि पाइप का अन्तरभाग जल से मुक्त रखा जा सके, जल निकास के प्रभावशाली साधनों की व्यवस्था की जायगी और पोत की आशयित सेवा के दौरान किसी भी परिस्थिति में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली जलघन क्रिया (वाटर हैमर एक्सन) न हो।

(6) यदि किसी पोत में वाष्प पाइप किसी दूसरे उच्च दाब, जिसे यह पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था से सहन नहीं कर सकता है, के स्त्रोत से वाष्प लेने की अपेक्षा रखता है तो ऐसे पाइप में प्रभावशाली न्यूनक वाल्व, रक्षा वाल्व और दाबमापी लगाया जायगा।

20. वायु दाब प्रणाली.—(1) हर पोत में जिसमें नौदन और पोत या बोर्ड पर के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये आवश्यक मशीनरी पूर्णत संपीड़ित वायु द्वारा, चालू होने, प्रचालन और नियंत्रण की अपेक्षा करती है, एक प्रभावशाली वायु प्रणाली, जिस में पर्याप्त संख्या में वायु संपीडक और संपीडित वायु संग्रह वाहिका सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सेवा में होने वाले सभी संभाव्य परिस्थितियों में संपीड़ित वायु का प्रदाय पर्याप्त हो सके. कि व्यवस्था की जायगी।

(2) (क) ऐसी हर वायु दाब प्रणाली के भाग वायु चालित नियंत्रण प्रणाली से भिन्न जो वायु दाब के अध्यधीन हैं। इस प्रकार डिजाइन और सन्निर्मित किये जायेंगे कि वे अधिक तक कार्यकारी प्रतिबल को जिसके वे अध्याधीन हो सके पर्याप्त रक्षा की व्यवस्था सहित सहन कर सके और ऐसी प्रणाली में हर वायु दाब पाइप या फिटिंग प्रथम बार उपयोग में लाये जाने से पूर्व इसके अधिकतम कार्यकारी दाब से दुगने दाब पर द्रवचालित परीक्षण के अध्यधीन होंगे और वे प्रभावशाली दशा मे बनाये रखे जायेंगे।

(ख) ऐसी किसी वायु दाब प्रणाली के किसी भाग में अधिदाब के निवारण के लिये साधनों की व्यवस्था की जायगी और जहां वायु संपीडकों और शीतकों की जल जैकिट या जल खोल वायु दाब के भागों से उनमें क्षरण के कारण खतरनाक अधिदाब के अध्यधीन हो वहां यथोचित और पर्याप्त दाब रक्षकों की व्यवस्था की जायगी ।

(ग) ऐसे हर वायु दाब प्रणाली में--

(1) प्रणाली में तेल के प्रवेश को घटा कर न्यूनतम करने ; प्रणाली के निकास; और

(3) प्रणाली की आन्तरिक विस्फोट के प्रभाव से रक्षा करने,

की व्यवस्था की जायगी।

(घ) ऐसे हर वायु संपीड़को में विसर्जन पाइप चालन वायु सपीड़को से सीधे चालन वायु संग्रहियो को ले जाय जायेंगे और वायु संग्रहियों से मुख्य या सहायक इंजिनों को जाने वाले सब चालन वायु पाइप संपीड़क विसर्जन पाइप प्रणाली से पूर्णतः प्रथक होग ।

21. **शीतक जल प्रणाली.**—हर पोत में जिसमें प्रणोदी मशीनरी को चालू रखने के लिये शीतक जल सेवा आवश्यक है ऐसी जल सेवा के प्रचालन के लिय कम से कम दो साधनों व्यवस्था की जायगी।

22. **स्नेहन और अन्य तेल प्रणालियां.**—हर पोत में जिसमें मुख्य प्रणोदी मशीनरी और इसकी आनुषंगिक सेवाओं के शीतन या प्रचालन में स्नेहन के लिये तेल दाब में परिचालित होता है, तो पंप के खराब होने की दशा में ऐसे तेल के परिचालन के विकल्प साधन के उपलब्ध होने की पर्याप्त व्यवस्था की जायगी।

23. **तेल और गैसीय इंधन संस्थापन.**—(छ) हर पोत में, बायलर या मशीनरी के प्रयोग के लिये तेल का दमक तापांक 65.0° सें 0 (बन्द परीक्षण) से अन्यून होगा ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी शर्त के अध्यधीन जैसी वह अधिरोपित कर सके —

(क) किसी पोत को बायलर में 545° सें0 से अन्यून वा आन्तरिक और दहन प्रकार की मशीनरी में 43.3° सें0 से अन्यून दमक तापांक के तेल इंधन की प्रयोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी, और

(ख) उन पोतों में जो द्रवित गैसों को ले जाने के लिय डिजाइन किये गये हों गैसीय इंधन को प्रयोग करने को, यदि ऐसा इंधन ले जाये गये स्थौरा के वाष्पीकरण से ही पूरी तरह परिणामित होता है, अनुज्ञा दे सकेगी।

(2) उपनियम (1) में को कोई भी बात नियम 7 के उपनियम (3) के खड (क) नियम 8 के उपनियम (3) के खंड (क) और नियम 9 के उपनियम (4) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित विद्युत शक्ति के आपात स्त्रोत का प्रचालन करने वाली मैशीनरी के लिय इंधन को लागू नही होगी।

(3) हर पोत में जिसमें तेल या गैसीय इंधन का उपयोग होता है, इंधन तेल के संग्रह वितरण और उपयोग को व्यवस्था ऐसी होगी कि, अग्नि दुर्घटना और विस्फोट जो ऐसे तेल के उपयोग से हो सकता है, को ध्यान में रखते हुए, पोत और बोर्ड पर के व्यक्तियों की परिरक्षा हो सके।

(4) हर पोत में जिसमें पोत के नौदन या सुरक्षा के लिए इंजिन या बायलर्स में तेल या गसीय इंधन का उपयोग होता है इंधन के संग्रह वितरण और उपयोग की व्यवस्था ऐसी होगी कि उन सभी संभाव्य परिस्थितियो में जो पोत की सेवा के दौरान हो सकें इंजिनों का प्रभावशाली उपयोग बनाया रखा जा सके ।

(5) बायलर के हर तेल इंधन संस्थापन में जो पोत के नौदन के लिये वाष्प प्रदान करता है दो तेल इंधन एककों से अन्यून सम्मिलित होंगें ।

24. **नौचालन कक्ष और इंजिन कक्ष के बीच म संसूचना** — हर पोत में नौचालन कक्ष से इंजिन कक्ष नियंत्रण प्लेटफार्म तक आदेशों को संसूचित करने के लिय दो साधनों की व्यवस्था की जायगी। साधनों में से इंजिन कक्ष तार होगा।

25. **कर्ण गियर** (1)हर पोत में प्रभावशाली मुख्य और सहायक कर्ण गियरों की व्यवस्था की जायगी :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार के समाधान प्रद रूप से दोहरे कर्ण गियर शक्ति एकक और उनके संयोजन लग हुए और ऐसा हर शक्ति एकक उपनियम (2)के खंड (ग) की अपेक्षाओं के अनुसार है तो केन्द्रीय सरकार किसी पोत पर सहायक कर्ण गियर की व्यवस्था की अपेक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी।

(2) हर पोत में,—

(क) मुख्य कर्ण गियर जिसमें सुकान और सहयुक्त फिटिंग सम्मिलित है, पर्याप्त सामर्थ्य का होगा और पोत को अधिकतम सेवा गति पर कर्षित करने में पर्याप्त होगा। मुख्य कर्ण गियर और सुकान दण्ड इस प्रकार डिजाइन किये जायेंगे कि पीछे अधिकतम गति पर अतिग्रस्त न हो ;

(ख) मुख्य कर्ण गियर सुकान को आगे चलते हुए पोत की अधिकतम सेवा गति पर 35° पर एक और और 35° पर दूसरी ओर रखने में समर्थ होगा। सुकान अधिकतम सेवा गति पर 28 सेकिन्ड में 35° किसी एक ओर से 30° दूसरी ओर तक रखे जाने में समर्थ होगा ;

(ग) सहायक कर्ण गियर शीघ्रता से क्रियान्वित किये जाने में समर्थ होगा और पोत को नाव्य गति पर कर्षित करने में समर्थ बनाने में यथोयोग्य सामर्थ्य और पर्याप्त शक्ति का होगा। किसी पोत में खंड (क) की अपेक्षाओं के अनुसार पतवार के रूप में 35.56 सेंटीमीटर से अधिक व्यास का सुकान दंड अपेक्षित है। सहायक कर्ण गियर शक्ति द्वारा प्रचालित किया जायगा :

(3) हर पोत में जिसमें शक्ति द्वारा प्रचालित कर्ण गियर लगा हुआ है सुकान की स्थिति मुख्य चालन स्टेशन पर उपदर्शित की जायगी।

26 अतिरिक्त गियर:—

पोत की आशयित सेवा को ध्यान में रखते हुए हर पोत में पर्याप्त अतिरिक्त कर्ण गियरों की व्यवस्था की जायगी।

27. दिक सूचक:—

(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन हर पोत में दो प्रभावशाली दिक्सूचकों की व्यवस्था की जायगी जो बिनेकल में रखे जाएंगे और पति की मध्य रेखा पर स्थित होंगे। ऐसे दिक्-सूचकों में से एक की व्यवस्था मानक दिक्सूचक के रूप में उपयोग करने के लिये की जायेगी और सामान्य चालन स्थिति के समीप और ऐसी स्थिति में जहां से क्षितिज के दृश्य में कम से कम बाधा हो स्थित किया जायेगा। ऐसी दिक्सूचकों में से दूसरे की व्यवस्था चालन दिक्सूचक के रूपमें उपयोग करने के लिये की जायेगी और जबतक कि इस प्रयोजन के लिये मानक चुम्बकीय दिक्सूचक प्रक्षिप्त परावर्तित बिम्ब की व्यवस्था न हो या पूर्णाक्ष दिक्सूचक या ध्रुवाक्ष या प्रेषण चुम्बकीय दिक्सूचक पुनरावर्तक प्रसामान्य चालन स्थिति के समीप स्थित न हो जिस दशा में बिनेकल या पादपीठ में रखा हुआ पूसरी चुम्बकीय दिक्सूचक आपात चालन स्थिति पर लगाया जायेगा सामान्य चालन स्थित के समीप स्थित किया जायेगा।

(2) जहां आपात चालन स्थिति नहीं है परन्तु पोत मानक प्रक्षेपक चुम्बकीय दिकसूचक और ध्रुवाक्ष दिकसूचक से पुनरावर्तक सहित, सज्जित हो और परन्तु यह और भी कि बोर्ड पर अतिरिक्त चुम्बकीय दिकसूचक कटोरा अपने जिम्बल एकको सहित ले जाया जाता हो ताकि यह उस दिकसूचक के यदि वह बेकार हो जाय तो मानक दिकसूचक बदला जा सके तो वहां दो चुम्बकीय दिकसूचक और बिनकल अपेक्षित नहीं होंगे।

28. लंगर और जंजीर केबल .—

हर पोत में, पोत के आकार और आशयित सेवा को ध्यान में रखते हुये ऐसे लंगरों और जंजीर केबलों की व्यवस्था की जायेगी जो संख्या, भार और मजबूती में पर्याप्त हों।

29. बचाव के साधन .—

(1) हर पोत में सीढ़ी पथ और जीना पथ इस प्रकार व्यवस्थित किये जाएंगे कि सभी कर्मीदल वासों और अन्य जगहों जिनमें कर्मीदल प्रसामान्यतः नियोजित किये जाते हैं, से रक्षा नौका पोतारोहण डैक को बचाव के सुगम साधनों की व्यवस्था हो जाये।

(2) हर पोत में प्रत्येक इंजिन कक्ष, शाफ्ट सुरंग और बायलर कक्ष से यथासाध्य दूरी पर एक दूसरे से प्रथक दो बचाव साधनो की व्यवस्था की जायेगी, उनमें से एक जल रोक दरवाजा हो सकता है यदि ऐसा दरवाजा बचाव के साधन के रूप में उपलब्ध हो। जहां ऐसा जल रोक दरवाजा उपलब्ध नहीं है वहां बचाव के दो साधनों के दो सेट जो ऐसे इस्पात जोनों से मिलकर बनेंगे जो खोल में या अन्यत्र दरवाजों तक जाते है जहां से डैक या डैकों पर रक्षा नौका या बचाव तरापा पोतारोहण कोतक पहुंच हो,

परन्तु केन्द्राय सरकार सकल 2000 टन से कम के पोत को इस उपनियम की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

38. मशीनरी को रोकने, तेल इंधन को बन्द करने, चूषक पाइप और छेदों को बन्द करने के साधन :—

(1) हर दोत में मशीनरी, आवास और स्थौरा जगहों में लगे हुये संवाती पंखों को रोकने के लिये साधनों की व्यवस्था की जायेगी। मशीनरी और स्थौरा जगहों के लिये सभी रोशनदानों द्वारपयों, वातायनों, चिमिनियों के चारों ओर की बलया कार जगहों और ऐसी जगहों के अन्य छेदों को बन्द करने के लिये साधनों की व्यवस्था की जायेगी। से साधन उक्त जगहों की बाहर की स्थिति-यों से जो ऐसी जगहों में आग के कारण अगम्य नहीं हो जायेगी, प्रचालित किये जाने में समर्थ होंगे।

(2) हर पोत में मशीनरी को चलाने वाले बल प्रवात और प्रेरित प्रवाह पंखे तेल इंधन अन्तरण पंप, तेल इंधन एकक पंप और अन्य समतुल्य इंधन पप उन जगहों, जिनमें ऐसी मशीनरी या पं स्थित है, के बाहर दूर स्थित नियंत्रणों के साथ लगाये जाएंगे। ऐसे नियंत्रण उक्त जगहों में आग लगने की दशा में ऐसी मशीनरी या पंपकों को बन्द कर सकने में समर्थ होंगे।

(3) (क) हर पोत में, हर पाइप में जो किसी तेल इंधन संग्रह, स्टिंग या दैनिक सेवा टकी जो दोहरी तली की टंकी नही हैं से जुड़ा हो, जो यदि क्षतिग्रस्त हो जाये तो अपनी अन्तर्वस्तु का विसर्जन कर देगा जिससे अग्नि दुर्घटना हो सकती है, वाल्व या टोंटी लगाई जायेगी जो उस टकी से, जिससे यह जुड़ा है सुरक्षा से आबद्ध होगा और उस जगह के बाहर जिसमें टंकी स्थित है, शीघ्रता से पहुंचने योग्य स्थिति से बन्द किये जाने में समर्थ होगा।

परन्तु यदि ऐसी टकी मे कोई प्रवेश पाइप लगा हुआ हो तो इस उपनियम मे अपेक्षित वाल्व या टोटी के लिये की से उसी तरह सुरक्षा से आबद्ध एक, एक तरफा वाल्व प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

(ख) किसी तेल धन को गहरी की से सबद्ध किसी शाफ्ट या पाइप सुरग रा अनुप्रस्थित ऐसे पाइप में, खड (क) को अपेक्षाओ के अधीन टकी में लगाये जाने वाले वाल्व के अतिरिक्त सुरंग या सुरगों के बाहर पाइप लाइन या लाइनो मे, आग लगने की दशा में नियंत्रण किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये एक या अधिक वाल्व लगाये जा सकेगे।

**31. स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिए जाने से पूर्व पोतों का सर्वेक्षण** — (1) हर पोत का स्वामी इन नियमो के अधीन, यथास्थिति, स्थौरापोत सिन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा सुरक्षा, सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिये जाने के प्रयोजन के लिये अपने पोत का सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण कराएगा।

(2) ऐसे सर्वेक्षण के लिये स्वामी मास्टर या अधिकर्ता द्वारा अनुसूची 1 मे इस निमित्त विहित समुचित प्ररूप मे आवेदन दिया जायेगा और प्लान, डिजाइन और ऐसा अन्य डाटा और जानकारी, जैसी प्रधान अधिकारी अपेक्षा करे, के साथ दिया जायेगा।

(3) सर्वेक्षण के लिये आवेदन पत्र जिले के प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारियो को जिन्हे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त शासकीय राजपत्र मे अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे, किसी कार्य दिवस को कार्यालय के समय के दौरान उस समय से 72 घटे पूर्व जिस समय सर्वेक्षण प्रारभ किये जाने की वांछा करता है, दिया जायेगा।

(4) इन नियमो के अधीन सर्वेक्षण के लिये फीस अनुसूची 2 मे इस निमित्त विनिर्दिष्ट समुचित दरो पर उदगृहीत की जायेगी और कोई भी आवेदन, जब तक इसके साथ समुचित फीस न हो, ग्रहण नही किया जायेगा।

(5) सर्वेक्षण के लिये आवेदन और सर्वेक्षण फीस प्राप्त हो जाने पर, प्राप्त करने वाला अधिकारी आवेदन को, इस प्रकार संदत्त फीस की शासकीय रसीद और एक सूचना कि आवेदन प्राप्त हो गया है, देगा।

(6) सर्वेक्षण, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, विशाखापत्तनम कोचीन, मोरमुगाओ बेदीबन्दर पत्तनों और ऐसे पत्तनों और स्थानों जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना द्वारा भारत में सर्वेक्षण के स्थानों के रूप में नियत करे, पर किया जायेगा :

परन्तु प्रधान अधिकारी, यदि आवेदक ऐसी वांछा करे और परिस्थितियां ऐसी अनुमति दें, आवेदक के लिखित रूप मे केन्द्रीय सरकार को इस निमित्त सुसंगत नियमों और विनियमों के अधीन सर्वेक्षक के ग्राह्य यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो जाने पर किसी अन्य पत्तन या स्थान पर सर्वेक्षण की व्यवस्था कर सकता है।

(7) आवदन प्राप्त हो जाने पर, प्रधान अधिकारी पोत का किसी भी कार्य दिवस को 7 बजे सुबह और 5 बजे शाम के बीच किसी सर्वेक्षक द्वारा सर्वेक्षण करायेगा :

परन्तु यदि आवेदन यह वाछा करता है और परिस्थितिया अनुमति देती हैं तो प्रधान अधिकारी कार्य दिवस से भिन्न दूसरे दिन को उपनियम (4) के अधीन सदेय फीस के अतिरिक्त ऐसे दिनो सर्वेक्षक के प्रति परिदर्शन के लिए 200/- रुपये की दर से अतिकालिक फीस संदाय करने पर सर्वेक्षण कराने की व्यवस्था कर सकेगा।

(8) यदि आवेदन मे उल्लिखित आशयित सर्वेक्षण के लिए दिन और समय पर सर्वेक्षक को सर्वेक्षण करने मे समर्थ बनाने वाली अपेक्षित तैयारिया नही की गई हैं या यदि सर्वेक्षक ऐसे दिन और ऐसे समय पर अपरिहार्यत निरुद्ध किया गया है या सर्वेक्षण करने से अन्यथा निवारित किया है तो पोत के सर्वेक्षण के लिए कोई अन्य दिन और समय जो सर्वेक्षक और आवेदक दोनों को सुविधाजनक हो नियत किया जा सकता है।

(9) उस कालावधि को ध्यान मे रखते हुए जिसके लिए स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सनिर्माण प्रमाण पत्र दिया जाना है सर्वेक्षक पोत का सर्वेक्षण करेगा और अपना यह समाधान करेगा कि संरचना, बायलर्स और अन्य दाब वाहिकायों और उनके साज-समान, घरेलू बायलर्स से भिन्न जिनका तापन तल 4.65 वर्ग मीटर या कम है या कार्यकारी दाब 3.52 किलोग्राम प्रति वर्ग सेन्टीमीटर या कम है, और अन्य घरेलू दाब-वाहिकायों, जिनका ऐसा कार्यकारी दाब है, की व्यवस्था, सामग्री और घाटक माप, मुख्य और सहायक मशीनरी, विद्युत् सस्थापन और अन्य उपस्कर इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार हैं और उस सेवा के लिए जिसके लिए पोत आशायित है, सब बातों मे सन्तोषप्रद है।

(10) सर्वेक्षक, यदि सर्वेक्षण पर उसका समाधान हो जाये कि वह उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह इन नियमों की अनुसूची 1 में विहित समुचित प्ररूप में सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट प्रधान अधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(11) प्रधान अधिकारी, यदि उसका सर्वेक्षण को रिपोर्ट की संवीक्षा करने पर समाधान हो जाता है कि वह उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह पोत की बाबत यथास्थिति, स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र दे देगा ।

32. अन्तःकालीन सर्वेक्षण:—(क) हर पोत जिसकी बाबत स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरापोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, का स्वामी जब तक कि उक्त प्रमाणपत्र प्रवृत्त रहता है, पोत का सर्वेक्षण, उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति और अन्तरालों पर, वह अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि पोत, यथास्थिति, स्थौरा सन्निर्माण प्रभाव पत्र या स्थौरापोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रभाव पत्र को प्रवृत्त रहने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, करायेगा और यदि पोत इस प्रकार सर्वेक्षित नहीं होता तो प्रधान अधिकारी प्रमाण पत्र रद्द कर सकता है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया जाने वाला सर्वेक्षण निम्न प्रकार से होगा :—

(क) खोखू और पोत की बगल बंधनों का परीक्षण सूखे डाक में दो वर्ष से अनधिक अन्तराल पर किया जायेगा और पोत की बगल बंधने चार वर्ष से अनधिक अन्तराल पर पूरी तरह से परीक्षित की जायेगी :

परन्तु जहां प्रधान अधिकारी का किसी पोत की बाबत समाधानप्हो जाता है कि इस कालावधि या विस्तारण न्याय संगत है तो वह स्वामी के आवेदन पर दो सर्वेक्षणो के बीच की कालावधि को ऐसी कालावधि के लिए जैसा वह आवश्यक समझे विस्तारित कर सकता है लेकिन विस्तारण की ऐसी कालावधि 12 महीनों से शधिक नहीं होगी ।

(ख) सब बायलरों का जिनमें उन घरेलू बायलरों जिनका तापन तल 4.65 वर्गमीटर या कम है और कार्यकारी दाब 3.52 किलोग्राम प्रति वर्ग सें० मीटर या कम है से भिन्न, रेचक गैस या वाष्पीय तापन वाष्प जनित्र, मितोपयोजक और घरेलू बायलर सम्मिलित है, जब वे आठ वर्ष पुराने न हों, दो वर्ष से अनधिक अन्तराल पर अन्दर और बाहर से परीक्षण किया जायेगा और इसके पश्चात् प्रति वर्ष :

परन्तु जहां प्रधान अधिकारी का किसी पोत की बाबत समाधान हो जाता है कि इस कालावधि का विस्तारण न्यायसंगत है, तो वह स्वामी के आवेदन पर दो सर्वेक्षणों के बीच की कालावधि को ऐसी कालावधि के लिए, लेकिन 6 महीने से अधिक नहीं, जैसा वह आवश्यक समझे विस्तारित कर सकता है ।

(ग) स्क्रू शाफ्टें या ट्यूब शाफ्टें, सतत लाइनर सहित या तेल में जाने वाली, बाहर निकाली जायेगी और 3 वर्ष से अनधिक अन्तराल पर सर्वेक्षित की जायेगी और दूसरी स्क्रू और ट्यूब शाफ्टें बाहर निकाली जायेंगी और 2 वर्ष से अनधिक अन्तराल पर सर्वेक्षित की जायेंगी :

परन्तु सिगल स्क्रू पोत की दशा में जहां शाफ्टों में लाइनर या अनुमोदित तेल ग्लेंड है या अनुमोदित संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री से बने हैं, यदि प्रधान अधिकारी का समाधान हो जाये कि—

i) प्रत्येक सर्वेक्षण पर शाफ्टें निकाली जाती हैं और एक प्रभावशाली दरार परिचयन रीति द्वारा परीक्षित की जाती है; और

ii) चाबी-खांचे का डिजाइन एसा है जो विस्तारण की कालावधि को न्यायसंगत ठहराता है, तो दो सर्वेक्षणों के बीच का अन्तराल 12 महीने की कालावधि से अनधिक के लिए विस्तारित किया जा सकता है ।

(3) इन नियमों के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए आवेदन, इन नियमों की अनुसूची में विहित समुचित प्रारूप में प्रधान अधिकारी को जिसके द्वारा यथास्थिति स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रभाव पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रभाव पत्र दिया गया था, किया जायेगा ।

परन्तु जहां यथास्थिति, स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाणपत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र धारण करता है, भारत से बाहर दिया गया था तो वहां आवेदन किसी भी जिले के प्रधान अधिकारी को दिया जा सकता है ।

(4) प्रधान अधिकारी आवेदन प्राप्त करने और इन नियमों की अनुसूची 2 में इस निमित्त विहित समुचित दर पर आवेदक द्वारा फीस संदाय करने पर सर्वेक्षक द्वारा पोत का सर्वेक्षण करायेगा ।

(5) सर्वेक्षक पोत का सर्वेक्षण अपना समाधान करने की दृष्टि से करेगा—

(क) कि उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट पोत के ऐसे भाग और इसके उपस्कर जो सर्वेक्षण के लिए आवेदन के अध्यधीन है यावत्साध्य प्रभावशाली रहेंगे, और

(ख) कि उपपोत के जिससे, यथा स्थिति, स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र संबंधित है, खोखू मशीनरी या उपस्कर में कोई तात्विक परिवर्तन मुख्य अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किये गये हैं ।

(6) उपनियम (5) की अपेक्षा अनुसार सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर सर्वेक्षक, प्रधान अधिकारी को इन नियमों की अनुसूची 1 में इस निमित्त विहित समुचित प्रारूप में पोत के सर्वेक्षण की रिपोर्ट अग्रेषित करेगा ।

(7) मुख्य अधिकारी का यदि सर्वेक्षण की रिपोर्ट की संवीक्षा करने पर समाधान हो जाता है कि उचित तौर पर ऐसा कर सकता है तो वह, यथास्थिति, स्थौरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र को, जैसा वह उचित समझे, प्रवृत्त रहने की मंजूरी दे सकता है, या इसको रद्द कर सकता है ।

अनुसूची 1

[नियम 31(2) 31(10), 32(3) और 32(6) देखिये]

राष्ट्रीय निदेश संख्या

मुद्रा

स्थौरा पोत संनिर्माण प्रमाण पत्र/स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाणपत्र को मंजूर करने या नवीकरण के लिए सर्वेक्षण या अन्तः-कालीन सर्वेक्षण के लिए आवेदन ।

(विलम्ब से बचने के लिए मुंबई, कलकत्ता, मद्रास विशाखा-पट्टणम या कोचीन पर सर्वेक्षण या निरीक्षण के लिए 72 घंटे से अन्यून की सूचना दी जानी चाहिए । अन्य पत्तनों के लिए जितनी अधिक संभव हो उतनी सूचना दी जानी चाहिए)

महोदय,

मैं इसके पीछे वर्णित सर्वक्षण के लिए आवेदन करता हूं । मैं एतद्द्वारा ..... रु० ..... पैसे सर्वेक्षण फीस अग्रेषित करता हूं और खर्चे और अतिशेष फीस जो इस विषय से संबंधित उचित तौर पर प्रभार्य हों संदत्त करने के लिए सहमत हूं ।

तारीख ..... हस्ताक्षर .....

पूरा पता ..... पदाभिदान.....

सेवा में,

प्रधान अधिकारी.....

वाणिज्यिक समुद्री विभाग,

जिला.....

(वाणिज्यिक समुद्री कार्यालय में भरा जाना चाहिए)

..... ... रुपये की फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गई है और रसीद संख्या ..... दे दी है ।

निम्नलिखित सर्वेक्षक/सर्वेक्षकों को आवश्यक कार्यवाही के लिए दे दिया गया ।

तारीख .....

देख लिया

तारीख .. ... ..

प्रधान अधिकारी

जिला

सर्वेक्षक

पोत की विशिष्टियां

| पोत का नाम | रजिस्ट्री पत्तन | शाराकीय-संख्या | वाष्प मोटर या पाल | रजिस्ट्रीकृत लम्बाई | वर्गीकरण यदि कोई है | टनभार<br>सकल रजिस्टर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| ढोल कब और कहा बनाया—गया—सामग्री | इंजिन कब और किसके द्वारा बनाये गये<br>आई एच पी/एन एच पी/आइएच पी<br>संक्षिप्त विशिष्टियां | बायलर कब और किसके द्वारा बनाये गये कार्यकारी दाब | प्रमाणित पनडुब्बी यात्रा या सेवा | चालन की प्रस्थापित तारीख |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

पोत के स्वामियों या अभिकर्त्ताओं के नाम और पत्र

समुद्रिक/इंजीनियर अधीक्षक या अभिकर्त्ता, जो सर्वेक्षण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है, का नाम और टेलीफोन संख्या।

त स्थौरा पोत संनिर्माण प्रमाण/पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा संनिर्माण प्रमाण पत्र के ब्यौरे और अवसान की तारीख

व अपेक्षित सर्वेक्षण/निरीक्षण की प्रकृति

ात की उसके गत सर्वेक्षण (यदि कोई है) से दुर्घटनाओं के ब्यौरे

थान जहां और तारीख और समय जब पोत सर्वेक्षण के लिए तैयार होगा

ोई विशेष टिप्पणी

अनुसूची II

(नियम 31(4) और 32 (4) देखिए)

स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीकरण के प्रयोजन के लिए संचालित सर्वेक्षण और भानत: निरीक्षण के लिए संचालित अन्त कालीन सर्वेक्षण के लिए संदेय फीसो की सारणी :

| पोत का संकल टन भार | स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र/ स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र दिये जाने से पूर्व सर्वेक्षण के लिये संदेय फीस | स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा संन्निर्माण प्रमाण पत्र के नवीनकरण से पर्व सर्वेक्षण के लिए संदेय फीस | स्थौरा पोत संन्निर्माण प्रमाण पत्र स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण की विधि मान्यता की कालावधि के दौरान किसी अन्त:कालीन सर्वेक्षण के लिए संदेय फीस |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 500 टन और अधिक किन्तु 1000 टन से कम | 5000/ रुपये | 1200/- रुपये | 300/- रुपये |
| 1000 टन और अधिक किन्तु 5000 टन से कम | प्रथम 1000 टन के लिये 5000/- रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 250 रुपये | प्रथम 1000 टन के लिये 1200/ रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 45 रुपये | प्रथम 1000 टन के लिये 300 ० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 10 रु० |
| 5000 टन और अधिक किन्तु 10000 टन से कम | प्रथम सकल 5000 टन के लिये 15000 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 200 रुपये | प्रथम सकल 5000 कल के लिये 3000 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 30 रुपये | प्रथम सकल 5000 टन के लिये 700 ० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के के लिये 8/- रुपये |
| 10000 टन और अधिक किन्तु 15000 टन से कम | प्रथम सकल 10000 टन के लिये 25000 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 150 पये | प्रथम सकल 10000 टन के लिये 4500 रु० तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 20 रुपये | प्रथम सकल 10000 टन के लिये 1100 पये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 5 रुपये |
| 1500 और अधिक | प्रथम सकल 15000 टन के लिये 32500 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 100 रुपये | प्रथम सकल 1500 टन के लिये 5500 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 15 रुपये | प्रथम सकल 15000 टन के लिये 1350 रुपये तथा प्रत्येक 100 टन अधिक या उसके भाग के लिये 4 रुपये। |

टिप्पण : (1) जहा सवक्षक यथास्थिति स्थौरा पोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाण पत्र या स्थौरा पोत सन्निर्माण प्रमाण पत्र के नवीकरण से पूर्व सर्वेक्षण या अन्त कालीन सर्वेक्षण निष्पादित करता है और ऐसा सर्वेक्षण एक सक्रिया से पूरा नही होता किन्तु दो या अधिक आशिक सर्वेक्षण में पूरा होता है तो ऐसे सर्वेक्षण के लिए सदेय फीस यथास्थिति इसमें इसके पूर्व उपवर्णित सारणी के स्तंभ (3) के स्तंभ (4) अनुसार समुचित फीस और साथ ही सवक्षक के प्रत्येक अतिरिक्त परिदर्शन के लिए 60 रुपये होगी।

(2) जहां पोत के स्वामी या मास्टर की अभिव्यक्त प्रार्थना पर सर्वेक्षक शाम 5 बजे के पश्चात निरुद्ध किया जाता है, यदि सर्वेक्षक शाम 7 बजे पूर्व छोड़ दिया जाता है तो 75 रुपये फीस और यदि सर्वेक्षण शाम 7 बजे के बाद किसी समय छोड दिया जाता है तो 100 पये अतिरिक्त फीस सदेय करनी होगी।

(3) जहा सर्वेक्षक ने वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण, स्थौरापोत सुरक्षा सन्निर्माण प्रमाणपत्र दिये जाने या नवीकरण के पूर्व सर्वेक्षण या इन नियमों के अधीन अत कालीन सर्वेक्षण साथ-साथ निष्पादित किया वहा इनमें इसके पूर्व इस अनुसूची में उपवर्णित फीसों की सारणी के अनुसार फीस संदेय नही होगी।

[स० 30-एम०वी०(4)/67-एम०एल०]

अक्षर सचिव।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Banking)

*New Delhi, the 10th December 1971*

G.S.R. 141.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating recruitment to the post of Economic Investigator in the Department of Banking, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Banking (Economic Investigators) Recruitment rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—They shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3 **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit and other qualification etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of Economic Investigator in Ministry of Finance (Department of Banking File No. F. 3/8 (17)/71-RR*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-Selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Economic Investigator . | 5 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Not applicable. | 30 years (Relaxable for Government servants). | *Essential*: (i) Master's degree in Economics or Commerce of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 2 years experience in conducting economic investigation/research.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.)<br>*Desirable*:<br>Experience of research work in fields of monetary economics, banking or public resource mobilisation or agriculture co-operation or small scale industry. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its compositon | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicabe | 2 years | 50 percent by direct recruitment 50 per cent by transfer on deputation failing which by direct recruitment. | *Transfer on deputation*<br>Officers holding analogous posts or officers with 5 years service in posts in the scale of Rs. 210—425 or equivalent under the Central Government and possessing the qualifications mentioned in column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.) | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No A. 12018/5/70-Admn.]
R. K. SUNDARESAN, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि०141.—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में आर्थिक अनुसंधानकर्ता के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाये हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) आर्थिक अनुसंधानकर्ता भर्ती नियमावली, 1971 कहे जायेंगे।

(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदुक्ति.**—ये नियम इस अधिसूचना से अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बन्धित वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अधिसूचना के स्तम्भ 2 से 4 में बताया गया है।

4. **भर्ती का तरीका, व्यसीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, व्य सीमा, अर्हताएं तथा उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जैसी कि उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट की गयी हैं।

5. **अनर्हताएं.**—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवन साथी के जीवित रहते किसी दूसरे व्यक्ति से शादी अथवा संविदागत विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और शादी की दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार की शादी की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति.**—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों को किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है वहां उसके लिये कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके छूट दे सकती है।

7. **परिवंध.**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों तथा दी जाने वाली अन्य रियायतों के सम्बन्ध में ये नियम लागू नहीं होंगे।

वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में आर्थिक अनुसन्धानकर्ता के पद के लिये भर्ती नियमवाली

फाइल संख्या 3/8(17)/71आर०आर०

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | संलेक्शन (प्रवरण) पद अथवा सलेक्शन-भिन्न पद | सीधी भर्ती वालों के लिये आयु | सीधी भर्ती वालों के लिये आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आर्थिक अनुसन्धान-कर्ता | 5 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी ii (अराजपत्रित अनुसचिवीय) | 325–15–475–दक्षतारोध–20–575 रुपये | लागू नहीं होता। | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है) | **अनिवार्य:** (1) अर्थशास्त्र या वाणिज्य में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की एम० ए० की डिग्री या उसके समकक्ष। (2) आर्थिक अनुसन्धान/गवेषणा का कार्य करने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव (उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हता प्राप्त होने पर आयोग के विवेक से अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)। **वांछनीय:** मुद्रा संबंधी अर्थशास्त्र बैंक व्यवसाय या जनता से साधन जुटाने या कृषि सहकारिता या लघु-उद्योग के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य का अनुभव। |

| क्या सीधी भर्ती परिवीक्षा की बातों के लिये अपेक्षित निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होंगी । | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता । | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने की स्थिति में उन वर्गों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है । | ऐसी विशेष परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता । | 2 वर्ष | 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ऐसा सम्भव न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सदृश पदों पर काम करने वाले अधिकारी या 210–425 रुपये के वेतनमान या समकक्ष पदों पर काम करने वाले 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी और जो स्तम्भ 7 में निर्दिष्ट अर्हताए रखते हों ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अन्तर्गत आवश्यक है । |

[सं० ए० 12018/5/70-प्रशासन]

आर० के० सन्दरेसन, अवर सचिव।

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (Railway Board)

*New Delhi, the 4th January 1972*

G.S.R. 142.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Protocol and Catering Officer in the Ministry of Railways (Railway Board), namely:—

1 **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Board (Protocol and Catering Officer) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No, person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by orders for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection Post or non-Selection post. | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Protocol and Catering Officer. | 1 | Indian Railway Service Class II miscellaneous posts. | Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. | Selection | Not applicable. | Not applicable. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any. | Methods of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulated in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | 2 years | By promotion failing which by transfer/ deputation. | *Promotion*: Catering Inspectors with 15 years service including 3 years service in the scale of Rs. 450-575. *Transfer/Deputation.* From amongst suitable officers working in the Section Officers' Grade of the Railway Board, Secretariat Service failing which suitable Assistants of the Railway Board Secretariat Service with 15 years service in the grade, having 3 years experience of catering work in each case. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. E (RB) I-71/20/13.]

P. LAL, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 142.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में नयाचार एवम् खानपान अधिकारी के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम रेलवे बोर्ड (नयाचार एवम् खानपान अधिकारी) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद के लिए भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे सम्बद्ध अन्य विषय वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **अनर्हताएं.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है जिसका/की पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित है अथवा समीचीन है, तो वह, लिखित कारण देते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग या व्यक्ति समुदाय के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों को शिथिल कर सकती है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिये आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित [शैक्षणिक] और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| नयाचार एवम् खान-पान अधिकारी | 1 | भारतीय रेल सेवा श्रेणी विविध पद | 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द०रो०–30–830–35–900 रु० | प्रवरण पद | लागू नहीं होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा काल यदि कोई हो | भर्ती की विधि सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | पदोन्नति / प्रति नियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमे से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन | परिस्थितिया जिनमे भर्ती के सम्बन्ध मे सघ लोकसेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा । |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा और इसके अभाव मे स्थानातरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा । | पदोन्नति :<br>ऐसे खानपान निरीक्षक जिनकी 15 वर्ष की सेवा हो और जिसमे 3 वर्ष की सेवा 450–575 रु० के वेतनमान में होनी चाहिए ।<br>स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति<br>रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी पदक्रम मे काम कर रहे उपयुक्त अधिकारियों में से । इनमे से न मिलने पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जिनकी इस पदक्रम में 15 वर्ष की सेवा हो; इनमें से प्रत्येक मामले में, खान-पान कार्य मे 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत 3 वर्ष से अधिक न होगी) | श्रेणी II विभागीय पदोन्नति समिति | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अतर्गत यथापेक्षित । |

[सं० ई(आर बी) 1-71/20/13]

पी० लाल, उप सचिव ।

## DEPARTMENT OF COMMUNICATION

**(Post and Telegraph Board)**

*New Delhi, the 31st December* 1971

**G.S.R. 143.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mechanics (Telephone, Telegraph, Carrier and Wireless) Recruitment Rules, 1968, in Schedule I, against item 6,—

(1) under the heading 'Direct recruits'—

(i) after entry (iii) in clause (a), the following entry shall be inserted, namely:—

"(iv) Pass in Matriculation/High School/Higher Secondary or equivalent examination with Physics and Mathematics as subjects".;

(ii) Clause (b) and entires relating thereto shall be omitted;

(2) under the heading 'Departmental candidates' after entry (ii), the following entry shall be inserted, namely:—

"(iii) workers in the industrial establishment of Technical and Development Circle"

[No. 27-40/70-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director General (STN).

## संचार विभाग

**(डाक तार बोर्ड)**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 143.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कैरियर और बेतार) भर्ती नियम, 1968 का और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कैरियर और बेतार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यांत्रिक (टेलीफोन, तार, कारियर और बेतार) भर्ती नियम, 1968 की अनुसूची 1 में मद 6 के सामने—

(1) "सीधी भर्ती" शीर्षक के अन्तर्गत—

(I) खंड (क) में प्रविष्टि (iii) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(IV) मैट्रिक/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा में पास जिसमें भौतिक विज्ञान और गणित विषय रहा हो।"

(II) खण्ड (ख) और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों को हटाया जाएगा ;

2. "विभागीय उम्मीदवार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रविष्टि (ii) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(III) तकनीकी और विकास सर्किल की औद्योगिक स्थापना के कामगार"

[सं० 27-40/70-एन सी जी]

के० वी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस टी एन)।

---

**(P. and T. Board)**

New Delhi, the 31st December 1971

**G.S.R. 144.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Workshops Organisation (Class I Engineering and Administrative Posts) Recruitment Rules, 1959, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Posts and Telegraphs Telecom Factories Organisation (Class I Posts) Recruitment Rules 1971.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Special representation.**—Appointment to the post of Assistant Manager (Factories) by direct recruitment shall be made subject to orders regarding special representation for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and such other categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Central Government.

6. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party

to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Training.**—The candidates recruited through competitive examination shall, during the period of probation, undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time.

8. **Examination and test.**—Officers appointed as Assistant Managers through competitive examination shall, during the period of probation, be required to pass a professional examination and a test in Hindi.

9 **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

10 **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

11 **Seniority.**—The seniority of officers appointed under these rules shall be determined in accordance with the principles of seniority laid down in the Ministry of Home Affairs O.M. No. 9/11/55-RPS, dated the 22nd December 1959 and such other general orders on the subject which may from time to time be issued by the Central Government.

12. **Liability to serve in the Defence Services.**—(1) Any person appointed to the post of Assistant Manager (Factories) shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment,

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years;

(2) If a person who is appointed by deputation or transfer to any post specified in the Schedule annexed to these rules happens to be liable for service in Defence Services under the Compulsory Liability Scheme in his parent Department/Organisation and has already so served in the Defence Service in his previous post for a period of not less than four years inclusive of the period spent on training, he shall not be liable for service in Defence Services again upon his appointment to the post specified in the said Schedule.

13. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

THE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Age limit for direct recruitment | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. General Manager, Telecom Factories | 1 | General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial | Rs. 1800—100—2000—125—2250 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 2. Deputy General Manager Managers of Telecom Factories | 5 | Do. | Rs. 1300—60—1600 | Selection | Do. | Do. |
| 3. Assistant General Managers/ Senior Engineers | 17 | Do. | Rs. 700—40—1100—50/2—1250 | Non-selection | Do. | Do. |
| . Assistant Manager (Factories) | 23 | Do | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 | Selection | | Age, qualifications, etc. as laid down in the rules for the Combined Engineering Services Examination (Indian Ordnance Factories Service Plan) conducted by the Union Public Service Commission. |

SCHEDULE

| Whether age and educational qualifications for direct recruits will apply in the case of promotion | Period of probation if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not Applicable | By transfer | *Transfer*:<br>Officer of the Senior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service Class I | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulation, 1958. |
| Do. | Two years | By promotion failing which by transfer on deputation | *Promotion*:<br>Assistant General Managers Senior Engineers with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis<br>*Transfer on deputation*:<br>Officers of the Junior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service, Class I.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years) | Class I D.P.C. | Do. |
| Do. | Two years | By promotion failing which by transfer on deputation. | *Promotion*: Do.<br>Assistant Manager (Factories within 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>*Transfer on deputation*:<br>Officers in Senior Time Scale (Rs. 700—1250) of the Telegraph Engineering Service Class I.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Do. | Do. |
| No. | Two years | By promotion 50 percent.<br>By direct recruitment 50 percent through the Combined Engineering Service Examination conducted by the Union Public Service Commission—I.O. F. S. Plan. | *Promotion*:<br>Assistant Engineer (Factories) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>NOTE 1. The posts of Deputy General Managers and Managers, Telecom Factory, Calcutta, Jabalpur and Bombay and the incumbents thereof are interchangeable.<br>NOTE 2. The posts of Assistant General Managers and Senior Engineers and the incumbents thereof are interchangeable. | Class I D.P.C. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 2-1/61-TF]

C. S. SWAMINATHAN,
Asstt. Director General TF.

**(डाक तार बोर्ड)**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 144.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक तार वर्कशाप संगठन (श्रेणी–I इंजीनियरी तथा प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 1959 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ** .—(i) इन नियमों का नाम डाक तार दूर संचार कारखाना संगठन (श्रेणी I पद) भर्ती नियम, 1971 होगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** .—ये नियम अनुबंधित अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा उनसे सम्बन्धित वेतनमान उक्त अनुसूची के 2 से 4 कालमों में किये गये उल्लेखानुसार होंगे।

4. **भर्ती का तरीका, आयुसीमा तथा अन्य योग्यताएं** .—भर्ती का तरीका, आयुसीमा, योग्यतायें तथा एततसम्बन्धी अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में वर्णित हैं।

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य विशेष श्रेणीयों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित ऊपरी आयुसीमा में ढील दी जा सकती है।

5. **विशेष प्रतिनिधित्व** .—

सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली नियुक्ति में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

9. **अयोग्यताएं** .—कोई व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसका की पहले से ही पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसे करने का करार किया हो इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि पर कि वह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा शादी की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य हैं तथा छूट देने के अन्य आधार हैं तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे उ सकती है।

7. **प्रशिक्षण** .—प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती किये गये उम्मीदवारों को परिवीक्षण अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

8. **परीक्षा तथा जांच**.—जो अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सहायक प्रबन्धक नियुक्त हुए हो उन्हें परिवीक्षण अवधि के दौरान व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी का इम्तहान पास करना होगा।

9. **छूट देने की शक्ति**.—

जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह सम्बद्ध कारणों को लिखित रूप में दिखाकर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों या पदों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है।

10. **व्याख्या**.—इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध में यदि कोई प्रश्न उठे तो उसे निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जायेगा।

11. **वरिष्ठता**.—इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर०पी०एस० दिनांक 22–12–1959 में उल्लिखित वरिष्ठता सिद्धान्तों के अनुसार तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी होने वाले अन्य सामान्य आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

12. **रक्षा सेवाओं में काम करने का दायित्व** .—

(1) सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर यदि आवश्यकता हुई तो, किसी भी रक्षा सेवा में अथवा भारत के रक्षा विभाग से सम्बन्धित किसी भी पद पर प्रशिक्षण की अवधि सहित यदि कोई हो, कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना होगा।

**बशर्ते कि** .—

(क) उसे नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद यह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी,

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उसे यह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

(2) इन नियमों में अनुबन्धित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त हुए किसी व्यक्ति ने यदि अपने मूल विभाग/संगठन में इस अनिवार्य दायित्व योजना के अन्तर्गत रक्षा सेवा कर चुके हों और पहले ही अपने मूल पद पर प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम चार वर्ष तक कार्य कर चुके हों तो उसे उल्लिखित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर नियुक्ति होने पर फिर से रक्षा सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

13. अपवाद.—

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रखे गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन-मान | चुनाव या गैर चुनाव पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 महाप्रबन्धक दूर संचार कारखाने | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I अराजपत्रित अलिपिय वर्गीय | 1800–100–2000–125–2200 रु० | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| क्या पदोन्नति के मामले परिवीक्षा की अवधि में सीधे भर्ती के लिए यदि हो निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी | भर्ती का तरीका—सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की हालत में ये पदक्रम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | स्थानान्तरण से | स्थानान्तरण. तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी I के प्रवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|
| 12 | 13 |
| लागू नहीं | संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट विनियम 1958 के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. उप-महाप्रबन्धक दूर संचार कारखाने | 5 | यथोपरि | 1300–60–1600 रु० | चुनाव | लागू नहीं | लागू नहीं |

| 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से | **पदोन्नति :** सहायक महाप्रबन्धक/प्रवर इंजीनियर जिनकी उस पदक्रम मे नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी हुई हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** तार इंजीनियरी सेवा, श्रेणी I के प्रवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी (साधारणत : प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 साल से अधिक न हो । |

| 12 | 13 |
|---|---|
| श्रेणी–1 विभागीय पदोन्नति समिति | यथोपरि |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. सहायक महाप्रबन्धक प्रवर इंजीनियर | 17 | यथोपरि | 700–40–1100 50/2 1250 रु० | गैर चुनाव | लागू नही | लाग नही |

| 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| लागू नही | दो वर्ष | पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से | **पदोन्नति :** सहायक प्रबन्धक (कारखाने ) जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी की हुई हो । **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी I के प्रवर समय-मान (700–1250) के अधिक (प्रति नियुक्ति की अवधि साधारणत 3 साल से अधिक न हो ) । |

| 12 | 13 |
|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. सहायक प्रबन्धक कारखाने | 20 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–I राजपत्रित अस्थिपिक वर्गीय | 400–400–450–30–600–35–670–द.रो. 35–900 रु० | चुनाव | आयु, योग्यता आदि जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा (भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना) के नियमों में निर्धारित हो । | |

| 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|
| नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति से 50 प्रतिशत और सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा-भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना के आधार पर हो । | पदोन्नति : सहायक इंजीनियर (कारखाने जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की ऐसा पूरी हुई हो । |

| 12 | 13 |
|---|---|
| यथोपरि | यथोपरि |

टिप्पणी 1– कलकत्ता, जबलपुर और बम्बई के दूर संचार कारखाने के उप महा प्रबन्धकों और प्रबन्धकों के पद तथा तदग्राही आपस में बदले जा सकते हैं ।

टिप्पणी 2– सहायक महाप्रबन्धकों और प्रवर इंजीनियरों के पद और पदग्राही आपस में बदले जा सकते है ।

[सं० 2-1/61- टी एफ]

सी० एस० स्वामीनाथन,
सहायक महानिदेशक (टी एफ) ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 30th December, 1971*

**G.S.R. 145.**—Where as the Central Government considers it expedient that special precautions should be taken to prevent the entry of unauthorised persons into the places specified in the Schedule hereto annexed.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by rule 8 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby declares the aforesaid places to be protected places for the purposes of that rule.

THE SCHEDULE

| Sl. No. | Name of place | Locality | Boundaries or other description |
|---|---|---|---|
| 1 | *Bank Note Press* | | |
| | (a) Main Office building . . . | Dewas | The building and land in Sagar Mahal in Survey No. 381/1116 of Dewas bounded on the West by a Kutcha road taking off from Dewas—Bhopal State Highway and going to village Nevri and on the East, North and South by lands belonging to Maharaja of Dewas (Sr.). |
| | (b) Godown . . . . . | Dewas | (i) Godown No. 1 in Rani Baug opposite to the office of Seth Sitaram Naraindas bounded on the West by Dewas—Ujjain Road on the North by M. P. State Transport Depot and East and South by lands belonging to the owner of the godown Seth Sitaram Naraindas.<br>(ii) Godown No. 2 in Rani Baug belonging to Seth Sitaram Naraindas bounded on the West by Dewas Cotton ginning factory, on the East by grape gardens and on the North and South by the lands belonging to the owner of the godown Seth Sitaram Naraindas. |

[No. 28/25/71-Poll. II]

B. K. GOSWAMI, Deputy Secy.

---

*New Delhi, the 11th January 1972*

**G.S.R. 146.**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (First Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Rules, 1955.

(1) in rule 20, the existing paragraph shall be numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commandant may, where he considers it necessary so to do for the purpose of maintaining and preserving discipline in the Unit or Sub-Unit to which the member released from the quarter Guard belongs, make an exception and issue a free railway pass to such member as mentioned in sub-rule (1).

(2) in clause (b) of rule 36, after the words "one month or less", the following words shall be added, namely:—

"or where the Commandant is satisfied that due to the difficulty of transport and escort of the person sentenced to imprisonment, to the nearest jail, it is so desirable."

[No. R.I/7/71-Adm./GPA.I.]

PREM PARKASH, Under Secy.

### गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर० 146.**—केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में—

(1) नियम 20 में, विद्यमान पैरा, उप-नियम (1) के रूप में संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार

संख्यांकित किए गए उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

"उप नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां वह ऐसी यूनिट या उप-यूनिट में जिससे क्वाटर गार्ड से नियुक्त किया गया सदस्य संबंध रखता है, अनुशासन बनाए रखने और उसकी परिरक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक समझें, छूट दे सकेगा और ऐसे सदस्य को उप-नियम (1) में यथावर्णित मुफ्त रेल पास जारी कर सकेगा ।"

(2) नियम 36 के खंड (ख) में, "एक मास या उससे कम" शब्दों के पश्चात, निम्नलिखित शब्द जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

"या जहां कमान्डेट का यह समाधान हो जाए कि कारावास से दंडित व्यक्ति के निकटतम जेल तक परिवहन और अनुरक्षण की कठिनाई के कारण ऐसा करना वांछनीय है ।"

[सं० आर 1/7/71-प्रश०/जी०पी०ए० 1]

प्रेम प्रकाश, अवर सचिव ।

---

*New Delhi, the 11th January 1972*

**G.S.R. 147.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Foreigners Act, 1946 (31 of 1946), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, namely:—

1. This Order may be called the Foreigners (Restricted Areas) Amendment, Order, 1972.

2. In Schedule I to the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, in item 11, after the words "district of Poonch", the following shall be inserted, namely:—

"the whole of Karnah Tehsil, Uri Tehsil, Tangmarg Tehsil, Baramulla Tehsil, Handwara Tehsil, Kupwara Tehsil and Bandipur Tehsil and portion of Sopore Tehsil including Hamum, Maroot, Duriwari, Ketherdaji, Dazmah, Nowpora, Hanroo, Pakhwara, Angerpora and Pazwalpora areas in the district of Baramulla.".

[No. 11013/12/71-F-I.]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

---

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

### (Department of Rehabilitation)

*New Delhi, the 30th December 1971*

**G.S.R. 148.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Investigator Grade I in the Department of Rehabilitation in the Ministry of Labour and Rehabilitation, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Rehabilitation (Economic Investigator Grade I) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

Provided that the age limit prescribed for direct recruitment may be referred in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

*THE SCHEDULE*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Economic Investigator Grade I in the Committee of Review for Rehabilitation work in West Bengal. | Two | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325—15—475—EB—20—575 | Not applicable | 30 years (Relaxable for Government servants). | *Essential*:<br>1. Master's degree in Economics or Statistics or Economic Geography of a recognised University or equivalent.<br>2. About 3 years' experience of Economic Survey/Investigation.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates other wise well qu lified).<br>*Desirable*:<br>(i) Experience in collection, compilation and analysis of data relating to rehabilitation problems of displaced persons.<br>(ii) Drafting of reports pertaining to the rehabilitation work. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | Transfer or transfer on deputation failing which by direct recruitment | *Transfer*:<br>Officers holding analogous posts under the Central Government.<br>*Transfer on deputation*:<br>Officers holding analogous posts under the Central Government or officers of Assistant Grade of the C.S.S. with 5 years' service in the grade and having the experience prescribed for direct recruits in Column 7.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A-12018(1)/71-Adm.I.]

J. K. AHLUWALIA, Under Secy

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय**

**(पुनर्वास विभाग)**

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 148.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग मे आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात .—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम पुनर्वास विभाग (आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-1 के पद पर) भर्ती के नियम, 1971 कहलायेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** —ये नियम सलग्न अनुसूची के कालम 1 मे उल्लिखित पद पर भर्ती के लिए लागू होंगे ।

3 **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** —इन पदों की सख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान सलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 मे दिया गया है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा और योग्यताएं इत्यादि.**— उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, योग्यताए और इनसे सबधित अन्य बाते उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 मे दी गई है ।

किन्तु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा मे अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों एव अन्य विशिष्ट वर्गों के अभ्यार्थियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।

5. **अयोग्यताएं.**— कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा । परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने की शक्ति.**—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर तथा सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिए इन नियमों के किसी भी उपबन्ध मे रियायत कर सकती है ।

7. **अपवाद** —इन नियमों मे दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो तथा इस सदर्भ मे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियो को दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतो पर प्रभाव नही डालेगी ।

| नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी और अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य की समीक्षा समिति में आर्थिक-अन्वेषक ग्रेड-1 | दो | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय | 325-15-475-दरो-20-575 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है) | **अनिवार्य :**<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या आर्थिक भूगोल में एम०ए० की डिग्री या समकक्ष योग्यता।<br>(2) आर्थिक सर्वेक्षण / अन्वेषण में लगभग तीन वर्ष का अनुभव। (अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग अपनी इच्छा से योग्यताओं में छूट दे सकता है)<br>**वांछनीय :**<br>(i) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्याओं से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करने, संकलित करने तथा उनका विश्लेषण करने का अनुभव।<br>(ii) पुनर्वास कार्य से संबंधित रिपोर्टों का मसौदा बनाना। |

सूची

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शिक्षा सबधी योग्यताए पदोन्नति वालों की दशा मे भी लागू होगी | परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो | भर्ती की पद्धति / क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानातरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है | वे परिस्थितियां जिनमें नियम बनाते समय सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होगा | दो वर्ष | स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, इसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | **स्थानान्तरण**<br>केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी ।<br><br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण**<br>केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड के वे अधिकारी जिनकी इस ग्रेड मे पाच वर्ष की सेवा हो गई हो तथा जो कालम सात मे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अनुभव रखते हों ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत या तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ) | लागू नहीं होता | जैसा कि सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है । |

[सं० ए-12018(1)/71-प्रशासन-1]

जय किशन अहलूवालिया, अवर सचिव ।

**(Department of Labour and Employment)**

New Delhi, the 7th January 1972

**G.S.R. 149.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, namely:—

(1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Amendment Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Third Schedule to the Employees' Provident Fund (Staff and Conditions of Service) Regulations, 1962, in the Table below paragraph 3, against Serial No. 1, in column 3, (a) the figures, words and brackets "1. Provident Fund Inspector (Grade II) (Regional Offices)" shall be omitted; (b) items 2 to 8 shall be renumbered as items 1 to 7 respectively.

[No. A. 12018(9)/71-PF. I.]

**श्रम और रोजगार विभाग**

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

सा०का० नि० 149 —कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारीवृन्द और सेवा की शर्तें) विनियम, 1962 की तृतीय अनुसूची में, पैरा 3 के नीचे की सारणी में, क्रम संख्या 1 के सामने, स्तम्भ 3 में (क) "1 भविष्य निधि निरीक्षक (श्रेणी 2) (प्रादेशिक कार्यालय)" अंक, शब्द और कोष्ठक लुप्त कर दिए जाएंगे। (ख) मद 2 से 8 को क्रमशः मद 1 से 7 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

[सं० ए-12018(9)/71-पी०एफ० 1]

**G.S.R. 150.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 5D of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses), Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. In the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff, other than Commissioners, for Building/Purchasing of Houses) Rules, 1965,—

(1) in rule 6—

(i) in sub-Rule 1(A)—

(a) after the words "City Improvement Trust," the following words shall be inserted, namely:—

"Registered Co-operative Society,";

(b) after the existing proviso, the following further proviso shall be added, namely:—

"Provided further that in case of puchase of a ready-built house/flat from a Registered Co-operative Society, the applicant shall, in addition to the documents provided for under these rules, furnish the following —

(i) A letter from the Registrar of Cooperative Societies of the concerned State indicating whether the Society is registered with him,

(ii) an attested copy of the Society's title deed in respect of the land on which the house/flat has been built along with an affidavit from the Society to the effect that the land is free of all encumberances·

(iii) a certificate from the Society's lawyer that the property is free from encumberances,

(iv) an attested copy of the offer of sale of the house/flat to the applicant, indicating the total cost of the house/flat, (cost of land under the house being shown separately where the house along with the land is being sold to the applicant), in terms of allotment and payment, etc,

(v) a copy of the plan and detailed specifications adopted in construction of the house/flat;

(vi) the accommodation available.

(vii) an attested copy of the sale deed proposed to be executed by the Society in favour of the applicant;

(viii) a letter from the Society stating that there is no objection to the house/flat being mortgaged to the Chairman on such terms and conditions as may be prescribed by it;

(ix) an attested copy of the Bye-laws of the Society; and

(x) adequate Collateral Security to the satisfaction of the sanctioning authority where the land on which the flat has been built is not mortgaged by the Society in favour of the Chairman as a security towards repayment of the advance.

(2) in rule 8,—

(a) in sub-rule 1 (E)—after the words "Form No. 6" the words "and furnishing two sureties in the Form annexed to this notification" shall be inserted;

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) In addition to ensuring compliance with the provisions contained in sub-rules (1) and (2) of rule 8, the applicant for purchase of a ready built house/flat shall furnish sureties from two permanent employees of the Organisation in the Form annexed to this notification."

*Employees Provident Fund (Grant of Advances to Officers and Staff other than Commissioners for buildings/purchasing of houses) Rules, 1965.*

(Surety Bond)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS that I son of a resident of in the District of at present employed as a permanent in the (hereinafter called "the surety") am held and finally bound upto the Central Board of Trustees Employees' Provident Fund (hereinafter called "the Board" which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context include his successors in office and assigns) in the sum of Rs (Rupees only) to be paid to the Board FOR WHICH PAYMENT TO be well and truly made I hereby bind myself my heirs executors administrators and representatives firmly by these presents As witness my hand this day of One thousand nine hundred and

Whereas son of a resident of in the District of at present employed as a temporary/permanent in the (hereinafter called "the Borrower") *(but is due to retire on ) applied to the for an advance of Rs. for the purpose of† purchasing land and/or constructing a new house or enlarging living accommodation in an existing house† purchasing a ready built house

AND WHEREAS the sanctioned the payment of Rs (Rupees only) under the Employees' Provident Fund (Grant of Advances to Officers and staff other than Commissioners for building/purchasing of houses) Rules, 1965 (hereinafter referred to as the "said Rules")

AND WHEREAS the Borrower has undertaken to repay the said amount in monthly instalments AND WHEREAS the Borrower has further undertaken to mortgate the house built/purchased with the help of the said amount and to observe the provisions of the said Rules AND WHEREAS in consideration of the having agreed to grant the aforesaid advance to the borrower the Surety has agreed to execute the above bond with such condition as hereunder is written.

NOW THE CONDITION OF THE OBLIGATION is such that if the said Borrower shall while employed in the said or any other Office duly and regularly pay or cause to be paid to the Board the amount of aforesaid advance owing to the Board by instalments until the said sum of Rs. (Rupees only) shall be duly paid or mortgage to the Board the house built/purchased referred to above whichever event happens earlier, than this bond shall be void, otherwise the same shall be and remain in full force and virtue BUT SO NEVERTHELESS that if the Borrower shall die or become insolvent or at any time cease to be in the service of the Board, the whole or so much of the said principal sum of Rs. (Rupees only) together with the interest as shall then remain unpaid shall immediately become due and payable to the Board and recoverable from the Surety in one instalment by virtue of this Bond.

The obligation undertaken by the Surety shall not be discharged or in any way affected by an extension of time or any other indulgence granted by the to the said Borrower.

The stamp duty payable in respect of these presents shall be borne and paid by the Board

Signed and delivered by the said at day of 19 .

(Signature of Surety)
Designation
Office to which attached

Signature address and occupation of the witnesses in the presence of—

(i)
(ii)

Signed by Shri for and on behalf of the Central Board of Trustees, Employees' Provident Fund in the present of—

1st Witness
Address·
Occupation·
2nd Witness·
Address·
Occupation.

[No. 52(1)/64-PF I.]

सा० का० नि० 150 —कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 घ की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों के निर्माण/क्रय के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधारों की मंजूरी) नियम, 1965 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

(1) ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों के निर्माण/क्रय के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधारों की मंजूरी) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।

*Strike out if not required.
†Strike off whatever is not applicable.

2. कर्मचारी भविष्य निधि (मकानों के निर्माण/क्रय के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधारों की मंजूरी) नियम, 1965, में —

(1) नियम (6) में —

(1) उपनियम 1 (क) में—

(क) "नगर सुधार न्यास" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति," ;

(ख) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अतिरिक्त परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और है कि रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति से बना-बनाया मकान/फ्लेट क्रय करने की दशा में, आवदक, इन नियमों के अधीन उपबन्धित दस्तावेजों के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज और पेश करेगा :—

(i) संबद्ध राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से यह उपदर्शित करने वाला पत्र कि क्या समिति उसके पास रजिस्ट्रीकृत है;

() एसी भूमि की बाबत जिस पर मकान/फ्लेट बनाया गया है, समिति के हक विलेख की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि और साथ ही समिति से इस आशय का शपथ-पत्र कि भूमि सब भारों से मुक्त है।

(iii) समिति के अधिवक्ता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि संपत्ति प्रभारों से मुक्त है;

(iv) आवेदक को मकानप/लिट के विक्रय के लिए की गई प्रस्थापना की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि, जिसमें आवेटन और संदाय, आदि के अनुसार मकान/फ्लेट की कुल लागत (जहां आवेदक को मकान/भूमि के साथ विक्रय किया जा रहा हो वहां मकान की भूमि की लागत पृथक्तः दर्शित की जाए) उपदर्शित की गई हो ;

(v) मकान/फ्लेट के सन्निर्माण में अपनाए गए नक्शे और विस्तृत विनिर्देशों की प्रतिलिपि।

(vi) उपलब्ध स्थान।

(vii) आवेदक के पक्ष में समिति द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्थापित विक्रय विलेख की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि ;

(vii) समिति से एक एसा पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि मकान/फ्लेट को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो समिति द्वारा विहित की जाएं अध्यक्ष को बंधक किए जाने के लिए कोई आपत्ति नहीं है;

(ix) समिति की उपविधियों की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि; और

(x) जहां वह भूमि जिस पर फ्लेट बनाया गया है, उधार के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति के रूप में समिति द्वारा बंधक पर नहीं रखी गई हो, वहां मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के समाधान के लिए पर्याप्त सांवाक्षर्विक प्रतिभूति ;

(2) नियम 8 में, :—

(क) उपनियम 1 (ढ) में — "प्ररुप सं० 6" शब्दों के पश्चात्

"और इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररुप में दो प्रतिभू देते हुए"

शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

(ख) उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

"(3) नियम 8 के उप नियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, बना-बनाया मकान/फ्लेट क्रय करने वाला आवेदक इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररुप में संगठन के दो स्थायी कर्मचारियों से प्रतिभू पेश करेगा।"

कर्मचारी भविर्ष्य निधि (मकानों को बनाने/खरीदने के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारी वृन्द को उधार की मंजूरी) नियम

1965

(बन्ध-पत्र)

इस विलेख से सभी व्यक्तियों को ज्ञात हो कि.....जिले में.....के निवासी ..... ... .....का पुत्र मैं ..... इस समय.....मैं स्थायी .... ... के रूप में नियुक्त है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभू" कहा गया है) और केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् "बोर्ड" कहा गया है, जिस पद में जब तक कि वह विषय या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके प्रतिकूल न हो, उसके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती सम्मिलित होंगे) से बोर्ड को.... .....रु० ( ..... रुपये मात्र) संदत्त करने के लिए अपने आपको वचनबद्ध और पूर्णतः आबद्ध करता हूं। संदाय के ठीक रूप में और सच्चाई से किए ज

के लिए मैं एतद्द्वारा अपने आपको वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस विलेख से दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं। साक्ष्यम रूप मैंने आज उन्नीस सौ.....
के/को.....दिन को हस्ताक्षर किए।

यतः.....जिले में .....
के निवासी के पुत्र .....जो इस समय.....मे अस्थायी/स्थायी.....के रूप में नियुक्त है (जिसे इसमें इसक पश्चात् "उधार लेने वाला" कहा गया हैं) *(किन्तु .....को सेवा निवृत्त होने को है) ने भूमि क्रय और/या नया मकान बनाने के प्रयोजन के लिए या विद्यमान मकान मे रहने के स्थान में वृद्धि करने के लिए या† बना-बनाया मकान खरीदने के लिए.....रु० के उधार के लिए.....को आवेदन किया है।

और यतः.....ने कर्मचारी भविष्य निधि (मकानो को बनाने/खरीदने के लिए आयुक्तों से भिन्न अधिकारियों और कर्मचारीवृन्द को उधार की मंजूरी नियम, 1965 (जिन्हे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के अधीन .....रु० (.....रुपये मात्र) का संदाय मंजूर किया है।

और यतः उधार लेने वाले ने .....मसिक किस्तों मे उक्त रकम का प्रतिसंदाय करने का वचन दिया है। और यतः उधार लेने वाले ने उक्त रकम की सहायता से बनाये हुए/क्रय किए गए मकान को बन्धक पर रखने और उक्त नियमों के उपबन्धों का पालन करन का भी वचन दिया है। और यतः उधार लेने वाले को उक्त उधार की मंजूरी देने के लिए .....के सहमत हो जाने के प्रतिफलस्वरूप प्रतिभू, उपर्युक्त बन्ध-पत्र को एतद्धीन लिखी गई शर्तों के अनुसार निष्पादित करने के लिए सहमत है।

अब इस बाध्यता का शर्त यह है कि यदि उक्त उधार लेने वाला उक्त कार्यालय या.....
किसी अन्य कार्यालय में अपनी नियुक्ति के समय बोर्ड को देय पूर्वोक्त उधार की रकम बोर्ड को सम्यकतः और नियमित रूप से तब तक संदाय करता है या करवाता है जब तक कि.....
रु० (.....रुपये मात्र) की उक्त राशि का सम्यकतः संदाय नहीं कर दिया जाता है या तब तक जब तक कि ऊपर निर्दिष्ट बनाया हुआ/क्रय किया गया मकान बोर्ड को बन्धक नहीं कर दिया जाता है, इन दोनों बातों में जो भी बात पूर्वतर हो, तो यह बन्ध-पत्र शून्य होगा अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावशील होगा और रहेगा। किन्तु, तथापि यह है कि यदि उधार लेने वाला मर जाता है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय बोर्ड की सेवा में नहीं रहता है, तो ब्याज सहित.....
रु० (.....रुपये मात्र) की

* उक्त मूलधन की कुल राशि या इतनी राशि जो उस समय असंदत्त रह गई हो, इस बन्ध-पत्र के आधार पर तत्काल बोर्ड को देय और संदेय हो जाएगी और एक किस्त में प्रतिभू से वसूलीय होगी। प्रतिभू द्वारा वचनबद्ध बाध्यता का, कोई मोहलत दिए जाने के कारण या उक्त उधार लेने वाले को.....द्वारा कोई अनुग्रह मंजूर करने के कारण निर्मोचन नही होगा या किसी प्रकार का कोई प्रभाव नही पड़ेगा।

' इस विलेख के सम्बन्ध मे सदेय स्टाम्प शुल्क बोर्ड द्वारा वहन और संदत्त किया जाएगा।

उक्त.....द्वारा .....
की/के.....दिन हस्ताक्षरित और परिदत्त।

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

पदाविधान.....

कार्यालय जिसमें

कार्य कर रहा हो.....

(1).....

(2).....

की उपस्थिति में साक्षियों के हस्ताक्षर, पता और व्यवसाय

साक्षी

प्रथम साक्षी :
पता :
व्यवसाय :

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि के लिए और उनकी ओर से श्री.....द्वारा हस्ताक्षरित

दूसरा साक्षी :
पता :
व्यवसाय :

[सं० 52(1)/64-मं०नि० 1]

*जो आवश्यक न हो काट दीजिए।

†जो लागू न होता हो, काट दीजिए।

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R. 15.**—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (First Amendment) Scheme, 1972.

2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in paragraph 68K after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

(4) If the Commissioner is satisfied that the advance granted under this paragraph has been utilised for a purpose other than that for which it was granted, or that the conditions of advance have not been fulfilled within a reasonable time, the Commissioner shall forthwith take steps to recover the amount due with interest at the rate not exceeding 6¼ per cent per annum thereon, from the wages of the member in such number of instalments as the Commissioner may determine. For the purpose of such recovery, the Commissioner may direct the employer to deduct each such instalment from the wages of the member and on the receipt of such direction the employer shall deduct accordingly. The amount so deducted shall be remitted by the employer to the Commissioner within such time and in such manner as may be specified in this behalf by the Commissioner, for being credited to the members' accounts.

Provided that only that portion of the interest which might have been credited to the member's account by way of interest had he not taken any such advance shall be credited to the member's account and the the excess shall be credited to the Interest Suspense Account.

[No. S. 70012(11)/71-PF. II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 151.**—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (प्रथम संशोधन) स्कीम, 1972 होगा ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के पैरा 68(ट) के उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपपरा अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(4) यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस पैरा के अन्तर्गत मंजूर किया गया अग्रिम जिस प्रयोजन के लिये मंजूर किया गया था उससे भिन्न में प्रयुक्त किया गया है या युक्तियुक्त समय के अन्दर अग्रिम की शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयुक्त तुरन्त देयराशि की, 6¼ प्रतिशत प्रति वर्ष से अनधिक दर पर ब्याज सहित सदस्य की मजदूरी से आयुक्त द्वारा अवधारित किश्तों में वसूली के लिए कदम उठाएगा । इस प्रकार की वसूली के प्रयोजन के लिए आयुक्त नियोजक को हर ऐसी किश्तें सदस्य की मजदूरी से काट लेने के लिये निदेश दे सकेगा और ऐसे निदेश प्राप्त होने पर नियोजक तदनुसार कटौती करेगा । आयुक्त द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के अन्दर और रीति से इस प्रकार कटौती की गई रकम को नियोजक आयुक्त को सदस्य के खाते में इसे जमा कराये जाने के लिए प्रेषित करेगा ।

परन्तु यह कि ब्याज का केवल वह भाग जो सदस्य ने इस प्रकार की अग्रिम न लिया होता तो ब्याज के रूप में उसके खाते में जमा हो गया होता, उसके खाते में जमा किया जाएगा और उससे आधिक्य को ब्याज-उचंत खाते में जमा कर दिया जाएगा ।

[सं० एस–70012(11)/71–पी०एफ०2]

दलजीत सिंह, अवर सचिव ।

---

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 19th January 1972*

**G.S.R. 52/PWA/Sec. 7(2)(ii)/Rules.**—The following draft of rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 26, read with clause (ii) of sub-section (2) of section 7 and section 24 of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936), is hereby published, as required by sub-section (5) of section 26 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions may be addressed to the Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Shram-Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-1.

*Draft Rules*

The Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme), Rules 1972.

1. **Short title, application and extent.**—(1) These rules may be called the Payment of Wages (Deductions for National Defence Fund and Defence Savings Scheme) Rules, 1972.

(2) These rules shall apply to persons employed on railways, mines and oil-fields.

(3) They extend to the whole of India.

2. **Definitions.**—In these rules,—
(a) 'Act' means the Payment of Wages Act, 1936;
(b) 'section' means a section of the Act.

3. **Conditions for making deductions.**—The conditions for making deductions in pursuance of clause (ii) of sub-section (2) of section 7 from the wages of the employed persons for contribution to the National Defence Fund or to any Defence Savings Scheme approved by the State Government with the written authorisation of the president or secretary of the registered trade union of which the employed person is a member shall be as follows:—

(a) the president or, in his absence, the secretary of such trade union shall forward,—

(i) in duplicate to the employer, a copy of the list of the employed persons who are members of the trade union indicating therein the amount or extent of deductions which are to be made from the wages of each employed person and also, where the deductions are to continue for more than one wage period the total period during which such deductions are to be made, and a copy of the resolution adopted at a meeting of such trade union authorising such deductions; and

(ii) a copy of the said list and resolution to the person who acts as an Inspector for the purposes of the Act:

(b) the employer shall display in a conspicuous place of the establishment one of the two copies of the said list and resolution received from the president or secretary, as the case may be, of the trade union, for at least a period of three consecutive days immediately preceding the day on which the deductions are to be made from the wages of the employed persons; and

(c) if an employed person objects in writing to deductions being made from his wages upto the amount or extent of deductions indicated in the list displayed by the employer, no deductions shall be made from his wages except in accordance with the written authorisation of such employed person.

[No. S. 31025/29/71/LRIII.]

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 19 जनवरी 1972

**सा० का० नि० 152/पा० डब्ल्यू०ए०/से० 7 (2) (ii)/नियम.**—नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें केन्द्रीय सरकार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 24 और धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 26 की उपधारा (2), (3) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (5) द्वारा यथा अपेक्षित एतद्द्वारा सम्भाव्यत. प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 3 मास के पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में किसी भी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । ऐसे आक्षेप या सुझाव सचिव, भारत सरकार, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली –1 को भेजे जा सकते हैं ।

प्रारूप नियम

**मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा निधि और रक्षा बचत स्कीम के कितौती), नियम, 1972**

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और विस्तार :**—

(1) ये नियम मजदूरी संदाय (राष्ट्रीय रक्षा निधि और रक्षा बचत स्कीम के लिए कटौती), नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम रेलवे, खानों और तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू होंगे ।

(3) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा ।

2. **परिभाषाएं.**—इस नियमों में—

(क) 'अधिनियम' से मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 अभिप्रेत है ।

(ख) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

3. **कटौती करने के लिए शर्तें.**—राष्ट्रीय रक्षा निधि या किसी रक्षा बचत, स्कीम, जो राज्य सरकार द्वारा उस व्यवसाय संघ के, जिसका नियोजित व्यक्ति सदस्य है, अध्यक्ष या सचिव के लिखित प्राधिकार के साथ अनुमोदित है में अभिदाय के लिए नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी से धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ii) के अनुसरण में से कटौती करने के लिए शर्तें निम्नलिखित होंगी :—

(क) ऐसे व्यवसाय संघ का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में सचिव :—

(i) नियोजक को उन नियोजित व्यक्तियों की सूची की दो प्रतियां भेजेगा जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और उसमें प्रत्येक नियोजित व्यक्ति की मजदूरी मे से की जाने वाली कटौतियों की रकम या सीमा तथा जहां कटौती एक मजदूरी अवधि से अधिक तक की जाती है वहां वह पूरी अवधि भी जिसके दौरान ऐसी कटौती की जाती है, उपदर्शित करेगा और ऐसी कटौती का प्राधिकार देने वाले ऐसे व्यवसाय संघ की बैठक में पारित संकल्प की एक प्रति भेजेगा ; और

(ii) उक्त सूची और संकल्प की एक प्रति उस व्यक्ति को भेजेगा जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरीक्षक के रूप में कार्य करता है :

(ख) नियोजक, जैसी भी स्थिति हो, व्यवसाय संघ के अध्यक्ष या सचिव से प्राप्त उक्त सूची और संकल्प की दो प्रतियों में से एक को जिस दिन नियोजित व्यक्तियों की मजदूरी में से कटौती की जानी है उसके ठीक पूर्ववर्ती दिन से कम से कम से क्रमवर्ती 3 दिन की अवधि के लिए स्थापन के सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा; और

(ग) यदि कोई नियोजित व्यक्ति अपनी मजदूरी में से नियोजक द्वारा प्रदर्शित सूची में उपदर्शित कटौती की रकम या सीमा तक की जा रही कटौती के प्रति लिखित में आक्षेप करता है तो ऐसे नियोजित व्यक्ति के लिखित प्राधिकरण के अनुसार के सिवाय कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

[सं० एस-31025/ 29/71/एलआर-III]

---

*New Delhi, the 22nd January 1972*

G.S.R. 153.—The following draft of rules further to amend the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 38 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), is published, as required by sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th March, 1972.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft on or before the date so specified, will be considered by the Central Government.

*Draft Rules*

1. These rules may be called the Industrial Disputes (Central) Amendment Rules, 1972

2. In Form 'C' of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, for the brackets and words "(here specify the period agreed upon by the parties)", the following brackets and words shall be substituted, namely:—

"(here specify the period agreed upon by the parties) of publication of this agreement in the Official Gazette by the appropriate Government."

[No. F. S. 65012/4/71-LR.I.]

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 153 .—औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, एतद्द्वारा उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित, तद्द्वारा सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15 मार्च, 1972, को या के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख को या से पहले जो भी सुझाव या आक्षेप किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।

2. औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, 1957 के प्रारूप 'ग' में "(यहां पर वह कालावधि विनिर्दिष्ट कीजिए जिस पर पक्षकार सहमत हुए हों)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"समुचित सरकार द्वारा इस करार के राजपत्र में प्रकाशन के-(यहां पर वह अवधि विनिर्दिष्ट कीजिए जिस पर पक्षकार सहमत हुए हों)"

[सं० एस-65012/4/71-एल आर आई]

एस० एस० सहस्रनामन, अवर सचिव ।

---

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 11th January 1972*

G.S.R. 154.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1486/PWA/ATS/Rules/AM dated the 1st September 1971, published in Part II Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 9th October, 1971, in rule 1 under Draft Rules for the word 'Mines' read 'Air Transport Service.

[No. S. 65012/7/71/LRIII.]

S. S. SAHASRANAMAN, Under Secy.

---

**MINISTRY OF RAILWAYS**

**(Railway Board)**

*New Delhi, the 13th January 1972*

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the "Indian Railways Medical Department (Assistant Medical Officer, Class II) Recruitment Rules, 1967," namely:—

1. (1) These Rules may be called the "Indian Railways, Medical Department (Assistant Medical Officer, Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the Schedule annexed to the "Indian Railways Medical Department (Assistant Medical Officers, Class II) Recruitment Rules, 1967," the following Schedule shall be substituted, namely:—

"THE SCHEDULE"

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant Medical Officer | 1863 (Provisional) | Class II Gazetted | Rs. 350—25—500 30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (Authorised scale) | Not applicable | 35 years (Relaxable for Govt. servants). | *For Assistant Medical Officers (General)*<br>*Essential* :<br>(i) A recognised medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than Licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.<br>(ii) Completion of compulsory rotating internship.<br>*For Assistant Medical Officers (Specialists)*<br>In addition to (i) above, post-graduate qualification or equivalent in the speciality concerned from a recognised University<br>[for example Radiology, Anaesthesiology, Pathology, Opthalmology, Gynaecology, ENT, Orthopaedics, Family Planning, Chest Diseases, Pasychiatry, Public Health Cardiology].<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.) |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any. | Method of rect. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | (i) by direct recruitment including occasional recruitment from other sources in consultation with the Union Public Service Commission.<br>(ii) Failing (i) above by transfer on deputation. | *Transfer on deputation.*<br>Suitable Medical Officers of Central or State Governments.<br>(period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation), Regulations, 1958." |

[No. 71/E(GR)I/16/5.]

V. P. SAWHNEY,
Secy. Railway Board.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी, 1972

**जी० एस० आ०र० 155.**—सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा "भारतीय रेल चिकित्सा विभाग, (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी ।।) भर्ती नियम, 1967" मे और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .–

1. (1) ये नियम भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी ।।) भर्ती (सशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होगे ।

2. "भारतीय रेल चिकित्सा विभाग (सहायक चिकित्सा अधिकारी, श्रेणी ।।) भर्ती नियम, 1967 के साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की सख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालो के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालो के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक चिकित्सा अधिकारी | 1863 (अनन्तिम) | श्रेणी ।। राजपत्रित | 350–25–500–30–590–द.रो.–30–800–द.रो.–30–830–35–900 रु० (अधिकृत वेतन मान) | लागू नही होता | 35 वर्ष (सरकारी सेवको के बारे मे छूट दी जा सकती है) | सहायक चिकित्सा अधिकारी (सामान्य)<br>(1) अनिवार्य<br>(।) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की पहली अथवा दूसरी अनुसूची अथवा तीसरी अनुसूची के भाग ।। (लाइससधारी अर्हताओ से भिन्न) मे शामिल मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता । तीसरी अनुसूची के भाग ।। में शामिल शैक्षणिक अर्हताओ के धारको को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) मे अनुबद्ध शर्त पूरी करनी चाहिए ।<br>(।।) अनिवार्य आवर्ती अन्तरंग चिकित्सा कार्य काल को पूरा कर लेना । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | सहायक चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) ऊपर (i) के अतिरिक्त, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बन्धित विशेषज्ञों में स्नातकोत्तर अर्हता अथवा उसके समकक्ष अर्हता (उदाहरणार्थ विकिरण, विज्ञान, स्नायु चेतन विज्ञान, शरीर-विकृति विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान, कान-नाक-कंठ, विकलांग विद्या, परिवार नियोजन, वक्ष रोग, मनोविकार विज्ञान, जनस्वाह, हृदस्थविज्ञान।) (अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थी के बारे में आयोग के स्वविवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामलों मे भी लागू होंगी | परिवीक्षा काल यदि कोई हो | भर्ती की विधि सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा |
| लागू नहीं होता, | 2 वर्ष | (i) सीधी भर्ती द्वारा लेकिन संघ लोक सेवा अयोग के परामर्श से, किन्हीं अवसरो पर अन्य स्रोत्रों से भी भर्ती की जा सकती है। (ii) ऊपर (i) के अभाव में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारो के उपयुक्त चिकित्सा अधिकारी, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 वर्ष से अधिक न होगी। | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथोपेक्षित। |

[सं० 71/ई(जी आर) 1/16/5]

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड।

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

*New Delhi, the 3rd January 1972*

**G.S.R. 156.**—In exercise of the powers conferred by section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri C. B. Desai, as Company Prosecutor for the conduct of prosecutions arising out of the said Act in all Courts of the State of Gujarat, other than the High Court in that State.

[No. F. 46/3/71-CL.II.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

## कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली 1, 3 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 156.**— कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री सी० बी० देसाई को, गुजरात राज्य के उच्च न्यायालय के सिवाय, इस राज्य के सभी न्यायालयों में, "कथित अधिनियम" से उत्पन्न सभी अभियोगों की पैरवी करने के लिये कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 46/3/71–सी एल–ii]

कान्त मणि शर्मा, अवर सचिव ।

---

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1971

**सा० का० नि० 1841.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग (निर्माण और आवास मंत्रालय) में प्रबंधक (फोटो लीथो) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों का नाम मुद्रण और लेखन सामग्री विभाग [प्रबंधक (फोटो लीथो)] भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु स्तंभ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति और अन्य विशेष व्यक्ति-प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

4. निरर्हताएं.—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रबन्धक (फोटो लीथो) | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 | 900-40-1100-50/2-1250 रु० | चयन | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से विशेष विषेय के रूप में लीथोग्राफी सहित मुद्रण और सहवद्ध व्यवसाय में डिप्लोमा या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से लीथोग्राफी में डिप्लोमा या समतुल्य। (ii) लीथोग्राफी में लगभग नौ वर्ष का व्यवहारिक अनुभव जिसमें से, किसी सुस्थापित मुद्रण फर्म या सरकारी स्थापन में किसी पर्यवेक्षी हैसियत में लगभग चार वर्ष का अनुभव। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से फोटो-चित्रण में डिप्लोमा या समतुल्य। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्या (iii) लागत लेखा का ज्ञान और किसी बड़े स्थापन में श्रमिकों के साथ व्यवहार करने का अनुभव। | नहीं | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति। भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। | **प्रोन्नति :** ऐसे कर्मशाला प्रबन्धक (होज़री), जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् दो वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति | सब लोक सेवा आयोग (परामर्श के छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० फा० 56/8/69-पी 1]

बी० ए० मुखर्जी, अवर सचिव।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 157.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8-B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely:—

In the Schedule to the said notification, in item 14 relating to West Bengal, against sub-item (c) relating to City Civil Court, Calcutta, for the existing entries in the second column, the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Shri Soudhendra Kumar Basu, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

(ii) Shri Ajoy Nath Chakravorty, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

(iii) Shri Hari Narayan Mukherjee, Senior Central Government Pleader, City Civil Court.

[No. F. 15(1)/69-Judl.]

P. G. GOKHALE,

Jt. Secy. & Legal Adviser.

**विधि और न्याय मंत्रालय**

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

अधिसूचना

सा० का० नि० **157.**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVIII के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधिकार्य विभाग) की अधिसूचना सरकारी सं० का०नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में पश्चिम बंगाल से संबंधित मद 14 में, नगर सिविल न्यायालय, कलकत्ता से संबंधित मद (ग) के सामने द्वितीय स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(i) श्री सौधेन्द्र कुमार बसु, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

(ii) श्री अजय नाथ चक्रवर्ती, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

(iii) श्री हरि नारायण मुखर्जी, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार प्लीडर, नगर सिविल न्यायालय।

[सं० फा० 15(1)/69-जे]

पी० जी० गोखले,

संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार।

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

*New Delhi, the 6th January 1972*

**G.S.R. 158.**—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government propose to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published, as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft before the date specified above, will be considered by the Central Government.

### Draft Rules

1. These rules may be called the Aircraft ( .... .. Amendment) Rules, 1972.

2. In Schedule XI to the Aircraft Rules, 1937, in paragraph 7,—

(a) in sub-paragraph (1), the brackets and figure "(1)" and the words "accompanied by the appropriate fee" shall be omitted;

(b) sub-paragraph (2) shall be omitted.

[No. F. 10-A/46-67/AR/AM ( )/72.]

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 158**—वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने वाले नियमों का निम्नलिखित प्ररूप जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधि- नियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार इससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी व्यक्ति से जो कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम वायुयान (—संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम 1937 की अनुसूची XI में, पैरा 7 में—

(क) उपपैरा (1) में, कोष्टक और अंक "(1)" और "जिसके साथ समुचित फीस होगी" शब्द लुप्त कर दिए जायेंगे ;

(ख) उपपैरा (2) लुप्त कर दिया जायगा।

[फा० 10 ए/46-67/ए०आर०/ए०एम०/( )72.]

---

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 159.**—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934, (22 of 1934), at pages 1584-1586 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 24th April, 1971, with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. G.S.R. 576, dated the 12th April, 1971, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 26th July, 1971;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 24th April, 1971;

And whereas the objections or suggestions received from the public have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:—

1. These Rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 3,

(1) after clause (34), the following clause shall be inserted, namely:—

"(34A) 'Manoeuvring area' means that area of an aerodrome which is to be used for the take-off and landing of an aircraft and for the movement of aircraft associated with the take-off and landing.";

(2) after clause (35) the following clause shall be inserted, namely:—

"(35A) 'Movement area' means that area of an aerodrome which is intended for the surface movement of an aircraft and includes the manoeuvring area and aprons.".

3. In the said rules, after rule 81, the following rule shall be inserted, namely:—

"81-A. *Prohibition of entry into Movement area of an aerodrome.*—No person shall, without permission in writing, by general or speical order, of the Director General or any officer authorised in this behalf—

(a) enter or remain or cause any other person to enter or remain in the Movement area;

(b) leave or throw or cause to be thrown any animal, bird or property or object of any nature whatsoever in the Movement area;

(c) permit any animal under his possession or control or otherwise to stray in the Movement area; and

(d) operate any vehicle in the Movement area:

Provided that the provisions contained in clause (a) of this rule shall not apply to—

(i) persons authorised under rule 78-A of these rules;

(ii) bonafide passengers and crew members and their baggage, freight and mail during the process of embarkation and dis-embarkation in the Movement area.".

[No. F. 10-A/47-70/AR/AM((1)/72.]
S. N. KAUL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 159.**—यतः वायुयान निगम, 1937 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा यथाअपेक्षित कुछ नियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 24 अप्रैल, 1971 के पृष्ट 1584–1586 पर भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 576 तारीख 12 अप्रैल, 1971 के साथ उन सभी व्यक्तियों से सुझाव और आक्षेप 26 जुलाई, 1971 तक आमन्त्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था जिनका एतदद्वारा प्रभावित होना संभाव्य था;

और यतः उक्त राजपत्र सर्वसाधारण को 24 अप्रैल, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और अतः सर्वसाधारण से प्राप्त सुझाव और आक्षेपों पर विचार कर लिया गया है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा वायुयान नियम, 1937 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:

1. इन नियमों का नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

2. वायुयान नियम, 1937 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उपनियम (i) मे

(1) खण्ड 34 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात :—

"(34क) 'युक्ति चालन क्षेत्र' से हवाई अड्डे का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो वायुयान, उड़ाने और उतारने के लिए और उड़ाने और उतारने से सम्बन्धित वायुयान के संचालन के लिए उपयोग में आता है;

(2) खण्ड 35 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा,

"(35क) 'संचलन क्षेत्र' से हवाई अड्डे का वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो किसी वायुयान के स्वल संचलन के लिए आशयित है और इसके अन्तर्गत युक्तिचालन क्षेत्र और एप्रन भी है ।"

3. उक्त नियम मे नियम 81 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात —

"81क. **हवाई अड्डे के संचालन क्षेत्र म प्रवेश का निषेध:**— महा निदेशक या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के विशेष या साधारण आदेश द्वारा, लिखित रूप में अनुज्ञा के बिना ,कोई भी व्यक्ति :—

(क) संचलन क्षेत्र में न तो प्रवेश करेगा, न रहेगा न किसी व्यक्ति को प्रवेश करायेगा या रखेगा;

(ख) कोई पशु, पक्षी या सम्पत्ति या किसी भी प्रकार की कोई चीज, संचलन क्षेत्र मे तो छोडेगा या फेकेगा और न ही फेंकवाएगा ;

(ग) अपने कब्जे या नियंत्रण मे के या अन्यथा किसी पशु को संचलन क्षेत्र में घूमने नही देगा; और

(घ) संचलन क्षेत्र में किसी सवारी को नहीं चलाएगा परन्तु इस नियम के खण्ड (क) में और आये उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होगे :—

(i) इन नियमों के नियम 78क के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति ;

(ii) संचलन क्षेत्र मे यान पर चढ़ाने और उतारने के दौरान वास्तविक यात्री और कर्मी-दल और उनके सामान, भार और डाक ।

[स० फा० 10-ए/47-70/ए०आर/ए०एम०(1)/72.]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप सचिव ।

---

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि० 1887.**—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) के अधीन बनाए गए और किए गए निम्नलिखित नियमों और आदेशों को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

(i) उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन किए गए कोई आदेश,

(ii) उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए कोई नियम,

(iii) वायुयान नियम, 1937 के नियम 5, 5क, 7, 8, 9, 12, 13, 13क, 18, 21, 26, 27, 29, 37, 65, 66, 70, 78, 133क, 134, 156, 157, 158, 158क और 159 ।

[सं० फा० ए. वी. 11015/6/71-ए.]

नवजीवन खोसला, संयुक्त सचिव ।

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

**(P & T Board)**

*New Delhi, the 10th January, 1972*

**G.S.R. 160.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Posts and Telegraphs (Clerks in Savings Bank Control and Internal Check Organisation) Recruitment Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), for Serial No. 2 relating to the posts of Upper Division Clerks in the Savings Bank Control and Internal Check Organisations in Circles and the entries relating thereto the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| "2. Upper Division Clerks in the Savings Bank Control and Internal Check Organisations in Circles. | General Central Services Class III Non-Gazetted (Ministerial). | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Non-Selection | Not applicable | Not applicable |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | (i) 50% from Time Scale Clerks of Post Offices on the basis of a test.<br>(ii) 30% from Lower Division Clerks of Savings Bank Control Organisation on the basis of a test.<br>(iii) 20% from Lower Division Clerks of Savings Bank Control Organisation on the basis of seniority-*cum*-fitness. | *Promotion* :<br>(a) Time Scale Clerks who are permanent or quasi-permanent in the grade and have put in not less than five years' continuous service and have satisfactory record of work and conduct.<br>(b) Lower Division Clerks of the Audit office working in the Organisation with two years' satisfactory service.<br>Note.—The condition of service does not apply to those who are graduates.<br>(c) Other Lower Division Clerks in the Organisation who are permanent or quasi-permanent and have five years' continuous satisfactory service in the grade.<br>(d) The crucial date for determining service limits will be the 1st July of the year of recruitment. | Not applicable" | Not applicable |

3. For Note 2 of the Notes appended to the Schedule to the said rules, the following Note shall be substituted, namely:—

"Note 2. If all the vacancies reserved for Lower Division Clerks are not taken by them, the unfilled vacancies may be offered to Time Scale Clerks".

4. Note 4 and Note 5 of the Notes appended to the Schedule to the said rules shall be omitted.

[No. 51/18/70-SPB-I.]

R. RAJAGOPALAN,
Asstt. Director General (SPN).

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 160.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारतीय डाक-तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती नियम, 1969 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय डाक तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाक-तार (बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में लिपिक) भर्ती नियम, 1969 (जो इसके बाद से उक्त नियम कहलायेंगे) की अनुसूची में क्रमसंख्या 2 के लिए जो सर्कलों के बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन के उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों से सम्बंधित है तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रमसंख्या तथा प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| बचत बैंक नियंत्रण तथा आन्तरिक जांच संगठन में उच्च श्रेणी लिपिक । | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-III गैर राजपत्रित (लिपिक वर्गीय) । | 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द० रो०-8-280-10-300 रुपये | गैर चुनाव | लागू नही | लागू नहीं |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | 2 वर्ष | (1) 50 प्रतिशत डाकघर के समय मान लिपिकों से परीक्षा के आधार पर ।<br>(2) 30 प्रतिशत बचत बैंक नियंत्रण संगठन के अवर श्रेणी लिपिकों से परीक्षा के आधार पर ।<br>(3) 20 प्रतिशत बचत बैंक नियंत्रण संगठन के अवर श्रेणी लिपिकों से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर । | **पदोन्नति :**<br>(क) वे समय मान लिपिक जो इस पदक्रम में स्थायी या स्थायित्वत् हो तथा जिन्होंने लगातार 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो एवं जिनके कार्य तथ्य चरित्र का अभिलेख संतोषप्रद हो ।<br>(ख) लेखा परीक्षा कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिक जो इस संगठन में दो वर्ष से संतोषप्रद सेवा कर रहे हों ।<br>टिप्पणी :—स्नातकों पर यह सेवा अवधि की शर्तें लागू नहीं है।<br>(ग) संगठन के ऐसे अन्य अवर श्रेणी लिपिक जो अपने पदक्रम में स्थायी या स्थायित्वत् हों तथा जिनकी उस पद में लगातार पांच वर्ष की संतोषप्रद सेवा हो । | लागू नही | लागू नही |

| 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|
| (घ) सेवा अवधि की सीमा निर्धारित करने की नियत तारीख भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई गिनी जायेगी । | | |

3. इस नियम की अनुसूची की अनुबन्धित टिप्पणियों की टिप्पणी-2-के लिए निम्नलिखित टिप्पणी प्रतिस्थापित की जायेगी अर्थात् :—

"टिप्पणी-2—अवर श्रेणी लिपिकों के लिए आरक्षित सभी स्थान यदि उनके द्वारा नहीं लिए गये तो न भरे जाने वाले स्थान समयमान लिपिकों को दे दिये जायेंगे ।

4. इस नियम की अनुसूची की अनुबन्धित टिप्पणियां की टिप्पणी-4 और टिप्पणी-5 को हटा दिया गया है ।

[सं० 51-18/70-एस०पी०पी०-1.]

आर० राजगोपालन,
सहायक महानिदेशक (एस०पी०एन०)

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 161.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Rules, 1968, namely:—

1 (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Amendment Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule to the Central Institute of Fisheries Education (Recruitment to Class III and IV posts) Rules 1968, against Serial No. 8 relating to the post of "Junior Clerk", for the entries in Columns 2, 8 and 10, following entries shall respectively be substituted, namely:—

(i) in Column 2 —"7 (Seven)";

(ii) in Column 8 —"Age : No;
Educational Qualifications: Yes";

(iii) in Column 10.—"90 per cent vacancies shall be filled by direct recruitment and 10 per cent vacancies shall be filled from amongst the Class IV employees, working in the same office, who are Matriculates, or possess equivalent qualification and have rendered five years' service in Class IV, on the basis of competitive examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees):

Provided that the maximum number of persons to be recruited by this method shall be limited to 10 per cent of the vacancies in a year, and unfilled vacancies shall not be carried over.".

[No. A-11020/17/71-EE. III.]

R. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

**कृषि मंत्रालय**

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 161:**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) नियम, 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मीन-उद्योग शिक्षा संस्थान (वर्ग 3 और 4 पदों के लिए भर्ती) नियम, 1968 की अनुसूची मे, "कनिष्ठ लिपिक" के पद से सबन्धित क्रम संख्या 8 के सामने, स्तम्भ 2, 8 और 10 में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमश: निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) स्तम्भ 2 में — "7 (सात)" ;

(ii) स्तम्भ 8 में — "आयु : नहीं ;
शैक्षिक अर्हताएं : हां" ;

(iii) स्तम्भ 10 में "नब्बे प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी और दस प्रतिशत रिक्तियां उसी कार्यालय में कार्य करने

वाले ऐसे वर्ग 4 कर्मचारियों में से जो मैट्रिक उत्तीर्ण है, या जिनके पास समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने वर्ग 4 में पांच वर्ष सेवा की है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी, परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) है :

परन्तु इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष की रिक्तियों के दस प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी, और बिना भरी रिक्तियां आगे नहीं ले जाई जाएंगी।"

[संख्या ए-11020/17/71-बाह्य स्थापना-III]

रा० सुब्रह्मणियम, अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**

*New Delhi, the 15th December 1971*

**G.S.R. 162.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Publications Division (Class III posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968, against item 6 "Junior Store-keeper", for the existing entries in columns 2, 8, 10 and 11, the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Column 2: 6
(ii) Column 8 Not applicable
(iii) Column 10 Direct recruitment
(iv) Column 11 Not applicable.

[No A. 12018/3/70-Admn I/DS(I)]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 162.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी-3 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी 3-पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 "जूनियर स्टोर कीपर" के सम्मुख कालम 2, 8, 10 और 11 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

(1) कालम 2 : 6
(2) कालम 8 : लागू नहीं होता।
(3) कालम 10 : सीधी भर्ती
(4) कालम 11 : लागू नहीं होता।

[स०ए० 12018/3/70-प्रशासन-I/डी०एस० (आई)]

---

*New Delhi, the 7th January 1972*

**G.S.R. 163.**—It is hereby notified that in pursuance of sub-section (7) of section 4 of the Press Council Act 1965 (34 of 1965), Shri Chandulal Chandrakar and Shri Anantrao Patil, members of the House of the People, have been nominated as members of the Press Council of India

2 The Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1752 dated the 1st October, 1970, namely —

In the said notification, against item 24, for the name "Shri Surendranath Dwivedy", the following name shall be substituted, namely —

"Shri Chandulal Chandrakar".

[No. 20/5/70-Press]

S PADMANABHAN, Dy Secy

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 163.**—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रस परिषद् अधिनियम, 1965 (1965 का 34) की धारा 4 की उपधारा (7) के अनुसरण मे, लोकसभा के सदस्य श्री चन्दूलाल चन्द्राकर एव श्री अनन्तराव पाटिल भारतीय प्रेस परिषद् के सदस्य नामजद किए गए हैं।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार क सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 1752 तारीख 1 अक्तूबर, 1970 मे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना मे, क्रम संख्या 24 के सम्मुख "श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवदी" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'श्री चन्दूलाल चन्द्राकर'

[संख्या 20/5/70-प्रेस]

एस० पद्मनाभन्, उपसचिव।

**CORRIGENDUM**

*New Delhi, the 10th January 1972*

G.S.R. **164.**—In the entry under column 12 of the Schedule to the Ministry of Information and Broadcasting's Notification No. 1/2/71-B(A), dated the 6th December, 1971, the words "ordinarily not exceeding three years" may be substituted for the words "not exceeding three years", after the words and sign "Period of deputation".

[No. 1/2/71-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

**शुद्धि-पत्र**

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 164.—सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1/2/71-बी (ए), तारीख 6 दिसम्बर, 1971 की अनुसूची में कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टि में "प्रतिनियुक्ति की अवधि–" शब्दों और चिन्ह के पश्चात, "3 वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर "साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए ।

[संख्या एफ 1 / 2 / 71–बी(ए)]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव ।

---

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue and Insurance)**

*New Delhi, the 17th January 1972*

G.S.R. **165.**—Whereas it is necessary, in the interest of the shareholders of the insurers incorporated in India (hereafter referred to as an 'Indian insurer') having a share capital and, in the case of insurers having no share capital, of the policyholders who are members of such insurers whose management has been taken over by the Central Government under section 3 of the General Insurance (Emergency Provisions) Act, 1971 (17 of 1971) (hereafter referred to as the said Act), to regulate the manner in which the compensation payable to the insurers under section 6 of the said Act should be dealt with by the insurer;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 16 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the General Insurance (Emergency Provisions) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Nationalised Bank" means a corresponding new bank as defined in the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(b) "Scheduled Bank" means a bank included for the time being in the Second Schedule to the Reserve Bank of India, Act 1934 (2 of 1934);

(c) "State Bank" means the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955).

3. **Compensation how to be dealt with.**—The compensation payable to an Indian insurer under section 6 of the said Act in respect of the vesting of the management of that insurer in the Central Government during the financial year 1971-72 or 1972-73, as the case may be, shall be dealth with by the insurer in the following manner, namely:—

(a) Seventy per cent. of every such payment of compensation shall be held by him in a separate deposit with a Scheduled Bank, Nationalised Bank or any branch of the State Bank for a period expiring not earlier than the 30th day of June, 1972, as security for reimbursing the Custodian of the insurer in respect of income-tax, and any other taxes or dues under any law for the time being in force which the insurer would be liable to pay on such compensation, assuming that the total income-tax and other such dues to which the insurer is assessed is distributed on such payment of compensation in the proportion which the total income-tax and other such dues to which he is assessed for the assessment year 1972-73 or 1973-74, as the case may be, bears to the total income assessed for income-tax for the relevant year, and no part of such deposit shall be withdrawn by the insurer save with the prior permission of the Controller of Insurance:

Provided that after any reimbursement required to be made to the Custodian in terms of this clause, any balance remaining shall be dealt with, after the 30th day of June, 1972 in the same manner as it would have been dealt with if it had been dealt with under clause (b).

(b) The balance of thirty per cent of the payment as aforesaid shall be dealt within such manner as the shareholders at a general meeting may decide.

[No. F. 93(48)-Ins. I/71.]

M. L. WADHAWAN, Dy. Secy.

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

सा०का०नि० **165.**—यतः भारत में निगमित बीमाकर्ताओं (जिन्हें इस के पश्चात् "भारतीय बीमाकर्ता कहा गया है) के शेयरधारकों, जिनकी शेयर पूंजी है और ऐसे बीमाकर्ताओं के मामले में, जिनकी शेयर पूंजी नहीं है, पालिसीधारकों के, जो ऐसे बीमाकर्ताओं के सदस्य हैं, जिनका प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का 17) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अधीन ग्रहण कर लिया गया है, हितों में उस रीति को विनियमित करना आवश्यक है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन बीमाकर्ताओं को संदेय प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा बरता जाना चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "राष्ट्रीयकृत बैंक" से बैककारी कम्पनी (उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) में यथापरिभाषित तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुसूचित बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ;

(ग) "स्टेट बैंक" से भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक अभिप्रेत है ।

3. प्रतिकर से किस प्रकार बरता जाए.—यथास्थिति, 1971-72 या 1972–73 वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार में उस बीमाकर्ता के प्रबन्ध के निहित होने की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी भारतीय बीमाकर्ता को संदेय प्रतिकर बीमाकर्ता द्वारा निम्नलिखित रीति से बरता जाएगा, अर्थात् :—

(क) प्रतिकर के ऐसे प्रत्येक संदाय का 70 प्रतिशत, आयकर और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई अन्य कर या अन्य देय की बाबत, जो बीमाकर्ता ऐसे प्रतिकर पर संदाय करने के लिए दायी होगा, यह धारणा करते हुए कि वह कुल आयकर और अन्य ऐसे देय का, जिनके लिए बीमाकर्ता का निर्धारण किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर उस अनुपात में वितरित किया जाए जो कुल आयकर और अन्य ऐसे देय का, जिनके लिए वह यथास्थिति, निर्धारण वर्ष 1972–73 या 1973–74 के लिए निर्धारित किया जाए उस कुल आय से सम्बन्धित है, जो सुसंगत वर्ष की बाबत आयकर के लिए निर्धारित की गई हो, बीमाकर्ता के अभिरक्षक को प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिभूति के रूप में, उसके द्वारा किसी अनुसूचित बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में 30 जून, 1972 से पूर्व समाप्त न होने वाली अवधि के लिए अलग निक्षेप में रखा जाए या और ऐसे निक्षेप का कोई भी भाग बीमाकर्ता द्वारा बीमा नियंत्रक की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय निकाला नहीं जाएगा ;

परन्तु इस खण्ड के निबन्धनों में अभिरक्षक को की जाने वाली अपेक्षित कोई प्रतिपूर्ति के पश्चात् बचा हुआ कोई अतिशेष, 30 जून, 1972 के पश्चात् उसी रीति में, बरता जाएगा जैसे इसे बरता जाता, यदि इसे खण्ड (ख) के अधीन बरता गया होता ।

(ख) यथापूर्वोक्त संदाय के अतिशेष को तीस प्रतिशत ऐसी रीति में, जैसा शेयरधारक साधारण अधिवेशन में विनिश्चित करे, बरता जाएगा ।

[सं० फा० 63(48)–बीमा 1/71]

एम० एल० वधावन, उप-सचिव ।

**(Department of Expenditure)**

*New Delhi, the 21st January 1972*

**G.S.R. 166.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, in respect of persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules (hereinafter referred to as the said rules), in clause I of rule 45-B, the words and figures "or is made applicable under the provisions of clause VII of that rule," shall be omitted.

3. In sub-clause (ii) of clause (b) of rule 81 of the said rules, the words "or to such Government servant attached to Kashgar Consulate-General, six months," shall be omitted.

4. Note 2 below rule 90 of the said rules shall be omitted.

5. In the Schedule to the said rules—

(i) in Explanation 1 below paragraph 5, for the words "His Majesty's civil or military service," the words "civil or military service" shall be substituted;

(ii) in the proviso to paragraph 6, for the words "service of His Majesty", the words "service of Government" shall be substituted.

[No. 18(13)-EIV(A)/70.]

V. K. PANDIT, Under Secy.

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CUSTOMS

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 167.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25, read with sub-section (3) of section 160, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 145-Customs, dated the 10th May, 1958, namely:—

In the said notification, after sub-item (g) of item (2), the following sub-item shall be inserted, namely:—

"(h) Rock drills."

[No. 25/F. No. 355/112/71-Cus.I.]

D. KRISHNAMURTI, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 167 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की, धारा 160 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 10 मई, 1958 की अधिसूचना सं० 145- सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद (2) की उपमद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपमद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(ज) शैल वेधनी ।"

[सं० 25/फा० सं० 355/112/71-सीमा शुल्क 1]

डी० कृष्णमूर्ति, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

DANGEROUS DRUGS

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 168.**—Whereas certain rules further to amend the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, were published as required by sub-section (1) of section 36 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930) at page 2899 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (i), dated the 17th July, 1971, under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G..S.R. 1046, dated the 17th July, 1971;

And whereas objections and suggestions were invited till the 16th August, 1971, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 19th July, 1971;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7 of the Dangerous Drugs Act, 1930 (2 of 1930), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Third Amendment Rules, 1971.

2. In the Dangerous Drugs (Import, Export and Transhipment) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (i) of sub-rule (1) of rule 8—

(a) in sub-clause (a), for the words "exports of opium," the words and brackets "exports of opium, other than poppy shells (capsules) in any form," shall be substituted;

(b) after sub-clause (b), the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE.—For the purposes of sub-clauses (a) and (b), "poppy shells (capsules) in any form" shall be treated as dangerous drug other than opium."

3. In Table appended to rule 9 of the said rules, entry 2 shall be renumbered as entry 3 and before entry 3 as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:—

| Dangerous Drugs | Place to which exported | Port or ports from which exported. |
|---|---|---|
| 2 Poppy Shells (Capsules) in any form. | Any place outside India. | Bombay, Calcutta and Madras. |

4. In clause (i) of sub-rule (1) of rule 14 of the said rules,—

(a) in sub-clause (a), for the words "exports of opium," the words and brackets "exports of opium, other than poppy shells (capsules) in any form," shall be substituted;

(b) after sub-clause (b), the following Note shall be inserted, namely:—

"NOTE —For the purposes of sub-clauses (a) and (b), "poppy shells (capsules) in any form" shall be treated as dangerous drug other than opium."

5. In the Table appended to rule 15 of the said rules, under the heading "Dangerous Drugs" in the first column, for the word "opium," the words and brackets "opium, poppy shells (capsules) in any form" shall be substituted.

[No. 2/F. No. 32/1/66-OPIUM.]

V. R. SONALKAR, Dy. Secy.

---

(राजस्व और बीमा विभाग)

अनिष्टकर मादक-द्रव्य

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 168.**—यतः अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम, अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धारा 36 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 17 जुलाई, 1971 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 1046 के अधीन, भारत के राजपत्र, तारीख 17 जुलाई, 1971, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) के पृष्ठ 2899 पर प्रकाशित किए गए थे ;

और यतः उन व्यक्तियों से, जिनका इससे प्रभावित होना संभाव्य था, 16 अगस्त, 1971 तक आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे ;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 19 जुलाई, 1971 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और यतः उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में जनता से कोई भी आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः अब, अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 (1930 का 2) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. इन नियमों का नाम अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) तृतीय संशोधन नियम, 1971 होगा ।

2. अनिष्टकर मादक द्रव्य (आयात, निर्यात और यानान्तरण) नियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8 के उप-नियम (1) के खंड (i) मे, —

(क) उपखंड (क) में, "अफीम के निर्यात" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) से भिन्न अफीम के निर्यात" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"टिप्पण :—उपखंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए, "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" अफीम से भिन्न अनिष्टकर मादक द्रव्य समझे जाएंगे ।"

3. उक्त नियमों के नियम 9 से संलग्न सारणी मे, प्रविष्टि 2 प्रविष्टि 3 के रूप मे पुनः में संख्याक्ति की जाएगी और इस प्रकार पुनः संख्याकित प्रविष्टि 3 के पहले, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः-स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

| अनिष्टकर मादक द्रव्य | स्थान जिसको निर्यात किया गया | पत्तन जिनसे निर्यात किया गया |
|---|---|---|
| 2. किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) । | भारत से बाहर कोई स्थान । | मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास । |

4. उपरोक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (i) में,–

(क) उपखंड (क) में, "अफीम के निर्यात" शब्दों के स्थान पर "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल) से भिन्न, अफीम के निर्यात" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"टिप्पण :–उपखंड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए "किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" अफीम के भिन्न अनिष्टकर मादक द्रव्य समझे जाएंगे ।"

5. उक्त नियमों के नियम 15 से संलग्न सारणी में, प्रथम स्तम्भ मे "अनिष्टकर मादक द्रव्य" शीर्षक के नीचे, "अफीम" शब्द के स्थान पर, किसी भी प्रकार के पोस्त के छिलके (कैप्सूल)" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 2/फ० सं० 32/1/66-अफीम]

वि० रा० सोनालकर, उप-सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 5th February* 1972

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 116/69-Central Excises, dated the 3rd May, 1969, namely:—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial Number 15 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"16. Ethambutol Hydrochloride (Tibutol)."

[No. 18/72]

P. R KRISHNAN, Under Secy

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 169.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 3 मई, 1969 की अधिसूचना सं० 116/69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"16. थाम्बुटोल हाइड्रोक्लोराइड (टिबुटोल)"

[सं० 18/72]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT**

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R. 170.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, under the heading "PART I CLASS III POSTS" in the entries against serial number 10 relating to the post of Draftsman Grade II—

(i) in column 7, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Diploma in Draftsmanship or I.T.I. Course certificate in Draftsman or Draftsmanship certificates awarded by the National Council for training in Vocational Trades";

(ii) in column 10, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely—

"(i) 50 per cent by promotion, failing which, by direct recruitment;

(ii) 50 per cent by direct recruitment,

(iii) failing (i) and (ii), by transfer."

[No. 5-PE(12)/71.]

JASWANT SINGH, Under Secy

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय**

**(परिवहन स्कंध)**

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

**सा०का०नि० 170.**—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा मंगलोर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) के भर्ती नियमों, 1966 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम मंगलोर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. मंगलोर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद), भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में, भाग 1 वर्ग 3 के पद के अंतर्गत नक्शानवीस ग्रेड II के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 10 के सामने की प्रविष्टियों में—

(i) स्तम्भ 7 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् : —

"नक्शानवीसी में डिप्लोमा अथवा नक्शानवीसी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र अथवा व्यावसायिक दस्तकारी में प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किया गया नक्शानवीसी प्रमाणपत्र"

(ii) स्तम्भ 10 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा,

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

(iii) (i) तथा (ii) के न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा ।"

[सं० 5-पी०ई० (12) / 71]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

*New Delhi, the 5th January 1972*

**G.S.R. 171.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts specified in column 2 of the schedule annexed to Misc. rules.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached there to shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time.

5. **Interchangeability of posts.**—The posts having identical scales of pay and qualifications and similar duties may be declared interchangeable by the competent authority.

*Explanation.*—For the purposes of this rule, 'competent authority' means an authority which is competent to create such posts

6. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

7. **Power to relax**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE

| Sl. No. | Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection posts | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Junior Gestetner Operator | 2 (Two) | General Central Services, Class IV (Non Gazetted) | Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110 | Non-Selection | Not applicable | Not applicable |
| | Selection Grade Daftry (Record Sorter) | 5 (Five) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110. | Non Selection | Not applicable | Not applicable |

SCHEDULE

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/Transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in mak ng recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years | By promotion | By promotion from Daftries/Jamadars who passed middle school standard and have rendered at least 3 years' continuous service in that capacity and have proficiency in operating and maintaining gestetner machines. | Class IV DPC | Not applicable |
| Not applicable | Two years | By promotion | Daftries who have rendered at least 3 years' continuous service in that capacity. | Class IV DPC | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Daftry . . | 40 (Forty) | General Central Services, Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 75—1—85—EB—2—95 | Non Selection | 25 years and below | Middle School Standard pass. |
| 4. | Jamadar . . | 7 (Seven) | General Central Services, Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 75—1—85—EB—2—95. | Non Selection | Not applicable | Not pplicable |
| 5. | Peon . . | 100 (One hundred) | General Central Services, Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 25 years and below | Middle School Standard Pass. |
| 6. | Packer . . | 4 (Four) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 18-25 years | *Desirable*:—A pass in the Primary School Standard. |
| 7. | Sweeper . . | 5 (Five) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 25 years and below | *Desirable* :—A pass in the Primary School Standard. |
| 8. | Chowkidar . . | 9 (Nine) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 25 years and below | *Desirable* —A pass in the Primary School Standard. |
| 9. | Messenger . . | 1 (One) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 25 years and below. | *Desirable*.—A pass in the Primary School Standard. |
| 10. | Unskilled Labourers | 4 (Four) | General Central Services, Class IV (Non-gazetted) | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable | 25 years and below | *Desirable* —A pass in the Primary School Standard. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | By promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment. | Promotion of peons who have rendered at least 3 years' service in that capacity. By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Government Offices and possessing qualifications specified in column 8. | Class IV DPC | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | By promotion | Promotion of peons who have rendered at least 3 years' service in that capacity. | Class IV DPC | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | By Direct recruitment, failing which by transfer. | By transfer of persons holding similar or equivalent posts in Central Govt. Offices and possessing qualifications specified in column 8. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment, failing which by transfer. | By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government. | Not applicable | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment, failing which by transfer. | By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government. | Not applicable | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment, failing which by transfer. | By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government. | Not applicable | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment, failing which by transfer. | By transfer of persons holding similar/equivalent posts in the Central Government. | Not applicable | Not applicable. |
| Not applicable | Two years | 100% Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

[No. A—12016/1/70—E. IV.]

PARMATAM SINGH, Deputy Director.

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 171.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति विदेश व्यापार मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) ये नियम विदेश व्यापार मंत्रालय (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम विविध नियम से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर भर्ती के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: —उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उनसे संबद्ध अन्य बातें वह होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 14 तक में विनिर्दिष्ट है :

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थी के मामले में सीधी भर्ती के लिए विहित उच्चतम आयु सीमा समय-समय पर निकाले गये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी।

5. पदों की अदल-बदल :—समान वेतनमान और अर्हताओं तथा समान कार्यों वाले पद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अदल-बदल योग्य घोषित किये जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्राय एक ऐसे प्राधिकारी से है जो ऐसे पदों को स्थापित करने में सक्षम हो।

6. निर्हताएं :—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के पदों पर व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

| क्रमांक | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर | 2(दो) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 80-1-85-2-95 द० रो०-3-110 रुपये | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और अर्हणिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा भर्ती की दशा मे व श्रणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण किया किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नही होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा | दफतरियों/जमादारो से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने माध्यमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण कर लिया हो और इस पद पर कम से कम लगातार तीन वर्ष सेवा की हो और गस्टटनर मशीन को चलाने और अनुरक्षण में प्रवीणता रखता हो। | वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | चयन ग्रेड दफतरी (रिकार्ड मार्टर) | 5(पांच) | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 80-1-85-95 द. ो-3-110 रुपये | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 3. | दफ्तरी | 40(चालीस) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4, (अराजपत्रित) | 75-1-85 द.रो. 2-95 रुपये | अचचन | 25 वर्ष तथा उससे कम | माध्यामिक स्कूल उत्तीर्ण |
| 4. | जमादार | 7(सात) | साधारण के न्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 75-1-85- द.रो. 2-95 रुपये | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 5. | चपरासी | 100(सौ) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 70-1-80 द.रों. 1-85 रुपये । | लागू नहीं होता | 25 वर्ष तथा उससे कम | माध्यमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |
| 6. | पेकर | 4(बार) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रि त) | 70—1—80 द, रो, —1—85 रुपये | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष | वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |
| 7. | मेहतर | 5(पांच) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रि त) | 70—1—80 द.रो. 1—85 रुपये | लागू नहीं होता | 25 वर्ष तथा उससे कम | वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |
| 8. | चौकीदार | 9 (नौ) | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 70—1—80— द. रो. 1—85 | लागू नहीं होता | 25 वर्ष तथा उससे कम | वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |
| 9. | संदेश वाहक | 1 (एक) | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 70—1—80— द. रो. —1—85 रुपये | लागू नहीं होता | 25 वर्ष तथा उससे कम | वांछनीय : प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |
| 10. | अकुशल श्रमिक | 4(चार) | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 (अराजपत्रित) | 70—1—80— द. रो. 1—85 | लागू नहीं होता | 25 वर्ष तथा उससे कम | वांछनीय : प्रायमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा | दफ्तरी जिसने इस पद पर कम से कम लगातार तीन वर्ष सेवा की हो। | वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा इसके अभाव में अंतरण द्वारा और दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा | उन चपरासियों की प्रोन्नति जिन्होंने उस पद पर कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो। उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समान अथवा समकक्ष पदों पर हो और स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों। | वर्ग विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा | उन चपरासियों की प्रोन्नति जिन्होंने उस पद पर कम से कम 3 वर्ष सेवा की हों। | वर्ग 4 विभागीय प्रोन्नति समिति | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा और इसके अभाव में अंतरण द्वारा | उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समान अथवा समकक्ष पदों पर हो और स्तंभ 8 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हो। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा | उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हों। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा | उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार मे समान/समकक्ष पदों पर हों। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा | उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हों। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती, जिसके अभाव में अंतरण द्वारा | उन व्यक्तियों के अंतरण द्वारा जो केन्द्रीय सरकार में समान/समकक्ष पदों पर हो। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० क-12016/1/70-इ-4]

परमातम सिंह, उप निदेशक।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1972/माघ 23, 1893
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1972/MAGHA 23, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

---

**CABINET SECRETARIAT**

**(Department of Statistics)**

*New Delhi, the 4th January 1972*

**G.S.R. 172.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer-on-Special Duty (International Comparison Project) in the Department of Statistics, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Statistical Organisation (Officer-on-Special Duty) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concession srequired to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

*Recruitment Rules for the post of Officer-on-Special duty in the Central Statistical Organisation.*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-Selection Post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 34 | 5 | 6 | 7 |
| Officer-on-Special Duty. | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 1100—50—1400 | Not applicable | 45 years Relaxable for Govt. servants) | *Essential* :<br>(*i*) Second Class Master's Degree in Statistics or in Mathematics Economics Commerce with statistics as a subject, from a recognised university or equivalent<br>(*ii*) About 10 years' experience of Statistical work/Investigation/research including at least 5years experience of preparation of estimates of National accounts with special reference to the expenditure aggregates in the field of private consumption, Capital formation and Government expenditure.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>(*i*) Doctorate in Statistics or Economics.<br>(*ii*) Knowledge of Statistical Techniques a applied to economics analysis. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/ transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By transfer on deputation failing which by direct recruitment. | *Transfer on Deputation.*<br>Grade II Officers of the Indian Statistical Service failing which Grades III Officers of the Indian Statistical Service with 3 years service in the grade.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 2/26/69-Estt. I/II.

J. P. SINGH, Dy. Secy.

**मंत्रिमंडल सचिवालय**

**सांख्यिकी विभाग**

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1972

सा०सां० नि०. 17०:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए सांख्यिकी विभाग (अंतर्राष्ट्रीय तुलना परियोजना) में विशेष कार्य अधिकारियो के पदो सबधी भर्ती पद्धति को नियमित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) ये नियम केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (विशेष कार्य अधिकारी) भरती नियम, 1972 कहे जायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से लागू होगे।

2. **प्रयुक्ति** ये नियम साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ मे विनिर्दिष्ट पदो पर लागू होगे।

3. **पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान**—पदो की सख्या और उनके वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती पद्धति आयु सीमा और अन्य शर्तें**—भर्ती पद्धति, आयु सीमा और उनसे सबधित अन्य बाते वही होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशो के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के सबध मे अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हताएं** कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, वैवाहिक सबध या विवाह कर लिया हो या,

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से वैवाहिक सबध या विवाह कर लिया हो, उक्त पदो मे से किसी के लिए भी नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि विवाह करने वाले ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष वालो को कुछ वैयक्तिगत कानून के अधीन ऐसा करना मान्य है और जिसके अन्य आधार भी हो तो किसी व्यक्ति को ऐसे विवाह की स्वीकृति देते समय इस नियम के प्रवर्तन मे छूट दी जा सकेगी।

6. **शिथिल करने का प्राधिकार**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो तो वहा वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लिपिबद्ध करके तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श लेकर किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो के सबध मे इन नियमो के किसी भी उपबंध मे आदेश द्वारा शिथिल छूट प्रदान कर सकेगी।

7. **बचत**—इनमे से कोई भी नियम, समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशो के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियो के लिए रखे गए सुरक्षित स्थानो तथा अन्य दी जाने वाली छूटो के सबध मे लागू नही होगे।

मंत्रिमडल सांख्यिकीय संगठन मे विशेष कार्य अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या चयन पद अथवा चयनेतर पद है | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती द्वारा चुने जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिणिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विशेष कार्य अधिकारी | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 1, राजपत्रित | रुपये 1100—50—1400 | लागू नही होता | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियो के लिए शिथिल की जा सकेगी। | आवश्यक (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से सांख्यिकी, या गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य सांख्यकी सहित एक विषय के रूप मे, द्वितीय श्रेणी मे स्नातकोत्तर डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (ii) सांख्यिकी कार्य/अन्वेषण/अनुसंधान आदि का लगभग 10 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष, सरकारी व्यय तथा पूंजीगत विरचन, निजी उपभोग के क्षेत्र में होने वाले कुल व्यय के संदर्भ में विशेष रूप में राष्ट्रीय लेखा के अनुमानों को तैयार करने का अनुभव शामिल हो। (आयोग के परामर्श पर सुयोग्य अभ्यार्थियो के अर्हताओ में छूट दी जा सकती है)।<br>वांछनीय :<br>(1) सांख्यिकी या अर्थ शास्त्र मे डाक्टरेट।<br>(2) आर्थिक विश्लेषणो मे सांख्यिकीय प्रोवैधिको को लाग करने का ज्ञान। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| क्या सीधी भरती वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के मामले में लाग् होंगी : | यदि कोई परिवीक्षा अवधि हो। | भरती-पद्धति<br>क्या भरती सीधी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा होगी ? तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानो का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भरती के मामले मे पद क्रम जिन से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन। | ऐसी परिस्थितियो जिनमे लोक सेवा आयोग से भरती करते समय परामर्श लिया जाएगा। |
| लागू नही होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा या ऐसा न होने पर सीधी भरती द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा<br>भारतीय सांख्यिकीय सेवा के पदक्रम II अधिकारी या उनके न रहने पर भारतीय सांख्यिकीय सेवा के पदक्रम iii अधिकारी जो उस ग्रेड में 3 वर्ष सेवा कर चुके हों। (प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लाग नही होता | सघ लोक सेवा आयोग विनियम 1958 (परामर्श से छूट) के अतर्गत अपेक्षित। |

[सं० 2/26/69-स्था० I/II]

जे० पी० सिंह, उप सचिव।

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R. 173.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Special Police Establishment (Prosecution Staff) Recruitment Rules, 1962, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Public Prosecutor in the Central Bureau of Investigation, namely:—

1 **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Bureau of Investigation (Senior Public Prosecutor) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3 **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, the age limit, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:—

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7 **Saving.**—Nothing in these rules, shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or non-Selection post† | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Public Prosecutor. | 35 | General Central Service Class II (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 590—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 45 years (Relaxable for Govt. servants). | *Essential*:<br>(i) Degree in Law of recognised University or Bar-at-Law of recognised Inn of Court of U.K. or Eire.<br>(ii) About 7 years standing at the Bar and familiarity with criminal Law and practice.<br>(Qualifications relaxable at Commissions discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any* | Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC what is its composition | Circumstances which U.P.S.C. be consulted making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No. | 2 years | 20% by direct recruitment, 50% by promotion, failing which by direct recruitment, 30% by deputation/transfer, failing which by direct recruitment. | *Promotion*:<br>Public Prosecutors with 5 years' service in the grade.<br>*Transfer*:<br>Officers holding analogous posts under the Central Government/State Governments.<br>*Transfer on Deputation*:<br>Officers holding analogous posts, or officers with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 275-500 or equivalent under the Central Government/State Governments and possessing the qualifications mentioned in column 7.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years).<br>NOTE.—Deputationists will not be eligible for being considered against the promotion quota. | Class II Departmently Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 |

[No. 213/1/71-AVD II

B. C. VANJANI, Under Secy

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली 15 जनवरी 1972

सा० का० नि० 173.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा विशेष पुलिस स्थापन (अभियोजन स्टाफ) भर्ती नियम, 1962 के अधिक्रमण में राष्ट्रपति एतद्द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में वरिष्ठ लोक-अभियोजक के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (वरिष्ठ लोक-अभियोजक) भर्ती नियम, 1972 होगा

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयोग**—ये नियम संलग्न सूची के कालम 1 में लिखे पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या वर्गीकरण तथा वेतनमान**—पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथानिर्दिष्ट हों ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य योग्यतायें**—उक्त पद के लिये भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, योग्यतायें तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषय उपर्यक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में यथा निर्दिष्ट होंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामलों में उक्त अनुसूची के कालम—6 में निर्धारित ऊपरी आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है ।

5. **अयोग्यतायें**—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित. समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित: समझौता किया हो।

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नही होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमो के अन्तर्गत इस तरह से विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हो, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बन्धन से छूट दे सकती है ।

6 **छूट देने की शक्ति**—जहा केन्द्रीय सरकार की राय मे ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, वहा वह आदेश द्वारा, लिखित कारणो के आधार पर और सघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियो को इन नियमो के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमो मे की गई कोई भी व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये नियमो के अनुसार अनुसूचित जातियो / अनुसूचित आदिम जातियो तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियो के लिये किये जाने वाले आरक्षणो और उन्हें दी जाने वाली अन्य रिआयतो को प्रभावित नही करेगी ।

अनुसूची

| पद नाम | पदो की सख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा | सीधी भर्ती किये जाने वालो के लिये शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताये | क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नत व्यक्तियो के सम्बन्ध मे भी लागू होगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| वरिष्ट लोक-अभियोजक | 35 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी—II (राजपत्रित) (अलिपिक वर्गीय) | रुपये 590—30—800—ई० बी०—30—830—35—900 | प्रवरण | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियो के लिये छूट दी जा सकती है।) | अनिवार्य : (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की ला डिग्री या यूनाइटेड किगडम अथवा आयरलैण्ड के मान्यता प्राप्त 'इन आफ कोर्ट' से बार-एट-ला। (2) लगभग 7 वर्ष का वकालत का अनुभव, तथा फौजदारी कानून से जानकारी और उसका व्यावहारिक ज्ञान। (अन्यथा सुयोग्य व्यक्तियो के सम्बन्ध मे यदि आयोग चाहे तो योग्यताओ मे छूट दे सकता है) । | नही । |

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती पद्धति, सीधी भर्ती से अथवा प्रतिनियुक्ति से अथवा स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किये जाने हैं | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| दो वर्ष | 20 प्रतिशत—सीधी भर्ती से<br>50 प्रतिशत—पदोन्नति से, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती से<br>30 प्रतिशत—प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से, ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती से । | **पदोन्नति :**<br>उन लोक-अभियोजकों में से जिन्होंने उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।<br>**स्थानान्तरण :**<br>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन समान पदाधारी अधिकारियों में से ।<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**—समान पदाधारी अधिकारियों मे से या उन अधिकारियों में से जिन्होंने केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन रुपये 275—500 के वेतनमान या इसके समकक्ष वेतनमान वाले पदों पर कम से कम पांच वर्ष की सवा पूरी कर ली हो और जिनके पास कालम 7 में निर्धारित योग्यतायें हों ।<br>(प्रतिनियुक्ति के अवधि—सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)<br>नोट :—प्रतिनियुक्ति पर आये हुये अधिकारी पदोन्नति कोटा के लिये पात्र नहीं होंगे । | श्रेणी- विभागीय पदोन्नति समिति । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

(सं० 213/1/71-ए० बी० डी०-2)

बी० सी० बन्द्योपाध्याय, अवर सचिव ।

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 17th January 1972*

**G.S.R. 174.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 7 of the Indian Statistical Service Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), to sub-rule (3A), the following Explanation shall be added namely:—

"*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.

3. In rule 7A of the said rules—

(a) to sub-rule (1), the following Explanation shall be added, namely:—

*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.";

(b) to sub-rule (2), the following Explanation shall be added, namely:—

*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.".

[No. F. 34/1/71-Estt.E.]

**G.S.R. 175.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 7 of the Indian Economic Service Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), to sub-rule (3A), the following Explanation shall be added, namely:—

"*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.".

3. In rule 7A of the said rules—

(a) to sub-rule (1), the following Explanation shall be added, namely:—

"*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chaiman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.";

(b) to sub-rule (2), the following Explanation shall be added, namely:—

"*Explanation.*—The absence of a member, other than the Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Selection Committee.".

[No. F. 34/1/71-Estt.E.]

K. V. MAHALINGAM, Under Secy.

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R. 176.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 13 of the Central Secretariat Service Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules)—

(a) in sub-rule (2), for the words "permanent officers of the Assistants' Grade", the words officers of the Assistants' Grade" shall be substituted;

(b) in sub-rule (7), for the words "permanent officers of the Upper Division Grade", the words "officers of the Upper Division Grade" shall be substituted.

3. In rule 13A of the said rules, in sub-rule (1)—

(a) in clause (a), for the words "any permanent officer of the Assistants' Grade", the words "any officer of the Assistants' Grade" shall be substituted;

(b) in clause (c), for the words "any permanent officer of the Upper Division Grade", the words "any officer of the Upper Division Grade" shall be substituted.

4. In the Fourth Schedule to the said rules, after paragraph 1,—

(a) under the heading "A—Section Officers' Grade", in paragraph 2, in clauses (a) and (b) of sub-paragraph (1), for the words "permanent officers of the Assistants' Grade", the words "officers of the Assistants' Grade" shall be substituted;

(b) under the heading "B-Assistants' Grade", for the words "permanent officers of the Upper Division Grade", the words "officers of the Upper Division Grade" shall be substituted.

[No. 7/26/71-CS. II (i).]

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

**सा०का०नि० 176.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस सम्बन्ध में अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित एतद्द्वारा नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 1962 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 (इसके बाद से उपर्युक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) के नियम 13 में—

(क) उप-नियम 2 में, "सहायकों के ग्रेड के स्थायी अधिकारियों" शब्दों की जगह "सहायकों के ग्रेड के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) उप नियम 7 में "उच्च श्रेणी ग्रेड के अधिकारियों" शब्दों की जगह "उच्च श्रेणी ग्रेड के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 13 (क) के उप-नियम (1) को—

(क) खण्ड (क) मे, "सहायकों के ग्रेड का कोई स्थायी अधिकारी" शब्दों की जगह" सहायकों के ग्रेड का कोई अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) खण्ड (ग) में, "उच्च श्रेणी ग्रेड का कोई स्थायी अधिकारी" शब्दों की जगह "उच्च श्रेणी ग्रेड का कोई अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

4. उपर्युक्त नियमों की चौथी श्रेणी अनुसूची में पैराग्राफ 1 के बाद —

(क) शीर्षक "क–अनुभाग अधिकारियों का ग्रेड" के अंतर्गत पैराग्राफ 2 मे उप-पैराग्राफ (1) के खण्ड (क) और (ख) मे "सहायकों के ग्रेड के स्थायी अधिकारियों की जगह "सहायकों के ग्रेड के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) शीर्षक "ख–सहायकों के ग्रेड के अंतर्गत "उच्च श्रेणी ग्रेड के स्थाई अधिकारियों" शब्दों की जगह "उच्च श्रेणी ग्रेड के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

[स० 7/26/71–के० सी० ii (i)]

**G.S.R. 177.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In rule 7 of the Central Secretariat Stenographers Service Rules, 1969 (hereinafter referred to as the said rules), in the first proviso to clause (1) of sub-rule (2), for the words "Secretariat Training School", the words "Institute of Secretariat Training and Management" shall be substituted.

3. In rule 11 of the said rules—

(a) in sub-rule (1)—

(i) in the opening paragraph, for the words and figure "permanent officers of Grade I", the words and figure "officers of Grade I" shall be substituted;

(ii) in the second proviso, for the words "Provided further", the words "Provided also" shall be substituted; and

(iii) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that for a period of 3 years from the 8th April, 1973, vacancies in the Selection Grade shall be filled by promotion on the basis of merit with due regard to seniority of officers of Grade I who have rendered not less than three years approved service in that Grade and are within the range of seniority:

Provided further that if any person appointed to Grade I of the Service is considered for promotion to the Selection Grade in any cadre in accordance with the provisions of this sub-rule, all persons senior to him in Grade I in that cadre shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered six years' or three years' approved service, as the case may be, in that Grade:";

(b) in sub-rule (2) in the opening paragraph for the words and figures "permanent officers of Grade II", the words and figures "officers of Grade II" shall be substituted.

4. In rule 12 of the said rules, in sub-rule (2), for the words and figures "permanent officers of Grade III" in the two places where they occur, the words and figures "officers of Grade III" shall be substituted

5. In the Fifth Schedule to the said rules, in sub-paragraph 2, in clause (a) of the first proviso—

(a) in item (i) for the words "Secretariat Training School", the words "Institute of Secretariat Training and Management" shall be substituted;

(b) in item (ii), for the words and figures "permanent Grade III officers", the words and figures "Grade III officers" shall be substituted.

[No 7/26/71-CS. II (ii)]

**सा०का०नि० 177.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोंऔर इस सम्बन्ध मे अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 (इसके बाद उपर्युक्त नियमो के रूप में उल्लिखित) के नियम 7 के उप नियम (2) के खण्ड (च) के पहले परन्तुक में "सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल" शब्दों की जगह सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 11 के—

(क) उपनियम (1) में—

(i) आरम्भ के पैराग्राफ में "ग्रेड 1 के अस्थायी अधिकारियों" शब्दों की जगह "ग्रेड–1 के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ii) दूसरे परन्तुक में "परन्तु यह और भी" शब्दों की जगह "परन्तु यह भी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे, और

(iii) पहले परन्तुक की जगह निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

यह व्यवस्था की जाती है कि 8 अप्रैल, 1973 से 3 वर्षों की अवधि के लिये प्रवरण ग्रेड की रिक्तियों ग्रेड 1 के उन अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये दक्षता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, जिनको उस ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की अनुमोदित सेवा हो, और वे वरिष्ठता के क्षेत्र में आते हों।

यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि इस सेवा के ग्रेड 1 में नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में इस उप-नियम के उपबन्धों के अनुसार किसी काडर के प्रवरण ग्रेड में प्रोन्नति के लिये विचार किया गया हो तो उस काडर के ग्रेड 1 में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों की प्रोन्नति के लिये विचार किया जायेगा। यद्यपि उन्होंने उस ग्रेड में यथास्थिति छः वर्ष या तीन वर्ष अनुमोदित सेवा नहीं की हो,

(ख) उपनियम (2) के आरम्भ के पैराग्राफ में "ग्रेड II के स्थायी अधिकारियों" शब्दों की जगह "ग्रेड II के अधिकारियों" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

4. उपर्युक्त नियमों के नियम 12 के उपनियम (2) में दो स्थानों पर जहां "ग्रेड III के स्थायी अधिकारियों" शब्द प्रयुक्त हुए हों, उनकी जगह "ग्रेड III के अधिकारियों शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

5. उपर्युक्त नियमों की पांचवी अनुसूची में पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) मे, पहले परन्तुक खंड (क) में —

(क) मद (i) में "सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल" शब्दों की जगह "सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

(ख) मद (ii) में "ग्रेड III के स्थायी अधिकारियों" शब्दों की जगह "ग्रेड III के अधिकारियों", शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[संख्या 7/26/71 के० से० II (ii)]

---

**G.S.R. 178.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962, namely:—

1 (1) These rules may be called the Central Secretariat Clerical Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Secretariat Training School" wherever they occur, except in rule 2, the words "Institute of Secretariat Training and Management" shall be substituted.

3. In rule 2 of the said rules—

(a) in clause (a), for the words, brackets and figures "Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1957", the words, brackets and figures "Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965" shall be substituted;

(b) after clause (k), the following clause shall be inserted, namely:—

"(kk) "Institute of Secretariat Training and Management" means the Institute of Secretariat Training and Management of the Department of Personnel in the Cabinet Secretariat;'

(c) clause (pp) shall be omitted.

4 In rule 11 of the said rules, in sub-rule (2), in the opening paragraph for the words "permanent officers of the Lower Division Grade in that Cadre", the words "officers of the Lower Division Grade in that cadre who are either permanent in the Grade or are eligible for substantive appointment to the Grade," shall be substituted.

5. In rule 11A of the said rules, in sub-rule (1), in the opening paragraph, for the words "any permanent officer of the Lower Division Grade of the Service who is serving in that Ministry or Department and who has rendered not less than eight years' approved service in that Grade", the words "any officer of the Lower Division Grade of the Service who is serving in that Ministry or Department and who has rendered not less than eight years' approved service in that Grade and is either permanent or eligible for substantive appointment to the Grade" shall be substituted.

6 In the Third Schedule to the said rules, in sub-paragraph (1) of paragraph 2, for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) officers of the Lower Division Grade in that cadre who have rendered not less than eight years' approved service in the Grade and are either permanent in that Grade or are eligible for substantive appointment to the Grade and are within the range of seniority, in the order of their seniority in that Grade subject to the rejection of the unfit; and;".

[No. 7/26/71-CS II (iii).]

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

---

**सा०का०नि० 178**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियां और इस संबंध में अन्य सभी समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 में और संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा-नियम, 1962 (इसके बाद उपर्युक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में "सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल" शब्दों की जगह, नियम 2 को छोड़कर जहां भी वे प्रयुक्त हुए हों "सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्था" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. उपर्युक्त नियमों के नियम 2 की—

(क) खंड (क) में "केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1957" शब्दों, कोष्टकों और अंको की जगह "केन्द्रीय सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965" शब्द कोष्ठक और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

(ख) खंड (ट) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(टट) "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्था" का अभिप्राय मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्मिक विभाग के अधीन सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्था से है"

(ग) खंड (तत) हटा दिया जायेगा ।

4. उपर्युक्त नियमों के नियम 11 में, आरम्भ के पैराग्राफ के उपनियम (2) में "उस काडर के अवर श्रेणी ग्रेड के स्थायी अधिकारियों" की जगह" उस काडर में अवर श्रेणी ग्रेड के ऐसे अधिकारी जो उस ग्रेड में स्थायी हैं अथवा उस ग्रेड में अभिस्थायीनियुक्ति के पात्र हैं" शब्द रखे जायेंगे ।

5. उपर्युक्त नियमों के नियम 11 (क) में, आरम्भ के पैराग्राफ के उप-नियम (1) में "उस सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड के ऐसे किसी स्थायी अधिकारी जो उस मंत्रालय या विभाग में सेवा कर रहा हो और उस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा कर चुका हो" शब्दों की जगह "उस सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड के ऐसे किसी अधिकारी जो मंत्रालय या विभाग में सेवा कर रहा हो और उस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा कर चुका हो और उस ग्रेड में स्थायी हो अथवा अभिस्थायी नियुक्ति का पात्र हो" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. उपर्युक्त नियमों की तीसरी अनुसूची के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (1) में खंड (क) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :—

"(क) उस काडर के अवर श्रेणी ग्रेड के ऐसे अधिकारी जो उस ग्रेड मे कम से कम आठ वर्ष को अनुमोदित सेवा कर चुके हों और उस ग्रेड में स्थायी हों अथवा उस ग्रेड में अभिस्थायी नियुक्ति के पात्र हों और अपनी वरिष्ठता के क्रम मे वरिष्ठता सीमा के अन्तर्गत आते हों, अयोग्य होने पर अस्वीकार करते हुए, और" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

संख्या 7/26/71-हि०से० II(iii)
एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव ।

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R.179**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Head Constable and Constable in the Directorate of Enfo e-ment, namely:—

1. **Short Title and Commencement** :—

(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel), Head Constable and constable Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**:—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, Classification and Scales of Pay** :—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of Recruitment, Age limit and other Qualifications**:—The method of recruitment to the said posts, age limit qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. *Disqualifications*:—No person.—

(*a*) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(*b*) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicat to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person fr the operation of this rule.

6. **Power to Relax**:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by orde for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts,

| Name of the post. | No. of posts. | Classification. | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Head Constable | 1 | General Central Services Class-III Non-gazetted. Non-Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—155 | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 100 % by transfer on deputation of the categories of staff mentioned under column 11. | Transfer on Deputation of Head Constables in the scale of pay of Rs. 110—3—131—4—155 with at least three years service in the grade in the Intelligence Bureau/Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment/State Police :<br>AND<br>Constables in the scale of pay of Rs. 85—2—95—EB—3—110 with atleast five years service in the grade and in the Select Panel for appointment as Head Constables in the Intelligence Bureau/Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment/State Police.<br>Note:—Period of deputation—Ordinarily not exceeding three years. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Constable. | 7 | General Central Services Class-IV Non-gazetted. | Rs. 85—2—95—EB—3—110. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 100 % by Transfer on deputation of Constables (Rs. 85—2—95—EB—3—110) as shown in column 11. | Transfer on Deputation of Constables in the scale of pay of Rs. 85—2—95—EB—3—110 with atleast three years service in the grade in the Intelligence Bureau/Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment/State Police.<br>Note:—Period of deputation—Ordinarily not exceeding three years. | Not applicable. | Not applicable. |

[No. 275/78/70 AVD. VI]

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

**सा०का०नि० 179**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) के अधीन प्रवर्तन निदेशालय में हवालदार और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1)

(1) ये नियम प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) हवलदार और कांस्टेबल भर्ती नियम, 1972 कह जा सकेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** : ये नियम इससे उतावद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है या विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपने पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

**सेवा में नियुक्ति का पात्र होगा ।**

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताये | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 हवलदार | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 110—3—131—4—155 रु० | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता । |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी/ या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा । |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| शत प्रतिशत स्तम्भ (11) में दिखाये गये कर्मचारीवृन्द के प्रवर्गों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा । | खुफिया ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/विशेष पुलिस स्थापन/राज्य पुलिस के 110–3–131–4–155 रु० वेतनमान वाले उन हवलदारों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा कर चुके हों ।<br>और<br>खुफिया ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो विशेष पुलिस स्थापन/राज्य पुलिस के 85–2–95–द० रो०–3–110 रु० वेतनमान वाले उन कास्टबलों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा कर चुके हों और जो हवलदार के रूप में नियुक्ति के लिये चयन पेनल मे हों ।<br>टिप्पण : "प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी ।" | लागू नही होता । | लागू नही होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. कांस्टेबल | 7 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4, राजपत्रित | 85–2–95–द० रो०–3–110 रु० | लागू नहीं होता । | लागू नही होंता । | लागू नहीं होता । | लागू नही होता । | लागू नहीं होता । |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| शतप्रतिशत स्तम्भ (11) में दिखाये अनुसार कांस्टेबलों (85–2–95–द० रो०–3–110 रु०) के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | खुफिया ब्यूरो/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/ विशेष पुलिस स्थापन/राज्य पुलिस के 85–2–95–द०रो०–3–110 रु० वेतनमान वाले उन कांस्टेबलों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जो उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा कर चुके हों ।<br>टिप्पण :—प्रति नियुक्ति की अवधि "सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।" | लागू नहीं होता । | लाग नही होता । |

[सं० 275/78/70–ए०वी०डी०–4]

**G.S.R. 180.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat, Department of Personnel, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate of Enforcement, Cabinet Secretariat (Department of Personnel), Central Civil Services (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHUDLDE

| Name of post | No. of post | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *Ceneral Civil Services (Class III Posts)* | | | | | | | | | |
| 1. Superintendent | 5 | General Central Service Calss III *Non-Gazetted* Ministerial | Rs. 450—25—575. | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | (*i*) 80% by promotion.<br>(*ii*) 20% by deputation.<br>(*iii*) failing (*ii*) by (*i*) above. |

| In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| (i) *Promotion* :<br>Assistants of the Enforcement Directorate (Rs. 210—10—270—15—300 EB—15—450—EB—20—530) having at least 8 years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis. | Class III D.P.C. | Not applicable. |
| (ii) *Deputation* :<br>SAS qualified Accountants from Audit and Accounts Departments having at least three years service in the SAS grade.<br>OR<br>Deputy Office Superintendent (Ministerial) (Rs. 335—15—425) in the Customs and Central Excise Department having a minimum of 5 years service in the grade.<br>(Period of deputation normally not exceeding 3 years). | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2 Assistants | 15 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 210—10—270—15—300 —EB—15—450—EB—20—530. | Selection. |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 20 to 25 years | A degree in Arts, Science or Commerce or equivalent from a recognised University. | No. | Two years | (i) 66 2/3% by Departmental promotion ;<br>(ii) 33 1/3% by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| (i) 66 2/3% by promotion of Head Clerks (Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—380) in the Directorate of Enforcement with five years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis or seven years service in the grade of Head Clerk and U.D.C. put together.<br>(ii) Failing (i) above, by promotion of UDCs (Rs. 130—300) in the Directorate of Enforcement with 7 years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis. | Class III D.P.C. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. Head Clerk | 2 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-380. | Selection |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable | Not applicable | Two years | 100% by departmental promotion. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Promotion of UDCs (Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300) in the Directorate of Enforcement having at least three years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis. | Class III DPC | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. Upper Division Clerks | 37 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300. | Non-selection |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | Promotion |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| (i) 75% by promotion of L.D. Clerks (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180) in the Directorate of Enforcement having at least five years service in the grade rendered from the date of appointment thereto on a regular basis.<br>(ii) 25% promotion on the basis of limited competitive examination confined to Lower Division Clerks of the Directorate of Enforcement (Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180) having at least three years service in the grade, rendered from the date of appointment theretto on a regular basis. | Class III DPC | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 5. Senior Stenographers | 3 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425. | Selection |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 24 years. | (i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) Speed of 120 words per minute in short-hand and 40 words per minute in typing. | Age—No. Educational and other qualifications—Yes. | Two years | *Promotion* : Failing which by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Promotion of Junior Stenographers (Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—8—280—10—300) with three years service in the Directorate of Enforcement rendered from the date of appointment thereto on a regular basis on passing the shorthand test at 120words per minute and typewriting test at 40 words per minute. | Class III DPC | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. Junior Stenographer | 20 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 24 years | (i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) Speed of 100 words per minute in English Stenography and 40 words per minute in typing in English or speed of 80 words per minute in Hindi Stenograhpy and 25 words per minute in typing in Hindi. | Not applicable | Two years | By selection through a test in shorthand and typing from amongst L.D.Cs of the Directorate of Enforcement who possess the quaifications prescribed in Col. 7 failing which by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 7. Lower Division Clerks. . . . | 60 | General Central Service Class III *Non-Gazetted* Ministerial. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180 | Not applicable. |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 21 years. | (i) Matriculation or equivalent qualification.<br>(ii) Minimum speed of 30 words per minute in type writing, provided:—<br>(a) that a person not possessing the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typewriting; and<br>(b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. | Not applicable. | Two years. | By direct recruitment.<br>*Note*:—10% of the vacancies shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Directorate of Enforcement), subject to the following conditions:—<br>(a) Selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, *viz.* Matriculation or equivalent qualification;<br>(b) The maximum age for this examination would be 40 years (45 years for Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates). The upper age limit is relaxable upto 45 years (50 years for Scheduled Caste or Scheduled Tribe candidates for the first two examinations to be held under the Scheme;<br>(c) At least 5 years' service in Class IV would be essential;<br>(d) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancies in the cadre of L.D.C. occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| *Central Civil Services (Class IV Posts)* | | | | |
| 8. Daftries | 7 | General Central Service Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 75—1—85—EB—2—95 | Non-selection |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | 100% by promotion |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| 8 Promotion from the grade of peon with three years service in the grade. | Class IV DPC | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9 Peons | 34 | General Central Service Class IV Non-Gazetted | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 25 years | Middle School Standard | Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sepoys | 35 | General Central Service Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 70—1—80—E.B—1—85 | Not applicable |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 25 years | Middle School Standard | Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11. Sweepers | 3 | General Central Service Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 70—1—80—E.B—1—85 | Not applicable |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 25 years | Desirable Primary School pass. | Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 12. Farash | 1 | General Central Service Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 70—1—80—E.B—1—85 | Not-applicable |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 25 years | Desirable Primary School pass | Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. Chowkidars | 8 | General Central Service Class IV (Non-Gazetted) | Rs. 70—1—80—E.B—1—85 | Not applicable |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 18 to 25 yearr | Desirable Primary School pass | Not applicable | Two years | 100% by direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable | Not appelcable |

[No. F. 412/171-AVD-IV.]

K. L. RAMACHANDRAN,
Under Secretary.

सा० का० नि० 180.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रि मंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग में वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम प्रवर्तन निदेशालय, मंत्रि मंडल सचिवालय कार्मिक विभाग में वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमाएं, अर्हताएं और उससे/ उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर जो, समय-समय पर इस संबंध में दिए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हों, प्रभाव नहीं डालेगी ।

अनुसूची

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्ग 3 पद)

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. अधीक्षक | 5 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 450–25–575 | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परीवीक्षा की कालावधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| (1) 80 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा<br>(2) 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा<br>(iii) (ii) के न हो सकने पर उपर्युक्त (i) द्वारा । | (i) प्रोन्नति :<br>प्रवर्तन निदेशालय के सहायक (रु० 210–10–270–15–300–द० रो०–15–450–द० रो०–20–530) जिनकी उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से कम से कम 8 वर्ष की सेवा हो ।<br>(ii) प्रतिनियुक्ति :<br>संपरीक्षा और लेखा विभाग के एस०ए०एस० अर्हित लेखापाल जिनकी एस०ए०एस० ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो<br>या<br>सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग में उपकार्यालय अधीक्षक (अनुसचिवीय), जिनकी ग्रेड में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अनधिक) | वर्ग 3 वि०प्रो० स० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. सहायक | 15 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित अनुसचिवीय | रु० 210–10–270–15–300 द० रो० 15–450 द०रो०–20–530 | चयन | 30 से 25 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान या वाणिज्य में उपाधी या समतुल्य । | नहीं | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| (1) 66 2/3 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा<br>(11) 33 1/3 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | 1( प्रवर्तन निदेशालय में प्रधान लिपिकों में से –(रु० 210–10–290–15–320–द० रो० 15–380) जिनकी उस ग्रेड मे नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की सेवा या प्रधान लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में मिलाकर सात वर्ष की सेवा हो, 66 2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।<br>(11) उपयुक्त (1) के न हो सकने पर प्रवर्तन निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिकों (रु० 130–300) जिनकी उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से सात वर्ष की सेवा हो, की प्रोन्नति द्वारा | वर्ष 3 वि० प्रा० सा० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. प्रधान लिपिक | 2 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 210–10–290–15–320–द० रो०–5–380 | चयन | लागू नहीं होता |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 100 प्रतिशत विभागीय प्रोन्नति द्वारा | प्रवर्तन निदेशालय में उच्च श्रेणी लिपिकों (रु० 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द०रो०–8–280–10–300) जिनकी उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की सेवा हो, की प्रोन्नति । | वर्ग 3 वि० प्रो०स० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. उच्च श्रेणी लिपिक | 37 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द०रो०–8–280–10–300 | अचयन | लागू नहीं होता |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति | (I) प्रवर्तन निदेशालय मे निम्न श्रेणी लिपिकों (रु० 110-3-131-4-155-द०रो० 4-175-5-180) जिनकी उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो, की 75 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा । (II) प्रवर्तन निदेशालय के निम्न श्रेणी लिपिकों की (रु० 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180) जिनको ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की सेवा हो, तत्सीमित परिसीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर 25 प्रतिशत प्रोन्नति । | वर्ग 3 वि० प्रो० स० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. ज्येष्ठआशु-लिपिक | | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 | चयन | 18 से 24 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| (1) मैट्रिक या समतुल्य : (II) आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट और टाईपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति । | आयु-सीमा शैक्षिक और अन्य अर्हताएं : हां, | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | कनिष्ठ आशुलिपिकों की (रु० 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-8-280-10-300) जिनकी प्रवर्तन निदेशालय में नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष की सेवा हो, आशुलिपिक परीक्षण में 120 शब्द प्रति मिनट और टाइप परीक्षण में 40 शब्द प्रति मिनट उत्तीर्ण कर लेने के आधार पर प्रोन्नति । | वर्ग 3 वि०प्रो० स० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. कनिष्ठ आशु-लिपिक | 20 | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 130-5-160-8-200-द०रो०-8-256-द०रो०-8-280-10-300 | लागू नहीं होता | 18 से 24 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| (i) मैट्रिक या समतुल्य<br>(ii) अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग में 40 शब्द प्रति मिनट की गति ।<br>या<br>हिन्दी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रवर्तन निदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिकों में जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं हों, आशुलिपि और टाइपिंग में परीक्षा पर चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. निम्न श्रेणी लिपिक | 60 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित और अनुसचिवीय | रु० 110–3–131–4–155–द०रो०–5–175–5–180 | लागू नहीं होता | 18 से 21 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| (i) मैट्रिक या समतुल्य अर्हता ;<br>(ii) टाइपराइटिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की कम से कम गति, परन्तु—<br>(क) यह कि कोई व्यक्ति जिसकी टाइप करने कि उक्त अर्हता न हो तो इस शर्त के अधीन नियुक्ति किया जा सकेगा कि वह उस समय तक वेतनमान में वेतन वृद्धि का पात्र नहीं होगा या ग्रेड में स्थाई बत् या पुष्टिकरण का पात्र नही होगा जब तक कि टाइप में उसकी 30 शब्द प्रति मिनट की गति हो जाए और<br>(ख) यह कि वह शारीरिक असुविधा ग्रस्त व्यक्ति जो लिपिक पद के लिए अन्यथा अर्हत है लेकिन टाइपराइटिंग में अर्हित नहीं है इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त व्यक्ति, यों के लिए विशेष नियोजनलयों से संलग्न चिकित्सीय बोर्ड या जहां ऐसा बोर्ड न हो, सिविल सर्जन यह प्रमाणपत्र देता है कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने के लिए उपयुक्त अवस्था में नहीं है । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा<br>टिप्पण :–10 प्रतिशत रिक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए वर्ग 4 के कर्मचारियों (जो प्रवर्तन निदेशालय के नियमित स्थापन में हैं ) द्वारा भरी जाने के लिए आरक्षित होगी,<br>(क) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा होगा जो वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित होगी, जो कम से कम शैक्षिक अर्हताएं की अपेक्षाएं पूरी करते हों अर्थात्:— मैट्रिक या समतुल्य अर्हता । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| ङ) इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लिए 45 वर्ष) इस स्कीम के अन्तर्गत पहली 2 परीक्षाओं के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष तक (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 वर्ष) तक शिथिलनीय होगी ।<br>ग) वर्ग 4 में कम से कम 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी ।<br>घ) किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक के काडर में हुई रिक्तियों के अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक इस पद्धति द्वारा भर्ती सीमित होगी । न भरी जाने वाली रिक्तियों को अगले हिसाब में नहीं लिया जाएगा । | | | |

| ड का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8. दफ्तरी | 7 | केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्ग 4 पद) साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ष 4 (अराजपत्रित) | रु० 75–1–85–द०रो० –2–95 | अचयन | लागू नहीं होता |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा | उस चपरासी को जिसकी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो, ग्रेड में से प्रोन्नति द्वारा | वर्ग 4 वि० प्रो० स० | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. चपरासी | 34 | यथोक्त | रु० 70—1—80—द०रो० 1—85 | लागू नहीं होता | 18 से 25 वर्ष |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| मिडल स्कूल स्तर | यथोक्त | यथोक्त |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नहीं होता | लागू नही होता |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. सिपाही | 35 | यथोक्त | यथोक्त | लागू नही होता | यथोक्त |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. स्वीपर | 3 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| वांछनीय प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण | यथोक्त | यथोक्त |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. फराश | 1 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 10 | 11 | 11 | 13 |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. चौकीदार | 8 | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

[सं० फा० 412/1/71—ए०बी०डी०-4]

के० एल० रामाचन्द्रन,

अवर सचिव ।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

COFFEE CONTROL

*New Delhi, the 18th January 1972*

**G.S.R. 183.**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Board Servants (Conduct) Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Coffee Board Servants (Conduct) First Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coffee Board Servants (Conduct) Rules, 1968,—

(i) in rule 7, in clause (ii), after the words "any form of strikes", the words "or coererción or physical duress" shall be inserted;

(ii) in rule 21,—

(a) for the marginal heading, the marginal heading "Restriction regarding marriage" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(3) A Board Servant who has married or marries a person other than a person of the Indian Nationality shall forthwith intimate the fact to the Board".

[No. F. C. 19011/1/71-PLANT(B).]

N. N. MALHAN, Dy. Director

## विदेश व्यापार मंत्रालय

काफी नियंत्रण

नई दिल्ली, 18 जनवरी 1972

**सा०का०नि० 183.**—काफी अधिनियम 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार काफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) नियम 1968 में और आगे संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नोक्त नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) ये नियम काफी बोर्ड कर्मचारी (आचरण) प्रथम संशोधन नियम 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. काफी कर्मचारी (आचरण) नियम 1968 में —

(i) नियम 7 खण्ड (ii) में "किसी भी तरह की हड़ताल शब्दों के बाद "अथवा प्रपीड़न अथवा शारीरिक बाध्यता" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(ii) नियम 21 में —

(क) उपान्तशीर्षक के लिए "विवाह के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध" उपान्तशीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (2) के बाद निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(3) बोर्ड का कर्मचारी जिसका विवाह हो गया हो अथवा जिसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी भारतीय राष्ट्रीयता न हो उसे तुरन्त बोर्ड को इस तथ्य की सूचना देनी होगी।

[सं०फा० सी-० 19011/1/71-प्लाट (बी०)]

एन० एन० मलहन,

उप निदेशक।

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

**(Works Division)**

*New Delhi the 11th January 1972*

**G.S.R. 184.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Surveyors Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Surveyors Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Schedule to the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Surveyors Recruitment Rules, 1963, in column 6, for the words "must hold a diploma in Surveying of a recognised institution" the following words shall be substituted, namely:—

"Must hold a Diploma in Surveying from a recognised institution.

or

"Must hold a certificate in surveying from any of the Training Institutions under the Directorate General of Employment and Training with one year's experience in survey work."

[No. 33/3/71-MSII.]

S. N. BANERJI, Dy. Secy.

*New Delhi, the 12th January, 1972*

**G.S.R.185.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules 1962, namely:—

1. *Short title and Commencement.* . . . (1) These rules may be called the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Second Amendment Rules 1971.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Public Works Department Architectural Staff (Gazetted) Recruitment Rules, 1962 for the post of "Assistant Architect" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Assistant Architect | General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—380—35—900. | Selection | 30 years (Relaxable for Govt. servants). | *Essential*: Degree in Architecture of a recognised University or equivalent. | No. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 2 years | 50% by promotion failing which by direct recruitment.<br>50% by direct recruitment. | *Promotion* :<br>Promotion to be made from the following categories in the same order of precedence—<br>(*i*) Chief Architectural Assistant ,<br>(*ii*) Senior Architectural Assistant ;<br>(*iii*) *Architectural Assistant (Selection* Grade).<br>(*iv*) Architectural Assistant.<br>The period of eligibility for promotion being—<br>(*a*) For persons holding a degree or equivalent qualification with 5 years service in many one or more of the above grades<br>(*b*) Intermediate in Architecture with 10 years' service in any one or more of the above grades.<br>(*c*) Unqualified with 15 years' service in any one or more of the above grades.<br>NOTE.—For departmental officers, who acquired degree or equivalent qualifications while in service, the criteria at (*a*) above will apply from the date of acquisition of degree or equivalent qualifications. | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service, Commission (Exemotpion from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 33/9 70-Adm. IV]

S. N. BANERJI Dy. Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर०185:**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण, विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) द्वितीय संशोधन नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वास्तु-कर्मचारिवृन्द (राजपत्रित) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में, "सहायक वास्तुक" के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| सहायक-वास्तुक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 राजपत्रित अननुसचिवीय | 350–25–500–30–590–द० रो० 30–800–द० रो० 30–830–35–900 रु० | चयन | 30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) | आवश्यक: किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से वास्तुकला में उपाधि या समतुल्य। |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं | 2 वर्ष | 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर पर सीधी भर्ती द्वारा, 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। | प्रोन्नति : निम्नलिखित प्रवर्गों में से इसी अग्रता-क्रम से प्रोन्नति की जायगी—<br>(I) मुख्यि वास्तु-सहायक<br>(II) ज्येष्ठ वास्तु-सहायक<br>(III) वास्तु-सहायक (चयन श्रेणी)।<br>(IV) वास्तु-सहायक प्राप्ति के लिए पात्रता की अवधि निम्नलिखित होगी –<br>(क) ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास डिग्री या समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणियों मे पाच वर्ष सेवा की हो।<br>(ख) वास्तुकला में इण्टरमीडियेट व्यक्ति–जिन्होंने उपरोक्त श्रेणियों में से किसी एक या अधिक श्रेणियों में दस वर्ष सेवा की हो।<br>(ग) अनर्हित व्यक्ति जिन्होंने उपरोक्त श्रेणियों मे से किसी एक या अधिक श्रेणियों में पन्द्रह वर्ष सेवा की हो।<br>टिप्पण:—ऐसे विभागीय अधिकारियों के लिए जिन्होंने सेवा काल मे डिग्री या समतुल्य अर्हताएं अर्जित की है, उपरोक्त (क) में का मानदण्ड उनकी डिग्री या समतुल्य अर्हताएं अर्जित करने को तारीख से लागू होगा। | वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति। | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[स०33/9/70–प्रशासन iv]

एस० एन० बनर्जी, उप सचिव।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
### (Department of Legal Affairs)

*New Delhi, the 7th January 1972*

**G.S.R. 186.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8 B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. G.S.R. 1412 dated the 25th November, 1960:—

In the Schedule to the said notification, in item 5 relating to Kerala against sub-item (a) relating to High Court in the second column for the existing entry, the following entries shall be substituted namely:—

"(i) Shri George Vadakkal, Senior Central Government Standing Counsel.".

(ii) Shri K. Prabhakaran Junior Central Government Standing Counsel.

This notification shall come into force with effect from the 17th January, 1972

[No. F. 36(4)/71-Judl.]

P. G. GOKHALE, Jt. Secy and Legal Adviser.

### विधि और न्याय मंत्रालय
### (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1971

**सा०का०नि० 186.**—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 8 ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा करती है

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में केरल से संबंधित मद 5 में उच्च न्यायालय से संबंधित उप-मद (क) के सामने द्वितीय स्तंभ में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् —

"(I) श्री जार्ज वडकल, ज्येष्ठ केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सल।

(II) श्री प्रभाकरन के०, कनिष्ठ केन्द्रीय सरकार स्थायी काउन्सल।"

यह अधिसूचना 17 जनवरी, 1972 से प्रवृत्त होगी।

[सं०फा० 36(4)/71-जे०]

[पी० जी० गोखले,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार।

---

### (Department of Justice)

*New Delhi, the 18th January 1972*

**G.S.R. 187.**—Whereas the Chief Justice of the Order High Court has, with the previous consent of the President, requested Shri B. C. Das, who has held the office of a Judge of the Orissa High Court, to sit and act as a Judge of that High Court from 17th January, 1972, for the disposal of election petitions;

And whereas the said Shri B. C. Das has consented to sit and act as a Judge of that High Court;

Now, therefore, in pursuance of Article 224A of the Constitution of India, the President hereby determines that the said Shri B. C. Das shall be entitled, for the period during which he sits and acts as a Judge of the Orissa High Court, to an allowance of rupees three thousand and five hundred per month minus the pension and pension equivalent of any other retirement benefits drawn by him as a retired Judge of the Orissa High Court

[No. 14/1/72-Jus.]

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

### (न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 187**—यतः उड़ीसा उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, श्री बी० सी० दास, जो उड़ीसा उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, अनुरोध किया है कि वे 17 जनवरी, 1972 से निर्वाचन याचिकाओं के निपटान हेतु उक्त उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन हों और कार्य करें,

और यतः उक्त श्री बी० सी० दास उस उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पदासीन होने तथा कार्य करने के लिए सहमत हो गए है,

अतः अब, संविधान के अनुच्छेद 224क के अनुसरण में राष्ट्रपति यह निश्चित करते है कि उक्त श्री बी० सी० दास उड़ीसा उच्चन्यायालय के न्यायाधीश के पद पर अपनी कार्यावधि में तीन हजार पांच सौ रूपये प्रति मास भत्ते के हकदार होंगे जिसमें से पेंशन तथा सेवा-निवृत्ति के लाभों के समकक्ष पेंशन विषयक व अन्य लाभ घटा दिये जाएं जो उन्हें उड़ीसा उच्चन्यायालय के सेवा-निवृत्ति न्यायाधीश की हैसियत से मिल रहे है।

[सं० 14/1/72-न्यायिक]

के० त्यागराजन
उप सचिव भारत सरकार।

---

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
### (Department of Health)

*New Delhi, the 12th January 1972*

**G.S.R. 188.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Class II Non-Gazetted posts in the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Pondicherry (Class-II Non-Gazetted post) Recruitment Rules 1971 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule annexed to these rules

3. **Number classification and scale of pay.**—Number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment, age limit and qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time

5 **Disqualification.**—No person:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse, living or

(b) who having a spouse, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

*Recruitment rules for the Post of Estate Manager Jipmer, Pondicherry.*

| | |
|---|---|
| 1. Name of Post | Estate Manager |
| 2. No. of Posts | 1 (One) |
| 3. Classification | General Central Service Class II Non-Gazetted Ministerial |
| 4. Scale of Pay | Rs. 350—25—575. |
| 5. Whether Selection Post or non-Selection Post | Selection |
| 6. Age limit for direct recruits | 30 Years (Relaxable for Government Servants). |
| 7. Educational and other qualifications required for direct recruits | *Essential* :<br>(*i*) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 3 years experience in a supervisory capacity in handling big estates in a Government for Semi-Government Department or local body or commercial organisation of repute.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified) |
| 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruit for direct recruits will apply in the case of promotees. | Age : No.<br>Educational Qualifications : Yes. |
| 9. Period of probation, if any. | 2 Years. |
| 10. Method of rectt. Whether by direct recruitment or by Promotion/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | By promotion failing which by direct recruitment. |
| 11. In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | *Promotion* Office Superintendent with 2 years service in the grade. |
| 12. If a DPC exist, what is its composition. | Class II Departmental Promotion Committee. |
| 13. Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. | As required under the U.P.S.C. (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

[No. F. 3-115/70-ME(PG)]

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन

## (स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1972

एस० आर० ओ० 188.— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति एतद्द्वारा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, पांडिचेरी में श्रेणी–II के अराजपत्रित कतिपय पदों की भर्ती विधि का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं :, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :— (1) ये नियम जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान संस्थान, पांडिचेरी (श्रेणी II– अराजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 1971 कहलाये जायें ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 1 से 2 में निर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं :

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5 अनर्हता :—कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की सविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की सविदा करता/करती है,

सेवा मे नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहा केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहा वह कारणों को लिखित रूप मे रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियो के मामले मे इन नियमो के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है ।

## अनुसूची

जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा, शिक्षा एव अनुसधान सस्थान, पाडिचेरी के

सम्पदा प्रबन्धक के भर्ती नियमावली

| पद का नाम | पदों की सख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलेक्शन है अथवा नान-सलेक्शन | सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिये अपेक्षि शैक्षिक तथा अन्य अ ताए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सम्पदा प्रबन्धक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II अराजपत्रित अनु-सचिवीय | 350—25—575 रुपये | सलेक्शन | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियो के लिये शिथिलनीय) | अनिवार्य . (1) किसी मान्यताप्रा विश्वविद्यालय से डि अथवा इसके समकक्ष। (2) किसी सरकारी अ अर्ध-सरकारी विभा अथवा स्थानीय नि अथवा ख्याति प्राप्त वाणिज्य संगठन में बड़ी सम्पदाओं के संचा में पर्यवेक्षक के कार्य लगभग 3 वर्ष का अनुभ (सुयोग्य अभ्यर्थियों मामले में आयोग अ विवेक से अर्हताओं छूट दे सकता है)। |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हतायें लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमें पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिये संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु : नहीं शैक्षिक अर्हतायें : हां | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | पदोन्नति : कार्यालय अधीक्षक जिसकी उस ग्रेड में 2 साल की सर्विस हो गई हो। | श्रेणी–II विभागीय पदोन्नति समिति। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

[सं० 3–115/70-एम० ई० (पी० जी०]

एन० एस० भाटिया,
अवर सचिव, भारत सरकार।

CORRIGENDUM

*New Delhi, the 13th January 1972*

**G.S.R. 189.**—In the Schedule in the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) Notification No. F. 3-95/69-ME(PG) dated the 10th December, 1971, in item (ii) under the head 'Essential' against Column 7, for the words 'Degree of Diploma', read 'Degree or Diploma'

[No. F. 3-95/69-ME(PG).]

N. S. BHATIA, Under Secy.

---

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R. 190.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the various Class IV Posts in the National Tuberculosis Institute, Bangalore, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Tuberculosis Institute, Bangalore, (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of the posts, Classification and Scale of pay.**—The number of posts, its classification and the Scale of Pay attached thereto shall be specified in Columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns 6 to 14 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Saving** Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

THE SCHE

| Sl. No | Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or Non-selection post | Age for Direct recruits. | Educational and other qualification required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dark Room Attendant. | 1 | General Central Service Class IV | 80—1—85—EB—2—95—EB—3—110 | Non-Selection Post. | 18 to 25 years | Middle School pass and experience in X-Ray Department preferable. |
| 2 | Laboratory Attendant | 5 | Do | Do. | Do | Do | Middle School pass and experience in a Laboratory preferred |
| 3 | Chowkidars . | 5 | Do | 70—1—80—LB—1—85 | Not applicable | Do | Literate with experience in the profession |
| 4. | Gardener | 1 | Do | Do | Do | Do | Do. |
| 5 | Bearer . . . | 1 | Do | Do | Do | Do | Do |
| 6. | Cooks . | 13 | Do | 75—1—85—EB—2—95 | Do | Do | Experience in profession |
| 7. | Packer . | 1 | Do | Do | Do | Do | Literate with experience in carpentary work for about 5 years preferable to one with a training in the trade from a recognised Institution. Experience of writing addresses in Stencil/pencil/ink pencil. |
| 8. | Daftry | 1 | Do | Do | Non-Selection Post | Not Applicable | Not Applicable. |
| 9. | Peons . . | 24 | General Central Service, Class IV | 70—1—80—EB—1—85. | Not Applicable | 18 to 25 years. | Middle School pass. |
| 10. | Sweeper . . | 5 | Do | Do | Do | Do. | Experience in profession desirable. |

DULE

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not Applicable. | 2 years. | 100 per cent by direct recruitment.] | Not Applicable. | Not Applicable | Not Applicable. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | Do | Do. | Do | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |
| Do. | Do. | 100 per cent by Departmental promotion. | Posts with a minimum of 3 years of service | Class IV DPC | Do |
| Do. | Do. | 100 per cent by direct recruitment | Not applicable | Not Applicable | Do. |
| Do. | Do. | Do. | Do | Do | Do |

[No. I. 20-3 70-MP I]

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

जी०एस०आर० 190.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में विभिन्न श्रेणी—4 पदों पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** . (1) ये नियम राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर (श्रेणी—4 पद) भर्ती नियमावली, 1971 कहलाए जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में विनिर्दिष्ट है

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

5. **अनर्हता** कोई व्यक्ति

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति एकपत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **अपवाद** : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है। उस पक्ष इन नियमों में निहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनु-

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सवैक्शन है अथवा लाग-सवै-क्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 डार्क रूम परिचर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–4 | 80–1–85–द० रो० 2–95–द० रो० 3–110 रु० | लागू नहीं होता | 18–25 वर्ष | मिडिल स्कूल पास तथा एक्सरे विभाग के अनभव को तरजीह |
| 2 प्रयोगशाला परिचर | 5 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | मिडिल स्कूल पास तथा प्रयोगशाला के अनभव की तरजीह |
| 3 चपरासी | 24 | तदैव | 70–1–80–द० रो० 1–85 रु० | तदैव | तदैव | मिडिल स्कूल पास |
| 4 चौकीदार | 5 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | साक्षर होने के साथ साथ इस काम का अनभव |
| 5 माली | 1 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| 6 वाहक | 1 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| 7 रसोइया | 13 | तदैव | 75–1–85–द० रो० 2–95 | | तदैव | इस धन्धे का अनभव |
| 8 दफ्तरी | 1 | तदैव | तदैव | अप्रवरण पद | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| 9. पैकर | 1 | तदैव | तदैव | लागू नहीं होता | 18—25 वर्ष | साक्षर होने के साथ साथ बढई के काम का लगभग 5 वर्ष का अनुभव। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान म इस कार्य मे प्रशिक्षण प्राप्त को तरजीह / स्टैसिल पेसिल / स्याही / पेसिल से पते लिखने का अनुभव। |
| 10. सफाई कर्मचारी | 5 | तदैव | 70–1–80–द० रो० 1–85 रु० | लागू नहीं होता | तदैव | इस धन्धे के अनुभव वाले को तरजीह। |

सूची

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मेदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होती हैं | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमें पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | 100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| नहीं | तदैव | 100 प्रतिशत विभागीय पदोन्नति द्वारा | चपरासी जिसकी न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा हो। | चतुर्थ श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति। | तदैव |
| लागू नहीं होता | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |
| तदैव | तदैव | तदैव | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | तदैव |

[सं० एफ० 20-2/70-एम० पी० टी०]

प्रकाश चन्द्र अरोरा,
अवर सचिव।

*CORRIGENDUM*

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 13th January, 1972*

SUBJECT.—*College of Nursing, New Delhi—Recruitment Rules in respect of Class III Staff of the—*

G. S. R. 191.—In the Notification issued by this Department to. 1-10/70-MPT, dated the 6th December, 1971, relating to the Recruitment Rules in respect of Class III staff of the College of Nursing, New Delhi, the following amendments may be made:—

| Sl. No. of Recruitment Rules | Name of the Post | Amendment to be made |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Stenographer (Senior) . . . | In column 8 of the Schedule attached to the Notification the words "and 40" after the figure 120 may be added. |
| 10 | Lower Division Clerk including Cashier . | In Column 5 of the Schedule the words "Plus Special Pay" after the words Grade Pay may be added. |
| 11 to 16 | Social Worker, Home-Sister, Assistant Home-Sister, Infirmary Nurse, Physical Training Instructress and Compounder. | In Column 4 of the Schedule the posts shown as "Ministerial" may be substituted by "Non-Ministerial". |
| 17 | Driver . . . . . | In Column 4 of the Schedule the post shown as "(Non-Ministerial) (Ministerial)" may be substituted by "(Non-Gazetted) (Non-Ministerial)". |

[No. F. 1-10/70-MPT.]

P. C. ARORA Under Secy

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार स प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 19, 1972/माघ 30, 1893
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 19, 1972/MAGHA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### PRIME MINISTER'S SECRETARIAT

*New Delhi, the 17th January* 1972

G.S.R. 192.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Prime Minister's Secretariat (Class III posts) Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prime Minister's Secretariat (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Prime Minister's Secretariat (Class III posts) Recruitment Rules, 1970, against the post "2 Staff Car Driver", for the entries under columns 10 and 11, the following entries shall respectively be substituted, namely:—

"By transfer or deputation, failing which by direct recruitment"

"By transfer on the results of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in Drivers of Staff Cars, from amongst regular Despatch Riders (Class III) and Class IV employees of the Prime Minister's Secretariat possessing the qualifications specified in column 7; or by deputation or transfer of persons holding the post of Staff Car Drivers in other Ministries or Departments."

(Period of deputation ordinarily not exceeding two years).

[No. F. 61/72/72-PMA.]

S. P. KHANNA,
Pvt. Secy. to Prime Minister.

### प्रधान मंत्री सचिवालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 192:—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान मंत्री सचिवालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1970 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतदद्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. प्रधान मंत्री सचिवालय (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1970 की अनुसूची में "2 स्टाफ कार चालक" पद के सामने स्तम्भ 10 और 11 की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; अर्थात् :—

"स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा"

"स्टाफ कार चालकों के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सक्षमता मानों के अनुसार इस पद के लिए मोटर चलाने में योग्यता अधिनिर्णीत करने के लिए लिए जाने वाले परीक्षण के परिणामों पर, स्तम्भ 7 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले प्रधान मंत्री सचिवालय के नियमित सवार हरकारों (वर्ग 3) और वर्ग 4 कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा"

(सामान्यतया प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

[सं०फा०61/72/72-पी०एम०ए०]

सर्व प्रकाश खन्ना,
प्रधान मंत्री जी के निजी सचिव।

---

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 1st January 1972*

**G.S.R. 193.**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 1412 dated the 25th November, 1960.

In the Schedule to the said notification, in item 15 relating to Delhi, against sub-item (a) relating to High Court, in the second column, for the existing entries the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Shri S. S. Chadha, 1st Central Government Standing Counsel.

(ii) Shri R. L. Tandon, 2nd Central Government Standing Counsel.

[No. F.15(1)/70-J.]

P. G. GOKHALE,
Jt. Secy. and Legal Adviser.

## विधि और न्याय मंत्रालय

**(विधि कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 193**:—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8 ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412 तारीख 25 नवम्बर, 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में दिल्ली से सम्बन्धित 15 मद में, उच्च न्यायालय से सम्बन्धित उपमद (क) के सामने दूसरे स्तम्भ में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(i) श्री एस०एम० चड्ढा, प्रथम केन्द्रीय सरकार स्थायी काउंसल।

(ii) श्री आर० एल० टंडन द्वितीय केन्द्रीय सरकार स्थायी काउंसल।

[सं० फा० 15 (1)/70-न्या०]

पी० जी० गोखले,
संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहाकार।

---

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

CARDAMON CONTROL

*New Delhi, the 22nd January 1972*

**G.S.R. 194.**—In exercise of the powers conferred by section 33 of the Cardamom Act, 1965 (42 of 1965), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cardamom Rules, 1966, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cardamom (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cardamom Rules, 1966, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 44, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Every person shall in respect of each estate owned by him, send by registered post to the Board—

(i) a return of the crop harvested during the current season (actuals) and the preliminary estimate of the crop for the next season in Form 'A', by the first day of June, every year;

(ii) a return of the revised crop estimate in Form 'B', by the first day of December, every year; and

(iii) a final report with quantity harvested, by the first day of May, every year."

3. In the said rules, for the existing Form 'A' and 'B', the following Forms shall be substituted, namely:—

"FORM-'A'

*(See rule 44)*

*Crop Estimate*

(To be returned by the first day of June, 10.....)

1. Name of the estate.....
2. Name and postal address of the estate owner.....
3. Elevation (from sea-level).....
4. Rainfall.....
5. Registration No.....
6. (a) District.....
   (b) Taluk.....
   (c) Village.....
   (d) Survey No.....

(e) Area in acres/Hectares under Cardamom plantation.....
(i) Bearing.....
(ii) Non-bearing.....
(iii) Area replanted during the year.....

7. Crop harvested (in Kgs.) during the current season: (Viz. 19.....=19.....

8. Preliminary estimate of the crop (in Kgs.) for the next season, Viz. 19..... =19.....

9. Whether seasonal conditions are favourable or not.....

Place.....
Date.....

(Signature)

FORM 'B'

(*See* rule 44)

*REVISED CROP ESTIMATE*

1. Name of the estate.....
2. Name and postal address of the estate owner.....
3. Registration No. .....
(a) District.....
(b) Taluk.....
(c) Village.....
(d) Survey No.....
(e) Area under Cardamom plantation.....
(i) Bearing.....
(ii) Non-bearing.....
(iii) Area replanted during the year.....
4 Crop harvested upto 15-11-19.....
5. Quantity (in Kgs.):
(i) Sold.....
(ii) in stock.....
6. Revised Estimated of the crop for the season 19.... to 19.... (in Kgs.)

Place.....
Date.....

(Signature)

N.B.—(1) Each return shall relate to the period from 1st September to the day preceding its due date of submission.

(2) The total weight of the dried cardamom (sun dried or kiln dried) should be given in Kilograms."

[No. F. 29(43)Plant(B)/70.]

N. N. MALHAN, Dy. Director.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

### इलायची नियंत्रण

नई दिल्ली, 22 जनवरी 1972

**सा० का० नि० 194.**—इलायची अधिनियम, 1965 (1965 का 42) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इलायची नियम, 1966 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम इलायची (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 इलायची नियम, 1966 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 44 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(1) प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वामित्व की प्रत्येक भू-सम्पदा के बारे में निम्नलिखित बोर्ड को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा—

(i) प्रत्येक वर्ष जून को पहले दिन चाल मौसम के दौरान तोड़कर जमा की गई फसल की (वास्तविक आंकडे) विवरणी और प्ररूप 'क' में अगले मौसम के लिए फसल का प्रारम्भिक प्राक्कलन ;

(ii) प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के पहले दिन प्ररूप 'ख' में पुनरीक्षित फसल के प्राक्कलन की विवरणी ; और

(iii) प्रत्येक वर्ष मई के पहले दिन तोड़कर जमा की गई फसल के परिमाण की अंतिम रिपोर्ट।

3 उक्त नियम में विद्यमान प्ररूप 'क' और 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

**प्ररूप— 'क'**

(नियम 44 देखिये)

**फसल का प्राक्कलन**

(जून, 19....के पहले दिन वापस भेजा जाए)

1. भू-सम्पदा का नाम.....
2. भू-सम्पदा के स्वामी का नाम और डाक का पता .....
3. उंचाई (समुद्र-तल से).....
4. वर्षा .....
5. रजिस्ट्रीकरण.....
6. (क) जिला.....
(ख) तालुक.....
(ग) गांव.....
(घ) सर्वे सं० .....
(ङ) इलायची बागान के नीचे का एकड़ों हैक्टरों में क्षेत्र.....
(i) उपज देने वाला.....
(ii) उपज न देने वाला.....
(iii) ...वर्ष के दौरान पुनः रोपित क्षेत्र...

7. चालू मौसम, अर्थात 19.....से 19.....
के दौरान तोड़कर जमा की गई फसल (किलोग्राम में).....

8. अगले मौसम, अर्थात 19..... से 19.....
के लिए फसल का प्रारम्भिक प्राक्कलन (किलोग्राम में).....

9. क्या मौसमी परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं ?

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप 'ख'

(नियम 44 देखिये)

पुनरीक्षित फसल का प्राक्कलन

1. भू-संपदा का नाम.....

2. भू-संपदा के स्वामी का नाम और डाक का पता.....

3. रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

(क) जिला.....

(ख) तालुक.....

(ग) गांव.....

(घ) सर्वे सं०.....

(ङ) इलायची बागान के नीचे का क्षेत्र .....

(i) उपज देने वाला.....

(ii) उपज न देने वाला.....

(iii) .....वर्ष के दौरान पुनःरीक्षित क्षेत्र .....

4. 15-11-19....तक तोड़कर जमा की गई फसल

5. परिमाण (किलोग्राम में) (i) विक्रय किया गया ...

(ii) स्टाक में.....

6. मौसम, 19 .....से 19 ..... के लिए फसल का पुनरीक्षित प्राक्कलन (किलोग्राम में).....

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

ध्यान दीजिए.—(1) प्रत्येक विवरणी एक सितम्बर से उसके प्रस्तुत किये जाने की सम्यक तारीख के पूर्ववर्ती दिन तक की अवधि से संबंधित होगी।

(2) सूखी इलायची का कुल भार (धूप में सुखाई हुई या भट्टे में सुखाई हुई) किलोग्राम में दिया जाना चाहिए।

[सं० फा० 29 (43) पलान्ट (ख) 70]

एन० एन० मालहन, उप निदेशक।

## CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R. 195.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Economic Service (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Indian Economic Service Rules, 1961, in clause (a)—

(i) in sub-clause (ii), for the figure and words "4 years of service", the figure and words "4 years of service on a regular basis" shall be substituted:

(ii) to sub-clause (ii), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that if any junior person in an office under the Government is eligible and is considered for selection for appointment against these vacancies, all persons senior to him in that office shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered 4 years of service on a regular basis in their posts."

[No. F. 16/20/70-Estt.(E).]

**G.S.R. 196.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and of all other powers enabling him in that behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Statistical Service Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Statistical Service (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 8 of the Indian Statistical Service Rules, 1961, in clause (a)—

(i) in sub-clause (ii), for the figure and words "4 years of service", the figure and words "4 years of service on a regular basis" shall be substituted:

(ii) to sub-clause (ii), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that if any junior person in an office under the Government is eligible and is considered for selection for appointment against these vacancies, all persons senior to him in that office shall also be so considered notwithstanding that they may not have rendered 4 years of service on a regular basis in their posts."

[No. F. 16/20/70-Estt(E).]

K. V. MAHALINGAM, Under Secy.

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 21st January 1972*

**G.S.R. 197.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government in consultation with the Government of Andhra Pradesh hereby makes the following amendments to Schedule III appended to the said rules:

2. The amendments may be called the Second Amendment of 1972 to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

3. These amendments shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

*Amendment to IAS (Pay) Schedule*

4. In the said Schedule III, under the heading "A-Posts carrying pay above the time scale pay in the Indian Administrative Service under the State Governments" against Andhra Pradesh the following entry may be deleted.

"Director, Industries 2500-125/2-2750."

5. Under the heading "B—Posts carrying pay in the senior time-scale of the Indian Administrative Service under the State Governments, including posts carrying special pays in addition to pay in the time scale" against Andhra Pradesh, the following entries may be added, namely:—

"Director, Industries."

[No. 1/162/71-AIS(II).]
B. NARASIMHAN, Under Secy.

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 197**.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार आंध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से उक्त नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के 1972 का दूसरा संशोधन कहा जा सकेगा।

3. ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख लागू से होंगे।

**भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) अनुसूची में संशोधन**

4. उक्त अनुसूची III में क—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के समय वेतनमान के ऊपर वेतन वाले पद शीर्षक के अधीन आंध्र प्रदेश के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि हटा दी जायें अर्थात् :—

निदेशक, उद्योग 2500–125/2–2750

5. "ख—राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा में वे पद जिनका वेतन वरिष्ठ समय वेतनमान में हैं, जिनमें वे पद भी शामिल हैं जिसके विशेष समय वेतनमान के अतिरिक्त है" शीर्षक के अधीन आन्ध्र प्रदेश के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जायेगी, अर्थात् :—

निदेशक, उद्योग

[सं० 1/162/71–अ० भा० से (2)]
बी० नरसिंहन, अवर सचिव।

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

*New Delhi, the 21st January 1972*

**G.S.R. 198.**—In exercise of the powers conferred by section 12 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central commissions of Inquiry (Procedure) Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Commissions of Inquiry (Procedure) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Commissions of Inquiry (Procedure) Rules, 1960, after rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

"5A. *Regulation of proceedings during temporary absence of Chairman.*—(1) Where a Commission consists of three or more members, then during the temporary absence of its Chairman, the members present and participating in its proceedings may elect one member from amongst themselves to preside, for the time being, in respect of the said proceedings.

(2) The member who presides temporarily under sub-rule (1) shall not be deemed to be the Chairman of the Commission."

[No. F. 3/3/71-Judl.]
B. SHUKLA, Dy. Secy.

**गृह मंत्रालय**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 198**.—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1960 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जांच आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1960 में नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"5क. **अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहियों का विनियमन**.—(1) जहां आयोग में तीन या

अधिक सदस्य हों, वहां उसके अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति में, उसमें उपस्थित और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने वाले सदस्य उक्त कार्यवाहियों के बारे में तत्समय सभापतित्व करने के लिये अपने में से एक सदस्य का निर्वाचन कर सकेंगे ।

(2) वह सदस्य, जो उप-नियम (1) के अधीन अस्थायी रूप से सभापतित्व करे, आयोग का अध्यक्ष नहीं समझा जायेगा ।

[सं० फा० 3/3/71-न्या०]

ब्रह्मानन्द शर्मा, उप सचिव ।

---

*New Delhi, the 22nd January 1972*

**G.S.R. 199.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment of persons to the post of Senior Archivist, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Senior Archivist, Ministry of Home Affairs, Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay** — The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, the age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** —Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with the U.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Senior Archivist in the Ministry of Home Affairs*

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-Selecton Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Senior Archivist | One | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Selection | 30 years (Relaxable for Govt. servants). | (*i*) Masters' degree in modern Indian History from a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 3 years experience of maintenance of office records or Research or teaching in a college or University.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>(*i*) Knowledge of Archival Science.<br>(*ii*) Training in Archive. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion / deputation / transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a D.P.C exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment. | *Promotion* : Archivist with 5 years service in the grade.<br>*Transfer on deputation* :<br>Officers holding analogous posts or officers with at least 5 years service in posts in the scale of Rs. 210-425 or equivalent from the National Archives of India and having experience of maintenance and supervision of records etc.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 |

[No. 12018/13/70-Ad.I(A).]

BADRI NATH, Under Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 199**.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा गृह मंत्रालय में **वरिष्ठ अभिलेखपाल** के पद पर भर्ती की पद्धित को नियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ**.—(1) ये नियम वरिष्ठ अभिलेखपाल, गृह मंत्रालय भर्ती नियम, 1972 कहें जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**.—(1) पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान वहीं होंगे जैसा कि संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं**.—उक्त पद में भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य बातें वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 मे निर्दिष्ट है ।

4. **अनर्हताएं**.— कोई भी व्यक्ति :

(क) **जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है जिसके एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा**

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुये, किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है, उक्त पद में नियुक्ति का पात्र न होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इससे सन्तुष्ट हो कि विवाह करने वाले व्यक्ति तथा दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. **छूट देने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह आदेश द्वारा जिसके कारण लिखित रूप में देने होंगे और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के बारे में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील दे सकती है ।

6. इन नियमों की किसी बात का, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये निर्धारित आरक्षणों तथा रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

**अनुसूची**

**गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अभिलेखपाल के पद के लिये भर्ती नियम**

| पद आदि का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिये आयु | सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | क्या सीधी भर्ती किये जाने वालो के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताये पदोन्नत कि जाने वालो के लिये भी लागू होंगी । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| वरिष्ठ अभिलेखपाल | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा—II अराजपत्रित अनुसचिवीय । | 325—15—475—द०रो० 20—575 रु० | प्रवरण | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकती है) । | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आधुनिक भारत के इतिहास में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष अर्हता<br>(ii) कार्यालयी अभिलेखों के अनुरक्षण अथवा शोध अथवा किसी कालेज या विश्वविद्यालय में अध्यापद का लगभग 3 वर्ष का अनुभव ।<br>(अन्यथा पर्याप्त अर्हता प्राप्त उम्मोदवारों के सम्बन्ध में आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।)<br>वांछनीय :<br>(i) अभिलेखविज्ञान का ज्ञान ।<br>(ii) अभिलेखागार में प्रशिक्षण । | नही । |

| परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण के द्वारा भर्ती किये जाने पर किसी ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जायेगा | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है | किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा जिसके अभाव मे प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा तथा दोनों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा । | पदोन्नति :<br>अभिलेखपाल जिसने उस ग्रेड में 5 वर्ष सेवा की हो ।<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : सदृश पदों पर आसीन अधिकारी अथवा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से वे अधिकारी जिन्होंने 210–425 के वेतनमान वाले अथवा समकक्ष पदो में 5 वर्ष सेवा की हो तथा जिन्हें अभिलेखो के अनुरक्षण तथा पर्यवेक्षण आदि का अनुभव हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | श्रेणी–।। विभागीय पदोन्नति समिति । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से मुक्ति) विनियम, 1958 के अनसार । |

[सं० 12018/13/70–प्र०–1 (क)]

बद्री नाथ, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 25th January 1972*

G.S.R. 200.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Intelligence Bureau (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Intelligence Bureau (Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Intelligence Bureau (Accounts Officer) Recruitment Rules, 1971, in rule 5, after the words "for reasons to be recorded in writing", the words "and in consultation with the Union Public Service Commission" shall be inserted.

[No. 5/SO(C)/70(15)/Pers.I.]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर० 200.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खुफिया ब्यूरो (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खुफिया ब्यूरो (लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगी ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खुफिया ब्यूरो (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 में नियम 5 में उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके शब्दों के पश्चात् "और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कर के" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 5/एस ओ (सी)/70 (15)/पीर्स–1]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

**(Department of Mines)**

*New Delhi, the 18th January 1972*

**G.S.R. 201.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Bureau of Mines (Class III Ministerial posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Class III Ministerial posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Bureau of Mines (Class III Ministerial posts) Recruitment Rules, 1965 for the entry in column 11 against serial No. 1 relating to the post of Superintendent, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Promotion.*—80 per cent from the grade of Head Assistant with 3 years' service in that grade after appointment thereto on a regular basis and 20 per cent from the grade of Stenographer (Selection Grade) with 3 years' service in that grade after appointment thereto on a regular basis followed by one year's service as Head Assistant.

*Deputation/transfer.*—Persons possessing qualifications and experience prescribed under column (7) from Central Government offices and working in similar or equivalent grades.

Ordinarily the period of deputation will not exceed three years."

[No. F. A-12018/20/71-M. 2.]

V. G. NIGAM, Dy. Secy.

---

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 15th December 1971*

**G.S.R. 202.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules. 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Publications Division (Class III posts) Recruitment (Third Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Publications Division (Class III posts) Recruitment Rules, 1968, against item 6 "Junior Store-keeper," for the existing entries in columns 2, 8, 10 and 11, the following entries shall be substituted, namely:—

(i) Column 2 : 6
(ii) Column 8 : Not applicable.
(iii) Column 10 : Direct recruitment
(iv) Column 11 : Not applicable.

[No. A. 12018/3/70-Admn.I/DS(I).]

### सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 202—असंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी–3 पद) भर्ती नियमावली, 1968 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी–3 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1971 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रकाशन प्रभाग (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1968 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 "जूनियर स्टोर कीपर" के सम्मुख कालम 2, 8, 10 और 11 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी :—

| | |
|---|---|
| (1) कालम 2 | 6 |
| (2) कालम 8 | लागू नहीं होता |
| (3) कालम 10 | सीधी भर्ती |
| (4) कालम 11 | लागू नहीं होता। |

[स०ए० 12018/3/70-प्रशासन 1/डी० एस० (आई)]

*New Delhi-1, the 30th December, 1971.*

**G.S.R.203.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President here by, makes the following, rules further to amend the Directorate of advertising and Visual Publicity Class III Posts Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publiicity (Class III posts) Recruitment (Amendment Rules 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,

2. In the Schedule to the Directorate of Advertising and Visual Publility (Class III posts/ Recruitment Rules, 1962, after Serial No. 23 and the entries relating thereto, the following shall be added namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Librarian | General Central Service Class III (Ministerial Non-Gazetted) | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425. | 100 % | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Between 21 and 25 years. | *Essential.* (1) Higher Secondary or equivalent of a recognised University. (2) Certificate or Diploma in Library Science. (3) One year's experience as a Librarian. | Not Applicable | Not Applicable |

(No. F. A. 11018/5/71-Est./ I/(DS (I)]
S. PADMANABHAN, Dr, Secy,

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1971

जी० एस० आर० 203.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय क्षेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय क्षेणी पद) (भर्ती संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 23 तथा इससे सम्बंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | पुस्तकाध्यक्ष | सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) अराजपत्रित | 210—10—290—15—320—द0—आ0 15—425 रु0 | 100 प्रतिशत | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 21 वर्ष से 25 वर्ष के बीच | आवश्यक (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष (2) पुस्तकालय/विज्ञान में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट। (3) पुस्तकाध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का अनुभव। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं०फा० 11018/5/71-एस्ट-1]
एस० पदमनाभन, उप सचिव

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

*New Delhi, the 3rd January, 1972*

**G.S.R.204.**— In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Company Law Administration (Class I, II and III posts, Recruitment Rules, 1962, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry (Department of Company Law Administration) No G.S.R. 837, dated the 15th June, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called Department of Company Law Administration (Classes I, II and III Posts, ; Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Company Law Administration (Classes I, II and III posts) Recruitment Rules, 1962,

(a) for item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "6. Librarian | 1 (one) | Class II, Non-gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 350—25—575. | Not applicable. | 35 years (Relaxable for Government servant) | *Essential:*<br>(*i*) Degree, preferably with Economics) as one of the subjects of a recognised Uniyersity or equivalent.<br>(*ii*) Degree or epuivalent Diploma in Library Science of a recognised University Institution.<br>(*iii*) About 3 years' experience in a library of standing.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958"; |

(b) after item 6 and the entries relating thereto the following item and entries shall be inserted, namely:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "7. Senior Librarian | 1 (one) | General Central Services, Class II (Gazetted), on-Ministerial. | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 35 years (Relaxable for Government servants). | *Essential:*<br>(i) Degree, preferably with Economics as a subject of a recognised University, or equivalent<br>(*ii*) Degree or equivalent Diploma in Library Science of a recognised University Institution<br>(*iii*) About 5 years' experience in a Library of standing<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By promotion, failing which by transfer on deputation and, failing both by direct recruitment. | *Promotion*<br>Librarian with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br><br>*Deputation*<br>Officers holding analogous posts or officers with at least three years' service in post in the scale of Rs. 350—575 or equivalent under the Central Government and possessing qualifications mentioned in column 7.<br><br>(Period of deputation ordinarily not exceeding three years). | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958". |

[No. A 12018/1/70-Adm. I.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

## कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 204.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 837, तारीख 15-6-62 के साथ प्रकाशित कम्पनी विधि प्रशासन विभाग (वर्ग I, II और III पद) भर्ती नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी विधि प्रशासन विभाग (वर्ग I, II और III पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कम्पनी विधि प्रशासन विभाग (वर्ग I, II और III पद) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची में,—

(क) मद संख्या 6 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| "6 पुस्ताकाध्यक्ष | एक | वर्ग II अराजपत्रित अनन्-सचिवीय | 350–25–575 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक :**<br>(i) विषयों में से एक विषय के रूप में अधिमानत: अर्थशास्त्र के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य ।<br>(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा।<br>(iii) ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में लगभग 3 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)। | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित । |

(ख) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| "7 | ज्येष्ट पुस्तकाध्यक्ष | 1 (एक) | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II (राजपत्रित) अननुसचिवीय | 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु० | चयन | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| आवश्यक :<br>(i) विषयो मे से एक विषय के रूप में अधिमानतः अर्थशास्त्र के साथ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य ।<br>(ii) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था के पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा ।<br>(iii) ख्यातिप्राप्त पुस्तकालय में लगभग 5 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय) । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>पुस्तकाध्यक्ष, जिसके नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो ।<br>**प्रतिनियुक्ति :**<br>ऐसे अधिकारी जो सदृश पद धारण किए हुए हों या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के अधीन 350–575 रु० के वेतनमान में पदों या समतुल्य पर कम से कम तीन वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ 7 में वर्णित अर्हताएं हों ।<br>(मामूली तौर पर प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष से अनधिक) । | वर्ग II विभागीय प्रोतिन्न समिति । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० ए–12018/1/70–प्रशासन–1]

कान्तमणि शर्मा, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture)

*New Delhi, the 19th January 1972*

**G.S.R. 205.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, High Level Inservice Training (Poultry) Institute, Bangalore, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the High Level Inservice Training (Poultry) Institute, Bangalore (Director) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saying.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Director High Level Inservice Training (Poultry) Institute, Bangalore.*

| | |
|---|---|
| 1. Name of post . . . . . | Director, High-level Inservice Training Poultry) Institute, Bangalore. |
| 2. No. of posts . . . . . | One. |
| 3. Classification . . . . . | General Central Service, Class I (Gazetted) |
| 4. Scale of pay . . . . . | Rs. 1300—60—1600. |
| 5. Whether selection post or non-selection post? . . | Not applicable. |
| 6. Age for direct recruits . . . . . | 45 years including Government Servants. |
| 7. Educational and other qualifications required for the direct recruits | *Essential:*<br>1. Post-Graduate Degree in any branch of poultry Science from a recognised University.<br>2. About 7 years experience of Poultry Development or Poultry Research or poultry teaching in a responsible capacity of which at least 4 years should be in teaching & research.<br>3. Experience in the management and administration of large poultry farms. (Qualifications relaxable at UPSC's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable.*<br>1. Doctorate in any branch of Poultry Science.<br>2. Knowledge of poultry dev. programmes in advanced countries and association with foreign experts. |
| 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case or pomotees : | Not applicable. |
| 9. Period of probation, if any . . . . . | 2 years. |
| 10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by varous methods. | By direct recruitment. |
| 11. In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion deputation transfer to be made: | Not applicable. |
| 12. If a D.P.C. exists what is its composition. : . . | Not applicable. |
| 13. Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments: | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

ANNEXURE II

*Form to be filled by the Ministry/Department which forwarding proposals to the Ministry of Home Affairs and the Union Public Service Commission for framing recruitment rules for posts.*

| | |
|---|---|
| 1. (a) Name of the posts | Director, High-Level Inservice Training (Poultry) Institute Bangalore. |
| (b) Name of Ministry/Deptt. | Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture). |
| (c) No. of posts | One. |
| (d) Scale of pay | Rs. 1300—60—1600. |
| (e) Class & Service to which the posts belong of MHA Notification No. 20/16/60-Estt. dated 13th March, 1962. | Class I (Gazetted). |
| (f) Ministerial/Non-Ministerial: | Non-Ministerial. |
| 2. Appointing Authority | President of India. |
| 3. Duties of the post in detail. | He will be required to look after administrative and organisational matter, besides teaching work. He will also take the responsibility of organising the courses, correspondence with States and act as Head of the Office in respect of administrative and financial powers. |
| 4. Describe briefly the methods adoptd for filling the posts hitherto. | This is a new post. |
| 5. Method(s) of recruitment proposed. | 100% by direct recruitment. |
| 6. If promotion is proposed as a method of recruitment— | |
| (a) Designation and number of the posts proposed to be included in the field of promotion. | Not applicable. |
| (b) Number of years of qualifying service proposed to by fixed before persons in the field become eligible for promotion (of MHA O.M. No. 1-5/58-RPS dated 26-2-58). | |
| (c) Percentage of vacancies in the grade to be filled by promotion. | |
| (d) Reasons for proposing the percentage in (c) above. | |
| (e) Have recruitment rules been framed for the posts proposed in the field of poromotion. If frames in consultation with Commission, please quote Commission's reference No. If consultation with the Commission was not required, please attach a copy of rules framed. | |
| (f) if recruitment rules were not framed for the posts in the field of promotion. | |
| (i) Please indicate briefly the method of recruitment actually adopted for filling the posts. Please also state the percentages of vacancies filled by each of the methods. | |
| (ii) Please state briefly the educational qualifictions possessed by the persons in the field of promotion. | |
| (g) Is the promotion to be made on (i) selection or non-selection basis. (ii) Reasons for the proposal in (i) above. (iii) If a D.P.C. exists, its composition. | |
| 7. If promotion is not proposed as a method, please state why it is not cosidered desirable/possible necessary. | There is no field of promotion. |
| 8. If direct recruitment is proposed as a method of recruitment of M.H.A. O.M. No. 2-45/55-RPS dated 8-12-55, please state. | |
| (a) the percentage of vacancies proposed to be filled by direct recruitment | 100 percent direct recruitment. |
| (b) Age for direct recruits of MHA OM No. | |
| (i) 2-42/59-RPS dated 3-12-59 | 45 years. including Govt. Servants. |
| (ii) Is age relaxable for Govt Servant ? | Yes |
| (c) Educational and other qualifications required for direct recruits. It may please be noted that the essential qualifications prescribed are relaxable at Commissioner's discretion in case of candidates otherwise qualified. | *Essential:* 1. Post-graduate Degree in any branch of Poultry Sc. from a recognised University. 2. About 7 years experience of Poulty Development or Poultry Research or Poultry Teaching in a responsible capacity of which at least 4 years should be in teaching and research. |

| | |
|---|---|
| | 3. Experience in the management and administration of large poultry farms. qualifications relaxable at UPSC's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable :*<br>1. Doctorate in any branch of Poultry Science.<br>2. Knowledge of poultry development programme in advanced countries and association with foreign experts. |
| (d) Has the post been advertised by the Commission in the past ? if so, please quote Commission's reference No. | No. |
| 9. If direct recruitment is not proposed as a method, please state why it is not considered desirable/possible necessary. | Not applicable. |
| 10. (a) If promotion and direct recruitment are both proposed as methods of recruitment, will the educational qualifications proposed for direct recruits apply in case of promotees ? | Not applicable. |
| (b) If not, to what extent are the educational qualifications proposed to be relaxed in case of promotees. | Not applicable. |
| 11. (a) Is deputation/transfer proposed as a method of recruitment ? If so, please state the reasons for the proposal. Please state clearly whether deputation or transfer or both are proposed. | Not applicable. |
| (b) The percentage of vacancies proposed to be filled by this method. | Not applicable. |
| (c) the period to which deputation will be limited. | Not applicable. |
| (d) The names of posts of grades or services from which deputation/transfer is proposed. (of M.H.A.O.M. No. 2/26/60-Estt (D) dated 19-2-1960. | Not applicable. |
| 12. If any of the methods proposed fails, by which method are such vacancies proposed to the filled. | In view of S. No. 5 such a contingency is not likely to arise. |
| 13. Special circumstances, if any other than these covered by the rules, in which the Commission may be required to be consulted. | Nil. |
| 14. if these proposeals are being sent in response to any reference from the Commission, please quote Commission's reference No. | No. |
| 15. Name, address and telephone numbers of the Ministry's representative with whom these proposalsmay be discussed, if necessary, for clarification early descision. | Shri S. N. Tatwani, Under Secretary, Department of Agriculture Tel. No. 382206. |

[No. 13-16/71-LD.T

**G.S.R. 206.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Regional Poultry Farms (Class III and Class IV (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Regional Poultry Farms (Class III and Class IV Non-gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Regional Poultry Farms (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1965, for item 6 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

SCHEDULE

*Recruitment Rules for Various Posts in the office of the Regional Poultry Farm*

| Sl. No. | Name of posts | No of posts. | Classification of posts. | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruitment. | Educational & other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Head Clerk | 3 | General Central ServiceClass III Non-gazetted Ministerial. | Rs. 210—10—200—15—320—EB—15—380 | Selection post. | Not applicable | Not applicable. |

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of appointment made by promotion/ transfer. | Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer & percentage of vacancies to by filled by various methods. | In case of promotion, deputation or transfer grades or sources from which promotion, transfer or deputation to be made. | Composition of D.P.C. | Circumstances in which UPSC is b econsulted in making the recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years] | 50% by promotion 50% by transfer on deputation | *Promotion* U.D.Cs. in the Regional Farms with 7 years regular service in the grade.<br>*Deputation.* U.D.Cs. in the Subordinate offices of the Department of Agriculturewith years regular service in the grade (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class III D.P.C. | Not applicable. |

[No. 13-17/71-LD.I.]

S. N. TULSIANI, Under Secy.

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 17th January 1972*

G.S.R. 207.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Secretary, Assistant Secretary and Research Officer in the Metropolitan Transport Team in the Planning Commission, namely:

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Planning Commission (Secretary, Assistant Secretary and Research Officer, Metropolitan Transport Team) Recruitment Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or post.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the posts of Secretary, Assistant Secretary and Research Officer in the Metropolitan Transport Team, Planning Commission*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-Selection Post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recuits will apply in the case of Promotees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Secretary | 1 | General Central Service Class I Gazette | Rs. 900—50—1250. | Not applicable | Not applicable | Not Applicable | Not applicable |

| Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by the various methods. | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | By transfer on deputation | *Transfer on deputation* :<br>(*i*) Grade III Officers in the Indian Economic Service with 2 years service in the grade, or (*ii*) Grade IV Officers of the service with 7 years' service in the grade having adequate experience in handling problems relating to transport preferably Metropolitan Transport.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Assistant Secretary | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 700—40—1100 | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Not applicable | By transfer on deputation | *Transfer on deputation* :<br>Officers holding analogous posts or Class I Officers with 5 years service in posts in the scale of Rs. 400-950 or equivalent, under the Central Government and having experience in the handling of problems relating to transport preferably Metropolitan Transport.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Research Officer | 3 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|---|
| Not applicable | By transfer on deputation | *Transfer on deputation* :<br>Officers holding analogous posts or Class II Officer with 3 years service in posts in the scale of Rs. 350—900 or with 5 years service in post in the scale of Rs. 325—575 or equivalent under the Central Government and having experience in the hand ling of problems relating to transport preferably Metropolitan Transport.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission. (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. A. 12018/12/70-ADM.I.]

N. K. AGGARWAL Under Secy.

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 207.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, योजना आयोग में महानगर परिवहन टीम में सचिव, सहायक सचिव और अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम योजना आयोग (सचिव, सहायक सचिव और अनुसंधान अधिकारी, महानगर परिवहन टीम) भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, और अन्य अर्हताएं**:—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

5. **निरर्हताएं** .—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

6. **शिथिलकरने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयनपद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. सचिव | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग I) राजपत्रित | 900—50—1250 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय समिति है तो उसकी सरचना | प्रोन्नति भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (10) | (11) | (12) | (13) |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण<br>(i) भारतीय आर्थिक सेवा के श्रेणी 3 के अधिकारी जिनकी श्रेणी मे दो वर्ष की सेवा हो या<br>(ii) सेवा के श्रेणी 4 के अधिकारी को जिनको परिवहन सम्बन्धी समस्याओ को अधिमानत. महानगर परिवहन की, सभालने के उपयुक्त अनुभव सहित श्रेणी मे सात वर्ष की सेवा हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अनधिक) | लागू नही होता | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 सहायक सचिव | एक | यथोक्त | 700–40–1100रू० | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण<br>केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पर धारण करने वाले अधिकारी या 400–950 रु० के वेतन मान में या समतुल्य पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले वर्ग 1 के अधिकारी जिन्हें परिवहन सम्बन्धी समस्याओ का, अधिमानत: महानगर परिवहन टीम, को सम्भालने का अनुभव हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 3 वर्ष से अनधिक) | यथोक्त | यथोक्त |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. अनुसंधान अधिकारी | तीन | यथोक्त | रु० 400–400–450 30–600–35–670–द०रो०–35–950. | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त | यथोक्त |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| यथोक्त | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण<br>केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद पर धारण करने वाले अधिकारी या 325–575 रु० के वेतन मान में या समतुल्य पद पर 5 वर्ष की सेवा वाले वर्ग 2 के अधिकारी जिन्हें परिवहन सम्बन्धी समस्याओं का, अधिमानतः महानगर परिवहन टीम, को सम्भालने का अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक) | यथोक्त | यथोक्त |

[सं० फा० ए०–12018/12/70-ए डी एम–1]

एन० के० अग्रवाल, अवर सचिव।

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

*New Delhi, the 17th January 1972*

**G.S.R. 208.**—The following draft of rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published, as required by section 14 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. These rules may be called the Aircraft (. . . . . Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule VIII dealing with Licensing of Air Transport, under the subheading 'C Aircrews', paragraph 2 shall be omitted.

[No. F. Av. 11012/7/71-A.]

---

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 208**—वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिन्हें वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार करती है : उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिन पर उसका प्रभाव पड़ना सभाव्य है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से यदि कोई आक्षेप या सुझाव इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के पूर्व प्राप्त होंगे तो उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. ये नियम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

2. वायुयान नियम, 1937, में वायु परिवहन अनुज्ञापन से संबंधित अनुसूची 8 में उप-शीर्षक 'सी-विमान क्रमिक' के अन्तर्गत पैराग्राफ 2 को निकाल दिया जाएगा।

[सं०फा एवी.11012/7/71-ए]

**G.S.R. 209.**—The following draft of rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

*DRAFT RULES*

1. These rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937, in rule 24-B, after the words "Director-General" the words "the Deputy Director General, the Director of Regulations and Information or any other officer of the Civil Aviation Department authorised by the Central Government" shall be inserted.

[No. F. 10-A/34-70.]

सा०का०नि० 209—वायुयान नियम, 1937, में और आगे संशोधन करने वाले नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार इससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारुप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात विचार किया जायेगा।

उक्त प्रारूप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व किसी व्यक्ति से जो कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होगें उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

### प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम वायुयान (.....संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम, 1937, के नियम 24-ख में "महानिदेशक" शब्द के पश्चात "उप महानिदेशक, विनियम और सूचना निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत, नागर विमानन विभाग के किसी अन्य अधिकारी" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[सं० फा० 10-ए/ 34-70]

*New Delhi, the 18th January 1972*

**G.S.R.210.**—The following draft of rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affeced thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

*DRAFT RULES*

1. These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), for sub-rule (1) of rule 48, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The following fees shall be paid for the issue, renewal, validation or re-validation of licences and rating or the issue of duplicate licence and for the tests and examination for such licences and ratings:—

| Description of licence/rating | Fee for Technical examinations. | Fee for issue, validation, renewal or re-validation and issue of duplicates. |
|---|---|---|
| | Rs. | Rs. |
| 1. Student Pilot's Licence | 30 | 15 |
| 2. Private Pilot's Licence | 30 | 15 |
| 3. Commercial Pilot's Licence | 60 | 30 |
| 4. Senior Commercial Pilot's Licence | 90 | 30 |
| 5. Airline Transport Pilot's Licence | 90 | 30 |
| 6. Instrument Rating | 45 | 15 |
| 7. Assistant Flight Instructor's Rating | 30 | 15 |
| 8. Flight Instructor's Rating | 45 | 15 |
| 9. Extension of aircraft rating for each type | 15 | 15 |
| 10. Glider Pilot's Licence | 15 | 15 |
| 11. Student Navigator's Licence | 90 | 15 |
| 12. Flight Navigator's Licence | 90 | 30 |
| 13. Student Flight Engineers Licence | 90 | 15 |
| 14. Flight Engineers' Licence | 90 | 30 |
| 15. Flight Radio Telephone Operator's Licence—Provisional | 30 | 15 |
| 16. Flight Radio Telephone Operators Licence | 30 | 30 |
| 17. Flight Radio Operator's Licence—Provisonal | 60 | 15 |
| 18. Flight Radio Operator's Licence | 60 | 30" |

3. In the said rules, under sub-rule (1) of rule 62, for the entries under "Aircraft Maintenance Engineer's Licence", the following entries shall be substituted, namely :—

| " *Aircraft Maintenance Engineer's Licence.* | Rs. |
|---|---|
| For the Licence— | |
| Issue, renewal or issue of duplicate licence | 30 |
| For each separate technical examination—When required before issue, renewal or extension— | |
| (*i*) One Category | 75 |
| (*ii*) Two Categories | 105 |
| (*iii*) Each Additional Category | 45 |
| (*iv*) Additions of types of aircraft engines, instruments, accessories or equipment to those already endorsed on the licence for each category in which additions are required | 45" |

[No. F. Av.11012/10/71-A.]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 1972

**सा०का०नि०210**—वायुयान नियम, 1937, में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित प्रारुप नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14की अपेक्षानुसार, उनसे संभाव्यत: प्रभावित होने वाल सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात विचार किया जायेगा।

उक्त प्रारुप की बाबत इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व किसी व्यक्ति से जो कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

**प्रारूप नियम**

1. इन नियमों का नाम वायुयान (———संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 48 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अनुज्ञप्तियों और रेटिंग के जारी करने, पुनर्नवीकरण, विधिमान्यकरण या पुनर्विधिमान्यकरण या अनुज्ञप्तियों की दूसरी प्रति जारी करने और ऐसी अनुज्ञप्तियों और रेटिंग के परीक्षणों और परीक्षाओं के लिए निम्नलिखित फीस संदत्त की जाएगी :—

| अनुज्ञाप्ति / रेटिंग का प्रकार | तकनीकी परीक्षाओं के लिए फीस | जारी करने, विधिमान्यकरण, नवीकरण या पुनर्विधिमान्यकरण के लिए और दूसरी प्रतियां जारी करने के लिए फीस |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | रु० | रु० |
| 1. छात्र पाइलट अनुज्ञप्ति . . | 30 | 15 |
| 2. प्राइवेट पाइलट अनुज्ञप्ति . . | 30 | 15 |
| 3. वाणिज्यिक पाइलट अनुज्ञप्ति . | 60 | 30 |
| 4. ज्येष्ठ वाणिज्यिक पाइलट अनुज्ञप्ति . | 90 | 30 |
| 5. एयरलाइन परिवहन पाइलट अनुज्ञप्ति | 90 | 30 |
| 6. इंस्ट्रूमेंट रेटिंग . . | 45 | 15 |
| 7. सहायक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग . | 30 | 15 |
| 8. फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग . . | 45 | 15 |
| 9. प्रत्येक टाइप के लिए वायुयान रेटिंग का विस्तारण . . . | 15 | 15 |
| 10. ग्लाइडर पाइलट अनुज्ञप्ति . . | 15 | 15 |
| 11. एयर मार्ग निर्देशक अनुज्ञप्ति .. | 90 | 15 |
| 12. फ्लाइट मार्ग निर्देशक अनुज्ञप्ति . | 90 | 30 |
| 13. छात्र फ्लाइट इंजीनियर अनुज्ञप्ति | 90 | 15 |
| 14. फ्लाइट इंजीनियर अनुज्ञप्ति | 90 | 30 |
| 15. फ्लाइट रेडियो टेलीफोन आपरेटर अनुज्ञाप्ति अनन्तिम . . . | 30 | 15 |
| 16. फ्लाइट रेडियो टेलीफोन आपरेटर अनुज्ञप्ति . . . | 30 | 30 |
| 17. फ्लाइट रेडियो आपरेटर अनुज्ञप्ति-अन्तिम | 60 | 15 |
| 18. फ्लाइट रेडियो आपरेटर अनुज्ञप्ति" . | 60 | 30" |

3. उक्त नियमों मे, नियम 62 के उपनमिय (1) के अन्तर्गत, "वायुयान अनुरक्षण इजीनियर अनुज्ञप्ति" के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"वायुयान अनुरक्षण इंजीनियर अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति के लिए —

जारी करना, पुनर्नवीकरण या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी करना 30

प्रत्येक अलग तकनीकी परीक्षा के लिए —

जारी करने, पुनर्नवीकरण या विस्तारण से पूर्व,

जब अपेक्षित हो —

(i) एक प्रवर्ग 75

(ii) दो प्रवर्ग 105

(iii) प्रत्येक अतिरिक्त प्रवर्ग 45

(iv) प्रत्येक प्रवर्ग के लिए, जिसमें परिवर्धन की अपेक्षा है, अनुज्ञप्ति पर पहले से ही पृष्ठांकित इंजनों, उपकरणों, वायु-यान उपसाधनों या उपस्कर में वायुयान इंजनों, उपकरणो, उपसाधनों या उपस्कर का परिवर्धन

[सं० फा० ए० वी० 11012/10/71 ए]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप सचिव ।

---

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

*New Delhi, the 1st January 1972*

**G.S.R. 211.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer in the Central Hydro-electric Projects Control Board under the Ministry of Irrigation and Power, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Central Hydro-electric Projects Control Board) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5 **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of Financial Adviser and Chief Accounts Officer in the Central Hydro-electric Projects Conrol Board under the Ministry of Irrigation and Power*

| Name of post | Number of posts. | Classification | Scale of pay. | Whether selection post or non-Selection post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Financial Adviser and Chief Acounts Officer. | 1 | General Central Seryice, Class I, Gazetted. | Rs. 1800—100—2000—125—2250. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, only. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation:* Officers belonging to the Indian Audit and Accounts Service having a minimum of 16 years' service as a Class I Officer and holding posts not below the rank of Senior Deputy Accountant General or Officers of the same length of service holding equivalent posts in the Indian Railway Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, or Posts and Telegraphs Accounts and Finance Service. (*Period of Deputation.* Ordinarily not exceeding 5 years.) | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

[No. 1/72—F. 6/2/71-C.M.]

M. S. PATHAK, Under Secy.

## सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 211.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सिंचाई और विद्युत्त मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय जल-विद्युत्त परियोजना नियत्रण बोर्ड मे वित्तीय सलाहकार और लेखा अधिकारी के पद पर भर्ती के तरीके का नियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामश —

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** —(1) ये नियम वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी , केन्द्रीय जल तथा विद्युत्त परियोजना नियत्रण बोर्ड भरती नियम, 1972 के नाम से कहे जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इसके साथ लगी अनुसूची के स्तम्भ 1 मे उल्लिखत पदो मे भरती के लिए लागू होगे ।

3. **संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद की सख्या, उसका वर्गीकरण और वेत्तनमान वही होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2–4 मे निर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती का तरीका और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद के लिए भर्ती का तरीका, अर्हताए और उनसे सबधित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5–13 में निर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हताएं.**—जिस व्यक्ति ने (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है जिसका/जिसकी एक पति/पत्नी जीवित है अथवा (ख) पति के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है , वह किसी भी उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम की प्रयुक्ति से अवमूक्त कर सकती है यदि वह इस बात से सतुष्ट हो कि जाए यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह से सबधित अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुमेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी है ।

6. **शिथिलिकरण का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह आदेश जारी करके, कारणों को लिख कर बनाते हुए, सघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, किसी भी वर्ग और श्रेणी के व्यक्ति के सम्बन्ध मे, किसी भी उपबन्ध का शिथिलीकरण कर सकती है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद चयनात्मक है अथवा अचयनात्मक | सीधी भरती के लिए आयु | सीधी भरती के लिए अपेक्षित शिक्षा सबधी तथा अन्य अर्हताए | क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालो पर लागू होगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 राजपत्रित | रु० 1800-110-2000-125-2250 | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |

| परिवीक्षा के लिए अवधि यदि कोई है | भरती का तरीका-क्या भरती सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न तरीको द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की प्रतिशत | यदि भरती पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/पदान्तरण द्वारा की जानी है तो उन ग्रेडो के नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियक्ति/पदान्तरण किया जाना है | यदि पदोन्नति की कोई विभागीय समिति है तो उस की बनावट | परिस्थितियां जिन में सघ लोक सेवा आयोग की भरती करने में सलाह ली जानी है |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही | पदान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्त पर | **प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण**<br>भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के वे अधिकारी, जिनकी प्रथम श्रेणी के अधिकारी के पद पर कम से कम 16 वर्षों की सेवा हो और जो वरिष्ट उपमहा लेखाकार के ओहदे से कम पद पर न हों या वे अधिकारी जो भारतीय रेलवे लेखा-सेवा भारतीय रक्षा-लेखा सेवा या डाक-तार लेखा और वित्त-सेवा में समकक्ष पदों पर उतनी ही लम्बी अवधि की सेवा वाले हों।<br>(प्रतिनिक्युति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नही होता | जैसे संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

[सं० 1/72—एफ० 6/2/71 सी० एम०]

मूल शंकर पाठक,
अवर सचिव।

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R. 212.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class II (Gazetted) Statistical posts in the Ministry of Irrigation and Power, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Irrigation and Power Class II (Statistical Posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply for recruitment to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

Provided further that candidates belonging to any of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for selection to the post/Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

5. **Disqualification.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons/posts.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules the post of* (1) *Extra Assistant Director (Statistics) Indus Waters Wing &* (2) *Extra Assistant Director (Statistics) Ganga Basin Ministry of Irrigation and Power.*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-Selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Extra Assistant Director (Statistics) Indus Waters Wing. | 1 (One) | General Central Service Class II Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 35 years (Relaxable for Govt. servants). | *Essential* :<br>(i) Master's degree in Statistics or in Mathematics or Economics or Commerce (with Statistics) of arecognised University or equivalent.<br>OR<br>Degree of a recognised University with Statistics or Mathematics or Economics as a subject, plus a recognised Diploma obtained after at least two years post-graduate training in Statistics.<br>(ii) About 4 years expetience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation of Statistical data preferably connected with hydrology and Irrigation<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age : No. Qualifications: To the extent indicated in Col. 11. | Two years | By promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion* :<br>Research Assistants in the Indus Waters Wing with 8 years service in the grade rendered after appointment there to on a regular basis and possessing Degree of a recognised University. | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under U.P.S.C (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Extra Assistant Director (Statistics) Ganga Basin Wing. | 1 | General Central Service, Class II gazetted non-ministerial. | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 35 years (Relaxable for Govt. Servants). | *Essential* :<br>(i) Master's degree in statistics or in Mathematics or Economics or Commerce (with statistics) of a recognised University or equivalent.<br>OR<br>Degree of a recognised University with Statistics or Mathematics or Economics as a subject, plus a recognised Diploma obtained after at least two year's post-graduate training in statistics.<br>(ii) About 4 years experience of Statistical work involving collection, compilation of statistical data, preferably connected with hydrology and Irrigation.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Age* : No.<br>*Qualifications*:<br>To the extent indicated in Col. II. | Two years | By promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion* :<br>Research Assistants in Ganga Basin Wing with 8 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis and possessing degree of a recognised University. | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under U.P.S.C. (Exemption Consultation) Regulation 1958. |

[No. F. 3/8/67-Adm. II (Vol. II)]

G. K. DOGRA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी 1972

**जी० एस० आर० 212.**—संविधान के अनुच्छेद 809 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सिंचाई और विद्युत मंत्रालयमें श्रेणी II (राजपत्रित) सांख्यिकीय पदों पर भरती के तरीके का नियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, श्रेणी II (सांख्यिकीय पद) भर्ती नियमावली, 1972 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना.**—यह नियम सलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों पर भरती के लिए लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंध वेतनमान वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 से निर्दिष्ट होंगे ।

4. **भरती का तरीका, आयुसीमा, शैक्षिक अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भरती का तरीका आयु-सीमा शैक्षणिक अर्हताएं तथा इससे सम्बन्धित बातें वही होंगी जो कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं :

बशर्ते कि सीधी भरती के लिए निर्धारित अल्पतम आयुसीमा अनुसूचित जातियोंतथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये सामान्य आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकेगी ।

बशर्ते यह भी कि आरक्षित के टे में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा शिथिल किए गये मानक के आधार पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिए अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित उतने ही रिक्त पदों के लिए सिफारिश की जा सकेगी जो कि सामान्य मानक के आधार पर भरे न जा सकते हों ; किन्तु उसके साथ शर्त यह होगी कि पद/सेवा पर चयन के लिए ये अभ्यर्थी योग्य हों ; और ऐसा करते समय परीक्षाफल में उनके योग्यता क्रम का ख्याल नहीं किया जाएगा ।

5. **अनर्हताएं.**—जिस व्यक्ति ने (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है अथवा (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है वह उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम की प्रयुक्ति से अवमुक्त कर सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं ।

6. **शिथिलीकरण का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह आदेश जारी करके कारण लिखकर बताते हुए और संघलोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों/पदों के संबंध में इस नियमावली के किसी भी उपबंध का शिथिलीकरण कर सकती है ।

अनु-

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के (1) सिंध जल स्कंध में अतिरिक्त सहायक निदेशक सांख्यकी और (2) गंगा बेसिन स्कंध में अतिरिक्त

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद चयनात्मक है अथवा अचयनात्मक | सीधी भरती के लिए आयु | सीधी भरती के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 अतिरिक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकी) सिंध जल स्कंध | 1 (एक) | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–2 राजपत्रित; गैर-मंत्रिमंडलीय | रु० 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 | चयन | 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए इसमें शिथिलता की जा सकती है) | अनिवार्य<br>किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में एम० ए० अथवा इसके बराबर की डिग्री।<br>अथवा<br>मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री जिसमें सांख्यिकी अथवा गणित अथवा अर्थशास्त्र एक विषय हो। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी में कम से कम दो वर्ष का स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने के पश्चात् मान्यताप्राप्त डिपलोमा।<br>(2) सांख्यिकीय कार्य में लगभग 4 वर्ष का अनुभव जिसमें सांख्यिकीय आकड़ों का एकत्रण संकलन और निर्वचन कार्य निहित हो। बेहतर यह होगा कि यह कार्य जल विज्ञान और सिंचाई में संबंधित हो। |

सूची

सहायक निदेशक (सांख्यिकी) के पदों के लिए भर्ती नियम

| क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालों पर लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है | भरती का तरीका क्या भरती सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रति-नियुक्ति/पदान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भरती पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/पदान्तरण द्वारा की जानी है तो उन ग्रेडों के नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण किया जाना है | यदि पदोन्नति की कोई विभागीय समिति है तो उस की बनावट | भरती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह ली जानी है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु-सीमा कोई नहीं। कालम 11 में बताई गई सीमा तक। | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भरती द्वारा | **पदोन्नति :** सिंधु जल स्कंध में वे अनुसंधान सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8 साल सेवा की हो और जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री हो। | श्रेणी–2 विभागीय पदोन्नति समिति | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 के अंतर्गत अपेक्षित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (यदि अभ्यर्थी की अर्हता अन्यथा बहुत हो तो इन अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है) |
| 2. अतिरिक्त सहायक निदेशक (सांख्यिकी) गंगा बेसिन स्कंध | 1 | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— | —वही— |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| —वही— | —वही— | —वही— | पदोन्नति<br>गंगा बेसिन स्कंध के वे अनुसंधान सहायक जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद ग्रेड में 8 वर्ष सेवा की हो और जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री हो। | —वही— | —वही— |

[सं० फा० 3/8/67-प्रशासन-दो (जिल्द-दो)]

गोपाल कृष्ण डोगरा, उप सचिव।

---

*New Delhi, the 20th January 1972*

G S R 213.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Secretary (Power) in the Ministry of Irrigation and Power, namely —

1 **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Irrigation and Power; Joint Secretary (Power) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto

3 **Number, Classification and Scale of Pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4 **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5 **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of joint Secretary (power) in the Ministry of Irrigation and power*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scales of pay | Whether selection post or non-Selection post | age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Joint Secretary (power) | 1 | Genral Central Service Class I Gazetted | Rs. 2500—125/5 2—2750 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any | Method of rectt whether by direct recruitment/ or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ot applicable | Not applicable | By transfer on deputation (including short term contarct) | *Transfer on deputation*<br>From amongst Officers of the Central/State Govts. holding posts of or ebove the rank of Chiecf Electrical Engineering with atleast 20 years service in Class I or equivalent posts and possessing the following qualifications:<br>*Essential—*<br>Wide experience in planning, development, construction, operation and mainteance of Power projects and systems.<br>*Desirable—*<br>(i) Experience of Secretariat work (ii) Knowledge of Electricity laws in India.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 5 years).<br>*Short term contract*<br>From amongst officers of State Electricity Boards or such other Govt./ Semi Govt. Organisations holding posts of or above the *rank* of Chief Electrical Engineer with at least 20 years service in posts equivalent to Class I and possessing the essential and desirable qualifications mentioned above under the heading "Transfer on deputation". (Period of short term contract—ordinarily not exceeding 5 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultations) Regulations, 1958. |

(No. F. A. 12018/5/70-Adm.II.

A. S. SHARMA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 1972

**जी०एस०आर० 213**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विद्युत) के पद पर भरती के तरीकों का नियम करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामशः

(1) **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) ये नियम संयक्त सचिव (विद्युत), सिंचाई और विद्युत मंत्रालय भरती नियामवली 1972 के नाम से कहें जाएं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इसके साथ लगी अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित पद के लिए लागू होंगे :

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2–4 में निर्दिष्ट है।

4. **भरती का तरीका आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद के लिए भरती का तरीका आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे संबंन्धित अन्य बातें वही होगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हताएं.**—जिस व्यक्ति ने—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है जिसका/जिसकी एक पति/पत्नि जीवित है अथवा

(ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है वह उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नही होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम की प्रयक्ति से अवमुक्त कर सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबंन्धित अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानुन के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं।

6. **शिथिलीकरण का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि एसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह, आदेश जारी करके, कारणों को लिखकर बताते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामश करके, किसी भी वर्ग और श्रेणी के व्यक्तियों के सम्बन्ध में किसी भी उपबंध का शिथिलीकरण कर सकती है।

अनु

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (विद्युत)

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद चयनात्मक है अथवा अचयनात्मक | सीधी भरती के लिए आयु | सीधी भरती के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालों पर लागू होंगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| संयुक्त सचिव | 1 (एक) | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी एक राजपत्रित | रु० 2500-125/2 2750. | लागू नही | लागू नही | लागू नही | लागू नही |

सूची

के पद के भरती के नियम

| परिवीक्षा के लिए अवधि, यदि कोई है | भरती का तरीका तथा क्या भरती सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ पदान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भरती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा की जानी है तो उन ग्रेडों के नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण किया जाना है | यदि पदोन्नति की कोई विभागीय समिति है तो उस की बनावट | परिस्थितियां जिन में संघ लोक सेवा आयोग की भरती करने में सलाह ली जानी है |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण (अल्पकालीन) करार सहित) | **प्रतिनियुक्ति पद पर पदान्तरण**<br>केन्द्रीय/राज्य सरकारों के उन अधिकारियों में से जो श्रेणी-एक में अथवा समकक्ष पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा सहित मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर अथवा उससे किसी ऊंचे पद पर रहे हों और जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हों :—<br>अनिवार्य :—विद्युत परियोजनाओं और प्रणालियों के आयोजन, विकास, निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में व्यापक अनुभव ।<br>वांछनीय :—<br>(i) सचिवालयीय कार्य का अनुभव<br>(ii) भारत के विद्युत संबंधी कानूनों का ज्ञान (प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी)<br>**अल्पकालीन करार :**<br>राज्य विद्युत बोर्डों या इसी प्रकार के अन्य सरकारी/अर्ध सरकारी संगठनों के उन अधिकारियों में से जो श्रेणी-एक के समकक्ष पदों में कम से कम 20 वर्ष की सेवा सहित मुख्य विद्युत अभियंता के पद पर अथवा उससे किसी ऊंचे ओहदे पर रहे हों | लागू नही | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट नियमावली, 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| | | और जिनके पास वे अनिवार्य और वांछनीय अर्हताएं हों जो "प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण" शीर्षक के अंतर्गत उल्लिखित है। | (अल्पकालीन करार की अवधि—आमतौर पर 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | |

[सं० फा० ए० 12018/5/70-प्रशा०-दो]

आनन्द स्वरूप शर्मा, संयुक्त सचिव ।

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (Railway Board)

*New Delhi, the 25th January 1972*

**G.S.R. 214.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Editor, Indian Railways in the Ministry of Railways (Railway Board), namely:—

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Railway Board (Editor, Indian Railways) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHE

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-Selection post. | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Editor, Indian Railways | One | Indian Railway Service Class I Miscellaneous posts. | (1) Senior Scale plus Special pay of Rs. 200 P.M. for those appointed by transfer on deputation from among Senior Scale Officers.<br>(2) Rs. 700—40—1100 50/2—1250 for others | Not applicable | 40 years (Relaxable for Govt. servants). | *Essential* :<br>(*i*) Master's degree of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 5 years experience in Journalisation editorial work on a high class magazine or newspaper particularly lay out and re-write work under Government or a newspaper or News Agency or Publicity Organisation of repute.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>(*i*) Wide general Knowledge and acquaintance with Indian and World Affairs.<br>(*ii*) Experience in responsible capacity on the business side of a magazine or newspaper of repute<br>(*iii*) Degree or Diploma in Journalism of a recognised University or Institution. |

DULE

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made. | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 |
| Not applicable | 2 years | Bytransfer on deputation failing which by direct recruitment. | *Tranfer on deputation* :<br>Officers holding analogous posts or officers with 5 years service in posts in the scale or Rs. 400—950 or with 8 years service in the scale of Rs. 350—900 or equivalent in the Indian Railways and possessing the qualifications mentioned in column 7.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As requried under the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. ERBI/69/AP7/5.]

V.P.SAWHNEY, Secy. Railway Board & *Ex-Officio* Jt. Secy.

## रेल मंत्रालय

## (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 214—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में सम्पादक भारतीय रेल के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.—(1) ये नियम रेलवे बोर्ड (सम्पादक, भारतीय रेल) भर्ती नियम 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भरती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि**.—भर्ती की विधि आयुसीमा, अर्हताएं और उससे सम्बद्ध अन्य विषय वही होंगे जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है।

4. **अनर्हताएं**.—कोई भी ऐसा व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है जिसका/की पति/पत्नी जीवित है ; अथवा

(ख) जिसने एक पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनमय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित है अथवा समीचीन है, तो वह, लिखित कारण देते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग या व्यक्ति समुदय के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों को शिथिल कर सकती है।

अनु-

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सम्पादक, भारतीय रेल | एक | भारतीय रेल सेवा श्रेणी II विविध पद। | वरिष्ठ वेतनमान—उनके लिए 200 रु० मासिक विशष वेतन, जो वरिष्ठ वेतन-मान अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये गये हों। | लागू नहीं होता। | 40 वर्ष (सरकारी सेवकों के बारे में छूट दी जा सकती है) | अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोतर डिग्री या समकक्ष<br>(ii) किसी उच्च श्रेणी की पत्रिका या समाचार पत्र में पत्रकारिस या सम्पादकीय कार्य में—विशेषतः सरकार या प्रतिष्ठित किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी या प्रचार संगठन में अभिन्यास और पुनर्लेखन कार्य का लगभग 5 वर्ष का अनुभव<br>(अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के बारे में आयोग के स्वीवेक पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)।<br>वांछनीय :<br>(i) भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय विषयों का व्यापक सामान्य ज्ञान और जानकारी।<br>(ii) किसी प्रतिष्ठित पत्रिका या समाचारपत्र के व्यावसायिक विभाग में उत्तरदायित्वपूर्ण क्षमता में अनुभव।<br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पत्रकारिया डिग्री या डिप्लोमा। |

सूची

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होंगी | परिवीक्षा काल यदि कोई हो | भर्ती की विधि, सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो, उसका गठन | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा इसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। सादृश्य पदधारी अधिकारी अथवा 400–950 रु० के वेतनमान के पदों पर 5 वर्ष की सेवा अथवा 350–900 रु० के वेतनमान या भारतीय रेलों पर समतुल्य वतनमान में 8 वर्ष की सेवा वाले और कालम 7 में उल्लिखित अर्हताएं रखने वाले अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक न होगी।) | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथापेक्षित। |

[सं० ई० आर० बी I 69/ए०पी० 7/5]

वेद प्रकाश साहनी, सचिव रेलवे बोर्ड और पदेन संयुक्त सचिव।

*New Delhi, the 28th January 1972*

**G.S.R. 215.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Service Commissions (Chairmen Member-Secretaries and Assistant Secretaries) Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (i) These rules may be called the Railway Service Commissions (Chairmen, Member-Secretaries and Assistant Secretaries) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Service Commissions (Chairmen, Member-Secretaries and Assistant Secretaries) Recruitment Rules, 1970, in rule 8, for the words "relax any of the provisions of these rules with respect of," the words and figures "relax any of the provisions of these rules, other than rules 5 and 6, with respect of" shall be substituted.

[No. 71/E(GR)I/25/2]

नई दिल्ली, 28 जनवरी 1972

**जी० एस० आर०** 215—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य सचिव और सहायक सचिव) भर्ती नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम रेल सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सहायक सचिव) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. रेल सेवा आयोग (अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और सहायक सचिव) भर्ती नियम, 1970 के नियम 8 मे, "के सम्बन्ध मे इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन" शब्दों के स्थान पर "के सम्बन्ध में नियम 5 और 6 के सिवाय, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० 71/ई०(जी० आर०)I/25/2]

*New Delhi, the 2nd February 1972*

**G.S.R. 216.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to a Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of superintendent (Legal) in the Ministry of Railways (Railway Board), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Board (Superintendent, Legal) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Superintendent (Legal) | One | Indian Railway Service Class II Miscellaneous posts. | Rs. 620—30—830 | Selection | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rect or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation | *Promotion* : Chief Law Assistant with 8 yrs. service in the grade<br>*Transfer on deputation* Superintendents (Legal) from the Ministry of Law. (Period of deputation-ordinarily not exceeding 3 years) | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. ERBI/70/26/13]
V P. SAWHNEY,
Secy. Railway Board
& *ex-officio* Jt. Secy.

नयी दिल्ली, 2 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 216.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में अधीक्षक (विधि) के पद पर भर्ती की विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ** — (i) ये नियम रेलवे बोर्ड (अधीक्षक, विधि) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतन-मान वही होंगे जो इससे अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3 **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **अनर्हताएं** :—कोई भी व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, जिसकी एक पत्नी/एक पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो, इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत इस प्रकार का विवाह अनुमेय है, और ऐसा करने के अन्य कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित है अथवा समीचीन है, तो वह लिखित कारण देते हुए और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी भी वर्ग या व्यक्ति समुदाय के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों को शिथिल कर सकती है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालो के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालो के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती वालो के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नति व्यक्तियों के मामलों मे भी लागू होंगी | परिवीक्षा-काल यदि कोई हो |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| अधीक्षक (विधि) | एक | भारतीय रेल सेवा श्रेणी II विविध पद | 620–30–830–रू० | प्रवरण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की विधि, सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्त पदो का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती होने की स्थिति में पदक्रम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण होना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो उसका गठन | परिस्थितिया जिनमे भर्ती के सम्बन्ध मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| पदोन्नति द्वारा और इसके अभाव में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण | **पदोन्नति** : मुख्य विधि सहायक जिनकी इस पदक्रम में 3 वर्ष की सेवा हो **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** विधि मंत्रालय से अधिशासी (विधि) (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत. 3 वर्ष से अधिक न होगी ) | श्रेणी II विभागीय पदोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथापेक्षित । |

[सं० ई० आर० बी० 1/70/26/13]

वेद प्रकाश साहनी,
सचिव, रेलवे बोर्ड और
सरकार के पदेन संयुक्त सचिव ।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Expenditure)

*New Delhi, the 1st December 1971*

**G.S.R. 217.**—With reference to para 2 of the Ministry of Finance, Department of Expenditure Notification No. A-12034(1)/71-EGI. dated the 27th March, 1971 the terms and conditions regulating the transfer of persons referred to therein as agreed upon by the Comptroller and Auditor General of India and the Secretary to the Government in the Department or Ministry concerned are indicated below:—

(i) The posts of the C. P. A. O., Sr. Dy. C. P. A. O. and other Class I posts (*viz.* Dy. C. P. & A. Os. and Assistant C. P. A. O.) in the C. P. A. O.'s Organisation will be borne on the carde of the I. A. & A. S. in A. C.'s grade, Junior Administrative Grade and Time Scale respectively.

(ii) The pay & Accounts Officers (Class II-Gazetted) of the C.P.A.O.'s Organisation will continue to be eligible for promotion to the I A & A.S. alongwith Accounts/Audit Officers of the I.A. & A.D. The P.A O's. will be eligible for temporary promotion locally to vacancies of Asstt. Chief Pay and Accounts Officers or equivalent in the scale Rs. 400-1250 "as per the scheme for filling up of vacancies of Assistant Accountants General or their equivalent posts in the Time Scale of the Indian Audit and Accounts Service by temporary promotion of Accounts/Audit Officers introduced in 1964 by the Government of India in the Ministry of Finance".

(iii) The staff of the C.P. & A.O.'s organisation will continue to be permitted to take the S.A.S. examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India.

(iv) The Supply Ministry (Department) shall be the cadre authority for administration of the staff serving in the C.P. &A.O.'s organisation.

[No. A. 12034(1)71-EG.I.]

J. B. P. SINHA, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

### (व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 217.**—वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की अधिसूचना सं० ए-12034(1)/71ई०जी०-1, तारीख 27 मार्च, 1971 के पैरा 2 के प्रति निदेश से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और सरकार के सम्बद्ध विभाग या मंत्रालय के सचिव द्वारा यथा करार पाये गये उसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के स्थानान्तरण का विनियमन करने वाले निबंधन और शर्तें नीचे उपदर्शित की गई हैं :—

(i) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के संगठन में मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी, ज्येष्ठ उप-मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के पद और अन्य वर्ग। पद (अर्थात्, उप-मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी और सहायक मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी) क्रमशः महा लेखापाल की श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और काल वेतनमान में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के काडर में होंगे।

(ii) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारी के संगठन के वेतन और लेखा अधिकारियों का (वर्ग ii–राजपत्रित) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारियों के साथ भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में प्रोन्नति के लिए पात्र होना चालू रहेगा। "लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारियों की अस्थायी प्रोन्नति द्वारा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा के काल वेतन-मान में सहायक महा लेखापालों और उनके समतुल्य पदों की रिक्तियों को भरने के लिए 1964 में वित्त मंत्रालय में, भारत सरकार द्वारा पुनःस्थापित स्कीम के अनुसार" वेतन और लेखा अधिकारी, सहायक मुख्य वेतन और लेखा अधिकारियों या 400–1200 रुपये के वेतनमान में समतुल्य की स्थानिक रिक्तियों में अस्थायी प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(iii) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा में मुख्य वेतन और लेखा अधिकारियों के संगठन के कर्मचारिवृन्द को बैठने की अनुज्ञा बनी रहेगी।

(iv) प्रदाय मंत्रालय (विभाग) मुख्य वेतन और लेखा अधिकारियों के संगठन में सेवा करने वाले कर्मचारिवृन्द के प्रशासन के लिए काडर प्राधिकारी होगा।

[सं० ए०-12034(1)71–ई० जी०–1]

जे० बी० पी० सिन्हा,
अवर सचिव, भारत सरकार।

---

### (Department of Banking)

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 218.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Ministry of Finance, Department of Banking, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Banking) Research Officer Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**— The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid: Provided that the upper age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouce living, or

(b) who, having a spouce living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expendient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SHE

*Recruitment Rules for the post of Research Officer in the*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Research Officer | 5 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 400—40—450—30—600—35—670—EB—35—950 | Selection | 35 years (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(i) Master's degree in Economics or Commerce from a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 3 years experience in the fields relating to agricultural/ Industrial/Public Finance or Banking.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified.)<br>*Desirable* :<br>Evidence of research in any of the above fields |

DULE

*Ministry of Finance (Department of Banking)*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of Probation, if any | Method of recrt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age: No qualifications :yes | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation 20% by transfer on deputation failing which by direct recruitment 20% & by direct recruitment 60% | *Promotion*<br>Economic Investigator in the Department of Banking with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis<br><br>*Transfer on deputation*<br>Section Officers of the Central Secretariat Service with three years service in the grade or officers with at least 5 years service in the scale of Rs. 325—575 or equivalent under the Central Government and having experience in Agricultural/Industrial/ Public Finance or Banking. (Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Class I Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958. |

[No. A. 12023/2/Admn./70]

R. K. SUNDARESAN,
*Dy. Secy.*

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 218:— संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग में अनुसन्धान अधिकारी के पद पर भर्ती की प्रणाली को नियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) अनुसन्धान अधिकारी भर्ती नियमावली, 1972 कहे जायेंगे ।

(2) ये नियम राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयुक्ति** :— ये नियम इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 मे उल्लिखित पद पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** .—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होगा जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट किया जाता है ।

4. **भर्ती का तरीका वय सीमा तथा अन्य अर्हताएं**:—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, वय सीमा, अर्हताये तथा उससे सम्बद्ध अन्य मामले वैसे ही होंगे जैसे कि पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 मे निर्दिष्ट किये गये है : परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों के मामले मे , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार, उपरी वय सीमा मे छूट दी जा सकती है ।

5. **अनर्हताएं** :— कोई व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से शादी अथवा सविदागत विवाह किया हो जिसका जीवन-साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपने जीवन-साथी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से शादी अथवा सविदागत विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति का हकदार नही होगा ,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और शादी की दूसरी पार्टी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनो के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह की अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति** .— जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्ही उपबन्धों मे किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों / पदों के सम्बन्ध मे छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है, वहां उसके लिये वह कारणों का लिखित रूप में अभिलेख करके संघ लोक-सेवा आयोग के परामर्श से छूट दे सकती है ।

7. **छूट** :—इन नियमों मे कोई उपबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर इस सम्बन्ध मे जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और दी जाने वाली रियायतों पर कोई प्रभाव नही डालेंगे ।

## अनुसूची

**वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) में अनुसन्धान अधिकारी के पद के लिये भर्ती नियमावली**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण (सलेक्शन) पद अथवा प्रवरण भिन्न नान-सैलेक्शन) पद | सीधी भर्ती वालों के लिये वय सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अनुसन्धान अधिकारी | 5 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 राजपत्रित । | 400—400—450—30—600—35—670—दक्षतारोध—35—950 | प्रवरण पद | 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट दी जा सकती है) । | अनिवार्य : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा किसी समकक्ष संस्था से अर्थ-शास्त्र अथवा वाणिज्य मे एम० ए० की उपाधि (ii) कृषि/उद्योग/सरकारी वित्त अथवा बैंकिंग के क्षेत्रों में लगभग 3 वर्ष का अनुभव ।<br><br>(अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में उपर्युक्त अर्हताओं में छूट दी जा सकती है) ।<br><br>वांछनीय :<br>उपर्युक्त क्षेत्रों मे यदि कोई अनुसन्धान किया हो तो उसका प्रमाण। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती वालों के लिये निर्दिष्ट आयु सम्बन्धी तथा शैक्षिक अर्हताये पदोन्नति द्वारा रखे जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के मामले मे उन वर्गों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है | वे परिस्थितियां जिनमे भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| पदोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले व्यक्तियों पर आयु सम्बन्धी सीमा लागू नहीं होगी परन्तु शैक्षिक अर्हताये लागू होंगी । | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा और यदि पदोन्नति द्वारा सम्भव हो तो स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर 20 प्रतिशत और स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तिया न की जा सके तो सीधी भर्ती द्वारा 20 प्रतिशत और 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | पदोन्नति :<br>बैंकिंग विभाग के आर्थिक अन्वेषकों में से जिसने उस पद पर नियमित रूप से नियुक्ति के बाद 5 वर्ष सेवा कर ली है ।<br><br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण :<br>केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी जिन्होंने उस पद-क्रम मे तीन वर्ष सेवा कर ली है अथवा 325–575 रुपय के वेतन-मान वाले अथवा उसके समान वेतन-मान वाले केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी जिन्होने 5 वर्ष सेवा कर ली हो और जिनका वित्त/उद्योग/सरकारी वित्त अथवा बैंक कार्य मे अनुभव है। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण तया 3 वर्ष से अधिक नही होगी )। | विभागीय पदोन्नति समिति श्रेणी–1 | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

[सं० ए० 12023/2/ऐडमिनिस्ट्रेशन/70]

आर० के० सुन्दरेसन,
उप-सचिव, भारत सरकार ।

**RESERVE BANK OF INDIA**
**(Exchange Control Department)**
**(Central Office)**

*Bombay, the 13th January 1972*

**G.S.R. 219.**—In pursuance of sub-section (1) of Section 5 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947), the Reserve Bank hereby directs that in the Shedule to its Notification No. F.E.R.A. 119/53-R.B., dated the 30th July, 1953, the entry "Libya" shall be deleted.

[No. F.E.R.A. 253/72-R.B.]

**रिजर्व बैंक आफ इंडिया**

**(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)**

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, 13 जनवरी 1972

**जी० एस० आर० 219.**—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का VII) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अनुसरण में रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देताहै कि उसकी अपनी अधिसूचना सं० एफ० ई० आर० ए० 119/53—आर० बी० तारीख 30 जुलाई 1953 की अनुसूची में से "लीबिया" प्रविष्टि हटा दी जाए ।

[सं० एफ० ई० आर० ए० 253/72 आर० बी०]

**G.S.R. 220.**—In pursuance of clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (VII of 1947) the Reserve Bank hereby directs that in the Schedule to its Notification No. F.E.R.A. 34/47-RB dated the 14th August, 1947, the entry "Libya" shall be deleted.

[No. F.E.R.A. 254/72-R.B.]

(Sd.) Illegible, Dy. Governor.

**जी०एस०आर० 220.**—विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, 1947 (1947 का vii) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह निदेश देता है कि उसकी अपनी अधिसूचना सं० एफ० ई० आर० ए० 34/47—आर०बी० तारीख 14 अगस्त 1947 की अनुसूची में से "लीबिया" प्रविष्टि हटा दी जाए ।

[सं० एफ० ई० आर० ए० 254/72-आर० बी०]

(ह०) अपिठत, उप गवर्नर

**MINISTRY OF WORKS AND HOUSING**

**(Works Division)**

*New Delhi, the 1st February, 1972*

**G.S.R. 221.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineers (formerly known as Sectional Officers) (Civil and Electrical) in the subordinate offices of the Central Public Works Department, namely:—

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Junior Engineers (Civil and Electrical) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**:—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, Classification and Scale of pay**:—The number of posts, classification thereof and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**:—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification**:—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax**:—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving**:—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided f Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by th Central Government from time to time in this regard.

THE SHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age for direct recruits. | Educational and o qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Junior Engineer, (Civil and Electrical) | 3998 (3140 Civil plus 858 Electrical) | General Central Service—Non-Ministerial Class III (Non-Gazetted) | Rs. 180—10—290—EB—15—380 (Graduates in Engineering will start at Rs. 240/- in the scale) | Not applicable | Between 18 years and 25 years | Diploma in Ci Electrical/Mecha nical Engineer from an Insti recognised by Central Gove ment or equival thereof or higher qualifica |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to consulted in ma recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years | 100% direct recruitment through All India Competitive Examination to be held by the Central Public Works Department | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. 9/52/67-EC I

S. N. BANER
Dy. Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली 1 फरवरी 1972

**जी० एस० आर०** 221:—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय लो निर्माण विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ इंजीनियर जिन्हें पहले असिस्टेन्ट अधिशासी कहा जाता था) (सिविल और विद्युत) के पदों भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :— (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय) कनिष्ठ इंजी (सिविल और विद्युत) भर्ती नियम 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होंगे**:—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि**:—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

5. **निरर्हताएं** :— वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों को बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और विद्युत) | 3998 (3140 सिविल और 858 विद्युत) | साधारण केन्द्रीय सेवा अननुसचिवीय वर्ग (अराजपत्रित) | 180—10—290—दरो०—15—380 रु० (इंजीनियरी में स्नातकों का वेतनमान 240 रु० से आरम्भ होगा)। | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच। | केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त किसी संस्थान से सिविल/विद्युत/यान्त्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य या कोई उच्चतर अर्हता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| भर्ती की पद्धति भर्ती/सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत । | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना । | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा । |
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर शत प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नहीं होना । | लागू नहीं होना । | लागू नहीं होना । |

[प० 9/52/67—ई० सी० III]

एस० एन० भार्गी,
उप सचिव, भारत सरकार ।

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 31st January 1972*

**G.S.R. 222.**—In exercise of the powers conferred by the provise to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Directorate General of Health Services (Technical Assistants in the Drugs Standard Control Oranisation) Recruitment Rules 1959, namely:—

1. (i) These rules may be called the Directorate General of Health Services (Technical Assistants in the Drugs Standard Control Organisation) Recruitment (Amendment) Rules, 1972

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Directorate General of Health Services (Technical Assistants in the Drugs Standard Control Organisation) Recruitment Rules, 1959.

(i) after rule 3, the following rules shall be inserted, namely:—

"4. *Disqualification*:

No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. '*Saving*': Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Secheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.";

(ii) in the Schedule,

(a) in column 5 for the entry, the entry "Not applicable" shall be substituted;

(b) in column 8 for the entries, the entry "Not applicable" shall be substituted;

(c) in column 10 for the entry, the entry "100 per cent by direct recruitment" shall be substituted;

(d) in column 11 for the entries, the entry 'Not applicable' shall be substituted.

[N. A.12018/24/71 Estt (P).]

**स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय**

**(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर० 222.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (औषध मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी सहायक) भर्ती नियमावली, 1959 में संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः—

1. (i) ये नियम स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (औषध मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी सहायक) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहलाये जा सकेंगे ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय (औषध मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी सहायक) भर्ती नियमावली, 1959 में,

(i) नियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किये जायेंगे, नामत:—

"4. अनर्हता :—कोई व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका एक पति / जिसकी एक पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) कोई व्यक्ति जो कि पति / पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है / करती है अथवा विवाह की संविदा करता है / करती है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार को यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्त्तन से छूट दे सकती है ।

5. अपवाद :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों तथा अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है इन नियमों में निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ii) अनुसूची में,

(क) स्तम्भ 5 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) स्तम्भ 8 में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ग) स्तम्भ 10 में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर "शत् प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा" प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(घ) स्तम्भ 11 में उल्लिखित प्रविष्टियों के स्थान पर "लागू नहीं होता" प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[सं० ए-12018/24/71—स्थापना (नीति)]

---

*New Delhi, the 2nd February 1972*

**G.S.R. 223.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Officer (Exhibition) Central Health Education Bureau in the Directorate General of Health Services, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services Technical Officer (Exhibition) Central Health Educatin Bureau Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rule.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Technical Officer (Exhibition) | 1 | General Central Service Class II (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. | Not Applicable. | 35 years (Relaxable for Government servants) | *Essential:* (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) About 3 years experience in organising exhibitions. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable:* : (i) Training in the preparation and use of audio-visual aids. (ii) Knowledge of Hindi. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable | 2 years | By direct recruitment | Not Applicable | Not Applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958 |

[No. A. 12018/19/71-Estt(P).]

R. N. SINHA, Under Secy

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 213:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी) के हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है, नामत :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**:—(1) ये नियम स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो भर्ती नियमावली, 1972 कहलाये जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **उपयोजन** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की विधि, आयुसीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

5. **अनर्हता** :—कोई व्यक्ति;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है/करती है अथवा विवाह की संविदा करता है/करती है,

सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले मे इन नियमो के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है ।

7. **अपवाद** :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों तथा अन्य रिआयतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का कोई प्रभाव नही पड़ेगा ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| तकनीकी अधिकारी (प्रदर्शनी) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी—II (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | 350—25—500—30—590—द०रो०—30—800 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) | **अनिवार्य** :<br>(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री अथवा इसके समकक्ष ।<br>(2) प्रदर्शनियों के आयोजन का लगभग 3 वर्ष का अनुभव । (उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)<br>**वांछनीय** :<br>(1) श्रव्य-दृष्य उपकरणों को तैयार तथा उपयोग करने का प्रशिक्षण ।<br>(2) हिन्दी का ज्ञान : |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है। | परिस्थितियां जिनके भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग विनियमावली, 1958 के अधीन अपेक्षित है। (परामर्श से छूट) |

[सं० ए०-12018/19/71-स्थापना (नीति)]

रवीन्द्र नाथ मिन्हा,
अवर सचिव।

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 3rd February 1972*

**G.S.R. 224.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate t method of recruitment to the posts of Tubewell Mistry, Sample Collector, Female Attendant, Carpenter and Joiner at the All-India Institute of Hygiene and Pul l Health, Calcutta, namely —

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Tubewell Mistry, Sample Collector, Female Attendant, Carpenter and Jointer) Recruitment Rules, 1971

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government

5 **Disqualifications** —No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post. | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-selection Post. | Age limit for direct recruit | Education and other qualifications required. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tubewell Mistry | 2(two) | General Central Services (Non-Ministerial) Class IV. | Rs. 70-1-80-1-85. | Not Applicable. | 21—25 years | Literate. At least 3 years experience in sinking and re-sinking of wells and training of hand pump. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation. | Method of recruitment whether by direct, promotion or transfer and precentage of vacancies to be filed by various methods. | In case of recruetment by promotion transfer, grades from which promotion transfer to bemade. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPS is to be consulted in making recruitments. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | Direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. Sample Collector | (One) | General Central Services (Non-Ministerial) Class IV. | Rs. 70-1-80-1-85. | Not applicable. | 21-25 years. | Experience in collection of faeces mainly alongwith other types of samples mainly stools and such other excreta from the field. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | Direct recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Female Attendant | 1(One) | General Central Services (Non-Ministerial) Class IV. | Rs. 70-1-80-1-85 | Not applicable | 21-25 years. | VIII standard or equivalent Experience of work Ladies Hostel or canteen. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years. | Direct Recruitment. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Carpenter | 1(One) | General Central Services (Non-Ministerial, Class IV. | Rs. 85-2-95-3-100. | Not Applicable. | 21-25 years. | Proficiency in carpentry. Experience in assisting setting up Museum Exhibition in a recognised Instt. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not Applicable. | 2 years. | Direct Recruitment | Not applicable | Not applicable. | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joiner | 1 (One) | General Central Services( Non-Ministerial) Class IV. | Rs. 70-1-80-1-85. | Not Applicable | 18-25 years | Experience in plumbing work. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years. | Direct Recruitment. | Not applicable. | Not applicable | Not applicable. |

[No. F. 27-11/71-P.H.]

K. SATYANARAYANA, Under Secy.

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1972.

**सा०का०नि 224.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में नल कूप मिस्त्री, नमूना संचयक, महिला परिचर्या, बढ़ई, जायनगर के पदों पर भर्ती की विधि की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् .—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**:—(1) ये नियम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (नल कूप मिस्त्री, नमूना संचयक महिला परिचर्या, बढ़ई, जायनर) भर्ती नियमावली, 1971 कहलाए जा सकेंगे।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. **उपयोजन** : ये नियम इसके साथ संलग्न अनूसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**: पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मान वही होंगे जैसा कि उक्त अनूसूची के स्तम्भ 3 से 5 में निर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**:—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयू सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनूसूची के स्तंभ 6 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनूसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले मे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. **अनर्हता** : कोई व्यक्ति :

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह को संविदा करता/करती है,

सेवा मे नियुक्ति का पात्र नही होगा।

परन्य केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहा वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है।

7. **अपवाद** : इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनु.

| पद का नाम | पदो की सख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सनैकशन है अथवा नान-सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. नल कूप मिस्त्री | 2 | सामान्य केन्द्रीय सेवा (अनन्-सचिवीय) श्रेणी–4. | 70–1–80–1–85 रु० | लागू नही होता | 21–25 वर्ष | साक्षर / कुए खोदने और पुन खोदन का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव और हैण्ड पम्पो का प्रशिक्षण |
| 2. नमूना सचयक | 1 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | विष्ठा के नमूने खास कर पाखाना और ऐसे ही अन्य मलो जैसे अन्यान्य प्रकार के नमूनो को क्षेत्र से एकत्र करने का अनुभव । |
| 3. महिला परिचर्या | 1 | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | 8वी कक्षा अथवा सम-कक्ष योग्यता । महिला छात्रावास अथवा टीन के कार्य का अनुभव । |
| 4. बढ़ई | 1 | तदैव | 85–2–95–3–110 रु० | तदैव | तदैव | बढई गिरी मे प्रवीणता/ किसी मान्यता प्राप्त सस्थान मे सग्रहालय प्रदर्शनी के आयोजन मे सहायता देने का अनुभव। |
| 5. जायनर | 1 | तदैव | 70–1–80–1–85 रु० | तदैव | तदैव | नलसाजी के कार्य का अनुभव । |

सूची

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रति-नियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है। | परिस्थितियों जिन में भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदव |
| तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव | तथव |
| तदैव | तदव | तदैव | तदैव | तदैव | तदैव |

[स०एफ०27-11/71-जन०सं०]

के० सत्यनारायण,
अवर सचिव,

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 29th January 1972*

**G.S.R. 225.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Film Institute of India (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules 1961, against serial number 16, relating to the post of Lower Division Clerk, in column 5, in condition (b), the words "for the first two examinations to be held under the Scheme" shall be omitted.

[No. A. 12018/7/71-F(A).]

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर० 225.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1961 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय फिल्म संस्थान (तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1961 की अनुसूची में, अवर श्रेणी लिपिक के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 16 के सम्मुख कालम 5 के अन्तर्गत मदें (ख) में निर्दिष्ट "योजना के अन्तर्गत होने वाली पहली दो परीक्षाओं के लिए" शब्दों को निकाल दिया जायेगा।

[संख्या फा० ए० 12018/7/71-एफ०(ए०)]

के० के० खान, अवर सचिव।

*New Delhi, the 2nd February 1972*

**G.S.R. 226.**—In exercise of the powers conferred by the proviso of the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to *amend* the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, published with the notification of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1090 dated the 21st September, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) 1st *Amendment* Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Schedule the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959,

(a) against Serial Number 15 relating to the post of "Assistant Projection Operator", for the entries in column 10, the following entries shall be substituted namely:—

"Essential

(i) Matriculation of a recognised University or equivalent

(ii) Diploma or Certificate or Licence in Cinema Projection from a competent authority

*Desirable*:

Experience of film projection work in a Commercial Cinema house or a Government Organisation",

(b) against serial number 16 relating to the post of "Projection Room Operator", for the entries in columns 5, 6 and 9 to 12 the following entries shall be substituted, namely:—

| 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Only if it is not possible to fill the post by promotion. | 100% failing which by direct recruitment | 30 years | (i) Matriculation of a recognised University or equivalent.<br>(ii) A diploma or certificate or licence in Cinema Projection from a competent authority.<br>(iii) At least five years' experience in film projection work in commercial cinema House or Government Organisation. | No | from amongst Assistant Projection Room Operators who have put in at least 5 years regular service in that grade". |

[No. 3/3/70-F(A).]

K. K. KHAN, Under Secy.

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

(COFFEE CONTROL)

*New Delhi, the 31st January* 1972

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955, namely:—

1. These rules may be called the Coffee (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Coffee Rules, 1955—

(1) in rule 31A, in the Explanation, for the words "In this rule," the words, figures and letter "In this rule and in rule 31B," shall be substituted;

(2) after rule 31A, the following rule shall be inserted, namely:—

"31B. Notwithstanding the provisions of rule 31-A, if in the case of an employee of the Board who comes under the purview of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1962 (19 of 1952), the amount payable to him upon his ceasing to be the employee of the Board by way of pension or death-*cum*-retirement gratuity under the Liberalised Pension Rules be less than the amount that shall be payable if he were a member of the Employees' Provident Fund Scheme, the Board shall pay the difference to the member as compensation out of the Pension Fund. Such payments may be sanctioned by the Chairman."

[No. F. 2(3)Plant(B)/67.]

N. N. MALHAN,
Dy. Director

### विदेश व्यापार मंत्रालय

### काफी नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 227.—काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, करते हुए, केन्द्रीय सरकार, काफी नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम काफी (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. काफी नियम, 1955 में,—

(1) नियम 31-क में स्पष्टीकरण में, "इस नियम में" शब्दों के स्थान पर "इस नियम में और नियम 31-ख में" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(2) नियम 31-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"31-ख. नियम 31-क के उपबन्धों के होते हुए भी, यदि बोर्ड के किसी कर्मचारी के मामले में, जो कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेन्शन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के क्षेत्र के अधीन आता है, उसके बोर्ड के कर्मचारी न रहने पर उदारीकृत पेन्शन नियम के अधीन पेन्शन या मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान के तौर पर उसे संदेय रकम यदि वह कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सदस्य होता तो उसे संदेय होने वाली रकम से कम हो, बोर्ड, पेन्शन निधि में से प्रतिकर के रूप मे सदस्य को अन्तर का संदाय करेगा। ऐसे संदाय अध्यक्ष द्वारा मंजूर किये जा सकेंगे।"

[सं० फा० 2/(3)/प्लांट (बी)/67]

एन० एन० मलहान,
उप निदेशक।

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

*New Delhi, the 29th January* 1972

G.S.R. 228.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 5, read with sub-section (3) section 6, of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Act, 1969 (43 of 1969), the Central Government hereby nominates Professor Khaliq Ahmad Nizami, Head of the Department of History, Aligarh Muslim University, as a member of the Khuda Bakhsh Oriental Public Library Board, established under section 4 of the said Act *vice* Dr. Nurul Hasan, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Education and Youth Services No. F. 9-14/69-CAI(2), dated the 17th July, 1970, namely:—

In the said notification, under the heading "nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 5", for item (e) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be substituted, namely:—

"(e) Professor Khaliq Ahmad Nizami, Head of the Department of History, 3-English House, Aligarh Muslim University, Aligarh, Uttar Pradesh".

[No. F. 9-10/71/CAI(2).]

SARAN SINGH, Under Secy.

### शिक्षा तथा युवक कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 228.—खुदा बक्श ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1969 (1969 का 43वां) के उप-खण्ड (3) के खण्ड 6 के साथ पढ़ा जाकर खण्ड 5 के उप-खण्ड (1) की धारा (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त अधिनियम के खण्ड 4 के अधीन स्थापित खुदाबक्स ओरिएन्टल सार्वजनिक पुस्तकालय बोर्ड में, डा० नूरुल हसन के स्थान पर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर खालिक अहमद निजामी को मनोनीत करती है, और भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 9-14/69-सी०ए०-1(2),

दिनांक 17 जुलाई, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 5 के उपखण्ड (1) की धारा (घ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत शीर्ष के अन्तर्गत मद (ङ) और उससे सम्बंध और प्रविष्टि लिख दी जाये, अर्थात् :—

(ङ) प्रोफेसर खालिक अहमद निजामी, इतिहास विभागाध्यक्ष, 3, इंगलिश हाऊस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।

[संख्या एफ० 9-10/71-सी०ए०-1(2)]

सरन सिंह, अवर सचिव ।

---

**(Department of Social Welfare)**

*New Delhi, the 1st February 1972*

**G.S.R. 229.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class IV posts in the Office of the Commissioner for Schedule Castes and Scheduled Tribes, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, their classification and scales of Pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons or posts.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Jamadar | 1 | General Central Service (Class IV Non-Gazetted. | Rs. 75-1-85E-B-2-95. | Non-Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years. | By promotion |

| In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consultated in making recruitment |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| From the grade of Peons with 5 years' service in the grade. | Departmental Promotion Committee for Class III and Class IV posts in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes consisting of :<br>1. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; — Chairman<br>2. Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; — Member<br>3. Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes — Member | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Daftry | 4 | General Central Service (Class IV) Non-Gazetted. | Rs. 75-1-85-EB-2 95. | Non Selection. | Not applicable | Not applicable. | Not applicable | Two years. | By promotion. |
| 3. Peon | 9 | General Central Service (Class IV) Non-Gazetted | Rs. 70-1-80-EB-1-85 | Not applicable | Between 18-25 years. | *Essential* Middle Standard | Educational qualification. Yes. Age Qualification : No. | Two years. | 80 % by direct recruitment 20% by promotion failing which by direct recruitment |
| 4. Farash | 1 | General Central Service (Class IV) Non-Gazetted | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable | Between 18-25 years. | *Desirable* Primary School Standard. | Not applicable. | Two years. | By direct recruitment. |
| 5. Sweeper | 1 | General Central Service (Class IV) Non-Gazetted. | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable | Betweens 18-25 years. | Not applicable. | Not applicable | Two years. | By direct recruitment. |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| From the grade of Peons with 5 years' service in the gtade. | Departmental Promotion Committee for Class III and Class IV posts in the Offices of the Commissioners for Scheduled Castes and Scheduled Tribes sconsisting of;<br>1. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Chairman<br>2. Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Member<br>3. Assistant Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Member | Not applicable. |
| *Promotion* : From the grade of Farash with 5 years' service in the grade. | Departmental Promotion Committee for Class III and Class IV posts in the Office of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribesulsconsisting of<br>1. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; Chairman<br>2. Deputy Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; Member<br>3. Assistant Commissioner for Scheduled castes and Scheduled Tribes ; Member | Not applicable. |
| Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

[No. 3/2/71-SCT(I).]

O. P. SINGH BHATIA, Under Secy.

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1972

सा० का० नि० ..229.. :— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में वर्ग 4 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम तद्द्वारा बनाते है अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त का कार्यालय (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 मे विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं आदि** :—उक्त भर्ती की पद्धति आयु-सीमा अर्हतायें और उक्त पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेंगी ।

5. **निरर्हतायें** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. जमादार . . | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4) अराजपत्रित | 75-1-85-दo रो०-2-95 रु० | अचयन | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि है | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | दो वर्ष | प्रोन्नति द्वारा। |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियो में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| ऐसे चपरासियों की श्रेणी में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो। | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के कार्यालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—<br>1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—आयुक्त—अध्यक्ष।<br>2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—उपायुक्त—सदस्य।<br>3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—सहायक आयुक्त—सदस्य | लागू नहीं होता। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. दफतरी . . | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4) अराजपत्रित | 75–1–85–द०रो०– 2–95 रु० | अचयन | लागू नहीं होता । |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| लागू नही होता । | लागू नहीं होता । | दो वर्ष । | प्रोन्नति द्वारा । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| ऐसे चपरासियों की श्रेणी में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो । | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—आयुक्त के कार्यालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—<br>1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति—आयुक्त —अध्यक्ष<br>2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—उपायुक्त —सदस्य ।<br>3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—सहायक आयुक्त—सदस्य । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 चपरासी . . | नौ | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4) अराजपत्रित | 70–1–80–द०रो०– 1–85 रुपये | लागू नही होता । | 18—25 वर्ष के बीच |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| आवश्यक :— मिडिल स्टैण्डर्ड | शैक्षिक अर्हता :—हा<br>आयु अर्हता :—नही । | दो वर्ष | अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, बीस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ; जिसके न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| प्रोन्नति :—<br>ऐसे फराश की श्रेणी में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो । | अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के कार्यालय में वर्ग 3 और वर्ग 4 पदों के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—<br>1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—आयुक्त —अध्यक्ष ।<br>2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—उपायुक्त —सदस्य ।<br>3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति—सहायक आयुक्त—सदस्य । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. फराश . . | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4) अराजपत्रित | 70-1-80-द०रो० 1--85 रुपये । | लागू नहीं होता । | 18—25 वर्ष के बीच |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| वाछनीय प्राइमरी स्कूल स्टैण्डर्ड । | लागू नहीं होता । | दो वर्ष । | सीधी भर्ती द्वारा । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. झाड़कश . . | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा (वर्ग 4) अराजपत्रित | 70-1-80 द०रो० 1--85 रुपय | लागू नहीं होता । | 18-25 वष क बीच |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा । |

| 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[स० 3/2/71-एस सी टी (I)]

ओ० पी० सिंह भाटिया, अवर सचिव।

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### CENTRAL BOILERS BOARD

*New Delhi, the 15th January 1972*

G.S.R. 230.—Whereas certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published as required by sub-section (1) of section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) at pages 4204 to 4205 of the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (i) dated the 21st November, 1970 under the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development), Central Boilers Board No. G.S.R. 1904 dated the 22nd August, 1970, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 15th October, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 21st November, 1970.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely—

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1971.

2. In regulation 382 of the Indian Boiler Regulations, 1950, after the heading "Orissa" and the entry relating thereto, the following shall be added, namely:—

"Pondicherry——————————PY".

[No. BL-9(17)/69-(EEI)-TAB.]

S. C. DEY, Secy.

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 2nd February 1972*

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the State concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Civil Service Provident Fund Rules, namely —

1. (1) These rules may be called the Indian Civil Service Provident Fund (First Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Civil Service Provident Fund Rules,

(i) to sub-rule (1) of 7-C, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the sanctioning authority may sanction the withdrawal of an amount in excess of the limit of one-half of the amount standing to the credit of the subscriber, upto three-fourth of the balance at the credit of the subscriber in the Fund, having due regard to the amount to his credit in the Fund".

(ii) In Note 2 below sub-rule (1) of rule 7-CI and in the Note 2 below sub-rule (I) of rule 7-C2, for the words "half the balance", the words "three-fourth of the balance" shall be substituted.

[No. 5/12/68-AIS(II)-(B).]

### मंत्रिमण्डल सचिवालय

### (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 2 फरवरी 1972

सा० सं० नि० 231.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियमावली में और संशोधन करने के लिये एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियम (संशोधन) नियमावली 1971 कहा जा सकेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इन के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि नियमावली में

(i) 7-ग के उप नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात :—

बशर्ते की मजूरी देने वाली अधिकारी, योगकर्ता के लेख के जमा में विद्यमान राशि के आधे की सीमा से अधिक राशि निधि में योगकर्ता की जमा बकाया राशि के तीन चौथाई तक निधि के जमा में उस को राशि का यथोचित ध्यान रखते हुए निकालने की मजूरी दे दे।

(ii) टिप्पणी 2 में नियम 7-ग 1 के उपनियम (1) के नीचे तथा टिप्पणी 2 के नियम 7-ग 2 के उप नियम (1) के नीचे "बकाया राशि के आधे" शब्दों के स्थान पर "बकाया राशि के तीन चौथाई" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[स० 5-12-68-अ०मा० से (2)-(ख)]

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All-India Services Act 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund Rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund First Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Civil Service (Non-European Members) Provident Fund Rules, namely:—

(i) to sub-rule (1) of rule 6-C, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the sanctioning authority may sanction the withdrawal of an amount in excess of the limit of one-half of the amount standing to the credit of the subscriber, upto three-fourths of the balance at the credit of the subscriber in the Fund, having due regard to the amount to his credit in the Fund.".

(ii) in Note 2 below sub-rule (1) of rule 6-CI and in Note 2 below sub-rule (1) of rule 6-C2, for the words "half the balance", the words "three-fourths of the balance" shall be substituted.

[No. 5/12/68-AIS(II)-(C).]

**सा० सा० नि० 232.**—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात् भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि नियमावली में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य) भविष्य निधि प्रथम संशोधन नियम, 1971 कहा जा सकेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इन के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय सिविल सेवा (गैर-यूरोपीय सदस्य भविष्य निधि नियमावली में—

(i) 6-ग के उपनियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा अर्थात् :

"बशर्ते कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सदस्यता के लेखे की जमा में विद्यमान राशि के आधे की सीमा से अधिक राशि निधि में सदस्यता की जमा बकाया राशि के तीन चौथाई तक निधि की जमा में उस की राशि को यथोचित ध्यान रखते हुए निकालने की मंजूरी दे दे।"

(ii) टिप्पण 2 में नियम 6-ग 1 के उपनियम (1) के नीचे तथा टिप्पण 2 के नियम 6-ग 2 के उपनियम (1) के नीचे बकाया राशि के आधे शब्दों के स्थान पर बकाया राशि के तीन चौथाई' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 5/12/68-अ०मा०स०(2)-(ग)]

---

**G.S.R. 233.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the Secretary of States Services (General Provident Fund) Rules, namely.—

1. (i) These rules may be called the Secretary of States, Services (General Provident Fund) First Amendment Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Secretary of State's Services (General Provident Fund) Rules,

(i) to sub-rule (I) of rule 9-C, the following proviso shall be added, namely.—

"Provided that the sanctioning authority may sanction the withdrawal of an amount in excess of the limit of one-half of the amount standing to the credit of the subscriber, upto three-fourths of the balance at the credit of the subscriber in the Fund, having due regard to the amount to his credit in the Fund.".

(ii) in Note 2 below sub-rule (1) of rule 9-C1 and in Note 2 below sub-rule (1) of rule 9-C2 for the words "half the balance", the words "three-fourths of the balance" shall be substituted

[No. 5/12/68-AIS(II)-(D)]

**सा० सा० नि० 233** अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 का (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात् राज्य-सचिव (सामान्य भविष्य निधि नियमावली में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को राज्य-सचिव सेवा (सामान्य भविष्य निधि) प्रथम संशोधन नियमावली 1971 कहा जा सकेगा।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इन के प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राज्य सचिव सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियमावली में,

(1) 9-ग के उपनियम (1) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायगा अर्थात् —

"बशर्ते कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी सदस्यता के लेखे की जमा में विद्यमान राशि के आधे की सीमा से अधिक राशि निधि में सदस्यता की जमा बकाया राशि के तीन चौथाई तक निधि की जमा में उस की राशि को यथोचित ध्यान रखते हुए निकालने की मंजूरी दे दे।"

(ii) टिप्पण 2 में नियम 9-ग 1 के उपनियम (1) के नीचे तथा टिप्पण 2 के नियम 9-ग के उपनियम (1) के नीचे बकाया राशि के आधे' शब्दों के स्थान पर बकाया राशि के तीन चौथाई' शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[सं० 5/12/68-अ० भा० स० (2)-(घ)]

---

*New Delhi, the 3rd February, 1972*

**G.S.R. 234**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Government of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, namely.—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Provident Fund) First Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. In the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, to sub-rule (1) of rule 14 and to each of sub

rule (1) of rule 14-A, and sub-rule (1) of rule 14-B, before Note, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the sanctioning authority may sanction the withdrawal of an amount in excess of the limit of one-half of the amount standing to the credit of the subscriber, upto three-fourths of the balance at the credit of the subscriber in the Fund, having due regard to the amount to his credit in the Fund."

[No. 5/12/68-AIS(II)-(A).]

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1972

**सा० का० नि०** 234—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) ये नियम अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) प्रथम संशोधन नियमावली, 1971 कहे जा सकेंगे।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 के नियम 14 के उप-नियम (1) तथा नियम 14-क के उपनियम (1) तथा नियम 14-ख के उप-नियम (1) में, टिप्पणी से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि मंजूरी देने वाला अधिकारी, योगकर्ता के लेखे के जमा में विद्यमान राशि के आधे की सीमा से अधिक राशि, निधि में योगकर्ता की जमा बकाया राशि के तीन-चौथाई तक, निधि के जमा में उसकी राशि का यथोचित ध्यान रखते हुए, निकालने की मंजूरी दे दे।

[सं० 5/12/68-अ०भा०से० (2)-(क)]

---

*New Delhi, the 4th February 1972*

G.S.R. 235.—In pursuance of rule 25 of the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958 the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following regulations further to amend the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959 namely:—

1. (1) The regulations may be called the All India Services (Commutation of Pension) (Amendment) Regulations, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Services (Commutation of Pension) Regulations, 1959, in Schedule B "Commutation Table",

(a) under the heading "able in respect of members of Service whose commutation took effect",—

(i) for the entry "on or after 5-2-68" the entry "Between 5-2-68 and ~~28-2-71~~ 18272" shall be substituted;

(ii) after the entry as so amended, the entry "on or after ~~1st March, 1971~~ 19272" shall be inserted;

(b) under the heading "commutation value for a pension of Re. one per annum expressed as number of years' purchase", after column (g) and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

| "(h) |
|---|
| 19.28 |
| 19.20 |
| 19.11 |
| 19.01 |
| 18.91 |
| 18.81 |
| 18.70 |
| 18.59 |
| 18.47 |
| 18.34 |
| 18.21 |
| 18 07 |
| 17.93 |
| 17.78 |
| 17.62 |
| 17.46 |
| 17.29 |
| 17.11 |
| 16.92 |
| 16.72 |
| 16.52 |
| 16.31 |
| 16.09 |
| 15.87 |
| 15.64 |
| 15.40 |
| 15.15 |
| 14.90 |
| 14.64 |
| 14.37 |
| 14.10 |
| 13.82 |
| 13.54 |
| 13.25 |
| 12.95 |
| 12.66 |
| 12.35 |
| 12.05 |
| 11.73 |
| 11.42 |
| 11.10 |
| 10.78 |

10.46
10.13
9.81
9.48
9.15
8.82
8.50
8.17
7.85
7.53
7.22
6.91
6.60
6.30
6.01
5.72
5.44
5.17
4.90
4.65
4.40
4.17
3.94
3.72
3.52
3.32
3.13.

NOTE.—The revised Table is based on the rate of interest of 4 75 per cent per annum and the improvement in the mortality rate as indicated by the experience of Postal Life Insurance Policy holders

[No 28/1/71-AIS(II)]

B NARASIMHAN, Under Secy

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1972

सा० स० नि० 235.—अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 के नियम 25 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, सबधित राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवा (पेशन का परिवर्तन) विनियमावली, 1959 में और सशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) ये विनियम अखिल भारतीय सेवा (पेशन का परिवर्तन) (सशोधन) विनियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये भारतीय राजपत्र मे इनके पकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवा (पेशन का परिवर्तन) विनियमावली, 1958 में, अनुसूची ख "परिवर्तन सारणी" मे—

(क) "सेवा के उन सदस्यों से संबधित सारणी में जिनके सम्बन्ध में परिवर्तन कर लिया गया है" शीर्षक के अधीन—

(i) "5–2–1968 को अथवा उसके पश्चात्" प्रविष्टि के स्थान पर "5–2–68 और 28–2–1971 के बीच" प्रविष्टि प्रतिस्थापित कर दी जायेगी।

(ii) प्रविष्टि संशोधन होने के पश्चात् "1–3–71 को अथवा उसके पश्चात्" प्रविष्टि जोड दी जायेगी,

(ख) "एक रुपया प्रति वर्ष पेशन के लिए क्रय वर्षों के रूप मे व्यक्त परिवर्तन मूल्य" शीर्षक के अधीन कालम (छ) और उससे सबधित प्रविष्टियो के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिया जोड दी जायेगी अर्थात् —

"(ज)

19.28
19.20
19.11
19 01
18 91
18.81
18 70
18 59
18 47
18 34
18 21
18 07
17 93
17 78
17.62
17.46
17 29
17.11
16 92
16 72
16 52
16 31
16 09
15 87
15.64
15 40
15.15
14.90
14 64
14 37
14.10
13.82
13.54
13.25
12.95

| | |
|---|---|
| 12.66 | 4.40 |
| 12.35 | 4 17 |
| 12.05 | 3.94 |
| 11.73 | 3.72 |
| 11.42 | 3.52 |
| 11.10 | 3.32 |
| 10.78 | 3.13 |
| 10.46 | |
| 10.13 | |
| 9.81 | |
| 9.48 | |
| 9.15 | |
| 8.82 | |
| 8.50 | |
| 8.17 | |
| 7.85 | |
| 7.53 | |
| 7.22 | |
| 6.91 | |
| 6.60 | |
| 6.30 | |
| 6.01 | |
| 5.72 | |
| 5 44 | |
| 5.17 | |
| 4.90 | |
| 4 65 | |

नोट :—संशोधित सारणी 4.75 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर तथा डाक जीवन बीमा पालिसी धारकों सम्बन्धी अनुभव द्वारा इंगित मृत्यु दर में सुधार पर आधारित है ।

[सं० 28/1/71-अ०भा०से० (2)]

बी० नरसिंहन् अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 4th February 1972*

**G.S.R. 236.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Fire Service College Class III and IV (Recruitment) Rules, 1957, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Fire Service College Class III and IV (Recruitment) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Fire Service College Class III and IV (Recruitment) Rules, 1957, for Serial No. 5 pertaining to the post of Stenographer and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Stenographer . | One | Central Civil Service Class III. non-gazetted. | Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280-10-300. | Not applicable. | Must have completed 18 years but must not have completed 24 years. | 1. Matriculate. 2. 100 w.p.m. speed in English short-hand and 40 w.p.m speed in English Typewriting |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | By selection through a test in stenography and typewriting from amongst Lower Division Clerks with three years service in the grade in the National Fire Service College possessing the qualifications prescribed in column 7, failing which by direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

G. D. GUPTA Dy. Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली 4 फरवरी, 1972

**सा० का० नि० 236.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज श्रेणी 3 तथा 4 (भर्ती) नियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्: —

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज श्रेणी 3 तथा 4 (भर्ती) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज श्रेणी 3 तथा 4 (भर्ती) नियम, 1957 की अनूसूची में आशुलिपिक के पद से संबंधित क्र० सं० तथा उससे संबंध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "5 आशुलिपिक | एक | केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी III अराजपत्रित | रु० 130—5—160—8—00—द०रो०—8—256—द०रो०—8—280—10—300 | लागू नहीं होता | उसकी आयु पूरे 18 वर्ष होनी चाहिए किन्तु पूरे 24 वर्ष नहीं होनी चाहिए | 1—मैट्रिक पास—2—अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति तथा अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| (10) | (11) | (12) | (13) |
|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कालेज के उन अवर श्रेणी लिपिकों मे से आशुलिपि तथा टंकण की परीक्षा लेकर चयन द्वारा जिन्होने उस ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा की हो तथा कालम 7 मे विहित अर्हताए रखते हों। ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | लागू नही होता | लागू नही होता | लागू नही होता |

[सख्या 9/17/71-ई आर]

जी० डी० गुप्ता, उप सचिव।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

### (Transport Wing)

*New Delhi, the 31st January 1972*

G S R. 237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, namely:—

1 (1) These rules may be called the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Mangalore Harbour Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1966, under the heading "PART I CLASS III", after serial number 34 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely.—

| Sl No | Name of post | No of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection posts (for promotion posts only) | Age limit for direct recruits | Educational and other qualification for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 35. | Assistant Security Officer | One | General Central Service, Class III, Non-Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 180—10—290—EB—15—380. | Not applicable | Between 21 and 30 years | Matriculation or equivalent qualification with minimum of one years' experience of enforcement of fire fighting and other types of security measures. |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or transfer and percentage of the vacancies to be filled in by various methods. | In the case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/ deputation/transfer to be made. | If D.P C. exists what is its composition | Circumstances in which U P S.C is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ot applicable | 2 years | Direct recruitment. | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

[No. 5-PE(16)/71]

JASWANT SINGH, Under Secy.

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन स्कंध)

नई दिल्ली, 31 जनवरी 1972

**सा०का०नि०** 237.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4) के भर्ती नियम, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मंगलौर बन्दरगाह परियोजना (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में शीर्षक "भाग 1 वर्ग 3" के अन्तर्गत, क्रम संख्या 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

| क्रम | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35 | सहायक सुरक्षा अधिकारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 180—10—290 दं०रो०—15—380 रु० | लागू नहीं होता | 21 और 30 वर्ष के बीच |

| सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं/प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो | भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| अग्निशमन तथा अन्य प्रकार के सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन के कम से कम एक वर्ष के अनुभव सहित मैट्रिक या उसके समतुल्य अर्हता। | लागू नहीं होता | दो | सीधी भर्ती |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिससे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जायेगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थियों संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० 5—पी० ई० (16)/71]

जसवन्त सिंह, अवर सचिव।

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 31st January 1972*

**G.S.R. 238.**—**The following draft of certain rules to regulate the port facilities for vessels entering the ports of Port Blair, Camorta, Car Nicobar, Elphinstone and Mayabunder or any other port in the Andaman and Nicobar Islands, which the Central Government proposes to make, in exercise of th powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 58/11/56-AN, dated 27th March, 1957, is published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken into consideration on or after the 20th March, 1972.**

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be considered by the Central Government.

*Draft Rules*

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These rules may be called the Andaman and Nicobar Islands (Entry of Sea-going Vessels in Ports) Rules, 1972.

(2) They shall apply to all sea-going vessels entering the ports of Port Blair, Camorta, Car Nicobar, Elphinstone and Mayabunder or any other port in Union territory of Andaman and Nicobar Islands.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Entering or Leaving port.** (1) All sea-going vessels on entering or leaving the port between sunrise and sunset shall fly their national flags and when entering the port, a vessel shall fly her signal letters.

(2) No vessel shall enter or leave the port between 1800 and 0600 hours without the special authority of the Conservator of the Port.

**Berthing of vessels.**—All vessels within the port shall take up such berths as may be assigned to them by the Conservator of the Port and shall change their berths or shift therefrom when so required by that authority.

4. **Berthing of vessels carrying dangerous goods.**—Any vessel carrying dangerous goods which are likely to cause risk or danger to any person or to themselves or to any other property shall not be berthed at any berth inside the harbour if in the opinion of the Conservator her presence inside the harbour constitutes undue danger to the port.

5. **Loading and discharging of explosives, etc.**—All vessels loading or discharging explosives or any other dangerous goods within the limits of the Port shall take up such special berths as the Conservator of the Port may direct.

6. **Discharge of ballast rubbish and oil.**—No ballast, rubbish, oil or ballast water containing oil shall be thrown or discharged from any vessel within the limits of the Port without the special permission of the Conservator.

7. **Protection of vessels.**—All vessels when not working cargo shall have all hatches closed or adequately protected.

8. **Keeping free passage.**—The entrance to the harbour and the fair way leading to inner berths shall be kept cleared by all vessels and a free passage shall be kept to all landing places, wherehouses and anchorages in accordance with such directions as may be issued by the Conservator and all vessels shall move away from such areas when so required by the Conservator

9. **Anchoring and mooring.**—(a) All vessels inside the harbour shall be anchored or moored in such a manner as may be directed by the Conservator.

(b) The anchors of all sea-going vessels must be buoyed.

10. **Fumigation of vessels.**—No vessel shall be fumigated except at a place appointed by the Conservator for that purpose.

11. **Heating on board the vessels.**—No pitch or dammar shall be heated on board the vessels within the port or shall spirits be drawn off on board such vessels by candle light or other unprotected artificial light.

12. **Handling of vessels carrying explosives.**—When explosives in excess of 45 Kgs. are being shipped on board or being discharged from any vessel within the limits of the port, neither fire, lights nor smoking are, under any circumstances, to be permitted on board except as provided in the Explosive Rules, 1940.

13. **Signals for vessels carrying explosives.**—(a) The Master of any vessel arriving within the port with ammunition or explosives over 45 Kgs. on board as cargo shall display the Red Flag 'B' of the International Code of Signals during daylight and from sunset to sunrise shall exhibit where it can best be seen a red light visible all round the horizon for such time as the ammunition or explosives may be on board within the port limits.

(b) The use of sound signals for attracting attention is prohibited on board vessels while within the limits of the port except for the purpose specified in the Regulation for preventing collisions at sea and in case of emergency where assistance from the shore is urgently required in the interest of the safety of the vessel.

14. **Employment of persons in cleaning or painting a vessel.**—No person shall be employed in cleaning or painting a vessel or in marking in bilges, boilers or double bottoms of a vessel in the port either before or after the hours which may be fixed from time to time by the Conservator of the Port for such purposes.

15. **Prohibition on bathing in harbour.**—Bathing is strictly prohibited in the harbour on account of sharks which are liable to be present inside the harbour waters.

16. **Arrival notification of vessels.**—At least 12 hours before the expected arrival of the vessel her agents shall send a notification to the Conservator of the Port. Detailed particulars of cargo to be landed at the port hatch-wise should either accompany the vessels arrival notification or soon after the actual arrival of the vessel in port.

17. **Allotment of berths to vessels.**—Vessels will be allotted berths by the Conservator subject to nautical requirements being satisfied.

18. **Carrying out repairs to vessels.** Masters of vessels intending to carry out repairs shall observe the following instructions:—

(i) Vessel may not be immobilised without first obtaining permission from the Conservator of the Port.

(ii) Vessel may be shifted from the berth when the berth occupied is required for other purposes; and

(iii) repairs involving naked lights, gas cutting, welding etc. in the vicinity of fuel oil storage tanks or fuel system involving the entry of a person into any fuel storage tanks may not be commenced unless a gas free certificate from the appropriate authority has been obtained

19. **Navigation inside harbour limits.**—Small ships, boats and other harbour crafts operating inside the harbour limits should navigate with caution in the Chatham Jetty area and Hood Point anchorage due to

submerged logs likely to exist. Further, boats should not go beyond the navigational buoys provided at Rangers Flat, Blair Reef and beacon at Perseverance Point.

20. All vessels while navigating inside the harbour area shall navigate at a speed of 8 Knots only.

[No. F. 19-PG(74)/71.]

K. L. GUPTA, Under Secy

(परिवहन स्कन्ध)

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1972

**सा०का०नि०238.**—पोर्ट ब्लेयर, चम रटा, कारनिकोबार, एलफिंस्टन और मायाबन्दर या अन्डमान और निकोबार द्वीपों में किसी अन्य पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों की प्रसुविधाओं को विनियमित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 58/11/56-ए०एन०तारीख 27 मार्च, 1957 को अधिक्रांत करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका एतद्द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रारूप पर 20 मार्च, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

उक्त प्रारूप के बारे में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

**प्रारूप नियम**

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम अंडमान और निकोबार द्वीप (समुद्रगामी जलयानों का पत्तनों में प्रवेश), नियम 1972 कहे जा सकेंगे

(2) ये पोर्ट ब्लेयर, चमोरटा, कारनिकाबार, एलफिंस्टन और मायाबन्दर पत्तनों में या अंडमान और निकोबार द्वीपों के संघ राज्य क्षेत्र में किसी अन्य पत्तन में सभी समुद्रगामी जलयानों के प्रवेश को लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पत्तन में प्रवेश करना या उसको छोड़ना.**—(1) सभी समुद्रगामी जलयान सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच पत्तन में प्रवेश करने या उसको छोड़ने पर अपने राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और पत्तन में प्रवेश के समय जलयान अपना सिगनल अक्षर फहरायेंगे ।

(2) कोई भी जलयान सायं छह बजे से प्रातः छह बजे के बीच में पत्तन सरक्षक के विशेष प्राधिकार के बिना पत्तन में प्रवेश नहीं करेगा और न उसको छोड़ेगा ।

3. **जलयानों का घाट लगाना.**—प्रत्येक जलयान पत्तन में वही घाट लेगा जो उसे संरक्षक द्वारा समनुदेशित किए जाएं और उस प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार अपेक्षित अपने घाट बदलेगा भी वहां से हटेगा ।

4. **खतरनाक माल ले जाने वाले जलयानों का घाट लगाना.**—ऐसे खतरनाक माल ले जाने वाला कोई भी जलयान, जिस किसी व्यक्ति को या उन्हें या किसी अन्य सम्पत्ति को जोखिम य खतरे की संभावना हो बन्दरगाह के अन्दर किसी भी घाट पर घा नहीं लगाएगा यदि संरक्षक की राय में बन्दरगाह के अन्दर उनक मौजूदगी पत्तन को अवांछित खतरा पैदा करती है ।

5. **विस्फोटकों आदि को चढ़ाना और उतारना.**—विस्फोट या अन्य खतरनाक माल, पत्तन की सीमा में उतारने या चढ़ा वाले सभी जलयान उन्हीं विशेष घाटों को लेंग जैसा कि पत्त संरक्षक निदेश दे ।

6. **नीरम, कचरा और तेल निकालना.**—किसी भी जलया से पत्तन सीमा के अन्दर कोई नीरम, कचरा या तेल या तेलयुक्त नीरम जलसंरक्षक की विशेष अनुज्ञा बिना फेंका या निकाला नहीं जाएगा ।

7. **जलयानों की सुरक्षा.**—तौभार न करते सभी जलया सभी फलकोंकी बन्द या उपयुक्ततः सुरक्षित रखेंगे ।

8. **मार्ग खुला रखना.**—बन्दरगाह का प्रवेश और अन्द के घाटों को जाने वाला जलवाह सभी जलयानों द्वारा साफ रख जाएगा और सभी मुख्य स्थानों, भांडागारण और लैंगर स्थान को संरक्षक द्वारा जारी किये गये ऐसे अनुदेशो के अनुसार खुल मार्ग रखा जाएगा और संरक्षक द्वारा इस प्रकार अपेक्षा किए जा पर सभी जलयान ऐसे क्षेत्रों से दूर चले जाएंगे ।

9. **लंगर डालना और बांधना.**—(क) बन्दरगाह मे सभ जलयान इस ढंग से लंगर डालेंग या बांध जायेंग जसा कि संरक्ष निदेश दे ।

(ख) सभी समुद्रगामी जलयान जलयानों के लंगर प्लावि होने चाहिए ।

10. **जलयानों का प्रथमन.**—इस प्रयोजन के निमित्त नियत स्थान के सिवाय किसी भी जलयान का प्रथमन नहीं किया जाएगा।

11. **जलयानों पर गर्म.**—पत्तन के अन्दर जलयानों प कोई भी विच या डामर गर्म नहीं किया जाएगा या ऐसे जलयानों पर कैंडल प्रकाश या अन्य असुरक्षित बनावटी प्रकाश द्वारा स्प्रि नहीं निकाली जाएगी ।

12. विस्फोटक ले जाने वाले जलयानों की संभालना:—जब पोत पर 45 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक ले जाया ज रहा हो या पत्तन की सीमा के अन्दर किसी जलयान से उतारा ज रहा हो, तब पलक पर न तो आग, प्रकाश और धूम्रां, किसी भ परिस्थिति में, विस्फोटक नियम, 1940 में यथा उपबन्धित के सिवाय अनुज्ञात किया जाएगा ।

13. विस्फोटक ले जाने वाले जलयानों के लि सिगनल.—(क) गोला बारूद या 45 किलोग्राम विस्फोटकसे अधि

झोरा के रूप में जलयान पर, बतन में आने वाले किसी जलयान का मास्टर, इंटरनेशनल कोड आफ सिगनल्स का लाल ध्वज 'एच' दिन के प्रकाश के दौरान और सूर्यास्त से सूर्योदय तक ऐसे स्थान पर प्रदर्शित करेगा जहां से क्षितिज के चारों ओर एक लाख प्रकाश उतने समय तक जब तक कि नौका-बारूद या विस्फोटक पत्तन सीमा के अन्दर जलयान पर हो, सबसे अच्छा दिखाई देता हो,

(ख) पत्तन सीमा में रहते हुए जलयान पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्वनि सिगनल का प्रयोग, समुद्र पर टक्कर रोकने के लिए विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के और उस स्थिति के सिवाय जब कि आपात स्थिति में किनारे से जलयान की सुरक्षा के हित में तत्काल सहायता की अपेक्षा हो, प्रतिषिद्ध है।

14. **जलयानों को साफ करने या पेंट करने के लिए व्यक्तियों का नियोजन**:—किसी जलयान को साफ करने या पेंट करने या किसी जलयान के बिल्जिस, बायलर्स या डैबल बाटम को चिन्हित करने के लिए पत्तन परिरक्षक द्वारा समय-समय पर इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट समय से पहले या बाद में, कोई भी नियोजित नहीं किया जाएगा।

15 **बन्दरगाह में नहाने का प्रतिषेध**:—शार्क के कारण, जो बन्दरगाह जल के अन्दर मौजूद हो सकती हैं, बन्दरगाह में नहाना पूर्णतया प्रतिषिद्ध है।

16 **जलयानों के पतन के पहले की अधिसूचना**:—जलयान के प्रस्तावित पहुंचने से कम से कम 12 घंटे पहले, उसके अभिकर्ता पत्तन परिरक्षक को एक अधिसूचना भेजेंगे। पत्तन पर आने वाले ध्वोरा का पत्तकानूपार विस्तृत ब्योरा जलयान के पहुंचने की अधिसूचना के साथ होना चाहिए या जलयान के पत्तन में वास्तविक पहुंच के तत्काल बाद।

17 **जलयानों को घाट का आवंटन**.—नाकीय अपेक्षाओं को पूरा करने की शर्त के अधीन रहते हुए, जलयानों को घाट परिरक्षक द्वारा आवंटित किए जाएंगे।

18. **जलयानों की मरम्मत करना**.— जिन जलयान मास्टरों का मरम्मत कराने का आशय है वे निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करेंगे :—

(i) पत्तन परिरक्षक की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना जलयानों को गतिहीन नहीं किया जा सकेगा,

(ii) जब घाट किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो रोके हुए घाट से जलयान को हटाया जा सकेगा, और

(iii) ईंधन तेल भंडार टंकी या ईंधन व्यवस्था के, जिसमें ईंधन भंडार टंकी में किसी व्यक्ति को प्रवेश करना पड़ता हो, सामीप्य में खुली रोशनी वैल्डिंग, रिवेटिंग आदि मरम्मतें तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकेंगी जब तक कि समुचित प्राधिकारी से गैस-मुक्त होने का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त न कर लिया गया हो।

19. **बन्दरगाह-सीमा के अन्दर नौचालन**:—छोटे पोत, नौकाएं और अन्य बन्दरगाह जलयानों को, जो बन्दरगाह सीमा के अन्दर चल रहे हों, चयन चट्टी क्षेत्र और हुड प्वाइंट लंगर में वर्तमान सभाव्य लक्स के कारण सतर्कता से नौचालन करना चाहिए। इसके अलावा, रेजर्स फ्लेट, ब्लेयर रीफ और पर्स बीयरेंस प्वाइंट पर संकेत द्वीप पर नौकाओं को बनाए गए नौचालन प्लावों के परे नहीं जाना चाहिए।

20. सभी जलयान, जब वे बन्दरगाह क्षेत्र के अन्दर नौचालन कर रहे हों, केवल 8 नौट की गति पर नौचालन करेंगे।

[सं० फा० 19-पी जी (74)/71]

के० एल०गुप्त,अवर सचिव।

---

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

### (Company Law Board)

*New Delhi, the 2nd February 1972*

G.S.R. 239.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 594 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the Government of India Department of Company Affairs, Notification No G S R 686 dated the 4th May 1971 and in partial modification of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Law Administration) S.R.O 9216 dated the 4th October 1957 (herein after referred to as "the Notification"), the Company Law Board hereby direct that in the case of M/s Nissho Iwai Company Limited (hereinafter referred to as "the company") being a foreign company the requirements of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 as modified in their application to a foreign company by the notification shall apply subject to the following further exceptions and modification namely:—

It shall be deemed to be sufficient compliance with the provisions of clause (a) of sub-section (1) of the said section 594 if in respect of the financial year ended the 30th September, 1971 the company submits to the appropriate Registrar of Companies in India in triplicate:—

(i) a copy of the authenticated balance sheet and profit and loss account (including the documents relating to every subsidiary of the company) as submitted by it to the prescribed authority in the country of incorporation under the Provisions of the law in that country.

(ii) a certificate signed by two directors of the company and by the person authorised to accept service of process in India under clause (d) of sub-section (1) of section 592 of the Act, to the effect that during the said year the company held no property or assets in India for its own benefit and did not have any liabilities in India on its own account and that it did not carry on any business in India; and

(iii) a statement of its actual receipts and payments in India duly certified by the persons mentioned in (ii) above.

By order of the Company Law Board.

[No. F. 14/11/CL.VI/71.]

S. S. SINGH, Under Secy

**कम्पनी कार्य विभाग**

**नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1972**

**सा० का० नि० 239.**—भारत सरकार कम्पनी कार्य विभाग को अधिसूचना सं० सा० का० नि० 686, तारीख 4 मई, 1971 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० आ० 3216 तारीख 4 अक्टूबर 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिसूचना कहा गया है) । में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतदद्वारा यह निदेश देता है कि मैसर्स निस्सो इवाई कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात कम्पनी कहा गया है) के मामले में जो एक विदेशी कम्पनी है उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) को अपेक्षायें जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी को अपने लागू होने के सम्बन्ध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई है निम्नलिखित अन्य अपवादों के अध्यधीन रहते हुए लागू होगी अर्थात —

यदि 30 सितम्बर 1971 की वर्ष समाप्ति की बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को निम्नलिखित की तीन प्रतिया प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जायगा

(1) प्रमाणीकृत तुलन-पत्र तथा हानि-लाभ के लेखे की एक प्रति (जिसके अन्तर्गत प्रत्येक अनुषंगी से सम्बन्धित दस्तावेजो आती है ।) जैसी कि कम्पनी ने अपने निगमन वाले देश में उस देश की विधि के उपबन्धों के अधीन विहित प्राधिकारी को भेजी हो

(2) कम्पनी के दो निदेशकों तथा अधिनियम की धारा 592 की उप-धारा (1) खंड (ख) के अधीन भारत में प्रादेशिक तामिल की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत व्यक्तियो द्वारा प्रमाणित इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कथित वर्ष में कम्पनी की अपने लाभार्थ भारत में कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पतिया नही है तथा इसके लेखे में भारत में कोई देयता नहीं है । एवं इसने भारत में कोई व्यापार नही किया तथा

(3) उपरोक्त (2) में दिये ढंग से प्रमाणित भारत मे कम्पनी की प्रविष्टियों तथा देनदारी का विवरण पत्र ।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से —

[सं० फा० 14/11/सी० एल० 6/71]

एस० एस० सिंह, अवर सचिव ।

---

**MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE**

**(Department of Social Welfare)**

*New Delhi, the 25th January 1972*

**G.S.R. 240.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 809 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser (Social Welfare) in the Department of Social Welfare, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Social Welfare Adviser (Social Welfare) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule Annexed to these rules

3. **Number classification and scale of pay.**—The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters connected with the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said posts

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving of concession available to Schedule Castes, etc.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Repeal and saving.**—On the commencement of these rules, the Department of Social Welfare, Adviser (Social Welfare) (Recruitment) Rules, 1967, shall stand repealed:

Provided that such repeals shall not affect the previous operation of the said rules or anything duly done or suffered under the said rules before such repeal

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Adviser, (Social Welfare) in the Department of Social Welfare.*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Adviser (Social Welfare) | 1 | General Central Service, Class I, Gazetted. | Rs. 1300-60-1600 | Not Applicable. | 45 years (Relaxable for Government servants.) | *Essential:*<br>(i) Master's degree in Social Work or Sociology or Social Administration from a recognised University or equivalent<br>(ii) About 8 years experience in handling schemes of social welfare or the welfare of women and children.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well quilified). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any | Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recrt. by promotion/deputation transfer, grades from which promotion/deputation, tra- to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recrt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By transfer, failing which by deputation and, failing both, by direct recruitment. | *Transfer/deputation*<br>Suitable Officers of the Central or State Governments, holding senior Class I or higher posts, and drawing a basic pay of not less than Rs. 1,000/- per month who possess post-graduate training in social work/sociology, social administration and have 8 years' experience in handling social welfare schemes or schemes for the welfare of women and children<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 5 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultations) Regulations-1958. |

[No. F. 10(3)/67-Estt.]

O. P. SINGH BHATIA, Under Secy.

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**(समाज कल्याण विभाग)**

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 240.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा समाज कल्याण विभाग में सलाहकार (समाज कल्याण) के पद पर भर्ती के ढंग के विनियम हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ**.—(1) ये नियम समाज कल्याण विभाग, सलाहकार (समाज कल्याण) पुनरीक्षित भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रयोज्यता**.—ये नियम साथ में संलग्न अनुसूची के कालम 1 में दिए गए पदों पर लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान**.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिए अनुसार होंगे।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि**:—भर्ती की पद्धति, आय-सीमा, योग्यताएं तथा उपर्युक्त पद से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक में दिए गए अनुसार होंगे।

5. **अयोग्यताएं**:—ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है जिसकी एक जीवित पत्नी/पति है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के होत हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है। उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति भी पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तो यह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवतन से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है, वहां वह आदेश द्वारा और लिखित कारणों के आधार पर किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित व्यक्तियों को इन नियमों को किसी उपबंध से छूट दे सकती है।

7. **अनुसूचित जातियों इत्यादि की रियायतों की शर्त**:—इन नियमों में दी गई किसी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए किए जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8. **निरसन तथा शर्तें**.—इन नियमों के आरम्भ होने पर समाज कल्याण विभाग [समाज कल्याण (भर्ती)] नियम 1967 निरसन हो जायगे;

परन्तु उक्त नियमों के पूर्व प्रवर्तन अथवा ऐसे निरसन से पूर्व उक्त नियमों के अधीन विधिवत किए गए किसी कार्य अथवा क्षति पर ऐसे निरसन का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग) में सलाहकार (समाज कल्याण) के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सलाहकार (समाज कल्याण) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | 1300-60-1600 रुपए | लागू नहीं | 45 (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है)। | अनिवार्य<br>(1) किसी मान्य विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य अथवा समाज विज्ञान अथवा सामाजिक प्रशासन में मास्टर्स डिग्री अथवा उसके बराबर।<br>(2) समाज कल्याण अथवा स्त्रियों और बच्चों की योजनाओं के काम का लगभग 8 वर्ष का अनुभव। (अन्यथा अच्छे योग्यता वाले उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक पर योग्यताओं मे छूट दी जा सकती है)। |

| क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के संबंध में भी लागू होगी ? | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती पद्धति सीधी भर्ती से अथवा प्रतिनियुक्ति से अथवा स्थानांतरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत । | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण, से भर्ती किए जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किए जाने हैं । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है । | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही । | 2 वर्ष | स्थानातरण द्वारा, वैसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति : प्रवर श्रेणी I तथा ऊंचे पदों पर लगे तथा 1000 रुपए से कम मूल वेतन न लेने वाले केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के उपयुक्त अधिकारी जिनके पास सामाजिक कार्य/समाज विज्ञान/समाजिक प्रशासन मे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण है तथा जिन्हें समाज कल्याण योजनाओं अथवा स्त्रियों और बच्चों के कल्याण की योजनाओ को चलाने का 8 वर्ष का अनुभव है ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 5 वर्षों से अधिक नही होगी । | लागू नहीं । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

[सं०फा०315(18)/71-आर०आर०]

ओ० पी० सिंह भाटिया, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economic Affairs)

*New Delhi, the 14th February 1972*

**G.S.R. 241.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks Rules, 1965, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Post Office Savings Banks (Third Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. In the Post Office Savings Banks Rules, 1965, in the Table below rule 3,—

(a) after item (5), the following item shall be inserted, namely:—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "(5A | Sanchayika Account | The authority controlling the funds of the Sanchayika. | Without limit. | One or two persons authorised by the authority controlling the fund of the Sanchayika.";

(b) the following Note shall be added at the end, namely:—

"Note:—The rate of interest on Sanchayika accounts shall be the same as on a Provident Fund account as may be announced by the Government from time to time."

[No. F. 2(4)-NS/71.]

LAKSHMI NARAIN, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय,

### (आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी 1972

**सा०का०नि० 241.**— सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार डाक-घर बचत नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक-घर बचत बैंक (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को लागू होंगे ।

2. डाक-घर बचत बैंक नियम, 1965 में, नियम 3 के नीचे की सारणी में,—

(क) मद (5) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित की जाएगी, अर्थात्—

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| "(5क) | संचायिका निधि | संचायिका निधियों का नियंत्रण करने वाला प्राधिकारी | सीमा रहित | एक संचायिका निधियों का नियंत्रण करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत एक या दो व्यक्ति |

(ख) अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"टिप्पण :—संचायिका लेखों पर ब्याज की दर वही होगी जो भविष्य निधि खाता पर सरकार द्वारा समय-समय पर आख्यायित की जाए ।

[सं० फा० 2(4)—एन० एस०/71.]

लक्ष्मी नारायण, उप-सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 26, 1972/फाल्गुन 7, 1893
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 26, 1972/PHALGUNA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

---

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 1st January 1972*

**G.S.R. 242.**—In exercise of the powers conferred by rules 2 and 8 and clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908(5 of 1908) and in supersession of the notincations of the Government of India in the Ministry of law No G.S.R.348 dated the 22nd February, 1971 and No. G S.R.1226 dated 12th July, 1971 the Central Government hereby appoints the persons named below as Government Pleaders on the Original Side and the Appellate Side of the High Court at Delhi for the purpose of the said Order in relation to any suit by or against the Central Government, not being a suit relating to any Railway administration and the income-tax Department, with effect from 1st January, 1972 and until further orders.

1. Shri B. N. Kirpal,
2. Shri Radha Krishan Mehra,
3. Shri A. B. Saharya,
4. Mrs. Urmila Kapoor,
5. Shri B. Dutta,
6. Shri Ved Prakash Nanda,
7. Shri O. N. Mahindroo,
8. Shri Lalit Bhasin,
9. Shri Ravi N. Dixit,
10. Shri V. P. Singh,
11. Shri Harish Chandra,
12. Shri Chander Kishan Mahajan,

[No. F.24(1)/72-J.]

P. G. GOKHALE, Jt. Secy. & Legal Adviser.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1972

सा०का०नि०—242.— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश के नियम 2 और 8 और नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए और विधि मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 348, तारीख 22 फरवरी, 1971 और सं० सा०का० नि० 1226, तारीख 12 जुलाई, 1971 को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को दिल्ली उच्च न्यायालय में मूलशाखा (ओरिजिनल साइड) और अपीली शाखा (अपीलेट साइड) के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी वाद के सम्बन्ध में, जो रेलवे प्रशासन या आयकर विभाग से सम्बन्धित वाद न हो, उक्त आदेश के प्रयोजन के लिए सरकारी प्लीडर के रूप में 1 जनवरी, 1972 से और आगे आदेश होने तक नियुक्त करती है :—

1. श्री बी० एन० कृपाल
2. श्री राधा कृष्ण मेहरा
3. श्री ए० बी० सहारिया
4. श्रीमती उर्मिला कपूर
5. श्री बी० दत्त
6. श्री वेद प्रकाश नन्दा
7. श्री ओ० एन० महेन्द्रू
8. श्री ललित भसीन
9. श्री रवि एन० दीक्षित
10. श्री वी० पी० सिंह
11. श्री हरीश चन्द्र
12. श्री चन्द्र किशन महाजन

[सं० एफ० 24(1)/72-न्या०]

पी० जी० गोखले,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार।

---

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R. 243.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Analyst in the Department of legal Affairs, Ministry of Law and Justice, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) Junior Analyst Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the sacle of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the Upper age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such, person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6 **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the scheduled castes, the scheduled tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Junior analyst in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and justice*

| Name of Post | No.of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Junior Analysts | One | General Central Service Class II(Gazetted ) Non-Ministerial | Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 | Not applicable | 35 years (Relexable for Government servants). | *Essential :*<br>(i) Degree of a recognised University or equivalent<br>(ii) About 2 years' experience training in the application of work study techniques or Organisation and Methods/ Analytical/Statistical/Operational Research techniques in a Government or semi-Government Organisation or a concern of repute. (Qualifications relaxable at commissions discretion in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*:<br>Knowledge of Governmen rules and regulations. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades, from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By transfer on deputation failing which by direct recruitment | *Transfer on deputation :*<br>Officers holding analogous posts under the Central Government, failing which Assistants of the Central Secretariat Service having to 1 years' service in the grade and possessing qualifications laid down for direct recruits under Column 7.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years) | Not Applicable | As required under the Unon Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958. |

[No. F. 21(4)/70-Adm.I(LA).]

N. D. SINHA, Under Secy.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1972

**सा०का०नि** 243—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:— (1) इन नियमों का नाम विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**:—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती पद्धति की आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट है :—

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति— .

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उस के लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के उपबन्धों में से किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों को प्रभावी नहीं करेगी।

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक के पद के लिए भर्ती नियम की अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कनिष्ठ विश्लेषक | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग II (राजपत्रित) अननुसचिवीय। | 400—25—500—30—590—द०रो० 30—800—द०रो०—30—830—35—900 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताये | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य ।<br>(2) सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन या ख्याति-प्राप्त समुत्थान में कार्य अध्ययन तकनीकों या सगठन और पद्धतियों/विश्लेषणीय/सांख्यिकीय/प्रचालन अनुसंधान तकनीकों के उपयोजन में लगभग 2 वर्ष का अनुभव/प्रशिक्षण/(अन्यथा सुर्हा अभ्यर्थियों के मामले में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)।<br>**वांछनीय**<br>सरकारी नियमों और विनियमों का ज्ञान | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना | भर्ती करने मे किन परिस्थितियों मे सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** केन्द्रीय सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारियों में से, जिसके न होने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों में से, जिसके पास इस श्रेणी में 10 वर्ष की सेवा हो और स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित अर्हताएं हों ।<br>**(प्रतिनियुक्ति की अवधि मामूली तौर पर 3 वर्ष से अनधिक)** | लागू नहीं होता | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित । |

[सं० फा० 21(4)/70-प्रशा० 1 (वि० का०]

एन० डी० सिन्हा, अवर सचिव ।

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 21st January 1972*

**G.S.R. 244(contract/Amendment No. 35).**—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 299 of the Constitution, the President hereby directs that the following amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Law (Department of Legal Affairs) No. G.S.R. 585, dated the 1st February, 1966 relating to the execution of contracts and assurances of property, namely.—

In the said notification:—

1. In Part XXXVI, which relates to the TERRITORIES UNDER THE ADMINISTRATION OF THE CHIEF COMMISSION MANIPUR AS REGARDS CONTRACTS NOT HEREINBEFORE SPECIFIED; for the existing title and the entries thereunder, the following title and the entries shall be substituted, namely:—

"XXXVI. IN THE TERRITORIES UNDER THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATOR OF MIZORAM, AS REGARDS CONTRACTS NOT HEREINBEFORE MENTIONED.

All deeds, contracts and other instruments in matters connected with the administration of the Union Territory of Mizoram: *by the Administrator or the Chief Secretary or a Secretary.*"

2. In Part XXXVII, which relates to the CASE OF THE NORTH-EAST FRONTIER AGENCY AS REGARDS CONTRACTS NOT HEREINBEFORE SPECIFIED; for the existing title and the entries thereunder, the following title and the entries shall be substituted, namely:—

"XXXVII. IN THE TERRITORIES UNDER THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATOR OF ARUNACHAL PRADESH AS REGARDS CONTRACTS NOT HEREINBEFORE SPECIFIED:—

1. (a) Contracts and other instruments in matters connected with prospecting and exploring licences and mining leases; and

(b) Contracts and other instruments for the sale, purchase, supply, carriage or conveyance of stores and building materials and for the provision of labour and for public works and such like engagements;

*by the Administrator or the Chief Secretary or a Secretary or a Deputy Commissioner of the District concened.*

2. (a) Service contracts to be executed in connection with the recruitment of Officers to the Assam Rifles, and

(b) Security Bonds of Cashiers in Battalion Headquarters of the Assam Rifles and other Government servants employed in the Assam Rifles or their sureties to secure the due execution of an office or the due accounting for money or other property received by virtue thereof;

*by the Administrator or the Chief Secretary or the Inspector General of Assam Rifles.*

3. All contracts and instruments relating to matters connected with the sale, purchase, supply, carriage or conveyance of stores and building materials, or for the provisions of labour and service contracts with the staff: *by the Director of Supply and Transport.*

4. All deeds and instruments relating to matters other than those specified in items 1 to 3 above: *by the Administrator or the Chief Secretary or the Secretary (General Administration).*

5. Contracts for the supply of stores to the Assam Rifles Battalions and Headquarters, up to a limit of Rs. 1,00,000: *by the Inspector General of Assam Rifles.*"

3. In Part XXXIX, which relates to TERRITORIES UNDER THE ADMINISTRATION OF THE ADMINISTRATOR TRIPURA, the title and the entries thereunder, shall be deleted.

[No. F. 17(1)/66-J.]

A. DAS GUPTA,
Addl. Legal Adviser.

**(विधि कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

**सा०का०नि० 244 (संविदा/संशोधन सं० 35).**— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संविदाओं और सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों के निष्पादन से सम्बन्धित भारत सरकार के विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 5858, तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

1. भाग XXXVI में, जो, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट न की गई संविदाओं के बारे में मुख्य आयुक्त, मणिपुर के प्रशासन के अधीन राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित है, विद्यमान नाम और उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित नाम और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"XXXVI. इसमें इसके पूर्व उल्लिखित न की गई संविदाओं के बारे में मिजोराम के प्रशासक के प्रशासन के अधीन के राज्यक्षेत्रों में मिजोराम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में सभी विलेख, संविदाएं और अन्य लिखते : **प्रशासक या मुख्य सचिव या किसी सचिव द्वारा।**

2. भाग XXXVII में, जो, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट न की गई संविदाओं के बारे में पूर्वोत्तर सीमान्त एजेन्सी के मामले से सम्बन्धित है, विद्यमान नाम और उसके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित नाम और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"XXXVII. इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट न की गई संविदाओं के बारे में अरुणाचल प्रदेश के प्रशासक के प्रशासन के अधीन के राज्यक्षेत्रों में :

1. (क) पूर्वेक्षण और खोज अनुज्ञप्तियों और खनन पट्टों से सम्बन्धित मामलों में संविदायें और अन्य लिखतें; और

(ख) स्टोर (सामान) और निर्माण सामग्रियों के विक्रय, क्रय, प्रदाय, वहन या प्रवहण के लिए और श्रम की व्यवस्था और लोक निर्माण और वैसे ही अन्य बन्धों के लिए संविदाएं और अन्य लिखतें :

**शासक या मुख्य सचिव या किसी सचिव या संबद्ध जिले के किसी उपायुक्त द्वारा।**

2. (क) असम राइफल के अधिकारियों की भर्ती के सम्बन्ध में निष्पादन किए जाने वाली सेवा संविदाएं ; और

(ख) असम राइफल के बटालियन मुख्यालयों में रोकड़िया और असम राइफल में नियुक्त अन्य सरकारी सेवकों के या किसी पद के सम्यक् निष्पादन को या धन या उसके फलस्वरूप प्राप्त अन्य सम्पत्ति के लिए सम्यक् लेखा-जोखा को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रतिभूओं के प्रतिभूति-पत्र : **प्रशासक या मुख्य सचिव या असम राइफल के महानिरीक्षक द्वारा।**

3. स्टोर (सामान) या निर्माण सामग्रियों के विक्रय, क्रय, प्रदाय, वहन या प्रवहण से संसक्त मामलों से सम्बन्धित सभी संविदाएं और लिखतें या श्रम की व्यवस्था के लिए और कर्मचारी-वृन्द के साथ सेवा संविदाएं : **प्रदाय और परिवहन के निदेशक द्वारा।**

4. उपरोक्त 1 से 3 तक मदों में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न मामलों से सम्बन्धित सभी विलेख और लिखतें : **प्रशासक या मुख्य सचिव या सचिव (साधारण प्रशासन) द्वारा ।**

5. असम राइफल के बटालियनों और मुख्यालयों को, 1,00,000/- रुपये की सीमा तक, स्टोर (सामान) के प्रदाय के लिए संविदाएं : **असम राईफल के महानिरीक्षक द्वारा ।**

3. भाग XXXIX में, जो त्रिपुरा प्रशासन की सरकार के अधीन राज्यक्षेत्रों से सम्बन्धित है, उसका नाम और उसके नीचे की प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी ।

[सं०फा० 17 (1)/66-जे.]

ए० दास गुप्ता,
अपर विधिक सलाहकार ।

---

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 21st January 1972*

**G.S.R. 245.**—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of law No. S.R.O. 351, dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction by or against the Central Government, namely:—

In the Schedule to the said notification, under the heading "XXI-MISCELLANEOUS"—

(i) for sub-heading "E" and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be substituted, namely:

"E. Chief Secretary, Arunachal Pradesh Administration. Secretary, Arunachal Pradesh Administration. Deputy Secretary, Arunachal Pradesh Administration. Under Secretray, Arunachal Pradesh Administration. Director of Supply and Transport, Arunachal Pradesh Administration. Inspector-General of Assam Rifles".

(ii) after sub-heading "I" and the entries relating thereto, the following sub-heading and entries shall be inserted, namely:—

"J. Chief Secretary, Mizoram Administration. Secretary, Mizoram Administration. Under Secretary, Mizoram Administration."

[No. F. 16(I)/72-J.]

S. K. BAHADUR, Dy. Legal Adviser.

**विधि कार्य विभाग**

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1972

**स०का०नि० 245**—सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध किसी सिविल अधिकारिता-वाले न्यायालय में वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने से और सत्यापन से सम्बन्धित भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 351, तारीख 25 जनवरी, 1958 में निम्नलिखित और आगे संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "XXI-प्रकीर्ण" शीर्ष के नीचे.—

(i) "ङ०" उप-शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप-शीर्ष और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

ङ० मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन

सचिव, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ।

उप-सचिव, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ।

अवर सचिव, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ।

प्रदाय और परिवहन का निदेशक, अरुणाचल प्रदेश प्रशासन ।

असम राइफल्स का महा निरीक्षक",

(ii) "ञ" उप-शीर्ष और उसमें सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप-शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"ञ.—मुख्य सचिव, मिजोराम प्रशासन ।

सचिव, मिजोराम प्रशासन ।

अवर सचिव, मिजोराम प्रशासन ।

[सं० फा० 16(1)/72-जे०]

एस० के० बहादुर,
उप विधिक सलाहकार ।

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 246.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309, the President hereby makes the following rules further to amend the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III & IV) rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the fifth day of February, 1972.

2. In the Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and Posts, Class III and Class IV) Rules, 1971, the existing rule 6 shall be re-numbered as sub-rule (1) and after sub-rule (1) as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) For appointment to any reserved vacancy in the Class IV posts other than those referred to in sub-rule (1), the appointing authority may at its discretion relax the minimum educational qualifications, if any, prescribed in respect of such posts in favour of ex-servicemen who are otherwise eligible for appointment to such posts".

[No. 13/3/71-Ests(C).]

## मंत्रिमंडल सचिवालय

### (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

**सा०का०नि० 246.**—अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं और पद श्रेणी 3 तथा 4 में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं और पद, श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 में रिक्तियों का आरक्षण) (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकगे।

(2) ये 5 फरवरी, 1972 से लागू होंगे।

2. भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं और पद, श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 में विद्यमान नियम 6 की संख्या बदल कर उप नियम (1) कर दी जायेगी और इस प्रकार बदली गई संख्या उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट रिक्तियों को छोड़कर श्रेणी 4 के पदों की किसी भी आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति-प्राधिकारी ऐसे पदों के संबंध में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं में, यदि कोई हो, उन भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में स्व-विवेक से छूट दे सकता है जो अन्यथा ऐसे पदों पर नियुक्ति के पात्र हैं।

[सं० 13/3/71-स्थापना (ग)]

---

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 247.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 29th January, 1971.

2. In the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules) rule 2 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) The concession regarding relaxation in educational qualifications admissible under the proviso to sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 5 shall not apply to posts which were advertised by the Commission before the 25th day of November, 1971, the date when these rules were issued."

3. In rule 5 of the said rules, in the proviso to sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2), the words, "after the commencement of these rules" shall be omitted.

[No. 9/14/71-Ests(C).]

*Explanatory Memorandum to the Released Emergency Commissioned Officers and short service commissioned officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) (Amendment) Rules, 1972.*

Under the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) Rules, 1971, reservations have been provided for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers in Class I and II Engineering and Medical Services/Posts with effect from the 29th January, 1971. Since the intention is that concession regarding relaxation in educational qualifications admissible under the proviso to sub-clause (i) of clause (a) of sub-rule (2) of rule 5 of the above mentioned Rules should be made applicable to posts which are advertised by the Union Public Service Commission after the 25th day of November, 1971, this amendment is being issued to clarify the position beyond doubt. Hence the retrospective effect to the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers (Engineering and Medical Services) Reservation of Vacancies (No. II) (Amendment) Rules, 1972. The retrospective effect will not, however, adversely affect the rights of any person.

T. R. PRASAD, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

सा०का०नि० 247.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या II) नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) ये नियम निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या II) (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम 29 जनवरी, 1972 से लागू हुए समझे जायेंगे।

2. निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या II) नियम, 1971 (जो इसके बाद उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट है) के नियम 2 की संख्या बदल कर उसको उपनियम (1) कर दिया जायगा और उस प्रकार बदली गई संख्या उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम जोड़ा जायगा, अर्थात् :—

"(2) नियम 5 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) के परन्तुक के अन्तर्गत स्वीकार्य शैक्षिक अर्हताओं में छूट के संबंध में रिआयत उन पदों पर लागू नहीं होगी जो इन नियमों के जारी किये जाने की तारीख, अर्थात् 25 नवम्बर, 1971 से पूर्व आयोग द्वारा विज्ञापित किये गये थे।"

3. उक्त नियमों के नियम 5 में उप नियम (2) के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) के परन्तुक में "इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्" शब्द हटा दिये जायेंगे।

[सं० 9/14/71-स्थापना (ग)]

निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या II) (संशोधन) नियम, 1972 के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन।

निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या ii) नियम, 1971 के अधीन 29 जनवरी, 1971 से श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाओं / पदों में निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारियों / अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आशय यह है कि उपर्युक्त नियमों के (2) नियम 5 के उप नियम (2) के खण्ड (क) के उप खण्ड (1) के परन्तुक के अन्तर्गत स्वीकार्य शैक्षिक अर्हताओं में छूट के संबंध में रिआयत उन पदों पर लागू नहीं की जानी चाहिए जो 25 नवम्बर, 1971 के बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किए गये हैं। यह संशोधन स्थिति को निःशंक रूप में स्पष्ट करने के लिए जारी किया जा रहा है। इसलिए निर्मुक्त आपात्कालीन कमीशन-प्राप्त अधिकारी तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन-प्राप्त अधिकारी (इंजीनियरी तथा चिकित्सा सेवाएं) रिक्तियों का आरक्षण (संख्या I) (संशोधन) नियम, 1972 से पहले से ही प्रभावी है। परन्तु इनके पहले से प्रभावी होने से किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अवांछित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टी० आर० प्रसाद, अवर सचिव।

---

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 248.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, read with sub-rule (2) of rule 4 of the Central Vigilance Commission (Staff) Rules, 1964, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Assistant in the Central Vigilance Commission, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Vigilance Commission (Statistical Assistant) Recruitment Rules, 1972:—

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Special provision.**—Notwithstanding any thing contained in these rules, the Central Vigilance Commission may, for a period not exceeding three months, make temporary arrangements, if it is not possible to recruit a suitable person to the post in accordance with the provisions of these rules.

6. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:—

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Statistical Assistant. | 1 | General Central Service, Class II (Non-Gazetted) Non-Ministerial. | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Not applicable | 30 years (Relaxable for Government servants). | *Essential*:<br>(i) Master's degree in Statistics or Mathematics/Economics / Commerce (with Statistics) of a recognised University or equivalent.<br>OR<br>Degree of a recognised University with Mathematics/Statistics/Economics as a subject plus a recognised Diploma obtained after at least 2 years post-graduate training in Statistics.<br>(ii) About 2 years experience of Statistical work involving collection, compilation and interpretation of statistical data.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exist, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By transfer/deputation failing which by direct recruitment. | *Transfer deputation*<br>Assistants of the Central Vigilance Commission and Assistants of the Central Secretariat Service possessing a degree with Statistics as one of the subjects from a recognised University or equivalent and having at least 5 years practical experience in Statistical work.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 269/1/71-AYD.II.]

B. C. VANJANI, Under Secy.

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 248.—केन्द्रीय सतर्कता आयोग (कर्मचारी वर्ग) नियम, 1964 के नियम 4 के उपनियम (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति केन्द्रीय सतर्कता आयोग मे सांख्यिकीय सहायक के पद की भर्ती के विनियमन हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) ये नियम केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सांख्यिकीय सहायक) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयोग.**—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में दिखाये गये पद पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पद की संख्या इसका वर्गीकरण तथा इससे सम्बन्धित वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 तक में दिये गये अनुसार होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य योग्यताएं** —उक्त पद के लिए भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य विषय उपर्युक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक मे दिये गये अनुसार होंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारो के मामलों मे ऊपरी आयु सीमा मे छूट दी जा सकती है ।

5. **विशिष्ट उपबन्ध.**—यदि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार इस पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति की भर्ती सम्भव न हो सके तो इन नियमों में की गई किसी भी व्यवस्था के बावजूद केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिक से अधिक 3 महीने की अवधि तक के लिए अस्थायी प्रबन्ध कर सकता है ।

6. **अयोग्यता.**—ऐसा कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का विधित: समझौता किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह करने वाले दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमोंके अन्तर्गत इस तरह के विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के दूसरे आधार भी हों, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम बन्ध न से छूट दे सकती है ।

7. **छूट देने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर हो, वहां वह आदेश द्वारा, लिखित कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

8. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की गई कोई भी व्यवस्था, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशिष्ट वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए किये जाने वाले आरक्षणों और उन्हें दी जाने वाली अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सांख्यकीय सहायक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-2 (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय | रुपये 325-15-475-ई० बी०-20-575 | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है) |

| सीधी भर्ती किये जाने वालों के लिए शैक्षिक तथा अन्य अपेक्षित योग्यताएं | क्या सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी लागू होंगी? | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| अनिवार्य :<br>(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी विषय (स्टेटिस्टिक्स) या गणित/अर्थशास्त्र/वाणिज्य शास्त्र (जिसमें साख्यिकी विषय रहा हो) में एम० ए० की डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री ।<br>या<br>किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की गणित/सांख्यिकी/अर्थशास्त्र विषय के साथ स्नातक डिग्री । इसके अलावा सांख्यिकी विषय में कम से कम 2 वर्ष के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के बाद का मान्यता प्राप्त डिप्लोमा ।<br>(2) सांख्यिकीय कार्य का लगभग 2 वर्ष का अनुभव जिसमें सांख्यिकीय सामग्री (स्टेटिस्टिकल डाटा) को संग्रहीत करने, एवं संकलित करने तथा उसके विवेचन का कार्य निहित है ।<br>(अन्यथा सुयोग्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में यदि आयोग चाहे तो योग्यताओं में छूट दे सकता है ) । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण से भर्ती किये जाने पर वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किये जाने हैं | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका गठन क्या है | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति से, और ऐसा न हो सकने पर सीधी भर्ती से। | स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति :<br>केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उन सहायकों में से जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की सांख्यिकी विषय के साथ स्नातक डिग्री हो या समकक्ष डिग्री हो और जिनके पास सांख्यिकीय कार्य का कम से कम 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि—सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)। | लागू नहीं होता। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

[संख्या 269/1/71—ए वी डी—2]

बी० सी० बन्जानी, अवर सचिव।

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 8th February* 1972

**G.S.R. 249.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the States concerned hereby makes the following rules further to amend the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Services (Provident Fund) Second Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In Rule 8 of the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955, (hereinafter referred to as the said rules), to sub-rule (1), the following proviso shall be added namely:—

"Provided that in the case of subscribers on deputation to a body corporate owned or controlled by Government the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such body".

3. In Rule 9 of the said rules, in sub-rule (3), to clause (b), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-rule (1) of rule 8, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month".

[No. 5/8/71-AIS(II).]

B. NARASIMHAN, Under Secy.

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली 8, फरवरी, 1972

**सा० का० नि० 249.**—अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात्, अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 में और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (I) ये नियम अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि दूसरा संशोधन नियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे।

(II) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. अखिल भारतीय सेवाएं (भविष्य निधि) नियमावली 1955 (एतदोपरांत इसमें जिसे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 के उप नियम (1) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"यह उपबन्ध किया जाता है कि योगकर्ता के सरकार के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में के निगम निकाय में प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में उस निकाय द्वारा अभिदान वसूल किया जायेगा और लेखा अधिकारी को भेज दिया जायेगा।"

3. उक्त नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) खण्ड (ख) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् —

"यह उपबन्ध किया जाता है कि नियम 8 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा की तारीख मास का प्रथम दिन मानी जायेगी यदि यह राशि लेखा अधिकारी को उस मास के पन्द्रहवें दिन से पूर्व प्राप्त हो जाती है।"

[सं० 5/8/71-अ० भा से०(II)]

बी० नरसिंहन्, अवर सचिव।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 2nd February, 1972.*

**G. S. R.250.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes e following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, after Serial No. 67 and the entries lating thereto, the following shall be added, namely :—

SCHEDULE

| No. | Name of the post | Classification, Character and status of the post | Scale of pay of the post | Method of recruitment and percentage of vacancies to be filled up by | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direct recruitment | *Promotion* | | Transfer |
| | | | | | Selection | Seniority fitness | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 68. | Statistical Computer. | General Central Service Class III, Non-gazetted Non-ministerial | Rs. 150—5—160—8—240—EB—8—280—10—300. | By direct recruitment | | | |

| Age limit | Educational and other qualifications required | Probation | Qualifications etc. for recruitment by promotion/transfer | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotion/transfer | Grades/sources from which promotion/transfer is to be made |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Between 19—23 years. | *Essential* :<br>Degree of recognised University or equivalent.<br>*Desirable* :<br>One year's experience of work on computing, card punching and sorting machines. | Two years | Not applicable | Not applicable |

| No. | Name of the post | Classification, Character and status of the post | Scale of pay of the post | Method of recruitment and percentage of vacancies to be filled up by | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Direct recruitment | *Promotion* | | Transfer |
| | | | | | Selection | Seniority fitness | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69. | Machine Operator | General Central Service Class III, Non-gazetted Non-ministerial. | Rs. 130—5—175—EB—6—205. | By direct recruitment | | | |

| Age limit | Educational and other qualifications required | Probation | Qualifications etc. for recruitment by promotion/transfer | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotion/transfer | Grades/sources from which promotion/transfer is to be made |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Between 19—23 years. | *Essential* :<br>(*i*) Intermediate (Science).<br>(*ii*) At least six month's experience of hand computing in machine tabulating Institute.<br>*Desirable* :<br>One year's experience in card punching and verifying. | Two years | Not applicable | Not applicable |

[No. 2/8/71-B(A)]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

नई दिल्ली, 2 फरवरी 1972

जी० एस० आर० 250—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली 1964 मे अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली 1964 की अनुसूची में क्रम संख्या 67 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोडा जाएगा, अर्थात्—

| क्रम संख्या | पदनाम | पद का वर्गीकरण स्वरूप तथा दर्जा | पद का वेतनमान |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| "68 | सांख्यिकी कम्प्यटर | सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी-अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 150—5—160 8—240—द० रो० 8—280—10—300 रुपये |

| भर्ती की पद्धति तथा निम्नलिखित द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | | | | आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती | पदोन्नति | | स्थानान्तरण | |
| | चयन | वरिष्ठता/योग्यता | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ———सीधी भर्ती द्वारा———— | | | | 19 और 23 वर्ष के बीच |

| अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं | परिवीक्षा की अवधि |
|---|---|
| 10 | 11 |
| आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष | दो वर्ष |
| वांछनीय : कम्प्यूटिंग कार्ड पंचिंग तथा सार्टिंग मशीनों पर कार्य का एक वर्ष का अनुभव | |

पदोन्नति तथा स्थानान्तरण से भर्ती के लिए अर्हताएं, आदि

| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति/स्थानान्तरण से भर्ती की स्थिति में लागू होंगी | किन ग्रडों/सेवाओं से पदोन्नति/स्थानान्तरण किया जाना है |
|---|---|
| 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 69 | मशीन आपरेटर | सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी-अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 130—5—175 द०रो० 6—205 रुपये |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| ———सीधी भर्ती द्वारा———— | | | | 19 और 23 वर्ष के बीच |

| 10 | | | | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक : (1) इंटरमीडिएट विज्ञान (2) मशीन टेबु लेटिंग संस्थान में हस्त कम्प्यूटिंग का कम से कम 6 महीने का अनुभव। | | | | दो वर्ष |
| वांछनीय : कार्ड पंचिंग तथा सत्यापन करने का एक वर्ष का अनुभव। | | | | |

| 12 | 13 |
|---|---|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता" |

[संख्या 1/8/71-बी (ए)]

ए० बी० नारायणन्, अवर सचिव।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 251.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (5) of section 30 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Tea Waste (Control) Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Tea Waste (Control) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tea Waste (Control) Order, 1959, after clause 20, the following clause shall be inserted namely:—

"21. *Power to exempt.*—The Licensing Authority may, if he is satisfied that it is necessary and desirable in the public interest so to do, exempt any tea estate, research organisation or any other person whether in possession of a licence under this Order or not, from any of the provisions of this Order."

[No. K 11012(1)/71-PLANT(A)]

N. N. MALHAN, Dy. Director

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 251—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 30 की उपधारा (3) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपशिष्ट चाय (नियन्त्रण) आदेश, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश एतद्द्वारा करती है, अर्थात् —

1. (1) इस आदेश का नाम अपशिष्ट चाय (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1972 होगा।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. अपशिष्ट चाय (नियन्त्रण) आदेश, 1959 में खण्ड 20 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"21—**छूट देने की शक्ति**—अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक और वांछनीय है, इस आदेश के किसी भी उपबन्ध से, किसी भी चाय बागान, अनुसन्धान संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे इस आदेश के अधीन उसके पास अनुज्ञप्ति हो या न हो, छूट दे सकेगा।

[सं० के. 11012(1)/71-प्लाट (ए)]

एन० एन० मल्हन, उप निदेशक।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 26th February 1972*

**G.S.R. 252.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in sub-rule (1) of rule 173-G, after clause (iv) of the proviso, the following clause shall be inserted, namely:—

(v) the Collector may, in circumstances of an exceptional nature, by an order in writing, require an assessee or class of assessees, manufacturing or warehousing goods falling under Item Nos. 25, 26 and 26AA of the First Schedule to the Act, to determine the duty and debit the account-current in such manner as may be specified by him in such order".

[No. 19/72]

S. K. DHAR, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 26 फरवरी 1972

सा० का० नि० 252—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम,

1944 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 173छ के उपनियम (1) में, परन्तुक के खण्ड (4) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(5) कलक्टर, इस अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 25, 26 और 26क के अन्तर्गत आने वाले माल के विनिर्माण या भाण्डागारण करने वाले, किसी निर्धारिती या निर्धारितियों के वर्ग से, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियों में, लिखित आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह शुल्क का अवधारण करे और ऐसी रीति में चालू खाते में डाले जैसी कि उसके द्वारा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ।"

[सं० 19/72]

एस० के० धर, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222

REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 4, 1972/फाल्गुन 14, 1893

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 4, 1972/PHALGUNA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

*New Delhi, the 16th December 1971*

G.S.R. 253.—In pursuance of paragraph 3 of the Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 3, dated the 27th December, 1958, namely:—

In the Schedule to the said notification, after entry 3 in Column 2 against the entry "State of West Bengal", the following entry shall be inserted, namely:—

"4. Assistant Secretary to the Government of West Bengal, Home Department (In respect of the Protected Areas contiguous to Sikkim and Bhutan)."

[No. EI/107/511/69-II.]

GURCHARAN SINGH, Under Secy.

### विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 1971

**जी० एस० आर० 253.**—विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के पैराग्राफ 3 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 3 दिनांक 27-12-1958 में निम्नलिखित संशोधन और करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "पश्चिम बंगाल राज्य" शीर्षक के सामने 2 में प्रविष्टि 3 के बाद, निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी जाए, यथा :—

सहायक सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार गृह विभाग (सिक्किम और भटान के निकटस्थ संरक्षित क्षेत्रों के संबंध में) ।

[सं० ई-1/107/511/69-आई एल]

गुरुचरण सिंह, अवर सचिव ।

---

CORRIGENDUM

*New Delhi, the 10th January 1972*

**G.S.R. 254.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. G.S.R. 1222, dated the 16th June, 1970, published in Part II, Section 3(i) of the Gazette of India, dated the 22nd August 1970, at page 3011, in line 1 from the bottom, for "Rules, 1970" read "(Amendment) Rules, 1970".

[No. CPEC/7/71.]

[No. V. IV/801/2/69.]

K. S. SODHI, Under Secy. (PVA).

## शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 10 जनवरी 1972

**जी०एस०आर० 254**-दिनांक 22-8-1970 के भारत-राजपत्र के भाग II, खंड (3) के पृष्ठ 3011 पर प्रकाशित, भारत सरकार विदेश मंत्रालय की अधिसूचना, जी० एस० आर० सं० 1222, दि० 16-6-1970, में नीचे से पहली पंक्ति में, "नियम 1970" के स्थान पर "संशोधन) नियम, 1970" पढ़ें ।

[सं० सी पी आई ओ/7/70]

के० एस० सोढ़ी, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

### (Department of Legal Affairs)

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 255.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Article 76 of the Constitution and all other powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following rules regulating the remuneration and duties of the Attorney-General for India, the Solicitor-General for India and the Additional Solicitor- General for India, namely:

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Law Officers (Condition of Service) Rules, 1972.

2. **Definitions.**—In these Rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Attorney-General" means the person appointed under clause (1) of article 76 of the Constitution be the Attorney-General for India and includes any person appointed to act as the Attorney-General for India during the period of leave of the permanent incumbent of that office;

(b) "Law Officer" means the Attorney-General for India or the Solicitor-General for India or the Additional Solicitor-General for India.

3. **Term of office.**—(1) A Law Officer shall hold office for a term of three years from the date on which he enters upon his office;

Provided that the appointment of a Law Officer may at any time during his term of office be terminated by three months' notice in writing given either by him to the Government of India or by the Government of India to him.

(2) A person who holds office as a Law Officer shall, on the expiration of his term of office, be eligible for reappointment to that office.

4. **Headquarters.**—(1) The Headquarters of the Law Officer shall be at New Delhi.

(2) A Law Officer may with the permission of the Government of India leave his headquarters during the vacations of the Supreme Court:

Provided that he shall make himself available for duties whenever required by the Government of India.

(3) The Government of India may grant to a Law Officer such leave as it may deem fit.

5. **Duties.**—It shall be the duty of a Law Officer–

(a) to give advice to the Government of India upon such legal matters, and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time, be referred or assigned to him by the Government of India;

(b) to appear, whenever required, in the Supreme Court or in any High Court on behalf of the Government of India in cases (including suits, writ petitions, appeals and other proceedings in which the Government of India is concerned as a party or is otherwise interested;

(c) to represent the Government of India in any reference made by the President to the Supreme Court under article 143 of the Constitution; and

(d) to discharge such other functions as are conferred on a Law Officer by or under the Constitution or any other Law for the time being in force.

**Explanation.**—For the purpose of this rule and sub-rule (1) of rule 7, the expression "Government of India" includes the Government of a Union Territory.

6. **Retainer fees and Allowances.**—(1) For the performance of the duties mentioned in rule 5, a Law Officer shall be paid:—

(a) a retainer, except during the period of his leave—

(i) in the case of the Attorney-General for India of rupees four thousand per month;

(ii) in the case of the Solictor-General for India of rupees three thousand and five hundred per month; and

(iii) in the case of the Additional Solicitor-General for India of rupees three thousand per month;

(b) an office allowance of rupees thirty five per month, except during the period of his leave;

(c) a fee for appearance and other work on behalf of the Government of India in cases before the Supreme Court on the following scale, namely:—

| | |
|---|---|
| (i) writ petitions and appeals. | Rs. 800 per case per day; |
| (ii) special leave petitions and other applications. | Rs. 600 per case per day; |
| (iii) setting pleadings. | Rs. 400 per case; |
| (iv) setting statement | Rs. 600 per case per day; |

(d) a daily fee of rupees nine hundred and sixty for the days of his absence from the headquarters in connection with appearance in any High Court on behalf of the Government of India (irrespective of the number of cases in which he may have to appear on any day), including the days of departure from, and arrival back at, the headquarters.

*Explanation.*—For the purpose of clause (d) days of appearance before the Delhi High Court shall be deemed to be days of absence from the headquarters.

(2) The Attorney-General for India shall be paid an entertainment allowance of rupees two hundred per month.

(3) Where a Law Officer is required, otherwise than under clause (d) of sub-rule (1), to perform journeys outside the headquarters in the course of his duties, he shall be paid travelling and daily allowances on the scale admissible to a Judge of the Supreme Court on tour.

7. **Restrictions.**—A Law Officer shall not—

(a) hold briefs in Court for any party except the Government of India or the Government of a State or any University, Government School or College, local authority, Public Service Commission, Port Trust, Port Commissioners, Government aided or Government managed hospitals, a Government company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), any corporation owned or controlled by the State, or any body or institution in which the Government has a preponderating interest;

(b) advise any party against the Government of India or in cases in which he is likely to be called upon to advise, or appear for, the Government of India;

(c) defend an accused person in a criminal prosecution, without the permission of the Government of India; or

(d) accept appointment to any office in any company or corporation without the permission of the Government of India.

8. **Perquisites.**—The services of personal staff, office accommodation and telephones at the office and residence of a Law Officer shall be provided by the Government of India free of cost.

*Explanation.*—For the purposes of this rule "personal staff" means—

(i) in the case of the Attorney-General for India, a Private Secretary, a Stenographer and a Jamadar,

(ii) in the case of the Solicitor-General for India, a Private Secretary and a Jamadar, and

(iii) in the case of the Additional Solicitor-General for India, a Private Secretary and a Jamadar.

[No. F. 18(7)/70-J.]

P. G. GOKHALE,
Jt. Secy. & Legal Adviser.

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली 16 फरवरी 1972

सा० का० नि० 255 :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 76 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपने प्रसाद से भारत के महान्यायवादी भारत के महासालिसिटर और भारत के अपर महासालिस्टर के पारिश्रमिक और कर्तव्यों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाये हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—इन नियमों का नाम विधि अधिकारी (सेवा की शर्तें) नियम 1972 होगा।

2. **परिभाषायें** :— इन नियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "महान्यायवादी" से संविधान के अनुच्छेद 76 के खण्ड (1) के अधीन भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस पद के स्थायी पदस्थ की छुट्टी की अवधि के दौरान भारत के महान्यायवादी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त कोई व्यक्ति भी है ;

(ख) "विधि अधिकारी" से भारत का महान्यायवादी या भारत का महास लिसिटर या भारत का अपर महासालिसिटर अभिप्रेत है ।

3. **पद की अवधि**—(1) विविध अधिकारी अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु किसी विधि अधिकारी की नियुक्ति उसकी पदावधि के दौरान किसी भी समय या तो उसके द्वारा भारत सरकार को या भारत सरकार द्वारा उसे 3 मास की लिखित सूचना द्वारा समाप्त की जा सकेगी ।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी विधि अधिकारी के रूप में पद धारण करता हो उसकी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुर्ननियुक्ति के लिये पात्र होगा ।

4. **मुख्यालय**—(1) विधि अधिकारी का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

(2) कोई विधि अधिकारी भारत सरकार के अनुज्ञा से उच्चतम न्यायालय के प्रावकाश के दौरान अपना मुख्यालय छोड़ सकेगा :

परन्तु जब कभी भारत सरकार द्वारा अपेक्षित हो, वह कर्तव्यों के लिये स्वयं को उपलभ्य करेगा ।

(3) भारत सरकार किसी विधि अधिकारी को ऐसी छुट्टी दे सकेगी जो वह उचित समझे ।

5. कर्तव्य—किसी विधि अधिकारी का निम्नलिखित कर्तव्य होगा :—

(क) ऐसे विधिक मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना और विधिक हैसियत के ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करना जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उसे निर्दिष्ट किये जायें या सौंपे जायें;

(ख) भारत की ओर से ऐसे मामलों में ( जिनमें वाद, रिट याचिकायें, अपीलें और अन्य कार्यवाहियां सम्मिलित हैं) जिनमें भारत सरकार किसी पक्षकार के रूप में सम्बन्धित है या अन्यथा हितबद्ध है, उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जब कभी अपेक्षित हो उपसंजात होना ;

(ग) संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय को किये गए किसी निर्देश में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन किसी विधि अधिकारी को प्रदत्त किये गये हों ।

स्पष्टीकरण—इस नियम और नियम 7 के उपनियम (1) के प्रयोजन के लिये, "भारत सरकार" पद के अन्तर्गत किसी संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भी है ।

6. प्रतिधारण फीस और भत्ते :—(1) नियम 5 में उल्लिखित कर्तव्यों के अनुपालन के लिये किसी विधि अधिकारी को संदत्त किया जायेगा—

(क) प्रतिधारण, उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान सिवाय—

(i) महान्यायवादी के मामले में प्रति मास 4 हजार रुपये ;

(ii) भारत के महासालिसिटर के मामले में प्रति मास 3 1/2 जार रुपये ; और

(iii) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले में प्रति मास 3 हजार रुपये ;

(ख) उसकी छुट्टी की अवधि के दौरान के सिवाय, प्रति मास 35 रुपये का कार्यालय भत्ता ;

(ग) भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामलों में उपसंजाति और अन्य कार्य के लिये निम्नलिखित मापमान पर फीसें, अर्थात्:—

(i) रिट याचिकायें और अपीलें—प्रति दिन प्रति मामला 800 रु० ।

(ii) विशेष मंजूरी याचिकायें और अन्य आवेदन-प्रतिदिन प्रति मामला 600 रु०;

(iii) अभिवचनों को तय करना—प्रति मामला 400 रु० ; और

(iv) मामले का कथन तय करना—प्रति मामला 600 रु० ; और

(घ) किसी उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से उपसंजाति के सम्बन्ध में मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दिनों के लिये प्रति दिन 960 रु० फीस (मामलों की संख्या को दृष्टि में लाये बिना जिनमें उसे किसी दिन उपसंजात होना हो) जिस के अन्तगत मुख्यालय के प्रस्थान और मुख्यालय वापस आने का दिन भी है ।

स्पष्टीकरण—खण्ड (घ) के प्रयोजन के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उपसंजाति के दिन मुख्यालय से अनुपस्थिति के दिन समझे जायेंगे ।

(2) महान्यायवादी के प्रति मास 200 रुपये का सत्कार भत्ता संदत्त किया जायेगा ।

(3) जहां उपनियम (1) के खंड (घ) अन्यथा किसी विधि अधिकारी से उसके कर्तव्यों के अनुक्रम में मुख्यालय के बाहर प्रवास करना अपेक्षित हो, वहां उसे दौरे पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुज्ञेय मापमान पर यात्रा और दैनिक भत्ते संदत्त किये जायेंगे ।

7. निर्बन्धन—कोई विधि अधिकारी—

(क) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विश्वविद्यालय, सरकारी स्कूल या कालेज, स्थानीय प्राधिकरण, लोक सेवा अयोग, पत्तन न्यास, पत्तन आयुक्त, सरकारी सहायता वाले या सरकार द्वारा प्रबन्ध किये गए अस्पतालों, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में यथा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी, राज्य के स्वामित्व की या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम या किसी निकाय या संस्था, जिसमें सरकार का कोई प्रधान हित हो, के सिवाय, किसी पक्षकार के लिये न्यायालय में वकालात नहीं करेगा ;

(ख) भारत सरकार के विरुद्ध या ऐसे मामलों में, जिनमें भारत सरकार को सलाह देने या भारत सरकार के लिये उनमें उपसंजात होने के लिये उससे संभाव्यतः अपेक्षित की जाये, किसी पक्षकार को सलाह नहीं देगा ;

(ग) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी दाण्डिक अभियोजन में किसी अभियुक्त व्यक्ति के लिये प्रतिवाद नहीं करेगा ; या

(घ) भारत सरकार की अनुज्ञा के बिना किसी कम्पनी या निगम में किसी पद पर नियुक्ति को स्वीकार नहीं करेगा ।

8. **परिलब्धियां** :—निजी कर्मचारिवृन्द, कार्यालय-स्थान र किसी विधि अधिकारी के कार्यालय और निवास पर टेलीफोन सेवायें भारत सरकार द्वारा मुफ्त दी जायेंगी ।

**स्पष्टीकरण**: —इस नियम के प्रयोजनों के लिये "निजी कर्मचारिवृन्द" से—

(i) महान्यायवादी के मामले में, निजी सचिव, आशुलिपिक और जमादार और

(ii) भारत के महासालिसिटर के मामले में निजी सचिव और जमादार,

(iii) भारत के अपर महासालिसिटर के मामले में, निजी सचिव और जमादार अभिप्रेत हैं ।

[सं० फा० 18(7)70—न्या०]

पी० जी० गोखले,
संयुक्त सचिव और विधिक सलाहकार ।

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi, the 10th February* 1972

G.S.R. 256—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes following rules further to amend the National Academy of Administration (Office Establishment Posts) Recruitment Rules, ;, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Academy of Administration (Office Establishment Posts) Recruitment (Amendment) les, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the schedule to the National Academy of Administration (Officer Establishment Posts) Recruitment Rules, 1964, after ial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-A | Senior Clerk | One | General Central Services, Class III, non-Gazetted, Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425. | Selection Post | Between 25 years and 30 years. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| *nitial* : A Degree in Commerce from a recognised University. | Age-No Qualifications—A Degree in Commerce of a recognised University. | 2 years | By transfer failing which by promotion, failing which by direct recruitment. | *Transfer* : " from amongst Senior Stanographers in the Academy who possess a Degree in Commerce. *Promotion* : amongst Junior Stanographers in the Academy who possess a degree in commerce and have at least 5 years regular service in the grade " |

No. F. 32/63/71-AIS (III)/Trg.]

(SHANTA RAO, Under Secy.

## मंत्रिमण्डल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर०256**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय के स्थापनापद) भर्ती नियमावली, 1964 मे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय के स्थापना पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) सरकारी राजपत्र मे इनके प्रकाशन की तारीख से ये लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (कार्यालय के स्थापना पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची मे क्रम संख्या 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड दी जायेंगी, अर्थात् —

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "3-क | वरिष्ठ लिपिक | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3, अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय | रु० 210-10-290-15-320-ई० रो०-15-425 | प्रवरण पद | 25 वर्ष से 30 वर्ष के बीच | **अनिवार्य :**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (कामर्स) वाणिज्य मे उपाधि।<br>(ii) आशुलिपि मे 120 शब्द प्रति मिनट की गति<br><br>**वांछनीय :**<br>लेखा तथा स्टोर संबंधी कार्य मे 3 वर्ष का कार्यालय-अनुभव। | आयु—नहीं<br>योग्यता—मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य मे उपाधि | 2 वर्ष |

| 11 | 12 |
|---|---|
| अंतरण द्वारा, ऐसा न होने पर पदोन्नति द्वारा और इसके अभाव मे सीधी भर्ती द्वारा। | **अन्तरण**<br>अकादमी के वरिष्ठ आशुलिपिकों मे से उपाधि रखता हो।<br>**पदोन्नति**<br>अकादमी के कनिष्ठ आशुलिपिकों मे से जो वाणिज्य में उपाधि रखते हों। तथा जिन की उस ग्रेड मे कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा हो।" |

[सं० 32/63/71-अ०भा०से० (III)]

शान्ता राव, अवर सचिव।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

### (Deptt. of Family Planning)

*New Delhi, the 6th Jaunary 1972*

**G.S.R. 257.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes e following rules regulating the method of recruitment to the post of Librarian in the Central Health Transport Organisation, ew Delhi under the Department of Family Planning, Namely :—

1. **Short title and commencement**:—(1) These rules may be called the Central Health Transport Organisat on (Librarian ecruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**:—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, Classification and scale of pay** :—The number of the said post, its classification and the scale of pay tached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc:** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications id other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit specified for direct recruit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled astes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued from time to time by the Central Govern- ent

5. **Disqualifications**:—No person ;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the id post :

Provided that the Central Governmet may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to ch person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this le

6. **Power to relax :—** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order r reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of ese rules with respect to any class or category of persons.

7 **Saving** : Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belongings the Schedule Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Govern- ent from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | No. of posts | Classification | Scale of Pay. | Whether Selection post or non-Selection Post | Age lims it for direct recruits | Educational and other qualifications required or direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Librarian . . . . . | One | General Central Service Class II (Non - Gazetted Non-Ministerial) | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Not applicable. | 30 years (Relaxable for Government servants) | *Essential* (i) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(ii) Degree or Diploma in Library Science of a recognised University or Institution.<br>(iii) About three years experience in a responsible capacity in a library of standing preferably in a scientific or technical library. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified.<br>*Desirable*. Training and/or experience in documentation and reprography. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | Incase of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from whch promotion deputation/transfer to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its compostion. | Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years. | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A.12018/13/71-Estt. II]
(R. P. Marwaha). Under Secretary

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

## (परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 6 जनवरी 1972

जी० एस० आर० 257 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा परिवार नियोजन विभाग के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन में पुस्तकाध्यक्ष के पद की भर्ती की विधि का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**— (क) इन नियमों को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन (पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती नियमावली 1971 कहा जाए।

(ख) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **उपयोजन**:—इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पद के लिये यह नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**: इन पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जैसा कि इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा और अर्हताएं आदि**—भर्ती की विधि, आयुसीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही हैं जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं। परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के प्रत्याशियों के लिये सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा के लिये शिथिल की जा सकती है।

5 **अनर्हताएं**: वह व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा:

(1) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा दी है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह इस प्रकार के व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है, वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामलों में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध से आदेश जारी कर छूट दे सकती है।

7. **प्रतिबन्ध**: इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियो तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये किये जाने वाले आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों में निहित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पदनाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद | सीधी भर्ती के लिए आयु | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| पुस्तकालयाध्यक्ष | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराज-पत्रितअननुसचवीय | रु० 325–15–475द० रो०–20–575 | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय | अनिवार्य<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय की डिग्री अथवा समकक्ष ।<br>(2) पुस्तकालय विज्ञान में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यायल अथवा संस्थान की डिग्री अथवा डिप्लोमा ।<br>(3) किसी प्रसिद्ध पुस्तकालय में विशेषत: वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पुस्तकालय के अधीन किसी उत्तर-दायी पद के कार्य का लगभग तीन वर्ष का अनुभव ।<br>(अन्यथा अच्छी अर्हताप्राप्त प्रत्या-थियों के लिये आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय) ।<br>वांछनीय<br>: प्रलेख पोषण तथा रि प्रोग्राफी में प्रशिक्षण तथा अथवा अनुभव । |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होगी । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता | पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियामकली 1958 के अधीन यथोपेक्षित । |

[स०ए० 120/8/13/71–स्थापना II]

आर० पी० भरवाहा
अवर सचिव ।

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 288.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain class II medical posts in the All-India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta (Class II Medical Posts) Recruitment Rules, 1972.

2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attched thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be by order for reasons to be recorded in writting and in consulatation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories and persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of the Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-selection post | Age limit for direct recruitment | Education and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Assistant Medical Officer (Tuberculosis) | 2 | General Central Services Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs 325-15 475-EB-20-575. | Not Applicable | 30 years (Relaxable for Government servants) | *Essential:* A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (Other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956 Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956. |
| 2. School Medical Officer | 1 | | | | | |
| 3. Demonstrator (Medical) (Bio-chemistry and Nutrition) | 2 | | | | | |
| 4. Demonstrator (Medical) (Maternity and Child Welfare) | 2 | | | | | |
| 5. Demonstrator (Medical) (Public Health Administration) | | | | | | |
| 6. Rural Medical Officer of Health. | | | | | | |
| 7. Field Instructor (Medical) | 1 | | | | | |
| 8. Assistant Medical Officer (Venereal Diseases) | 1 | | | | | |
| 9. Assistant Bacteriologist (Medical) | 1 | | | | | |
| 10. Demonstrator (Medical) (Epidemiology) | 1 | | | | | *Desirable:* *For post at S. No. 1.* (1) T.D.D. or D.P.H. (2) Experience in work relating to Tuberculosis. *For post at S. No. 2.* (1) DPH/DMCW/DCH (2) Hospital experience in Medicine and Paediatrics. *For post at S. No. 3.* Experience in Biochemistry or Nutrition. |
| 11. Research Assistant (Medical). | 1 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | *For post at S. No. 4.*<br>Experience in Maternity and Child Welfare work in Hospital/or Clinics.<br>*For post at S. No. 5.*<br>D.P.H.<br>*For post at S. No. 7.*<br>Experience in Clinical Field work<br>*For Post at S. No. 8.*<br>Experience in Venereal Diseases work.<br>*For post at S. No. 9.*<br>Experience in Bacteriological work<br>*For post at S. No. 11.*<br>Training in Industrial Hygiene. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotions | Period of Probation | Method of recruitment whether by direct promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment. | Not applicable. | No applicable. | As required under the Union Public Services Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Demonstrator (Microbiology) | (Medical) 4 | Do. | Do. | Do. | Do. | *Essential :*<br>A recognised medical qualification included in the First or Second Schedule or Part II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in subsection (3) of section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956.<br>OR<br>M.Sc. degree in Microbiology with experience of Medical Microbiology *or* immunology. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

[No. F. 27-22/70-P.H.]

K. SATYANARARANA, Under Secy.

**(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

**जी०एस०आर०** 258—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोकस्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता में श्रेणी–II के चिकित्सा के कतिपय पदों की भर्ती विधि का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** :—(1) ये नियम अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता (श्रेणी–II चिकित्सा पद) भर्ती नियमावली, 1972 कहलाये जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. **उपयोजन** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएतथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है ।

5. **अनर्हता** :—कोई व्यक्ति;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता । करती सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है ।

**अपवाद** :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों तथा अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमो जन जाति निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित तथा शैक्षिक अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 सहायक चिकित्सा अधिकारी (क्षय रोग)<br>2 स्कूल चिकित्सा अधिकारी<br>3 निदर्शक (चिकित्सा) (जीव रसायन एवं पोषण)<br>4 निदेशक (चिकित्सा) (मातृ एवं शिशु-कल्याण)<br>5 निदेशक (चिकित्सा) (जन स्वास्थ्य प्रशासन)<br>6 ग्राम-चिकित्सा-स्वास्थ्य अधिकारी<br>7 क्षेत्र अनुदेशक (चिकित्सा)<br>8 सहायक चिकित्सा अधिकारी (रति रोग<br>9 सहायक जीवाणु विज्ञानी (चिकित्सा) | 2<br>1<br>3<br>2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II राजपत्रित अननुभागीय | 325-15-475- दo रोo 20-575 | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय) | अनिवार्य भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग 2 (लाईसेंशियेट अर्हताओं को छोड़कर) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता तृतीय अनुसूची के भाग 2 में समिलित शैक्षिक अर्हता धारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबन्धित शर्तों को भी पूर करना चाहिये।<br>वांछनीय :<br>**क्रमसंख्या 1 में उल्लिखित पद के लिये**<br>(1) टी०डी०सी० अथवा डी०पी०एच०<br>(2) क्षय रोग से सम्बन्धित कार्य का अनुभव<br>**क्रम संख्या 2 में उल्लिखित पद के लिये**<br>(1) डी०पी०एच०/ डी०एन०सी०डब्ल्यू/ डी०सी०एच० (2) चिकित्सा एवं बाल रोग चिकित्सा में अस्पताल का अनुभव<br>**क्रम संख्या 3 में उल्लिखित पद के लिये**<br>जीवरसायत अथवा पोषण का अनुभव |
| 10 निदेशक चिकित्सा) (जानपदिक रोग रोग विज्ञान) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II | 325-15 475 दo रोo 20-575 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिलनीय | **क्रम संख्या 4 में उल्लिखित** पद के लिये अस्पताल/ क्लीनिक में मातृ एवं शिशु |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | अनुसंधान सहायक (चिकित्सा) | 1 अराजपत्रित अननुसचिवीय | | | शिथिलनीय) | कल्याण का अनुभव क्रम संख्या 5 में उल्लिखित पद के लिये। डी०पी०एच० क्रम संख्या में उल्लिखित पद के लिये। कलीनिकल क्षेत्र कार्य का अनुभव। क्रम संख्या 8 में उल्लिखित पद के लिये : रतिरोग कार्य का अनुभव। क्रम संख्या 9 में उल्लिखित पद के लिये। जीवाणु विज्ञान विषय कार्य का अनुभव। क्रम संख्या में उल्लिखित पद के लिये। औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान में प्रशिक्षण |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| कया पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता। | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिसमे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है। | परिस्थियतयो जिनमे भर्ती के लिए सघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अधीन यथोपेक्षित। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 निदर्शक (चिकित्सा) सूक्ष्म जीव विज्ञान | 4 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-II अराजपत्रित अननुसचिवीय | 325-15-475 द०रो०-20-575 ६० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय | **अनिवार्य :** भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम अथवा द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग 2 (लाइसेंशियेट अर्हताओं को छोड़कर) में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता । तृतीय अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हता धारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) में अनुबद्धित शर्तों को भी पूरा करना चाहिये ।<br>**अथवा**<br>सूक्ष्मजीव विज्ञान में एम० एस०सी० की डिग्री सहित चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा रोगक्षमता विज्ञान का अनुभव । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|

[सं० प० 27-22/70—जन स्वा०]

के० सन्यनारायण, अवर सचिव ।

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 8th February 1972*

**G. S. R. 259.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (School Health Education), Central Health Education Bureau in the Directorate General of Health Services, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Deputy Director (School Health Education), Central Health Education Bureau Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number, classification and scale of pay.**—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriag with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered int or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the othe party to the marriage and there are other grounds fo so doing, exempt any persons from the operation o this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writin and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Deputy Director (School Health Education), Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, Department of Health*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Deputy Director (School Health Education) | 1 | General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial | Rs. 1300—60—1600 | Not applicable | 45 years and below (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(*i*) Masters' degree in Arts o Science from a recognise University or equivalent.<br>(*ii*) Degree or Diploma in teaching or Education.<br>(*iii*) About 12 years experienc in education of which abou 7 years should be in planning coordinating, organising an supervising work related t School Health Education and teacher training.<br>(*iv*) Administrative experience<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case o candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :<br>A post-graduate qualification in Public Health like Diploma of Public Health, Master in Public Health, Master in Science in Hygiene or Public Health etc |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a D.P.C exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S C .is to be consulted in making recriutment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | No applicable | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission Exemption from Consutlation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/14/71-Estt(P).]

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972.

**जी०एस० आर०** 259 संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो, में उप निदेशक (स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा) के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने के शिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** : (1) ये नियम उप निदेशक (स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो भर्ती नियमावली, 1971 कहलाये जा सकेंगे।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2 **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है।

3 **भर्ती की विधि, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयू सीमा अर्हताएं तथा अन्य बाते वहीं होंगी जैसा कि उक्त अनसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सामान्य आदेशों के अनूसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

4 **अर्हता** : कोई व्यक्ति ;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता / करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति / एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता / करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, औरऐसा करने के अन्य आधार है, किसी भी व्यक्ति की इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5 **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इष्टानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रुप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है।

6 **अपवाद** :—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किय गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षण तथा अन्य रिआयतो की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| उप निदेशक (स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी—I राजपत्रित अननुसचिवीय | 1300—60—1600 रु० | लागू नही होता | 45 वर्ष और कम (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) | अनिवार्य :<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला अथवा विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा इसके समकक्ष।<br>(2) शिक्षण अथवा शिक्षा में डिग्री अथवा डिप्लोमा।<br>(3) शिक्षा में लगभग 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से लगभग 7 वर्ष का अनुभव स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण से सम्बन्धित योजना समन्वयन, संगठन तथा पर्यवेक्षण कार्य का हो।<br>(4) प्रशासनिक अनुभव।<br>(उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने की स्थिति में आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)<br><br>वांछनीय :<br>डिप्लोमा आफ—पब्लिक हैल्थ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर आफ साइंस इन हाईजीन अथवा पब्लिक हेल्थ इत्यादि की भांति लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर अर्हता। |

| क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में प्रत्यक्ष भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता । | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है । | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघीय लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली 1958 के अधीन, यथोपेक्षित । |

[सं० ए० 12018/13/71-स्थापना (नीति)]

**G.S.R. 260.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Research) Central Health Education Bureau in the Director General of Health Services, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Health Services, Deputy Director (Research) Central Health Education Bureau Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualification.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Deputy Director (Research) | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 1300—60—1600 | Not applicable | 45 years (Relaxable for Government servants) | *Essential* :<br>(*i*) First Class Master's degree in Anthropology, Psychology or Sociology of a recognised University or equivalent<br>(*ii*) About 12 years experience in applied or field research in Social Science on problems related oruraldevelopment,of which about 7 years should be in behavioural research related to health and health education problems.<br>(*iii*) Teaching experience in a recognised Public Health Institute.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwies well qualified).<br>*Desirable* :<br>A post-graduate qualification in Public Health like Master of Public Health, Master of Science in Hygine or Public Health. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstancess in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation)Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/14/71-Estt. (P.)]

R. N. SINHA, Under Secy.

**जी० एस० आर० 260.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो में उप निदेशक (अनुसंधान) के पद की भर्ती विधि को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो उप निदेशक (अनुसन्धान) भर्ती नियमावली 1972 कहलाये जा सकेंगे।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. उपयोजन.—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.**—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की विधि, आयु सीमा अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की विधि आयु सीमा, अर्हताएं तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं।

परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष प्रवर्गों के अन्य व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शिथिल की जा सकती है।

5. अनर्हता.—कोई व्यक्ति;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा इच्छानुकूल है वहां वह कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को आदेश जारी कर शिथिल कर सकती है।

7. **अपवाद.**—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए जिन आरक्षणों और अन्य रिआयतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है उन पर इन नियमों में निहित किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | पद सलैक्शन है अथवा नान-सलैक्शन | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| उप निदेशक (अनुसन्धान) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–I राजपत्रित | 1300–60–1600 रु० | लागू नहीं होता | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) | **अनिवार्य :**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से मानव विज्ञान, मनोविज्ञान अथवा समाज विज्ञान में प्रथम श्रेणी की मास्टर डिग्री अथवा इसके समकक्ष ।<br>(ii) ग्राम विकास सम्बन्धित समस्याओं पर आधारित सामाजिक विज्ञान में व्यावहारिक अथवा क्षेत्रीय अनुसन्धान कार्य का लगभग 12 वर्ष का अनुभव जिसमें स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा समस्याओं से सम्बन्धित आचरणीय अनुसन्धान में लगभग सात वर्ष का अनुभव हो ।<br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त लोक स्वास्थ्य संस्थान में शिक्षण का अनुभव (अथवा सुयोग्य अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में आयोग की स्वेच्छा पर अर्हताएं शिथिलनीय है)<br>**वांछनीय :**<br>मास्टर आव पब्लिक हैल्थ, स्वास्थ्य विज्ञान अथवा लोक स्वास्थ्य में मास्टर आव साइंस की भांति लोक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर अर्हता । |

| ा पदोन्नति से रूप ने वाले उम्मीदवारों मामले में प्रत्यक्ष भर्ती ये जाने वाले व्यक्तियों लिए निर्धारित आयु र शैक्षिक अर्हताएं गू होंगी । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भर जाने वाले पदों की प्रतिशतता । | पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है | परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघीय लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| गू नहीं होता | 2 वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघीय लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) नियमावली, 1958 के अधीन यथापेक्षित । |

[सं० ए०. 12018/14/71-स्थापना (नीति)]

रबीन्द्र नाथ सिन्हा, अवर सचिव ।

**INISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE**
**(Department of Education)**

*New Delhi, the 22nd January 1972*

G.S.R. 261.—In exercise of the powers conferred by ie proviso to article 309 of the Constitution, and in ipersession of the existing rules on the subject, the resident hereby makes the following rules regulating ie method of recruitment to Class I and Class II posts the National Fitness Corps Directorate under the inistry of Education and Social Welfare, (Department Education), namely:

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules ay be called the National Fitness Corps Directorate lass I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their ublication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts ecified in column 1 of the Schedule annexed to these ules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay.**—he number of the said posts, their classification and ie scales of pay attached thereto shall be as specified columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications tc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications, and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid,

5. **Disqualifications.**—No person.

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for Class I and Class II Gazetted Posts in the National Fitness Corps Directorate under the Ministry of Education and Social Welfare.*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post. | Age limit for direct recruits | Educational & other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Director General, National Fitness Corps. | 1 | General Central Service Class I (Gazetted) | Rs. 1800-100-2000 | Not Applicable | Preferably below 50 yrs. | *Essential:* (i) A degree of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 12 Years general administrative experience in a responsible capacity with ability and capacity for organisation, in civil/Military organisation, or in an Institute of teaching/training in Physical Education<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.)<br>*Desirable :*<br>(i) Proficiency in Sports and games.<br>(ii) Experience of organising Military/Physical training and/or Physical Training Camps/Courses.<br>(iii) Knowledge and back-ground of current developments in physical education. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of Rectt. by promotion deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 Years | By transfer/deputation, failing which by direct recruitment. | By Transfer/deputation of an officer of the Armed Forces not below the rank of Colonel or its equivalent, failing which by direct recruitment of :—<br>(a) A retired Officer of the Armed Forces not below the rank of Colonel or its equivalent ; or<br>(b) A civilian (Period of deputation ordinarily not exceeding 5 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Director, National Fitness Corps. | 1 | General Central Services Class I (Gazetted) | Rs. 1100—50—1400 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable. | By Transfer/deputation | *Transfer/Deputation* :<br>Officer of an all India Service or of Central Class I Services or Grade I of the Central Secretariat Service.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 5 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Deputy Director | 1 | General Central Service Class II (Gazetted). | Rs. 700—40—900. | Selection | Not exceeding 40 years (relaxable for Govt. servants). | *Essential* :<br>(*i*) A degree of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 5 years administrative experience in a responsible capacity, preferably in the Education Department of Govt. or in a recognised teaching Institution.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>*Desirable* :<br>Experience of Organising physical training camps/courses. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years. | 50% by promotion failing which by transfer/deputation and failing both by direct recruitment. | *Promotion* :<br>Assistant Director, N.F.C. with about 5 years regular service in the grade.<br>*Transfer Deputation* :<br>Section Officer with about 5 years service in the grade.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental promotion. Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations 1958.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Assistant Director | 1 | General Central Service Class II (Gazetted). | Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—830—EB—35—900. | Selection | Not exceeding 40 years (relaxable for Govt. servant). | *Essential* :<br>(i) A degree of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 3 years [administrative experience in a responsible capacity, preferably in the Educational Department of Government or in a recognised teaching Institution.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.<br>*Desirable*]:<br>Experience of work connected with Physical training camps/courses and youth welfare activities. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Age : No<br>Qualifications: Yes<br>(*Essential only*) | 2 years | 50% by promotion, failing by which transfer on deputation and failing both by direct recruitment.<br>50% by transfer/deputation failing which by direct recruitment. | *Promotion* :<br>Superintendent N.F.C. with 5 years regular service.<br>*Transfer/Deputation* :<br>Section Officers of the Central Secretariat Service with about two years service in the grade.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations) 1958. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Assistant Director (Accounts) | 1 | General Central Service Class II (Gazetted). | Rs 400—25—500—30—590—EB—30—830—EB—35—900. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Not applicable. | By Transfer/Deputation | *Transfer/Deputation* :<br>Suitable Accounts Officers failing which permanent SAS Accountants with 5 years service in the grade from any of the organised Accounts Departmentviz. Indian Audit and Accounts Department and Indian Railway Accounts Department.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958. |

[No. A.12018/4/71-YSI(3).]

P. KRISHNAMOORTHI, Dy. Secy.

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**(शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 261 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर विद्यमान नियमों के अधिक्रमण में, राष्ट्रपति, इसके द्वारा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अधीन राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय में पहली तथा दूसरी श्रेणी के पदों में भर्ती के लिये भर्ती प्रणाली का नियमन करने के हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय (पहली तथा दूसरी श्रेणी के पद) भर्ती नियम 1972 कहा जायें ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयोज्यता.**—इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के कालम एक में निर्दिष्ट पद के लिये यह नियम लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान उसी प्रकार होंगे, जिस प्रकार उक्त अनसूची के कालम 2 से 4 तक में निर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा, अर्हतायें आदि.**—इन पदों के लिये भर्ती की प्रणाली, आयु सीमा, अर्हतायें तथा भर्ती से सम्बन्धित अन्य विषय उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार उपरोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट हैं ।

5. **अयोग्यतायें.**—कोई भी ऐसा व्यक्ति :

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, अथवा

(ख) जो पति/पत्नी के रहते हुये किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबन्ध अथवा विवाह करता है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा ।

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसे विवाह की अनुमति है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **रियायत देने का अधिकार**—यदि केन्द्रीय सरकार यह समझे कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह कारणों का लिखित अभिलेख रखते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों या पदों के सम्बन्ध में इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत देने का आदेश दे सकती है ।

7. **अधिबन्ध**—इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों तथा आरक्षणों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के राजपत्रित पदों के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद[3] है अथवा अप्रवरण पद[4] | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये आयु सीमा | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. महानिदेशक राष्ट्रीय स्वस्थता कोर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग—1 राजपत्रित[5]। | रु० 1800—100—2000 | लागू नहीं होता। | 50 वर्ष से कम को वरीयता। | अनिवार्य :<br>1. किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से डिग्री या उसके समकक्ष।<br>2. किसी जिम्मेदार पद पर लगभग 12 वर्ष का सामान्य प्रशासनिक अनुभव साथ में किसी सिविल/सेना के संगठन अथवा शिक्षण संस्थान/शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण के संचालन में योग्यता तथा क्षमता (यदि उम्मीदवार अन्यथा सभी प्रकार से अर्हता प्राप्त हो तो संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)।<br>वांछनीय :<br>1. खलों में प्रवीणता।<br>2. सैनिक/शारीरिक शिक्षा तथा अथवा शारीरिक शिक्षा के शिविरों/पाठ्यक्रमों के आयोजन का अनुभव।<br>3. शारीरिक शिक्षा के वर्तमान विकासों की पृष्ठ भूमि का ज्ञान। |

| क्या प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये निर्धारित की गई आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली तथा यदि भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा नियुक्ति तबादले और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की प्रतिशतता | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति रूप। तबादले द्वारा की जानी हो तो उन ग्रेडों के नाम जिनसे पदोन्नति। प्रतिनियुक्ति तबादला किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है | जिन परिस्थितियों में भर्ती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता। | 2 वर्ष | तबादले/प्रतिनियुक्ति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा | सशस्त्र सेना के कर्नल अथवा उसके बराबर के पद के किसी अधिकारी के तबादले/प्रतिनियुक्ति द्वारा अन्यथा निम्नलिखित से सीधी भर्ती द्वारा : (क) सशस्त्र सेनाओं के कर्नल अथवा उसके बराबर के पद का कोई सेवा निवृत्त अधिकारी अथवा (ख) कोई सिविलियन (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पांच वर्षों से अधिक नहीं होगी )। | लागू नहीं होता। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. निदेशक, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग–1 राजपत्रित। | रु० 1100–50–1400 | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। | तबादले/प्रतिनियुक्ति द्वारा। | तबादला/प्रतिनियुक्ति : अखिल भारतीय सेवा अथवा केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 सेवा अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड 1 का अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण तया 5 वर्ष अधिक नहीं होगी)। | लागू नहीं होता। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. उप-निदेशक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग–II राज-पत्रित । | रु० 700—40— 900 | प्रवरण | 40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी कर्मचारियों के लिये छूट) । | **आवश्यक** :<br>1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके तुल्य ।<br>2. किसी जिम्मेदार पद पर पांच वर्ष के लगभग का प्रशासनिक अनुभव/ सरकार के शिक्षा विभाग अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था में की गई सेवा को वरीयता दी जायेगी ।<br>यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से अर्हताप्राप्त हो तो संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।<br>**वांछनीय** :<br>शारीरिक शिक्षा के कैम्पा/ पाठ्यक्रमों के आयोजन/ का अनुभव । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | 2 वर्ष । | 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर तबादले/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **पदोन्नति** :<br>रा० स्व० कोर का सहायक निदेशक, जिसकी उस ग्रेड में लगभग 5 वर्ष की नियमित सेवा है ।<br>**तबादला/प्रतिनियुक्ति** :<br>ग्रेड में लगभग 5 वर्ष की सेवा वाला अनुभाग अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | वर्ग 2, विभागीय पदोन्नति समिति । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन अपेक्षित है । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 महायक निदेशक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग–2 राजपत्रित । | रु० 400–25–500–30–590—द०रो०–30–800–द०रो०–35–900 । | प्रवरण | 40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये छूट) । | **अनिवार्य :**<br>किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा उसके तुल्य ।<br>2. किसी जिम्मेदार पद पर लगभग 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, सरकार के शिक्षा विभाग अथवा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था की सेवा को वरीयता दी जायेगी ।<br>यदि उम्मीदवार अन्य सभी प्रकार से अर्हताप्राप्त हो तो संघ लोक सेवा आयोग की इच्छा पर अर्हताओं में छूट दी जा सकती है ।<br>**वांछनीय :**<br>शारीरिक शिक्षा शिविरों, पाठ्यक्रमों तथा युवक कल्याण कार्यकलापों से सम्बन्धित कार्य में अनुभव हो । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| आयु—नहीं<br>अर्हताये—हां<br>(केवल अनिवार्य) | 2 वर्ष | 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, न मिलने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर तबादले द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।<br>50 प्रतिशत तबादले/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **पदोन्नति :**<br>पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले रा० स्व० कोर के अधीक्षक ।<br>**तबादला/प्रतिनियुक्ति**<br>ग्रेड में लगभग दो वर्ष की सेवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | वर्ग–2 विभागीय पदोन्नति समिति । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. सहायक निदेशक (लेखा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–2 राजपत्रित । | रु० 400–25–500–30–590–द०रो०–30–830–द०रो०–35–900 | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | तबादले/प्रतिनियुक्ति के द्वारा । | **तबादला/प्रतिनियुक्ति** उपयुक्त लेखा अधिकारी जिसके न मिलने पर स्थायी एस० ए० एस० लेखापाल, जिनकी भारतीय लेखा परीक्षा तथा रेलवेलेखा विभाग तथा भारतीय लेखा विभाग जैसे सगठित लेखा विभागों में से किसी विभाग मे ग्रेड मे पाच वर्ष की सेवा हो । प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण तया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । | लागू नहीं होता | जैसा कि सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन अपेक्षित है। |

[संख्या ए० 12018/4/71–वाई० एस०1–3]

एस० कृष्ण मूर्ति, उपसचिव,

*New Delhi, the 10th February 1972*

**G.S.R. 262.**—In pursuance on clause (d) of sub-section (1) of section 2 of the Victoria Memorial Act, 1903 (10 of 1903) and of rule 1 of the rules framed under section 5 of the said Act, the Central Government hereby nominates the Right Reverand Joseph Amritanand, Lord Bishop of Calcutta, 51 Chowringhee Road, Calcutta-16, as a Trustee of the Victoria Memorial Calcutta *vice* Shri Frank Anthony, for a period of five years from the date of publication of this notification in the Gazette of India.

[No. F. 6-36/70-CAI(5).]

SARAN SINGH, Under Secy.

**(सांस्कृतिक विभाग)**

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

**जी०एस०आर० 262**—विक्टोरिया स्मारक अधिनियम, 1903 (1903 का 10वां) की धारा 2 उप धारा (1) के खण्ड (घ) और उक्त अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत गठित नियमों के नियम 1 के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा राईट रेवड जोसफ अम्रतानन्द, लार्ड विशप आफ कलकत्ता, 51 चारंगी रोड, कलकत्ता–16 को श्री फ्रेंक एथानी के स्थान पर भारत के रोड, कलकत्ता–16 को श्री फ्रेंक एथानी के स्थान पर भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता के न्यासी के रूप में नियुक्त करते है।

[सं० 6–36/70–सी०ए०अ ई (5)]

सरनसिंह, अवर सचिव

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 263.**—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

(i) This Scheme may be called the Employees' Provident Fund (Amendment) Scheme, 1972.

(ii) In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, in clause (b) of sub-paragraph (3) of paragraph 1, sub-clause (LXVIII) shall be renumbered as sub-clause (LIX) and before sub-clause (LIX) as so reunmbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(LXVIII) as respects factories engaged in the winding of thread and yarn reeling covered by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 1988 dated the 22nd November, 1971 come into force on the 30th day of November, 1971".

[No. 5/189/66/PF.-II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

**(श्रम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

**सा० का० नि०** 263—कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् —

(i) इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1972 होगा।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, में पैरा 1 के उपपैरा (3) के खण्ड (ख) में, उपखण्ड (68), उपखण्ड (69) के रूप में पुनर्साख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपखण्ड (69) से पूर्व निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(68) भारत सरकार के श्रम, नियोजन और पुनर्वास मन्त्रालय (श्रम और नियोजन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1988 तारीख 22 नवम्बर, 1971 की बाबत;

1971 के नवम्बर मास के तीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे।

[सं० 5/189/66-पी एफ-II]

दलजीत सिंह, अवर सचिव।

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

**(Department of Mines)**

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 264.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1967, against serial unmber 39 relating to the post of Translator, under column 7, for the exising entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"*Essential*:

(i) Degree of a recognised university, preferably in Science subjects.

(ii) Sound knowledge of any one of the following languages (according to the requirement of the post):—

(a) French

(b) German

(c) Russian

(Qualifications relaxable at the Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)".

[No. A. 12018/17/71-M2.]

V. G. NIGAM, Dy. Secy.

## PLANNING COMMISSION

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 265.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Planning Commission (Economic Adviser) Recruitment Rules, 1966, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Economic Adviser in the Planning Commission, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Planning Commision (Economic Adviser) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruits in column 6 of the said Schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or the post.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Economic Adviser in Planning Commission*

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non Selection Post | Age for direct recruits | Education qualifications for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Economic Adviser | 1 | General Central Service Class I. | Pay not exceeding Rs. 3,000/- per month (Pay of the selected officer to be fixed keeping in view his/her status qualifications, experience, etc.) | Not Applicable. | Preferably below 50 years. | *Essential :* An eminent economist preferably possessing a Doctorate in Economics with a distinguished record of independent research and administrative experience. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Mtheod of recruitmen whether by direct recruitment or by promotion or deputation transfer or and percentage of the vacancieus to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is composition | Circumstiances which U P S C consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment or by transfer on deputation (including short term contract), the precise method to be docided on each occasion in consultation with the Union Public Service Commission | *Transfer on deputation* :— (including short term contract) Suitable officers of appropriate standing serving under the Central or State Governments/ Reserve Bank of India/State Bank of India /Universities/ recognised Research Institutions<br>(Period of deputation/contract ordinarily not exceeding 5 yaers). | Not applicable | As required under the Union Public service Commission Exemption from, Consulation) Regulation 1958, read with the provisions under column 100<br>— |

[No.F.23 (3)/66-Adm-I]

N K. AGGARWAL, Under Secy

## योजना आयोग

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 265.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (आर्थिक सलाहाकार) भर्ती नियम, 1966 को अतिष्ठित करते हुए योजना आयोग में आर्थिक सलाहाकार के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**:—(1) इन नियमों का नाम योजना आयोग (आर्थिक सलाहकार) भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगें।

2. **लागू होना**:—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंग जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं**:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट हैं ;

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाल गए आदशों के अनुसार, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यार्थियो के सबंन्ध मे शिथिल की जा सकेगी ;

5. **निरर्हताएं**:—वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया, या

(ख) जिसने अपन पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पद की बाबत, आदेशों द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

## अनुसूची

योजना आयोग में आर्थिक सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आर्थिक सलाहकार | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग । | वेतनमान 3000रु० प्रतिमास से अधिक न होगा (चयनित अधिकारी का वेतन उसकी हैसियत अर्हताएं, अनुभव, आदि को ध्यान में रखते हुए नियत किया जाएगा) | लागू नहीं होता | अधिमानतः 50 वर्ष से कम |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| **आवश्यक:—**<br>कोई प्रख्यात अर्थशास्त्री, अधिमानतः जिसके पास स्वतंत्र अनुसंधान और प्रशासनिक अनुभव के किसी विशिष्ट रिकार्ड के साथ अर्थशास्त्र में डाकटर की उपाधि हो । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक-सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा या प्रतिनियुक्त पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है), ठीक-ठीक रीति का विनिश्चय प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा । | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:— (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा संविदा भी है), केन्द्रीय या राज्य सरकारों/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय स्टेट बैंक/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनसंघानों संस्थाओं में सेवारत समुचित ख्यातिप्राप्त उपयुक्त अधिकारी । (प्रतिनियुक्त/संविदा की अवधि—सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक न होगी) । | लागू नहीं होता | स्तंम्भ 10 के उपबन्धों के साथ पठित, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० फा० 23(3)/66-प्रशा० I]

एन० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 10th February, 1972*

**G. S. R. 266** —In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Constables in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—

1 *Short title and commencement* :—(1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development Constables Rules, 1972.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette

2 *Application* :—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the schedule hereto annexed.

3. *Number of posts, Classification and scale of pay* :—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. *Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters* :—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule ;

5. *Disqualifications* :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. *Power to relax* :—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

SCHEDULE

*Recruitment Rules For the Posts of Constables in the Bureau Of police research and development (Ministry of Home Affairs)*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-selection Post. | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Constables | 6 | General Central Service Class IV non-Gazetted non-Ministerial | Rs. 85—2-95—3—110 | N. A | N. A. | N. A. | N. A. |

| Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation/ transfer, grades from which promotion/deputation /transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U P S C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Two years for transferees. | By transfer or deputation. | *Transfer/Deputation* : Persons working in similar or equivalent grades in the Central/State Police Forces. (The period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | N. A. | N. A. |

[No.53/6/70—Pers. I (i).]

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

**सा० का० नि०266.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कांस्टेबल नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में 5 विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और अन्य बातें**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

### अनुसूची

**पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में कांस्टेबल के पदों के लिए भर्ती नियम**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कांस्टेबल | छः | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 4, अराजपत्रित, अननसचिवीय | 85–2–95–3–110 रु० | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | स्थानान्तरितियों के लिए दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा/भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने के लिये परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा | **स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति । (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक न होगी) । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[संख्या 53/6/70-कार्मिक I (1)]

**G.S.R.267.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. *Short title and commencement* . . . . (1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development, Head Constable Rules, 1972.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. *Application* . . . . . These rules shall apply to the posts pecified in column 1 of the schedule hereto annexed.

3. *Number of post Classification and scale of pay* . The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. *Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters* . . . . . The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

5. *Disqualifications* . . . . . No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. *Power to Relax* . . . . . Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment Rules For The Posts of Head Constable In The Bureau Of Police Research & Development (Ministry of Home Affairs)*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Head Constable | 1 | General Central Service Class III, Non-gazetted, Non-Ministerial | Rs. 110-3-131-4-143-EB-4-155. | Selection | N.A. | N.A. | N.A. |

| Period of probation, if any | Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances exist, in which U. P. S. C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Two years in the case of promotees/transferees | By promotion failing which by Transfer or deputation | *Promotion*: Constables in the BPR&D (other than deputationists) with 10 years service in that grade<br>*Transfer* :<br>Persons working in similar or equivalent grades in Central/State Police Forces or Central/States Government Departments will be eligible for transfer.<br>*Deputation* :<br>By persons holding the post of Constable in the Central/State Police Forces with 10 years of service in the grade.<br>(The period of deputation ordinarily not exceeding 3 years.) | Class III DPC | N. A. |

[No. 53/6/70-Pers. I (2).]

G.S. GREWAL, Dy. Secy.

**सा० का० नि० 267.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो में प्रधान कांस्टेबल के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो, प्रधान कान्स्टेबल नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 **लागू होना**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3 **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है ।

4 **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हतायें और अन्य बातें**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे सम्बंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है ।

5 **निरर्हतायें**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाने कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

## अनुसूची

### पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में प्रधान कांस्टेबल के पद के लिये भर्ती नियम

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रधान कांस्टेबल . . | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3, अराजपत्रित अननुसचिवीय । | 110-3-131-4-143-द० रो०-4-155 रुपये | चयन | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | प्रोन्नतों/स्थानान्तरितियों की दशा में दो वर्ष । |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में के श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा । | **प्रोन्नति**<br>पुलिस अनुसन्धान और विकास ब्यूरो का कास्टेबल (प्रतिनियुक्तियों से भिन्न) । जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की हो । | "वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति' | लागू नहीं होता । |
| | **स्थानान्तरण**<br>केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल या केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति स्थानान्तरण के लिये पात्र होंगे । | | |
| | **प्रतिनियुक्ति**<br>ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो केन्द्रीय/राज्य पुलिस बल में कास्टेबल का पद धारण किये हुये हैं और जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) । | | |

[संख्या 57/6/70-कार्मिक I (2)]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### (Central Boilers Board)

*New Delhi, the 15th January 1972*

**G.S.R. 268.**—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration at the end of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

*Draft Regulations*

1. These regulations, may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1971

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in the list of well-known steel makers in Appendix 'G', the following shall be added at the end, namely —

"Hindustan Steel Limited,

Alloy Steel Plant,

Durgapur, West Bengal."

[No. BL-8(4)/69-Boiler.]

**S.O. 885.**—The following draft of certain Regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is published as required by sub-section (1) of Section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration at the end of three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

*Draft Regulations*

1. These Regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1971.

2 In clause (a) of regulation 382 of the Indian Boiler Regulations, 1950, in the list of State/Union territory with their distinguishing letters—

(a) the entry "Madras . . . . .M" shall be omitted, and

(b) after the entry "Rajasthan . . . . .RJ", the following entry shall be inserted, namely —

"Tamil Nadu . . T".

[No. 9(43)/71-Boiler.]

**G.S.R. 270.**—The following draft of certain regulations further to amend the Indian Boiler Regulations 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923) is hereby published, as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration at the end of three months from the date of publication of the notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

*Draft Regulations*

1. These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 1971.

2. In Appendix 'C' to the Indian Boiler Regulations, 1950, for serial No. 22 and the entry relating thereto, the following serial No. and entry shall be substituted, namely:—

"22. India Supply Mission, London."

[No. BL-13(9)/70-Boiler.]

S. C. DEY,

Secy. Central Boilers Board

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue and Insurance)**

**CENTRAL EXCISES**

*New Delhi, the 4th March 1972*

**G.S.R. 271.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 13/66-Central Excises, dated the 19th February, 1966, the Central Government hereby exempts pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers [falling under Item No. 14 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] produced and used in the same factory in the manufacture of other pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers falling under the same Item from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that no such exemption shall be allowed in respect of pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers used in the manufacture of other finished pigments, colours, paints, enamels, varnishes, blacks and cellulose lacquers, if such finished excisable goods produced by the manufacturer are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon or are chargeable to nil rate of duty.

[No. 20/72-C.E.-F. No. 36/18/70-CX.3]

P. R. KRISHNAN, Under Secy

## वित्त मंत्रालय

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, 4 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 71**—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 19 फरवरी 1966 की अधिसूचना सं० 13/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14 के अन्तर्गत आने वाले] ऐसे वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, ब्लेक और सेलुलोस लैकर को, जिनका उत्पादन जिस कारखाने में किया जाता है और जिनका प्रयोग उसी कारखाने में, उसी मद के अन्तर्गत आने वाले अन्य वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, ब्लेक और सेलुलोस लैकर के विनिर्माण में किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है :

परन्तु ऐसी कोई भी छूट अन्य परिसाधित वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, ब्लेक और सेलुलोस लैकर के विनिर्माण में प्रयोग किए गए वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, ब्लैक और सेलुलोस लेकर की बाबत अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि विनिर्माता द्वारा उत्पादित, उत्पाद-शुल्क लगाने योग्य ऐसे परिसाधित माल को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है या जो शुल्क को शून्य दर से प्रभार्य है ।

[सं० 20/72, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क/फा० स० 36/18/70-सी० एक्स० 3]

पी० आर० कृष्णन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11, 1972/फाल्गुन 21, 1893
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11, 1972/PHALGUNA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

*Bombay, the 13th December 1971*

G.S.R. 272.—In exercise of the powers conferred by clause(d) of section 3 of the Atomic Energy Act, 1962(33 of 1962), the Central Government hereby declares the area specified in column 2 of the Schedule below to be prohibited area.

THE SCHEDULE

| S No. | Name of the prohibited area | Boundaries or other description |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Heavy water Project, Baroda. | Area, within a limit of 8·3531 Hectares consisting of— |
| | | *Survey Nos.* — *Area* |
| | | 781 Paiki — 3·0048 Hectares |
| | | 781 Paiki — 1·8514 Hectares |
| | | 781 (Part) — 1·1635 ,, |
| | | 786 — 1·0218 ,, |
| | | 724 — 0·2732 ,, |
| | | 735/2 Paiki — 0·5280 ,, |
| | | 735/2 Paiki — 0·3446 ,, |
| | | 735/4 (Part) — 0·1648 ,, |
| | | of Chhani Village, Dist, Baroda Gujarat State. |

[No. 6/2(12)/71-(P)]

## परमाणु ऊर्जा विभाग

बम्बई, 13 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 272.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (1962 के 33) के खंड (डी) की धारा 3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित क्षेत्रों को एतद्द्वारा निषिद्ध क्षेत्र घोषित करती है।

| क्रम संख्या | निषिद्ध क्षेत्र का नाम | सीमा तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| 1 | भारी पानी परियोजना बडोदा | 8 3531 हेक्टर्स के अन्तर्गत क्षेत्र में जिसमें गुजरात राज्य के बड़ोदा जिला के छानी गांव के निम्नलिखित सर्वे सम्मिलित है। |

| सर्वे० नं० | क्षेत्र |
|---|---|
| | हेक्टर्स |
| 781 पैकी | 3.0048 |
| 781 पैकी | 1 8514 |
| 781 (भाग) | 1 1635 |
| 786 | 1 1802 |
| 721 | 0.2732 |
| 735/2 पैकी | 0 5280 |
| 735/2 पैकी | 0 3156 |
| 735/4 (भाग) | 0 1648 |

[संख्या 6/2(12)/71-पी]

*Bombay, the 15th December 1971*

**G.S.R. 273.**—In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 3 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Atomic Energy, No. G.S.R. 2645, dated the 23rd October, 1969, namely:—

In the schedule to the said notification, in column 2, under the existing entry, the following entry shall be inserted, namely:—

"Heavy Water Project, Kota."

[No. 6/2(11)/71-(P).]

सा० का० नि० 273.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (सन 1962 का 33वां अधिनियम) की धारा 3 के खंड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग की दिनांक अक्तूबर 23, 1969 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2645, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है तथा :—

उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची के कालम 2 में उल्लिखित प्रविष्ठि के नीचे निम्नलिखित प्रविष्ठि सम्मिलित कीजिऐ । यथा

"भारी पानी परियोजना, कोटा"

[संख्या 6/2(11)/71-पी]

*Bombay, the 16th December 1971*

**G.S.R. 274.**—In exericse of the powers conferred by clause(d) of section 3 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962), the Central Government hereby declares the areas specified in column (2) of the Schedule below, to be the prohibited areas.

THE SCHEDULE

| Sr. No. | Name of the prohibited area | Boundaries or other description |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Site for the location of the Variable Energy Cyclotron Project, Bhabha Atomic Research Centre, Calcutta.<br>2. The Saha Institute of Nuclear Physics, Calcutta. | | Sector 1, Block AF of the Northern Salt Lake City Extension Area in the district of Twenty-four parganas, Police Station Stations: *Dum Dum* and *Rajarhat*<br>*Boundaries*:—<br>*On the North*: One type V road running East—West and linking the Northern most extremity of Block AE with the Northern most extremity of Sector II.<br>*On the South*: Portion of type V road running east-west linking a type III road on the east of Block AE and the type II road on the western border of Sector II.<br>*On the East*: Remaining portion upper half of Block A..<br>*On the West*: Portion of type III road for a length of 189·53 M starting from its junction with a typeV road linking the northern most extremity of Block AE with the northern most extremity of Sector II and running along the Eastern border of Block AE. |

[No. F. 6/2(7)/71-(P)]

S. K. CHOUDHARY, Under Secy.

बम्बई, 16 दिसम्बर, 1971

**सा० का० नि०** 274.—परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 (1962 के 33वां अधिनियम) की धारा 3 के खंड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को एतद्द्वारा वर्जित क्षेत्र घोषित करती है ।

अनुसूची

| क्रम संख्या | वर्जित क्षेत्र का नाम | सीमा तथा अन्य विवरण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. भाभा परमाणु अनुसंधान कलकत्ता में परवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रोन परियोजना की स्थापना के लिए चुनी गयी जगह । | 24 परगना जिला का साल्ट लेक सिटी के उत्तरी विस्तार क्षेत्र के सेक्टर 1 ब्लाक ए-एफ पश्चिम स्टेशन/स्टेशनस डम-डम तथा राजरहाट | |
| 2 न्यूक्लीयर भौतिकी में अनुसंधान करने वाली संस्थान | सीमाएं<br>**उत्तर में**<br>उत्तर के ब्लाक ए ई अंतिम छोर तथा सेक्टर II के उत्तर अंतिम छोर को जोड़ने वाला पूर्व पश्चिम टाइप 1 का रोड V<br>**दक्षिण में**<br>पूर्व ब्लाक ए ई तथा सेक्टर II में पश्चिम सीमा का टाइप II रोड को जोड़ने वाले पूर्व-पश्चिम टाइप V रोड का भाग<br>**पूर्व में**<br>ब्लाक ए एफ का बचा हुआ ऊपरी भाग ।<br>**पश्चिम में**<br>ब्लाक ए ई के उत्तरीय अंतिम छोर तथा सेक्टर II के अंतिम उत्तरी को छोड़ को जोड़ने वाले टाइप III रोड का 189 53मि० लम्बाई तक का भाग जो टाइप V रोड के जक्शन में शुरु होता है तथा जो ब्लाक ए ई के पूर्व सीमा के समान्तर जाता है । | |

[सं० फा० 6/2/(7)/71-(पी)]

एस० के० चौधरी, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

**(Department of Rehabilitation)**

*New Delhi, the 28th December 1971*

**G.S.R. 275.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Engineer (Electrical) in the Dandakaranya Project under the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Rehabilitation) namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Dandakaranya Project Assistant Engineer (Electrical) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column I of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post its classification and the scales of pay attached there to shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**—The method on recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No. person,—(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions or these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Assistant Engineer (Electrical). | 1 | Central Service Class II, Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900. | Selection. | 35 years (Relaxable for Government servants.) | *Essential*: Degree in Electrical Engineering of a recognised University or equivalent.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discreation in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*:<br>Practical experience such as the maintenance and repair of electrical appliance or equipment, building wiring and medium pressure industrial type of wiring. |

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/trasfer & percentage of the vacancies to be filled by various metods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ...e: No. Educational Qualifications: to the Extent indicated | 2 years. | By promotion, failing which by transfer on deputation, failing both by direct recruitment. | *Promotion*:<br>Sectional Officers/Supervisors (Electrical) with 5 years and 10 years service in the grade in the case of holders of Degree in Electrical Engineering and Diploma in Electrical Engineering respectively.<br>*Transfer on deputation*:<br>Officers under the Central or State Governments holding analogous posts or officers of the rank of Sectional Officers possessing the service and qualifications referred to above.<br>(Period of deputation—Ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. 1(104)/67-Vol. IV/DNK.]

R. C. PANDE, Under Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

### (पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर०** 275 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के पुनर्वास विभाग के अन्तर्गत दंडकारण्य परियोजना में सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये नियम दंडकारण्य परियोजना [सहायक इंजीनियर, (विद्युत) के पद पर] भर्ती के नियम, 1971 कहलायेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना.**— ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित पद पर भर्ती के लिये लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** .— इन पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतनमान संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में दिया गया है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और योग्यताएं इत्यादि** :— उपर्युक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, योग्यताएं और इनसे सम्बन्धित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में दी गई हैं।

5. **अयोग्यताएं** :—कोई व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका पति या पत्नी जीवित हो, या

(ख) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उक्त व्यक्ति पर तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर जो वैयक्तिक कानून लागू होता है उसके अधीन ऐसा विवाह किया जा सकता है तथा ऐसा करने के और आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. **रियायत देने की शक्ति** .—यदि केन्द्रीय सरकार की ऐसी राय हो कि ऐसा करना उचित या आवश्यक है तो वह लिखित कारणों के आधार पर तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश देकर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्तियों के लिये इन नियमों के किसी भी उपबन्ध में रियायत कर सकती है।

7. **अपवाद** .—इन नियमों में दी गई कोई भी बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा इस संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के आधार पर अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण तथा रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेंगी।

अनु

| नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शिक्षा सम्बन्धी और अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| सहायक इंजीनियर (विद्युत्) | एक | केन्द्रीय सेवा श्रेणी II राजपत्रित अलिपिकवर्गीय | 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द०रो०–30–830–35–900 रु० | प्रवरण | 35 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है) | **अनिवार्य :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत् इंजीनियरी में डिग्री या इसके समकक्ष । (अन्य प्रकार से योग्य अभ्यर्थियों के मामले में आयोग अपनी इच्छा से योग्यताओं में छूट दे सकती है ) **वांछनीय :** विद्युत् उपस्कर या उपकरण के रख-रखाव तथा मरम्मत, भवन में वायरिंग करने तथा मीडिएम प्रेशर पर औद्योगिक प्रकार की वायरिंग का व्यावहारिक अनुभव । |

सूची

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शिक्षा संबंधी योग्यताएं पदोन्नति वालों की दशा में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो तो | भर्ती का पद्धति। क्या सीधी भर्ती होगी या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसे किया गया है। | वे परिस्थितियां जिनमें नियम बनाते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आयु—नहीं<br>शैक्षिक योग्यताएं: कालम 11 में दिखाई गई सीमा तक। | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा 1 इसके न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा तथा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **पदोन्नति:**<br>ऐसे अनुभागीय अधिकारी/पर्यवेक्षक (विद्युत) जिन्हें यदि विद्युत इंजीनियरी में डिग्रीधारी हों तो क्रमशः पांच वर्ष और यदि डिप्लोमाधारी हों तो दस वर्ष का इस ग्रेड में सेवा का अनुभव हो।<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्तर्गत समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या उक्त उल्लिखित सेवा तथा योग्यताएं रखने वाले अनुभागीय अधिकारी के वर्ग के अधिकारी। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। | श्रेणी II के लिए विभागीय पदोन्नति समिति। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है। |

[संख्या 1(104)/67-खंड 4 खंड]

रामचन्द्र पाण्डेय, अवर सचिव।

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

**(Department of Culture)**

*New Delhi, the 15th February 1972*

**G.S.R. 276.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Library, Calcutta (Class I and Class II) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Library Calcutta (Class I and Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Library, Calcutta (Class I and Class II) Recruitment Rules, 1959, under the heading "Technical Posts", after Serial No. 9 relating to the post of Microphotographer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "Superintendent (Accounts) | 1 | General Central Service, Class II Non-Gazetted Non Ministerial. | Rs. 450—25—575 | Selection | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation. | *Promotion* :<br>Office Superintendent with three years' service in the Grade.<br>*Transfer on deputation :*<br>SAS Accountant with three years' service in the grade from any of the organised Accounts Department *e.g.* Indian Audit and Accounts Department Indian Defence and Audit Department, Indian Railways and Audit Department etc.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding three years.) | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958." |

[No. F. 10-9/69-CAI(2)]

SARAN SINGH, Under Secy.

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**(संस्कृति विभाग)**

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 278.**—संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति इसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (वर्ग 1 और वर्ग 2) के नियुक्ति नियमों 1959 को और अधिक संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (वर्ग 1 में और वर्ग 2) नियुक्ति (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाये।

(2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से ये लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, (वर्ग I और वर्ग II नियुक्ति नियम) 1959 की अनुसूची के शीर्षक "तकनीकी पद" के अन्तर्गत माइक्रोफोटोग्राफर पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 9 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जायें, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अधीक्षक (लेखा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय। | 450–25–575 रुपये | प्रवरण | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर तबादले अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा। | **पदोन्नति:** कार्यालय अधीक्षक ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा के साथ। **प्रतिनियुक्ति पर तबादला :** एस० ए० एस० महालेखापाल किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय सुरक्षा और लेखा परीक्षा विभाग, भारतीय रेल और लेखा परीक्षा विभाग इत्यादि के ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा के साथ। (साधारणतया प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं) | वर्ग 2 विभागीय पदोन्नति समिति। | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 |

[सं० एफ० 10–9/69 सी० ए० 1(2)]

सरन सिंह, अवर सचिव।

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

### (P. & T. Board)

*New Delhi, the 31st December 1971*

**G.S.R. 277.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Posts and Telegraphs Workshops Organisation (Class I Engineering and Administrative Posts) Recruitment Rules, 1959, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**- (i) These rules may be called the Posts and Telegraphs Telecom Factories Organisation (Class I Posts) Recruitment Rules, 1971.

(ii) These shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scales of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Special representation.**—Appointment to the post of Assistant Manager (Factories) by direct recruitment shall be made subject to orders regarding special representation for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and such other categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Central Government.

6. **Disqualifications.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Training.**—The candidates recruited through competitive examination shall, during the period of probation, undergo practical training in accordance with the programme of training that may be prescribed by the Central Government from time to time.

8. **Examination and test.**—Officers appointed as Assistant Managers through competitive examination shall, during the period of probation, be required to pass a professional examination and a test in Hindi.

9. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

10. **Interpretation.**—If any question arises relating to the inter-pretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

11. **Seniority.**—The seniority of officers appointed under these rules shall be determined in accordance with the principles of seniority laid down in the Ministry of Home Affairs O.M. No. 9/11/55-RPS, dated the 22nd December, 1959 and such other general orders on the subject which may from time to time be issued by the Central Government.

12. **Liability to serve in the Defence Services.**—(1) Any person appointed to the post of Assistant Manager (Factories) shall, if so required, be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period not less than four years including the period spent on training, if any:

Provided that such person—

(a) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(2) If a person who is appointed by deputation or transfer to any post specified in the Schedule annexed to these rules happens to be liable for service in Defence Services under the Compulsory Liability Scheme in his parent Department/Organisation and has already so served in the Defence Services in his previous post for a period of not less than four years inclusive of the period spent on training, he shall not be liable for service in Defence Services again upon his appointment to the post specified in the said Schedule.

13. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Age limit for direct recruitment | Educational and other qualification required for direct recruits | Whether age and education qualifications for direct recruits will apply in the case of promotion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. General Manager, Telecom Factories. | 1 | General Central Service Class I Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 1800—100—2000—125—2250 | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable |

| Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/transfer to be made | If a DPC exists. What is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|
| (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Not applicable | By transfer | *Transfer*<br>Officer of the Senior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service, Class I. | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Deputy General Manager/ Managers of Telecom Factories. | 5 | General Central Service Class I Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 1300—60 1600. | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Two years | By promotion failing which by transfer on deputation | *Promotion.*<br>Assistant General Manager/Senior Engineers with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis<br>*Transfer on deputation.*<br>Officers of the Junior Administrative Grade of the Telegraph Engineering Service,Class I<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class I DPC. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations 1958 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Assistant General Managers/ Senior Engineers. | 17 | General Cenrral Service Class I Gazetted Non-Ministerial | Rs. 700—40—1100—50/2 1250 | Non-selection. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Two years. | By promotion failing which by transfer on deputation. | *Promotion.*<br>Assistant Manager (Factories) with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.<br>*Transfer on deputation*<br>Officers in Senior Time Scale (Rs. 700—1250) of the Telegraph Engineering Service, Class I.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class I D.P.C. | As required under the Union Public Service Commission(Exemption from Consultation Regulations, 1958 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. Assistant Manager (Factories) | 23 | General Central Service Glass I, Gazetted, Non-Ministerial | Rs.400-400-450-30-600-35-670-EB-35-950. | Selection. | Age, qualifications, etc. as laid down in the rules for the Combined Engineering Services Examination (Indian Ordnance Factories Service Plan) conducted by Union Public Service Commission. | | No. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| Two years. | By promotion 50% By direct recruitment 50% through the Combined Engineering Services Examination conducted by the Union Public Service Commission I.O.F.S. Plan. | *Promotion* Assistant Engineer) Factories) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis | Class I D.P.C. | As required under the Union Public Service Cojmission (Exemption from Comsultation)Regulations, 1958. |

NOTE 1.—The posts of Deputy General Managers and Managers, Telecom Factory, Calcutta, Jabalpur and Bombay and the incumbents thereof are interchangeable.

NOTE 2.—The posts of Assistant General Managers and Senior Engineers and the incumbents therof are interchangeable.

[No. 2-1/61-TF]

C. S. Swaminathan,
Asstt. Director-General (TF).

## संचार मंत्रालय

### (डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971.

**सा० का० नि० 277.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा डाक तार वर्कशाप संगठन (श्रेणी-I इंजीनियरी तथा प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 1959 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक तथा प्रारम्भ** .—(i) इन नियमों का नाम डाक तार दूर संचार कारखाना संगठन (श्रेणी-1 पद) भर्ती नियम 1971 होगा।

(ii) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** —ये नियम अनुबंधित अनुसूची के कालम 1 मे निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3 **संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान** —उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सम्बन्धित वेतनमान उक्त अनुसूची के 2 से 4 कालमों मे किये गये उल्लेखानुसार होंगे।

4 **भर्ती का तरीका, आयुसीमा तथा अन्य योग्यताएं** —भर्ती का तरीका, आयुसीमा, योग्यताये तथा एतत् सम्बन्धी अन्य बाते उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 तक मे वर्णित है।

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियो या अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्ति मामले मे सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयुसीमा मे ढील दी जा सकती है।

5 **विशेष प्रतिनिधित्व** सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की जाने वाली नियुक्ति मे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य श्रेणियो के उम्मीदवारों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

6. **अयोग्यताएं** - कोई व्यक्ति,

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का करार किया हो जिसका कि पहले से ही पति / पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पति / पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो अथवा ऐसा करने का करार किया हो इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। किन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि पर कि वह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा शादी की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है तथा छूट देने के अन्य आधार है तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।

7. **प्रशिक्षण** .—प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती किये गये उम्मीदवारों को परिवीक्षण अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

8. **परीक्षा तथा जांच** —जो अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सहायक प्रबन्धक नियुक्त हुए हों उन्हे परिवीक्षण अवधि के दौरान व्यावसायिक परीक्षा तथा हिन्दी का इम्तहान पास करना होगा।

9. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह समग्र कारणों को लिखित रूप में दिखाकर तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों या पदों के सबन्ध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान मे छूट सकती है।

10. **व्याख्या** .—इन नियमों की व्याख्या के सम्बन्ध मे यदि कोई प्रश्न उठे तो उसे निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा जायेगा।

11. **वरिष्ठता** :—इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिकारियो की वरिष्ठता गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55-आर पी० एस० दिनांक 22-12-1959 में उल्लिखित वरिष्ठता सिद्धान्तों के अनुसार तथा इस विषय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी होने वाले अन्य सामान्य आदेशों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

12. **रक्षा सेवाओं में काम करने का दायित्व** :– (1) सहायक प्रबन्धक (कारखाने) के पद पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति होने पर यदि आवश्यकता हुई तो, किसी भी रक्षा सेवा में अथवा भारत के रक्षा विभाग से सम्बन्धित किसी भी पद पर प्राशिक्षण की अवधि सहित यदि कोई हो, कम से कम चार वर्ष तक कार्य करना होगा।

बशर्ते कि :–

(क) उसे नियुक्ति की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति के बाद वह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी :

(ख) सामान्यतः 40 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद उसे यह पूर्वोक्त सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

(2) इन नियमों से अनुबंधित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त हुए किसी व्यक्ति ने यदि अपने मूल विभाग / संगठन में इस अनिवार्य दायित्व योजना के अन्तर्गत रक्षा सेवा कर चुके हों और पहले ही अपने पूर्व पद पर प्रशिक्षण अवधि सहित कम से कम चार वर्ष कार्य कर चुके हों तो उसे उल्लिखित अनुसूची में वर्णित किसी पद पर नियुक्ति होने पर फिर से रक्षा सेवा नहीं करनी पड़ेगी।

13. **अपवाद** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रखे गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगी।

## अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन-मान | चुनाव या गैर चुनाव पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यताए |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. महाप्रबन्धक दूर संचार कारखाने | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 1 अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय | 1800-100-2000 125-2200 रु० | लागू नहीं | लागू नही | लागू नही |

| क्या पदोन्नति के मामले में सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी | परिदीक्षा की अवधि यदि हो | भर्ती का तरीका–सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानो का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की हालत में ये पदक्रम जिनसे पदोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | स्थानान्तरण से | **स्थानान्तरण:** तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के प्रवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी | लागू नहीं | संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट विनियम 1958 के अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है। |

| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 उप-महाप्रबन्धक दूर संचार कारखाने | 5 | यथोपरि | 1300-60-1600 रु० | चुनाव | लागू नही | लागू नही |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही | दो वर्ष | पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से | **पदोन्नति:** महायक महाप्रबन्धक/प्रवर इंजीनियर जिनकी उस पदक्रम मे नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी हुई हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण:** तार इंजीनियरी सेवा, श्रेणी 1 के अवर प्रशासनिक पदक्रम के अधिकारी (साधारणत: प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 साल से अधिक न हो) | क्षेणी–1 विभागीय पदोन्नति समिति | यथोपरि |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 सहायक महाप्रबन्धक प्रवर इंजीनियर | 17 | यथोपरि | 700-40-1100–50/2–1250 रु० | गैर चुनाव | लागू नही | लागू नही |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही | दो वर्ष | पदोन्नति से, ऐसा न हुआ तो प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण से | **पदोन्नति** महायक प्रबन्धक (कारखाने) जिनकी उस पदक्रम में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी हुई हो। **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :** तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के प्रवर समय-मान (700–1250) के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणत: 3 साल से अधिक न हो) | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. सहायक प्रबन्धक कारखाने | 20 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-1 राजपत्रित अनिपिक वर्गीय | 400—400—450—½ 30—600—35—670 द० रो० 35—950 | चुनाव | | आयु योग्यता, आदि जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा (भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना) के नियमों मे निर्धारित हो । |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नही | दो वर्ष | पदोन्नति से 50 प्रतिशत और सीधी भर्ती से 50 प्रतिशत जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा- भारतीय आयुध कारखाने सेवा योजना के आधार पर हो । | पदोन्नति: सहायक इंजीनियर (कारखाने) जिनकी उस पदक्रम मे नियुक्ति आधार पर नियुक्ति के बाद 5 साल की सेवा पूरी हुई हो । | यथोपरि | यथोपरि |

टिप्पणी—कलकत्ता, जबलपुर और बम्बई के दूर संचार कारखाने के उप महाप्रबन्धकों और प्रबन्धकों के पद तथा पदग्राही आपस मे बदले जा सकते हैं ।

टिप्पणी 2. सहायक महाप्रबन्धकों और प्रवर इंजीनियरों के पद और पदग्राही आपस में बदले जा सकते हैं ।

[स० 2-1/61-टी० एफ०]

सी० एस० स्वामीनाथन,
सहायक महानिदेशक (टी एफ) ।

**(Posts and Telegraphs Board)**

*New Delhi, the 17th January 1972*

**G.S.R. 278.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Posts and Telegraphs (Office Superintendent in Circle and Administrative Offices) Recruitment Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Office Superintendent in Circle and Administrative Offices) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Posts and Telegraphs (Office Superintendent in Circle and Administrative Offices) Recruitment Rules, 1961 :—

(i) for the existing serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "2. General Managers, Telephones. | Class III Non-Gazetted Ministerial | Rs. 350—20—450-25—475 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Promotion by selection from among Higher Selection Grade Officials. If Higher selection Grade Officials are not found suitable, then from among lower Selection Grade Clerks.' | Nil. | Nil. | Two years which may be extended or curtailed by a period not exceeding one year at the discretion of the appointing authority. | 1. General Manager Telephones<br>2. Deputy General Manager Telephones.<br>3. Divisiona' Engineer. |

(ii) serial Nos. 4 and 5 and the entries relating thereto shall be omitted.

(iii) for the existing Serial No. 6 and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely :—

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "6. District Managers, Telephones. | Class III Non-Gazetted Ministerial. | Rs. 335—15-425. |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| Promotion by selection from among lower Selection Grade Clerks. | Nil. | Nil. | Two years which may be extended or curtailed by the period not exceeding one year at the discretion of the appointing authority. | 1. District Manager Telephones.<br>2. Divisional Engineer.<br>3. Administrative Officer/ Account Officer". |

(iv) serial No. 7 & 9 the entries relating thereto shall be omitted.

[No. 202/24/69-S.T.B.I.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director Genral (STN).

**(डाक-तार बोर्ड)**

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1972

**जी० एस० आर० 278.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारतीय डाक-तार (सर्कल तथा प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियमों, 1961 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नवर्ती नियम बनाये हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाक-तार (सर्कल तथा प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 कहा जायेगा ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाक-तार (सर्कल तथा प्रशासनिक कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियमों, 1961 की अनुसूची में :—

(i) मौजूदा क्रम संख्या 2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नवर्ती प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :—

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "2. महाप्रबंधक, टेलीफोन | वर्ग III अराजपत्रित लिपिक वर्गीय | रू० 350—20—450—25—475 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| उच्चतर चुनावपद क्रम के कर्मचारियों में से चुनाव द्वारा पदोन्नति। यदि उच्चतर चुनाव पदक्रम के कर्मचारी उपयुक्त न पाये जाए तो निम्नतर चुनाव पदक्रम के क्लर्कों में से | कुछ नहीं | कुछ नहीं | दो वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक पर ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष की अवधी तक बढाया अथवा घटाया जा सकता है | 1. महाप्रबंधक, टेलीफोन<br>2. उप-महाप्रबंधक टेलीफोन<br>3. मंडल इंजीनियर" |

(ii) क्रम संख्या 4 तथा 5 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को काट दिया जाएगा ।

(iii) मौजूदा क्रम संख्या 6 तथा उससे संबधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नवर्ती प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :—

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| "6 जिला प्रबंधक टेलीफोन | वर्ग III अराजपत्रित लिपिक वर्गीय | रू० 335—15—425 |

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| निम्नतर चुनाव पदक्रम के क्लर्कों में से चुनाव द्वारा पदोन्नति | कुछ नहीं | कुछ नहीं | दो वर्ष जिसे नियुक्ति प्राधिकारी के स्वविवेक पर ज्यादा से ज्यादा एक वर्ष की अवधि तक बढाया अथवा घटाया जा सकता है । | 1. जिला प्रबंधक टेलीफोन<br>2. मंडल इंजीनियर<br>3 प्रशासनिक अधिकारी / लेखा अधिकारी" |

(iv) क्रम संख्या 7 तथा 9 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टिया काट दी जाएं ।

[सं० 202/24/69—एस०टी०बी-1]

के० वी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस० टी० एन)।

**MINISTRY OF AGRICULTURE**

**(Department of Cooperation)**

*New Delhi, the 13th January 1972*

**G.S.R. 279.**—By virtue of the powers vested in the Government of India under bye-law 42 of the bye-laws of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited, and in continuation of this Ministry's Notification No. 2-57/67-Fert.(NCDC), dated 11th March, 1966, the President is pleased to nominate Shri M. N. Kale, Deputy General Manager (Technical), Industrial Development Bank of India, Bombay, as a member of the Board of Directors of the Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited.

[No. F. L. 13011/2/70-P&B.]

K. S. MATHEW, Under Secy.

**कृषि मंत्रालय**

**(सहकारिता विभाग)**

नई दिल्ली, 13 जनवरी 1972

**सा०का०नि० 279.**—इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड की उपविधियों की उपविधि 42 के अधीन भारत सरकार में निहित शक्तियों के आधार पर और इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2-57/67-फर्टि, (एन० सी० डी० सी०) दिनांक 11-3-1966 के सिलसिले में राष्ट्रपति इंडस्ट्रियल डवेल्पमेंट बैंक आफ इंडिया के उप महाप्रबन्धक (तकनीकी) श्री एस० एन० काले को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में सदस्य के रूप में नाम निदेशित करते हैं।

[मिसिल एल० 13011(2)/70-यो. व.ब]

के० एस० मैथ्यू, अवर सचिव।

---

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 9th February 1972*

**G.S.R. 280.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (i) These rules may be called the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts), Recruitment (Third Amendment) Rules, 1972.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Extension Education Institute, Nilokheri (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1968, in the entries relating to the post of Principal,—

(i) in column 5, for the existing entry, the entry "Selection" shall be substituted;

(ii) in column 6, for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely;

"Age : No.

Educational Qualifications : Yes.";

(iii) in column 10, for the existing entry, the entry "by promotion failing which by direct recruitment" shall be substituted;

(iv) in column 11, for the existing entry, the entry "Promotion: Vice-Principal with five years service in the grade, rendered after appointment to the post on a regular basis." shall be substituted;

(v) in column 12, for the existing entry, the entry 'Class I Departmental Promotion Committee" shall be substituted.

[No. A. 12018/6/71-EE.I.]

P U.. THOMAS, Under Secy.

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली, 9 फरवरी 1972

**जी०एस०आर० 280.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विस्तारी शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी (वर्ग-1 और 2 पद) भर्ती नियम 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विस्तारी शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती (तृतीय संशोधन) नियम 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विस्तारी शिक्षा संस्थान नीलोखेड़ी (वर्ग 1 और 2 पद) भर्ती नियम 1968 की अनुसूची में प्रधानाचार्य से संबंधित प्रविष्टियों में :—

(i) स्तम्भ 5 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "चयन" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(ii) स्तम्भ 8 में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"आयु :—नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हां।"

(iii) स्तम्भ 10 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(iv) स्तम्भ 11 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "प्रोन्नति: उप प्रधानाचार्य जिस ने उस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो।" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

(v) स्तम्भ 12 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० ए०-12018/16/71-वाट्य स्थापना]

पौलच्चीरक्कल उम्मन टामस, वर सचिव।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Economic Affairs)**

*New Delhi, the 14th February 1972*

**G.S.R. 281.**—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873) and all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Banks, Rules, 1965, namely:—

1. These rules may be called the Post Office Savings Banks (Second Amendment) Rules, 1972.

2. In rule 16 of the Post Office Savings Banks Rules, 1965, in the proviso to sub-rule (1), for the words "opened on behalf of a minor", the words "opened or to be opened by or on behalf of a minor" shall be substituted.

[No. F.7(14)-NS/71.]

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय**

**(आर्थिक कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1972

**सा० का० नि० 281.**—सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम डाकघर बचत (द्वितीय संशोधन) नियम 1972 होगा ।

2. डाकघर बचत बैंक नियम, 1965 के नियम 16 में, उपनियम (1) के परन्तुक में, "अप्राप्तक्य की ओर से खोला गया" शब्दों के स्थान पर, "अप्राप्तय की ओर से खोला गया या खोला जाने वाला" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० फा० 7(14)-एन० एस०/71]

ए० वी० श्रीनिवासन, अवर सचिव ।

**(Department of Revenue and Insurance)**

*New Delhi, the 10th February 1972*

**G.S.R. 282.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistical Investigator in the Tax Research Unit of the Central Board of Excise and Customs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Statistical Investigator (Class III-Non-gazetted), Tax Research Unit, Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post of Statistical Investigator in the Tax Research Unit of the Central Board of Excise & Customs.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 4 of the Schedule hereto, annexed.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

5. **Disqualifications.** No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Powers to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of statistical Investigator in the Tax Research Unit in the Ministry of Finance (Department of Revenue & Insurance)*

| Name of the Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Age for direct recruitment | Educational and other qualifications requires for direct rectt. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct rectt. will apply in the case of promotees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Rs. | | | | |
| Statistical Investigator. | 4 | General Central Service Class III Non-Gazetted Ministerial. | 210—10—290—15—320—EB—15—425. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. | Not applicable. |

| Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | By transfer on deputation. | Transfer on deputation :<br>(*i*) Statistical Investigators (210—10—290—5—320—EB—15—425) Head Clerks (210—10—290—15—320—EB—15—380) in the Statistical and Intelligence Branch (C.E., New Delhi).<br>(*ii*) Inspectors (OG) of Central Excise (210—425) in the field formations of the Customs and Central Excise Department.<br>Period of deputation : ordinarily not exceeding three years. The term may be extended by one year in exceptional circumstances. | Not applicable. | Not applicable. |

[No. F A. 12018/2/71-Ad.IB ]

S. K. MITAL, Under Secy.

**वित्त मंत्रालय**

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

**सा० का० नि०** 282.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के कर अनुसंधान एकक में सांख्यिकीय अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम सांख्यिकीय अन्वेषक (वर्ग 3, अराजपत्रित), कर अनुसन्धान एकक, भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड के कर अनुसन्धान एकक में सांख्यिकीय अन्वेषक के पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं** :—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हतायें और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं** :— वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के पवर्तन से छूट दे सकेगा ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध 1

वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के कर अनुसन्धान एकक में सांख्यिकीय अन्वेषक के पद के लिये भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| सांख्यिकीय अन्वेषक | चार | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अराजपत्रित, अनुसचिवीय । | 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु० | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती के किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानयन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :—<br>(i) सांख्यिकीय और खुफिया शाखा (सी० ई० ) नई दिल्ली के सांख्यिकीय अन्वेषक (210–10–290–15–320–द० रो०– 15–425)/ प्रधान लिपिक (210–10–290 15–320–द० रो० –15–380)<br>(ii) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के क्षेत्र स्थापनों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक (ओ० जी० )<br>प्रतिनियुक्ति की अवधि :—सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी । यह अवधि असाधारण परिस्थितियों में एक वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[सं० अ/2018/2/71–प्रशा० 1वी]

एस० के० मित्तल, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 11th February 1972*

**G.S.R. 283.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant in the Institute of Criminology and Forensic Science, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Institute of Criminology and Forensic Science, Laboratory Assistants Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said Schedule in respect of direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to any of Scheduled Castes or Scheduled Tribes or any other special category in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualifications.—No person,—**

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personel law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment rules for the Posts of Laboratory Assistants in the Institute of Criminology and forensic Science*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or Non-selection Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lobortory Assistant | Two | General Central Service Class III (non-gazetted) Non-Ministerial. | Rs. 150—5—160—8—240—EB—8—280—10—300 | Not applicable. | 25 years and below. (Relaxable for Government servants) | *Essential* : B.Sc. Degree from a recognised University with Chemistry, Physics and Mathematics or Biology or equivalent. *Desirable* : Laboratory experience. |

| Wether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable. | Two Years. | By Direct Recruitment | Not Applicable. | Not Applicable | Not Applicable. |

[No. 14/4/71-BPR&D(Pers. I).]

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी 1972

**सा० का० नि० 283.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अपराध विज्ञान और न्याय संबधी विज्ञान संस्थान में प्रयोग शाला सहायक के पदो पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्-द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम अपराध विज्ञान और न्याय संबंधी विज्ञान संस्थान, प्रयोगशाला सहायक भर्ती नियम 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पदति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें** --उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सबधित अन्य बाते वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट हैं .

परन्तुक उक्त अनुसूची के स्तभ 6 में नीचे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में शिथिल की जा सकेगी ;

4. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5 **शिथिल करन की शक्ति** .—जहा केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबंध II

अपराध विज्ञान और न्याय सम्बन्धी विज्ञान संस्थान में प्रयोगशाला सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्रयोगशाला सहायक | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय | 150-5-160-8-240-द०रो०-8-250-10-300 रु० | लागू नहीं होता | 25 वर्ष और कम (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगीं या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित या जीव-विज्ञान के साथ बी०एस०सी० उपाधी या समतुल्य ।<br>वांछनीय :<br>प्रयोगशाला का अनुभव | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं० 14/4/71-बी० पी० आर० एण्ड डी० (पर्स-1)]

**G.S.R. 284.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Bureau of Police Research and Development, Sub-Inspector Rules, 1972.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the schedule hereto annexed.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications and other matters.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule:

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of sub-Inspector in the Bureau of Police research and Development (Ministry of Home Affairs)*

| Name of Post | No. of post | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-selection post | Age for direct rectuits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Sub-Inspector | 1 | General Central Service Class III, No. Gazetted Non-Ministerial. | Rs. 210—10—290—15—320. | Selection. | N.A. | N. A. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| N. A. | Two years in the case of promotees/ transferees. | By promotion failing which by deputation or transfer. | *Promotion* : From Head Constables (other than deputationists) having 6 years service in the grade. *Transfer* : Persons working in similar or equivalent gtades in the Central Government or State Government Departments will be eligible for transfer. *Deputation* : By persons holding the post of Asstt. Sub-Inspector with 3 years service in the rank or head constables with 6 years service in that rank in the Central or State Police Forces. (The period of deputation ordinarily not exceeding 3 years ). | Class III DPC | N. A. |

[No. 53/6/70-Pers. I(3).]
G. S. GREWAL, Dy. Secy.

सा० का० नि० 284.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो में उप-निरीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति की विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनात है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो उपनिरीक्षक नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना .**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें .**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तभं 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हताएं .**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि एसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञय है और एसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि एसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में उप-निरीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| उप-निरीक्षक | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अजरापवित, अननुसचिवीय | 210–10–290–15–320 रु० | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नतों/स्थानान्तरितियों की दशा में दो वर्ष । |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा | **प्रोन्नति :**<br>ऐसे प्रधान कांस्टेबल (प्रतिनियुक्तों से भिन्न) में से जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की हो । | "वर्ग 3 विभागीय प्रोन्नति समिति" | लागू नहीं होता |
| | **स्थानान्तरण :**<br>केन्द्रीय सरकार के या राज्य सरकार के विभागों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य करने वाले व्यक्ति स्थानान्तरण के लिए पात्र होंगे । | | |
| | **प्रतिनियुक्ति :**<br>ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो केन्द्रीय या राज्य पुलिस बल में, सहायक उपनिरीक्षक जिन्होंने उस रैंक में तीन वर्ष सेवा की हो, या प्रधान कांस्टेबल, जिन्होंने उस रैंक में छः वर्ष सेवा की हो, का पद धारण किए हुए हैं ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी ) । | | |

[संख्या 53/6/70–कार्मिक 1(3)]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING
### (Department of Family Planning)

*New Delhi, the 19th February 1972*

**G.S.R. 285.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1972, as the day on which the said Act shall come into force.

[No. 8-67/70-PLY.]

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

### (परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, 19 फरवरी 1972

**जी०एस०आर० 285.**—गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम, 1971 (1971 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को ऐसे दिन के रूप में नियत करता है जिस दिन को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा ।

[संख्या 8-67/70—नीति]

---

**G.S.R. 286.**—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

### CHAPTER I

*Preliminary*

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Medical Termination of Pregnancy Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971);

(b) "appropriate Government" means;

(i) In relation to a Central Board, the Central Government;

(ii) in relation to a State Board, the State Government; and

(iii) in relation to a Union Territory Board, the Administrator of the Union territory;

(c) "Board" means a certifying Board constituted under rule 3 and;

(i) "Central Board" means the Board constituted under sub-rule (2), sub-rule (3), or sub-rule (4) of rule 3,

(ii) "State Board" means the Board constituted under sub-rule (5) of rule 3, and

(iii) "Union territory Board" means the Board constituted under sub-rule (6) of rule 3, and references in these rules to the Board shall be construed as references; respectively, to the Central Board, the State Board or the Union territory Board;

(d) "Form" means a Form specified in the Second Schedule;

(e) "Owner", in relation to a place, means any person who is the immediate proprietor, lessee or occupier of the place or any part thereof,

(f) "place" means such building, tent, vehicle or vessel, or part thereof as is used for the establishment or maintenance therein of a hospital or clinic which is used, or intended to be used, for the termination of any pregnancy;

(g) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(h) "section" means a section of the Act.

### CHAPTER II

3. **Constitution of Boards for issue of Certificates, etc.**—(1) There shall be constituted by the Central Government separate Central Boards for the following namely:—

(a) each Zone constituted by the Government of India in the Ministry of Railways,

(b) each Army Command,

(c) the Indian Navy,

(d) the Indian Air Force,

(e) Ordnance factories under the Director General of Ordnance Factories,

and it shall be the duty of each such Central Board to certify the registered medical practitioners employed by the Central Government or carrying on practice within the area for which the Board has been constituted and to recommend any hospital not established or maintained by the Central Government or a place within such area for the approval of that Government.

(2) The Board for each zone constituted for the Railways, shall consist of:—

(i) the Chief Medical Officer of the Zone concerned, who shall be its chairman, ex-officio, and

(ii) a senior gynaecologist, a senior anaesthetist and a senior surgeon, to be nominated by the Government of India in the Ministry of Railways, on the recommendation of the Railway Board.

(3) The Board for:—

(a) (i) each Army Command, shall consist of the Deputy Director of Medical Services at the headquarters of the Command, who shall be its Chairman, ex-officio;

(ii) the Indian Navy, shall consist of the Director of Medical Services (Navy), who shall be its Chairman, ex-officio;

(iii) the Indian Air Force, shall consist of the Director of Medical Services (Indian Air Force), who shall be its chairman ex-officio;

(b) each of the Boards for the Army Command, Indian Navy or Air Force, shall consist of a senior gynaecologist, a senior anaesthetist and a senior surgeon to be nominated by the Government of India in the Ministry of Defence on the recommendation of the Director General of the Armed Forces Medical Services.

(4) The Board for the ordnance factories shall consist of:—

(i) Chief Medical Officer, Directorate General of Ordnance Factories, who shall be its Chairman, ex-officio, and

(ii) a senior gynaecologist, a senior anaesthetist and a senior surgeon, to be nominated by the Government of India in the Ministry of Defence, on the recommendation of the Director General of Ordnance Factories.

(5) There shall be constituted by each State Government a Board for the certification of the registered medical practitioners carrying on practice in the State and for the recommendation of places within the State for the approval of that Government and each such Board shall consist of:—

(i) the Chief Medical Officer of the State by whatever name called, who shall be its chairman, ex-officio, and

(ii) not more than five other members consisting of senior gynaecologists, senior anaesthetists and senior surgeons, to be nominated by that Government;

Provided that out of the five members, not less than one shall be a senior gynaecologist, not less than one shall be a senior anaesthetist and not less than one shall be a senior surgeon.

*Explanation*:—If any doubt or dispute arises as to the person who is the Chief Medical Officer of the State, such doubt or dispute shall be determined by the State Government and such determination shall be final.

(6) There shall be constituted by the Adminstrator of each Union territory a Board for the certification of the registered medical practitioners carrying on practice in the Union territory and for the recommendation of places within the Union territory for the approval of the Administrator and each such Board shall consist of:—

(i) the Chief Medical Officer of the Union Territory, by whatever name called, who shall be its chairman, ex-officio,

(ii) a nominee of the Director General of Health Services, and

(iii) not more than five members, consisting of senior gynaecologists, senior anaesthetists and senior surgeons, to be nominated by that Government:

Provided that out of the five members, not less than one shall be a senior gynaecologist, not less than one shall be a senior anaesthetist and not less than one shall be a senior surgeon.

*Explanation I.*—For the purposes of this rule the registered medical practitioners in a Union territory who have experience in gynaecology, anaesthesia or surgery and are willing to serve as a member of the Board the registered medical practitioner who has the longest experience in gynaecology, anaesthesia or surgery shall be deemed to be a senior gynaecologist, anaesthetist or surgeon, as the case may be.

*Explanation II.*—If any doubt or dispute arises as to the person who is the Chief Medical Officer of the Union territory, such doubt or dispute shall be determined by the Administrator of the Union territory, and such determination shall be final.

(7) For the purposes of sub-rule (5) and (6), a registered medical practitioner, who is in the service of the Government or of any authority or body established by or under any law for the time being in force or of any institution, society, association or body of individuals, whether incorporated or not, shall be deemed to be carrying on practice in the State or the Union territory as the case may be.

(8) Each nominated member of the Board shall hold office for a period of two years from the date on which he assumes office as such member and shall, notwithstanding the expiry of the said period, continue to hold such office until his successor is nominated and takes over the charge.

Provided that--

(i) a member may at any time by writing in his hand and addressed to the Chairman, resign his office;

(ii) a person may be nominated to fill a vacancy caused by reason of the death or resignation of a member, but the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he has been nominated.

(9) Each nominated member of the Board shall hold such office during the pleasure of the Government by which he was nominated.

(10) A person who holds, or has held, office as a member of the Board shall be eligible for renomination to that office.

(11) No act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Board.

(12) In the disposal of its business, each Board shall be assisted by the staff of its Chairman.

4. **Experience or training required for the termination of any pregnancy under the Act.**—(1) For the purpose of clause (d) of section 2, a registered medical practitioner shall have one or more of the following experiences or training in gynaecology and obstetrics, namely:—

(a) in the case of a medical practitioner possessing a post-graduate degree or diploma in surgery, experience in the practice of gynaecology and obstetrics for a period of not less than six months;

(b) in the case of a medical practitioner who was registered in a State Medical Register immediately before the commencement of the Act, experience in the practice of gynaecology and obstetrics for a period of not less than five years;

(c) in the case of a medical practitioner who was registered in a State Medical Register on the date of the commencement of the Act or at any time thereafter;

(i) if he has completed six months of house surgency in gynaecology and obstetrics with practical training in termination of pregnancy, or

(ii) Where he has not done any such house surgency, if he has practical training at any hospital established or maintained by Govt. for a period of not less than three months in the termination of pregnancy.

(2) In the case of a registered medical practitioner who has a post-graduate degree or diploma in gynaecology and obstetrics, it shall be presumed that he has the required experience and training in gynaecology and obstetrics.

5 **Application for the issue of certificate.**—(1) For the purposes of establishing that he possesses such degree or diploma and experience or training, or both, in gynaecology and obstetrics as is referred to in rule

4, every registered medical practitioner, who intends to terminate any pregnancy in accordance with the provisions of the Act shall make an application in Form A to the Board for the registration of his name and for the issue of a certificate to him to the effect that he possesses the said degree or diploma, and the said experience or training, or both.

(2)No registered medical practitioner shall terminate any pregnancy unless the certificate referred to in sub-rule (1) has been issued to him by the Board;

Provided that for a period of six months from the commencement of these rules, this sub-rule shall not apply to a registered medical practitioner who has a post-graduate degree or diploma in gynaecology and obsterice.

(3) On receipt of an application referred to in sub-rule (1), the Board shall verify the information contained in the application and shall, if satisfied as to the correctness of the information given therein, issue to the applicant a certificate in Form B.

(4) Every registered medical practitioner to whom a certificate is granted under this rule shall notify any transfer of the place of his residence or practice to the Board concerned within thirty days of such transfer and on such transfer the Board, within the local limits of which he has transferred his practice, shall have the right to suspend or cancel such certificate in accordance with the provisions of rule 9.

6. **Approval of a place.**—(1) No place shall be approved by the Government under Section 4 unless it is satisfied, on the recommendation of the Board, that termination of pregnancies may be made therein under safe and hygienic conditions.

(2) No termination of pregnancy under safe and hygienic conditions shall be deemed to be possible at any place unless the following facilities are provided at such place, namely:—

(a) an operation table and instruments for performing abdominal or gynaecological surgery,

(b) drugs and parenteral fluid including plasma volume expander in sufficient supply for emergency use,

(c) anaesthesia equipment, including oxygen, and equipment for administration of anaesthetic gases and resuscitation equipment, including blood transfusion, and

(d) services of an anaesthetist on call, possessing a recognised medical qualification as defined in clause (h) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), whose name has been entered in a State Medical Register and who has:—

(i) a post-graduate degree or diploma in anaesthesiology,

(ii) training in the administration of anaesthesia for a period of not less than three months, or

(iii) experience for two years as an anaesthetist.

(3) Every application for the approval of a place shall be made to the Board in Form C.

(4) On receipt of an application referred to in sub-rule (3), the Board shall varify the information contained therein and may authorise one or more of its members to inspect the place with a view to satisfying itself that the facilities referred to in sub-rule (2) are provided therein and that termination of pregnancies may be made therein under safe and hygienic conditions.

(5) Every owner of the place which is inspected by any member of the Board shall afford all reasonable opportunities and facilities to such member to inspect the place.

(6) The Board may, if it is satisfied that termination of pregnancies may be made under safe and hygienic condition, recommend the approval of such place and on such recommendation, the Government may issue a certificate of approval in Form D.

(7) The certificate of approval issued by the Government in Form D shall be displayed at such conspicous part of the place as may be easily visible to persons visiting the place.

7. **Code number to be assigned to each approved place or hospital.**—Each place approved under rule 6 and each hospital established or maintained by Government shall be assigned a distinguishing number (hereafter referred to in these rules as "code number") which shall be prefixed by the groups of letters allotted by the First Schedule to the State or Union territory in which the hospital or place is situated, and the code number so assigned to the hospital or place shall be kept, as far as practicable, secret.

8. **Further inspection by the Board.**—(1) Such of its members as may be authorised by the Board in this behalf, may inspect a place as approved under rule 6 as often as may be necessary with a view to verifying whether the facilities specified in rule 6 are being maintained at the place and whether termination of pregnancies is being done therein under safe and hygienic conditions.

(2) If any authorised member of the Board has any reason to believe that there has been death of, or injury to, a pregnant woman at the place or that the facilities specified in rule 6 are not being maintained therein, or are being maintained improperly or that the termination of pregnancies is not being done at the place under safe and hygienic conditions, such member may call for any information, or, may seize any article, medicine, ampule, register or other document, maintained, kept or found at the place.

(3) Every seizure referred to in sub-rule (2) shall be made in the presence of at least two respectable witnesses and the person making the seizure shall prepare a seizure list, in duplicate, which shall be signed by the owner of the place and the witnesses and thereafter one copy of the seizure list shall be delivered to the owner of the place.

9. **Cancellation or suspension of certificate.**—(1) if, after the inspection of any place, approved under rule 6, any authorised member of the Board is of opinion that any registered medical practitioner employed at the place for the termination of pregnancies has, by reason of any defect or deficiency in his training or experience, rashness or negligence, caused the death of, or injury to, more than one pregnant woman, he shall make a report to the Board, giving therein the details of the defect or deficiency in the experience or training of the medical practitioner or the details of his rashness or negligence, and on receipt of such report the Board may, after giving the concerned medical practitioner a reasonable opportunity of being heard, either cancel or suspend, for such period as it may think fit, the certificate issued to the medical practitioner under rule 5.

(2) Where a certificate issued under rule 5 has been cancelled or suspended, it shall be presumed that the registered medical practitioner to whom such certificate was issued, does not possess such experience or training in gynaecology and obstetrics as is referred to in clause (d) of section 2 and, consequently, he shall be disentitled, so long as such cacellation or suspen-

sion remains in force, to terminate any pregnancy on one or more of the grounds specified in section 3.

(3) A registered medical practitioner, the certificate issued to whom under rule 5 has been cancelled or suspended, may acquire further experience, or undergo further course of training, in gynaecology and obstetrics and may, after the acquisition of further experience or training, or both, in gynaecology and obstetrics, make an application to the Board for the issue to him of a fresh certificate under rule 5 or as the case may be, revival of the certificate which was suspended under sub-rule (1).

(4) The provisions of rule 5 shall, as far as may be, apply to an application for the issue of a fresh certificate or revival of a suspended certificate as they apply to an application for the issue of a certificate under that rule.

(5) A registered medical practitioner who is aggrieved by an order for the cancellation or suspension of a certificate issued to him may, within sixty days from the date of such cancellation or suspension, prefer an appeal to the appropriate Government and that Government may on hearing the appeal and after giving the appellant and the Board a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or reverse the order:

Provided that appropriate Government may, if it is satisfied that the registered medical practitioner was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of sixty days, admit the appeal at any time after the expiry of the said period of sixty days.

10. **Cancellation or suspension of a certificate in relation to an approved place.**—(1) If, after inspection of any place, approved under sub-rule 6, the Board or any authorised member thereof, is satisfied that the facilities specified in rule 6 are not being maintained therein or are not being maintained therein properly, and that termination of a pregnancy at such place cannot be made under safe and hygienic conditions, it shall make a report to that effect to the appropriate Government giving therein the details of the deficiencies or defects found at the place, and on receipt of such report, the appropriate Government may, after giving the owner of the place a reasonable opportunity of being heard, either cancel the certificate or suspend the same for such period as it may think fit

(2) Where a certificate issued under rule 6 is cancelled or suspended, the owner of the place may make such additions or improvements in the place as he may think fit and thereafter, he may make an application to the appropriate Government for the issue to him of a certificate under rule 6, or, as the case may be, the revival of the certificate which was suspended under sub-rule (1).

(3) The provisions of rule 6 shall as far as may apply to an application for the issue of a fresh certificate of approval in relation to a place, or, as the case may be, for the revival of a suspended certificate, as they apply to an application for the issue of a certificate under that rule.

(4) (a) Any owner of a place who is aggrieved by an order for the cancellation or suspension of the certificate issued under rule 6 may prefer an appeal—

(i) in the case of an offer made by the Central Government, to a Committee appointed by the President for the purpose, or

(ii) in the case of an order made by the State Government, to a Committee appointed by the Governor of the State for the purpose, or

(iii) In the case of an order made by the Administrator of a Union Terrnitory, to a Committee appointed by the President for the purpose.

(b) The President or Governor, as the case may be, shall constitute such standing or *ad hoc* committee, consisting of not less than three persons, as he may think fit, for hearing and disposing of appeals preferred under clause (a).

(c) On hearing the appeal and after giving the appellant and the Board a reasonable opportunity of being heard, the committee constituted under clause (b) may confirm, modify or reverse the order.

(d) The appeal referred to in clause (a) shall be preferred within sixty days from the date of the cancellation or suspension of the certificate:

Provided that the committee hearing the appeal may, if it is satisfied that the owner of the place was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within the said period of sixty days, admit the appeal within a further period of sixty days.

(ii) **Consent.**—how to be given. For giving the consent referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 3, Form E shall be used, and for giving the consent referred to in clause (b) of that sub-section, Form F, shall be used.

## CHAPTER III

*Provisions applicable to hospitals established or maintained by the Central Government and places approved by the Central Government or by the Government of any Union Territory.*

12. **Definitions.**—In this Chapter

(a) "Admission Register" means the register maintained under rule 14;

(b) "approved place" means a place approved by the Central Government or the Govt. of Union Territory under the Act;

(c) "hospital" means a hospital established or maintained by the Central Government or the Government of Union territory

13. **Opinion or opinions.**—How to be certified.

(1) Where one registered medical practitioner forms, or not less than two registered medical practioners form, such opinion as is referred to in sub-section (2) of section 3, he or they shall certify such opinion in Form G or Form H, as may be applicable, before the commencement of the termination of the pregnancy.

(2) Where, under section 5, a registered medical practitioner forms an opinion that the termination of the pregnancy of a woman is immediately necessary to save the life of the pregnant woman, he shall certify such opinion in Form I before the commencement of the termination of the pregancy:

Provided that where it is not reasonably practicable to certify such opinion before the commencement of the termination of the pregnancy, the registered medical practitioner terminating the pregnancy shall certify such opinion within three hours from the termination of the pregnancy.

(3) The consent given by or in relatiion to a pregnant woman for the termination of her pregnancy together with the certified opinion, whether recorded under section 3 or section 5, shall be placed in an envelope which shall be sealed by the registered medical practitioner or practitioners by whom such opinion was certified, and until that envelope is sent to the

head of the hospital or the owner of the approved place, it shall be kept in the safe custody of the concerned medical practitioner or practitioners.

(4) On every envelope referred to in sub-rule (3), there shall be noted the code number of the hospital or approved place, the serial number assigned to the pregnant woman in the Admission Register and the name of the registered medical practitioner or practitioners by whom the pregnancy was terminated.

(5) Every envelope referred to in sub-rule (3) shall be placed inside a larger envelope and shall be sealed by the concerned registered medical practitioner or practitioners and shall be sent, on the same day on which the pregnancy was terminated, to the head of the hospital or the owner of the approved place where the pregnancy was terminated

(6) On receipt of the envelope referred to in sub-rule (5), the head of the hospital or the owner of the approved place shall send, by registered post, the envelope, by the working day next following the day on which the envelope was received by him, to the Chief Medical Officer:

Provided that where the hospital or the approved place in which the pregnancy is terminated is situated in the same city or town in which the office of the Chief Medical Officer is situated, the envelope referred to in sub-rule (5) may be sent by a special messenger.

(7) No sealed envelope referred to in sub-rule (3) or sub-rule (5) shall be opened except where it is necessary so to do for a departmental or other inquiry or for investigation by the police into an offence or for the purpose of a suit or other action for damages:

Provided that no such envelope shall be opened except on the authority of

(i) in the case of a departmental or other inquiry a Secretary to the Government of India, or

(ii) in the case of an investigation into an offence, a Magistrate of the first class or

(iii) in the case of a suit or other action for damages, the District Judge within the local limits of whose jurisdiction the hospital or approved place is situated.

14. **Maintenance of Admission Register.**—(1) Every (1) Every head of a hospital and every owner of an approved place shall maintain a register in Form J for recording therein the admissions of women for the termination of their pregnancies.

(2) The entries in the Admission Register shall be made serially and a fresh serial shall be started at the commencement of each calendar year and the serial number for a particular year shall be distinguished from the serial number of other years by mentioning the year against the serial number, for example, serial number 5 of 1972 and serial number 5 of 1973 shall be mentioned as 5/1972 and 5/1973.

(3) The Admission Register shall be a secret document and, save as otherwise provided in rule 9, the information contained therein as to the name and other particulars of the pregnant woman shall not be disclosed to any person.

15. **Admission Register not to be open to inspection.**—The Admission Register shall be kept in the safe custody of the head of the hospital, or owner of the approved place, as the case may be, or by any person authorised by such head or owner, and shall not be open to inspection by any person except under the authority of:

(i) in the case of a departmental or other inquiry, a Secretary to the Government of India,

(ii) in the case of an investigation into an offence, a Magistrate of the first class,

(iii) in the case of a suit or other action for damages, the District Judge, within the local limits of those jurisdiction the hospital or approved place is situated.

16. **Entries in registers maintained in hospital or approved place not to indicate the name of the pregnant woman.**—No entry shall be made in any case sheet operation theatre register, follow-up card or any other document or register (except the Admission Register) maintained at any hospital or approved place indicating therein the name and other particulars of the pregnant woman and reference to the pregnant woman shall be made therein by the serial number assigned to such woman in the Admission Register.

17. **Destruction of Admission Register.**—In the absence of any order of the Central Government or a Magistrate of the first class, or a District Judge, every Admission Register shall be destroyed on the expiry of a period of five years from the date of the last entry therein

18 **Intimation relating to termination of pregnancy**—(1) Every registered medical practitioner, who terminates any pregnancy shall, within seven days from such termination, give an intimation, in Form K and L, to the Chief Medical Officer as to such [illegible] indicating therein the code number of the hospital or the approved place and the serial number assigned to the pregnant woman in the Admission Register

(2) The registered medical practitioner referred to in sub-rule (1) shall within one month from the termination of the pregnancy, also give intimation to the Chief Medical Officer as to the complications if any which have been noticed by him after the termination of the pregnancy of the concerned woman, and in case no such complication has been noticed by him or in case necessary information in relation to the concerned woman is not available to him he shall send a 'nil' report.

(3) Every intimation, whether made under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be sent in a sealed envelope and shall be marked 'SECRET' and on the outer cover of the envelope the name of the registered medical practitioner and the code number of the hospital or the approved place, where the pregnancy was terminated, shall be indicated.

19 **Restrictions on the disclosure of intimations and Informations relating to termination of pregnancy**—The information contained in Form K and L and the intimation given by a registered medical practitioner under sub-rule (2) of rule 18, shall not be disclosed to any person by the Chief Medical Officer or by any other person except under the authority of:-

(i) in the case of a departmental or other inquiry a Secretary to the Government of India

(ii) in the case of an investigation into an offence a Magistrate of the first class,

(iii) in the case of a suit or other action for damages, the District Judge,

(iv) in the case of bonafide scientific, demographic or other research, a Secretary to the Government of India.

## THE SECOND SCHEDULE

*(See rule 7)*

Groups of letters, as specified in the second column, which shall be used as prefix to the code number assigned to a place situated in the State or Union Territory specified in the first column.

| 1 | 2 |
|---|---|
| Andhra Pradesh | AP |
| Assam | AS |
| Bihar | BR |
| Gujarat | GJ |
| Haryana | HR |
| Himachal Pradesh | HP |
| Jammu & Kashmir | JK |
| Kerala | KL |
| Madhya Pradesh | MP |
| Maharashtra | MR |
| Manipur | MN |
| Meghalaya | MG |
| Mysore | MY |
| Nagaland | NL |
| Orissa | OR |
| Punjab | PN |
| Rajasthan | RJ |
| Tamil Nadu | TN |
| Tripura | TR |
| Uttar Pradesh | UP |
| West Bengal | WB |
| Andaman and Nicobar Islands | AN |
| Arunachal Pradesh | AC |
| Chandigarh | CG |
| Dadra and Nagar Haveli | DN |
| Delhi | DL |
| Goa, Daman and Diu | GD |
| Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands | LC |
| Pondicherry | PY |
| Mizoram | MZ |

## THE SECOND SCHEDULE

FORM A

[*See* sub-rule (1) of rule-5]

*Application for Registration and Grant of Certificate*

I, ....., a registered medical
(Name)

practitioner within the meaning of section 2(d) of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971) hereby apply for the registration of my name and issue of certificate to the effect that I possess the prescribed experience or training referred to in the said section, My other particulars are as follows —

1. Address .....
(Name and address of the institution where working)

2. Designation .....

3. Name of the State Medical Register in which registered and the registration No. .....

4. Qualifications (enclose certified copies of degrees and diplomas)

| | *Qualification* | *Year* | *University* |
|---|---|---|---|
| (a) Medical degree or equivalent qualification. | | | |
| (b) Post-graduate medical degree or diploma. | | | |

5. Experience in practice of gynaecology and obstetrics (give details). .....

6. Training in termination of pregnancy: Duration.....
Placing of training .....

Certified that the particulars given above are correct to the best of my knowledge.

Place:

Signature

Date

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"5(1) For the purposes of establishing that he possess such degree or diploma and experience or training, or both in gynaecology and obstetrics as is referred to in rule 4 every registered medical practitioner, who intends to terminate any pregnancy in accordance with the provisions of the Act shall make an application in Form A to the Board for the registration of his name and for the issue of a certificate to him to the effect that he possesses the said degree or diploma, and the said experience or training, or both.

FORM B

[*See* Section 2(d) and sub-rule (3) of rule 5]

*Certificate of Registration*

This is to certify that

Dr. ..... (Name) of .....,
(Address) Regd. No. ..... of .....
(name of State)
Medical Register possesses the experience/training in gynaecology and obstetrics as specified in rule 4 of the Medical Termination of Pregnancy Rules, 1972, and is therefore, a registered medical practitioner within the meaning of clause (d) of section 2 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971). (34 of 1971).

Signature of members of the Board

1. .....

2. .....

3. .....

Place:

Date:

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"5(3) On receipt of an application referred to in sub-rule (1), the Board shall verify the information contained in the application and shall if satisfied as to the correctness of the informations given therein, issue to the applicant a certificate in Form B.

FORM C

[*See* sub-rule (3) of rule 6]

*Form of Application for the approval of a place under Section 4.*

1. Name of the place (in capital letters).

2 Address in full.

3. Non-Governmental/Private/Nursing Home/Other Institution (whichever is not applicable).

4. Total number of beds.

5. Number of beds:

(i) for obstetrical cases.

(ii) for gynaecological cases.

6. (a) Number of deliveries during the previous twelve months.

(b) Number of abortions during the previous twelve months.

7. Number of Dilatation and Curettage performed during the previous twelve months.

8. Number of abdominal operations performed during the previous twelve months

9. Names of the registered medical practitioners employed in the place and their qualifications and experience in gynaecology and obstetrics.

| | Name | Qualification | Length of experience |
|---|---|---|---|
| (a) | | | |
| (b) | | | |
| (c) | | | |
| (d) | | | |

10. Is there a full time or part-time Anaesthotist working in the place? If so, give name, qualifications and experience of such Anaesthetist.

11. Number of full-time trained nurses working at the place and the names of such nurses.

12. State if the following facilities are available at the place and give their details.

(i) An operation table and instruments for performing abdominal or gynaecological surgery.

(ii) Drugs, parenteral fluid (including plasma volume expander) in sufficient supply for emergency cases;

(iii) Anaesthesia equipment, including equipment for administration of anaesthetic gases and resuscitation equipment, including equipment for blood transfusion); and

(iv) cylinder containing oxygen.

Place: Signature of the

Date: owner of the place.

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"6. (3) Every application for the approval of a place shall be made to the Board in Form C".

FORM D

[*See* section 4 (b) and sub-rule (6) of rule 6]

*Certificate of Approval*

The place described in the Schedule below is hereby approved for the purposes of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 (34 of 1971).

THE SCHEDULE

| Name of the Place | Address and other descriptions | Name of the Owner' |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |

Place : Secretary to the Government

Date : Ministry/Department of

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"6. (6) The Board may, if it is satisfied that termination of pregnancies may be made under safe and hygienic conditions, recommend the approval of such place and on such recommendation, the Government may issue a certificate of approval in Form D.".

FORM E

[*See* sub-rule (1) of rule 11]

I, ..... Son/daugheter/wife of ..... aged about ..... years of ..... ..... (here state the permanent address).

at present residing at ..... do hereby give my consent to the termination of pregnancy of my daughter/ward named....., (state the name of the daughter/ward). who is a minor/lunatic at..... (State the name of the place where the pregnancy is) to be terminated).

Place:

Date : Signature.....

*N.B.* -For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"11. (1) For giving the consent referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 3, Form E shall be used, and for giving the consent referred to in clause (b) of that sub-section, Form E shall be used.".

FORM F

[*See* sub-rule (1) of rule 11]

I,..... daughter/wife of.....aged about .....years of.....at present (here state the permanent address) residing at..... do hereby give consent to the termination of my pregnancy at ..... (State the name of the place where the pregnancy is to be terminated)

PLACE:

Date: Signature

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below :

"11. (1) For giving the consent referred to in clause (a) of sub-section (4) of section 3, Form E shall be used and for giving the consent referred to in clause (b) of that sub-section, Form F shall be used."

FORM G

[*See* sub-rule (1) of rule 13]

*Certificate of Opinion under Section* 3(2)(a)

I ..... (Name and qualification of the registered medical practioner in block capitals) (full address of the registered medical practioner) hereby certify that I am of the opinion, formed in good faith, that it is necessary to terminate the pregnancy of..... (Full name of the pregnant woman in Block letters) ....., resident of..... (full address of the pregnant woman)

Of the grounds specified in items (i) to (v) tick the one which is applicable to the case.

(i) in order to prevent injury to the physical or mental health of the pregnant woman.

(ii) in view of the substantial risk that if the child was born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,

(iii) as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape,

(iv) as the pregnancy has occurred as a result of failure of any contraceptive device or method used by the married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children.

(v) in order to prevent a risk of injury to the physical or mental health of the pregnant woman by reason of her actual reasonably forceseeable environment.

Date:

Place:

Signature of the registered medical practioner.

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is produced below:—

"13. (1) Where one registered medical practitioner forms, or not less than two registered medical practitioners form, such opinion as is referred to in sub-section (2) of section 3, he or they shall certify such opinion in Form G or Form H, as may be applicable, before the commencement of the termination of the pregnancy.".

SECRET

FORM H

[*See* sub-rule (1) of rule 13]

*Certificate of opinion under section* 3(2)(a).

I, ..... (Name and qualification of registered medical practitioner in block capitals) of ..... (Full address of the registered medical practitioner) and I, ..... (Name and qualification of the registered medical practitioner) of ..... (Full address of the registered medical practitioner) hereby certify that we are of the opinion formed in good faith that it is necessary to terminate the pregnancy of ..... (Full name of pregnant women in block capitals) resident of ..... (Full address of women in block letters).

Of the grounds specified in items (i) to (v) below, tick the one which is applicable to the case.

(i) in order to prevent injury to the physical or mental health of the pregnant woman.

(ii) in view of the substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped,

(iii) as the pregnancy is alleged by pregnant woman to have been caused by rape.

(iv) as the pregnancy has occurred as a result of failure of any contraceptive device or method used by married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children,

(v) in order to prevent a risk of injury to the physical or mental health of the pregnant woman which may arise by reason of her actual/reasonbly foreseeable environment.

Place: Signature of the registered

Date: medical practitioner..... .....

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below:—

"13. (1) Where one registered medical practionar forms, or not less than two registered medical practitioners form, such opinion as is referred to in sub-section (2) of section 3, he or they shall certify such opinion in Form G or H as may be applicable before the commencement of the termination of the pregnancy.".

SECRET

FORM I

[*See* sub-rule (2) of rule 13]

*Certificate opinion under section* 5

I, ..... (Name and qualification of registered medical practitioner ..... of ..... in block capitals) (Full address of registered medical practioner) .....hereby certify that I *am/was of the opinion formed in good faith that it *is/was immediately necessary to terminate the pregnancy of .....(full name of pregnant women in block capitals) ..... (full address of pregnant woman in block capitals) in order to save the life of the pregnant woman.

This certificate of opinion is given:

Before the commencement of the treatment for the termination of pregnancy to which it relates/ Not later than three hours after such termination; since it was not reasonably practicable before the commencement of treatment (Strike out whichever is not applicable)

*Delete whichever is not applicable.

Place: Signature of the registered

State: medical practitioner..... .

*N.B.*—For ready reference the relevant rule is reproduced below.

"13 (2) Where, under section 5, registered medical practitioner forms an opinion that the termination of the pregnancy of a woman is immediately necessary to save the life of the pregnant woman, he shall certify such opinion in Form I before the commencement of the termination of the pregnancy:

Provided that where it is not reasonably practicable to certify such opinion before the commencement of the termination of the pregnancy the registered medical practitioner terminating the pregnancy shall certify such opinion within three hours from the termination of the pregnancy."

FORM J

[*See* sub-rule (1) of rule 14]

ADMISSION REGISTER

*Not to be destroyed within five years from the date of the last entry in the Register.*

| Sl. No. | Date of Admission | Name of patient | Wife/ daughter | Age | Religion | Address | Length of pregnancy | Name of Registered medical Practitioner(s) by whom the opinion is formed | Grounds on which pregnancy is terminated | Date of termination of pragnancy | Name of the registered medical practitioner by whom pregnancy is terminated. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |

SECRET

FORM K

[*See* sub-rule (2) of rule 13]

*Intimation to the Chief Medical Officer*

I, ..... (Name and qualifications of registered medical practitioner in block capitals) of ..... ..... (Full address of registered medical practitioner) and I ..... ..... (Name and qualifications of registered medical practitioner in block capitals) of ..... ... (Full address of registered medical practitioner) hereby give intimation that I/We terminated the pregnancy of the woman who bears the serial No. ..... in the Admission Register of the hospital/approved place bearing the Code No. ..... .....

Signature

Date:

Signature:

Date:

*Link this Form with Form I.

FORM L

[*See* sub-rule (1) of rule 18]

INTIMATION TO THE CHIEF MEDICAL OFFICER

Code No.....

1. Governmental non-governmental
2. Residence of patient: (*a*) Urban (*b*) Rural
3. Age of patient
4. Total monthly income of the family of the patient.....
5. Education of the patient* I—5 6-8 9-11 University
6. Education of Husband of the patient* I—5 6-8 9-11 University
7. Occuption of (*a*) Patient (*b*) Her husband
8. Religion : Hindu Muslim Christian Others (specify)
9. Marital Status 1. Single 2. Married 3. Widowed 4. Divorced or Separated
10. Date of last menstrual period
11. Previous Pregnancies Live births: Male Female Still births: Male Female Abortions : Induced Spontaneous.
12. Date of last termination of pregnancy under the Act.
13. Number of existing children : Male Female
14. Last contraceptive method used (in case of termination due to failure of any device or method) :

    1. Tubal Ligation 2. Vasectomy 3. IUCD 4. Conventional Contraceptives. 5. Others.

    *Put a ring around the appropriate place.

15. Date of admission to place of termination:
16. Date of discharge from place of termination:
17. Estimated duration of pregnancy (in weeks):
18. Grounds on which pregnancy has been terminated:—

    (i) Of the grounds specified in items (i) to (vii) below tick the one which is applicable to the case.

    (i) danger to the life of the pregnant woman.

    (ii) grate injury to the physical health of the pregnant woman.

(iii) grave injury to mental health of the pregnant woman.

(iv) pregnancy caused by rape,

(v) substantial risk that if the child were borr it would suffer from such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.

(vi) failure of any device or method used by the married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children.

(vii) risk to the health of the pregnant woman by reason of her actual/reasonably foreseeable environment.

19. Type of termination:

1. Dilatation and evacuation
2. Vacuum aspiration
3. Hysterotomy
   a. abdominal
   b. vaginal
4. Hystorectomy
5. Others (specify)

20. Time taken for cperation.

21. Anaesthetic None General Local Regional Analgesia Others.

22. Complications:

1. Shock
2. Haem
3. Cardiac arrest
4. Anaesthetic complications
5. Uterine perforation
6. Cervical tear
7. Retained products.
8. Death
9. Other (specify)

23. In case of death, specify the cause of death and the time which elapsed between the operation and the death.....

24. Contraceptive advice given:

1. Tubal Ligation
2. Vasectomy
3. I.U.C.D.
4. Conventional Contraceptives.
5. None
6. Others

Signature/Signatures of registered medical practitioner/ practitioners.

---

*N.B.* For ready reference the relevant rule is reproduced below:

"18(10)Every registered medical practioner, who terminates any pregnancy shall, within seven days from such termination, give an intimation, in Form K, to the Chief Medical Officer as to such termination, indicationg therein the code number of the hospital or the approved place and the serial number assigned to the pregnant woman in the Admission Register."

[No. 8-67/70-Ply.]

R. N. MADHOK, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1972

**सा०का०नि० 28 6**—गर्भ कर चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

## अध्याय 1

## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :— (1) इन नियमों का नाम गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम, 1972 होगा।

(2) ये अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन को प्रवृत हो जाएंगे।

2. **परिभाषाएं** :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से गर्भ की चिकित्सकीय समापनी अधिनियम, 1971 (1971 का 34) अभिप्रेत है ।

(ख) "समुचित सरकार" से—

(1) केन्द्रीय बोर्ड के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार,

(2) राज्य बोर्ड के सम्बन्ध में, राज्य सरकार, और

(3) संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड के सम्बन्ध में, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक ।

अभिप्रेत है ।"

(ग) "बोर्ड" से नियम 3क अधीन गठित प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है; और

(1) "केन्द्रीय बोर्ड" से नियम 3 के उपनियम (2), उपनियम (3) या उपनियम (4) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है,

(2) "राज्य बोर्ड" से नियम 3 के उपनियम (5) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है, और

(3) "संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड" से नियम 3 के उपनियम (6) के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है,

और इन नियमों में बोर्ड के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमश: केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड या संघ राज्यक्षेत्र बोर्ड के प्रति निर्देशों के रूप में किया जाएगा ।

(घ) "प्ररूप" से द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ङ) "स्वामी" से किसी स्थान के सम्बन्ध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो उस स्थान का या उसके किसी भाग का अव्यवहित स्वत्वधारी, पट्टेदार या अधिभोगी हो ;

(च) "स्थान" से ऐसा भवन, तम्बू, यान या जलयान या उसका कोई भाग अभिप्रेत है जो उसमें किसी ऐसे अस्पताल या दवाखाने के, जो किसी गर्भ के समापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है या प्रयोग में लाए जाने के लिए आशयित है, स्थापन या चलाने के लिए प्रयोग में लाया जाता हो;

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

3. **प्रमाण पत्र आदि जारी करने के लिए बोर्डों का गठन.**—

(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए अलग अलग केन्द्रीय बोर्डों का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा गठित प्रत्येक परिक्षेत्र,

(ख) प्रत्येक सेना कमान,

(ग) भारतीय नौसेना,

(घ) आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक के अधीन आर्डनेन्स कारखाने और ऐसे प्रत्येक केन्द्रीय बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यावसायियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियोजित हों या उस क्षेत्र मे, जिसके लिए बोर्ड गठित किया गया है, व्यवसाय कर रहे हों, प्रमाणित करे और ऐसे किसी अस्पताल की जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित न किया गया हो या चलाया न गया हो अथवा ऐसे क्षेत्र के भीतर स्थित किसी स्थान की उस सरकार के अनुमोदनार्थ सिफारिश करें ।

(2) रेलों के लिए गठित प्रत्येक परिक्षेत्र के लिए बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

(i) सम्बद्ध परिक्षेत्र का मुख्य चिकित्सीय अधिकारी जो उसका पदेन सभापति होगा, और

(ii) वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ संवेदनाहारक और वरिष्ठ शल्य चिकित्सक जिन्हें भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा, रेल बोर्ड की सिफारिश से, नाम-निर्देशित किया जाएगा ।

(3) बोर्ड में :—

(क) (i) प्रत्येक सेना कमान के लिये, कमान के मुख्यालय में स्थित चिकित्सीय सेवाओं का उपनिदेशक होगा जो उसका पदेन सभापति होगा,

(ii) भारतीय नौसेना के लिये, चिकित्सीय सेवाओं का निदेशक (नौसेना) होगा जो उसका पदेन सभापति होगा,

(iii) भारतीय वायु सेना के लिये चिकित्सीय सेवाओं का निदेशक (भारतीय वायु सेना) होगा जो उसका पदेन सभापति होगा ।

(ख) सेना कमान, भारतीय नौसेना या वायु सेना के लिये प्रत्येक बोर्ड में एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक वरिष्ठ संवेदनाहारक और एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक होगा जिनका नामनिर्देशन, सशस्त्र बल चिकित्सीय सेवाओं के महानिदेशक की सिफारिश से, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जायेगा ।

(4) आर्डिनेंस कारखानों के लिये बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

(i) आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो उसका पदेन सभापति, होगा, और

(ii) एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ एक वरिष्ठ, संवेदनाहारक और एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक जिनका नामनिर्देशन, आर्डनेंस कारखानों के महानिदेशक की सिफारिश से, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

(5) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के प्रमाण के लिये जो राज्य में व्यवसाय कर रहे हों तथा उस राज्य के भीतर के स्थानों की उस राज्य के अनुमोदन के लिये सिफारिश करने के निमित्त प्रत्येक राज्य सरकार एक बोर्ड का गठन करेगी और ऐसे प्रत्येक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :—

(i) राज्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वह चाह जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो उसका पदेन सभापति, होगा, और

(ii) अन्य पांच सदस्यों से अनधिक सदस्य, जिनमें वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ संवेदनाहारक और वरिष्ठ शिल्प चिकित्सक हैं, जिनका नाम निर्देशन वह सरकार करेगी ;

परन्तु पांच सदस्यों में से कम से कम एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, कम से कम एक वरिष्ठ संवेदनाहारक और कम से कम एक वरिष्ठ शल्य चिकित्सक होगा ।

**स्पष्टीकरण** :—यदि इस बारे मे कोई शंका या विवाद पैदा हो कि राज्य का मुख्य चिकित्स अधिकारी कौन व्यक्ति है तो वह राज्य सरकार उस शका या विवाद का अवधारण करेगी और ऐसा अवधारण अन्तिम होगा ।

(6) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्स-व्यवसायियों के प्रमाणन के लिये जो उस सघ राज्य क्षेत्र मे व्यवसाय कर रहे हो तथा उस सघ राज्य क्षेत्र के भीतर स्थानो की प्रशासक के अनुमोदन के लिये सिफारिश करने के निमित्त प्रत्येक सघ राज्य क्षेत्र को प्रशासक एक बोर्ड का गठन करेगा और ऐसे प्रत्येक बोर्ड मे निम्नलिखित होगे :—

(i) सघ राज्य क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वह चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, जो उसका पदेन सभापति होगा,

(ii) स्वास्थ्य सेवाओ के महानिदेशक का एक नामनिर्देशित, और

(iii) अन्य पाच सदस्यो से अनधिक सदस्य जो वरिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ वरिष्ट सवेदनाहारक और वरिष्ट शल्य चिकित्सक है, जिनका नामनिदेशन वह सरकार करेगी,

परन्तु पाच सदस्यो मे से कम से कम एक वरिष्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ, कम से कम एक वरिष्ट सवेदनाहारक और कम से कम एक वरिष्ट शल्य चिकित्सक होगा ।

**स्पष्टीकरण** —इस नियम के प्रयोजनो लिये सघ राज्य क्षेत्र मे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियो को, जिन्हे स्त्री रोग विज्ञान, सवेदनाहरण या शल्य चिकित्सा मे अनुभव हो और जो बोर्ड के सदस्य के रूप मे सेवा करने के इच्छुक हो, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को जिसे स्त्री रोग विज्ञान, सवेदनाहरण या शल्य चिकित्सा का सबसे अधिक अनुभव हो, यथास्थिति, वरिष्ट स्त्री रोग, विशेषज्ञ, सवेदनाहारक या शल्य चिकित्सक माना जाएगा ।

**स्पष्टीकरण 2**—यदि इस बारे मे कोई शका या विवाद पैदा हो कि सघ राज्य क्षेत्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी कौन व्यक्ति है तो उस सघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक उस शका या विवाद का अवधारण करेगा और ऐसा अवधारण अन्तिम होगा ।

(7) उप-नियम (5) और (6) के प्रयोजन के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को, जो सरकार, अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी प्राधिकारी या निकाय की अथवा किसी सस्था सोसाइटी, सस्था या वयष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या न हो, सेवा में हो यथास्थिति, राज्य या सघ राज्य क्षेत्र मे व्यवसाय करने वाला समझा जाएगा ।

(8) बोर्ड का प्रत्येक नामनिर्देशित सदस्य उस तारीख से जिससे वह ऐसे सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उक्त अवधि के अवसान के होते हुए भी उस पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसके उत्तराधिकारी को नामनिर्देशित नही कर दिया जाता और वह पद ग्रहण नही कर लेता :—

परन्तु :—

(i) सदस्य किसी भी समय स्वलिखित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित किया जाएगा, अपना पद त्याग सकेगा;

(ii) किसी सदस्य की मृत्यु या पदत्याग के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति का नामनिर्देशित किया जा सकेगा किन्तु इस प्रकार नामनिर्देशित व्यक्ति उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि के लिए, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया है, पद धारण करेगा ।

(9) बोर्ड का प्रत्येक नामनिर्देशित सदस्य उस सरकार के प्रसाद पर्यन्त ऐसा पद धारण करेगा जिसके द्वारा वह नामनिर्देशित किया गया था ।

(10) ऐसा व्यक्ति, जो बोर्ड के सदस्य के रूप मे कोई पद धारण करता है या जिसने ऐसे पद धारण किया है, उस पद पर पुन नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

(11) बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण प्रभावित नही होगा कि बोर्ड मे कोई रिक्ति थी या उसके गठन मे कोई त्रुटि थी ।

(12) अपने काम-काज का विनियमन करने मे प्रत्येक बोर्ड को उसके सभापति के कर्मचारीवृन्द की सहायता दी जाएगी ।

4. अधिनियम के पर्याप्त खण्ड के रूप पर के लिए अर्हता अनुभव या प्रशिक्षण—(1) धारा 2 की उपधारा (घ) के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी को स्त्री रोग-विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान मे एक या अधिक निम्नलिखित अनुभव होना चाहिए या प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, अर्थात—

(क) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जिसके पास शल्य चिकित्सा की कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो, स्त्री रोग-विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय में कम से कम छह मास की अवधि का अनुभव ;

(ख) ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की दशा में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ था, स्त्री रोग

विज्ञान और प्रसूति विज्ञान के व्यवसाय में कम से कम पांच वर्ष की अवधि का अनुभव;

(ग) ऐसा चिकित्सा-व्यवसायी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को या उसके पश्चात् किसी भी समय राज्य चिकित्सक रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत हुआ हो—

(i) यदि उसने गर्भ समापन विषयक व्यवहारिक प्रशिक्षण सहित स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में छह मास की हाउस सर्जेन्सी पूरी कर ली हो, अथवा

(ii) जहां उसने ऐसी कोई हाउस सर्जेन्सी पूरी नहीं की है, वहां यदि उसने सरकार द्वारा स्थापित या चलाए गए किसी अस्पताल में गर्भ समापन विषयक कम से कम तीन मास की अवधि का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो ।

(2) ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की दशा में जिसके पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा है, यह उपधारणा की जाएगी कि उसे स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में अपेक्षित अनुभव है और अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त है ।

5. प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए आवेदन—(1) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी गर्भ का समापन करना चाहता है यह घोषित करने के प्रयोजनों के लिए कि उसके पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में ऐसी डिग्री या डिप्लोमा और अनुभव या प्रशिक्षण, या दोनों ही हैं, जो नियम 4 में निर्दिष्ट हैं, अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उसे इस आशय का प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए कि उसके पास उक्त डिग्री या डिप्लोमा और अनुभव या प्रशिक्षण, या दोनों ही है, प्ररूप-क में बोर्ड को एक आवेदन करेगा ।

(2) कोई भी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी तब तक किसी गर्भ का समापन नहीं करेगा जब तक उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र बोर्ड द्वारा उसे न दे दिया गया हो ।

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ से छह मास की अवधि तक के लिए यह उपनियम किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को लागू नहीं होगा जिसके पास स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में कोई स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो ।

(3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड, आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी का सत्यापन करेगा और, यदि आवेदन में दी गयी जानकारी की शुद्धता के प्रति उसका समाधान हो गया है तो आवेदक को प्ररूप-ख में एक प्रमाणपत्र देगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसे इस नियम के अधीन प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है, अपने निवास या व्यवसाय के स्थान के किसी भी अन्तरण की अधिसूचना सम्बद्ध बोर्ड को ऐसे अन्तरण से तीस दिन के भीतर देगा और ऐसे अन्तरण पर बोर्ड को, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उसने अपना व्यवसाय अन्तरित किया है, नियम 9 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे प्रमाण पत्र को निलम्बित या रद्द करने का अधिकार होगा ।

6. स्थानों का अनुमोदन—(1) धारा 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई भी स्थान तब तक अनुमोदित नहीं किया जाएगा जब तक बोर्ड की सिफारिश पर उसका यह समाधान न हो गया हो कि वहां पर निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ समापन किया जा सकता है ।

(2) गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में तब तक किसी भी स्थान पर समाप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उस स्थान पर निम्नलिखित सुविधाओं का व्यवस्था न कर दी गई हो, अर्थात् —

(क) शस्त्रकर्म वाली मेज और उदरीय या स्त्री रोग विषयक शल्य चिकित्सा करने के लिए उपकरण,

(ख) आपातिक प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां और आक्सीजन सहित, जिसके अन्तर्गत प्लाज्मा आयतन एक्सटेंडर भी है,

(ग) संवेदनाहरण के उपस्कर, जिसके अन्तर्गत आक्सीजन भी है और संवेदनाहारी गैस सुंघाने के उपस्कर और पुनरुज्जीवन, जिसके अन्तर्गत रक्ताधान भी है, और

(घ) आह्वान करने पर ऐसे संवेदनाहारक की सेवाएं उपलब्ध होना, जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 (1956 का 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता हो और जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज किया गया हो और जिसके पास—

(i) संवेदनाहरण विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा हो;

(ii) संवेदनाहरण के प्रयोग में कम से कम तीन मास की अवधि का प्रशिक्षण हो, अथवा

(iii) संवेदनाहारक के रूप में दो वर्ष का अनुभव हो ।

(3) स्थान के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप भाग में बोर्ड को किया जाएगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट किसी आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड उसमें अन्तर्विष्ट जानकारी का सत्यापन करेगा और अपने एक या अधिक सदस्यों को इस दृष्टि से अपना समाधान करने के लिए उस स्थान का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करेगा कि उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधाओं की उसमें व्यवस्था की गई है और वहां निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है ।

(5) उस स्थान का प्रत्येक स्वामी, जिसका निरीक्षण बोर्ड के किसी सदस्य द्वारा किया जाता है, ऐसे स्थान के निरीक्षण के लिए उस सदस्य की सभी युक्तियुक्त अवसर और सुविधायें प्रदान करेगा ।

(6) यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है तो वह ऐसे स्थान के अनुमोदन की सिफारिश कर सकेगा और ऐसी सिफारिश पर सरकार प्ररूपघ में अनुमोदन का एक प्रमाणपत्र दे सकेगी ।

(7) प्ररूप–घ में सरकार द्वारा जारी किया गया अनुमोदन का प्रमाणपत्र उस स्थान के ऐसे किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित किया जायेगा जहां वे व्यक्ति जो उस स्थान में जाऐ उसे आसानी से देख सकें ।

7. **प्रत्येक अनुमोदित स्थान या अस्पताल को समनुदिष्ट किए जाने वाला कोड संख्यांक**:—नियम 6 के अधीन अनुमोदित प्रत्येक स्थान और सरकार द्वारा स्थापित और चलाए गए प्रत्येक अस्पताल को एक सनेदक संख्यांक (जिसे इन नियमों में इसके पश्चात "कोड संख्यांक" कहा गया है) समनुदिष्ट किया जाएगा, जिसके पूर्व राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को, जिसमें वह अस्पताल या स्थान स्थित है, प्रथम अनुसूची में आबंटित अक्षर समूह लगाया जायेगा और अस्पताल या स्थान को इस प्रकार समनुदिष्ट किया गया कोड संख्यांक यथासाध्य गुप्त रखा जायेगा ।

8. **बोर्ड द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण** .—(1) बोर्ड के ऐसे सदस्य, जिन्हें इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाए, नियम 6 के अधीन यथानुमोदित स्थान का, जब भी आवश्यक हो, यह सत्यापन करने की दृष्टि से निरीक्षण कर सकेंगे कि नियम 6 में विनिर्दिष्ट सुविधाऐं उस स्थान पर दी जा रही हैं या नहीं और वहां गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में किया जा रहा है या नहीं ।

(2) यदि बोर्ड के किसी प्राधिकृत सदस्य के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उस स्थान पर किसी गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो गई है या उसे क्षति हुई है अथवा यह कि नियम 6 में विनिर्दिष्ट सुविधाऐं वहां बराबर उपलब्ध नहीं रहती या अनुचित रूप से उपलब्ध की जाती हैं अथवा यह कि उस स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा रहा है तो ऐसा सदस्य कोई जानकारी मांग सकता है या कोई वस्तु, औषधि, एम्यूल, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को, जो उस स्थान पर रखी हो, रखी जाती हो या पाई जाए, अभिगृहीत कर सकता है ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिग्रहण कम से कम दो सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में किया जायेगा और अभिग्रहण करने वाला व्यक्ति अभिगृहीत वस्तुओं की एक सूची दो प्रतियों में तैयार करेगा जिस पर उस स्थान का स्वामी और साक्षी हस्ताक्षर करेंगे और तत्पश्चात अभिगृहीत वस्तुओं की सूची की एक प्रति उस स्थान के स्वामी को परिदत्त कर दी जायगी ।

9. **प्रमाणपत्र का रद्द या निलम्बित किया जाना**—(1) यदि नियम 6 के अधीन अनुमोदित किसी स्थान के निरीक्षण के पश्चात बोर्ड के किसी प्राधिकृत सदस्य की यह राय हो कि गर्भ के समापन, के लिए उस स्थान पर नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ने अपने प्रशिक्षण या अनुभव मे किसी त्रुटि या कमी के कारण अथवा उतावलेपन या उपेक्षा के कारण एक से अधिक गर्भवती स्त्रियों की मृत्यु अथवा उन्हें क्षति कारित की है तो वह बोर्ड को एक रिपोर्ट देगा जिसमे उस चिकित्सा व्यवसायी के अनुभव या प्रशिक्षण में त्रुटि या कमी के ब्यौरे अथवा उसके उतावलेपन या उपेक्षा के ब्यौरे देगा और ऐसे रिपोर्ट की प्राप्ति पर बोर्ड सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात उस प्रमाणपत्र को जो नियम 5 के अधीन उस चिकित्सा-व्यवसायी को दिया गया था या तो रद्द कर सकेगा या उतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे ।

(2) जहां कि नियम 5 के अधीन दिया गया प्रमाण-पत्र रद्द या निलम्बित कर दिया गया है वहां यह उपधारणा की जाएगी कि वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसे ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया था स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में वैसा अनुभव या प्रशिक्षण नहीं रखता जैसा कि धारा 2 के खण्ड (घ) मे निर्दिष्ट है और परिणामत वह, जब तक कि ऐसा रद्दकरण या निलम्ब प्रवृत्त रहता है धारा 3 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक आधारो पर किसी गर्भ का समापन करने के हक से वंचित रहेगा ।

(3) वह रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिसका नियम 5 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र रद्द या निलम्बित कर दिया गया है स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में और अधिक अनुभव अर्जित कर सकता है, या प्रशिक्षण का और आगे का पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है, तथा स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में और अधिक अनुभव या प्रशिक्षण, या दोनों, प्राप्त कर लेने के पश्चात् वह बोर्ड को, यथास्थिति, नियम 5 के अधीन अपने को नया प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए या उस प्रमाणपत्र के पुनः प्रवर्तित किए जाने के लिए, जो नियम (1) के अधीन निलम्बित कर दिया गया था, आवेदन कर सकता है ।

(4) नए प्रमाण पत्र के दिए जाने अथवा निलम्बित प्रमाण-पत्र को पुनः प्रवर्तित करने सम्बन्धी आवेदन को नियम 5 के उपबन्ध यथाशक्य वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस नियम के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने से संबंधित किसी आवेदन को लागू होते हैं।

(5) ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो उसे दिए गए प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलम्बन के आदेश से व्यथित है, ऐसे रद्दकरण या निलम्बन की तारीख से साठ दिन के भीतर समुचित सरकार को अपील कर सकेगा और वह सरकार, अपील की सुनवाई कर लेने पर और अपीलार्थी तथा बोर्ड की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उस आदेश की पुष्टि कर सकेगी या उसे उपान्तरित कर सकेगी या उलट सकेगी :

परन्तु यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह उक्त साठ दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् किसी भी समय अपील ग्रहण कर सकती है ।

10. **किसी अनुमोदन स्थान के सम्बन्ध में किसी प्रमाण-पत्र का रद्दकरण या निलम्बन**—(1) यदि नियम 6 के अधीन अनुमोदित किसी स्थान के निरीक्षण के पश्चात् बोर्ड या उसके किसी प्राधिकृत सदस्य का यह समाधान हो गया है कि नियम 6 में विनिर्दिष्ट सुविधाएं उसमें नहीं दी जा रही हैं या उसमें समुचित रूप से नहीं दी जा रही हैं और ऐसे स्थान पर गर्भ का समापन निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में नहीं किया जा सकता तो बोर्ड या वह सदस्य उस आशय की एक रिपोर्ट समुचित सरकार को करेगा जिसमें उस स्थान पर पाई गई कमियों या त्रुटियों के ब्योरे दिए जाएंगे और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर समुचित सरकार उस स्थान के स्वामी को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात् उस प्रमाणपत्र को या तो रद्द कर सकेगा या उतनी अवधि के लिए निलम्बित कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे ।

(2) जहां कि नियम 6 के अधीन दिए गए किसी प्रमाण पत्र को रद्द अथवा निलम्बित कर दिया गया है वहां उस स्थान का स्वामी उस स्थान में ऐसे परिवर्द्धन या सुधार कर सकता है जिन्हें वह ठीक समझे और उसके पश्चात वह, यथास्थिति, नियम 6 के अधीन अपने को प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए, या उस प्रमाणपत्र को पुनः प्रवर्तित करने के लिए जो उपनियम (1) के अधीन निलम्बित कर दिया गया था, एक आवेदन समुचित सरकार को कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, किसी स्थान के अनुमोदन के नए प्रमाण पत्र के दिए जाने अथवा निलम्बित प्रमाणपत्र को पुनः प्रवर्तित करने सम्बन्धी आवेदन को नियम 6 के उपबन्ध, यथा शक्य, जैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उस नियम के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने सम्बन्धी किसी आवेदन को लागू होते हैं।

(4) (क) किसी स्थान का कोई ऐसा स्वामी जो नियम 6 के अधीन उसे दिए गए प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलम्बन के आदेश से व्यथित है, निम्नलिखित को अपील कर सकेगा —

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश किए जाने की दशा में, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी समिति को, अथवा

(ii) राज्य सरकार द्वारा आदेश किए जाने की दशा में उस राज्य के राज्यपाल द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी समिति को, अथवा

(iii) संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा आदेश किए जाने की दशा में, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी समिति को ।

(ख) यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल खण्ड (क) के अधीन की गई अपील की सुनवाई और निपटारे के लिए ऐसी स्थायी या तदर्थ समिति गठित करेगा जैसी वह ठीक समझे और जिसमें कम से कम तीन व्यक्ति होंगे ।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन गठित समिति, अपील की सुनवाई कर लेने पर और अपीलार्थी और बोर्ड को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, उस आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे उपान्तरित कर सकती है या उलट सकती है ।

(घ) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अपील प्रमाणपत्र के रद्दकरण या निलम्बन की तारीख से साठ दिन के भीतर की जायेगी ।

परन्तु यदि अपील की सुनवाई करने वाली समिति का यह समाधान हो जाता है कि उस स्थान का स्वामी साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हो गया था तो वह अपील को और आगे की 60 दिन की अवधि के भीतर ग्रहण कर सकती है ।

11. **सम्पत्ति किस प्रकार दी जाएगी**.—धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्पति देने के लिए प्ररूप ङ, का प्रयोग किया जाएगा और उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सम्मति देने के लिए प्ररूप-च का प्रयोग किया जाएगा ।

## अध्याय 3

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चलाए गए अस्पतालों को और केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य संघक्षेत्र की सरकार द्वारा अनुमोदित स्थानों को लागू उपबन्ध

12. **परिभाषाएं** :—इस अध्याय में;

(क) "प्रवेश रजिस्टर से नियम 14 के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ख) "अनुमोदित स्थान" से अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य संघक्षेत्र की सरकार द्वारा अनुमोदित स्थान अभिप्रत है;

(ग) "अस्पताल" से केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य संघक्षेत्र की सरकार द्वारा स्थापित या चलाया गया अस्पताल अभिप्रत है ।

13. राय या रायें कैसे प्रमाणित की जाएंगी/जायेंगी.—

(1) जहां कि एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की अथवा कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की वैसी राय हो जैसीकि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है वहां वह या वे प्ररूप ईया प्ररूप-ज में, जो भी लागू हो, ऐसी राय गर्भ समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करेगा । करेंगे ।

(2) जहां कि धारा 5 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की यह राय हो कि किसी स्त्री के गर्भ का समापन उस गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है वहां वह प्ररूप–झ में ऐसी राय गर्भ समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करेगा :

परन्तु जहां ऐसी राय का गर्भ समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करना युक्तियुक्त रूप से साध्य न हो वहां गर्भ का समापन करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी राय गर्भ का समापन कर चुकने के तीन घंटे के भीतर प्रमाणित करेगा ।

(3) अपने गर्भ समापन के लिए गर्भवती स्त्री द्वारा या उसके सम्बन्ध में दी गई सम्मति और प्रमाणित राय, चाहे वह धारा 3 के अधीन अभिलिखित की गई हो या धारा 5 के अधीन, एक लिफाफ में रख दी जाएगी जिसे ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या व्यवसायियों द्वारा मोहरबन्द कर दिया जाएगा जिसके या जिनके द्वारा ऐसी राय प्रमाणित की गई थी और जब तक कि लिफाफा अस्पताल के अध्यक्ष या अनुमोदित स्थान के स्वामी को न भेज दिया जाए, उसे सम्बद्ध चिकित्सा व्यवसायी या व्यवसायियों की निरापद अभिरक्षण में रखा जाएगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफे पर अस्पताल या अनुमोदित स्थान का कोड संख्यांक, प्रवेश रजिस्टर में गर्भवती स्त्री को समनुदिष्ट क्रमांक और जिस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या व्यवसायियों द्वारा गर्भ का समापन किया गया था उसके या उनके नाम लिख जाएंगे ।

(5) उपनियम (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक लिफाफा एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखा जाएगा और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या व्यवसायियों द्वारा मोहरबन्द किया जाएगा तथा उसे उसी दिन जिस दिन गर्भ का समापन किया गया था, उस अस्पताल के अध्यक्ष या उस अनुमोदित स्थान के स्वामी को भेज दिया जाएगा जहां गर्भ समापन किया गया था ।

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट लिफाफे की प्राप्ति पर उस अस्पताल का अध्यक्ष या उस अनुमोदित स्थान का स्वामी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस लिफाफे को उस दिन के, जिस दिन वह लिफाफा उसको प्राप्त हुआ था, ठीक पश्चातवर्ती कार्य दिवस को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज देगा ;

परन्तु जहां कि वह अस्पताल या अनुमोदित स्थान, जिसमें गर्भ समापन किया गया था, उसी शहर या नगर में स्थित, हो जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय स्थित है वहां, उपनियम (5) में निर्दिष्ट लिफाफे को एक विशेष वाहक द्वारा भेजा जा सकता है ।

(7) उप-नियम (3) या उप-नियम (5) में निर्दिष्ट किसी भी मोहरबन्द लिफाफे को तब के सिवाय नहीं खोला जाएगा जब कि किसी विभागीय या अन्य जांच के लिए या किसी अपराध में पुलिस द्वारा अन्वेषण के लिए अथवा नुक्सानी के लिए किसी वाद के या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो ;

परन्तु ऐसा कोई भी लिफाफा—

(i) विभागीय या अन्य जांच की दशा में, भारत सरकार के सचिव के, अथवा

(ii) किसी अपराध में अन्वेषण की दशा में, प्रथम वर्ग के मेजिस्ट्रेट के, अथवा,

(iii) नुक्सानी के लिए किसी वाद या अन्य कार्रवाई की दशा में, उस जिला जज के जिसकी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अस्पताल या अनुमोदित स्थान स्थित है,

प्राधिकार के बिना नहीं खोला जाएगा ।

14. प्रवेश रजिस्टर का रखा जाना.—(1) अस्पताल का प्रत्येक अध्यक्ष या किसी अनुमोदित स्थान का प्रत्येक स्वामी प्ररूप–में एक रजिस्टर, स्त्रियों के गर्भ समापन के निमित्त उनके प्रवेश को उसमें अभिलिखित करने के लिए, रखेगा ।

(2) प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियां क्रमिक रूप में की जाएंगी और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारम्भ पर नया क्रमांक डाला जाएगा और किसी विशिष्ट वर्ष के लिये क्रमांक, उस क्रमांक के सामने वर्ष का उल्लेख करते हुए, अन्य वर्षों से सुभिन्न रखा जाएगा, उदाहरणार्थ 1972 का क्रम संख्या 5 और 1973 का क्रम संख्या 5 इस प्रकार लिखा जाएगा—5/1972 और 5/1973 ।

(3) प्रवेश रजिस्टर एक गुप्त दस्तावेज होगी और, नियम 15 में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उसमें अन्तर्विष्ट गर्भवती स्त्री के नाम और अन्य विशिष्टियों सम्बन्धी जानकारी किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी ।

15. **प्रवेश रजिस्टर का निरीक्षण के लिए उपलब्ध न रहना.**—प्रवेश रजिस्टर, यथास्थिति, अस्पताल के अध्यक्ष या अनुमोदित स्थान के स्वामी या ऐसे अध्यक्ष या स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की निरापद अभिरक्षा रखा में जाएगा और वह—

(i) विभागीय या अन्य जांच की दशा में, भारत सरकार के सचिव के, अथवा

(ii) किसी उपराध में अन्वषण की दशा में, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट के, अथवा

(iii) नुकसानी के लिए किसी वाद या अन्य कार्रवाई की दशा में उस जिला जज के जिसकी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर वह अस्तताल या अनुमोदित स्थान स्थित है

प्राधिकार के विना किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं होगा ।

16 **अस्पताल अथवा अनुमोदित स्थान में रखे गए रजिस्टरों की प्रविष्टियों मे गर्भवती स्त्री के नाम का उपदर्शित न किया जाना.**—किसी भी केस शीट, शस्त्रकर्म-शाला रजिस्टर फालोअप कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज या रजिस्टर में (प्रवेश रजिस्टर में के सिवाय), जो किसी अस्पताल या अनुमोदित स्थान में रखा जाता है, ऐसी कोई भी प्रविष्टि नही की जाएगी जिसमें गर्भवती स्त्री का नाम और अन्य विशिष्टिया उपदर्शित की जाएगी और उसमे गर्भवती स्त्री के प्रति निर्देश प्रवेश रजिस्टर में उस स्त्री को समनुदिष्ट क्रमाक द्वारा किया जाएगा ।

17. **प्रवेश रजिस्टर का नष्ट किया जाना**—केन्द्रीय सरकार या प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या जिला जज के किसी आदेश के न होन पर, प्रवेश रजिस्टर को, उसमे की गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से पाच वर्षों की अवधि के अवसान पर, नष्ट कर दिया जाएगा ।

18. **गर्भ समापन के सम्बन्ध में प्रज्ञापना**—(1) प्रत्येक एसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जो किसी गर्भ का समापन करता है, ऐसी समापन के सात दिन के भीतर, एसे समापन के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्ररुप–ट और ठ में एक प्रज्ञापना देगा जिसमें वह अस्पताल या अनुमोदित स्थान के कोड संख्यांक और प्रवेश रजिस्टर में गभवति स्त्री को समनुदिष्ट क्रमांक को उपदर्शित करेगा ।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी गर्भ समापन के एक मास क भीतर जटिलताओं की, यदि कोई हों, जो सम्बद्ध स्त्री के गर्भ की समापन के पश्चात एसे व्यवसायी द्वारा अवक्षित हुई हो, एक प्रज्ञापना भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देगा और यदि एसी कोई भी जटिलता ऐसे व्यवसायी द्वारा अवेक्षित नहीं हुई है अथवा जहां कि सम्बद्ध स्त्री के बारे में आवश्यक जानकारी उस व्यवसायी के पास उपलब्ध नहीं है वहां वह "शून्य नहीं" की रिपोर्ट भेजेगा ।

(3) प्रत्येक प्रज्ञापन, चाहे वह उप-नियम (1) के अधीन की गई हो या उप-नियम (2) के अधीन, एक मोहरबन्द लिफाफ में भेजी जाएगी और उसपर "गुप्त" शब्द चिह्नित होगा तथा लिफाफे के बाहरी आवरण पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और उस अस्पताल या अनुमोदित स्थान का कोड संख्यांक उपदर्शित किया जाएगा जहां गर्भ समापन किया गया था ।

19. **गर्भ समापन के सम्बन्ध में प्रज्ञापन और जानकारी को प्रकट करने पर निर्बन्धन**—प्ररुप-ट तथा-ठ में अन्तर्विष्ट जानकारी और नियम 18 के उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दी गई प्रज्ञापना—

(i) विभागीय या अन्य जांच की दशा की, भारत के सचिव के,

(ii) किसी अपराध के अन्वेषन को दशा में, प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रट के,

(iii) नुस्सानी के लिए किसी वाद या अन्य कार्रवाई की दशा में, जिला जज के, और

(iv) किसी सद्भावपूर्ण वैज्ञानिक, सांख्यिकीय या अन्य अनुसंधान की दशा मे, भारत सरकार के सचिव के, प्राधिकार के विना मुख्य चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रकट नही की जाएगी ।

## प्रथम अनुसूची

(नियम 7 देखिए)

दूसरे स्तम्भ में यथाविनिर्दिष्ट अक्षरसमूह, जो प्रथम स्तम्भ में विनिर्दिष्ट राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित किसी स्थान को समनुदिष्ट कांड संख्यांक के उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाएगा ।

| 1 | 2 |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | ए पी |
| असम | ए एस |
| बिहार | बी आर |
| गुजरात | जी जे |
| हरियाणा | एच आर |
| हिमाचल प्रदेश | एच पी |
| जम्मू और कश्मीर | ज के |
| केरल | के एल |
| मध्य प्रदेश | एम पी |
| महाराष्ट्र | एम आर |
| मणिपुर | एम एन |
| मेघालय | एम जी |
| मैसूर | एम वाई |
| नागालैंड | एन एल |

| 1 | 2 |
|---|---|
| उड़ीसा . . . | ओ आर |
| पंजाब . . . | पी एन |
| राजस्थान . . . | आर जे |
| तमिलनाडु . . . | टी एन |
| त्रिपुरा . . . | टी आर |
| उत्तर प्रदेश . . . | यू पी |
| पश्चिमी बंगाल . . | डब्ल्यू बी |
| अण्डमान और निकोबार द्वीप | एन एन |
| अरुणाचल प्रदेश . . | ए सी |
| चंडीगढ़ . . . | सी जी |
| दादरा और नागर हवेली | डी एन |
| दिल्ली . . . | डी एल |
| गोवा, दमण और दीव . . | जी डी |
| लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवो द्वीप . . | एल सी |
| पांडिचेरी . . . | पी आई |
| मिजोराय . . . | एम जैड |

द्वितीय अनुसूची

प्ररूप क

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखिए)

रजिस्ट्रीकरण तथा प्रमाण-पत्र के अनुदान के लिए आवेदन

मैं.....(नाम), जो गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का 34) की धारा 2(घ) के अर्थ में एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी हूं, अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए एतद्द्वारा आवेदन करता हूं कि मुझे उक्त धारा में निर्दिष्ट विहित अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त है। मेरी अन्य विशिष्टियां निम्नलिखित हैं :—

1. पता.....
(उस संस्था का नाम और पता जहां काम कर रहा है)

2. पदाभिधान.....

3. उस राज्य चिकित्सक रजिस्टर का नाम जिसमें रजिस्ट्रीकृत है.....और रजिस्ट्रीकरण संख्या.....

4. अर्हताएं (डिग्रियों और डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतियां संलग्न कीजिए)

(क) चिकित्सा संबंधी डिग्री या समतुल्य अर्हता — अर्हता वर्ष — विश्वविद्यालय

(ख) चिकित्सा संबंधी स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा

5. स्त्री रोग-विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान व्यवसाय में अनुभव (ब्यौरे दीजिए).....

6. गर्भ समापन में प्रशिक्षण — प्रशिक्षण-अवधि..... I प्रशिक्षण का स्थान...

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

टिप्पण— तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है।

"5(1) ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, जो अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी गर्भ का समापन करना चाहता है यह सिद्ध करने के लिए प्रयोजन के लिए कि उसके पास स्त्री रोग-विज्ञान और प्रसूति-विज्ञान में ऐसी डिग्री या डिप्लोमा और अनुभव या प्रशिक्षण, या दोनों ही है, जो नियम 4 में निर्दिष्ट हैं अपने नाम के रजिस्ट्रीकरण के लिए और उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाने के लिए कि उसके पास उक्त डिग्री या डिप्लोमा और उक्त अनुभव या प्रशिक्षण, या दोनों ही है, प्ररूप-क में बोर्ड को एक आवेदन करेगा।

**प्ररूप ख**

[धारा 2 (घ) और नियम 5 का उप-नियम (3) देखिये]

**रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि —

डा०.....(नाम).....
(पता) को..... (राज्य का नाम) चिकित्सक रजिस्टर की रजिस्ट्रीकृत सं०..... गर्भ का चिकित्सीकीय समापन नियम, 1972 के नियम 4 में यथानिर्दिष्ट स्त्री- रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में अनुभव/प्रशिक्षण प्राप्त है और अतएव वह गर्भ या चिकित्सीकीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 का की धारा 2 के खण्ड (घ) के अर्थ में रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ।

बोर्ड के सदस्यों के हस्ताक्षर.....

1.....

2.....

3.....

स्थान.....

तारीख.....

---

टिप्पण : तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है ।

"5(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर बोर्ड, आवेदन में अन्तर्विष्ट जानकारी का सत्यापन करेगा और यदि उसका आवेदन में दी गई जानकारी की शुद्धता के प्रति समाधान हो गया है तो वह आवेदक को प्ररूप-ख में एक प्रमाणपत्र देगा ।

---

**प्ररूप ग**

**[नियम 6 का उप-नियम (3) देखिये]**

**धारा 4 के अधीन स्थान के अनुमापन के लिए आवेदन का प्ररूप**

1. स्थान का नाम
(मोटे अक्षरों में)

2. पूरा पता

3. गैर-सरकारी/प्राइवेट नर्सिंग होम/अन्य संस्था
(जो लागू न हों उन्हें काट दीजिए)

4. शय्याओं की कुल संख्या

5. निम्नलिखित के लिए शयाओं की संख्या

(1) प्रसूति सम्बन्धी केसों के लिए

(2) स्त्री रोगी संम्बन्धी केसों के लिए

6. (क) पूर्व के बारह मासों के दौरान कितने प्रसव कराए गए

(ख) पूर्व के बारह मासों के दौर न कितने गर्भपात कराए गए

7. पूर्व के बारह मासों के दौरान कितने विस्फारण एवं आसुरण कराए गए

8. पूर्व के बारह मासों के दौरान कितने उदरीय शकाकर्म किए गए

9. स्थान में नियोजित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों की संख्या और स्त्री रोग विज्ञान और प्रसूति विज्ञान में उनको अर्हताए और उनका अनुभव

| नाम | अर्हता | अनुभव की अवधि |
|---|---|---|
| (क) | | |
| (ख) | | |
| (ग) | | |
| (घ) | | |

10. इस स्थान में संवेदना हारक पूर्वकालिक रुप में काम कर रहा है अथवा अल्पकालिक रुप में ? यदि वह काम कर रहा है तो उसका नाम , उसकी अर्हताएं और उसका अनुभव लिखिए ।

11. इस स्थान में पूर्वकालिक रुप में काम करने वाली प्रशिक्षित नर्सों की संख्या और ऐसी नर्सों के नाम ।

12. कृपया लिखिए कि इस स्थान में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं और उनके ब्यौरे दीजिए—

(1) शस्त्रकर्म की बाली मेज और उदरीय या स्त्री-रोग विश्यक शल्य चिकित्सा करने के लिए उपकरण ।

(2) आपातिक दशाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां और आन्त्रेतर तरल (जिसके अन्तर्गत लाज्मा आयातन एक्सपेंडर भी है ।

(3) संवेदनाहरण के उपस्कर जिनके अन्तर्गत संवेदनाहारी गैसों सुंघाने के उपस्कर हैं; और पुरुस्थापक उपस्कर जिनके अन्तर्गत रक्ताधन उपस्कर भी हैं, और

(4) सिलेंडर, जिसमें आक्सीजन रहती है ।

स्थान

तारीख

स्थान के स्वामी के हस्ताक्षर.....

टिप्पण—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है ।

"6(3) स्थान के अनुमोदन के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररुप-ग में बोर्ड को किया जाएगा ।"

---

प्ररुप घ

[धारा 4 (ख) और नियम 6 का उप-नियम (6) देखिए]

अनुमोदन का प्रमाणपत्र

नीचे की अनुसूची में वर्णित स्थान गर्भ की चिकित्सकीय, समापन, 1971 (1971 का 34) के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

अनुसूची

| स्थान का नाम | पता तथा अन्य वर्णन | स्वामी का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

स्थान.....

तारीख.....

सरकार का सचिव

मंत्रालय/विभाग

टिप्पण—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है ।

"6(6) यदि बोर्ड का समाधान हो जाए कि निरापद और स्वास्थ्यकर दशाओं में गर्भ का समापन किया जा सकता है तो वह ऐसे स्थान के अनुमोदन की सिफारिश कर सकेगा और ऐसी सिफारिश पर सरकार प्ररुप-ग में अनुमोदन का प्रमाणपत्र दे सकेगी।

---

प्ररुप ङ

(नियम 11 देखिए)

मैं....., पुत्र/पुत्री/पत्नी..... .....आयु लगभग.....वर्ष, .....

(यहां स्थायी पता लिखिए)

जो इस समय.....में निवास करता/करती हूं अपनी पुत्री /प्रतिपाल्य....., के जो अवश्यक पागल है

(पुत्री/प्रतिपाल्य का नाम लिखिए)

.....में गर्भ के समापन (उस स्थान का नाम लिखिए जहां गर्भ समापन किया जाना है)

के लिए अपनी सम्मति देता/देती हूं ।

स्थान.....

तारीख .....

हस्ताक्षर

टिप्पणी :—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है ।

"11(1) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट सम्मति देने के लिए प्ररूप-छ का प्रयोग किया जाएगा और उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सम्मति देने के लिए प्ररूप-च का प्रयोग किया जाएगा ।"

प्ररूप. च

(नियम 11 देखिए)

मैं.....पुत्री/पत्नी.....

आयु लगभग.....वर्ष.....

(यहां स्थायी पता लिखिए)

जो इस समय.....में निवास करती हूं.....

(उस स्थान का नाम लिखिए जहां गर्भ-समापन किया जाना है) में अपने गर्भ के समापन के लिए एतद्द्वारा सम्मति देती हूं।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

---

टिप्पण :—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है।

"11(1) धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सम्मति देने के लिए प्ररूप—ङ का प्रयोग किया जाएगा और उस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सम्मति देने के लिए प्ररूप-च का प्रयोग किया जाएगा।"

---

प्ररूप छ

[नियम 13 का उप-नियम (1) देखिए]

मैं.....

(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का मोटे अक्षरों में नाम और अर्हता)

.....एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय, जो सद्भावपूर्वक बनी है, यह है कि.....

(गर्भवती स्त्री का)

....., निवासिनी .....

(मोटे अक्षरों में पूरा नाम)

(गर्भवती स्त्री का पूरा पता)

के गर्भ का समापन कर देना आवश्यक है।

(1) से (5) तक की मदों में विनिर्दिष्ट आधारों में से उस पर निशान लगाइए जो इस केस को लागू हो—

(1) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली क्षति रोकने के लिए

(2) इस दृष्टि से कि इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गम्भीर रूप से विकलांग हो

(3) गर्भवती स्त्री का यह अभिकथन है कि गर्भ बलात्संग द्वारा हुआ है

(4) गर्भ बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी गर्भनिरोधक प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरूप हुआ है।

(5) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली ऐसी क्षति की जोखिम रोकने के लिए, जो वास्तविक या युक्तियुक्त रूप से उसकी पूर्वानुमेय परिस्थितियों के कारण हो सकती है।

स्थान :

तारीख :

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के हस्ताक्षर

---

टिप्पण :—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है :—

"13(1) जहां कि एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की, अथवा कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायियों की, वैसी राय हो जैसी कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है वहां वह या वे प्ररूप-छ या प्ररूप-ज में जो भी लागू हो, ऐसी राय गर्भ-समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करेगा/करेंगे।"

**गुप्त प्ररूप-ञ**

[नियम 13 का उप-नियम (1) देखिए]

धारा 3 (2) (ख) के अधीन राय का प्रमाण-पत्र

मैं.....,
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का मोटे अक्षरों में नाम और अर्हता).....
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का पूरा पता).....
और मैं.....
.....,.....
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का नाम और अर्हता),.....
.....(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का पूरा पता)
एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी राय, जो सद्भावपूर्वक बनी है, यह है कि.....
.....(गर्भवती स्त्री का मोटे अक्षरों में पूरा नाम), निवासिनी.....
.....(गर्भवती स्त्री का मोटे अक्षरों में पूरा पता) के गर्भ का समापन कर देना आवश्यक है।

(1) से (5) तक की मदों में विनिर्दिष्ट आधारों में से उस पर निशान लगाएं जो इस केस को लागू हो :—

(1) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली क्षति को रोकने के लिए

(2) इस दृष्टि से कि इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गम्भीर रूप से विकलांग हो

(3) गर्भवती स्त्री का यह अधिकथन है कि गर्भ बलात्संग द्वारा हुआ है

(4) गर्भ बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी गर्भनिरोधक प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरूप हुआ है

(5) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली ऐसी क्षति की जोखिम रोकने के लिए, जो वास्तविक या युक्तियुक्त रूप से उसकी पूर्वानुमेय परिस्थितियों के कारण हो सकती है

स्थान :.....
तारीख :.....

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के
हस्ताक्षर

---

टिप्पणी —तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है —

"13 (1) जहां कि एक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की, अथवा कम से कम दो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायों की, वैसी राय हो जैसी कि धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट है वहां वह या वे प्ररूप-छ या प्ररूप-ज में, जो भी लागू हो, ऐसी राय गर्भ-समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करेगा/करेंगे।

**गुप्त**

**प्ररूप—झ**

[नियम 13 का उपनियम (2) देखिये]

धारा 5 के अधीन राय का प्रमाण-पत्र

मैं.....
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का मोटे अक्षरों में नाम और अर्हता), .....(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का पूरा पता), एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी सद्भावपूर्वक बनी राय यह है/थी कि.....
.....
(गर्भवती स्त्री का मोटे अक्षरों में पूरा नाम), निवासिनी.....
.....
(गर्भवती स्त्री का मोटे अक्षरों में पूरा पता) का जीवन बचाने के लिए प्रत्येक गर्भ का समापन कर देना तुरन्त आवश्यक* है/थी

राय का यह प्रमाण-पत्र :

उस गर्भ के, जिससे इसका सम्बन्ध है, समापन के उपचार को प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसे समापन के मौद तीन घंटे से अधिक्षात् दिया जाता है क्योंकि उपचार प्रारम्भ करने से पूर्व ऐसा करना युक्ति-युक्त रूप से साध्य नहीं था ।

* (जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

स्थान :

तारीख :

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी के

हस्ताक्षर.....

टिप्पण-तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है--

"13 (2) जहां की धारा 5 के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी की यह राय हो कि किसी स्त्री के गर्भ का समापन उस गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आवश्यक है वहां वह प्ररूप-झ में ऐसी राय गर्भ-समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करेगा :

परन्तु जहां ऐसी राय का गर्भ-समापन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रमाणित करना युक्तियुक्त रूप से साध्य न हो वहां गर्भ का समापन करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी ऐसी राय गर्भ का समापन कर चुकने के तीन घंटे के भीतर प्रमाणित करेगा ।"

प्ररूप झ

[नियम 14 का उप-नियम (1) देखिए]

प्रवेश रजिस्टर

रजिस्टर में की गई अन्तिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष के भीतर नष्ट न किया जाए ।

| क्रम सं० | प्रवेश की तारीख | रोगी का नाम | पुत्री/पत्नी | आयु | धर्म | पता | गर्भ की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का व्यवसायियों के नाम जिसके/जिनके द्वारा राय कायम की गई | गर्भ का किन आधारों पर समापन किया गया | गर्भ-समापन की तारीख | उस रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का नाम जिसके द्वारा गर्भ का समाप्त किया गया |
|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 |

गुप्त

**प्ररूप ट**

[नियम 18 का उप-नियम (1) देखिए]

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रज्ञापना**

मैं———————————————————,
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का मोटे अक्षरों में नाम और अर्हता)
———————————————और मैं———————————
(रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता) (रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी का मोटे अक्षरों में नाम और पता) (रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)
———————————————एतद्द्वारा यह प्रज्ञापना करता हूं / करते हैं कि मैंने/हमने उस स्त्री का, जिसका उस अस्पताल/अनुमोदित स्थान के, जिसका कोड सख्यांक———————————————————है, प्रवेश रजिस्टर में क्रमाक———————————————है, गर्भ समाप्त किया है ।

हस्ताक्षर : हस्ताक्षर

तारीख : तारीख :

*इस प्ररूप को प्ररूप–ठ के साथ लगाइए ।

**प्ररूप ठ**

[नियम 18 का उपनियम (1) देखिए]

**मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रज्ञापना**

कोड सख्यांक———————————————

1 सरकारी/गैर-सरकारी

2 रोगी का निवास (क) नगर
(ख) ग्राम्य

3 रोगी की आयु

4 रोगी के कुटुम्ब की कुल मासिक आय———————

5 रोगी की शिक्षा
*0 1–5 6–8 9–11 विश्वविद्यालय

6 रोगी के पति की शिक्षा* 0 1–5 6–8 9–11 विश्वविद्यालय

7 उपजीविका (क) रोगी की
(ख) उस के पति की

8 धर्म हिन्दु
मुसलमान
क्रिश्चियन
अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

9 वैवाहिक स्थिति 1 अकेली 2 विवाहिता 3 विधवा
4 विच्छिन्न विवाह अथवा पृथक्करण ।

10 अन्तिम रजोधर्म—
मे अवधि की तारीख

| 11 पूर्वगामी गर्भ | | | |
|---|---|---|---|
| | जीवित जात | लडका | लडकी |
| | मृत जात | लडका | लडकी |
| | गर्भपात | उत्प्रेरित | स्वत |

12 अधिनियम के अधीन अन्तिम गर्भ-समापन की तारीख

| 13 विद्यामान बच्चो की सख्या | लडका | लडका | लडकी |
|---|---|---|---|

14 अन्तिम बार किस गर्भ निरोधक व्यवस्था का प्रयोग किया गया था (किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरुप किए गए गर्भ समापन की दशा मे)

1 डिम्बवाहिनी बन्धन 2 शुक्र वाहि कोच्छेदन 3 आई० यू०सी० डी०

4 रूढ़ गर्भ निरोधक उपचार

5 अन्य

*उपयुक्त स्थान पर गोल दायरा बना दीजिए ।

15 गर्भ-समापन के स्थान मे प्रवेश की तारीख*

16 गर्भ-समापन का स्थान छोड़ने की तारीख*

17 गर्भ की अनुमानित आप्तित्वावधि (सप्ताहों में)*

18 गर्भ का किन आधारों पर समापन किया गया है :—

नीचे की (1) से (7) तक की मदों में विनिर्दिष्ट आधारों में से उस पर निशान लगाएं जो इस केस को लागू हो—

(1) गर्भवती स्त्री के जीवन को खतरा,

(2) गर्भवती स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति,

(3) गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति,

(4) बलात्संग द्वारा हुआ गर्भ,

(5) इस बात की पर्याप्त जोखिम कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गम्भीर रूप से विकलांग हो,

(6) बच्चो की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा प्रयोग में लाई गई किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था क असफलता,

(7) गर्भवति स्त्री के स्वास्थ्य को होने वाली ऐसी जोखिम जो वास्तविक या युक्तियुक्त रूप में उसक पूर्वानमेय परिस्थितियों के कारण हो सकती है ।

19 गर्भ-समा न के प्रकार :—

(1) विस्मधरण और उत्सारण

(2) निर्वातचूषण

(3) हिस्टोटोमी

(4) उदर-ता

(क) उदर-मार्गी

(ख) योनिमार्गी

(4) गर्भाशयोच्छेदन

(5) अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

20. शस्त्रकर्म में लगा समय

21. संवेदनाहारी कोई नही सामान्य स्थानीय क्षेत्रीय पीड़ाशून्यता अन्य

22. जटिलताएं :

(1) सतब्धता

(2) हीग

(3) हृद सरोध

(4) सवेदनाहारी जटिलताएं

(5) गर्भाशयछिद्रण

(6) ग्रैव विदारण

(7) प्रतिधारित उत्पाद

(8) मृत्यु

(9) अन्य (विनिर्दिष्ट कीजिए)

23. मृत्यु की दशा में मृत्यु का कारण और वह समय विनिर्दिष्ट कीजिए जो शस्त्रकम और मृत्यु के बीच बीता हो ।

24. ऐसी गर्भ निरोधक सलाह जो दी गयी हो ।

(1) डिम्बवाहिनी बन्धन (2) शुक्रवाहिकोच्छेदन

(3) आई० यू०सी०डी० (4) रूढ़ गर्भनिरोधक उपचार

(5) अन्य

रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसाय./व्यवसायियो के हस्ताक्षर————————————

टिप्पण—तात्कालिक निर्देश के लिए सुसंगत नियम पुनः नीचे दिया जा रहा है—

"18(4)—प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसाय, जो किसी गर्भ का समापन करता है, ऐसे समापन के सात दिन के भीतर, ऐसे समापन के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रारूप–ट और ठ में एक प्रज्ञापन देगा जिसमें वह अस्पताल या अनुमोदित स्थान के कोड संख्यांक और प्रवेश रजिस्टर में गर्भवती स्त्री समनुदिष्ट क्रमांक को उपदर्शित करेगा ।

[सं० 8-67/70-निनि(प०नि)]

आर०एन० मधोक, अप सचिव ।

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
### (Legislative Department)

*New Delhi, the 3rd February 1972*

**G.S.R. 287.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Official Language (Legislative) Commission, (Class III—non-gazetted post) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Official Language (Legislative) Commission, (Class III– non-gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Official Language (Legislative) Commission, (Class III—non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1963—

(i) for rule 4, the following rules shall be substituted namely:—

"4. *Disqualification.*—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it it necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard,";

(ii) in the Schedule,—

(a) after column 12 the following column with the heading as specified therein shall be added, namely:—

"Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.

13"

(b) under column 13 as so added, the words "Not applicable" shall be inserted in respect of each of the posts specified in column 1,

(c) after serial number 10 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "11. Staff Car Driver. | One | General Central Service Class III (Non-gazetted-Non-Ministerial). | Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicable. | 23 to 30 years | *Essential* :<br>Possession of a valid driving licence for motor car, knowledge of motor mechanics and experience of driving a motor car for at least 5 years.<br>*Desirable* :<br>A pass in 8th standard. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | By transfer or deputation, failing which by direct recruitment. | By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge suitability for the post with reference to the standards of competence considered essential in drivers of staff cars, from amongst Class IV employees of the Official Language (Leg.) Commission, Legislative Department, Ministry of Law and Justice possessing the qualifications mentioned in column 7; or by deputation or transfer of persons holding the post of Staff Car Driver in any Ministry or Department (Period of deputation ordinarily not exceeding two years). | Not applicable | Not applicable |

[No. A. 12011/3/71-Adm. I (LD)]

E. VENKATESWARAN, Dy. Secy.

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**(विधायी विभाग)**

नई दिल्ली, 3 फरवरी 1972

सा०का०नि० 287.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजभाषा (विधायी) आयोग (वर्ग III—अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम राजभाषा (विधायी) आयोग, (वर्ग III—अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राजभाषा (विधायी) आयोग (वर्ग III—अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1963 में—

(1) नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात् :—

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

व्यावृत्ति:— इन नियमों की कोई बात इस बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के लोगों को दिये जाने की अपेक्षित आरक्षितियों और रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(ii) इस अनुसूची में,—

(क) स्तंभ 12 के पश्चात् उसमें यथा विनिर्दिष्ट शीर्षक के साथ निम्नलिखित स्तंभ जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

---

" वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने की बाबत संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना है।

(ख) इस प्रकार जोड़े गए स्तम्भ 13 के नीचे "लागू नहीं होता" शब्द स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में अन्त: स्थापित किए जायेंगे,

(ग) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. स्टाफकार ड्राइवर | एक | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग III (अराजपत्रित अ-लिपिकीय) | रु० 110—3—131—4—155—द० रो० 4—175—5—180 |

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 23 से 30 वर्ष तक | **आवश्यक** :—उसके पास मोटरकार चलाने की विधि मान्य अनुज्ञप्ति हो, मोटर यांत्रिकी का ज्ञान और कम से कम 5 वर्ष का मोटरकार चलाने का अनुभव।<br>**वांछनीय** :—8वीं कक्षा पास । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा | स्तंभ 7 में वर्णित अर्हताओं को धारण करने वाले विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राजभाषा (विधायी) आयोग के वर्ग 1 के कर्मचारियों में से स्टाफकार ड्राइवरों में आवश्यक समझें जाने वाली समक्षता के मानकों के निर्देश से पद के लिए उपयुक्तता की जांच के लिए परिकल्पित चालन परीक्षण के परिणाम के आधार पर स्थानान्तरण द्वारा, या किसी मंत्रालय या विभाग में स्टाफकार ड्राइवर के पद को धारण करने वाले व्यक्ति की (प्रतिनियुक्ति की या स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति का विधि सामान्यत. दो वर्ष से अधिक नही होगी)। | लागू नही होता। | लागू नही होता। |

[सं० ए० 12011/3/71-प्रशासन I(एलडी०)]

ई० वैंकटेश्वरन, उपसचिव,

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

*New Delhi, the 18th February 1972*

G.S.R. **288.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Foreign Trade (Officer on Special Duty) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade (Officer on Special Duty) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Foreign Trade (Officer on Special Duty) Recruitment Rules, 1971, in column 11, for the existing entry, the following entry, shall be substituted, namely:—

"*Transfer on deputation.*—(i) Officers of the I.A.S., Central Services Class I and Selection Grade of the Central Secretariat Service eligible for appointment as Director in the Central Secretariat; and

(ii) Officers of General Central Services Class I and drawing pay not less than Rs. 2000 per mensem,

and having adequate experience in vigilance work, the period of deputation ordinarily not exceeding 5 years".

[No. F. A/12018/271-E.I.]

L. S. RASTOGI, Under Secy.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 288 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश व्यापार मंत्रालय (विशेष कार्य अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम विदेश व्यापार मंत्रालय (विशेष कार्य अधिकारी) भर्ती नियम (संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश व्यापार मंत्रालय (विशेष कार्य अधिकारी) भर्ती नियम, 1971 की अनुसूची में, कालम 11 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

"प्रतिनियुक्ति पर अंतरण

(i) भारतीय प्रशासन सेवा, केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1 तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवरण ग्रेड के अधिकारी जो केन्द्रीय सचिवालय में निदेशक के पद पर नियुक्ति के पात्र हों, तथा

(ii) सामान्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1 के तथा 2000 रूपये प्रतिमास से अन्यून वेतन पाने वाले और सतर्कता कार्य में पर्याप्त अनुभव वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: 5 वर्ष से अनधिक होगी"।

[फा० सं० एफ०ए० 12018/2/71-ई-1]

एल० एस० रस्तोगी, अवर सचिव।

---

COFFEE CONTROL

*New Delhi, the 2nd March 1972*

G.S.R. **289.**—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Coffee Rules, 1955, namely:—

1. These rules may be called the Coffee (Second Amendment) Rules, 1972.

2. In rule 38 of the Coffee Rules, 1955, in clause (c), for the word "twenty", the word "twentyfive" shall be substituted.

[No. F. 2(1)Plant(B)/67.]

N. N. MALHAN, Dy. Secy.

## काफी नियंत्रण

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

सा० का० नि० 289 —काफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार काफी नियम, 1955 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :

1. इन नियमों को काफी (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 कहा जाये।

2. काफी नियम, 1955 के नियम 38 के खण्ड (ग) में शब्द 'बीस' के स्थान पर 'पच्चीस शब्द रखा जायगा।

[सं० फा० 2(1)—प्लांट (बी)/67]

एन० एन० मलहन,

उप-निदेशक, भारत सरकार।

---

## MINISTRY OF AGRICULTURE
### (Department of Food)
### ORDER

*New Delhi, the 6th March 1972*

G.S.R. **290.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes

the following Order further to amend the Madras Coarse Grains (Export Control) Order, 1964, namely:—

1. This Order may be called the Madras Coarse Grains (Export Control) Amendment Order, 1972.

2. In the Madras Coarse Grains (Export Control) Order, 1964, in clauses 1, 2 and 4, for the word "Madras", wherever it occurs, the words "Tamil Nadu" shall be substituted.

[No. 204(TN)(1)/79/71-PY.II.]
L. HMINGLIANA, Under Secy.

**कृषि मंत्रालय**

**(खाद्य विभाग)**

**आदेश**

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

**सा०का०नि० 290**—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. यह आदेश मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

2. मद्रास मोटा अनाज (निर्यात नियन्त्रण) आदेश, 1964 में स्तम्भ 1, 2 और 4 में जहां कहीं भी "मद्रास" शब्द आता है, उसके स्थान पर "तमिल नाडू" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 204(टी० एन०)(1)/79/71-पी० वाई०-II]
एल० मिंगलियान,
अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT**

**(Transport Wing)**

*New Delhi, the 28th February 1972*

**G.S.R. 291.**—In pursuance of clause (d) of sub-section (1) read with sub-section (3) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies in the Table below the State or local bodies, representing Commercial, shipping or local interests, each of which shall elect on the Board of Trustees in respect of the Port of Paradip such number of Trustees as is mentioned against its name:—

TABLE

| Name of bodies | No. of Trustees to be elected |
|---|---|
| Orissa Chamber of Commerce and Industry Cuttack | 1 |
| Utkal Chamber of Commerce and Industry Ltd., Cuttack | 1 |
| Industry Ltd., Cuttack | 1 |
| Indian National Ship-owners' Association, Bombay | 1 |

[No. 11-PG(9)/71.]

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय**

**(परिवहन स्कंध)**

नयी दिल्ली 28 फरवरी, 1972

**सा०का०नि० 291.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (घ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित सारणी में उन राज्य और स्थानीय निकायों को विनिर्दिष्ट करती है जो वाणिज्यिक नौवहन या स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं और जिनमें से प्रत्येक परादीप पत्तन की बाबत न्यासियों के बोर्ड पर उतने न्यासियों को निर्वाचित करेगी जितने उसके नाम के सामने उल्लिखित हैं—

सारणी

| निकाय का नाम | निर्वाचित किये जाने वाले न्यासियों की संख्या |
|---|---|
| उड़ीसा चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, कटक | 1 |
| उत्कल चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री लि०, कटक, | 1 |
| इंडियन नेशनल शिप-ओनर्स एसोसिशयेसन, मुम्बई | 1 |

[स०11—पी० जी०(9)/71]

---

**G S.R. 292.**—In pursuance of sub-section (4) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the period ending with the 25th day of March, 1972 as the period within which the election of Trustees in respect of the Board of Trustees for the Port of Paradip under clause (d) of sub-section (1) of section 3 of the said Act shall be held.

[No. 11-PG(9)/71-I.]
K. L. GUPTA, Under Secy.

**सा० का० नि० 292.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मार्च, 1972 के 25 वें दिन समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके अन्दर उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन परादीप पत्तन के न्यासियों के के बोर्ड की बाबत न्यासियों का निर्वाचन किया जायेगा।

[स० 11—पी० जी० (9)/(71—1]
के० एल० गुप्ता,
अवर सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 10th February 1972*

G.S.R. 293.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Home Affairs Investigators Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs Investigators Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs Investigators Recruitment Rules, 1959, for the entry occurring below columns 5, 6, 7 and 8, the entry "By deputation/transfer of Upper Division Clerks from the Central Secretariat Clerical Service having at least five years service in that Grade, failing which by direct recruitment," shall be substituted.

[No. A. 35014/41/71-Ad.I(A).]

BADRI NATH, Under Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

जी.एस.आर. 293.—राष्ट्रपति, संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय अन्वेषक भर्ती नियम, 1959 का और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; यथा :—

1 (1) ये नियम गृह मंत्रालय अन्वेषक भर्ती (सशोधन) नियम, 1972 कहलायेंग ।.

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगे ।

2. गृह मंत्रालय अन्वेषक भर्ती नियम, 1959 की अनुसूची के स्तम्भ 5, 6, 7 और 8 के नीचे पायी जाने वाली प्रविष्टि के लिए "केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उन प्रवर श्रेणी लिपिकों, जिन की उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो, मैं से प्रतिनियुक्ति/स्थीनापन्नतरण द्वारा, इस के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा" प्रविविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी ।.

[संख्या ए0 35014/41/71—प्रशासन—1 (क)]

बद्रीनाथ, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 14th February 1972*

G.S.R. 294.—In pursuance of this Ministry's Notification No. 6/4/68-ER, dated the 18th April, 1969, and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Fire Adviser, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Fire Adviser Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

*Recruitment Rules for the Post of Fire Adviser in the Ministry of Home Affairs*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fire Adviser | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 1300-60-1600-100-1800 | Selection | Preferably below 50 years. | *Essential* :—<br>(*i*) Degree of a recognised University or equivalent<br>(*ii*) Associate Membership of the Institute of Fire Engineers, London or equivalent qualifications<br>(*iii*) About 10 years' experience in a rank not below the rank of Divisional or Regional Fire Service Officer in an established Fire Service.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)<br>*Desirable* :—<br>Knowledge and experience of Standardisation and formulating specifications for fire fighting appliances and equipment and testing them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion, transfer/deputation (including short term contract) or direct recruitment the method of recruitment to be decided in consultation with the Union Public Service Commission each time a vacancy arises. | *Promotion* :<br>Deputy Fire Adviser with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br>*Transfer /deputation (including short term contract)* :<br>Officers not below the rank of Divisional or Regional fire Service Officer with about 10 years service as such and possessing the qualifications prescribed in Col. 7 from the Fire Brigades of the Central Government or State Government and Municipal Corporations.<br>(Period of deputation/contract—ordinarily not exceeding 4 years).<br>NOTE:—Deputationists will not be eligible for promotion. | Class I Department Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations 1958, read with the provisions under Column 10. |

[No. 6/25/70-ER.]

G. D. GUPTA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी 1972

**सा०का०नि०** 294.—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 6/468-ई०आर० दिनांक 18 अप्रैल 1969 का अधिक्रमण करते हुए तथा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा अग्निशमन सलाहकार के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत :—

1 **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** : (1) ये नियम अग्निशमन सलाहकार भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।
(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2 **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान**: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उससे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जैसा कि संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

3 **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं** : उक्त पद में भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

4 **अनर्हताएं** : कोई भी व्यक्ति :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है जिसके एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का इकरार किया है

उक्त पद में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इससे सन्तुष्ट हो कि विवाह करने वाले व्यक्ति तथा दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण है तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5 **छूट देने की शक्ति**. जहां केन्द्रीय सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है तो वह आदेश द्वारा जिसके कारण लिखित रूप में देने होंगे व्यक्तियों की किसी श्रेणी अथवा वर्ग के बारे में इन नियमों के किसी उपबंध में ढील दे सकती है ।

6 **अपवाद** : इन नियमों की किसी बात का केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए आवश्यक आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(अनुसूची)

गृह मंत्रालय में अग्निशमन सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियम

| पद आदि का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अर्हताएं । |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| अग्निशमन सलाहकार | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राज-पत्रित | 1300-60-1600-100-1800 रु० | प्रवरण | अधिमान्यत 50 वर्ष से कम | अनिवार्य : (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा अर्हता (ii) अग्निशमन संस्थान लन्दन की सदस्यता अथवा समकक्ष अर्हता |

[F. No. I-11011/1/72-Ests. (A) I]

S. Secy.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (iii) किसी स्थापित अग्निशमन सेवा में कम से कम मंडल अथवा क्षेत्रीय अग्नि-शमन सेवा अधिकारी के पद का लगभग 10 वर्ष का अनुभव।<br>(अन्यथा पर्याप्त अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के संबंध में आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है)<br>**वांछनीय :**<br>अग्नि शमन उपकरणों तथा उपस्करों के मानकीकरण तथा उनके विशेष विवरण तैयार करने एवं उन की जांच करने का ज्ञान और अनुभव। |

| 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|
| क्या सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति किए जाने वालों के लिए भी लागू होंगी। | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति :**<br>सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत |
| नहीं | 2 वर्ष | पदोन्नति स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा समेत) अथवा सीधी भर्ती द्वारा। हर बार जब भी रिक्ति होगी संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके भर्ती की पद्धति निश्चित की जायेगी। |

| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती किये जाने पर किस ग्रेड से पदोन्नति/प्रतिनियुक्त स्थानान्तरण किया जाएगा । | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है | किन परिस्थितियों में भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| पदोन्नति :<br>अग्निशमन सलाहकार जिन्होंने उस ग्रेड में नियमित नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की सेवा की हो । | श्रेणी 1 विभागीय पदोन्नति समिति | कालम 10 में अन्तर्विष्ट दर्ज की गई अर्हताओं के लिए गठित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में जैसा विनिर्दिष्ट है । |
| स्थानान्तरण /प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा समेत)<br>केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार तथा नगर निगमों के अग्निशमन दलों के कम से कम समतुल्य क्षेत्रीय अग्निशमन सेवा अधिकारी के पद के अधिकारी जिन्होंने उस रूप में कम से कम 10 वर्ष सेवा की हो तथा कालम 10 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों ।<br>(प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी)<br>टिप्पणी :—प्रतिनियुक्ति व्यक्ति आदेशित के लिए पात्र नहीं होंगे । | | |

[सं० 6/25/70-ई०आर०]

जी० डी० गुप्ता,
उप-सचिव, भारत सरकार।

*New Delhi, the 15th February 1972*

**G.S.R. 295.**—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that subject to his control, the Administrator of each of the Union Territory of Arunachal Pradesh and Mizoram shall, in relation to the Union territory concerned, discharge the functions of the Central Government (i) for obtaining an indemnity bond in respect of a foreigner entering India; (ii) for taking any action under the terms and conditions of the bond, and (iii) for incurring any expenditure on the foreigner and his family during their residence in India and on their repatriation out of India.

[No. 11013/1/72-(II)-F. I.]

B. R. PATEL, Jt. Secy.

*New Delhi, the 15th February, 1972*

**G.S.R. 296**—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizenship Rules, 1956, namely :—

1. (*1*) These rules may be called the Citizenship (Amendment) Rules, 1972.

(*2*) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Citizenship Rules, 1956, —

(*a*) in sub-rules (2) and (3) of rule 31, for the letters and figures "Rs. 23.75", the letters and figures "Rs. 24.00" shall be substituted ;

(*b*) in Form VI of Schedule I, the worlds "made in the presence of the issuing authority" shall be omitted;

(*c*) for Schedule IV the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE IV

[*See* rule 31(1)]

*Table of Fees*

| Matter in which fee is to be taken | Amount of fee | |
|---|---|---|
| | In India Rs. | Elsewhere Rs. |
| Registration as a citizen under section 5 of the Citizenship Act, 1955 of— | | |
| (*i*) Alien woman 5(1)(c) . . | 50·00 | 79·00 |
| (*ii*) Minor Child 5(1)(d) . . | 10·00 | 16·00 |
| (*iii*) Any other Minor 5(4) . . | 50·00 | 79·00 |
| (*iv*) Canadian citizens 5(1)(e) . . | 100·00 | 158·00 |
| Grant of the certificate of naturalisation | 100,00 | 158,00 |
| Grant of certificate of citizenship in case of doubt . . . . . | 25·00 | 40·00 |
| Witnessing the signing of an application or declaration mentioned in rule 28 of these rules . . . . | 8·75 | 14·00 |
| Administering the oath of alleigance . | 8·75 | 14·00 |
| Registration of a declaration of intention to resume Indian citizenship or renunciation of citizenship . . . | 25·00 | 40·00 |
| Supplying a certificate true copy of any notice, certificate, order, declaration, or entry given, granted or made by or under the Citizenship Act, 1955 . | 10·00 | 16·00 |
| Supplying a certified true copy of a certificate of naturalisation . . | 15·00 | 24·00" |

[No. 26011/12(2)/71-IC

**नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972**

**सा० का० नि० 296.**—नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागरिकता नियम, 1956 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नागरिकता (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नागरिकता नियम, 1956 में—

(क) नियम 31 के उपनियम (2) और (3) में, "23 रुपये 75 पैसे" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "24 रुपये" अक्षर और अंक प्रतिस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) अनुसूची I के प्रारूप VI में "जारी करने वाले प्राधिकारी की उपस्थिति में किये गये" शब्दों को हटा दिया जायेगा;

(ग) अनुसूची IV के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"अनुसूची

(नियम 31(1) देखिए)

फीसों की सारणी

| वह मामला जिसमें फीस ली जानी है | फीस की रकम | |
|---|---|---|
| | भारत में रु० | अन्यत्र रु० |
| नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अधीन नागरिक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए :— | | |
| (i) अन्य देशीय स्त्री 5(1)(ग) | 50—00 | 79—00 |
| (ii) अप्राप्तवय शिशु 5(1)(घ) | 10—00 | 16—00 |
| (iii) कोई अन्य अप्राप्तवय 5(4) | 50—00 | 70—00 |
| (iv) कनाडा के नागरिक 5(1)(ङ) | 100—00 | 158—00 |
| देशीयकरण के प्रमाण पत्र का दिया जाना | 100—00 | 158—00 |
| शंका के मामले में नागरिकता का प्रमाणपत्र दिया जाना . . | 25—00 | 40—00 |

| वह मामला जिसमें फीस ली जानी है | फीस की रकम | |
|---|---|---|
| | भारत में रु० | अन्यत्र रु० |
| इन नियमों के नियम 28 में उल्लिखित किसी एक आवेदन या घोषणा पर हस्ताक्षर करने का साक्ष्य देना . | 8–75 | 14–00 |
| राजनिष्ठा की शपथ देना . . | 8–75 | 14–00 |
| भारत की नागरिकता का पुनः आरम्भ करने या नागरिकता के त्यजन के आशय की घोषणा का रजिस्ट्रीकरण | 25–00 | 40–00 |
| नागरिकता अधिनियम, 1955 के द्वारा या उसके अधीन दी गई अनुदत्त की गई किसी सूचना, प्रमाणपत्र, आदेश, घोषणा या प्रविष्टि की प्रमाणित सही प्रति का देना . . | 10–00 | 16–00 |
| देशीयकरण के किसी प्रमाणपत्र की प्रमाणित सही प्रति का देना . | 15–00 | 24–00 |

[सं० 26011/12(1)/71-आई० सी०]

G.S.R. 297—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Citizens (Registration at Indian Consulates) Rules 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the citizens (Registration at Indian Consulates Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 19 of the Citizens (Registration at Indian Consulates) Rules, 1956 for items, (i) to (v), the following items shall be substituted, namely :—

| | Rs. P. |
|---|---|
| "(*i*) For registration of birth or death (except the death of a seaman) . . . | 5·00 |
| (*ii*) For registration of the death of a seaman | 6·00 |
| (*iii*) For each search in the register of births or deaths kept at the Consulate. . | 2·00 |
| (*iv*) For each certified copy of an entry in the register . . . . . | 5·00 |
| (*v*) For each certified copy of registration of Indian Citizenship . . . . | 19·00" |

C. L. GOYAL,
Under Secy.

सा० का० नि० 297.—नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नागरिक (भारतीय कौंसलावासों में रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1956 में और आगे संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम नागरिक (भारतीय कौंसलावासों में रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागरिक (कौंसलावासों में रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1956 के नियम 19 में मद (i) से (v) तक के स्थान पर निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"(i) जन्म या मृत्यु (नाविक की मृत्यु के सिवाये) के रजिस्ट्रीकरण के लिए . . 5–00 रु०

(ii) नाविक की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए 6–00 रु०

(iii) कौंसलावास में रखे गये जन्म या मृत्यु रजिस्टर में प्रत्येक तलाशी के लिए . 2–00 रु०

(iv) रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि की प्रत्येक प्रमाणित प्रति के लिए . . 5–00 रु०

(v) भारतीय नागरिकता के रजिस्ट्रीकरण की प्रत्येक प्रमाणित प्रति के लिए . . 19–00 रु०

[सं० 26011/12 (ii)/71-आई०सी०]

सी० एल० गोयल, अवर सचिव।

*New Delhi, the 25th February 1972*

G.S.R. 298.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in this behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For the existing Schedule to the Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules 1971, the following Schedule shall be substituted, namely:—

THE SCHEDULE

(See rule 4)

The authorised permanent strength of service and the nature of the posts included in it are as follows:—

| | *Sanctioned Strength* |
|---|---|
| 1. Specific posts under the Delhi Administration | 40 |
| 2. Specific posts under the Andaman and Nicobar Administration | |

| | |
|---|---|
| 3. Deputation, leave and training reserves. | 21 |
| Total | 67 |

The above figures include the following posts:—

| | |
|---|---|
| (a) *Delhi Administration.* Deputy Superintendent of Police | 40 |
| (b) *Andaman and Nicober Administration* Deputy Superintendent of Police | 6 |
| (c) *Reserves* | |
| 1. Leave reserve at 10 per cent of 40 | 5 |
| 2. Training reserve at 10 per cent of 46 | 5 |
| 3. Deputation reserve | |
| (i) at 12/1/2 per cent of 46 | 6 |
| (ii) for Central Reserve Police | 5 |
| Total: | 67" |

[No. F. 1/22/71 DH(S)]
R. C. JAIN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 298.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप पुलिस सेवा नियम, 1971, में आगे संशोधन करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1. (1) ये नियम दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप पुलिस सेवा (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप पुलिस सेवा नियम, 1971 की नियमावली के नियम 4 के स्थान पर अनुसूची प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् —

"अनुसूची

(नियम 4 देखें)

इस सेवा में प्रतिनियुक्ति रिक्तियों की संख्या और उस पर नियुक्ति पदों का स्वरूप निम्नप्रकार है —

| | |
|---|---|
| संयोजित संख्या | |
| 1. दिल्ली प्रशासन के अधीन विशिष्ट पद | 10 |
| 2. अंडमान और निकोबार प्रशासन के अन्तर्गत विशिष्ट पद | 6 |
| 3. प्रतिनियुक्ति छुट्टी और प्रशिक्षण के लिए आरक्षण | 21 |
| कुल | 67 |

उपरोक्त संख्या में निम्नलिखित पद शामिल है—

| | |
|---|---|
| (क) **दिल्ली प्रशासन** | |
| पुलिस उप-अधीक्षक | 40 |
| (ख) **अंडमान और निकोबार प्रशासन** | |
| पुलिस उप अधीक्षक | 6 |
| (ग) **आरक्षण** | |
| 1. 46 पदों का 10 प्रतिशत की दर से छुट्टी के लिए आरक्षण | 5 |
| 2. 46 पदों का 10 प्रतिशत की दर से प्रशिक्षण के लिए आरक्षण | 5 |
| 3. प्रतिनियुक्ति आरक्षण | |
| (i) 46 पदों का 12 1/2 प्रतिशत की दर से | 6 |
| (ii) केन्द्रीय आरक्षण पुलिस के लिए | 5 |
| कुल | 67" |

[सं० एफ० 1/22/71-डी० एच० (एस)]

आर० सी० जैन, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

### (Bureau of Public Enterprises)

*New Delhi, the 23rd February, 1972*

G.S.R. 299.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Confidential Assistant in the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, namely —

1. **Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance Bureau of Public Enterprises, Confidential Assistant Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**—The method of recruitment to the said post age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or the post.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

(*Confidential Assistant in the General Management Division*)

*Recruitment Rules*, 1972

| | |
|---|---|
| Name of post | Confidential Assistant |
| No. of posts | 1 |
| Classification | General Central Service Class II (Non-Gazetted) |
| Scale of pay | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530—*plus* Special pay of Rs. 30/- per mensem. |
| Whether Selection post or Non-Selection post | Not applicable |
| Age limit for direct recruits | Not applicable |
| Educational and other qualifications required for direct recruits. | Not applicable |
| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Not applicable |
| Period of probation, if any | Not applicable |
| Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods. | By transfer on deputation |
| | By transfer on deputation |
| In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | *Transfer on deputation*: Assistants of the Central Secretariat Service and Grade II officers of the Central Secretariat Stenographers Service. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). |
| If a DPC exists what is its composition. | Not applicable |
| Circumstances in which UPSC is to be consuted in making rectt. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/8/71-BPE/Adm.]

S. S. SHARMA, Dy. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(सरकारी उद्यम कार्यालय)

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 299**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में विश्वस्त सहायक के पद पर भर्ती के तरीके को नियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाये है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**:—(1) ये नियम, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम कार्यालय, विश्वस्त सहायक भर्ती नियमावली, 1972 कहे जायेंगे ।

(2) ये नियम उनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **प्रयुक्ति** :—ये नियम इस अधिसूचना से सम्बद्ध अनुबद्ध के स्तम्भ 1 में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वही होंगे जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट किये गये है ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :—उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु सम्बन्धी सीमा अर्हताएं तथा उससे सम्बद्ध अन्य बातें वही होंगी जैसाकि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में निर्दिष्ट की गयी है ।

5. **अनर्हताएं** :—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो, जिसका जीवन-साथी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने एक जीवन-साथी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह अथवा संविदागत विवाह किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

किन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति पर और उससे विवाह करने वाले दूसरे व्यक्ति पर लागू होने वाले व्यक्तिगत नियमों के अन्तर्गत इस प्रकार के विवाह को

अनुमति दी जा सकती है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति** :—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों में किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पद के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है वहां उसके लिए वह कारणों का लिखित रूप में अभिलेख कर के संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से छूट दे सकती है ।

7. **व्यावृत्ति** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों को जो आरक्षण और अन्य रियायतें प्रदान की जाती हों, उन पर इन नियमों में से किसी बात का कोई प्रभाव नहीं होगा ।

## अनुसूची

वित्त मंत्रालय के सरकारी उद्यम कार्यालय में सामान्य प्रबन्ध प्रभाग में विश्वस्त सहायक के पद के लिए भर्ती नियमावली ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पद का नाम | विश्वस्त सहायक |
| 2. | पदों की संख्या | एक |
| 3. | वर्गीकरण | सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी II, अराजपत्रित अनुसचिवीय |
| 4. | वेतनमान | 210–10–270–15–300–द०रो०–15–450–द०रो०–20–530 रुपये, + 30 रुपये मासिक विशेष वतन । |
| 5. | सेलैक्शन (प्रवरण) पद अथवा सेलेक्शन भिन्न पद | लागू नहीं होता |
| 6. | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु | लागू नहीं होता |
| 7. | सीधी भर्ती वालों के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं | लागू नहीं होता |
| 8. | क्या आयु और शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं जो सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित की गयी हैं पदोन्नति द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी | लागू नहीं होत. |
| 9. | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो | लागू नहीं होता |
| 10. | भर्ती का तरीका—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा |
| 11. | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती किये जाने वालों के सम्बन्ध में उन संवर्गों का उल्लेख जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण** : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II के अधिकारी (प्रतिनियुक्ति की अवधि–साधारणत 3 वर्ष से अधिक नहीं) |
| 12. | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन क्या है | लागू नहीं होता |
| 13. | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय 1958, के अन्तर्गत आवश्यक हो । |

[सं० ए० 12018/71–स०उ०का०/प्रशासन]

श्याम सुन्दर शर्मा,

उप सचिव, भारत सरकार ।

**(Department of Revenue and Insurance)**

**CENTRAL EXCISES**

*New Delhi, the 11th March 1972*

**G.S.R. 300.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 49 and rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 266/67-Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely:—

In paragraph 2 of the said notification, in clause (i) for item (f), the following item shall be substituted, namely:—

"(f) Calcutta including Budge Budge, Dum Dum, Paharpur, Ramnagar, Sibpur and Mourigram".

[No. 22/72-C.E.—F. No. 261/11-A/7/71-CX8]

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 11 मार्च 1972

**सा० का० नि० 300.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम, 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना सं० 266/67– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, खंड (i) में, मद (च) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रस्तिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(च) कलकत्ता, जिसके अन्तर्गत बजबज दमदम, पहाडपुर रामनगर, सिवपुर और मोरीग्राम भी हैं।"

[सं० 22/72 के०उ०शु०–फा०सं० 261/11-ए/7/71-सी०एक्स०8]

---

**G.S.R. 301.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter V after Section EXI, the following Section shall be inserted, namely:—

"E-XII. Cement.

96 ZV. *Damaged cement may be returned to the factory for reprocessing.*—Cement which has been damaged after deposit in the store-room on the approved premises or after its delivery on payment of duty, may be returned to the factory to be reprocessed, and where duty has been paid on such cement, its equivalent to the recoverable weight of the reprocessed cement based on the chemical analysis of the damaged cement may be delivered without payment of duty:

Provided that—

(i) the manufacturer gives information of the return of each consignment of damaged cement into the factory to the proper officer in writing twenty-four hours before such return;

(ii) the manufacture stores the said goods separately unless otherwise permitted by the Collector by an order in writing and makes such goods available to the proper officer for inspection or drawal of samples or for both;

(iii) a detailed account of the damaged cement and the processes to which it is subjected is kept in the factory records"

[No. 23/72-C.E.—F. No. 23/1/69-CX6]

**सा०का०नि० 301.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में, अध्याय 5 में, खण्ड XI के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"खंड XII—सीमेन्ट

96. **यदि क्षतिग्रस्त सीमेंट पुनः प्रसंस्करण के लिए कारखाने को वापस किया जा सकेगा।**—सीमेंट, जो अनुमोदित परिसरों पर गोदाम में रख दिये जाने के पश्चात् या शुल्क का सदाय कर देने पर उसके परिदान के पश्चात् क्षतिग्रस्त हो गया है, पुनः प्रसंस्करण के लिए कारखाने को वापस किया जा सकेगा, और यदि ऐसे सीमेंट पर शुल्क संदत्त कर दिया गया हो तो क्षतिग्रस्त सीमेंट के रासायनिक विश्लेषण पर आधारित वसूल किए जा सकने वाले पुनः प्रसंस्कृत सीमेंट के भार के समतुल्य सीमेंट का परिदान शुल्क का सदाय किए बिना किया जा सकेगा :—

परन्तु यह तब जब कि—

(i) विनिर्माता क्षतिग्रस्त सीमेंट के प्रत्येक परेषण की वापसी की लिखित जानकारी कारखाने में उचित अधिकारी को ऐसी वापसी से चौबीस घण्टे पूर्व दे दे ;

(ii) विनिर्माता उक्त माल अलग से भण्डार में रखे जब तक कि कलक्टर ने किसी लिखित आदेश द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न किया हो और वह ऐसे माल उचित अधिकारी को निरीक्षण या नमूना लेने के के लिए या दोनों के लिए उपलब्ध करे ;

(iii) क्षतिग्रस्त सीमेंट और किए जाने वाले उसके के प्रसंस्करणों का विस्तृत लेखा-जोखा कारखाने के अभिलेखों में रखा गया हो।"

[सं० 23/72-के०उ०शु० फा० स० 23/1/69 सीएक्स 8]

**G.S.R. 302.**—*In exercise of the powers conferred* by sub-rule (1) of rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Board of Excise and Customs hereby declares that the procedure laid down in the said rule, for export out of India of articles under claim for rebate of duty on the excisable contents thereof, shall apply to Tent Doors.

[No 24/72-C.E—F. No. 19/52/70-CX8]

K. L. MUKHERJI, Under Secy.

सा० का० नि० 303.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 191-क के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा घोषित करता है कि उक्त नियम में, उत्पाद-शुल्क योग्य अन्तर्वस्तु पर शुल्क के रिबेट के दावे के अधीन वस्तुओं के भारत के बाहर निर्यात के लिए, अधिकथित प्रक्रिया तम्बू के दरमाजों को लागू होगी।

[सं० 24/72 के०उ०शु०—फा०सं० 19(52)/70-के०उ०शु०-8]

के० एल० मुखर्जी, अवर सचिव।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 11th March 1972*

**G.S.R. 303.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby fixes for Hermetically Sealed Compressors [falling under sub-item (3) of Item No. 39A of the First Schedule to the said Act] specified in column (2) of the Table below the tariff value specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

TABLE

| S. No. | Description | Tariff values in rupees per compressor. |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Hermeticall sealed compressor of a capacity in kilo calories per hour— | |
| | (i) Not exceeding 70 | 250.00 |
| | (ii) Exceeding 70 but not exceeding 200 | 320.00 |
| | (iii) Exceeding 200 but not exceeding 1,150 | 400.00 |
| | (iv) Exceeding 1,150 but not exceeding 2,400 | 550.00 |
| | (v) Exceeding 2,400 but not exceeding 4,150 | 670.00 |
| | (vi) Exceeding 4,150 but not exceeding 4,650 | 750.00 |

**Explanation.**—In this notification, "kilo calories per hour" means the quantity of heat removed by the compressor in one hour, expressed in thousand calories.

[No. 26A/72.]

S. R. NARAYANAN, Under Secy.

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क**

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1972

सा० का० नि० 303.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29क की उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले) संमुद्रित संपीडकों का, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट टैरिफ मूल्य एतद्द्वारा नियत करती है।

सारणी

| क्रम सं० | वर्णन | टैरिफ मूल्य प्रति संपीडक रुपयों में |
|---|---|---|
| 1 | (2) | (3) |
| 1 | समुद्रित संपीडक जिसकी क्षमता किलो कैलोरीज प्रति घंटे इस प्रकार है— | |
| | (i) 70 से अनधिक | 250 00 |
| | (ii) 70 से अधिक किन्तु 200 से अनधिक | 320.00 |
| | (iii) 200 से अधिक किन्तु 1,150 से अनधिक | 400 00 |
| | (iv) 1,150 से अधिक किन्तु 2,400 से अनधिक | 550 00 |
| | (v) 2,400 से अधिक किन्तु 4,150 से अनधिक | 670.00 |
| | (vi) 4,150 से अधिक किन्तु 4,650 से अनधिक | 750.00 |

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में, "किलो कैलोरीज प्रति घंटे से संपीडक द्वारा एक घंटे में अपसारित उष्मा का परिमाण अभिप्रेत है, जिसे हजार कैलोरीज में अभिव्यक्त किया गया है।

[सं० 26ए/72]

एस० आर० नारायणन, अवर सचिव।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 11th March 1972*

**G.S.R. 304.**—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in Chapter VII-A.—

(1) to sub-rule (2) of rule 173-E, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the norm as determined by the officer empowered as aforesaid shall not be revised to the disadvantage of the assessee unless such assessee has been given a reasonable opportunity of being heard.";

(2) after rule 233, the following rule shall be inserted, namely:—

| | |
|---|---|
| "Issue of show cause notice before confiscation of any property or imposition of any penalty. | 233A. No order confiscating any property or imposing any penalty on any person shall be made under these rules. |

Unless,—

(a) a written notice stating the ground on which it is proposed to confiscate such property or to impose such penalty; and

(b) a reasonable opportunity of making a representation in writing within such time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation or imposition of penalty mentioned therein and of being heard in the matter,

are given—

(i) where the order relates to confiscation of any property, to the person-in-charge of such property and, where such person-in-charge is not the owner of such property, also to the owner thereof; or

(ii) where the order relates to the imposition of any penalty, to the person on whom such penalty is to be imposed:

Provided that the notice referred to in clause (a) and the representation referred to in clause (b) may, at the request of the person or persons concerned, be oral".

[No. 26/72.]

S. K. DHAR, Under Secy.

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 304.**—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में, अध्याय 7-क में,-

(1) नियम 173 ङ के उपनियम (2) को निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्—

"परन्तु यथापूर्वोक्त संशक्त अधिकारी द्वारा यथा अवधारित माप-दण्ड निर्धारिती के अहित में पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे निर्धारिती को सुनवाई का समुचित अवसर न दिया गया हो" ;

(2) नियम 233 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

| | |
|---|---|
| "किसी सम्पत्ति के अधिहरण या शास्ति के अधिरोपण के पूर्व हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी करना।" | 233-क किसी व्यक्ति के किसी सम्पत्ति के अधिहरण या उस पर किसी शास्ति के अधिरोपण करने वाला कोई आदेश इन नियमों के अधीन नहीं दिया जाएगा |

जब तक,—

(क) जिन आधारों पर ऐसी सम्पत्ति को अधिहरण या ऐसी शास्ति का अधिरोपण करना प्रस्तावित हो उन्हें कथित करके लिखित सूचना नहीं दी जाती; और

(ख) ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उसमें वर्णित अधिहरण या शास्ति के अधिरोपण के आधारों के प्रति लिखित अभ्यावदन करने के लिए और मामले में सुनवाई के लिए समुचित अवसर नहीं दिया जाता;

(i) जहां आदेश किसी सम्पत्ति के अधिहरण से सम्बन्धित है वहां ऐसी सम्पत्ति के भारसाधक व्यक्ति को और जहां ऐसा भारसाधक व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का स्वामी नहीं है वहां उसके स्वामी को भी; या

(ii) जहां आदेश किसी शास्ति के अधिरोपण से सम्बन्धित है, वहां ऐसे व्यक्ति को जिस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित की जानी है;

परन्तु खण्ड (क) में निर्दिष्ट सूचना और खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन, सम्पृक्त व्यक्तियों के अनुरोध पर, मौखिक हो सकेगा।"

[सं० 26/72]

एस० के० धर, अवर सचिव।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 11th March 1972*

**G.S.R. 305.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 175/65-Central Excises dated the 6th November, 1965, namely:—

In the Table below the said notification, in the entry in column 2 against serial number 4, in item (ii), for the words and figures "Tata Mercedes Benz type 1210 or Tata", the words and figures "Tata Mercedes Benz type-1210 or Tata-1210", shall be substituted.

[No. 25/72-F. No. 47/15/70-CX.4.]

S. K. GHOSHAL, Under Secy.

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 11 मार्च 1972

सा० का० नि० 305.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 6 नवम्बर 1965 को अधिसूचना सं० 175/65—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने के स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि में, मद (ii) में, "टाटा मर्सडीज बेज टाइप 1210 या टाटा" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "टाटा मर्सडीज बेंज टाइप—1210 या टाटा—1210" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं० 25/72—फा०सं० 47/15/70-सी०एक्स०-4]

एस० के० घोषाल, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

CUSTOMS

*New Delhi, the 11th March 1972*

**G.S.R. 306.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 4 of the Finance Act, 1971 (14 of 1971), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101-Customs dated the 13th December, 1971, namely:—

In the Schedule below the said notification,—

(a) in serial No. 52, for the figures, letters and word "22nd April, 1969", the figures, letters and word "2nd April, 1949" shall be substituted; and

(b) after serial No. 60, the following shall be inserted, namely:—

"61. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966.

62. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.

63. No. 114-Customs, dated the 25th November, 1967.

64. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958

65. No. 10-Customs, dated the 7th March, 1970.

66. No. 39-Customs, dated the 22nd May, 1971.

67. No. 40-Customs, dated the 22nd May, 1971.

68. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971

69. No. 62-Customs, dated the 22nd June, 1971."

[No. 36/F. No. 684-TR(CUS)/71.]

B. N. SHARMA, Under Secy

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 11 मार्च 1972

सा० का० नि० 306.—वित्त अधिनियम 1971 (1971 का 14) की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तरीख 13 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० 101-सीमा शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के नीचे की अनसूची में,—

(क) क्रम सं० 52 में "22 अप्रैल, 1969" अंकों अक्षरों और शब्द के स्थान पर "2 अप्रैल, 1949" अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ख) क्रम सं० 60 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"61 सं० 174—सीमा शुल्क, तारीख 24 सितम्बर 1966

62 सं० 35—सीमाशुल्क, तारीख 20 जून, 1966

63 सं० 114—सीमाशुल्क, तारीख 25 नवम्बर, 1967

64 सं० 262—सीमाशुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958

65 सं० 10—सीम शुल्क तारीख 7 मार्च 1970

66 सं० 39—सीमाशुल्क तारीख 22 मई 1971

67 सं० 40—सीमाशुल्क, तारीख 22 मई, 1971

68 सं० 84—सीमाशुल्क, तारीख 11 सितम्बर 1971

69 सं० 62—सीमाशुल्क तारीख 22 जून, 1971"

ह०

[सं० 36/फा०सं० 684-टी०आर०(सीमा)/71]

बी० एन० शर्मा, अवर सचिव ।

---

**(Department of Revenue and Insurance)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 11th March 1972*

G.S.R. 307.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. GSR. 1673, dated the 6th November, 1971, published at pages 4723 and 4724 of Part II—Section 3—Sub-section (i) of the Gazette of India, dated the 6th November, 1971, in the Table against serial number 7, *for* "Fairgenol" *read* "Fairgenol Antiseptic Fluid with R.W.C. 4."

[No. 3/F. No. 656/7/71-OPIUM.]

R. K. THAWANI, Under Secy.

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 11 मार्च 1972

जी०एस०आर० 307.— भारत के दिनांक 6 नवम्बर, 1971 के राजपत्र के भाग II खंड 3 उप-खंड (i) के पृष्ठ 4724 और 4726 पर प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की दिनांक 6 नवम्बर 1971 की अधिसूचना सं० जी एस आर 1673 में तालिका में क्रम सं० 7 के सामने "फेयरजीनोल" के स्थान पर "फेयरजीनोल" एंटीसैप्टिक फ्लुइड आर० डब्ल्यू० सी० 4 सहित" पढ़ा जाए ।

[सं० 3.]

आर० के० थवानी, अवर सचिव ।

---

**MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT**

*New Delhi, the 11th March 1972*

G.S.R. 308.—In exercise of the powers conferred by Sections 5 and 7 of the Indian Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby extends the date, specified for the purpose of inviting objections and suggestions on the draft of the Explosives (Amendment) Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade, No. G.S.R. 1012, dated the 10th June, 1971, from the 10th July, 1971, to the 15th April, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules on or before the 15th April, 1972, will be considered by the Central Government.

*Draft Rules*

1. These rules may be called the Explosive (First Amendment) Rules, 1972.

2. In Rule 35 of the Explosives, Rule, 1940, for the clause (ii) the following shall be substituted, namely.—

"(ii) If it is in one carriage other than a railway wagon, 10,000 Kgs. or 75 per cent of the carrying capacity of the van licensed by the Regional Transport Authority, whichever is less:

Provided that if the explosive to be transported is exclusively of class 2, any such quantity shall not exceed 15,000 Kgs. or 75 per cent of the carrying capacity of the van whicheve- is less.".

[No. 11/19/71-LI(ii).]

M. SUBRAMANYAN, Under Secy.

**औद्योगिक विकास मंत्रालय**

नई दिल्ली, 11 मार्च 1972

सा० का० नि० 308.—भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा विस्फोटक (संशोधन) नियम, 1971 के प्रारूप पर जो भारत सरकार के औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना संख्य. सां०का०नि० 1012, तारीख 10 जून, 1971 के साथ प्रकाशित हुआ था आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट तारीख को 10 जुलाई, 1972 से 15 अप्रैल, 1972 तक बढ़ाती है ।

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में किसी भी व्यक्ति से जो आक्षेप या सुझाव 15 अप्रैल, 1972 को या उससे पहले प्राप्त होंगे उन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. ये नियम विस्फोटक (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

2. विस्फोटक नियम, 1940 के नियम 35 में खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(ii) यदि वह रेलवे वैगन से भिन्न एक गाड़ी में है, दस हजार किलोग्राम या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्त वैन की वाहन क्षमता का पचहत्तर प्रतिशत जो भी कम हो :—

परन्तु यदि ले जाए जाने वाला विस्फोटक केवल वर्ग 2 का है तो ऐसी कोई मात्रा 15 000 किलोग्राम या वैन की वाहन क्षमता को 75 प्रतिशत जो भी कम हो से अधिक नहीं होगी ।

[सं० 11/19/71-एल०आई०(ii)]

एम० सुब्रामन्यम, अवर सचिव ।

**(Department of Industrial Development)**

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 309.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Research Officer in the Directorate General of Technical Development, Department of Industrial Development, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Directorate General of Technical Development (Research Officer) Recruitment Rules,. 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

**Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders of the Central Government issued from time to time.**

5. **Disqualifications.**—No person:—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to the said post,

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Research Officer in the Directorate General of Technical Development in Department of Industrial Development*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Research Officer | 1 | General Central Service, Class I, Gazetted. | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. | Not Applicable. | Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants). | *Essential :*<br>(i) Master's degree preferably in Economics of a recognised University or equivalent<br>(ii) About 3 years' experience of collection and compilation of material pertaining to publications and administration of publications branch in Government or Business concern of repute.<br>Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified ).<br>*Desirable :*<br>Knowledge of Secretariat procedure and current affairs. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees. | Period of Probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or by deputation / transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/ deputation/ transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years. | Transfer on deputation, failing which by direct recruitment. | *Transfer on deputation*<br>Officers holding analogous posts, of Section Officers of the Central Secretariat Service or officers holding equivalent posts under the Central/ State Governments with at least 3 years' service in the grade and having experience prescribed in column 7.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years. | Not applicable. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. A-12018/4/70-E. IV.]

G. RAMANATHAN, Under Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी 1972

**सा० का० नि० 309.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक विकास विभाग के तकनीकी विकास महानिदेशालय में अनुसंधान अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम तकनीकी विकास महानिदेशालय (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**:—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए साधारण आदेशों के अनुसार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उस के लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

औद्योगिक विकास विभाग के तकनीकी विकास महानिदेशालय में अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनुसंधान अधिकारी | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा. वर्ग 1 राजपत्रित | 400–400–450–30–600–35–670–द०रो०–35–950 ड० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष से अनधिक (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) | **आवश्यक**<br>(i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की अधिमानतः अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री।<br>(ii) सरकारी या ख्याति प्राप्त कारबार समुत्थान में प्रकाशन शाखा के प्रकाशन और प्रशासन से संबंधित सामग्री के संग्रहण और संकलन का लगभग 3 वर्ष का अनुभव (अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में संघ लोकसेवा आयोग के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय)<br>**वांछनीय**<br>सचिवालय प्रक्रिया और सामयिक विषयों का ज्ञान। |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | **प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण**<br>सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी या केन्द्रीय राज्य सरकारों के अधीन समतुल्य पद-धारण करने वाले अधिकारी, जिनकी इस श्रेणी में कम से कम 3 वर्षों की सेवा हो और जिन्हें स्तंभ 7 में विहित अनुभव हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि मामूली तौर पर 3 वर्ष से अनधिक)। | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० फा० क० 12018/(4)/70–ई०आई० बी०]

जी० रामनाथन, अवर सचिव।

**(Department of Industrial Development)**

*New Delhi, the 17th February 1972*

**G.S.R. 310.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Salt Organisation (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1970, namely:—

1. (1) These rules may be called the Salt Organisation (Class IV Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Organisation (Class IV Posts) Recruitment Rules, 1970 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:

"5. *Disqualification.*—No. person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

3. In the Schedule to the said Rules,

(i) against Serial Nos. 4,20 and 26, in column 10, the words "to be expanded" shall be omitted;

(ii) against Serial No. 9, in column 5, for the entry "-do-", the following entry shall be substituted, namely, "Not applicable";

(iii) against Serial No. 10, in column 5, for the entry "-do-", the following entry shall be substituted, namely:—"Non-selection."

[No. A12018/1/71-Salt.]

**(औद्योगिक विकास विभाग)**

नई दिल्ली, 17 फरवरी 1972

**सा० का० नि० 310.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक संगठन (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नमक संगठन (वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन नियम, 1971 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. नमक संगठन (वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1970 में (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति —(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट सकेगी ।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची में :—

(1) क्रम संख्या 4, 20 और 26 के सामने स्तम्भ 10 में (अंग्रेजी पाठ में) शब्द निकाल दिए जाएंगे ।

(2) क्रम संख्या 9 के सामने, स्तंम्भ 5 में " यथोक्त" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—
"लागू नहीं होना"

(3) क्रम सं० 10 के सामने, स्तम्भ 5 में, "यथोक्त" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"अपवरण"

[स० ए 12018/1/71-नमक]

---

**G.S.R. 311.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Salt Commissioner's Headquarters Office (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Salt Commissioner's Headquarters Office (Ministerial Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Commissioner's Headquarters Office (Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1962, for rule 6, the following rule shal be substituted, namely:—

"6. *Disqualification.*—No. person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. A12018/1/71-Salt.]

सा० का०नि० 311.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक आयुक्त मुख्यालय (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1962 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नमक आयुक्त मुख्यालय (अनुसचिवीय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नमक आयुक्त मुख्यालय (अनुसचिवीय पद) भर्ती नियम, 1962 में नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"6 निर्हता :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपन पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[सं० ए 12018/1/71—नमक]

---

**G.S.R. 312.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Salt Organisation (Class III Posts), Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Salt Organisation (Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Organisation (Class III Posts) Recruitment Rules 1968, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. *Disqualification.* No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.'

[No. A12018/1/71-Salt.]

सा० का० नि० 312.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक संगठन (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नमक संगठन (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नमक संगठन (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1968 में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[सं० ए 12018/1/71—नमक]

---

**G.S.R. 313.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Salt Organisation Class II (Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Salt Organisation Class II (Non-gazetted posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Organisation Class II (Non-gazetted posts) Recruitment Rules, 1959,

(i) in rule 4, the existing proviso shall be omitted; and

(ii) after rule 4, as so amended, the following rule shall be inserted, namely:—

"5. *Disqualification.*—No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. A12018/1/71-Salt.]

सा० का० नि० 313.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक संगठन वर्ग 2 (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1959 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नमक संगठन वर्ग 2 (अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नमक संगठन वर्ग 2 (अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1959 में :—

(1) नियम 4 में, विद्यमान परन्तुक निकाल दिया जाएगा, और

(2) इस प्रकार यथा संशोधित नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"5 निरर्हता :— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपनी पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[सं० ए 12018/1/71—नमक]

---

G.S.R. 314.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Salt Department (Deputy Superintendent) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. (1) These rules may be called the Salt Department (Deputy Superintendent) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Salt Department (Deputy Superintendent) Recruitment Rules, 1969, for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:—

"5. *Disqualification.*—No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule."

[No. A12018/1/71-Salt.]

I. V. CHUNKATH, Under Secy

सा० का० नि० 314.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नमक विभाग (उप-अधीक्षक) भर्ती नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम नमक विभाग (उप अधीक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नमक विभाग (उप अधीक्षक) भर्ती नियम, 1969 में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—;

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

[सं० ए 12018/1/71—नमक]

आई० वी० चुनकथ, अवर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 18, 1972/ फाल्गुन 23, 1893
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 18, 1972/PHALGUNA 28, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
## PART II—Section 3—Sub-section (i)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।**

**General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).**

### CABINET SECRETARIAT

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 315.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Forest Service (Cadre) Amendments, Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, in rule 2, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) 'Cadre post' means any of the posts specified under item 1 of each cadre in the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966."

[No. 6/21/71-AIS(IV).]

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

### मंत्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी 1972

सा०का०नि० 315—आखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, सम्बद्ध राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के पश्चात् भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 में और भी संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित, नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 2 के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) 'संवर्ग पद' का अभिप्राय भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची मे प्रत्येक सवर्ग की मद 1 के अन्तर्गत उल्लिखित किसी भी पद से है ।"

[स० 6/21/71-अ० भा० से० (4)]

एम० आर० भारद्वाज,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

---

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 14th February 1972*

**G.S.R. 316.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Research and Reference Division (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Research and Reference Division (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. In the Research and Reference Division (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1965, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. *Disqualification.*—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

[No. F. A. 11018/1/71-Admn/R&RD/US(P).]

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी 1972

**जी० एस० आर० 316.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति गवेषणा तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1965 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को गवेषणा तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती (सशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2 गवेषणा तथा सन्दर्भ प्रभाग (श्रेणी 3 और श्रेणी 4 पद) भर्ती नियमावली, 1965 मे नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"7 अनर्हता —

(क) जिस पुरूष/महिला ने ऐसी महिला/ऐसे पुरुष से विवाह किया हो या करने का करार किया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो या करने का करार किया हो,

वह उक्त पदो पर नियुक्ति का/को पात्र नही होगा/होगी

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर और जिससे विवाह किया गया है उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है तथा ऐसा किये जाने के अन्य कारण है जो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छट दे सकती है ।"

सख्या एफ० ए०-11018/1/71-प्रशासन ।
आर० एण्ड आर० डी०/अ० एस० (पी)]

बानू राम अग्रवाल,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

---

## DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

**(P. & T. Board)**

*New Delhi, the 29th January 1972*

**G.S.R. 317.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Posts and Telegraphs (Telegraph Traffic Supervisors) Recruitment Rules, 1968, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts & Telegraphs (Telegraph Traffic Supervisors) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

2. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Posts and Telegraphs (Telegraph Traffic Supervisors) Recruitment Rules, 1966 after Rule 7, the following rule shall be inserted namely:

"8. *Saving.*—Nothing in thes rules shall effect-reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. 213/7/71-STB.I]

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

जी० एस० आर० 317—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारतीय डाक तार (तार परियात पर्यवेक्षक) भर्ती नियमों, 1968 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नवर्ती नियम बनाये हैं; यथा :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाक-तार (तार परियात पर्यवेक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम 1972 कहा जाए ।

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय डाक-तार (तार परियात पर्यवेक्षक) भर्ती नियमों, 1968 में नियम 7 के बाद निम्नवर्ती नियम जोड़ा जाएगा, यथा :—

"8 बचत :—इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

[सं० 213/7/71/एस० टी० बी 9—1]

---

*New Delhi, the 10th February 1972*

**G.S.R. 318.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Engineering Supervisors (Recruitment and Training) Rules, 1966, the President hereby makes the following rules for the Recruitment and Training of candidates for the cadre of Engineering Supervisors in the Posts and Telegraphs Department, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Engineering Supervisors (Recruitment and Training) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Classification and scale of pay.**—The classification of the post and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 4 to 12 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6. **Training and bond.**—(1) The selected candidates (both direct recruits and departmental candidates) shall, before appointment, undergo training for such period as may be specified by the Director General of Posts and Telegraphs.

(2) The direct recruits shall, before proceeding for training, execute a bond in such form as may be specified by the Director General of Posts and Telegraphs, for serving the Government for a period not less tha five years.

7. **Service under Posts & Telegraphs (Territorial Army) Signal Units.**—All candidates (both direct and departmental), shall, if so required, be liable to serve in the Posts and Telegraphs (Territorial Army) Signal units for periods specified in the Territorial Army Act, 1948, (56 of 1948) and the rules made thereunder.

8. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons

9. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post. | Classification. | Scale of pay | Whether Selection post or non-Selection post. | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Engineering Supervisors. | General Central Service Class III, Non-gazetted. | Rs. 180—10—200—EB—15—380<br>*Note* 1. A candidate who is an Engineering Graduate on the date of entry shall be allowed an initial pay of Rs. 240 in the prescribed scale.<br>*Note* 2. An Engineering Supervisor who subsequent to his recruitment obtains a degree in engineering shall be allowed pay at the stage of Rs. 240/- in the prescribed scale, or three advance increments, whichever is advantageous to him. | Not applicable. | A candidate must have attained the age of 19 years and must *not* have attained the age of 27 years on the 1st day of July of the year in which applications to recruitment are called for. | A candiate must have—<br>(a)(i) obtained a degree in engineering from a recognised University or equivalent; or<br>(ii) passed B.Sc. or an equivalent examination of a recognised Indian University with Physics or Mathematics or both, provided that if he has not taken both Physics and mathematics in B.Sc. or an equivalent examination and has taken only one of these subjects, he must have passed the Intermdiate, Higher Secondary or any other equivalent examination of a recognised Indian University or Board in the subject out of the two which he did not take in B.Sc.; or<br>(b) passed a four year diploma course (after Matriculation or a recognised equivalent examination) or three years diploma course (after Matriculation of a recognised equivalent examination) or a two year diploma course (after Higher Secondary or a recognised equivalent examination) in Mechanical, Electrical, Telecommunication or Radio Engineering from an institution recognised by the Central Government for purposes of employment in Government service. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by Promotion or deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methodes. |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| Not applicable | One year | (i) 75 per cent by direct recruitment;<br>(ii) 15 per cent by promotion of departmental candidates through a competitive examinatiion; and<br>(iii) 10 per cent by promotion of Repeater Station Assistants, Telephone Inspectors, Auto Exchange Assistants and Wireless Operators through a competitive examination. |

| In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which the U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 |
| 1. "Depertmental candidates" referred to in item (ii) of column 9 means—<br>(1) Class III employees borne on the regular establishment and working in the Telegraph Engineering Branch of the Department other than—<br>(a) Repeater Station Assistants, Wireless Operators, Auto Exchange Assistants and Telephone Inspectors who have put in five years service or more as on the 1st July of the year of recruitment; and—<br>(b) Class III employees of the Telegraph Traffic Branch of the Department;<br>(2) Class III employees of a Telecom Factory (other than Class III employees borne on the industrial establishmet of a Telecom Factory) whose scale of pay is less than that of Engineering Supervisors.<br>*Explanation* —Candidates shall not be deemed to be departmental candidates if they resign from the Department either before or after taking the examination for recruitment to the service.<br>2. "Departmental candidats" as defined in item 1 above will be eligible to appear at a competitive examination:<br>Provided—<br>(a) they have passed the Higher Secondary or its equivalent examination with Science and Mathematics;<br>(b) they have put in at least five years of continuous satisfactory service in one or more eligible cadres; and<br>(c) they are not above the age of 35 years on the 1st day of July of the year of recruitment.<br>3. Against the quota of 10 percent referred to in item (iii) of column 9, Repeater Station Assistants, Auto Exchange Assistants, Telephone inspectors and Wireless Operators, who have put in atleast 5 years of continuous satisfactory service in any of the aforesaid four cadres on the 1st July of the year of recruitment, will be eligible to appear at a competitive examination:<br>Provided—<br>(a) they have passed the Higher Secondary Examination or its equivalent examinaion *with* Science and Mathematics; and<br>(b) they are *not* above the age of 40 years on the 1st day of July of the year of recruitment.<br>*Note* 1. For the officials who were serving in any of the eligible cadres before the 13th day of August, 1966, when the Engineering Supervisors (Recruitment and Training) Rules, 1966 came into force, the minimum educational qualification shall be Matriculation *with* Science or its equivalent examination.<br>*Note* 2. The maximum age limit may be relaxed by the Director General of Posts and Telegraphs at his discretion in special cases.<br>*Note* 3. No official shall be granted more than four chances to appear at a competitive examination. | The selection of candidates by direct recruitment shall be made by a Board consisting of—<br>(i) the Director of Telegraphs (or in a Circle where there is no Director of Telegraphs, by the Head of the Circle) or a Deputy General Manager or District Manager;and<br>(ii) *two* officers of the senior Time Scale of Telegraph Engineering Service—Class I to be nominated by the Head of the Circle or District concerned. | Not applicable. |

[No. 41-6/70-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,
Assistant Director General (STN).

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1972

**सा०का०नि०** 318:—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तार इंजीनियरी पर्यवेक्षक (भर्ती और प्रशिक्षण) नियम 1966 का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति डाक-तार विभाग के इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के काडर में उम्मीदवारों की भर्ती तथा प्रशिक्षण के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **लघु शीर्षक और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम डाक-तार इंजीनियरी पर्यवेक्षक (भर्ती और प्रशिक्षण) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम अनुबंधित अनुसूची के कालम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे ।

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान**:—इन पदों का वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित वतनमान उक्त अनुसूची के कालम 2 कालम 3 में किये गये उल्लेखानुसार होगा ।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा, तथा अन्य योग्यताएं** :—उक्त पद के लिए भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यतायें तथा एतद् संबंधी अन्य बातें अनुसूची के कालम 4 से 12 तक में वर्णित हैं ।

किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी होने वाले आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में ढील दी जा सकती है ।

5. **अयोग्यताएं**:—कोई व्यक्ति :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का करार किया हो/जिसका/की पहले से ही पति/पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह किया हो, इस पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

किन्तु केन्द्रीय सरकार इस बात की संतुष्टि पर कि वह विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है तथा छूट देने के अन्य आधार हैं तो इस नियम के लागू होने से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

6. **प्रशिक्षण तथा प्रतिभूति** :—(1) चुने हुए उम्मीदवारों (सीधी भर्ती वाले एवं विभागीय दोनों ही प्रकार के उम्मीदवारों) को नियुक्ति से पूर्व डाक-तार महानिदेशक द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(2) सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए जाने से पूर्व डाक-तार महानिदेशक द्वारा निर्धारित फार्म में कम से कम पाच वर्ष तक की सरकार की सेवा करने का बौंड भरना पड़ेगा ।

7. **डाक तार के अन्तर्गत (प्रादेशिक सेना) सिगनल यूनिट में सेवा**.—सभी उम्मीदवारों (सीधी भर्ती वाले एवं विभागीय दोनों ही प्रकार के उम्मीदवार) की आवश्यकता पड़ने पर डाक-तार (प्रादेशिक सेना) सिगनल यूनिट में प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) में तथा इसके अन्तर्गत बने नियमों में निर्धारित अवधि के लिए सेवा करनी पड़ेगी ।

8. **छूट देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि छूट देना आवश्यक या समीचीन है तो वह इससे सम्बद्ध कारणों को लिखित रूप में दिखाकर आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के सबध में इन नियमों के अधीन किसी भी प्रावधान में छूट दे सकती है ।

9. **अपवाद** :—केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए रखे गए आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर इन नियमों का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

| पद का नाम | वर्गीकरण | वेतनमान | चुनाव या गैर चुनाव पद | सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा | सीधी भर्ती के लिए जरूरी शैक्षिक और अन्य योग्यताएं |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| इंजीनियरी पर्यवेक्षिक | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–III अराजपत्रित | रु० 180–10–290–ई०बी० 15–380<br>टिप्पणी –1 :<br>जो उम्मीदवार इस पद में आने की तारीख को इंजीनियरी स्नातक हो उसे इस निर्धारित वेतन मान में 240 रुपये से प्रारम्भिक वेतन दिया जायेगा ।<br>टिप्पणी–2<br>जो इंजीनियरी पर्यवेक्षक भर्ती के बाद इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री प्राप्त करे उसे इस निर्धारित वेतनमान मे 240 रुपये के स्टेज से वेतन दिया जायेगा अथवा तीन अग्रिम वेतन वृद्धिया दी जाएंगी जो भी उसे लाभप्रद हो । | लागू नही | जिस वर्ष मे भर्ती के लिए आवेदन मागे जाते हैं उस वर्ष की पहली जुलाई को उम्मीदवार की आयु 19 वर्ष की होनी चाहिए तथा 27 वर्ष की न होनी चाहिए । | उम्मीदवार की<br>(क) (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए; अथवा<br>(2) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से बी०एस०सी० या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए जिसमें भौतिकी अथवा गणित दोनों विषय रहे हों बशर्ते कि उसने बी० एस० सी० अथवा समकक्ष परीक्षा में भौतिकी और गणित दोनों नहीं लिए हों तथा इन विषयों में से एक ही लिया हो तो उसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इण्टरमीडिएट, हायर सैकेण्डरी अथवा किसी दूसरी समकक्ष परीक्षा में इन दोनों में से वह विषय लेकर पास हुआ हो जो कि उसने बी० एस० सी० में नहीं लिया हो अथवा<br>(ख) सरकारी सेवा में नियुक्ति के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की मान्यता प्राप्त किसी संस्था से यान्त्रिकी, विद्युत दूर संचार या रेडियो इंजीनियरी में चार वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा के बाद) अथवा तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स (मैट्रिक या मान्यताप्राप्त समकक्ष परीक्षा के बाद) अथवा द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा कोर्स हायर (सैकेण्डरी अथवा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा के बाद) पास होनी चाहिए । |

| क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि हो | भर्ती का तरीका सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों का प्रतिशत | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की हालत में वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 |
| लागू नहीं | एक वर्ष | (1)सीधी भर्ती से 75 प्रतिशत<br>(2) विभागीय कर्मचारियों की प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पदोन्नति से 15 प्रतिशत ।<br>(3) रिपीटर स्टेशन सहायकों, टेलीफोन निरीक्षकों, स्वचल एक्सचेंज सहायकों, तथा बेतार प्रचालकों की प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पदोन्नति से 10 प्रतिशत । | कालम 9 के मद 2 में उल्लिखित "विभागीय उम्मीदवारों" का तात्पर्य :—<br>(1) नियमित सबंन्धी के ततीय श्रेणी कर्मचारी जो विभाग की तार इंजीनियरी शाखा मे कार्य कर रहे हों तथा जिनमें निम्नलिखित शामिल नहीं है :—<br>(क) रिपोटर स्टेशन सहायक, बेतार प्रचालक, स्वचल एक्सचेंज सहायक तथा टेलीफोन निरीक्षक जिन्होंने भर्ती वर्ष के पहली जुलाई को 5 वर्ष अथवा इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली हो, तथा<br>(ख) विभाग की तार परिक्षति शाखा के तृतीय श्रेणी कर्मचारी ।<br>(2) दूर संचार फैक्टरी के तृतीय श्रणी कर्मचारी (दूर संचार फैक्टरी की औद्योगिक सब्बन्धी के तृतीय श्रेणी कर्मचारियो के अतिरिक्त) जिनका वेतन मान इंजीनियरी पयवेक्षकों से कम हो ।<br>**स्पष्टीकरण** —ऐसे उम्मीदवार विभागीय उम्मीदवार नही माने जायेगे यदि वे इस सेवा मे भर्ती की परीक्षा देने से पूर्व या बाद मे विभाग से त्यागपत्र देगें ।<br>(2) ऊपर की मद 1 मे वर्णित "विभागीय उम्मीदवार" प्रतियोगी परीक्षा मे बैठने के योग्य होंगें —<br>बशर्ते कि —<br>(क) उन्होने हायर सैकेण्डरी अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा विज्ञान तथा गणित सहित पास की हो ।<br>(ख) उन्होंने किसी एक अथवा अधिक योग्य काडरों में कम से कम पाच वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा की हो ;<br>(ग) वे भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई के 35 वर्ष से अधिक की आयु के न हों ;<br>(3) कालम 9 की मद 3 में उल्लिखित 10 प्रतिशत कोटे मे रिपीटर स्टेशन सहायक, स्वचल एक्सचेंज सहायक, टेलीफोन निरीक्षक तथा बेतार प्रचालक जिन्होंने इन चार उल्लिखित काडरों में से किसी एक में भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को कम से कम 5 वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा की हो, इस प्रतियोगी परीक्षा मे बैठने के योग्य होंगे । |

| 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|
| | | | बशर्ते कि :—<br>(क) उन्होंने हायर सैकण्डरी अथवा उसकी समकक्ष विज्ञान तथा अंक गणित सहित पास की हो, तथा<br>(ख) वे भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 40 वर्ष से अधिक की आयु के न हो ।<br>टिप्पणी : 1<br>उन कर्मचारियों के लिए जो 13 अगस्त, 1966 से पूर्व जब से इंजीनियरी पर्यवेक्षक (भर्ती और प्रशिक्षण) नियम, 1966 लागू हुए से पूर्व इन योग्य काडरों में से किसी काडर में सेवा कर रहे थे निम्नतम शैक्षिक योग्यता विज्ञान सहित मैट्रिक अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा में पास होगी ।<br>टिप्पण : 2<br>डाक-तार महानिदेशक विशेष मामलों में अपने विवेकानुसार उपरली आयु सीमा में ढील दे सकते हैं<br>टिप्पण : 3<br>किसी भी कर्मचारी को प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए चार से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे । |

| यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन कैसा है । | वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|
| 11 | 12 |
| सीधी भर्ती के उम्मीदवारों का चयन एक बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्न पदाधिकारी होंगे :—<br>(1) निदेशक तार (अथवा किसी सर्कल में जहां निदेशक तार न हो सर्कल अध्यक्ष) अथवा उप महाप्रबन्धक अथवा जिला प्रबन्धक, तथा<br>(2) तार इंजीनियरी सेवा श्रेणी 1 के दो प्रकार वेतनमान अधिकारी जिनकी संबंधित सर्कल अथवा जिला अध्यक्ष द्वारा नामजद किया जाएगा । | लागू नहीं |

[सं० 41/6/70 एन० सी० जी०]

के० बी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस० टी० एन०) ।

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

### (Department of Mines)

*New Delhi, the 14th February 1972*

**G.S.R. 319.**—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mineral concession (First Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mineral Concession Rules, 1960,—

(1) In rule 9, in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted at the end of clause (d), namely:—

"Provided that a properly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate within the said ninety days.";

(2) in rule 22, in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted at the end of clause (d), namely:—

"Provided that a properly sworn affidavit stating that no dues are outstanding shall suffice subject to the condition that the certificate required as above shall be furnished within ninety days of the date of application and the application shall become invalid if the party fails to file the certificate with in the said ninety days.".

[No. 1/26/71-MVI.]

HARSHA GUPTA, Under Secy.

## इस्पात और खान मंत्रालय

### (खान विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी 1972

**सा०का०नि० 319**:—खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार खनिज रियायत नियम 1960 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम खनिज रियायत (प्रथम संशोधन) नियम 1972 होगा '.

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंग।

2. खनिज रियायत नियम 1960 में—

(1) नियम 9 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक खण्ड (घ) के अन्त में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उचित रूप से किया गया शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि कोई देय बकाया नहीं है इस शर्त के अधीन रहते हुए पर्याप्त होगा कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख के नब्बे दिन के भीतर दिया जाएगा और यदि पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाण-पत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा।"

(2) नियम 22 में उपनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक खण्ड (घ) के अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"परन्तु उचि रूप से किया गया शपथ-पत्र जिसमें यह उल्लिखित हो कि कोई देय बकाया नहीं है इस शर्त के अधीन रहत हुए पर्याप्त होगा कि उपरोक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख के नब्बे दिन के भीतर दिया जाएगा और यदि सरकार पक्षकार उक्त नब्बे दिन के भीतर प्रमाणे-पत्र फाइल करने में असफल रहता है तो आवेदन अविधिमान्य हो जाएगा।"

[सं० 1/26/71—खान-6]

हर्ष गुप्त,
अवर सचिव, भारत सरकार।

---

## MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

### (Department of Labour and Employment)

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 320.**—In exercise of the powers conferred by Section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. (1) This Scheme may be called Employees' Provident Funds (Second Amendment). Scheme, 1972.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette except paragraph 2 which shall be deemed to have come into force on the 13th day of February, 1971.

2. In clause (a) of paragraph 2 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the said Scheme) for the words "Funds Act" the words "Funds and Family Pension Fund Act" shall be inserted.

3. In paragraph 34, of the said Scheme, the following provision shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that in the case of any such employee who has become a member of the Family Pension Fund under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the aforesaid Declaration Form shall also contain such particulars as are necessary to comply with the requirements of that Scheme.".

4. In paragraph 35 of the said Scheme, the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that in the case of any such employee who has become a member of the Family Pension Fund under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the aforesaid Forms shall also contain such particulars as are necessary to comply with the requirements of that Scheme.

5 In paragraph 36-A of the said Scheme, the following proviso shall be inserted at the end namely:—

"Provided that in the case of any employer of a factory or other establishment to which the Act and the Family Pension Scheme, 1971, shall apply the aforesaid Form may be deemed to satisfy the requirements of the Employees' Family Pension Scheme, 1971, for the purpose specified above.".

6. In sub-paragraph (2) of paragraph 38 of the said Scheme the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that in the case of any such employee who has become a member of the Family Pension Fund under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the aforesaid Form shall also contain such particulars as are necessary to comply with the requirements of that Scheme.".

7. In paragraph 42 of the said Scheme the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that in the case of any such employee who has become a member, of the Family Pension Fund under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, the aforesaid Form shall also contain such particulars as are necessary to comply with the requirements of that Scheme.".

8. In paragraph 43 of the said Scheme, after the proviso the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that in the case of any such employee who has become a member of the Family Pension Fund under the Employees' Family Pension Scheme, 1971 the aforesaid Form shall also contain such particulars as are necessary to comply with the requirements of that Scheme."

[No. S-70025(4)/71-PF. II.]

DALJIT SINGH, Under Secy.

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 320.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है :—

1. (1) इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (द्वितीय संशोधन) स्कीम 1972 होगा ।

(2) यह खिलाफ पैरा 2 के जो फरवरी 1971 के 13वें दिन को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के पैरा 2 के खण्ड (क) में "निधि अधिनियम" शब्दों के स्थान पर "निधि और कुटुम्ब पेंशन अधिनियम" शब्द प्रतिस्थापित किए जायगे ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 34 मे निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जायगा अर्थात :—

"परन्तु किसी ऐसे सदस्य के मामले मे जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971 के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है पूर्वोक्त घोषणा प्ररूप में उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।"

4. उक्त स्कीम के पैरा 35 में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जायगा अर्थात :—

"परन्तु किसी ऐसे सदस्य के मामले में जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है, पूर्वोक्त घोषणा प्ररूप में उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।"

5. उक्त स्कीम के पैरा 36क मे निम्नलिखित परन्तुक अन्त मे जोड़ा जायगा अर्थात :—

"परन्तु किसी एसे सदस्य के मामले में, जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है, पूर्वोक्त घोषणा प्ररूप में उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।"

6. उक्त स्कीम के पैरा 38, उप-पैरा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जायगा, अर्थात :—

"परन्तु किसी एसे सदस्य के मामले में, जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है, पूर्वोक्त घोषणा प्ररूप मे उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।"

7. उक्त स्कीम के पैरा 42 मे निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जायगा, अर्थात :—

"परन्तु किसी एसे सदस्य के मामले में, जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है, पूर्वोक्त घोषणा प्ररूप में उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन केलिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।"

8. उक्त स्कीम के पैरा 43 में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में जोड़ा जायगा, अर्थात :—

"परन्तु किसी ऐसे सदस्य के मामले में, जो कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीम, 1971 के अधीन कुटुम्ब पेंशन निधि का सदस्य हुआ है, पूर्वोक्त प्रोफार्मा के रूप में उस स्कीम की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए आवश्यक विवरण भी लिखा होगा ।

[सं० एस० 70025(4)/71-पी० एफ०II]

दलजीत सिंह, अवर सचिव ।

---

**PRIME MINISTER'S SECRETARIAT**

*New Delhi, the 10th February 1972*

**G.S.R. 321.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Prime Minister's Secretariat (Librarian) Recruitment Rules, 1968, namely:—

Secretariat (Librarian) Recruitment (Amendment) Secretariat (Librarian) Recruitment (Amendment). Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prime Minister's Secretariat (Librarian) Recruitment Rules, 1968, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"7. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservaions and other concessions required to be provided for Scheduled Caste and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. F. 61/72/71-PMA(I).]

**प्रधान मंत्री सचिवालय**

नई दिल्ली, 10 फरवरी 1972

सा० का० नि० 321.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान-मंत्री सचिवालय (पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती नियम 1968 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. प्रधान मंत्री सचिवालय (पुस्तकाध्यक्ष) भर्ती नियम 1968 में नियम 6 के पश्चात निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।"

[सं० फा० 61/72/71-पी० एम०ए०(1)]

*New Delhi, the 11th February, 1972*

**G.S.R. 322.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library Attendant (Senior Grade) in the Prime Minister's Secretariat, namely :—

1. **Short title and commencement** : (1) These rules may be called the Prime Minister's Secretariat [Library Attendant (Senior Grade)] Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application** .—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of the post, classification and scale of pay**:—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Schedule Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued from time to time by the Central Government.

5. **Disqualifications**:

No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of Library attendant (Senior Grade) in the Prime Minister's Secretariat.*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Library Attendant (Senior Grade). | 1 | General Central Service, Class III, Non-gazetted Non-Ministerial. | Rs. 95—3—131—EB—4—155. | Non-selection. |

| Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any. |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| Between 25—30 years. | Matriculation with good handwriting and previous experience of Library work. | No. | Two years. |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstance in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| By promotion from amongst the officials of the grade of Senior Gestetner Operator of Prime Minister's Secretariat who have rendered 5 years service and have previous experience of Library work, or by deputation from amongst the Library Attendants (Junior Grade) of the other Ministries/Departments who have rendered 5 years continuous service in that grade, failing which by direct recruitment. | As per column 10. | Not applicable. | Not applicable. |

[No. F. 61/139/71-PMA.]

S. P. KHANNA,
Private Secretary to the Prime Minister.

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1972

**सा० का० नि०** 322 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, प्रधान मंत्री सचिवालय में पुस्तकालय परिचारक (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद पर भर्ती के पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम प्रधान मंत्री सचिवालय (पुस्तकालय परिचारक ज्येष्ठ श्रेणी) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, और वेतनमान** :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा अर्हतायें और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की बाबत, विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष व्यक्ति-प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निर्हताएं**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के प्रधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये हो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

प्रधान मंत्री सचिवालय में पुस्तकालय परिचारक (ज्येष्ठ श्रेणी) के पद के लिये भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों का संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| तकालय परिचारक (ज्येष्ठ श्रेणी) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग 3, अराजपत्रित, अननुसचिवीय । | 95—3-131—द०रो०—4—155 रु० | अचयन | 25—30 वर्ष के बीच |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि | यदि हो |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | |
| मैट्रिक उत्तीर्ण, जिसका हस्तलेख अच्छा हो और जिसे पुस्तकालय कार्य का पूर्वतन अनुभव हो । | नहीं । | दो वर्ष | |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रधान मंत्री सचिवालय के ज्येष्ठ गैस्टेटनर आपरेटर की श्रेणी से ऐसे पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्हें पुस्तकालय कार्य का पूर्वतन अनुभव हो, या अन्य मंत्रालयों/विभागों के ऐसे पुस्तकालय परिचारक (कनिष्ठ श्रेणी) में प्रतिनियुक्ति द्वारा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष निरन्तर सेवा की हो। जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | स्तम्भ 10 के अनुसार | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[सं० फा० 61/139/71-पी० एम० ए०]

एस० पी० खन्ना,
प्रधान मंत्री के निजी सचिव ।

## SUPREME COURT OF INDIA

*New Delhi, the 8th March, 1972*

**G.S.R. 323.**—Under Rule 5(i) of Order IV, Supreme Court Rules, 1966, apd Regulation (2) of the Regulations regarding Advocates-on-Record Examination made thereunder governing the Examination for Advocates-on-Record, it is hereby notified for the information of all concerned that Examination for Advocates-on-Record will be held in the Supreme Court premises, New Delhi from Monday the 8th to Thursday the 11th May, 1972.

2. All Advocates who will be completing one year's continuous training on or before the 30th April, 1972 are eligible to appear for the aforesaid Examination.

3. Applications should reach the Secretary not later than Saturday the 8th April, 1972. The application form may be obtained from the Secretary on any working day during office hours.

3. Applications should reach the Secretary not later ject to the production of the requisite certificate relating to the required training from the Advocate-on-Record concerned as soon as possible and in any case not later than Wednesday the 3rd May, 1972. Applications from the candidates who fail to produce the said certificate on or before the 3rd May, 1972 shall not be entertained.

[No. 5/72-A.R.(sec. I)]

By Order of the Court,

M. P. SAXENA, Secy.

Board of Examinations,
Advocation-Record Examination.

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

*New Delhi, the 17th February 1972*

**G.S.R. 324.**—Whereas certain draft rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, were published, as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), at pages 2939—2942 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 7th August, 1970, with the notification of the Government of India in the Ministry of Tourism and Civil Aviation No. GSR 1197, dated the 22nd August, 1970, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the 30th November, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 22nd August, 1970;

And whereas the objections or suggestions received from the public have been considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely:

1. These Rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 134, the following rules shall be inserted, namely:—

"135.—*Filing of tariff showing fares, rates and charges.*—(1) Every operator of an air transport service operating in accordance with rule 134 shall, with effect from a date to be notified in this behalf by the Director General, file with the Director-General a tariff showing fares, rates and charges for air transportation to and from India between the points served by it and between points served by it and by any other operator when through service and through rates had been established.

(2) Such tariffs shall be filed at least thirty days in advance of their introduction and shall be published in such form and manner and contain such information as may be prescribed by the Director-General from time to time:

Provided that in certain cases with the permission of the Director General of Civil Aviation in writing the filing may be done within less than thirty days before introduction of the tariff.

(3) The Director-General may, for reasons to be recorded in writing, reject any tariff so filed under this rule and any tariff so rejected shall be ineffective.

135-A.—*Levy of fixed fares, rates and charges.*—(1) No operator shall charge or demand or collect or receive any greater or less or different compensation for air transportation or for any service connected therewith other than the approved fares, rates or charges.

(2) No operator shall, in any manner or by any device directly or indirectly or through any agent or broker or otherwise, refund or remit any portion of the approved fares, rates and charges or extend to any person any privileges or facilities with respect to matters required by the Director-General, to be specified in tariffs under rule 135.

135-B.—*Charge is tariff of fares, rates and charges and production of records.*—(1) No change shall be made in fares, rates and charges or in classification, rule, regulation or practice, affecting such fares, rates and charges or value of the service thereunder specified in any effective tariff except after previous approval by the Director-General.

(2) An application for such changes shall be made to the Director-General at least thirty days in advance.

(3) The Director-General may revise or disallow any changes.

(4) The revised tariff shall, after approval by the Director-General, be published in such form and manner as may be prescribed under rule 135.

(5) All or any of the records relating to tariff required to be maintained under these rules shall, on demand, by the Director-General or any of the officers authorised by him, by general or special order in writing, be produced for inspection.

135-C—*Appeal.*—Any operator of an air transport service aggrieved by an order of the Director-General under sub-rule (3) of rule 135 or under sub-rule (3) of rule 135-B may, within a period of thirty days from the date of any such order, prefer an appeal to the Central Government and the decision of the Central Government on such appeal shall be final."

3. In Schedule VI to the said rules, after item 18-A, the following item shall be inserted, namely:

| Nature of offence | Revelant rule or rules. | Penalty |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "18-B—Contravation of rules relation to filing of tariff showing fares, rates and charges; lavy of fixed fares, rate and charges and change in tariff of fares, rates and charges and production of records thereof. | 135, 135-A and 135-B. | Imprisonment for a term not exceeding three months, or a fine not exceeding rupees on thousand or both." |

[F. No. 10-A/52-69/AR/AM(2)/72]

[No. F. 10-A/52-69/AR/AM(2)/72.]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 324 यत: वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिये कतिपय प्रारूप नियम, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की अधिसूचना स० सा० का० नि० 1197, दिनांक 22 अगस्त, 1970 के साथ भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i), दिनांक 7 अगस्त, 1970 के पृष्ठ 2939–2942 पर प्रकाशित किये गये थे जिसके द्वारा उन सब व्यक्तियों से जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, अक्षेप या सुझाव 30 नवम्बर, 1970 तक आमंत्रित किये गये थे ;

और यत: उक्त राजपत्र सार्वसाधारण के लिये 22 अगस्त 1970 को उपलब्ध कर दिया गया था।

और यत: सार्वसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम, 1937 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 134 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"135. **यात्री भाड़े, रेट और प्रभार दर्शित करने वाली टैरिफ का फाइल किया जाना** (1) नियम 134 के अनुसार प्रचालित हो रही विमान परिवहन सेवा का प्रत्येक प्रचालक महानिदेशक द्वारा इस निमित्त अधिसूचित तारीख से महानिदेशक के पास एक टैरिफ फाइल करेगा जिसमें; उसकी परिवहन सेवा के भारत को अथवा भारत से स्थानों के बीच और उसकी परिवहन सेवा के स्थानों और किसी अन्य प्रचालक की परिवहनसेवा के स्थानों के बीच, उस दशा में जिसमें कि पारगामी सेवा और पारगामी रेट की व्यवस्था हो गई हो विमान परिवहन के लिये यात्री भाड़े, रेट और प्रभार दर्शित हो।

(2) ऐसी टैरिफें, उनके लागू किये जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व फाइल की जाएंगी और वे ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रकाशित होंगी और उनमें ऐसी जानकारी होगी जैसा कि महानिदेशक द्वारा समय समय पर विहित किया जाए :

परन्तु कतिपय दशाओं में नागर विमानन के महानिदेशक की लिखित अनुज्ञा से टैरिफ के लागू होने के पूर्व तीस दिन के से कम के भीतर फाइल की जा सकेंगी।

(3) महानिदेशक इस नियम के अधीन ऐसे फाइल की गई किसी टैरिफ को, उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएंगे नामंजूर कर सकेगा और ऐसी नामंजूर की गई कोई टैरिफ प्रभावहीन होगी।

135 क—**नियम भाड़ों, रेटों और प्रभारों का उद्ग्रहण**—(1) कोई भी प्रचालक विमान परिवहन के लिये या उससे सम्बद्ध किसी सेवा के लिये, अनुमोदित यात्री भाड़ों रेटों या प्रभारों से भिन्न कोई प्रतिकार न तो प्रभारित करेगा, और न मांगेगा अथवा उससे अधिक, या कम या भिन्न कोई प्रतिकार न तो संग्रहीत करेगा और न प्राप्त करेगा।

(2) कोई भी प्रचालक किसी भी रीति में या प्रत्यक्ष: या अप्रत्यक्ष: किसी युक्ति द्वारा अथवा किसी अभिकर्ता या दलाल की मार्फत या अन्यथा, अनुमोदित यात्री भाड़ों, रेटों या प्रभारों का कोई भाग न तो वापस करेगा और न उसकी छूट देगा अथवा किसी व्यक्ति को उन विषयों की बाबत कोई विशेषाधिकार या सुविधाएं नहीं देगा, जिनकी बाबत महानिदेशक द्वारा यह अपेक्षित हो कि ये नियम 135 के अधीन टैरिफों में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

135 ख—**यात्री भाड़ों, रेटों और प्रभारों की टैरिफ में परिवर्तन और अभिलेखों का पेश किया जाना** (1) यात्री भाड़ों, रेटों और प्रभारों या ऐसे यात्री भाड़ों, रेटों और प्रभारों पर प्रभाव डालने वाले वर्गीकरण, नियम, विनियम या पद्धति अथवा किसी प्रभावी टैरिफ विनिर्दिष्ट तद्धीन सेवा के मूल्य में महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे परिवर्तनों के लिए महानिदेशक को कम से कम 30 दिन पहले आवेदन किया जाएगा।

(3) महानिदेशक किन्हीं परिवर्तनों को पुनरीक्षित या नामंजूर कर सकेगा।

(4) पुनरीक्षित टैरिफ, महानिदेशक के अनुमोदन के पश्चात् ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसा कि नियम 135 में विहित है ।

(5) टैरिफ से सम्बद्ध इन नियमों के अधीन बनाए रखे जाने के लिए अपेक्षित, सभी या कोई अभिलेख, महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों में से किसी के द्वारा लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा मांगे जाने पर, निरीक्षण के लिए पेश किए जाएंगे ।

135-ग—अपील—महानिदेशक के, नियम 135 के उपनियम (3) के अधीन या नियम 135-ख के उपनियम (3) के अधीन किसी आदेश से व्यक्ति किसी विमान परिवहन सेवा का कोई प्रचालक, ऐसे किसी आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची VI में, मद 18-क के पश्चात्, निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

| अपराध का स्वरूप | सुसगत नियम | शास्ति |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| "18-ख—यात्री भाड़े, रेट और प्रभार को दर्शित करनेवाली टैरिफें फाइल करने ; नियत यात्री भाड़े, रेट और प्रभार के उद्ग्रहण तथा यात्री भाड़ों, रेटों और प्रभारों की टैरिफ में परिवर्तन और उनके अभिलेखों को पेश करने से संबद्ध नियमों का उल्लंघन । | 135, 135-क और 135-ख | तीन मास से अनधिक अवधि का कारावास या एक हजार रुपये से अनधिक का जुर्माना या दोनों ।' |

[सं० फा० 10-ए/52-69/ए आर/ए एम(2)/72]

सुरेन्द्र नाथ कौल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

**(Deptt. of Culture)**

*New Delhi, the 15th February 1972*

**G.S.R. 325.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Library, Calcutta (Class I and Class II) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Library, Calcutta (Class I and Class II) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.—
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Library, Calcutta (Class I and Class II) Recruitment Rules, 1959, under the heading "Technical Posts", after Serial No. 9 relating to the post of Microphotographer and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superintendent Accounts | 1 | General Central Service, Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 450—25—575 | Selection | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation. | *Promotion* · Office Superintendent with three years' service in the Grade.<br><br>*Transfer on deputation*<br>SAS Accountant with three years' service in the grade from any of the organised Accounts Department e.g. Indian Audit and Accounts Department, Indian Defence and Audit Department, Indian Railways and Audit Department etc.<br><br>Period of deputation ordinarily not exceeding three years). | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from consultation) Regulations, 1958." |

[No. F. 10-9/69-CAI(2)]

SARAN SINGH, Under Secy.

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

### (संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

जी० एस० आर० 325.— संविधान के अनुच्छेद 309 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति इसके द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (वर्ग 1 और वर्ग 2) के नियुक्ति नियमों 1959 को और अधिक संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

1 (1) इन नियमों को राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (वर्ग 1 और वर्ग 2) नियुक्ति (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाए।

(2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से ये लागू होंगे।

2 राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता (वर्ग 1 और वर्ग 2) नियुक्ति नियम, 1959 की अनुसूची के शीर्षक "तकनीकी पद" के अन्तर्गत माइक्रोफोटोग्राफर पद से संबंधित क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां शामिल की जाएं —अर्थात्

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अधीक्षक (लेखा) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 2 अराजपत्रित —लिपिक वर्गीय | 450—25—575 रुपये | प्रवरण | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं होता | 2 वर्ष | पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर तबादले अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा | पदोन्नति . कार्यालय अधीक्षक ग्रेड में 3 वर्षों की सेवा के साथ । प्रतिनियुक्ति पर तबादला एस० ए० एस० महालेखापाल किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, भारतीय सुरक्षा और लेखा परीक्षा विभाग, भारतीय रेल और लेखा परीक्षा विभाग इत्यादि के ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा के साथ (साधारणतया प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं) | वर्ग 2 विभागीय पदोन्नति समिति | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 में अपेक्षित है । |

[सं० एफ० 10-96/9-सी० ए०I(2)]

सरन सिंह, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economic Affairs)

*New Delhi, the 30th November, 1971*

**G.S.R. 326.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer on Special Duty in Technical Co-operation Division in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Officer on Special Duty (Technical Co-operation Division) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed hereto.

4. **Method of Recruitment, Age Limit etc.**—The method of recruitment to the post, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruitment | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Officer on Special Duty | 1 | General Central Service Class I Gazetted. | Rs. 1300—60—1600 | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promptees. | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation.* Grade I officers of the Central Secretariat Service or officers holding equivalent posts under the Central Government with 5 years service in the grade and having background knowledge of the Colombo Plan and other Technical Assistance Programmes and experience of arranging international conferences.<br><br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years.) | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/1/71-Admns. II]

**वित्त मंत्रालय**

**(आर्थिक कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1971

**सा० का० नि० 326.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के तकनीकी सहयोग प्रभाग में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर भरती करने की पद्धति का नियमन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. **संक्षिप्त विवरण और प्रारम्भ** —(1) ये नियम, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) विशेष कार्य अधिकारी (तकनीकी सहयोग प्रभाग) भरती नियम, 1971 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रयुक्ति** :—ये नियम इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्धारित पद पर लागू होंगे।

3 **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान**—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वही होंगे जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्धारित है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा आदि** —पद पर भरती, आयु सीमा और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्धारित है।

5. **अनर्हता**—कोई व्यक्ति, जिसने

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और होने वाले पति/पत्नी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत विधि के अनुसार इस प्रकार के विवाह की अनुमति है अथवा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति**—जिस मामले में केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियम के किसी उपबन्ध में, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों/पदों के सम्बन्ध में छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है, वहां उनके लिए वह कारणों का लिखित रूप से अभिलेख करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके छूट दे सकती है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयु | सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित, शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विशेष कार्य अधिकारी | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी I राजपत्रित | रु० 1300-60-1600 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा मे लागू होगी । | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति/क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/स्थानातरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानो की प्रतिशतता । | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे सवर्ग जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है । | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है । | वे परिस्थितिया जिनमे भर्ती करने समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | लागू नही होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण द्वारा | **प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण** केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I के अधिकारी अथवा केन्द्रीय सरकार मे उसकी बराबरी के पदो के 5 वर्ष का अनुभव वाले अधिकारी जिन्हे कोलम्बो आयोजना और अन्य तकनीकी सहायता कार्य-क्रमो का पूर्व ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनो की व्यवस्था करने का अनुभव हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि— सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नही होगी) | लागू नही होता | जैसा सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत आवश्यक है । |

[सं० ए 12018/1/71 प्र० II]

*New Delhi, the 15th February 1972*

G.S.R. 327.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Protocol Assistant in Protocol Section in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Protocol Assistant (Protocol Section) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule hereto annexed

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, etc.**—The method of recruitment to the post, age limit and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

5. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necesary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

THE SCHEDULE

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Protocol Assistant | 1 | General Central Service Class II Non-Gazetted Non-Ministerial | Rs. 325—15—475—EB—20—575 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicale | By transfer on deputation | *Transfer on deputation* : Assistants of the Central Secretariat Service with at least 5 years service in the grade or Upper Division Clerks' with at least 10 years service in the grade and having experience in protocol work (*i.e.* receiving the VIPs, foreign dignitaries etc. and allied work connected therewith).<br><br>Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable | As required Under the Union public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. 12(9)-Admn.II/70.

K. RADHAKRISHNAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

**सा० का० नि० 327.**—संविधान अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में नयाचार सहायक के पद पर भरती करने की पद्धति का नियमन करने के एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त विवरण और प्रारम्भ** —ये नियम, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नयाचार सहायक (नयाचार अनुभाग) भरती नियम, 1972 कहे जाएंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंग ।

2 **प्रयुक्ति** —ये नियम इसके साथ सलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 में निर्धारित पद पर लागू होंगे ।

3 **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** —पदो की सख्या, उसका वर्गीकरण और उससे सम्बन्धित वेतनमान वही होगे जो इसके साथ सलग्न अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्धारित हैं ।

4. **भरती की पद्धति, आयु सीमा आदि** :—पद पर भरती, आयु सीमा और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वहीं होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्धारित हैं ।

5. **अनर्हता** :—कोई व्यक्ति, जिसने

(क) ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो, जिसका पति/पत्नी जीवित है अथवा

(ख) अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह का वचन दिया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नही होगा ।

यदि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट हो जाय कि ऐसे व्यक्ति और होने वाले पति/पत्नी पर लागू होने वाले व्यक्तिगत विधि के अनुसार इस प्रकार के विवाह की अनुमति है अथवा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

6. **छूट देने की शक्ति** —जिस मामले मे केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि इस नियम के किसी उपबन्ध में, किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियो/पदो के सम्बन्ध मे छूट देना आवश्यक अथवा इष्टकर है वहा उसके लिए वह कारणो का लिखित रूप से अभिलेख करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश जारी करके छूट दे सकती है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद | सीधी भरती वालों के लिए आयु | सीधी भरती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भरती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति की दशा में लागू होंगी । |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| नयाचार सहायक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी II अराजपत्रित / अनुसचिवालयी | रु० 325–15–475–द० रो० –20–575 | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो। | भरती की पद्धति/क्या सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति/ द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता। | पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भरती की दशा में वे संवर्ग जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाना है। | यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है। | वे परिस्थितियां जिनमें भरती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है। |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा। | प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड की कम से कम 5 वर्ष की सेवा वाले सहायक अथवा उच्च श्रेणी लिपिक की कम से कम 10 वर्ष की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक जिन्हें नयाचार कार्य (अर्थात् अति विशिष्ट व्यक्तियों, विदेशी महानुभावों आदि का स्वागत करने तत्सम्बन्धी सहायक कार्य करने) का अनुभव हो। (प्रयतनियुक्ति की अवधि— सामान्यत. 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) | लागू नहीं होता | जैसा संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अंतर्गत आवश्यक है। |

[सं० एफ० 12(9)-प्र० II/70]

के० राधाकृष्णन्, अवर सचिव।

**(Department of Revenue and Insurance)**

**CUSTOMS**

*New Delhi, the 18th March 1972*

**G.S.R. 328.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts works of art created abroad by Indian artists and sculptors and imported into India on the return of such artists and sculptors to the country, from the whole of the duty of customs leviable thereon.

[No. 37/F. No. 495/6/72-Cus. VI.]

P. K. KAPOOR, Under Secy.

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**सीमा शुल्क**

**नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972**

**सा० का० नि० 328.**—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारतीय कलाकारों और मूर्तिकारों द्वारा विदेश में सृष्ट और ऐसे कलाकारों और मूर्तिकारों के देश को लौटने पर भारत में आयात की गई कलाकृतियों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

**[सं० 37/फा० सं० 495/6/72-सीमा० 6]**

**पी० के० कपूर, अवर सचिव।**

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 18th March 1972*

**G.S.R. 329.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/70-Central Excises dated the 12th December, 1970, the Central Government hereby exempts wastes of polyamide (nylon) fibre and yarn falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (I of 1944), from the whole of he duty of excise leviable thereon, if used for recovering caprolactum:

(a) within the factory of production to the satisfaction of the proper officer; or

(b) in another factory provided the procedure set out in chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.

[No. 26B/72]

J. P. KAUSHIK, Under Secy.

**राजस्व और बीमा विभाग**

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 329.**—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तारीख 12 दिसम्बर, 1970 की अधिसूचना सं० 175/70-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले अपशिष्ट पालिअमाइट (नायलान) सूत और धागे को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है, यदि उनका प्रयोग—

(क) समुचित अधिकारी के समाधानप्रद रूप में उत्पादन कारखाने में; या

(ख) किसी दूसरे कारखाने में, परन्तु केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो;

कैप्रोलेक्टम की प्राप्ति के लिए किया गया हो।

[सं० 26 बी/72]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव।

---

**MINISTRY OF FOREIGN TRADE**

*New Delhi, the 22nd November 1971.*

**G.S.R. 330.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Class II and Class I Gazetted Posts (Office of the Textile Commissioner and the All India Handloom Board) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Class II and Class I Gazetted Posts (Office of the Textile Commissioner and the All India Handloom Board) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sechedule to the Class I and Class II Gazetted Posts (Office of the Textile Commissioner and All India Handloom Board) Recruitment Rules, 1962, after Serial No. 71 and the entries relating thereto, the following Serial No. and entries shall be inserted namely:—

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF DIRECTOR OF DESIGNS (EXPORT) IN THE OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER, BOMBAY IN MINISTRY OF FOREIGN TRADE.

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| "72. Director of Designs (Export). | 1 | General Central Service, Class I (Gazetted). | Rs. 1300—60—1600. | Selection, | 45 years (Relaxable for Government servants). | *Essential*:<br>(i) Degree or Diploma in Fine or Applied Art of a recognised University/Institution or equivalent.<br>(ii) About 7 years' experience in Textile Designing or in Painting.<br>OR<br>About 7 years' experience in teaching Painting.<br>(iii) Knowledge of Design trends abroad in the field of Textiles and Fashion.<br>(v) Experience of interpreting the ideas of importers into textile designs.<br>(Qualifications relaxable at discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates, otherwise well qualified).<br>*Desirable*:<br>(i) Knowledge of different types of yarn, structure of cloth dye stuffs, costing of fabrics.<br>(ii) Study of market conditions of textiles both in the country and abroad. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any | Method of rectt-whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| No | 2 years | By promotion, failing which by direct recruitment. | *Promotion*: Deputy Director (Designs) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

[No. F. A/12018/18/70-E.I. (Tex.)]

L. S. RASTOGI, Under Secy.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 नवम्बर 1971

**सा० का० नि० 330.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 में परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्रित पद वर्ग 1 तथा वर्ग 2 (वस्त्र आयुक्त के कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड) भर्ती नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को राजपत्रित पद वर्ग 1 तथा वर्ग 2 (वस्त्र आयुक्त का कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 कहा जाएगा ।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राजपत्रित पद वर्ग 1 तथा वर्ग 2 (वस्त्र आयुक्त के कार्यालय तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोड) भर्ती नियम, 1962 की अनुसूची मे क्रम संख्या 71 तथा उससे सबद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात :—

विदेश व्यापार मंत्रालय मे वस्त्र आयुक्त के कार्यालय, बम्बई में डिजाइन के निदेशक (निर्यात) के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7. डिजाइन के निदेशक (निर्यात) | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित) | 1300—100—1600 रु० | चयन | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए ढील दी जा सकेगी) | **अनिवार्य :**<br>(1) मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ललित अथवा व्यवहारिक कल में डिग्री अथवा डिप्लोमा अथवा तुल्यमान ।<br>(2) वस्त्र डिजाइनिंग अथवा पेंटिंग में लगभग सात वर्ष का अनुभव अथवा पेंटिंग सिखाने का लगभग 7 वर्ष का अनुभव ।<br>(3) वस्त्र तथा फैशन के क्षेत्र में विदेशों में डिजाइन प्रवृत्तियों का ज्ञान ।<br>(4) आयातकों के विचारों को वस्त्र डिजाइनो के रूप में व्यक्त करने का अनुभव ।<br>(अन्यथा अच्छी अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के स्वविवेक से अर्हताओं में ढील दी जा सकती है) । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | वांछनीय :<br>(1) विभिन्न प्रकार के धागे, कपड़ा रंगने के सामान की संरचना, वस्त्रों की लागत लगाने का ज्ञान।<br>(2) देश तथा विदेश, दोनों में, वस्त्रों के सम्बन्ध में बाजार सम्बन्धी परिस्थितियों का अध्ययन। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि यदि हो | भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय समिति हो तो उसकी संरचना | भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| नहीं | 2 वर्ष | प्रोन्नति द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती | प्रोन्नति :<br>उप-निदेशक (डिजाइन) जिसने स्थायी आधार पर ग्रड में नियुक्त होने पर पांच वर्ष तक नौकरी की हो। | प्रथम श्रेणी विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग [(परामर्श से छूट) विनियमन, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित। |

[सं० फा० ए/12018/18/70-ई०-1(टैक्स)]

एल० एस० रस्तोगी, अवर सचिव।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

*New Delhi, the 10th March 1972*

G.S.R. 331.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Police Training College (Non-gazetted Staff, Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Police Training College (Non-gazetted Staff) Recruitment Rules, 1959,—

(a) for the words "Central Police Training College", wherever they occur, the words "National Police Academy" shall be substituted;

(b) in the Schedule, for the existing entry under column 7 in respect of Serial Number 2 pertaining to the post of Inspector (for equitation work), the figures and word "35 years" shall be substituted

[No 10/13/71-Pers.I.]

G. S. GREWAL, Dy. Secy.

## गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1972

सा० का० नि० 331.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (अराजपत्रित कर्मचारिवृन्द) भर्ती नियम, 1959 में,—

(क) "केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय" शब्दों, जहां कहीं भी आते हों, के स्थान पर, "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे;

(ख) अनुसूची में, निरीक्षक (घुड़सवारी कार्य) के पद से सम्बन्धित क्रमसंख्या 2 के बारे में, स्तम्भ 7 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "35 वर्ष" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[संख्या 10/13/71-पर्सनल-I]

जी० एस० ग्रेवाल, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972

रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 25, 1972/चैत्र 5, 1894
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 25, 1972/CHAITRA 5, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

## MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE
(Department of Culture)

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 332.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Class III and Class IV posts in the Regional Language Centres, Mysore, Bhubaneswar and Patiala, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Regional Language Centres (Class III and Class IV) posts, Recruitment Rules, 1972;

(2) They shall come into force on the date of their publifation in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the schedule to these rules.

3. **Number of posts, their classifications and scales of pay.**—The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto, shall be as specified in columns 3 to 5 of the schedule hereto annexed.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or post.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHE-

*Recruitment rules for the Post of Office Superintendent and Lower Division Clerks*

PART I—CLASS III POSTS

| Sl No. | Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Upper age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Office Superintendent | Three | General Central Service, Class III, non-gazetted (Ministerial) | Rs. 350-20-450-25—475 | Not applicable | Not applicable | Not applicable. |
| 2. | Lower Division Clerk | Six | Do. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180 | Do. | 21 Years | 1. Matriculation or equivalent qualifications;<br>2. Minimum speed of 30 words per minute in typewriting, provided :—<br>(a) that a person not possessing the said qualifications in typewriting may be appointed subject to the condition that the shall not be eligible for drawing increment in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires speed of 30 words per minutes in typewriting; and;<br>(b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. |

DULE
*in the Regional Language Bhubaneswar and Patiala.*

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotion | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion, transfer, grades from which promotion to be made | If Department Promotion Committee exists what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable. | Not applicable. | By transfer on deputation | By transfer on deputation of persons holding similar or equivalent posts in Central or State Government Departments. (Period of deputation ordinarily not exceeding three years) | Not applicable. | Not applicable. |
| Do. | 2 Years | 1. 90% by Direct recruitment ;<br>2. 10% of the vacancies in the grade of Lower Division Clerk shall be reserved for being filled up by Class-IV employees (borne on regular establishment of the respective Regional language Centres), subject to the following conditions namely :—<br>(*a*) Selection shall be made through a departmental examination confined to such Class-IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualification, i.e. Matriculation or equivalent.<br>(*b*) The maximum age for this examination shall be 45 years (50 years for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Candidates.<br>(*c*) At least 5 years' service in Class-IV shall be essential.<br>(*d*) The maximum number of recruits by this method shall be limited to 10% of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerk occurring in a year; unfilled vacancies shall not be carried over. | Not applicable. | Do. | Do. |

*Recruitment Rules for the Post of Peon and Chowkidar in the Regional*

PART II—CLASS

| Sl. No. | Name of the posts | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection or non-selection post | Upper age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Peon | Four | General Central Service, Class-IV, non-gazetted | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Not applicable. | 25 Years | Middle standard pass. |
| 2. | Chowkidar | Two | Do | Do. | Do. | Do. | Primary School Standard pass. Experience of service in the Army. |

*Language Centres, Mysore, Bhubaneswer and Patiala*

IV Posts

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in case of promotees. | Period of probation, if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion. | If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years. | Direct recruitments. | Not applicable. | Not applicable | Not applicable. |
| Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. |

[No. F. 15-13/70-L.2.]
S. K. SANYAL, Under Secy.

**शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय**

**(सांस्कृतिक विभाग)**

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 332.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा मैसूर, भुवनेश्वर, तथा पटियाला के प्रादेशिक भाषा केन्द्रों में श्रेणी III तथा IV पदों को भर्ती की प्रणाली का नियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते है ; अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा आरम्भ होना** :—(1) इन नियमो को प्रादेशिक भाषा केन्द्र (श्रेणी III तथा IV पदों के लिए) भर्ती नियम, 1972 कहा जाए;

   (2) सरकारी राजपत्र में छपने की तारीख से लागू होंगे।

2. **प्रयोज्यता**:— इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में निर्दिष्ट के लिए ये नियम लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान** :—उक्त पदों की सख्या, उनकी वर्गीकरण तथा उनसे सलग्न वेतनमान उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार इस (अधिसूचना) के साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 3 से 5 मे निर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की प्रणाली, क्या सीमा, अर्हताएं इत्यादि** :—उक्त पदों के लिए भर्ती की प्रणाली, क्या सीमा तथा अन्य विषय उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 से 14 में निर्दिष्ट हैं।

5. **अयोग्यताएं** :—कोई भी ऐसा व्यक्ति :—

   (क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता है; जिसकी पत्नी अथवा पति जीवित हो, अथवा,

   (ख) जो पति/पत्नी के रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध अथवा विवाह करता है, उपरोक्त किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के कुछ अन्य आधार भी है, किसी व्यक्ति को इस नियम में छूट दी जा सकती है।

6. **रियायत देने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, जो लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हुए, आदेश द्वारा किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्ति/पद के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में रियायत दे सकती है।

7. **प्रतिबन्ध** :—इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य विशिष्ट वर्गों को दी जाने वाली अपेक्षित रियायतों और आरक्षणों को इन नियमों में से कोई भी प्रभावित नहीं करेंगे ।

अनुसूची

भाग 1—श्रेणी III के पद

मैसूर, भुवनेश्वर और पटियाला के प्रादेशिक भाषा केन्द्रों में कार्यालय अधीक्षक तथा अवर-लिपकों के पदों के लिए भर्ती नियम

| क्रमांक | पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या यह/ये प्रवरण अथवा अप्रवहण पद है | सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा | सीधी भर्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | कार्यालय अधीक्षक | तीन | सामान्य केन्द्रीय सेवा/ श्रेणी–III गैर-राजपत्रित (अनुसचिवीय) | रु० 350–20–450–25–475 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| क्या सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतियों के लिए भी लागू होंगे । | परिवीक्षा अवधि यदि कोई होती | भर्ती की प्रणाली क्या सीधी भर्ती द्वारा, अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । | पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा–वे ग्रेड जिससे पदोन्नति की जाती है | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है । | भर्तियां करने में वे परिस्थितियां जब संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं | लागू नहीं | स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर | केन्द्र अथवा राज्य के विभागों में उसी किस्म अथवा समतुल्य पदधारी व्यक्तियों को स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर। (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक न हो) । | लागू नहीं | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | अवर श्रेणी लिपिक | छः | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–III गैर राजपत्रित (अनुसचिवीय) | रु० 110–3–131–4–155–द०रो०–4–175–5–180 | लागू नहीं | 21 वर्ष | 1. मैट्रिक अथवा इसके समतुल्य अर्हताएं;<br>2. टाइप -राइटिंग में कम-से-कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड बशर्ते कि :–<br>(क) वह व्यक्ति, जो टाईप-राईटिंग में उक्त अर्हता प्राप्त नहीं है इस शर्त पर नियुक्त किया जायेगा कि वह उस ग्रेड में तब तक उस वेतनमान में वेतन-वृद्धि, लेने, अथवा स्थायित्वता स्थायी बनने के लिए हकदार (पात्र) नहीं होगा जब तक कि वह टाईप-राईटिंग में 30 शब्द प्रति-मिनट की स्पीड अर्जित नहीं कर लेता, तथा<br>(ख) कि एक शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जो अन्यथा लिपिक पद को धारण करने योग्य है परन्तु टाईप-राइटिंग में उक्त अर्हता प्राप्त नहीं है, को इस शर्त पर नियुक्त किया जाये कि रोजगार कार्यालय से सम्बद्ध अपंगों के लिए मेडिक्ल बोर्ड से अथवा जहां इस प्रकार का कोई बोर्ड न हो तो सिविल सर्जन यदि प्रमाणित करता है कि उक्त अपंग व्यक्ति टाईप करने योग्य सही हालत में नहीं है। |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | दो वर्ष | 1. 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा<br>2. अवर-श्रेणी लिपिक के ग्रेड की 10 प्रतिशत रिक्तियां (क्षेत्रीय भाषा केन्द्रों के अपने अपने नियमित स्थापना में शामिल) श्रेणी-4 कर्मचारियों में निम्नलिखित शर्तों पर भरी जाने के लिए आरक्षित होंगी, अर्थात् :—<br>(क) चयन-श्रेणी-IV के उन कर्मचारियों को परिसीमित विभागीय परीक्षा के द्वारा किया जाएगा जो अपेक्षित कम-से-कम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक अथवा उसके समतुल्य अर्हता की शर्त पूरी करते हों।<br>(ख) इस परीक्षा के लिए अधिक से अधिक आयु 45 वर्ष होगी (अनुसूचित, अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए 50 वर्ष)।<br>(ग) श्रेणी IV में कम-से-कम पांच वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी।<br>(घ) इस प्रणाली के द्वारा भर्ती किए गए (व्यक्तियों) की अधिक से अधिक संख्या वर्ष में होने वाली अवर श्रेणी लिपिक वर्ग की रिक्तियों का 10 प्रतिशत तक सीमित हो। अपूरित रिक्तियां पूर्व विनियम नहीं की जाएंगी। | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

भाग 2—चतुर्थ श्रेणी के पद

मैसूर, भुवनेश्वर तथा पटियाला के प्रादेशिक भाषा केन्द्रों में चपरासी तथा चौकीदार के पद के लिए भर्ती नियम

| क्रमांक | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या यह प्रवरण अथवा अप्रवरण पद है | सीधी भर्ती के लिए ऊपरी वय सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | चपरासी | चार | सामान्य केन्द्रीय सेवा-श्रेणी IV गैर-राजपत्रित | रु० 70—1—80—दं०रो० 1—85 | लागू नहीं | 25 वर्ष | मिडिल स्तर उत्तीर्ण |

| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतियों के लिए भी लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली-क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है। | भर्तियां करने में वह परिस्थितियां, जब संघ-लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती से | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

| क्रमांक | पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या यह प्रवरण अथवा अप्रवरण पद है | सीधी भर्ती के लिए ऊपरी वय सीमा | सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | चौकीदार | दो | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी IV गैर-राजपत्रित | रु० 70—1—80—दं० रो० 1—85 | लागू नहीं | 25 वर्ष | प्राथमिक स्कूल स्तर उत्तीर्ण/सैनिक सेवा अनुभव। |

| क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतियों के लिए भी लागू होंगी | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली-क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति द्वारा भर्ती के मामले | यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है। | भर्तियां करने में वह परिस्थितियां, जब संघ-लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होता है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती से | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |

[सं० एफ० 15-13/70-एल० 2]

एस० के० सन्याल, अवर सचिव।

## MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

### (Works Division)

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 333.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Class I post of Executive Engineer in the Administration of Dadra and Nagar Haveli, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Administration of Dadra and Nagar Haveli Executive Engineer Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post, specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, its classification and the scale of pay.**—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The Method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if, satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government, who shall decide the same.

8. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect, reservations and other concessions required to be provided for Schedule Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or Non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Executive Engineer | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 570—40—770—EB—40—1050—50—1100 | Selection | 35 years (Relaxable for (Government Servants) | *Essential* :<br>(*i*) Degree in Civil Engineering of a recognised University or equivalent.<br>(*ii*) About 7 years professional experience in a responsible capacity in Civil Engineering.<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promottees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & Percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion failing which by transfer on deputation failing both by direct recruitment. | *Promotion* : Deputy Engineer (Civil) with 7 years Service in the grade.<br>*Transfer on deputation* :<br>(Officers holding analogous posts or officers with at least 7 years service in post in the scale of Rs. 350—900 or equivalent under the Central or State Governments and possessing the qualifications mentioned in Column (7)<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years.) | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

(No. F 25018(4)/69-EWI).

S. N. BANERJI, Dy. Secy.

## निर्माण और आवास मंत्रालय

## (निर्माण प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 333.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, दादरा और नागर हवेली प्रशासन में कार्यपालक इंजीनियर के ग्रुप I पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का नाम दादरा और नागर हवेली प्रशासन, कार्यपालक इंजीनियर भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रशासन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना .—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हतायें और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं— वह व्यक्ति ,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

7. निर्वचन .—यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठे तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जायेगा जो उसका विनिश्चय करेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये, उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| कार्यपालक इंजीनियर | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित । | 570—40—770—द० रो०—40—1050—50—1100 रु० । | चयन | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिय शिथिल की जा सकेगी) । |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताय | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी की उपाधि या समतुल्य । | नहीं । | दो वर्ष । |
| (ii) किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में सिविल इंजीनियरी का लगभग सात वर्ष का वृत्तिक अनुभव । (अर्हतायें, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) । | | |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियो मे संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>उप इंजीनियर (सिविल) जिसने उस श्रेणी में सात वर्ष सेवा की हो ।<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 350—900 रु० या समतुल्य वेतनमान के पदों पर कम से कम सात वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ (7) में वर्णित अर्हतायें हों । (प्रतिनियुक्ति की अवधि—सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) । | वर्ग I विभागीय प्रोन्नति समिति । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

[सं० फा० 25018(4)/69-ई० डब्ल्यू० I]

एस० एन० बनर्जी, उप सचिव ।

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

*New Delhi, the 25th February 1972*

**G.S.R. 334.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 642 read with clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

### COST ACCOUNTING RECORDS (ALUMINIUM) RULES, 1972.

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Cost Accounting Records (Aluminium) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1972.

2. **Application.**—They shall apply to every company engaged in the production, processing or manufacturing of any of the following items namely:—

(a) Alumina

(b) Aluminium

(c) Aluminium ingots in different forms, billets and alloys.

(d) Aluminium sheets, circles and other rolled products excluding foils.

(e) Aluminium extrusions.

(f) properzi rods.

3. **Maintenance of records.**—(1) Every company to which these rules apply shall in respect of each of its financial year commencing on or after the commencement of these rules, keep proper books of account containing *inter alia* the particulars specified in Schedules I and II annexed to these rules relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost so far as they are applicable to the items referred to in rule 2:

Provided that if the said company is manufacturing any other products in addition to those referred to in rule 2, the particulars relating to the utilisation of materials, labour and other items of cost in so far as they are applicable to such other products shall not be included in the cost of the items referred to in rule 2.

(2) The books of account referred to in sub-rule (1) shall be kept in such a way as to make it possible to calculate the cost of each of the items referred to in rule 2 during a financial year (hereinafter referred to as the relevant period) from the particulars entered therein.

(3) It shall be the duty of every person referred to in sub-section (6) and sub-section (7) of section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) to take all reasonable steps to secure compliance by the company with the provisions of sub-rules (1) and (2) in the same manner as they are liable to maintain financial accounts required under sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956.

4. **Penalty.**—If a company contravence the provisions of rule 3, the company and every officer thereof who is in default, including the persons referred to in sub-rule (3) of rule 3 shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and where the contravention is a continuing one with a further fine which may extend to fifty rupees for every day after the first during which such contravention continues

### SCHEDULE I

**(See rule 3)**

I. *Production materials*:

(a) Adequate records shall be maintained showing all receipts, issues and balances both in quantities and values of each item of material required for producing, processing or manufacturing any of the items referred to in rule 2. The basis on which the said quantities and values have been calculated shall be clearly indicated in the cost records, or if so desired by the company, in a separate manual of procedure, if any maintained by the company or in foot notes or explanatory notes to the cost statements for the relevant period. The values shown in the records shall include all direct charges upto the works.

Adequate records showing the consumption of each item of material for production shall be maintained. If the quantity and value of materials consumed are determined on any basis other than actuals, the method adopted shall be mentioned in the cost records. The overall reconciliation of such values of materials with the actuals shall be made periodically and in any case at least once at the end of the relevant period, explaining the reasons for variations. The treatment of such variations in determining the cost of items referred to in rule 2 shall be indicated in the cost records.

(b) Where raw materials such as baulte are raised from mines owned or leased by the company or by its wholly owned subsidiary separate records showing the cost of raising such materials shall be maintained in such details as may enable the company to fill up the particulars in Proforma 'A' of Schedule II or in any form as near thereto as practicable. Where materials such as pre-baked carbon electrodes, soderberg paste, pot lining mix, are produced or manufactured by the company, separate records showing the cost of such materials shall be maintained in such details as may enable the company to fill up the particulars in Proforma 'B' of Schedule II or in any form as near thereto as practicable.

(c) Any wastage of materials, whether in transit, storage or for any other reasons shall be recorded separatly indicating the stages at which such losses occur. The method of dealing with such losses in the calculation of costs shall be indicated in the cost records

II. *Consumable stores, small tools, machinery, spares etc.*

(a) Adequate records shall be maintained to show the receipts, issues and balances both in quantities and values of each item of consumable stores, small tools, machinery spares, such as starch, soda ash, lime, filter cloth, grinding media, lubricants, rolling oil and items of spare parts and small tools required for the manufacture of any of the items referred to in rule 2. The values shown shall include all direct charges upto works wherever specifically incurred. In the case of consumable stores, small tools and machinery spares the values of which are not significant, the company may if it so desires, maintain such records for the main group of such items.

(b) The value of consumable stores, small tools and machinery spares consumed shall be charged to the relevant heads of account such as manufacture, repairs to plant and machinery, repairs to buildings, maintenance of township, maintenance of vehicles etc. The value of such items charged to manufacture shall further be allocated to different departments or manufacturing units or cost centres on a reasonable basis. Similarly, items issued for capital works, such as additions to plant and machinery, shall be shown under relevant capital heads.

(c) Any wastage, whether in storage, transit or for other reasons shall be shown separately. The method of dealing with such losses in costs shall also be indicated in the cost records.

III. *Power and fuel*:

(a) Adequate records shall be maintained in order to ascertain the cost of power and fuel. These records shall show separately wastage in storage, transit or for other reasons wherever occurring the value of power and fuel consumed shall be calculated on a reasonable basis and applied consistently.

(b) Where power is purchased, the records shall show separately the cost of power purchased, fixed charges and duties, if any, payable by the consumer. Where power is generated by the company itself or by its wholly owned subsidiary, separate records shall be maintained to show in detail the different items making up the cost of power generated and distributed.

(c) The records shall be so maintained as to enable the assessment of consumption of power by the different departments or manufacturing units or cost centres. The allocation of power bills or generated costs as the case may be, shall be on the basis of actual consumption, if separate meters are installed, or on the basis of technical estimates or connected loads if meters are not installed. In the case of contractual obligations on account of "maximum demand", clause which is applicable irrespective of actual power consumed, if the amount payable as per actual consumption falls below the contractual minimum payable, the difference between the contractual minimum and the actual amount payable shall be treated as 'period' power/'fixed' cost and treated accordingly. The entire power consumed in the pot room shall be treated as 'direct' power. Cost of power consumed in and chargeable to non-operating departments, if significant, shall be shown separately.

(d) The cost of fuel oil consumed in Alumina plant, soderberg paste plant, prebaked carbon electrode plant, pot lining mix plant and remolting furnace shall be treated as 'direct' fuel in the respective plants.

IV. *Steam*:

Adequate records shall be maintained to ascertain the cost of steam generated. These records shall also indicate wastage in transit or storage or for other reasons wherever occuring. The value of steam consumed in the different departments or manufacturing units, or cost centres shall be calculated on a reasonable basis and applied consistently. The quantity and value of coal consumed in the boilers and data regarding the efficiency of the boilers shall also be maintained.

V. *Wages and salaries*:

(a) Proper and systematic records shall be maintained to show the attendance of workers and other operational staff indicating the departments or the work on which they are employed. Where payments to workers are made on piece rate basis, the records relating thereto shall be maintained so as to enable the assessment of wages payable to such workers. Proper records shall also be maintained in respect of all payments made for over-time work and to casual labour. Where any incentive payments are made, whether in the shape of production bonus or other forms of incentive based on output achieved by the workers individually or collectively, proper records shall also be maintained for the assessment of such payments.

(b) The records shall further show the wages and salaries relating to various manufacturing departments or units or cost centres being the amounts payable and allocated to the different departments or units or cost centres. Idle time of workers shall be recorded separately, indicating the reasons for such idle time and the method of its treatment in calculating the costs of products. Any wages and salaries being expenditure on additions to plant, machinery or other fixed assets shall be allocated to the relevant capital heads in the accounts.

(c) If the wages and salaries are allocated to the departments or units or cost centres on any basis other than actuals, the reconciliation of such wages with actuals and the treatment of variation, if any, in determining the cost of items referred to in rule 2 shall be indicated in the cost records.

VI. *Service depaartment Expenses*:

Direct expenses of service departments shall be apportioned to the production departments on the basis of service rendered. If the company so desires, the expenses of service departments, other than generation of steam and power, applicable to products may be shown separately in the relevant proforma in Schedule II or may be included in the works overheads.

VII. *Workshop/repairs and maintenance shop and die shop expenses*:

Adequate records showing the expenditure incurred in the workshop/repairs and maintenance shop and die shop shall be maintained. The records shall further indicate the basis of charging the expenditure incurred in these shops to the different departments or manufacturing units or cost centres. Cost of work of a capital nature or from which benefits is likely to accrue for more than one financial year shall be shown separately in the cost records, indicating the method of its treatment in determining the cost of items referred to in rule 2.

VIII. *Relining of pots*:

Adequate records shall be maintained showing the expenditure incurred in the relining or patching up of pots. The records shall indicate the cost of pot lining mix, pot lining coke, side and bottom lining blocks, collector bars, insulating bricks, wages, sundry supplies and outside services, if any. The records shall also indicate the number of pots relined during the relevant period. The basis of charging such expenses to the cost of aluminium shall be clearly indicated in the cost records. The details of cost incurred for initial pot lining and starting at the time of commissioning a new smelter or a new set of pots shall be maintained. The cost incurred for re-starting of pots shall also be maintained separtely. The treatment of such expenses in costs shall be clearly indicated in the cost records.

IX. *Depreciation*:

(a) Adequate records shall be maintained showing the values and other particulars of fixed assets in respect of which depreciation is to be provided. These records shall *inter alia* indicate the cost of each item of asset, the date of its acquisition and the rate of depreciation. In respect of those assets, the original cost of acquisition of which cannot be ascertained without an unreasonable expenditure or delay, the valuation show in the books on the first day of the financial year beginning on or after the commencement of the rules shall be taken as the opening balance.

(b) Depreciation chargeable to the different departments, manufacturing units or cost centres shall not be less than the amount of depreciation which may be worked out in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 205 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and shall relate to plant, machinery and other assets utilised in such departments or units or cost centres. However, the cumulative depreciation charged against individual assets over a period of years shall not exceed the original cost of the respective assets. The method once adopted shall be applied consistently.

X. *Royalty*:

Adequate records shall be maintained showing the royalty paid and payments made to foreign collaborators in terms of agreements entered into with them. The basis of calculating the amount of royalty/technical aid fees for the relevant period shall be indicated in the cost records. The amount applicable to items referred to in rule 2 shall be shown separately in each of the relevant proforma in Schedule II. In the case of bauxite, the amount of royalty and dead rent shall be shown separately indicating the corresponding raising.

XI. *Overhead expenses*:

(a) Adquate records showing the amounts comprising the overhead expenses and the details of apportionment of overhead expenses to the various departments or manufacturing units or cost centres shall be maintained after collecting the details of all such expenses from the financial accounts. Overheads relating to works, administration, selling and distribution shall be shown separately. In respect of capital jobs, appropriate share of overhead expenses shall be allocated to the capital head. Works overhead shall include among other items, indirect wages and salaries relating to works, indirect materials consumed and staff and labour welfare expenses. The method of apportioning overhead expenses to the various departments or manufacturing units or cost centres shall be clearly indicated in the cost records and applied consistently. Where the overhead expenses are recovered through the output from the various departments or manufacturing units or cost centres otherwise than at actuals, the method of reconciling such expenses with the actuals for the relevant period, the variations, if any, and its treatment in determining the cost of the items referred to in rule 2 shall be indicated in the cost records.

(b) Share of selling and distribution expenses, applicable to the items referred to in rule 2 shall be shown separately in the cost records. Selling and distribution expenses shall be apportioned on a reasonable basis and the share applicable to each item shall be shown in the relevant proforma in Schedule II. The basis of apportionment shall be indicated in the cost records and applied consistently.

XII. *Packing*:

Adequate records shall be maintained showing the cost of packing materials and direct wages and other expenses incurred in respect of different items packed. Where such expenses are not capable of being charged directly against individual items, the basis of apportioning the expenses shall be clearly indicated in the cost records and applied consistently.

XIII. *Product development expenses*:

Adequate records showing the details of expenses incurred for the development of existing products or new products shall be maintained separately. The method of charging such expenses in cost shall be indicated in the relevant cost records.

XIV. *Scrap loss and melting loss*:

Adequate records showing the quantity of materials scrapped on account of sales return, deterioration due to storage and handling or for any other reasons shall be maintained. The basis of ascertaining the loss on account of such materials and method of treating the same in determining the cost of products shall be indicated in the cost records and applied consistently. Adequate records shall also be maintained showing the melting loss in the remelting furnace. Adjustment for realisation from dress shall also be indicated in the cost records.

XV. *Cost Statements*:

Statements showing the cost of alumina, aluminium, aluminium ingots in different forms, including billets and alloys sheets, circles and other rolled products, extensions and proper rods shall be compiled in Proformae 'C', 'D', 'E', 'F', 'G' and 'H' respectively of Schedule II or in any form as near thereto as practicable. If the proformae referred to above are compiled on any basis other than actuals, the method of reconciling the figures given in the Proformae with the actuals shall be indicated in the cost records. In respect of rolled products and extrusions, records showing the quantity produced, not material cost, total conversion cost furnace hours/machine hours utilised, packing cost and selling and distribution expenses per tonne shall also be maintained for each cost class or group of products. The total cost of all the classes or groups of rolled products and extrusions shall be reconciled with the total cost given in Proformae 'F' and 'G' respectively of Schedule II. The classification or grouping of products shall be made in accordance with the gauge, weight per unit length, shape or any other scientific basis, so that the cost of individual items forming the class or group are more or less indentical.

XVI. *Work-in-progress and finished goods stock*:

The value of work-in-progress at the different plants and finished goods stock of each item at the end of the relevant period shall be calculated to represent the cost of materials, appropriate labour, overhead expenses and depreciation. Records showing the value of work-in-progress and quantities and value of finished items shall be maintained by the company in such details as to enable them to fill up the particulars in Proforma I of Schedule II.

XVII. *Reconciliation of cost and financial accounts*:

The cost records shall be periodically reconciled with the financial books of accounts so as to ensure accuracy. Variations, if any, shall be clearly indicated and explained. The period for which such reconciliations are effected shall not exceed the period of the financial year of the company.

XVIII. *Stock verifications records*:

Record of physical stock verification shall be maintained in respect of all materials including consumable stores, shall tools and machinery, spares, alumina, aluminium, metal in process and other finished goods stock, either individually or by cost classes or groups. Any losses surpluses arising out of such verification and losses in transit shall also be indicated separately stating the method of its treatment in cost.

XIX. *Statistical statements and other records*:

Statistical statements and other records shall be maintained in such details as to enable the company to comply with the requirements of the Schedule I and Schedule II and to enable the cost auditor to report to the Company Law Board on all the points referred to in the Cost Audit (Report) Rules, 1968 as amended from time to time. Data relating to production and operational efficiency of individual departments, pot life, major repairs and maintenance shall also be maintained.

SCHEDULE II

(*See* rule 3)

PROFORMA A

Name and address of the company ——————————

Statement showing the cost of bauxite raised and transported to Alumina Plant during the period ——————————

| | Current Period | Previous period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| 1. Quantity raised. | | |
| 2. Quantity rejected, if any. | | |
| 3. Net quantity raised. | | |
| 4. Quantity transported to Alumina Plant. | | |
| 5. Quantity of over-burden removed. | | |

| Particulars | Total cost | Cost per tonne | |
|---|---|---|---|
| | | Current period | Previous period |
| | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Direct wages | | | |
| 2. Salaries. | | | |
| 3. Consumable stores, small tools and machinery spares. | | | |
| 4. Power and fuel. | | | |
| 5. Repairs and Maintenance. | | | |
| 6. Depreciation. | | | |
| 7. (*a*) Royalty.<br>(*b*) Dead Rent. | | | |
| 8. Depletion, if any. | | | |
| 9. Works overheads | | | |
| 10. Administration Overheads | | | |
| *Cost of raising* : | | | |
| 11. Transport charges upto railhead. | | | |
| 12. Freight paid or transport charges incurred. | | | |
| 13. Handling expenses | | | |
| *Cost of baurite at Alumina Plant* : | | | |
| 14. Adjustment for difference in the value of opening and closing stock. | | | |
| 15. Cost of bauxite consumed (vide Proforma 'C'). | | | |

NOTE:— 1. Cost per tonne to be arrived at by adopting the appropriate diviser.

2. Quantity of rejected bauxite sold and the amounts realised for it shall be indicated separately and shown as is education form the cost of raising.

PROFORMA B

Name and address of the company

Statement showing the cost of prebaked carbon electrode/soderberg paste/pot lining mix manufactured during the period

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| Production | | |
| Weight per block of carbon electrode. | | |

| Particulars | Quantity consumed units | Rate per unit | Total Cost | Cost per tonne: Current Period | Cost per tonne: Previous Period |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. *Materials* : | | | | | |
| (*a*) Calcined petroleum coke. | | | | | |
| (*b*) Metallurgical coke | | | | | |
| (*c*) Soft pitch | | | | | |
| (*d*) Anthracite coal | | | | | |
| (*e*) Coke oven tar | | | | | |
| (*f*) Scrap electrodes | | | | | |
| (*g*) Others | | | | | |
| TOTAL—MATERIALS | | | | | |
| 2. Direct wages | | | | | |
| 3. Salaries | | | | | |
| 4. Power. | | | | | |
| 5. Consumable stores, small tools and machinery spare | | | | | |
| 6. Repairs and maintenance | | | | | |
| 7. Fuel oil | | | | | |
| 8. Depreciation | | | | | |
| 9. Works overheads | | | | | |
| 10 Administration overheads | | | | | |
| TOTAL—COST | | | | | |
| 11. Adjustment for difference in the value of opening and closing work-in-progress, if any | | | | | |
| *Cost of Production* : | | | | | |
| 12. Adjustment for the difference in the value of opening and losing stock. | | | | | |
| 13. Cost transferred to smelter (vide Proforma 'D') | | | | | |

NOTE:— 1. To be compiled separately for electrode, soderberg paste and pot lining mix.
2. Delete items not applicable.

PROFORMA C

Name and address of the Company _____

Statement showing the cost of Alumina produced during the period _____

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| *Production* : | | |
| Alumina hydrate (In terms of Alumina content) | | |
| Alumina (Calcined) . . . . . | | |
| Quantity bagged : | | |
| Quantity transported to smelter | | |

| Particulars | Quantity consumed/ units. | Rate per Unit | Total Value | Cost per tonne | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Current Period | Previous Period |
| | | Rs. | Rs. | Rs. | Rs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. *Alumina Hydrate* : | | | | | |
| 1. *Materials.* | | | | | |
| (*a*) Bauxite | | | | | |
| (*b*) Fuel oil | | | | | |
| (*c*) Caustic Soda | | | | | |
| (*d*) Lime | | | | | |
| (*e*) Starch | | | | | |
| (*f*) Filter cloth | | | | | |
| (*g*) Other materials | | | | | |
| 2. Power | | | | | |
| 3. Steam | | | | | |
| 4. Direct wages. | | | | | |
| 5. Salaries. | | | | | |
| 6. Consumable stores, small tools and machinery spares | | | | | |
| 7. Repairs and maintenance | | | | | |
| 8. Red mud pond expenses | | | | | |
| 9. Technical aid fees | | | | | |
| 10. Depreciation | | | | | |
| 11. Works overheads | | | | | |
| 12. Administration overheads | | | | | |
| 13. Adjustment for the difference in the value of opening and closing work in progress, if any | | | | | |
| TOTAL—ALUMINA HYDRATE COST | | | | | |
| B. *Calcining* : | | | | | |
| 1. Fuel oil | | | | | |
| 2. Power | | | | | |
| 3. Direct wages | | | | | |
| 4. Salaries | | | | | |
| 5. Consumable stores, small tools and machinery sapares | | | | | |
| 6. Repairs and maintenance | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. Technical aid fees | | | | | |
| 8. Depreciation | | | | | |
| 9. Works overheads | | | | | |
| 10. Administration overheasds | | | | | |
| 11. Adjustment for the difference in the value of opening and closing work-in-progress, if any. | | | | | |
| TOTAL—CALCINING COST | | | | | |
| C. Total cost of naked Alumina | | | | | |
| D. *Bagging cost* | | | | | |
| 1. Cost of bags | | | | | |
| 2. Direct labour | | | | | |
| 3. Depreciation | | | | | |
| 4. Other overheads | | | | | |
| TOTAL—COST OF BAGGING | | | | | |
| E. Cost of bagged Alumina | | | | | |
| F. Freight and transport charges, if any | | | | | |
| G. Total cost of alumina at smelter | | | | | |

NOTE:— 1. To arrive at the cost alumina consumed in the smelter, adjustment for the value of opening and closing stock shall be done and such adjustments shall be shown in Proforma 'D' as footnote.

2. Appropriate divisers shall be used in arriving at the unit cost.

3. Delete items not applicable.

PROFORMA 'D'

Name and address of the company.....

Statement showing cost of Aluminium produced during the period.....

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| Production from Alumina. | | |

| PARTICULARS | Quantity consumed units. | Rate per unit Rs. | Total Value Rs. | Cost per tonne Current Period Rs. | Cost per tonne Previous Period Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. *Materials* | | | | | |
| (a) Alumina | | | | | |
| (i) Own manufactured | | | | | |
| (ii) Purchased. | | | | | |
| (b) Soderberg paste. | | | | | |
| (c) Prebaked electrode | | | | | |
| (d) Aluminium casing | | | | | |
| (e) Aluminium foil, if any. | | | | | |
| (f) Cryolite. | | | | | |
| (g) Fluorspar. | | | | | |
| (h) Aluminium flouride. | | | | | |
| (i) Soda ash. | | | | | |
| (j) Others | | | | | |
| (k) Relining mix | | | | | |
| Total materials. | | | | | |
| 2. Power to pot. | | | | | |
| 3. Direct wages. | | | | | |
| 4. Salaries | | | | | |
| 5. Consumable stores, small tools and machinery spares. | | | | | |
| 6. Fule oil. | | | | | |
| 7. Repairs and maintenance. | | | | | |
| 8. Relining of pots other than relining mix. | | | | | |
| 9. Depreciation. | | | | | |
| 10. Technical aid fees. | | | | | |
| 11. Works overheads. | | | | | |
| 12. Administration overheads. | | | | | |
| 13. Adjustment for difference in value of opening and closing work-in-progress, if any. | | | | | |
| Total cost of hot metal | | | | | |

NOTE :— 1. If aluminium in pig form are made out of hot metal in the smelter, the pig making charges (including depreciation) and the total cost of cold metal shall be indicated in the Proforma. The cost of sales including appropriate selling and distribution expenses of cold metal in pig form and the average sales realisation shall also be indicated, if it is sold as such.

2. Delete items not applicable.

PROFORMA 'E'

Name and address of the Company.....

Statement showing cost of aluminium ingots in different forms, billets and alloys produced during the period.....

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| 1. Metal charged | | |
| 2. Output | | |
| 3. Recovery % | | |
| 4. Quantity sold | | |

| Particulars | Quantity consumed units. | Rate per unit Rs. | Total value Rs. | Cost per tonne: Current Period Rs. | Cost per tonne: Previous Period Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. *Materials* | | | | | |
| (a) Hot metal | | | | | |
| (b) Cold metal | | | | | |
| (c) Alloying material | | | | | |
| (d) Scrap | | | | | |
| 2. Direct wages. | | | | | |
| 3. Salaries. | | | | | |
| 4. Consumable stores, small tools and machinery spares. | | | | | |
| 5. Fuel oil | | | | | |
| 6. Repairs and maintenance. | | | | | |
| 7. Depreciation | | | | | |
| 8. Technical aid fees. | | | | | |
| 9. Works overheads. | | | | | |
| 10. Administration Overheads | | | | | |
| 11. Adjustment for difference in opening and closing work-in-progress, if any. | | | | | |
| Total cost of production | | | | | |
| 12. Adjustment for the difference in the value of opening and closing stock. | | | | | |
| 13. Selling and distribution expenses (for quantity sold only). | | | | | |
| 14. Cost of sales | | | | | |
| 15. Average sales realisation. | | | | | |

NOTE :— 1. Separate cost statements shall be maintained in respect of commercial grade aluminium ingots in different forms, billets, and each type of alloys.

2. Delete items not applicable.

3. Excise duty to be excluded.

PROFORMA (F)

Name and address of the Company.....

Statement showing the cost of sheets, circles and other rolled products manufactured during the period.. .....

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| Input | | |
| Scrap | | |
| output | | |
| Recovery | | |
| Packed | | |
| Sold | | |

| Particulars | Quantity consumed units | Rate per units Rs. | Total Value Rs. | Cost per tonne Current Period Rs. | Cost per tonne Previous Period Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. *Rolling cost* : | | | | | |
| 1. Rolling ingots. | | | | | |
| *Less* : credit for scrap | | | | | |
| Net metal cost. | | | | | |
| 2. Direct wages. | | | | | |
| 3. Salaries | | | | | |
| 4. Consumable stores, small tools and machinery sapres | | | | | |
| 5. Repairs and maintenane. | | | | | |
| 6. Power | | | | | |
| 7. Depreciation. | | | | | |
| 8. Technical and fees | | | | | |
| 9. Works overheads. | | | | | |
| 10. Administration overheads. | | | | | |
| 11. Adjustment for the difference in value of opening and closing work-in-progress, if any. | | | | | |
| Total cost of rolled products | | | | | |
| B. *Packing* (for quantity packed) | | | | | |
| 12. Packing materials. | | | | | |
| 13. Direct wages. | | | | | |
| 14. Other overheads. | | | | | |
| 15. Total packing cost | | | | | |
| Total cost of packed products. | | | | | |
| C. Selling and distribution expenses (for quantity sold) | | | | | |
| | | | | ..... | |
| Cost of Sales | | | | ..... | |
| D. Average sales realisation | | | | ..... | |

NOTE : 1. Separate cost statements in summary form shall be kept in respect of each cost class or group, *vide* Para XV of Schedule I.

2. To arrive at the cost of sale of rolled products, adjustment for the opening and closing stock shall be made.

3. Excise duty to be excluded.

PROFORMA 'G'

Name and address of the Company .....

Statement showing the cost of extrusions manufactured during the period.....

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| Input | | |
| Less Scrap | | |
| Output | | |
| Recovery | | |
| Packed | | |
| Sold | | |

| Particulars | Quantity consumed/ units | Rate per unit Rs. | Total value Rs. | Cost per tonne: Current Period Rs. | Cost per tonne: Previous period Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. *Cost of extrusion.* | | | | | |
| 1. Billets. | | | | | |
| *Less* : credit for scrap | | | | | |
| Net metal cost | | | | | |
| 2. Direct wages | | | | | |
| 3. Salaries. | | | | | |
| 4. Consumable stores, smal tools, and machinery spares | | | | | |
| 5. Repairs and maintenance. | | | | | |
| 6. Cost of dies. | | | | | |
| 7. Power | | | | | |
| 8. Depreciation. | | | | | |
| 9. Technical aid fees. | | | | | |
| 10. Works overheads. | | | | | |
| 11. Administration overheads. | | | | | |
| 12. Cost of rectification. | | | | | |
| 13. Adjustment for the difference in the value of opening and closing work-in-progress, if any | | | | | |
| Total cost of extruded products | | | | | |
| B. *Packing* (for quantity packed) | | | | | |
| 14. Packing materials. | | | | | |
| 15. Direct wages. | | | | | |
| 16. Other overheads. | | | | | |
| 17. Total packing cost | | | | | |
| Total cost of packed extrusion | | | | | |
| C. Selling and distribution expenses (for quantity sold) Cost of sales. | | | | | |
| D. Average sales realisation. | | | | | |

NOTE 1. Separate cost statements in summary form shall be kept in respect of each cost class or group of extrusion *vide* Paragraph—XV of Schedule I

2. To arrive at the cost of sale of extrusion, adjustment for opening and closing stock shall be made.

3. Excise duty to be excluded.

PROFORMA 'H'

Name and address of the Company

Statement showing the cost the properzi rods manufactured during the period

| | Current Period | Previous Period |
|---|---|---|
| | Tonnes | Tonnes |
| Total input of metal | | |
| Less scrap recovered | | |
| Melt loss | | |
| Output | | |
| Recovery | | |
| Packed | | |
| Sold | | |

| Particulars | Quantity consumed units | Rate per unit Rs. | Total value Rs. | Current Period Rs. | Previous Period Rs. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. 1. *Aluminium (Input)*:— | | | | | |
| (*a*) Hot metal | | | | | |
| (*b*) Ingots | | | | | |
| (*c*) Scrap charged | | | | | |
| *Less* : credit for scrap | | | | | |
| Net metal cost | | | | | |
| 2. Direct wages. | | | | | |
| 3. Salaries. | | | | | |
| 4. Consumable stores, small tools and machinery spares. | | | | | |
| 5. Repairs and maintenance | | | | | |
| 6. Power | | | | | |
| 7. Depreciation. | | | | | |
| 8. Technical aid fees. | | | | | |
| 9. Works overheads. | | | | | |
| 10. Administrations overheads. | | | | | |
| 11. Adjustment for the difference in value of opening and closing work-in-progress. | | | | | |
| Total cost of properzi rods | | | | | |
| *Packing* (for quantity packed) | | | | | |
| 12. Packing materials | | | | | |
| 13. Direct wages. | | | | | |
| 14. Other overheads. | | | | | |
| 15. Total packing cost | | | | | |
| Total cost of packed properzi rods | | | | | |
| C. Selling and distribution expenses (for quantity sold only) | | | | | |
| Cost of sales. | | | | | |
| D. Average sales realisation. | | | | | |

NOTE 1. To arrive at the cost of properzi rods sold, adjustment for opening and closing stock shall be done.

2. Delete items not applicable.

3 Excise duty to be excluded.

PROFORMA 'I'

Name and address of the Company .....

I. *Statement showing the value of work-in-progress at the end of the period* .....

| *Particulars* | Rs. |
|---|---|
| 1. Opening work-in-progress as on..... | |
| 2. *Add* expenses relating to production of alumina and aluminium products referred to in rule 2 (including items referred to in Proforma B of Schedule II) incurred during the year. | |
| Total:— | |
| 3. Less cost of production of the items referred to in rule 2 (including items referred in Proforma 'B'). | |
| 4. Closing work-in-progress as on..... | |

II. *Statement showing the finished stock of bauxite, alumina and aluminium products as on* ..... .....

| Type of aluminium products | Opening stock as on | | Production during the year | | Sold/consumed during the year | | Physical stock adjustments | | Closing Stock as on ..... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qty. Tonnes | Value Rs. | Qty. Tonnes | Value Rs. | Qty. Tonnes | Value Rs. | Qty. Tonnes | Value Rs. | Qty. Tonnes | Value Rs. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

1. Bauxite
2. Pre-baked carbon electrode
3. Soderberg paste
4. Post lining mix.
5. Alumina
6. Aluminium in different forms.
7. Billets
8. Aluminium alloys.
9. Aluminium sheets, circles and other rolled products.
10. Aluminium extrusions
11. Properzi rods.
12. Others.

NOTE : 1. The items of finished stock shall be shown in as much details as practicable.
2. Values shall exclude excise duty wherever applicable.

[No. 52/4/70-CLII-CAB.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

## कंपनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1972

**सा०का०नि० 334.**—कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् ।—

लागत लेखा अभिलेखा (एल्यूमिनियम) नियम 1972

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम लागत लेखा अभिलेखा (एल्यूमिनियम) नियम, 1972 होगा ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1972 को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**—ये निम्नलिखित मदों में से किसी के उत्पादन प्रसंस्करण या विनिर्माण मे लगी हुई प्रत्येक कम्पनी को लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) एल्यूमिना (ख) एल्यूमिनियम,

(ग) विभिन्न प्रकार में एल्यूमिनियम की सिल्लियो बिलेटे और मिश्र-धातु

(घ) फाइलों को छोड़ कर, एल्यूमिनियम की चादर वृत्त और अन्य वेल्लित उत्पाद

(ङ) एल्यूमिनियम के एक्सट्रूजन

(च) प्रोफाईल्ड रूड ।

3. (1) प्रत्येक कम्पनी जिसे ये नियम लागू होते है इन नियमों के प्रारम्भ पर या उस के पश्चात् प्रारम्भ होने वाली उस के प्रत्येक वित्तीय वर्ष की बाबत सामग्रियो श्रम और लागत की अन्य मदों के जहां तक वे नियम 2 में निर्दिष्ट मदो को लागू है, उपयोग से संबंधित इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 और II मे विनिर्दिष्ट अन्य बातों के साथ विशिष्टियों से युक्त उचित लेखा पुस्तक रखेगी :

परन्तु यदि उक्त कंपनी नियम 2 में निर्दिष्ट के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उत्पादों का विनिर्माण करती हो तो सामग्रियो श्रम और लागत की अन्य मदों के उपयोग से संबंधित विशिष्टियां जहां तक वे ऐसे अन्य उत्पादो को लागू होंगे नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत में सम्मिलित नहीं की जाएंगी ।

(2) **उपनियम** (1) में निर्दिष्ट लेखा-पुस्तक इस प्रकार रखी जाएंगी जिस से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान (जिस में इस में इसके पश्चात् सुसंगत अवधि कहा गया है) उस में प्रविष्ट -प्रविशिष्टियों से नियम 2 में निर्दिष्ट मदों में से प्रत्येक मद की लागत की संगणना करना संभव हो ।

(3) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा (6) और उपधार (7) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपनियम (1) और (2) के उपबंधों का कंपनी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उसी रीति में सभी समुचित कदम उठाए जिसे वे कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित वित्तीय लेखा रखने के लिए दायी है ।

(4) **शक्ति**—यदि कोई कंपनी नियम 3 के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो वह कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी जो व्यक्ति क्रम में हो जिस के अन्तर्गत नियम 3 के उपनियम (3) मे निर्दिष्ट व्यक्ति भी है, जुर्माने से जिस का विस्तार 500 रुपए तक का हो सकेगा और जहा उल्लघन चालू रहता है वहा अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिस के दौरान ऐसा उल्लंघन, जारी रहता है, 50 रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

अनुसूची 1

(नियम 3 देखिए)

1. **उत्पादन सामग्रियां**

(क) नियम 2 मे निर्दिष्ट मदो में से किसी मद के उत्पादन, प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए अपेक्षित सामग्रियों की प्रत्येक मद का परिमाण तथा मूल्य दोनो मे सभी प्राप्तियां निर्गम और अतिशेषों को दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जायेंगे । जिस आधार पर उक्त परिमाण और मूल्यो का संगणन किया गया है उसे लागत अभिलेखो मे या यदि कंपनी की ऐसी वांछा हो तो कंपनी द्वारा रखी गई अलग प्रक्रिया पुस्तिका में यदि कोई हो, या सुसंगत अवधि के लिए लागत विवरणो से संलग्न पाद-टिप्पणों या स्पष्टीकारक टिप्पणों में स्पष्ट रूप मे उपदर्शित किया जाएगा । अभिलेखों में दर्शित मूल्यों मे संकर्म तक सभी प्रत्यक्ष प्रभार सम्मिलित होंगे ।

उत्पादन के लिए सामग्री की प्रत्येक मद का उपभोग दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । यदि वास्तविक आंकड़ों से भिन्न किसी आधार पर उपयुक्त सामग्रियो का परिमाण और मूल्य निर्धारित किया गया है तो लागत अभिलेखो मे अंगीकृत की गई पद्धति को स्पष्टतया लिखित किया जाएगा । वास्तविक आकड़ो के साथ सामग्रियों के ऐसे मूल्यो का व्यापक समन्वय कालिकतः और किसी भी मामले मे फेरफारो के लिए कारणो का स्पष्टीकरण देते हुए सुसगत अवधि के अंत में कम से कम एक बार किया जाएगा । नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत के अवधारण करने में ऐसे फेरफारों का विवेचन लागत अभिलेखों मे उपदर्शित किया जाएगा ।

(ख) जहां कच्चा माल जैसे बोक्साइट कंपनी के स्वामित्व की या उस के द्वारा पट्टे पर धारित की गई या उस के द्वारा पूर्णतः स्वामित्वाकी समनुषंगी कंपनी की खानो से निकाला गया है वहां ऐसे कच्चे माल को निकालने की लागत को दर्शित करने वाले पृथक अभिलेख ऐसे ब्योरे में रखे जाएंगे जो अनुसूची II के "क" में या उस के यथासाध्य समान किसी अन्य प्ररूप में विशिष्टियां

पूरी करने के लिए कंपनी को समर्थ बना सके जहां सामग्रियां जैसी पूर्व पकाये गये कारबन, इलक्ट्रोड्स, सोडरबर्ग पैस्ट, पोट लाइनिंग मिक्स कंपनी द्वारा उत्पादित या विनिर्मित की गई हों, वहां ऐसी सामग्रियों को लागत दर्शित करने वाले पृथक अभिलेख ऐसे ब्यौरे में रखे जाएंगे, जो अनुसूची II के प्रपत्र 'ख' में या उस के यथा साध्य समान किसी प्ररूप में कंपनी को विशिष्टियां पूरी करने के लिए समर्थ बना सके ।

(ग) सामग्रियों का कोई, क्षय, चाहे अभिवहन, भंडागारण में या किन्हीं अन्य कारणों से हो उन मदों को जिन पर ऐसी हानियां हुई हैं उपदर्शित करते हुए अलग-अलग अभिलिखित किया जाएगा । लागत के संगणना में, ऐसी हानियों के साथ बरतने वाली पद्धति लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी ।

2. **उपभोग्य सामान, छोट औजार, मशीनरी, फालतू पुर्जे, आदि**

(क) उपभोग्य समान, छोट औजार, मशीनरी, फालतू पुर्जों के प्रत्येक मद को जैसे स्टारच, सोडा एश, चूना, फिल्टर क्लाथ, ग्राईडिंग मोडिया, स्नेहक तेल, रोलिंग तेल और नियम 2 में निर्दिष्ट मदों में से किसी के विनिर्माण के लिए अपेक्षित फालतू पुर्जों और छोटे औजारों की मदों का परिमाण और मूल्य, दोनों में प्राप्तियां, निर्गम और अतिशेष दर्शित करते हुए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे 2 दर्शित किए गए मूल्यों में संकर्म सभी प्रत्यक्ष प्रभार जहां कहीं भी विनिर्दिष्टतः उगत हो, सम्मिलित होंगे । उपभोग्य सामान, छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे की दशा में, जिनके मूल्य महत्व पूर्ण नहीं है, कम्पनी, यदि इस प्रकार वांछा करती हो, ऐसी मदों के मुख्य समूह के लिए एक अभिलेख रख सकेगी ।

(ख) उपभोग्य सामान छोटे औजारों तथा उपयुक्त मशीनरी के फालतू पुर्जों का मूल्य विनिर्माण, संयंत्र तथा मशीनरी की मरम्मत भवनों की मरम्मत, नगर क्षेत्र को बनाए रखना, यानों को बनाए रखना, आदि जैसे सुसंगत लेखा-शीर्षों पर पारित किया जाएगा । विनिर्माण पर पारित ऐसी मदों का मूल्य समुचित आधार पर विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों को और आगे आवंटित किया जाएगा । संयंत्र और मशीनरी के परिवर्धन जैसे संकर्म की पूंजी के लिए जारी की गई सुसंगत पूंजी शीर्षों के नीचे दर्शित की जाएंगी ।

(ग) कोई क्षति चाहे भंडारकरण अभिवहन में हो या अन्य कारणों से अलग अलग दर्शित की जाएगी । लागत में ऐसी हानियों के साथ बरतने वाली पद्धति लागत अभिलेखों में भी उपदर्शित की जाएगी ।

3. **शक्ति और ईंधन**

(क) शक्ति और ईंधन पर लागत को अभिनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । ये अभिलेख भंडारकरण, अभिवहन में या अन्य कारणों से, जहां कहीं भी हुआ हो, हुए क्षय को अलग-अलग दर्शित करेंगे । उपर्युक्त शक्ति और ईंधन का मूल्य समुचित आधार पर संगणित किया जाएगा और उसे संगत रूप से उपयोजित किया जाएगा ।

(ख) जहां शक्ति खरीदी गई है, वहां अभिलेख खरीदी गई शक्ति पर लागत, नियत प्रभार और उपभोक्ता द्वारा संदेय शुल्क से यदि कोई हो, अलग अलग दर्शित करेंगे । जहां शक्ति कम्पनी द्वारा स्वयं या उसके पूर्ण रूप से स्वामित्व की अनुषंगी कम्पनी द्वारा उत्पन्न की गई है, वहां उत्पन्न की गई और वितरित की गई शक्ति पर लागत को पूरी करने वाली विभिन्न मदों की ब्यौरेवार दर्शित करने के लिए पृथक अभिलेख रखे जाएंगे ।

(ग) अभिलेख इस प्रकार रखे जाएंगे जिससे विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों द्वारा शक्ति के उपभोग का निर्धारण हो सके । यथास्थिति, शक्ति के बिलों या उत्पन्न की गई शक्ति की लागत का आवंटन, यदि अलग मीटर लगाए गए हैं तो वास्तविक उपभोग के आधार पर या यदि मीटर न लगाए गए हों, तो तकनीकी प्राक्कलनों या सम्बन्धित भार के आधार पर होगा । "अधिकतम मांग" खण्ड के कारण, जो उपयुक्त वास्तविक शक्ति को विचार में लाए बिना लागू है, संविदात्मक बाध्यताओं के मामले में, यदि वस्तविक उपभोग के अनुसार संदेय रकम संविदात्मक न्यूनतम संदाय से कम हो जाए तो संविदात्मक न्यूनतम और संदेय वास्तविक रकम के बीच का अन्तर, "अवधि" शक्ति/"नियत" लागत के रूप में माना जाएगा और तदनुसार व्यवहार किया जाएगा । पाट कक्ष में उपयुक्त समस्त शक्ति प्रत्यक्ष "शक्ति" के रूप में मानी जाएगी । जिन विभागों में प्रचालन नहीं होता उनमें उपयुक्त और उनके लिए प्रभार्य संचालन रहित शक्ति की लागत यदि महत्वपूर्ण हो, अलग-अलग दर्शित की जाएगी ।

(घ) एल्यूमिना संयंत्र, सोडरबर्ग संयंत्र, पैस्ट संयंत्र, पूर्व पकाये गए कारबन इलेक्ट्रोड संयंत्र, पोट लाइनिंग, मिक्स संयंत्र और पुनः गलाने वाली भट्टी में पयुक्त ईंधन तेल की लागत क्रमशः संयंत्रों में "प्रत्यक्ष" ईंधन के रूप में मानी जाएगी ।

4. **वाष्प**

उत्पन्न किए गए वाष्प पर लागत अभिनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । ये अभिलेख सभिवहन या भंडारकरण में या अन्य कारणों से हुई क्षति भी जहां कहीं भी होती हो, दर्शित करेंगे । विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों में उपयुक्त वाष्प का मूल्य समुचित आधार पर संगणित किया जाएगा और संगत रूप से उपयोजित किया जाएगा बायलरों में उपयुक्त कोयले का परिमाण और मूल्य तथा बायलरों की दक्षता के बारे में आधार सामग्री भी रखी जाएगी ।

5. **मजदूरी और वेतन**

(क) कर्मकारों तथा अन्य प्रचालक कर्मचारिवृन्द को, जिन विभागों में वे काम करते हैं, या जिस काम पर उन्हें लगाया गया है उसे उपदर्शित करते हुए हाजिरी को दर्शाने के लिए उचित और प्रायिक अभिलेख रखे जाएंगे । जहां कर्मकारों को मात्रानुपाती दर पर संदाय किए जाते हैं उनसे संबंधित अभिलेख रखे जाएंगे । ताकि ऐसे कर्मकारों को संदेय मजदूरी का निर्धारण हो सके । अतिकालिक काम के लिए तथा आकस्मिक श्रम के

लिए किए गए सभी संदायों की बाबत उचित अभिलेख भी रखे जाएंगे । जहां व्यक्तिगत से या सामूहिक रूप से कर्मकारों द्वारा प्राप्त किए गए उत्पाद के आधार पर, चाहे उत्पादन बोनस के रूप में या प्रोत्साहन के अन्य प्रकारों में, प्रोत्साहनात्मक संदाय किए जाते हैं, वहां ऐसे संदायों के निर्धारण के लिए भी उचित अभिलेख रखे जाएंगे ।

(ख) विभिन्न विनिर्माण विभागों या इकाइयों या लागत केन्द्रों से संबंधित ऐसी मजदूरियों और वेतनों को भी अभिलेख दर्शित करेंगे, जो विभिन्न विभागों या इकाइयों या लागत केन्द्रों को संदेय और आवंटित रकमें होंगी । कर्मकारों का बेकार समय ऐसे बेकार समय के लिए कारणों और उत्पाद की लागत को संगणित करने में उसके उपाय की पद्धति को उपदर्शित करते हुए, अलग अलग अभिलिखित किया जाएगा । संयंत्र मशीनरी या अन्य स्थिर आस्तियों के परिवर्धन पर व्यय के रूप में किन्हीं मजदूरियों और वेतन को लेखे में सुसंगत पूंजी शीर्ष में आवंटित किया जाएगा ।

(ग) यदि वास्तविक आंकड़ों से भिन्न किसी आधार पर विभागों या इकाइयों या लागत केन्द्रों को मजदूरी और वेतन आवंटित किए गए हों तो, नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत का अवधारण करने में ऐसी मजदूरियों के वास्तविक आंकड़ों के साथ समन्वय और फरफार के लिए उपाय, यदि कोई हो, लागत अभिलेखों में उपदर्शित किए जाएंगे ।

### 6. सर्विस विभाग के व्यय

सर्विस विभागों के सीधे व्यय दी गई सर्विस के आधार पर उत्पादन विभागों पर प्रभाजित किए जाएंगे । यदि, कम्पनी इस प्रकार बांटा करे तो, वाष्प और शक्ति के उत्पादन से भिन्न सर्विस विभागों के व्यय जो उत्पाद को लागू हों, अनुसूची II में सुसंगत प्रपत्र में, अलग-अलग दर्शित किए जा सकेंगे या संकर्म के उपरिव्ययों सम्मिलित किए जा सकेंगे ।

### 7. कर्मशाला/मरम्मत और अनुरक्षण और क्षायों शाला के व्यय

कर्मशाला/मरम्मत और अनुरक्षण शाला और क्षायों शाला में उपगत व्यय को दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । अभिलेख इन शालाओं में उपगत व्यय को विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों पर भार लगाने का आधार भी उपदर्शित करेंगे । पूंजी प्रकृति के या जिससे एक से अधिक वित्तीय वर्ष के लिए फायदा उद्भूत होना संभाव्य है ऐसे संकर्म की लागत अभिलेख में, नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत का अवधारण करने में उसके उपाय की पद्धति को उपदर्शित करते हुए अलग-अलग दर्शित की जाएगी ।

### 8. पाटों का रिलाइनिंग

पाटों के रिलाइनिंग या मरम्मत में उपगत व्यय को दर्शित करते हुए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । अभिलेख, पाट लाइनिंग मिक्स, पाट लाईनिंग कोक, साइड और बोटम लाईनिंग ब्लाकों, कलेक्टर बारों, इंसूलेटिंग इंटों, मजदूरियों, विधि प्रदाय और वाह्य सेवाओं, यदि कोई हो की लागत उपदर्शित करेंगे । अभिलेख सुसंगत अवधि के दौरान रिड्राइन किए गए पाटों की संख्या भी उपदर्शित करेंगे । ए-यूमिनियम की लागत पर ऐसे व्ययों को पारित करने का आधार लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा । प्रारम्भिक पाट लाईनिंग और नया एमेलटर या पाटों के नये सैट को शुरू करते समय उपगत लागत के ब्यौरे रख जाएंगे । पाटों को पुनः प्रारम्भ करने में उपगत लागत को पृथक रूप से रखा जाएगा । लागत में ऐसे व्यय का उपाय लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा ।

### 9. अवक्षयण

(क) स्थिर आस्तियों के मूल्य और अन्य विशिष्टियां जिनके बारे में अवक्षयण के लिए उपबन्ध किया जाना है, दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । ये अभिलेख, अन्य बातों के साथ, आस्तियों के प्रत्येक मद की लागत, उसके अर्जन की तारीख और अवक्षयण की दर उपदर्शित करेंगे । उन आस्तियों के बारे में, जिनकी अर्जन की मूल लागत, अत्यधिक व्यय या विलम्ब के बिना अभिनिश्चित नहीं की जा सकती, नियमों के प्रारम्भ पर या उसके पश्चात् शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन को पुस्तकों में दिखाया गया मूल्यांकन प्रारम्भिक अतिशेष के रूप में लिया जाएगा ।

(ख) विभिन्न विभागों, विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों पर प्रभार्य अवक्षयण की ऐसी रकम से कम नहीं होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 295 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार निकाली जाएं, और ऐसे विभागों या इकाइयों या लागत केन्द्रों में प्रयुक्त संयंत्र, मशीनरी और अन्य आस्तियों से सम्बन्धित होगा । किन्तु एकल आस्तियों पर वर्षों की किसी अवधि के लिए प्रभारित आकलित अवक्षयण क्रमशः आस्तियों की मूल लागत से अधिक नहीं होगा । एक बार अंगीकृत पद्धति को संगत रूप से उपयोजित किया जाएगा ।

### 10. स्वामित्व

विदेशी सहयोगियों से उनके साथ किए गए करारों के निबन्धनों के अनुसार संदत्त स्वामित्व और किए गए संदाय दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । सुसंगत अवधि के लिए स्वामित्व/तकनीकी सहायता फीसों की रकम की संगणना का आधार लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा । नियम 2 में निर्दिष्ट मदों को लागू होने वाली रकम अनुसूची II में प्रत्येक सुसंगत प्रपत्र में अलग-अलग दर्शित की जाएगी । बोक्साइट के मामले में, स्वामित्व और अनिवार्य किराये की रकम तत्सम्बन्धी निकाले गए परिमाण को उपदर्शित करते हुए अलग-अलग दिखाई जाएगी ।

और अनिवार्य किराये की रकम तत्सम्बन्धी निकाले गए परिमाण को उपदर्शित करते हुए अलग अलग दिखाई जाएगी ।

11 उपरिव्यय:

(क) उपरिव्यय और विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों पर उपरिव्यय के प्रभाजन के ब्यौरों को समाविष्ट करके रकमों का दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख वित्तीय लेखाओं से ऐसे सभी व्ययों के ब्यौरे संग्रह करने के पश्चात् रखे जाएंगे । संकर्म, प्रशासन, विक्रय और वितरण से सम्बन्धित उपरिव्यय अलग अलग दर्शित किए जाएंगे । पूंजीगत कार्यों के बारे में उपरिव्यय का समुचित अंश पूंजीगत शीर्ष को आवंटित किया जाएगा । संकर्म उपरिव्यय के अन्तर्गत अन्य मदों के साथ, संकर्म से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष मजदूरी और वेतन, उपयुक्त अप्रत्यक्ष सामग्री और कर्मचारिवृन्द तथा श्रमिक कल्याण व्यय भी होंगे । विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों पर उपरिव्यय का प्रभाजन करने की पद्धति लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी और संगत रूप से उपयोजित की जाएगी । जहां उपरिव्यय विभिन्न विभागों या विनिर्माण इकाइयों या लागत केन्द्रों से, वास्तविक आंकड़ों से अन्यथा उत्पादन के माध्यम द्वारा पुन: प्राप्त किए जाते हैं, वहां सुसंगत अवधि के लिए वास्तविक आंकड़ों के साथ ऐसे व्ययों के समन्वय की पद्धति फेरफार, यदि कोई हो, और नियम 2 में निर्दिष्ट मदों की लागत को अवधारण करने में उसका उपाय लागत अभिलेखों में उपदर्शित किए जाएंगे ।

(ख) नियम 2 में निर्दिष्ट मदों को लागू विक्रय और वितरण व्ययों का अंश लागत अभिलेखों में अलग अलग दर्शित किया जाएगा । विक्रय और वितरण व्यय समुचित आधार पर प्रभाजित किए जाएंगे और प्रत्येक मद को लागू अंश अनुसूची ii में सुसंगत प्रपत्र में दर्शित किया जाएगा । प्रभाजन का आधार लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा और संगत रूप से उपयोजित किया जाएगा ।

12 पैकिंग

पैक किए गए विभिन्न मदों के बारे में उपगत पैकिंग सामग्रियों और प्रत्यक्ष मजदूरियों तथा अन्य व्ययों की लागत को दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । जहां ऐसे व्यय एकल मदों के प्रति सीधे प्रभारित करने के लिए सक्षम नहीं है, वहां तथ्यों के प्रभाजन करने का आधार लागत अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा और संगत रूप से उपयोजित किया जाएगा ।

13 उत्पादक विकास व्यय

विद्यमान उत्पादों या नए उत्पादों के विकास के लिए उपगत व्ययों के ब्यौरे दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख अलग अलग रखे जाएंगे । लागत में ऐसे व्ययों का भारण करने वाली पद्धति सुसंगत लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी ।

14 स्क्रेप में हानि और पिघलाने में हानि

विक्रयों की वापसी भण्डारकरण और व्यवस्था के कारण या किन्हीं अन्य कारणों से हुए लक्ष्य के कारण स्क्रेप की गई सामग्रियों का परिमाण दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे । ऐसी सामग्रियों के कारण हुई हानि को अभिनिश्चित करने के आधार पर और उत्पादों की लागत के अवधारण में उनके लिए उपाय की पद्धति लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी और संगत रूप से उपयोजित की जाएगी । पुन: पिघलाने की भट्टी में पिघलाने मे हुई हानि को दर्शित करने वाले पर्याप्त अभिलेख भी रखे जाएंगे । धातु-मल से आपन के लिए समायोजन भी लागत अभिलेखों में उपदर्शित किया जाएगा ।

15 लागत विवरण

एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विभिन्न प्रकारों में एल्यू मिनियम की मिल्यिों की जिनके अन्तर्गत बिलेट तथा मिश्र-धातु, चादरें, वृत्त और अन्य बल्लित उत्पाद, एल्सट्रूजनें और प्रोपरजी छड़ें भी हैं, लागत दर्शित करने वाले विवरण अनुसूची II के क्रमश: प्रपत्र "ग" "घ" "ङ" "च" "छ" और "ज" या उनसे यावत्साध्य समान किसी प्ररूप में संकलित किए जाएंगे । यदि उपरि-निर्दिष्ट प्रपत्र वास्तविक आंकड़ों से भिन्न किसी आधार पर संकलित किए गए हों, प्रपत्र में दिए गए आंकड़ों का वास्तविक आंकड़ों के साथ समन्वय की पद्धति लागत अभिलेखों में उपदर्शित की जाएगी । बेल्लित उत्पादों और एक्सट्रूजनों के बारे में उत्पादित परिमाण, शुद्ध सामग्री, लागत, कुल परिवर्तन लागत, प्रयुक्त भट्टी के घंटे/मशीन के घंटे, पैकिंग की लागत और प्रति टन विक्रय और वितरण व्यय दर्शित करने वाले अभिलेख प्रत्येक लागत वर्ग या प्रत्येक उत्पादों के समूह के लिए भी रखे जाएंगे । बल्लित उत्पादों और एक्सट्रूजनों के सभी वर्गों या समूहों की कुल लागत का अनुसूची II के क्रमश: प्रपत्र 'च' और 'छ' में दी गई कुल लागत के साथ समन्वय किया जाएगा । उत्पादों का वर्गीकरण या समूहन गज, प्रति इकाई लम्बाई के तोल, आकार या कोई अन्य वैज्ञानिक आधार के अनुसार किया जाएगा ताकि वर्ग या समूह बनाने वाली एकल मदों की लागत लगभग समान हो ।

16 चालू काम और परिरूपित माल का स्टाक

सुसंगत अवधि की समाप्ति पर विभिन्न सन्यन्त्रों पर चालू काम और परिरूपित माल के स्टाक की प्रत्येक मद का मूल्य, सामग्रियों, समुचित श्रमिकों उपरिव्ययों तथा अवयक्षण की लागत का व्यपदेशन करने के लिए, संगणित किया जाएगा । चालू काम और परिरूपित मदों के परिमाण तथा मूल्य को दर्शित करने वाले अभिलेख कम्पनी द्वारा ऐसे ब्यौरेवार रखे जाएंगे ताकि वे अनुसूची II के प्रपत्र ञ में विशिष्टियां भरने के लिए समर्थ हो सकें ।

17. **लागत तथा वित्तीय लेखाओं का समन्वय** :

लागत अभिलेखों का वित्तीय लेखा पुस्तकों के साथ कालिकतः समन्वय किया जाएगा ताकि यथार्थता सुनिश्चित की जा सके । फेरफार, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से उपदर्शित किए जाएंगे और उनके लिए स्पष्टीकरण दिया जाएगा । वह अवधि, जिसके लिए ऐसे समन्वय किए गए हैं, कम्पनी के वित्तीय वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

18. **स्टाक के सत्यापन अभिलेख**

सभी सामग्रियों के बारे में, जिसके अन्तर्गत उपभोग्य स्टोर (सामान) छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे, एल्यूमिना एल्यूमिनियम, प्रसंस्करण में धातु और अन्य परिरुपित माल के स्टाक, चाहे एकल रूप से या लागत वर्गों या समहों द्वारा हैं, स्टाक के वस्तुगत सत्यापन के अभिलेख रखे जाएंग । ऐसे सत्यापन से उद्भूत किन्हीं हानियों, अधिशेषों और अभिवहन में हुई हानियों को, लागत में उसके उपाय की पद्धति कथित करते हुए, अलग अलग उपदर्शित भी किया जाएगा ।

19. **सांख्यिकी विवरण और अन्य अभिलेख**

सांख्यिकी विवरण और अन्य अभिलेख इस प्रकार ब्यौरेवार रखे जाएंगे ताकि कम्पनी इस अनसूची और अनसूची की आवश्यकताओं के अनुपालन करने में समर्थ हो सके और लागत संपरीक्षक समय समय पर यथा संशोधित लागत संपरीक्षा (रिपोर्ट) नियम, 1968 में निर्दिष्ट सभी प्रश्नों पर कम्पनी लॉ बोर्ड को रिपोर्ट करने में समर्थ हो सके । एकल विभागों के उत्पादन और प्रचालन क्षमता पाट-जीवन, बड़ी मरम्मतें और बनाए रखने से सम्बन्धित आधार सामग्री भी रखी जाएगी ।

## अनुसूची II

(नियम 3 देखिये)

प्रपत्र-क

कम्पनी का नाम और पता—.....

.....अवधि के दौरान निकाले गये और ऐल्यूमिना संयंत्र को परिवहन किये गये बाक्साइट दर्शित करने वाला विवरण :

| | चालू अवधि | पूर्वावधि |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| 1. निकाला गया परिमाण | | |
| 2. अग्रहित परिमाण, यदि कोई हो । | | |
| 3. निकाला गया शुद्ध परिमान | | |
| 4. एल्यूनिया संयंत्र को परिवहन किया गया परिमान | | |
| 5. हटाई गई ऊपर की मिट्टी का परिमाण | | |

| विशिष्टयां | कुल लागत रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|
| | | रु० | रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | |
| 2. वेतन | | | |
| 3. उपभोग्य स्टोर (सामान) छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. शक्ति और ईंधन | | | |
| 5. मरम्मत और अनुरक्षण | | | |
| 6. अवक्षयण | | | |
| 7. (क) स्वामित्व | | | |
| (ख) अनिवार्य किराया | | | |
| 8. ह्रास, यदि कोई हो | | | |
| 9. सकर्म उपरि—व्यय | | | |
| 10. प्रशासनिक उपरि–व्यय निकालन की लागत | | | |
| 11. रेल-सिरे तक परिवहन प्रभार | | | |
| 12. संदत्त माल-भाड़ा या उपगत परिवहन प्रभार | | | |
| 13. चढ़ाई-उतराई व्यय | | | |
| एल्यूमिना संयंत्र में बाक्साइट की लागत | | | |
| 14. प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के मूल्य मे फर्क के लिये समायोजन | | | |
| 15. उपयुक्त बाक्साइट की लागत (प्रपत्र 'ग' देखिये) | | | |

टिप्पण :—1. समुचित भाजक का अंगीकार करके प्रति टन लागत निकाली जायेगी ।

2. विक्रय की गई अग्रहित बाक्साइट के परिमाण और उसके लिये प्राप्त रकमे अलग-अलग उपदर्शित की जायेगी और निकालने की लागत से कटौती के रूप मे दर्शित की जायेंगी ।

प्रपत्र-ख

कम्पनी का नाम और पता .....

.....अवधि के दौरान विनिर्मित पूर्व पकाया गया कार्बन एक्ट्रोड/सोडरबर्ग पेस्ट/पाट लाइनिंग मिक्स की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

| | चालू अवधि | पूर्वावधि |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| उत्पादन | | |
| कार्बन ऐक्ट्रोरोड का प्रति ब्लाक भार | | |

| विशिष्टियां | उपयुक्त परिमाण, यूनिटों में | प्रति यूनिट दर रु० | कुल लागत रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 सामग्रियां . | | | | | |
| (क) निस्तापित पैट्रोलियम कोक | | | | | |
| (ख) धातुकर्म सम्बन्धी कोक | | | | | |
| (ग) साफ्ट पिच | | | | | |
| (घ) कड़े पत्थर का कोयला | | | | | |
| (ङ) कोक भट्टी टार | | | | | |
| (च) स्क्रैप इलैक्ट्रोड | | | | | |
| (छ) अन्य | | | | | |
| कुल सामग्रियां | | | | | |
| 2. प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 3. वेतन | | | | | |
| 4. शक्ति | | | | | |
| 6. उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औरजार और मशीनरी के फालतु पुर्जे | | | | | |
| 6. मरम्मत और अनुरक्षण | | | | | |
| 7. ईंधन तेल | | | | | |
| 8. अवक्षयण | | | | | |
| 9. संकर्म उपरि-व्यय | | | | | |
| 10. प्रशासनिक उपरिव्यय | | | | | |
| कुल लागत | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. प्रारम्भिक और अन्तिम चालू-काम के मूल्य में फर्क के लिये, यदि कोई हो, समायोजन | | | | | |
| उत्पादन पर लागत | | | | | |
| 12. प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के मूल्य में फर्क के लिये समायोजन | | | | | |
| 13. समेलटर को अन्तरिम लागत (प्रपत्र 'ब' देखिये) | | | | | |

टिप्पण : 1. एल्कट्रोड, सोडरबर्ग पेस्ट और पाट लाइनिंग मिक्स के लिये पृथक रूप से संकलित किया जाना है ।

2. मदें जो लागू न हों, काट दें ।

प्रपत्र ग

कम्पनी का नाम और पता..... .....

..... अवधि के दौरान उत्पादित एलूमिना की लागत को दर्शित करने वाला विवरण :

| विशिष्टियां | उपभुक्त परिमाण यूनिट | प्रति यूनिट दर रु० | कुल मूल्य रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| | | | | टन | टन |
| उत्पादन : | | | | | |
| एलूमिना हाइड्रेट (एलूमिना अन्तर्वस्तु के रूप में) | | | | | |
| एलूमिना (निस्तापित) | | | | | |
| बैग किया हुआ परिणाम | | | | | |
| स्मेलटर को परिवहन किया गया परिणाम | | | | | |
| क—एलूमिना हाइड्रेट | | | | | |
| 1. सामग्रियां | | | | | |
| (क) बाक्साइट | | | | | |
| (ख) ईंधन तेल | | | | | |
| (ग) कास्टिक सोडा | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

(घ) चूना
(ङ) स्टार्च
(च) फिल्टर क्लाथ
(छ) अन्य सामग्रियां

2. शक्ति
3. वाष्प
4. प्रत्यक्ष मजदूरियां
5. वेतन
6. उपभोग्य (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे
7. मरम्मत और अनुरक्षण
8. रेड मड पाण्ड व्यय
8. तकनीकी सहायता फीसें
10. अवक्षयण
11. संकर्म उपरि-व्यय
12. प्रशासनिक उपरि-व्यय
13. प्रारम्भिक और अन्तिम चालू काम के मूल्य में फर्क के लिये, यदि कोई हो, समायोजन

एलूमिना हाइड्रेट की कुल लागत

ख.—निस्तापन :

1. ईंधन तेल
2. शक्ति
3. प्रत्यक्ष मजदूरियां
4. वेतन
5. उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे
6. मरम्मत और अनुरक्षण
7. तकनीकी सहायता फीसें
8. अवक्षयण
9. संकर्म उपरि-व्यय
10. प्रशासनिक उपरि-व्यय
11. प्रारम्भिक और अन्तिम चालू-काम के मूल्य में फर्क के लिये, यदि कोई हो, समायोजन

निस्ताप की कुल लागत

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

ग.—अनावृत एलूमिना की कुल लागत

घ.—बैग करने में लागत

1. बैगों पर लागतें

2. प्रत्यक्ष श्रम

3. अवक्षयण

4. अन्य उपरि-व्यय

बैग करने में कुल लागत

ङ—बैग किए गए एलूमिना पर लागत

च—माल-भाड़ा और परिवहन प्रभार, यदि कोई हो

छ—स्मेल्टर में एलूमिना की कुल लागत

टिप्पण 1. स्मेल्टर में उपभुक्त एलूमिना की लागत को निकालने के लिए प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के मूल्य का समायोजन किया जाएगा और ऐसे समायोजन, प्रपत्र 'च' में, पाद-टिप्पण के रूप में दर्शित किए जाएंगे ।

2. यूनिट लागत को निकालने के लिए समुचित भाजकों का उपयोग किया जाएगा ।

3. वे मदें, जो लागू न हों, काट दें ।

प्रपत्र च

कम्पनी का नाम और पता .....

..... अवधि के दौरान उत्पादित एलूमिनियम की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

| | | | | चालू अवधि | पूर्वावधि |
|---|---|---|---|---|---|
| एलूमिना से उत्पादन | | | | टन | टन |
| विशिष्टियां | उपभुक्त परिमाण की यूनिटें | प्रति यूनिट दर रु० | कुल मूल्य रु० | प्रति टन लागत | |
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. सामग्रियां | | | | | |
| (क) एलूमिना | | | | | |
| (i) स्वयं उत्पादित | | | | | |
| (ii) खरीदा हुआ | | | | | |
| (ख) सोडर बर्ग पेस्ट | | | | | |
| (ग) पूर्व पकाए गए एलेक्ट्रोड | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

(घ) एलूमिनियम केसिंग

(ङ) एलूमिनियम फाएल, यदि कोई हो

(च) क्राइलाइट

(छ) फ्लोस्पर

(ज) एलूमिनियम पाडोराइड

(झ) सोडा ऐश

(ञ) अन्य

(ट) रिलाइनिंग मिक्स कुल सामग्रियां

2. पाटों के लिए शक्ति

3. प्रत्यक्ष मजदूरियां

4. वेतन

5. उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे

6. ईंधन तेल

7. मरम्मत और अनुरक्षण

8. रिलाइनिंग मिक्स से भिन्न पाटों का रिलाइनिंग

9. अवक्षयण

10. तकनीकी सहायता फीसें

11. संकर्म उपरिव्यय

12. प्रशासनिक उपरि-व्यय

13. प्रारम्भिक और अन्तिम चालू-काम के मूल्य में फर्क, यदि कोई हो, के लिए, सायोजन तप्त धातु की कुल लागत

टिप्पण : 1. यदि पिण्ड के रूप में एलूमिनियम, स्मेलटर में तप्त धातु से बनाए गए हों तो, पिण्ड बनाने के प्रभार (जिसके अन्तर्गत अवक्षयण भी है) और शीत धातु की कुल लागत प्रपत्र में उपदर्शित की जाएगी । विक्रय की लागत, जिसके अन्तर्गत पिण्ड के रूप में शीत धातु के समुचित विक्रय और वितरण व्यय भी है और विक्रय का औसत आपन भी, यदि इसे ऐसे रूप में विक्रय किया गया हो, उपदर्शित किया जाएगा।

2. वे मदें, जो लागू न हों, काट दें ।

प्रपत्र "ङ"

कम्पनी का नाम और पता . . . . . .

. . . . . अवधि के दौरान उत्पादित विभिन्न प्राकर की एल्यूमिनियम सिल्लियां, बिलेटें और मिश्र धातु की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

| | चालू अवधि टन | पूर्वावधि टन |
|---|---|---|
| 1. प्रभारित धातु | | |
| 2. उत्पाद | | |
| 3. पुनः प्राप्ति | | |
| 4. विक्रय किया गया परिमाण | | |

| विशिष्टियां | उपयुक्त परिमाण यूनिट | प्रति यूनिट दर रु० | कुल मूल्य रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 1. सामग्रियां | | | | | |
| (क) तप्त धातु | | | | | |
| (ख) शीत धातु | | | | | |
| (ग) मिश्र-धातुकर सामग्री | | | | | |
| (घ) स्क्रैप | | | | | |
| 2. प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 3. वेतन | | | | | |
| 4. उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे | | | | | |
| 5. ईंधन तेल | | | | | |
| 6. मरम्मत और अनुरक्षण | | | | | |
| 7. अवक्षयण | | | | | |
| 8. तकनीकी सहायता फीसें | | | | | |
| 9. संकर्म उपरि-व्यय | | | | | |
| 10. प्रशासनिक उपरि-व्यय | | | | | |
| 11. प्रारम्भिक और अन्तिम चालू काम में फर्क के लिए, यदि कोई हो, समायोजन | | | | | |
| 12. प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के मूल्य के फर्क के लिए समायोजन | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. विक्रय और वितरण व्यय (केवल विक्रय किए गए परिमाण के लिए) | | | | | |
| 14. विक्रयों की लागत | | | | | |
| 15. विक्रयों का औसत आपन | | | | | |

टिप्पण : 1. विभिन्न प्रकारों में वाणिज्यिक श्रेणी एल्यूमिनियम सिल्लियों, बिलेटों और मिश्र-धातुओं के प्रत्येक प्रकार के बारे में पृथक लागत विवरण रखे जाएंगे ।

2. वे मदें, जो लागू न हों, काट दें ।

3. उत्पाद-शुल्क छोड़ दिया जाएगा ।

प्रपत्र "ख"

कम्पनी का नाम और पता.....

.....अवधि के दौरान विनिर्मित चादरों, वृत्तों और अन्य वेल्लित उत्पादों की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

| | चालू अवधि टन | पूर्वावधि टन |
|---|---|---|
| निवेश | | |
| स्क्रैप | | |
| उत्पाद | | |
| पुनः प्राप्ति | | |
| पैक किए गए | | |
| विक्रय किए गए | | |

| विशिष्टियां | उपभुक्त परिमाण यूनिट | प्रति यूनिट दर रु० | कुल मूल्य रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| क—वेतन लागत : | | | | | |
| 1. वेल्लित सिल्लियां | | | | | |
| ऋण: स्क्रैप के लिए जमा शुद्ध धातु की लागत | | | | | |
| 2. प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 3. वेतन | | | | | |
| 4. उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे | | | | | |
| 5. मरम्मत और अनुरक्षण | | | | | |
| 6. शक्ति | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

7. अवक्षयण

8. तकनीकी सहायता फीसें

9. संकर्म उपरिव्यय

10. प्रशासनिक उपरिव्यय

11. चालू काम के प्रारम्भिक और अन्तिम फर्क के लिए, यदि कोई हो, समायोजन वेल्लित उत्पादों की कुल लागत

ख.—पैकिंग (पैक किए गए परिमाण के लिए)

12. पैक करने की सामग्रियां

13. प्रत्यक्ष मजदूरिया

14. अन्य उपरिव्यय

15. पैक करने की कुल लागत
पैक किए गए उत्पादों की कुल लागत

ग. विक्रय और वितरण व्यय
(विक्रय किए गए परिमाण के लिए)

विक्रय की लागत

घ. विक्रय का औसत आपन

टिप्पण . 1. प्रत्येक लागत वर्ग या समूह के बारे में संक्षिप्त प्ररूप मे पृथक लागत विवरण रखे जाएगे, अनुसूची 1 का पैरा 15 देखिए।

2. वेल्लित उत्पादो के विक्रय की लागत निकालने के लिए प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के लिए समायोजन किया जाएगा।

3. उत्पाद-शुल्क छोड दिया जाएगा।

प्रपत्र "छ"

कम्पनी का नाम और पता———————————————————

———————————————————अवधि के दौरान विनिर्मित एक्सट्रूजनों की लागत को दर्शित करने वाला विवरण ।

| | चालू अवधि | पूर्वावधि |
|---|---|---|
| निवेश | टन | टन |
| स्क्रैप की हानि | | |
| उत्पाद | | |
| पुन : प्राप्ति | | |
| पैक किए गए | | |
| विक्रय किए गए | | |

| विशिष्टियां | उपभुक्त परिणाम यूनिट | प्रति यूनिट दर रु० | मूल्य कुल रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| क—एक्सट्रूजन की लागत | | | | | |
| 1—बिलेटें | | | | | |
| ऋण : स्क्रैप के लिए जमा शुद्ध धातु की लागत | | | | | |
| 2—प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 3—वेतन | | | | | |
| 4—उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे | | | | | |
| 5—मरम्मत और अनुरक्षण | | | | | |
| 6—डाइयों की लागत | | | | | |
| 7—शक्ति | | | | | |
| 8—अवक्षयण | | | | | |
| 9—तकनीकी सहायता फीसें | | | | | |
| 10—संकर्म उपरिव्यय | | | | | |
| 11—प्रशासनिक उपरिव्यय | | | | | |
| 12—परिशोधन की लागत | | | | | |
| 13—प्रारम्भिक और अन्तिम चालू काम के मूल्य में फर्क के लिए, यदि कोई हो, समायोजन | | | | | |
| एक्सट्रूड किए गए उत्पादों की कुल लागत | | | | | |
| ख—पैकिंग (पैक किए गए परिणाम के लिए) | | | | | |
| 14—पैक करने की सामग्रियां | | | | | |
| 15—प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16—अन्य उपरिव्यय | | | | | |
| 17—पैक करने की कुल लागत पैक किए गए एक्सट्रूजन की कुल लागत | | ——— | ——— | | |
| ग—विक्रय और वितरण व्यय (विक्रय किए गए परिणाम के लिए) विक्रय की लागत | | | | | |
| घ—विक्रय का औसत आपन | | | | | |

टिप्पण :—1—एक्सट्रूजन के प्रत्येक वर्ग या समूह की लागत के बारे मे सक्षिप्त प्ररूप मे पृथक लागत-विवरण रखे जायेगे, अनुसूची 1 का पैरा 15 देखिए।

2—एक्सट्रूजन के विक्रय की लागत को निकालने के लिए प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक के लिए समायोजन किया जाएगा।

3—उत्पाद-शुल्क छोड दिया जाएगा।

प्रपत्र "ज"

कम्पनी का नाम और पता ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———अवधि के दौरान विनिर्मित प्रोपरजी छडो की लागत को दर्शित करने वाला वि रण।

| | चालू अवधि | पूर्वावधि |
|---|---|---|
| | टन | टन |
| धातु का कुल निवेश | | |
| ऋण पुन प्राप्त स्क्रैप | | |
| पिघली हुई धातु की हानि | | |
| उत्पाद | | |
| पुन प्राप्ति | | |
| पैक किए गए | | |
| विक्रय किए गए | | |

| विशिष्टियां | उपभुक्त परिणाम यूनिट | प्रति यूनिट दर रु० | कुल मूल्य रु० | प्रति टन लागत | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | चालू अवधि रु० | पूर्वावधि रु० |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| क—1 एलुमिनियम (निवेश) :— | | | | | |
| (क) तप्त धातु | | | | | |
| (ख) इंगट (सिल्लियां) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ग) प्रभारित स्कैप | | | | | |
| ऋण : स्कैप के लिए जमा शुद्ध धातु की लागत | | | | | |
| 2—प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 3—वेतन | | | | | |
| 4—उपभोग्य स्टोर (सामान), छोटे औजार और मशीनरी के फालतू पुर्जे | | | | | |
| 5—मरम्मत और अनुरक्षण | | | | | |
| 6—शक्ति | | | | | |
| 7—अवक्षयण | | | | | |
| 8—तकनीकी सहायता फीसें | | | | | |
| 9—संकर्म उपरिव्यय | | | | | |
| 10—प्रशासनिक उपरिव्यय | | | | | |
| 11—प्रारम्भिक और अन्तिम चालू काम के मूल्य में फर्क के लिए समायोजन प्रोपरजी छड़ों की कुल लागत | | | | | |
| ख—पैकिंग (पैक किए गए परिमाण के लिए) | | | | | |
| 12—पैक करने की सामग्रियां | | | | | |
| 13—प्रत्यक्ष मजदूरियां | | | | | |
| 14—अन्य उपरिव्यय | | | | | |
| 15—कुल पैक करने की लागत पैक की गई प्रोपरजी छड़ों की कुल लागत | | | | | |
| ग—विक्रय और वितरण व्यय (केवल विक्रय किए गए परिणाम के लिए) विक्रय की लागत | | | | | |
| घ—विक्रय का औसत आपन | | | | | |

टिप्पण :—1—विक्रय की गई प्रोपरजी छड़ो की लागत निकालने के लिए प्रारम्भिक और अन्तिम स्टाक का समायोजन किया जाएगा ।

2—वे मद जो लागू न हों, काट दें ।

3—उत्पाद-शुल्क छोड़ दिया जाएगा ।

प्रपत्र "ख"

कम्पनी का नाम और पता———————————————

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 20th January 1972*

**G.S.R. 335.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Safdarjang Hospital and Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Safdarjang Hospital and the Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 16th October, 1965.

2. In the Schedule to the Safdarjang Hospital and Willingdon Hospital and Nursing Home (Non-Medical Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1965, against item 6 relating to the post of "Senior Physiotherapist" in Column 3, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Rs. 375—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30 830—35—900."

[No. 2-10/70-H.]

P. C. ARORA, Under Secy

---

*New Delhi, the 10th March 1972*

**(Department of Family Planning)**

**G.S.R. 336.**—For the words for post-graduate in business administration' appearing in the entry under Column No. 7 of the Schedule to this Department's Notification No. A12018/3/70-Estt.II, dated 26th March 1971 the following may be substituted:—

'Or Post-graduate Degree in Business Administration"

[No. A12018/3/70-Estt.II.]

R. P. MARWAHA, Under Secy (A).

## स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली 10 मार्च, 1972

**जी० एस० आर० 336.**—इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए-12018/3/70-स्थापना-2, दिनांक 26 मार्च, 1971 की अनुसूची के कालम 7 के अन्तर्गत की गई प्रविष्टि में "अथवा व्यापार-प्रशासन में अधिस्नातक" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखें :

"अथवा व्यापार प्रशासन में अधिस्नातक डिग्री"

[संख्या ए-12018/3/70-स्थापना-2]

आर० पी० मरवाहा, अवर सचिव ।

---

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

*New Delhi, the 28th February 1972*

**G.S.R. 337.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment Rules, 1963, published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Transport and Communications (Department of Communications and Civil Aviation) No. G.S.R. 1332, dated the 31st July, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Overseas Communications Service (Class I posts) Recruitment Rules, 1963.

(1) for serial No. 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Director General | 1 | Central Civil Service Class I | Rs. 2,000 fixed. | Selection | Not applicable | Not applicable |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | By Promotion | *Promotion:* Deputy Director General with 3 years service in the grade. | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

(2) for serial No. 2 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "2. Deputy Director General. | 4 | Central Civil Service Class I | Rs. 1300—60—1600 —100—1800. | Selection | Not applicable. | Not applicable. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | By Promotion. | *Promotion* : Directors with 3 years service in the grade. | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

(3) serial No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted.

[No.A 12018/2/70-OC]

R. S. AGGARWAL, *Under Secy.*

---

**(P. & T. Board)**

*New Delhi, the 2nd March 1972*

G.S.R 338.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Indian Posts and Telegraphs (Telegraphists) Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Posts and Telegraphs (Telegraphists) Recruitment (Amendment) Rules, 1972

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Posts and Telegraphs (Telegraphists) Recruitment Rules, 1971,—

(i) after rule 6 the following rule shall be inserted, namely:—

"(7) **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

(ii) in the Schedule for the entry in column 3, the entry "Rs. 110—4—150—5—175—EB—6—205—EB—7—240" shall be substituted.

[No. 208/41/70-STB-I.]

---

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 2 मार्च 1972

सा० का० नि० 338.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारतीय डाक-तार (तार-संकेतक) भर्ती नियम, 1971 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, जिसका नाम इस प्रकार होगा —

1. (1) इन नियमों को भारतीय डाक-तार (तार-संकेतक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाएगा।

(2) ये इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त माने जाएंगे।

2. भारतीय डाक-तार (तार-संकेतक) भर्ती नियम, 1971 में :—

(i) नियम 6 के बाद निम्नलिखित नियम निविष्ट किया जाएगा जो इस प्रकार होगा :—

"(7) **शिकायत**—केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और

अनुसूचित जन-जातियों तथा लोगों के अन्य विशिष्ट वर्गों को प्रदान करने के लिए आवश्यक आरक्षण और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ेगा"।

(II) सूची में कालम 3 में दी गई प्रविष्टि के लिए

"रुपये 110-4-150-5-175-द० रो०-6-205-द० रो०-7-240" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी।

[सं० 208/41/70-एस० टी० बी०-1]

---

*New Delhi, the 9th March 1972*

**G.S.R. 339.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Posts and Telegraphs (Laboratory Technicians) Recruitment Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Posts and Telegraphs (Laboratory Technicians) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Posts and Telegraphs (Laboratory Technicians) Recruitment Rules, 1964 (hereinafter referred to as the said rules) for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3 Disqualifications.—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule".

3. In the Schedule annexed to the said rules, for the entry under column 5, the following entry shall be substituted, namely.—

"18—25 years on 1st July of the year of Recruitment".

[No. 29-1/69-NCG.]

K. V. LAKSHMANAN,
Asstt. Director.
General (STN).

नई दिल्ली; 9 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 339.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति डाक-तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती नियम, 1964 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम डाक-तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 होगा;

(2) वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. डाक-तार (प्रयोगशाला तकनीशन) भर्ती नियम, 1964 (जिसको यहां इसके बाद उक्त नियम कहा जायेगा) में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाये; अर्थात् :—

"3. अयोग्यताएं—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है या करने का करार किया है जिसके/जिसका पहले से ही पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने पत्नी/पति के जीवित रहते किसी अन्य से विवाह कर लिया है अथवा करने का करार किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा।

शर्त यह है कि यदि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट हो जाये कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह की दूसरी पार्टी के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार है तो इस नियम के प्रचालन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकती है।"

3. उक्त नियम से अनुबंधित अनुसूची में कालम 5 के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाये; अर्थात् :—

"भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 18–25 वर्ष"

[संख्या 29-1/69-एन सी जी,]

के० वी० लक्ष्मणन,
सहायक महानिदेशक (एस टी एन)।

---

## MINISTRY OF STEEL & MINES

### (Department of Mines)

*New Delhi, the 18th January 1972*

**G.S.R. 340.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Bureau of Mines (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1965, for the entry in column 10 against serial No. 25 relating to the post of Assistant Librarian, the following entry shall be substituted, namely:—

"50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by promotion, failing which by direct recruitment."

[No. F. A-12018/9/71-M.2.]
V. G. NIGAM, Dy. Secy

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Community Development and Co-operation)

*New Delhi, the 15th February 1972*

**G.S.R. 341.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the president hereby makes the following revised rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Rural Manpower) in the Ministry of Agriculture (Department of Community Development, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Community Development [Director (Rural Manpower)] Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, Classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule aforesaid.

4 **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment relating to the said post, age limit, qualifications and other matters shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligble for appointment to the said post: Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7 **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Post of Director (Rural Manpower) in Ministry of Agriculture in the Departments of Community Development and Cooperation*

| Name of Post | No of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post. | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Director (Rural Manpower). | 1 | General Central Service Class I Gazetted | Rs. 1,100—50—1,400 | Not applicable. | 45 years (Relaxable for Government servants). | *Essential*: (i) Degree of a recognised University or equivalent, (ii) About 10 years; experience in Community Development and/or Co-operation work including at least 5 years, field experience in Community Development work with special reference to Rural Manpower Programme<br><br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br><br>*Desirable*:<br><br>Post-graduate degree in Economics/Commerce from a recognised University. |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation, if any. | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/transfer to be made. | If a DPC exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable. | 2 years | By transfer/deputation, failing which, by direct recruitment. | *Transfer deputation*: (i) Officers of the Indian Administratives Service or Central Services Class I with 5 years service in Class I and having adequate experience in Community Development work with special reference to Rural Manpower Programme.<br>(ii) Officers of the State Governments with 6 years; field experience in Community Development work with special reference to the Rural Manpower Programme and also having 5 years service in the scale of Rs. 700-1250 or eqivalent scale of pay<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 4 years.) | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No.F.17/1/68-Estt. (I)]

PRIYA PRAKASH Dy. Secy.

## कृषि मंत्रालय

(सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 341 ·—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, कृषि मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग) में निदेशक (ग्राम जनशक्ति) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित पुनरीक्षित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम सामुदायिक विकास विभाग [निदेशक (ग्राम जनशक्ति)] भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 **लागू होना.**—यह नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिदिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हताएं**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेख बद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य व्यक्ति प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि मंत्रालय के सामुदायिक विकास और सहकारिता विभाग में निदेशक (ग्राम जन शक्ति) के पद के लिए भर्ती नियम।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अवयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| निदेशक (ग्राम जनशक्ति) | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग I राजपत्रित | 1100-50-1400 रु० | लागू नहीं होता | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकेगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **आवश्यक:**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य।<br>(ii) सामुदायिक विकास और/या सहकारिता कार्यों में लगभग दस वर्ष का अनुभव, जिसके अन्तर्गत विशेष रूप से ग्राम जनशक्ति कार्यक्रम के साथ सामुदायिक विकास कार्य में कम से कम पांच वर्ष का क्षेत्र अनुभव भी है। (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)<br>**वांछनीय:**<br>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। | लागू नहीं होता | |

| भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। | **स्थानान्तरण निम्नियुक्ति:**<br>(i) भारतीय प्रशासनिक सेवा या केन्द्रीय सेवा वर्ग I के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वर्ग I में पांच वर्ष सेवा की हो और जिन्हें विशेष रूप से ग्राम जनशक्ति कार्यक्रम के साथ सामुदायिक विकास कार्य में पर्याप्त अनुभव हो। | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| | ( ) राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी जिन्हें विशेष रूप से ग्राम जन शक्ति कार्यक्रम के साथ सामुदायिक विकास कार्य में छह वर्ष का अनुभव हो और जिन्होंने 700—1250 रु० वेतनमान या समतुल्य वेतनमान में पांच वर्ष सेवा की हो।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः चार वर्ष से अधिक नहीं होगी)। | | |

[सं० फा० 17/1/68-प्रश०(1)]

प्रिय प्रकाश, उप सचिव।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 15th February 1972*

**G.S.R. 342.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services) Recruitment Rules, 1963, namely:

(1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Ground Water Board (Class I and Class II Services) Recruitment Rules, 1963, for items 1A, 2, 5, 6 and 10 and the entries relating thereto, the following items and enteries shall be substituted, namely:

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the posts of (i) Superintending Engineer (ii) Executive Engineer (iii) Assistant Executive Engineer (iv) Junior Hydrogeologist and (v) Assistant Hydrogeologist in the Central Ground Water Board Department of Agriculture*

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection Post or Non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Superintending Engineer | One | General Central Service, Class I (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 1300—60—1600—100—1800 | Selection | 45 years (Relaxable for Government servants) | *Essential*: (i) A degree in Mechanical/Electrical/Civil/Agricultural Engineering/Petroleum Technology from a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 10 years' experience in the use of mechanical drilling rigs of which 5 years' should be in a responsible position not below the rank of Executive Engineer.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified)<br>*Desirable*: (i) Knowledge of different types of specialised machines used for drilling in different formations.<br>(ii) Knowledge of all aspects of water well drilling and operation and maintenance of drilling equipments. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & Percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If D P C exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion, failing which, by transfer on deputation and, failing both, by direct recruitment. | *Promotion*: Project Director, failing which, Executive Engineers, with 5 years' service in the grade.<br>*Transfer on deputation*: Officers of the rank of Superintending Engineer, or Executive Engineers with 5 years' service as such, and having about 10 years experience in the use of mechanical drilling rigs, from the Central/State Governments.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 4 years). | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Executive Engineer | 7 (Seven) | General Central Service, Class I (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 700—40—1100—50/2—1250 | Selection | 45 years (Relaxable for Government Servants) | *Essential*: (i) A degree in Mechanical/Electrical/Civil/Agricultural Engineering or a degree in Petroleum Technology from a recognised University or equivalent.<br>(ii) At least 5 years' experience in the use of mechanical drilling rigs.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*: Experience of tube-wells and allied ground water investigations. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Age*: No; *Educational Qualifications*: Must possess atleast a diploma in the Engineering subject concerned. | 2 years | By promotion, failing which by transfer on deputation, and failing both, by direct recruitment. | *Promotion*: Assistant Executive Engineer with 5 years' service in the grade.<br>*Transfer on deputation*: Officers of the rank of Executive Engineer or Assistant Executive Engineer in the scale of Rs. 400—950 or equivalent with 5 years' service as such, or Assistant Engineer in the scale of Rs. 350—900 or equivalent with 7 years' service as such, and having about 5 years' experience in the use of mechanical drilling rigs, from the Central/State Governments.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958.";] |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Assistant Executive Engineer | 8 | General Central Service, Class I (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. | Selection | 40 years (Relaxable for Government Servants). | *Essential* : A degree in Mechanical/Electrical/Civil/Agricultural Engineering or a degree in Petroleum Technology from a recognised University or equivalent.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*: Some experience in well drilling operations. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 2 years | 75% by direct recruitment: 25% by promotion. | *Promotion*: Driller-in-Charge (Matric with Engineering Diploma and 5 years service in the grade). | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Junior Hydrogeologist | 7 | General Central Service, Class I (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 400—40—800—50—950. | Selection | 35 years (Relaxable for Government Servants). | *Essential*: (i) Master's degree in Geology or Diploma from I.S.M. and Applied Geology Dhanbad or equivalent qualifications.<br>(ii) About 3 years' experience in independent geological mapping.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable*: Experience of groundwater Geology and sampling and interpretation of borehole data. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | 2 years | By promotion, failing which, by direct recruitment. | *Promotion*: Assistant Hydrogeologists in the Central Ground Water Board with 3 years' service in the grade. | Class I Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958."; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. Assistant Hydrogeologist. | 28 | General Central Service, Class II (Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 35 years (Relaxable for Government Servants). | *Essential*: Master's degree in Geology or Diploma from the I.S.M. and Applied Geology, Dhanbad or equivalent qualification. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable*: (i) Experience in Geological work. (ii) General knowledge of ground water and sampling an interpretation of borehole data. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Age: No *Educational Qualifications*: Yes. | 2 years | 33-1/3 % by promotion; 66-2/3 % by direct recruitment. | *Promotion*: Senior Technical Assistant (Hydrogeology) with 3 years' service in the grade. | Class II Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

[No. 7-18/67-TW.]

L. N. LADDHA, Dy. Secy

## (कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1972

**सा०का०नि० 342.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वर्ग I और वर्ग II सेवाएं) भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वर्ग I और वर्ग II सेवाएं) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 कहे जा सकेंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वर्ग I और वर्ग II सेवाएं) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में मद संख्या 1क, 2, 5, 6 और 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी।

## अनुसूची

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, कृषि विभाग में (i) अधीक्षक इंजीनियर (ii) कार्यपालक इंजीनियर (iii) सहायक कार्यपालक इंजीनियर (iv) कनिष्ठ जल भूविज्ञानी और (v) सहायक-जल भूविज्ञानी के पद पर भर्ती के लिए नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 क अधीक्षक इंजीनियर | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | रु1300-60-1600-100-1800 | चयन | 45 वर्ष (सरकारी सेवको के लिए (शिथिलनीय) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा मे लागू होगीं या नही | परिवीक्षा की कालावधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>(i) यात्रिकी/वैद्युत/सिविल/कृषि इंजीनियरी/पैट्रोलियम तकनीक में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य।<br>(ii) मैकनिकल ड्रिलिंग रिग्स के प्रयोग का करीब दस वर्ष का अनुभव जिसमें 5 वर्ष कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न होने वाला जिम्मेदार हैसियत में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, (संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में योग्यताएं।<br>वांछनीय : (1) विभिन्न निर्माणों में ड्रिलिंग के लिये प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के विशेष यंत्रों का ज्ञान।<br>(2) जल-कूपों के ड्रिलिंग तथा ड्रिलिंग उपकरणो के प्रचालन एंव रख-रखाव के सब पहलुवों का ज्ञान। | नही | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा । | यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | **प्रोन्नति :**<br>परियोजना निरीक्षक जिनके न हो सकने पर कार्यपालक इंजीनियर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा है ।<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>अधीक्षक इंजीनियर की पंक्ति के अधिकारी, या कार्यपालक इंजीनियर, जिनकी उस रूप में 5 वर्ष की सेवा हो और जिन्हे मैकैनिकल ड्रिलिंग रिग्स के प्रयोग करने का केन्द्रीय/राज्य सरकार मे करीब दस वर्ष का अनुभव हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष से अनधिक) | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| कार्यपालक इंजीनियर | सात | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | रु० 700-40-1100-50/2-1250 | चयन | 45 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| आवश्यक<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/वैतद्यु/सिविल/कृषि इंजीनियरी में उपाधि या पैट्रोलियम तकनीक में उपाधि या समतुल्य ।<br>(ii) मैकेनिकल ड्रिलिंग रिग्स के प्रयोग करने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव । (संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में योग्यताएं शिथिलनीय)<br>वांछनीय: ट्यूब वैलस और समवर्गी भूमिगत जल के अन्वेषण का अनुभव । | आयु—नहीं शैक्षिक अर्हता—संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए । | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | प्रोन्नति: सहायक कार्यपालक इंजिनियर जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो ।<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण<br>कार्यपालक इंजीनियर की पंक्ति के अधिकारी या 400-950 रु० के वेतनमान या समतुल्य में सहायक कार्यपालक इंजीनियर जिनकी उस रूप में 5 वर्ष की सेवा हो या 350-900 रु के वेतन मान या समतुल्य में सहायक इंजीनियर जिनकी उस रूप में 7 वर्ष की सेवा हो और जिनका मैकेनिकल ड्रिलिंग रिग्स के प्रयोग का केन्द्रीय/राज्य सरकार में 5 वर्ष का अनुभव हो (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अनधिक) | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 सहायक कार्यपालक इंजीनियर | गठ | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | रु० 400-400-450-30-600-35-670 द०रो० 35-950 | चयन | 40 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/वैद्युत/सिविल/कृषि इंजीनियर में उपाधि या पैट्रोलियम तकनीक में उपाधि या समतुल्य (संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में योग्यताएं शिथिलनीय)<br>वांछनीय: कुआं खुदाने के काम का कुछ अनुभव | नहीं | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा। | प्रोन्नति: भार साधक ड्रिलर (इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के साथ मैट्रिक पास और ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा। | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 कनिष्ठ जलवैज्ञानिकी | सात | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 1 (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | रु० 400–40–800–50–950 | चयन | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय) |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| आवश्यक:—(i) भूविज्ञान में मास्टर की उपाधि या आई०एस० एम० और अनु-प्रायोगिक भूविज्ञान, धनबाद से डिप्लोमा या समतुल्य अर्हताएं,<br>(ii) स्वतंत्र भूवैज्ञानिक मान चित्रण में करीब 3 वर्ष का अनुभव (संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, अन्यथा सुग्रहित अभ्यर्थियों की दशा में योग्यताएं शिथिलनीय)<br>वांछनीय —भूमिगत जल–भूविज्ञान में अनुभव और वारे–हाल डेटों के नमूने देने और निवचन का अनुभव | नहीं | 2 वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति:—केन्द्रीय भूगिगत जल बोर्ड में इस ग्रेड में 3 वर्ष के अनुभव सहित सहायक जल भूविज्ञानी । | वर्ग 1 विभागीय प्रोन्नति समिति | संघलोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 सहायक जल भूविज्ञानी | 28 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग ii (राजपत्रित) (अननुसचिवीय) | रु० 350-25-500-30-590-रु०रो०-30-800-रु० रो० 30-830-35-900 | चयन | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिलनीय) |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| आवश्यक —भूविज्ञान में मास्टर की उपाधि या आई०एस० एम० और अनप्रायोगिक भू-विज्ञान, धनबाद से डिप्लोमा या समतुल्य अर्हता। (संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में योग्यताएं शिथिलनीय) | आयु-नही शैक्षिक अर्हताएं-हां | 2 वर्ष |
| वांछनीय —(i) भू-विज्ञान कार्य का अनुभव (ii) भूमिगत जल का और बोर होल डेटा के नमूने लेने और निर्वचन का सामान्य ज्ञान। | | |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| 33⅓ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 66⅔ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | प्रोन्नति-ज्येष्ट तकनीकी सहायक (जलभू-विज्ञान) जिनकी ग्रेड मे 3 वर्ष की सेवा हो। | वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति। | संघलोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० 7-19/67-टी डब्ल्यू]

एल० एन० लडढा, उप सचिव

## MINISTRY OF SUPPLY

*New Delhi, the 5th February 1972*

**G.S.R. 343.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III Posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 6 of the Directorate General of Supplies and Disposals (Regional Offices—Class III Posts) Recruitment Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely:—

"6. *Disqualifications.*—No person—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

"Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule."

3. After rule 7 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

"8. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

4. In the Schedule to the said rules, for the existing entry in column 5 against each of serial No. 1 and serial No. 2, the entry "By promotion, failing which by direct recruitment, failing which by transfer" shall be substituted.

[No. F. A-12018/2/71-(ESII.)]

## पूर्ति विभाग

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 1972

**जी०एस०आर० 343**-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय श्रेणी 3 पद) के भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय—श्रेणी—3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (प्रादेशिक कार्यालय—श्रेणी—3 पद) भर्ती नियम 1963, (इस के बाद इन्हें उक्त नियम कहा गया है) के नियम 6 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायगा :—

"6. निरहर्ताएं—कोई भी व्यक्ति—

(क) जिस ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिस की पत्नी/जिसका पति जीवित है, या

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा .

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति पर, और जिस व्यक्ति से विवाह किया जाता है, उस पर लागू होने वाले निजी कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति है और यदि वैसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को छूट दे सकती है ।

3. उक्त नियम के नियम 7 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"8. छूट—इन नियमों की कोई बात अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में किए जाने वाले आरक्षणों तथा अन्य रियायातों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।"

4. उक्त नियमों की अनुसूची में क्रम संख्या 1 और क्रम संख्या 2 के कालम 5 की मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर प्रत्येक के लिए "पदोन्नति द्वारा, जो न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, जो न होने पर अन्तरण द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[संख्या फा० ए—12018/2—71—स्थापना—2]

---

*New Delhi, the 18th February 1972*

**G.S.R. 344.**—In pursuance of rule 11 of the Indian Inspection Service (Class I) Rules 1961, the Central Government, after consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following rules further to amend the Indian Inspection Service (Class I—Recruitment by a Competitive Examination) Rules 1963, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Indian Inspection Service (Class I—Recruitment by a Competitive Examination) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Inspection Service (Class I—Recruitment by a Competitive Examination) Rules, 1963;—

(I) in rule 4

(a) under condition (i) relating to 'Nationality', Note—I shall be omitted;

(b) in Condition (ii) relating to 'Age', for Note 3 and Note 4, the following Notes shall be substituted, namely:—

"Note 3—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Note 2 above shall be cancelled if, after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

Note 4—A candidate who, after submitting his application to his department, is transferred to other department/office, will be eligible to compete under departmental age concession for the service, for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application has been forwarded by his parent department."

2. In rule 7, in Sub-rule (1) for the proviso to the second paragraph the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Schedules Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services/posts irrespective of their ranks in the order of merit at the examination."

3. In Appendix II after Item (9) of Note 3, the following item shall be inserted namely:

(10) A candidate taking "Surveying" as subject, whether compulsory or optional, must satisfy the Commission that he has undergone adequate and satisfactory training in Surveying, including practical Surveying equivalent to that given in a fulll course for a Degree or Diploma in Civil Engineering."

[No. F. A-12025/3/71-ESII.]

S. S. KSHETRY, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

जी०एस० आर० 344.—भारतीय निरीक्षण सेवा (श्रेणी–1) नियम, 1961 के नियम 11 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय निरीक्षण सेवा (श्रेणी–1–प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) नियम 1963 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम भारतीय निरीक्षण सेवा (श्रेणी–1–प्रतियोगिता परीक्षण द्वारा भर्ती) संशोधन नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे ।

2. भारतीय निरीक्षण सेवा (श्रेणी–1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भर्ती) नियम, 1963 में

(1) नियम 4 में

(क) "राष्ट्रिकता" से संबंधित शर्त (i) के अधीन टिप्पणी–1 को निकाल दिया जाएगा ।

(ख) "आयु" से संबंधित शर्त (ii) में, टिप्पणी 3 और टिप्पणी 4 के लिए निम्नलिखित टिप्पणियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी 3—किसी भी व्यक्ति की उम्मीदवारी को, जिसे ऊपर की टिप्पणी 2 में उल्लिखित आयु में छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट किया जाता है, रद्द कर दिया जाएगा, यदि वह अपना आवेदन पत्र देने के पश्चात् परीक्षा देने से पूर्व या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा उस की सेवाएं उसके विभाग/कार्यालय द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं । परन्तु, यदि आवेदन-पत्र देने के पश्चात् उस की सेवा अथवा पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा ।

"टिप्पणी 4—कोई अभ्यर्थी, जिसका अपने विभाग को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी अन्य विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरण हो जाता है, उक्त सेवा के लिए विभागीय आयु-छूट के अन्तर्गत प्रतियोगिता में भाग लेने का पात्र होगा, जिसके लिए वह उस स्थिति में पात्र हुआ होता यदि उसका स्थानान्तरण न हुआ होता, बशर्ते कि उसका आवेदन पत्र उस के मूल विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया हो ।

2. नियम 7 के उप-नियम (i) में, दूसरे पैरा के परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि अनुसूचित जातियां अथवा अनुसूचित जन जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, उस सीमा तक जहां तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों को सामान्य स्तर के आधार पर न भरा जा सकता हो, आरक्षित कोटे की इस कमी को पूरा करने के लिये स्तर को शिथिल करके आयोग द्वारा नियुक्ति की सिफारिश की जा सकती है । पर शर्त यह है कि ये अभ्यर्थी इन सेवाओं और पदों पर, परीक्षा में, प्राप्त योग्यता और क्रम का विचार किए बिना, नियुक्ति के योग्य हों ।

3. परिशिष्ट II में, टिप्पणी 3 की मद (9) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

(10) कोई भी व्यक्ति जो "सर्वेक्षण" को अनिवार्य अथवा ऐच्छिक विषय के रूप में लेता है, उसे आयोग को सन्तुष्ट करना पड़ेगा कि उसने सर्वेक्षण का पर्याप्त और सन्तोषजनक, प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसमें व्यावहारिक सर्वक्षण शामिल है जो सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, अथवा डिप्लोमा के पूर्ण पाठ्यक्रम में दिए गए के समकक्ष हो।

[सं० एफ ए–12025/71–स्थापना–2]

शिव शंकर खत्री, अवर सचिव।

---

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

*New Delhi, the 24th January* 1872

**G.S.R. 345.**—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) is hereby published, as required by section 14 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

*Draft Rules*

1. These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft, Rules, 1937, in rule 78-A, for clause (b) of sub-rule (4), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) A single entry ticket shall be valid for entry once only, into such building or part or area as aforesaid."

[No. F. Av.11012/1/71-A.]

## पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 345**—वायुयान नियम, 1937 में और आगे संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने की प्रस्थापना करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथा अपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनका उसके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य है ; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. उक्त प्रारूप के बारे में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि से पूर्व प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

### प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम वायुयान (..... संशोधन) नियम, 1972 होगा।

2. वायुयान नियम, 1937 के नियम 78-क में उप-नियम (4) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) कोई एकल प्रवेश टिकट इस प्रकार के भवने या भाग या उपर्युक्त क्षेत्र में सिर्फ एक बार प्रवेश के लिए विधिमान्य होगा।"

[सं०फा० ए वी–11012/1/71–ए]

*New Delhi, the 15th February* 1972

**G.S.R. 346.**—The following draft of certain rules, further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is published for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

*Draft Rules*

1 These Rules may be called the Aircraft (..... Amendment) Rules, 1972.

2. In the Aircraft Rules, 1937 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 3,—

(a) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:—

"(7A) 'Aircraft accident' means an occurrence associated with the operation of an aircraft which takes place between the time any person boards the aircraft with the intention of flight until such time as all such persons have disembarked, in which:—

(a) any person suffers death or serious injury as a result of being in or upon the aircraft or by direct contact with the aircraft or anything attached thereto; or

(b) the aircraft receives substantial damage";

(b) after clause (29), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(29A) 'incident' means any occurrence associated with the operation of an aircraft, other than an accident, in which the safety of the aircraft has been jeopardised or any situation which could have resulted in serious jeopardy except for the intervention of chance.

(29B) 'inquiry' means the process leading to determination of the cause of an aircraft, accident including completion of the relevant report";

(c) after clause (32), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(32A) 'Investigation' means the gathering together in an orderly manner of factual information and collection of evidence relating to an aircraft accident;

(32B) 'Investigator-in-Charge' means the person which shall include a commission or other body, charged with the responsibility for the organisation conduct and control of an investigation.";

(d) after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:—

"(50A) 'Serious injury' means any injury which—

(1) requires hospitalization for more than forty-eight hours commencing within seven days from the date of injury;

(2) results in a fracture of any bone (except simple fractures of fingers, toes or nose);

(3) involves lacerations which cause severe hemorrhages, nerve, muscle or tendon damage;

(4) involves injury to any internal organ;

(5) involves second or third degree burns or any burns affecting more than *five* percent of the body surface";

(e) after clause (52), the following clause shall be inserted, namely:—

"(52A) 'State of Registry' means the country on whose register the aircraft is registered.";

(f) after clause (53), the following clause shall be inserted, namely:—

"(53A) 'substantial damage' means damage or structural failure which adversely affects the structural strength, performance or flight characteristics of the aircraft and which would normally require major repair or replacement of the affected component, but does not include—

(i) engine failure;

(ii) damage limited to an engine, bent fairings or cowling;

(iii) dented skin;

(iv) small punctured holes in the skin or fabric;

(v) taxing damage to propeller blades;

(vi) damage to tyres, engine accessories, brakes or wing tips."

3. In Part X of the said rules, for the heading "Investigation of Accidents", the heading "Aircraft Accident Inquiry" shall be substituted.

4. For rules 68 and 69 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"68. *Notice of Aircraft accident.*—(1) Where an accident occurs, the person in command of the aircraft or, if he is killed or incapacitated, the owner, the operator, the hirer or other person on whose behalf he was in command of the aircraft, as the case may be, shall—

(a) send notice thereof to the Director-General, and

(b) give information to the District Magistrate and the Officer-in-Charge of the nearest police station.

(2) The notice and information shall be sent as soon as possible and by the quickest means available and in any case within twenty-four hours of the occurrence of the accident.

(3) The notice to the Director-General shall contain the following information, namely:—

(i) the identifying abbreviation 'ACCID';

(ii) the type, model, nationality and registration marks of the aircraft;

(iii) the name of the owner, operator and hirer, if any, of the aircraft;

(iv) the name of the pilot-in-command;

(v) the names and description of the crew of the aircraft;

(vi) the nature and purpose of the flight;

(vii) the date and time (GMT) of the accident;

(viii) the last point of departure and the next point of intended landing of the aircraft;

(ix) the position of the aircraft with reference to some easily defined geographical point and latitude and longitude;

(x) the number of crew and passengers aboard killed and seriously injured; others killed and seriously injured;

(xi) the nature of the accident and the extent of damage to the aircraft so far as is known; and

(xii) the physical characteristics of the area of the accident.

68-A. *Central Government to send notice of accidents.*—(1) The Central Government may send notice of an aircraft accident occurring in or over the territory of India to the State in which the aircraft was manufactured and to the International Civil Aviation Organisation—if deemed necessary—

(a) In case the accident is to a transport aircraft registered in India;

(b) in case the accident is to an aircraft (other than a transport aircraft) registered in India, if the accident is of a nature involving airworthiness or matters of exceptional interest in the promotion of aviation safety.

(2) When matters directly affecting safety are involved the notice under sub-rule (1) shall be sent as soon as the information is available and by the quickest means, and in other cases by airmail.

69. *Report on accidents or incidents.*—(1) If an aircraft registered in India is involved in an accident (whether or not it is required to be notified under rule 68) or in an incident, the Operator shall immediately cause a thorough inquiry to be carried out by a Safety Officer designated for the purpose by the Operator and approved by the Director-General, into the cause of the accident or incident, as the case may be.

(2) The Director-General may, at any time, for reasons to be recorded in writing, withdraw his approval in regard to the Safety Officer designated by an Operator but may appoint another Safety Officer to conduct the enquiry either *de novo* or from the stage upto which it was conducted by his predecessor as may be directed by the Director-General.

(3) (a) The Safety Officer shall, for the purpose of the inquiry referred to in sub-rule (1), have power to issue summons under his hand requiring the attendance of any member of the crew of the aircraft involved or any other person who was an employee of the operator at the time the accident or the incident took place and to examine such member or person.

(b) The Safety Officer may require any such member or person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him.

(4) The Safety Officer shall continue his inquiry under this rule notwithstanding that an inquiry is being carried out in respect of the accident or the incident under rules 71, 74 or 75:

Provided that the inquiry by the Safety Officer shall not interfere with any inquiry which may be carried out in accordance with rules 71, 74 or 75, and the Safety Officer shall comply with any of the directions that may be given to him by the Inquiry Officer, Committee of Inquiry or the Court, as the case may be.

(5) The Director-General or any Officer authorised by him in this behalf, the Inquiry Officer, the Committee of Inquiry or the Court may require the operator to furnish a report in writing of the accident or incident as investigated by the Operator or the Safety Officer under sub-rule (1) along with all the evidence collected by him in connection with the inquiry.

(6) The Director-General or any Officer authorised by him in this behalf, may direct a further inquiry by the operator, either generally or as to any part thereof, if after scrutiny of the report, he is of opinion that the accident or the incident requires further inquiry from some aspects which have not aleady been covered.

69-A. *Summary of the report to be sent to the International Civil Aviation Organisation.*—In the case of an accident occurring in India involving an aircraft registered in India, the Director-General shall send to the International Civil Aviation Organisation three copies of the summary of the report furnished to him under rule 69 if it contains matter of exceptional intereste in the promotion of aviation safety.

5. In rule 70 of the said rules,—

(a) In sub-rule (1), after the words 'authority of the Director-General', the words 'or any officer authorised by him in this behalf by general or special order' shall be inserted;

(b) In sub-rules (2) and (3), after the words 'Director-General', the words 'or any officer authorised by him in this behalf by general or special order' shall be inserted.

6. For rules 71 to 77 of the said rules, the following rules shall be substituted, namely:—

"71. *Inquiry by Inquiry Officer.*—(1)(a) The Director-General may order an inquiry by an Inquiry Officer, of any incident or accident involving an aircraft whether such accident is required to be notified under rule 68 or not.

(b) An inquiry ordered under this rule shall include the investigation and the obtaining and recording of all available relevant information, the analysis of the evidence, the determination, if possible, of the cause, the completion of the report and the making of recommendations where appropriate.

(c) Where the Central Government considers it necessary to appoint a Committee of Inquiry under rule 74 or a Court of Inquiry under rule 75 the Director-General shall designate the Inquiry Officer as the Investigator-in-Charge who shall then continue the investigation and assist the Committee of Inquiry or Court of Inquiry in any manner required by it.

*Explanaton.*—'Inquiry Officer' for the purpose of this rule means an officer of the Air Safety Directorate of the Civil Aviation Department or any other person appointed by the Director-General in this behalf by general or special order for the purpose of carrying out the inquiry.

(2) The inquiry referred to in sub-rule (1) may be held in private depending on the circumstances of each case.

(3) The inquiry shall be conducted in such a manner that if balance is attributed or is likely to be attributed to any person or organisation, the Inquiry Officer shall, except where he considers it not practicable to give notice for reasons to be recorded by him in writing, give notice to the person or organisation why the blame may not be attributed to him or to the organisation, and thereupon the person or the organisation may be given a reasonable opportunity of making any statement or giving any evidence or producing witnesses on his or its behalf.

(4) A public notice that such an Inquiry is being conducted may be given by the Director-General in such manner as he may think fit and every such public notice shall state that any person who may desire to make representation concerning the circumstances or causes of the incident or accident may do so in writing within the time specified in the notice.

(5) The Inquiry Officer shall make a report to the Director-General stating all relevant facts with regard to the incident or accident and his conclusions with regard to the causes of the incident or accident, and making any observations and recommendations which he may think fit to make with a view to preservation of life and avoidance of similar incidents or accidents in future.

(6) The Director-General shall forward the report of the Inquiry Officer to the Central Government with such comments as he may think fit to make, and the Central Government, may, at its discretion, make the whole or part of any such report public in such manner as it may consider fit

(7) The Director-General may, in any case where the inquiry by the Inquiry Officer has been held, direct a re-hearing of the same inquiry, either generally or as to any part thereof, and shall do so if new and important evidence, which could not be produced at the time of the initial inquiry, has been discovered.

(8) Every person summoned by the Inquiry Officer, as a witness, in accordance with this rule, shall be allowed such expenses as the Director-General may, from time to time, determine:

Provided that, in the case of the owner or hirer of any aircraft involved in an incident or accident or of any person in his employment or of any other person concerned in the incident or accident, any such expenses may be disallowed if the Director-General in his discretion, so directs.

(9) The powers of the Director-General under this rule may also be exercised by the Director of Air Safety in cases where the Director of Air Safety is himself not the Inquiry Officer, subject to such conditions as the Director-General may prescribe.

72. *Powers of the Inquiry Officer.*—For the purpose of the inquiry referred to in rule 71, the Inquiry Officer shall have powers—

(a) to issue summons under his hand requiring the attendance of any person whom he thinks fit to call before him and to examine him for such purpose and to require answers to any questions which he thinks fit to make;

(b) to require any such person to make and to sign a declaration regarding the true nature of the statements made by him,

(c) to require and enforce the production of all books, papers, documents and articles which he may consider necessary for the inquiry and to retain any such books, papers, documents and articles until completion of the inquiry;

(d) to have unhampered acess to the aircraft or the wreckage and unrestricted control over it to ensure that a detailed examination can be made without delay at the place where the incident or accident occurred, or to any other place the entry to which and examination of which appears to him to be necessary for the purpose of the inquiry;

(e) to examine and test or cause to be examined and tested to the extent necessary component parts of the aircraft and all things that were carried on board the aircraft;

(f) to examine and conduct or cause to be examined and conducted autopsies or such other tests as may be necessary;

(g) to require the assistance of any Medical Officer or any similar agency in the conduct of medical examination and tests necessary for the inquiry;

(h) to require assistance of the police authorities or the Criminal Investigation Department or any investigating agency with respect to the investigation of the activities of any person in connection with the incident or accident;

(i) to require that an aircraft or any part of an aircraft or things on an aircraft involved in an incident or accident should be preserved and not moved except under his instructions.

73. *Inquiry Officer's fee.*—When a person other than an officer of the Government is appointed as an Inquiry Officer he may be granted such fee and expenses as may be determined by the Director-General.

74. *Committee of Inquiry.*—(1)(a) The Central Government may, at its discretion, appoint a Committee of Inquiry composed of two or more persons, to hold an inquiry into an incident or accident in which an aircraft is involved, and such a Committee shall have the same powers as an Inquiry Officer under rule 72.

(b) An inquiry ordered under this rule shall include the investigation and the obtaining and recording of all available relevant information, the analysis of the evidence, the determination, if possible, of the cause, the completion of the report and the making of recommendations where appropriate.

(2) The Committee of Inquiry may, at its discretion, hold the inquiry in public or in private.

(3) The inquiry shall be conducted in such a manner that if blame is attributed or is likely to be attributed to any person or organisation, the Committee shall, except where it considers not practicable to give notice for reasons to be recorded by it in writing, give notice to the person or organisation that the blame may be attributed to him or to the organisation; and thereupon the person or the organisation may be given a reasonable opportunity of making any statement or give any evidence or produce any witnesses on his or its behalf.

(4) A public notice that an inquiry is being conducted may be given by the Central Government in such manner as it may think fit and every such notice shall state that any person who may desire to make representations concerning the circumstances or causes of the incident or accident may do so in writing within the time specified in the notice.

(5) The Committee of Inquiry shall make a report to the Central Government stating all relevant facts with regard to the incident or accident and its conclusions with regard to its causes, and making any observation or recommendation which it may think fit to make with a view to preservation of life and avoidance of similar incidents or accidents in future.

(6) The Central Government may cause the whole or part of any such report of the Committee of Inquiry to be made public in such manner as it may think fit.

(7) The Central Government may, in any case where an inquiry has been held under these rules direct a rehearing of the same inquiry by the Committee, either generally or as to any part thereof, and shall do so if new and important evidence, which could not be produced at the time of the initial inquiry, has been discovered.

(8) When a person, other than an officer of Government is appointed as a member of the Commitee of Inquiry, he may be granted such fee and expenses as may be determined by the Central Government.

(9) Every person summoned by the Committee of Inquiry as a witness in accordance with these rules shall be allowed such expenses as the Central Government may, from time to time, determine:

Provided that, in the case of the owner or hirer of any aircraft involved in an incident or accident or of any person in his employment or any other person concerned in the incident or accident, any such expenses may be disallowed if the Central Government, in its discretion, so directs

75. *Formal Inquiry.*—(1) Where it appears to the Central Government that it is expedient to hold a formal inquiry of an accident, it may, whether or not an inquiry has been made under rules 71 or 74, direct a formal inquiry to be held

(2) An inquiry ordered under this rule shall include the investigation and the obtaining and recording of all available relevant information, the analysis of the evidence, the determination, if possible, of the cause, the completion of the report and the making of recommendations where appropriate.

(3) With respect to such formal inquiry, the following provisions shall apply, namely:—

(a) The Central Government shall appoint a competent person (hereinafter referred to as 'the Court'), to hold the inquiry, and may appoint, one or more persons possessing legal, aeronautical, engineering or other special knowledge to act as assessors and may also direct that the Court and the assessors shall receive such remuneration as it may determine;

(b) The Court shall hold the inquiry in open Court in such manner and under such conditions as it may think most appropriate for ascertaining the causes and circumstances of the accident and for enabling it to make the report.

(c) the Court shall have, for the purpose of the inquiry, all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), and without prejudice to those powers, the Court may—

(i) enter and inspect, or authorise any person to enter and inspect any place or building, the entry or inspection whereof appears necessary for the purposes of the inquiry;

(ii) enforce the attendance of witnesses and compel the production of documents and material objects; and every person required by the Court to furnish any information shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of section 176 of the Indian Penal Code (45 of 1860);

(iii) examine and test or cause to be examined and tested to the extent necessary component parts of the aircraft and all things that were carried on board the aircraft;

(iv) examine and conduct or cause to be examined and conducted autopsies or such other tests as may be necessary;

(v) require the assistance of any Medical Officer or some similar agency in the conduct of medical examination and test necessary for the inquiry;

(vi) require the assistance of the police authorities or the Criminal Investigation Department or any investigating agency with respect to the investigation of the activities of any person in connection with the accident;

(vii) require that an aircraft or any part of an aircraft or things on an aircraft involved in the accident should be preserved and not moved except under instructions of the Court.

(d) the assessors shall have the same powers of entry and inspection as the Court has under clause (c);

(e) the Central Government may, if necessary, appoint the Attorney-General or any other Government Advocate to assist the Court, and to make representations or to examine witnesses, if it appears expedient to do so in the public interest;

(f) the inquiry shall be conducted in such manner that if blame is attributed or is likely to be attributed to any person or organisation, the Court shall, except where it considers it not practicable to give notice for reasons to be recorded by it in writing, give notice to the person or organisation that the blame may be attributed to him or to the organisation; and thereupon the person or the organisation may be given a reasonable opportunity of making any statement or give any evidence or produce any witnesses on his or its behalf;

(g) every person attending as a witness before the Court shall be allowed such expenses as the Court may consider reasonable:

Provided that in the case of the owner or hirer of any aircraft involved in the accident or of any person in his employment or of any other person concerned in the accident, any such expenses may be disallowed if the Court, in its discretion, so directs;

(h) the Court shall make a report to the Central Government stating its findings as to the causes of the accident and the circumstances thereof any making any observations or recommendations which the Court thinks fit to make with a view to the preservation of life and avoidance of similar accidents in future;

(i) the assessors (if any) shall, either sign the report with or without reservations, or state in writing their dissent therefrom and their reasons for such dissent and reasons (if any) shall be forwarded to the Central Government with the report. The Central Government may cause any such report and reservations or dissent and reasons (if any) to be made public, wholly or in part, in such manner as it thinks fit;

(j) the Central Government may, in any case, where a formal inquiry has been held, direct a rehearing of the same inquiry by the Court, either generally or as to any part thereof, and shall do so if new and important evidence, which could not be produced at the time of initial inquiry, has been discovered.

76. *Accident to aircraft registered in a foreign State occurring in or over the territory of India.*—(1) (a) When an accident to an aircraft registered in a country other than India occurs in or over the territory of India, the Director-General shall, with the minimum delay and by the quickest means, send a notice of the accident in accordance with sub-rule (2) of rule 68 to the State of Registry and the State in which the aircraft was manufactured.

(b) In the case of turbine-engined aircraft, the notice shall specify whether the State in which the aircraft was manufactured should participate in the inquiry.

*Explanation*—For the purposes of this rule, the expression "State in which the aircraft was manufactured" includes a State or States in which the aircraft or major components of it was or were manufactured or the State that first certified the type.

(2) The Director-General designate the investigator-in-charge and shall initiate an investigation immediately and the investigator-in-charge shall have the same powers as the Inquiry Officer under rule 72.

(3) The representatives of the Operator may be permitted to attend the investigation in order that they may make an effective contribution, to it and the attendance of such representatives shall be arranged through the State of Registry.

(4) The Central Government shall institute an inquiry into the circumstances of the accident unless it decides to delegate the whole or part of the conduct of such inquiry to the State of Registry and in any event the Central Government shall use every means to facilitate the Inquiry.

(5) An Inquiry ordered under this rule shall include the investigation and obtaining and recording of all available relevant information, the analysis of the evidence, the determination, if possible, of the cause of accident, the completion of the report and the making of recommendations where appropriate.

(6) (a) The State of Registry shall be entitled to appoint an accredited representative at the inquiry. The State in which the aircraft was manufactured shall be entitled to appoint an accredited representative to be present at the inquiry into an accident to a *turbine-engined aircraft unless it is specifically indicated* in the initial notification of the accident that its participation is un-necessary.

(b) If information relevant to the inquiry is furnished, on request, by a Contracting State, that State shall also be entitled to appoint an accredited representative.

(7) (a) If a request is received from the State of Registry or the State in which the aircraft was manufactured, that the aircraft, its contents and any other evidence should remain in safe custody and lie undisturbed pending inspection by an accredited representative of the State of Registry or the State in which the aircraft was manufactured, as the case may be, the Central Government shall, subject to compliance with the provisions of rule 70, take all necessary steps, to comply with such request, so far as this is reasonably practicable and compatible with the proper conduct of the inquiry, and does not result in undue delay in returning the aircraft to service, where this is practicable.

(b) Such safe custody shall include reasonable protection against further damage, access by unauthorised persons, pilfering and deterioration, and also preservation by photographic record or other adequate means of any material evidence which might be removed, effected, lost or destroyed.

(8) (a) Subject to compliance with the provisions of rule 70 and sub-rule (7), the aircraft, its contents or any parts thereof which are no longer necessary for the purpose of an inquiry, may be released to any person or persons duly designated by the State of Registry and for this purpose, access to the aircraft, its contents or any parts thereof, to such person or persons shall be facilitated.

(b) In case the aircraft, its contents or parts thereof lie in an area within which it is impracticable to grant such access their removal to a point of access shall be effected by the Central Government.

(9)(a) The Central Government shall forward all subsequent notification or notice of the accident involving a transport aircraft to the State of Registry, to the State in which the aircraft was manufactured, to the State otherwise entitled to appoint an accredited representative and to the International Civil Aviation Organization.

(b) When matters directly affecting safety are involved the notification or notice shall be sent as soon as the information is available and by the quickest means and in other cases the notification or notice shall be sent by airmail.

(c) The notification or notice referred to in clauses (a) and (b) above shall also contain the following further particulars:—

(i) physical characteristics of the accident area;

(ii) progress of investigation including whether any significant facts have been established;

(iii) precautionary action already taken or proposed to be taken;

(iv) indication whether the participation of the State in which the aircraft is manufactured is necessary or not.

(10)(a) An accredited representative of the State in which the aircraft was manufactured or of the State of Registry shall be permitted to participate in the inquiry.

(b) A State entitled to appoint an accredited representative shall also be entitled to appoint advisers to assist such a representative in the inquiry, and the adviser or advisers may participate in the inquiry, under the supervision of the accredited representative so as to make his participation effective.

(11) Participation in the inquiry shall confer entitlement to:

(a) visit the scene of the accident;

(b) examine the wreckage;

(c) question witnesses;

(d) have full access to all relevant evidence;

(e) be provided with copies of all pertinent documents relating to the investigation; and

(f) make submissions in respect of the report of the inquiry:

Provided that the participation of the accredited representatives and the assistance of the advisers of a State other than the State of Registry and the State in which the aircraft was manufactured, may be limited to those matters which entitle such a State to participation.

(12) The Central Government shall, if considered necessary, send, before publishing, a copy of the report containing the findings of the inquiry or part thereof together with the relevant information upon which the conclusions were based, to the State of Registry, the State in which the aircraft was manufactured and any other State that may have supplied information relevan tto the inquiry.

(13) The Central Government shall send three copies of the summary of the report into an accident involving aircraft engaged in commercial air transport operations or into an accident from which information likely to contribute to the promotion of aviation safety can be obtained, to the International Civil Aviation Organization.

76A. *Accident to aircraft registered or manufactured in India occurring in or over the territory of a foreign State.*—(1) Upon receipt of the initial notification from a foreign country that an aircraft registered in India has been involved in an accident, the Central Government shall, as soon as possible, supply the State in which the accident occurred with information available with it regarding the aircraft and the flight crew involved in the accident.

(2) If the initial notification about an accident from a foreign country relating to an aircraft manufactured in India does not contain an indication that its participation is unnecessary, the Central Government shall inform the State in which the accident occurred whether it intends to be represented at the inquiry and if so, shall appoint an accredited representative.

(3) When the State conducting an inquiry, so requests in the case of an accident involving an aircraft manufactured in India, the Central Government shall direct an acoredited representative to be present and to participate at the inquiry, unless it is impracticable to do so.

(4) The Central Government shall order an inquiry in connection with an accident involving an aircraft registered in India whenever the location of the accident cannot definitely be established as being in the territory of another State.

(5) (a) When an accident involving an aircraft registered in India occurs in the territory of a state which is not a Contracting State, the Central Government shall order an inquiry in cooperation with the State in which the accident occurs, but failing such cooperation, shall itself order an inquiry to be conducted on the basis of such information as is available.

(b) An inquiry ordered under this rule shall include the investigation and the obtaining and recording of all available relevant information, the analysis of the evidence, the determination, if possible, of the cause, the completion of the report and the making of recommendations where appropriate.

76B. *Accident to aircraft registered in a foreign State occurring in or over the territory of a country other than India.*—In the case of an inquiry into an accident, to such an aircraft which was engaged in navigation in or over India, if a request is received from the State conducting the inquiry, the Central Government shall furnish that State with all the relevant information available to it, and, in such cases, shall be entitled to appoint an accredited representative.

76C. *Obstruction of proceedings.*—(1) No person shall obstruct or impede the Court or a member of the Committee of Inquiry or an Inquiry Officer or an assessor or any person acting in the exercise of any powers or duties imposed under the rules in this Part from performing its or his such duties.

(2) No person shall, without reasonable excuse (the burden of proving which shall lie on him), fail to comply with any summons or requisition issued under these rules by a Court or Committee of Inquiry or an Inquiry Officer holding an investigation or an inquiry.

(3) No person, when called upon to give evidence before an Inquiry Officer or a Committee of Inquiry or a Court of Inquiry, shall give information which is false or which he knows to be false or believes to be false or does not believe to be true.

7. For rule 77-A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"77. *Saving.*—Nothing in this Part shall limit the power of the Central Government, which may, without prejudice to any other action that may be taken by it, cancel or suspend or endorse any licence or certificate issued under the rules to any person, who violates the provisions of any of the rules in this Part."

8. In Schedule VI to the said rules, under the headings "Nature of offence" and "Relevant rule or rules" in the 1st and the 2nd column respectively.

(a) for the entries relating to item "17", the following entries shall be substituted, namely:—

| | |
|---|---|
| "Aircraft accident inquiry. Contravention of any rules relating to aircraft accidents inquiry. | The rules in Part X of the Aircraft Rules, 1937." |

(b) the entries relating to item "18" shall be omitted.

[No. F. 10-A/43-67.]

S. N. KAUL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 फरवरी 1972

सा०का०नि० 346.—वायुयान नियम, 1937 का अतिरिक्त संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिन्हें केन्द्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है, उन सब व्यक्तियों की जानकारी के लिए जो उससे प्रभावित हो सकते हैं, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने पश्चात् विचार किया जाएगा ।

2. उन आक्षपों या सुझावों पर जो उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त हों, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों को वायुयान ( ..... संशोधन) नियम, 1972 कहा जा सकेगा ।

2. वायुयान नियम, 1937 में (जिन्हें इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के उप-नियम (1) में —

(क) खण्ड 7क के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(7क) 'वायुयान दुर्घटना' से वायुयान के प्रचालन से सहयुक्त ऐसी घटना अभिप्रेत है जो उड़ान के आशय से वायुयान में किसी व्यक्ति के सवार होने के समय से लेकर तब तक जब तक कि ऐसे सब व्यक्ति उतर नहीं जाते हैं, घटित होती है और जिसमें :—

(क) किसी व्यक्ति की मत्यु या उसको गम्भीर क्षति, उसके वायुयान में या वायुयान के ऊपर होने के परिणामस्वरूप या वायुयान या उससे उपाबद्ध किसी वस्तु के साथ उसका सीधा संस्पर्श होने के कारण होती है ; या

(ख) वायुयान को सारवान् नुकसान पहुंचता है;

(ख) खण्ड (29) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(29क) 'घटना' से दुर्घटना से अन्यथा वायुयान के प्रचालन से सहयुक्त ऐसी घटना जिसमें वायुयान की सुरक्षा जोखिम में पड़ गई हो या ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर जोखिम उत्पन्न हो जाता यदि संयोग से वह स्थिति टल न गई होती ।

(29ख) 'जांच' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा वायुयान दुर्घटना का कारण अवधारित किया जाए और जिसके अन्तर्गत सुसंगत रिपोर्ट का पूरा किया जाना भी है ।"

(ग) खण्ड (32) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(32क) 'अन्वेषण' से वायुयान दुर्घटना के बारे मे तथ्यमूलक जानकारी को सुनियोजित रीति से एकत्रित करना और तत्सम्बन्धी साक्ष्य का संग्रहण अभिप्रत है ।

(32ख) 'भारसाधक अन्वेषक' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत ऐसा आयोग या अन्य निकाय है जिस पर अन्वेषण के संगठन संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी रखी गई हो ।

(घ) खण्ड (50) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(50क) 'गम्भीर क्षति' से ऐसी कोई भी क्षति अभिप्रेत है —

(1) जिसके कारण क्षति की तारीख से सात दिन के भीतर प्रारम्भ होने वाले अड़तालीस घंटे से अधिक अस्पताल में भर्ती रहना अपेक्षित हो ।

(2) जिसके परिणामस्वरूप किसी हड्डी का (उंगलियों, पैर की उगलियों या नाक के सादा अस्थि भंग को छोड़कर) अस्थि भंग हो गया हो;

(3) जिसके साथ ऐसे विदीर्ण घाव भी हैं जिनसे तीव्र रक्त स्राव तन्त्रिक पेशी या स्नायु क्षति घटित हो गई हो ;

(4) जिनके साथ आन्तरिक अग की क्षति भी है;

(5) जिसके साथ द्वितीय या तृतीय डिग्री के छाले या ऐसे छाले भी है जिनसे शरीर की सतह का 5 प्रतिशत से अधिक भाग प्रभावित हो गया हो" ।

(ङ) खण्ड 52 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(52क) 'रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाला राज्य' से वह देश अभिप्रेत है जिसके रजिस्टर पर वायुयान रजिस्ट्रीकृत है ;"

(च) खण्ड (53) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(53क) 'सारभूत नुकसान' से ऐसा नुकसान या संरचना मूलक निष्फलता अभिप्रेत है जिससे वायुयान की संरचनामूलक शक्ति कार्यकुशलता या उड़ान विषयक विशेषताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो और जिसके हो जाने पर प्रसामान्यतः भारी मरम्मत या प्रभावित संघटक की तब्दीली अपेक्षित हो, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है —

(i) इंजिन का ठप्प हो जाना;

(ii) इंजिन बैट फेयरिंगस या काउलिंग तक सीमित क्षति;

(iii) पिचकी हुई चादर;

(iv) चादर या ढांचे में छोट छोट बेधन छिद्र;

(v) नोदक पंखों को उड़ान के पहले या बाद में जमीन पर छोड़ने में हुई क्षति ;

(vi) टायरों इंजिन के उपांगों ब्रेकों या पंखों की नोकों को क्षति ।"

3. उक्त नियमों के भाग 10 में "दुर्घटनाओं का अन्वेषण" शीर्षक के स्थान पर "वायुयान दुर्घटना जांच" शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के नियम 68 और 69 के स्थान पर निम्न-लिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"68 वायुयान दुर्घटना की सूचना

(1) जहां कोई दुर्घटना घटित होती है वहां वायुयान का समादेशन करने वाला व्यक्ति अथवा यदि वह मर गया है या असमर्थ हो गया है तो यथास्थिति स्वामी प्रचालक भाड़े पर लेने वाला या अन्य व्यक्ति जिसकी ओर से वह वायुयान समादेशन कर रहा था —

(क) उसकी सूचना महानिदेशक को भेजेगा, और

(ख) उसकी इत्तिला जिला मजिस्ट्रेट और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा ।

(2) यह सूचना और इत्तिला यथासम्भव शीघ्र और उपलब्ध साधनों में से सबसे तीव्र गति वाले साधनों से और किसी भी दशा में दुर्घटना के घटित होने के 24 घंटे के भीतर भेजी जाएगी ।

(3) महानिदेशक को भेजी जाने वाली सूचना में निम्न-लिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात्:—

(i) पहचान का संक्षेपाक्षर 'ए० सी० सी० आई० डी०';

(ii) वायुयान का टाइप, मॉडल, राष्ट्रिकता और रजिस्ट्रीकरण के चिन्ह;

(iii) वायुयान का यदि कोई स्वामी, प्रचालक और भाड़े पर लेने वाला हो तो उसका नाम;

(iv) समादेशक पाइलट का नाम;

(v) वायुयान के कर्मीदल के नाम और विवरण;

(vi) उड़ान की किस्म और प्रयोजन;

(vii) दुर्घटना की तारीख और समय (ग्रीनविच मीन टाइम);

(viii) वायुयान के प्रस्थान का अन्तिम स्थल और अभिप्रेत अवतारण का आगामी स्थान;

(ix) ऐसे भौगोलिक तथ्य जिसका पता बातना आसान हो तथा अक्षांश और रेखांश के प्रति निर्देश से वायुयान की स्थिति;

(x) वायुयान पर सवार कर्मीदल और यात्री जो मर गए हों तथा गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हों उनकी संख्या; दूसरे लोग जो मर गए हों तथा गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हों;

(xi) दुर्घटना की प्रकृति और वायुयान को हुई क्षति का विस्तार जहां तक ज्ञात हो; और

(xii) दुर्घटना क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं ।

68-क. **केन्द्रीय सरकार को दुर्घटना की सूचना भेजना :**

(1) केन्द्रीय सरकार, भारत के राज्य क्षेत्र में और उसके बाहर घटित होने वाली वायुयान दुर्घटना की सूचना, उस राज्य को जिसमें वायुयान विनिर्मित हुआ था और निम्नलिखित दशाओं में, यदि आवश्यक समझा जाए तो अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेज सकेगी—

(क) उस दशा में जबकि दुर्घटना भारत में रजिस्ट्रीकृत परिवहन वाययान के साथ हुई है;

(ख) उस दशा में जबकि दुर्घटना भारत में रजिस्ट्रीकृत (परिवहन वायुयान से भिन्न) वायुयान के साथ हुई है यदि दुर्घटना इस प्रकार की है कि जिसके साथ उड़न योग्यता या विमानन सुरक्षा की प्रोन्नति की दृष्टि से असाधारण रुचि वाले विषय सम्बद्ध हैं ।"

(2) जब सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले विषय अन्तर्वलित हों तब उप-नियम (1) के अधीन सूचना मिलते ही सूचना सबसे तीव्र गति वाले साधन से और अन्य दशाओं में हवाई डाक द्वारा भेजी जाएगी ।

69. **दुर्घटनाओं या घटनाओं की रिपोर्ट :**—

(1) यदि भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई वायुयान दुर्घटना (चाहे उसका अधिसूचित किया जाना नियम 68 के अधीन अपेक्षित हो या नहीं) या घटना की चपेट में आता है तो प्रचालक यथास्थिति दुर्घटना या घटना के कारणों की पूरी पूरी जांच उस प्रयोजन के लिए स्वयं द्वारा पदाभिहित और महानिदेशक द्वारा अनुमोदित सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरन्त कराएगा ।

(2) महानिदेशक, प्रचालक द्वारा पदाभिहित सुरक्षा अधिकारी के बारे में अपना अनुमोदन अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए किसी भी समय वापस ले सकेगा किन्तु जांच का संचालन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से जहां तक वह जांच उसके पूर्वाधिकारी द्वारा की गई हो, जैसा भी महानिदेशक निर्देशित करे, करने के लिए एक अन्य सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त कर सकेगा ।

(3) (क) सुरक्षा अधिकारी को उपनियम (1) में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजन के लिए चोट में आए वायुयान के कर्मीदल के किसी सदस्य की या किसी अन्य व्यक्ति की, जो उस समय जबकि दुर्घटना या घटना घटित हुई थी प्रचालक का कर्मचारी रहा हो हाजिरी की अपेक्षा करने वाले समन अपने हस्ताक्षर से जारी करने और ऐसे सदस्य या व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति होगी ।

(ख) सुरक्षा अधिकारी, ऐसे किसी सदस्य या व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं द्वारा किए गए कथनों के सही होने के बारे में घोषणा करे और उस पर हस्ताक्षर करे ।

(4) सुरक्षा अधिकारी, इस नियम के अधीन अपनी जांच इस बात के होते पर भी जारी रखेगा कि दुर्घटना या घटना के बारे में कोई जांच नियम 71, 74 या 75 के अधीन की जा रही है :

परन्तु सुरक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही जांच से, ऐसी किसी जांच में जो नियम 71, 74 या 75 के अनुसार की जा रही हो हस्तक्षेप नहीं होने दिया जाएगा और सुरक्षा अधिकारी ऐसे किसी निदेश का पालन करेगा जो उसे यथास्थिति जांच अधिकारी, जांच समिति या न्यायालय द्वारा दिया जाए ।

(5) महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जांच अधिकारी, जांच समिति या न्यायालय, प्रचालक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह दुर्घटना या घटना की लिखित रिपोर्ट जैसी कि उपनियम (1) के अधीन प्रचालक या सुरक्षा अधिकारी द्वारा अन्वेषण करके दी गई हो उस सब साक्ष्य के साथ जो जांच के बारे में उसके द्वारा एकत्र किया गया हो, भेजे ।

(6) महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, यदि रिपोर्ट की छानबीन करने के बाद यह राय है कि ऐसे कुछ पहलुओं से जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया है दुर्घटना या घटना की और जांच करने की अपेक्षा है तो वह या तो साधारणतया या उसके किसी भाग के बारे में प्रचालक द्वारा जांच किए जाने का निदेश दे सकेगा ।

69-क. **अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर संक्षेप :** भारत में घटित होने वाली ऐसी दुर्घटना की दशा में जिसकी चपेट भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान आ गया है महानिदेशक उस रिपोर्ट के संक्षेप की तीन प्रतियां जो उसे नियम 69 के अधीन दी गई हैं अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को तब भेजेगा जबकि उसमें विमानन सुरक्षा की प्रोन्नति की दृष्टि से असाधारण रुचि वाली कोई बात हो ।

5. उक्त नियमों के नियम 70 में—

(क) उपनियम (1) में, 'महानिदेशक के प्राधिकार' शब्दों के पश्चात् 'अथवा साधारण या विशेष आदेश से उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) और (3) में 'महानिदेशक', शब्दों के पश्चात् 'अथवा साधारण या विशेष आदेश से उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी' शब्द अन्त स्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त नियमों के नियम 71 से 77 के स्थान पर निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"71. जांच अधिकारी द्वारा जांच—(1) (क) महानिदेशक किसी दुर्घटना या घटना की जिसमें वायुयान शामिल है चाहे ऐसी दुर्घटना का नियम 68 के अधीन अधिसूचित किया जाना अपेक्षित हो या नहीं, किसी जांच अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दे सकेगा ।

(ख) ऐसी जांच के अन्तर्गत जिसका आदेश इस नियम के अधीन दिया गया है अन्वेषण, सब उपलभ्य सुसंगत जानकारी प्राप्त करना और अभिलिखित करना, साक्ष्य का विश्लेषण, यदि सम्भव हो तो कारण का अवधारण, रिपोर्ट का पूरा करना और जहां उचित हो सिफारिश करना है ।

(ग) जहां केन्द्रीय सरकार नियम 74 के अधीन जांच समिति या नियम 75 के अधीन जांच न्यायालय नियुक्त करना आवश्यक समझती है वहां महानिदेशक जांच अधिकारी को भारसाधक अन्वेषक पदाभिहित करेगा जो तब अन्वेषण को जारी रखेगा और जांच समिति या जांच न्यायालय की सहायता ऐसी किसी रीति में करेगा जिसकी इसके द्वारा अपेक्षा की जाए ।

स्पष्टीकरण—'जांच अधिकारी' से इस नियम के प्रयोजन के लिए, नागर विमानन विभाग का वायु सुरक्षा निदेशालय का अधिकारी या महानिदेशक द्वारा जांच का संचालन करने के प्रयोजन के लिए साधारण या विशेष आदेश से इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट जांच अलग-अलग मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट तौर पर की जा सकेगी ।

(3) जांच ऐसी रीति में की जाएगी कि यदि दोषारोप किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है या लगाए जाने की सम्भावना है तो जांच अधिकारी उस व्यक्ति या संगठन को इस बात की सूचना कि यह दोषारोप उस पर या उस संगठन पर क्यों न लगाया जाए उस दशा के सिवाय देगा जिसमें वह अपने द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह समझता है कि सूचना देना साक्ष्य नहीं है, और ऐसा होने पर उस व्यक्ति या संगठन को अपनी ओर से कोई भी कथन करने या कोई साक्ष्य देने या साक्षी पेश करने कायुक्तियुक्त अवसर दिया जा सकेगा।

(4) यह लोक सूचना कि जांच की जा रही है महानिदेशक द्वारा ऐसी रीति से दी जा सकेगी जैसा कि वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसी सूचना में यह कथित होगा कि कोई भी व्यक्ति जो घटना या दुर्घटना की परिस्थितियों या कारणों के सम्बन्ध में व्यपदेशन करना चाहे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिखित रूप में ऐसा कर सकेगा।

(5) जांच अधिकारी महानिदेशक को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह घटना या दुर्घटना के सम्बन्ध में सब सुसंगत तथ्य और घटना या दुर्घटना के कारणों के सम्बन्ध में अपने निश्चय कथित करेगा और जीवन के परीक्षण के तथा ऐसी ही घटनाएं या दुर्घटनाएं भविष्य में न होने देने के विचार से ऐसी बातें बताएगा और सिफारिश कर देगा जैसी कि वह उचित समझे।

(6) महानिदेशक जांच अधिकारी की रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी टिप्पणियों के साथ भेजेगा जैसी वह उचित समझे और केन्द्रीय सरकार किसी भी ऐसी रिपोर्ट को सम्पूर्ण या उसके एक भाग को स्वविवेकानुसार ऐसी रीति में सर्व सुलभ कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे।

(7) महानिदेशक, ऐसे किसी मामले में जिस में जांच अधिकारी द्वारा जांच हो चुकी है या तो सामान्य रूप से या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में उसी जांच की फिर से सुनवाई का निदेश दे सकेगा और यदि नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का जो आरम्भिक जांच के समय पेश नहीं किया जा सकता था पता चला है तो ऐसा करेगा।

(8) जांच अधिकारी द्वारा इस नियम के अनुसार साक्षी के रूप में समन किए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसे खर्च अनुज्ञात किए जा सकेंगे जैसे कि महानिदेशक समय-समय पर अवधारित करे।

परन्तु किसी घटना या दुर्घटना में शामिल वायुयान के स्वामी या उसे भाड़े पर लेने वाले को या उसके नियोजन में के किसी व्यक्ति या घटना अथवा दुर्घटना से सम्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति की दशा में कोई भी ऐसा खर्च अननुज्ञात किया जा सकेगा यदि महानिदेशक स्वविवेकानुसार, ऐसा निदेश दें।

(9) इस नियम के अधीन महानिदेशक की शक्तियों का प्रयोग, ऐसे मामलों में जिनमें वायु सुरक्षा निदेशक ही स्वयं जांच अधिकारी नहीं है, वायु सुरक्षा निदेशक द्वारा भी ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये किया जा सकेगा जैसी कि महानिदेशक विहित करे।

**72. जांच अधिकारी की शक्तियां**—नियम 71 में निर्दिष्ट जांच के प्रयोजन के लिए जांच अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के लिए जिसे वह अपने समक्ष बुलाना उचित समझता है अपने हस्ताक्षर से समन जारी करना और इस प्रयोजन के लिए उसकी परीक्षा करना और ऐसे किन्हीं प्रश्नों के उत्तर मांगना जिन्हें पूछना वह उचित समझता है,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति से इस बात की अपेक्षा करना कि जो कथन उसने किया है उसके सही होने के बारे में वह घोषणा करे और घोषणा पर हस्ताक्षर करे।

(ग) ऐसी सब पुस्तकों, कागजपत्रों, दस्तावेजों और वस्तुओं को जिन्हें वह जांच के लिए आवश्यक समझता है पेश कराने की अपेक्षा करना और उन्हें पेश कराना और किसी भी ऐसी पुस्तक, कागजपत्र, दस्तावेज और वस्तु को तब तक रखे रखना जब तक कि जांच पूरी न हो जाए,

(घ) वायुयान या ध्वंस तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस स्थान पर घटना या दुर्घटना हुई है उसे बिना किसी विलम्ब के अच्छी तरह देखा जा सके या किसी अन्य स्थान में जिसमें प्रवेश, और जिस की परीक्षा जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक जान पड़े बिना रोक के पहुंचना और उसे अपने निर्बाध नियंत्रण में करने की,

(ङ) वायुयान के संघटक भागों और उन सब वस्तुओं को जो वायुयान पर ले जाई जा रही थी, उस सीमा तक देखना और परखना या उन्हें दिखलवाना और परखवाना जहां तक आवश्यक हो ;

(च) शवपरीक्षाएं या ऐसे अन्य परीक्षण जो आवश्यक हो देखना और उनका संचालन करना या उनका देखा जाना और संचालन कारित करना ;

(छ) जांच के लिए आवश्यक चिकित्सीय परीक्षा और परीक्षणों के संचालन में चिकित्सा-अधिकारी या किसी समरूप अभिकरण की सहायता की अपेक्षा करना ;

(ज) घटना या दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के कार्यों के अन्वेषण के बारे में पुलिस प्राधिकारियों या आपराधिक अन्वेषण विभाग या अन्वेषण करने वाले किसी अभिकरण की सहायता की अपेक्षा करना ;

(झ) यह अपेक्षा करना कि घटना या दुर्घटना में शामिल वायुयान या वायुयान के किसी भाग या वायुयान पर की वस्तुओं का परिरक्षण किया जाए और उन्हें उसके अनुदेश के अधीन हटाने के सिवाय हटाया न जाए।

73. **जांच अधिकारी को फीस**—जब सरकार के अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है तब उसे ऐसी फीस और खर्चे दिए जा सकेंगे जो महानिदेशक द्वारा अवधारित किए जाएं।

74. **जांच समिति**—(1) (क) केन्द्रीय सरकार, ऐसी घटना या दुर्घटना की जांच करने के लिए जिसमें वायुयान शामिल है स्वविवेकानुसार दो या अधिक व्यक्तियों से मिल कर बनी जांच समिति नियुक्त कर सकेगी और ऐसी समिति की वही शक्तियां होंगी जो नियम 72 के अधीन जांच अधिकारी की होती है।

(1) ऐसी जांच के अन्तर्गत जिसका आदेश इस नियम के अधीन दिया गया है अन्वेषण, सब उपलभ्य सुसंगत जानकारी प्राप्त करना और अभिलिखित करना साक्ष्य का विश्लेषण यदि सम्भव हो तो कारण का अवधारण रिपोर्ट का पूरा करना और जहां उचित हो सिफारिश करना है।

(2) जांच समिति, स्वविवेकानुसार जांच को सार्वजनिक रूप से या प्राइवट तौर पर कर सकेगी।

(3) जांच ऐसी रीति में की जाएगी कि यदि दोषारोप किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है या लगाए जाने की संभावना है तो समिति, उस व्यक्ति या संगठन को इस बात की सूचना कि दोषारोप उस पर या उस संगठन पर लगाया जा सकता है उस दशा के सिवाय देगी जिसमें वह अपने द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के आधार पर यह समझती है कि सूचना देना साध्य नहीं है; और ऐसा होने पर उस व्यक्ति या संगठन को अपनी ओर से कोई भी कथन करने या कोई साक्ष्य देने या साक्षी पेश करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जा सकेगा।

(4) यह लोक सूचना कि जांच की जा रही है केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसे कि वह उचित समझे और प्रत्येक ऐसी सूचना में यह कथित होगा कि कोई भी व्यक्ति जो घटना या दुर्घटना की परिस्थितियों या कारणों के सम्बन्ध में व्यपदेशन करना चाहे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर लिखित रूप में ऐसा कर सकेगा।

(5) जांच समिति केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगी जिसमें वह घटना या दुर्घटना के सम्बन्ध में सभी सुसंगत तथ्य और उसके कारणों के सम्बन्ध में अपने निश्चय कथित करेगी और जीवन के परिक्षण तथा ऐसी ही घटनाएं या दुर्घटनाएं भविष्य में न होने देने के विचार से ऐसी बातें बताएगी और सिफारिशें करेगी जैसी कि वह उचित समझे।

(6) केन्द्रीय सरकार, जांच समिति की किसी भी ऐसी रिपोर्ट को सम्पूर्णतया या उसके एक भाग को ऐसी रीति में सर्वसुलभ कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे।

(7) केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी मामले में, जिस में जांच इन नियमों के अधीन की जा चुकी है, या तो सम्मान्य रूप से या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में, समिति द्वारा उसी जांच की फिर से सुनवाई का निदेश दे सकेगी और यदि नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का, जो आरम्भिक जांच के समय पेश नहीं किया जा सकता था, पता चला है तो ऐसा करेगी।

(8) जहां सरकारी अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति जांच समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है वहां उसे ऐसी फीस और खर्चे दिये जा सकेंगे जैसे कि केन्द्रीय सरकार अवधारित कर दे।

(9) जांच समिति द्वारा इन नियमों के अनुसार साक्षी के रूप में समन किये गये प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे खर्चे अनुज्ञात किये जा सकेंगे जैसे कि केन्द्रीय सरकार समय समय पर अवधारित करे।

परन्तु यह कि घटना या दुर्घटना में शामिल वायुयान के स्वामी या भाड़े पर लेने वाले की या उसके नियोजन में के किसी व्यक्ति या घटना या दुर्घटना से सम्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति की दशा में कोई ऐसा खर्च अननुज्ञात किया जा सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार स्वविवेकानुसार ऐसा निदेश देती है।

75. **प्ररूपी जांच**—(1) जहां केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना की प्ररूपी जांच करना समीचीन है, वहां नियम 71 या 74 के अधीन जांच चाहे की गई हो या नहीं, वह प्ररूपी जांच किये जाने का निदेश दे सकेगी।

(2) ऐसी जांच के अन्तर्गत, जिसका आदेश इस नियम के अधीन दिया गया है अन्वेषण और सब उपलभ्य सुसंगत जानकारी प्राप्त करना और अभिलिखित करना, साक्ष्य का विश्लेषण यदि सम्भव हो तो कारण का अवधारण, रिपोर्ट का पूरा करना और जहां उचित हो सिफारिश करना है।

(3) ऐसी प्ररूपी जांच के बारे में निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार, जांच करने के लिए एक सक्षम व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'न्यायालय' कहा गया है) नियुक्त करेगी और असेसर के रूप में काम करने के लिए एक या अधिक ऐसे व्यक्ति नियुक्त कर सकेगी जो विधिक, वैमानिक, इंजीनियरी या अन्य विशेष ज्ञान रखता है। यह निदेश भी दे सकेगी कि न्यायालय और असेसरों को इतना पारिश्रमिक मिलेगा जितना वह अवधारित करे।

(ख) न्यायालय जांच को खुले न्यायालय में ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के साथ कर सकेगा जैसी कि वह दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों को

अभिनिश्चित करने के लिए और रिपोर्ट तैयार करने में अपने को समर्थ बनाने के लिए सबसे उचित समझे ।

(ग) न्यायालय को जांच के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन सिविल न्यायालय को सब शक्तियां होंगी और उन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वह न्यायालय—

(i) ऐसे किसी स्थान या भवन में प्रवेश और उसका निरीक्षण जिसमें प्रवेश या जिसका निरीक्षण जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो, कर सकेगा या करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ii) साक्षियों को हाजिर करा सकेगा और दस्तावेजों तथा भौतिक वस्तुओं को हाजिर करने के लिए विवश कर सकेगा; और ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे कोई जानकारी देने को न्यायालय द्वारा अपेक्षा की गई है, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 के अर्थ में ऐसा करने के लिए वैध रूप से बाध्य समझा जायेगा;

(iii) वायुयान के संघटक भागों और उन सब वस्तुओं को जो वायुयान पर लाई जा रही थी उस सीमा तक देख सकेगा और परख सकेगा या दिखलवा और परखवा सकेगा जहां तक आवश्यक हो;

(iv) शव परीक्षाएं या ऐसे अन्य परीक्षण जो आवश्यक हों देख सकेगा और उनका संचालन कर सकेगा या उन का देखा जाना और संचालन कारित कर सकेगा;

(v) जांच के लिए आवश्यक परीक्षा और परीक्षण के संचालन में चिकित्सा-अधिकारी या किसी समरूप अभिकरण की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा;

(vi) दुर्घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के कार्यों के अन्वेषण के बारे में पुलिस प्राधिकारियों या आपराधिक अन्वेषण विभाग या अन्वेषण करने वाले किसी अभिकरण की सहायता की अपेक्षा कर सकेगा;

(vii) यह अपेक्षा कर सकेगा कि दुर्घटना में शामिल वायुयान या वायुयान के किसी भाग या वायुयान पर की वस्तुओं का परीक्षण किया जाये और उन्हें न्यायालय के अनुदेश के अधीन हटाने की सिवाय हटाया न जाये ।

(घ) असेसरों के पास प्रवेश और निरीक्षण की वही शक्तियां होंगी जो खण्ड (ग) के अधीन न्यायालय की हैं;

(ङ) केन्द्रीय सरकार, यदि आवश्यक हो तो न्यायालय की सहायता करने के लिए और न्यपदेशन करने के लिए या साक्षियों की परीक्षा लेने के लिए महान्यायवादी या कोई अन्य सरकारी अभिवक्ता नियुक्त कर सकेगी, यदि लोकहित ऐसे में सा करना समीचीन प्रतीत हो;

(च) जांच ऐसी रीति में की जायेगी कि यदि दोषारोप किसी व्यक्ति या संगठन पर लगाया जाता है या लगाये जाने की संभावना है तो न्यायालय उस व्यक्ति या संगठन को इस बात की सूचना कि यह दोषारोप उस व्यक्ति पर या उस संगठन पर लगाया जा सकता है उस दशा के सिवाय देगा जिसमें वह अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर यह समझता है कि सूचना देना साध्य नहीं है और ऐसा होने पर उस व्यक्ति या संगठन को प्रभावी ढंग से कोई भी कथन करने या कोई साक्ष्य देने या साक्षी के पेश करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जा सकेगा ।

(छ) न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में हाजिर होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे खर्चे अनुज्ञात किये जाएंगे जैसे कि न्यायालय युक्तियुक्त समझे :

परन्तु यह कि दुर्घटना में शामिल वायुयान के स्वामी या उसे भाड़े पर लेने वाले को या उसके नियोजन में के किसी व्यक्ति या दुर्घटना से सम्बद्ध किसी अन्य व्यक्ति की दशा में कोई ऐसा खर्च अननुज्ञात किया जा सकेगा यदि न्यायालय स्व-विवेकानुसार, ऐसा निदेश देता है;

(ज) न्यायालय केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसमें वह दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों के बारे में अपने निष्कर्ष कथित करेगा और जीवन के परिरक्षण और ऐसी ही दुर्घटनाएं भविष्य में न होने देने के विचार से ऐसी बातें बताएगा या सिफारिशें करेगा जैसा कि वह उचित समझे;

(झ) असेसर (यदि कोई हों) या तो रिपोर्ट पर आरक्षण सहित या बिना किसी आरक्षण के हस्ताक्षर करेंगे या उससे अपनी विसम्मति और ऐसी विसम्मति के लिए अपने कारण लिखित रूप से कथित करेंगे और वे कारण (यदि कोई हों) रिपोर्ट के साथ

केन्द्रीय सरकार को भेज दिये जाएंगे । केन्द्रीय सरकार किसी ऐसी रिपोर्ट और आरक्षणों या विसम्मति और कारणों का (यदि कोई हों) सम्पूर्णत: या उनके किसी भाग का सर्व सुलभ किया जाना ऐसी रीति मे कारित कर सकेगी जो कि वह उचित समझती है ।

(ब) केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी मामले में, जहां प्ररूपी जांच की जा चकी है या तो सामान्य रूप से या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा उसी जाच की फिर से सुनवाई का निदेश दे सकेगी और यदि नये और महत्वपूर्ण साक्ष्य को जो आरम्भिक जाच के समय पेश नही किया जा सकता था पता चला है तो ऐसा करेगी ।

76. **विदेशी राज्य में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के साथ भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके ऊपर घटित होने वाली दुर्घटना ।**

(1) (क) जब भारत से भिन्न किसी देश मे रजिस्ट्रीकृत वायुयान के साथ कोई दुर्घटना भारत के राज्य क्षेत्र में, या उसके ऊपर घटित होती है तब, महानिदेशक नियम 68 के उपनियम (2) के अनुसार दुर्घटना की सूचना कम से कम विलम्ब के साथ और सब से तीव्र गति वाले साधन से रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य और उस राज्य को जिसमे वायुयान विनिर्मित हुआ था, भेजेगा ।

(ख) टरबाइन इंजन-सज्जित वायुयान की दशा मे सूचना मे यह विनिर्दिष्ट होगा कि क्या उस राज्य को जिसमें वायुयान विनिर्मित हुआ था, जाच मे भाग लेना चाहिए ।

**स्पष्टीकरण**.—इस नियम के प्रयोजनो के लिए, "राज्य जिसमे वायुयान विनिर्मित हुआ था" पद के अन्तर्गत वह राज्य या वे राज्य है जिनमे वायुयान या उसके मुख्य संघटक विनिर्मित हुआ था या हुए थे या वह राज्य है जिसने वह टाइप सब से पहले प्रमाणित किया ।

(2) महानिदेशक, भारसाधक अन्वेषक अभिहित करेगा और तुरन्त ही अन्वेषण आरम्भ कर देगा और भारसाधक अन्वेषक को वही शक्तियां होंगी जो जाच अधिकारी को नियम 72 के अधीन होती हैं ।

(3) प्रचालक के प्रतिनिधियों को अन्वेषण के समय उपस्थित रहने दिया जायेगा ताकि वे उसमें प्रभावशाली योगदान दे सके और ऐसे प्रतिनिधियों की हाजिरी की व्यवस्था रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य के मारफत की जायेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, दुर्घटना की परिस्थितियों की जाच संस्थित करेगी जब तक कि उसने ऐसी जाच का संपूर्ण संचालन या उसका कोई भाग, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य को प्रत्यायोजित करने का विनिश्चय न किया हो और किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार जांच को सुकर बनाने के लिए हर साधन का प्रयोग करेगी ।

(5) ऐसी जांच के अन्तर्गत जिसका आदेश इस नियम के अधीन दिया गया है, अन्वेषण और सब उपलभ्य सुसंगत जानकारी प्राप्त करना और अभिलिखित करना, साक्ष्य का विश्लेषण, यदि सम्भव हो तो दुर्घटना के कारण का अवधारण, रिपोर्ट का पूरा करना और जहां उचित हो सिफारिश करना है ।

(6) (क) रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य को यह हक होगा कि वह जाच में एक प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करे । वह राज्य जिस मे वायुयान विनिर्मित हुआ था, टरबाइन इंजन सज्जित वायुयान के साथ दुर्घटना की जाच में उपस्थित होने के लिए एक प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जब तक कि दुर्घटना की आरम्भिक अधिसूचना में यह बात विनिर्दिष्ट रूप से न कही गई हो कि इसका भाग लेना अनावश्यक है ।

(ख) यदि जाच के साथ सुसंगत जानकारी संविदाकारी राज्य द्वारा, अनुरोध पर भेजी गई है तो वह राज्य भी एक प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा ।

(7) (क) यदि रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य या उस राज्य से जिसमे वायुयान विनिर्मित हुआ था वह अनुरोध प्राप्त होता है कि वायुयान, उसकी अन्तर्वस्तुए और कोई अन्य साक्ष्य तब तक सुरक्षित अभिरक्षा मे और बिना किसी छेडछाड के पडा रहने दिया जाये जब तक कि यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य या उस राज्य के प्रत्यायित प्रतिनिधि द्वारा जिसमे वायुयान विनिर्मित हुआ था जाच न हो जाये तो केन्द्रीय सरकार, नियम 70 के उपबन्धो के पालन के अधीन, ऐसे अनुरोध की पूर्ति करने के लिए सब आवश्यक कदम वहा तक उठायेगी जहा तक कि ऐसा करना युक्तियुक्त रूप से साध्य हो तथा जाच के उचित सचालन के अनुरूप हो और उस दशा मे जहा वायुयान सेवा के लिए लौटाया जा सकता है ऐसा करने के परिणाम स्वरूप अनावश्यक विलम्ब न हो ।

(ख) ऐसी सुरक्षित अभिरक्षा के अन्तर्गत और अधिक नुकसान अप्राधिकृत व्यक्तियों की पहुच, छिटपुट चोरी और क्षय से युक्तियुक्त संरक्षण और किसी सारवान् साक्ष्य का, जो हटाया या मिटाया जा सकता हो या खो सकता हो या नष्ट किया जा सकता हो, फोटो लेकर रखे गये अभिलेख या अन्य पर्याप्त साधनों से परिरक्षण भी है ।

(8) (क) नियम 70 और उपनियम (7) के उपबन्धों के अनुपालन के अधीन रहते हुए वायुयान, उसकी अन्तर्वस्तुएं या उसके कोई भाग जिनकी और अधिक आवश्यकता जांच के प्रयोजन के लिए नहीं है, रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य द्वारा सम्यक्तः अभिहित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए निर्मुक्त किये जा सकेंगे और इस प्रयोजन के लिए, वायुयान उसकी अन्तर्वस्तुओं या इसके किसी भाग तक पहुंचने की सुविधा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दी जायेगी ।

(ख) यदि वायुयान, इसकी अन्तर्वस्तुएं या उसके भाग ऐसे क्षेत्र में हैं जहां इस प्रकार पहुंचने देना साध्य नहीं है तो केन्द्रीय सरकार उन्हें हटायेगी और ऐसे स्थान पर पहुंचायेगी जहां पहुंचा जा सकता हो ।

(9) (क) केन्द्रीय सरकार ऐसी दुर्घटना की कोई पश्चात्वर्ती अधिसूचना या सूचना जिसमें कोई परिवहन वायुयान शामिल है रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य को, उस राज्य को जहां वायुयान का विनिर्माण हुआ था, उस राज्य को जो प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करने का अन्यथा हकदार है और अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजेगी ।

(ख) जब सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले मामले अन्तर्लित हों तब अधिसूचना या सूचना जानकारी मिलते ही और सब से तीव्र गति वाले साधन से भेजी जायेगी और अन्य दशाओं में अधिसूचना या सूचना हवाई-डाक से भेजी जायेगी ।

(ग) उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिसूचना या सूचना में निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियां भी दी जायेंगी :—

(i) दुर्घटना-क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं;

(ii) अन्वेषण की प्रगति जिसके अन्तर्गत यह भी है कि क्या किन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार मिले हैं;

(iii) पूर्वावधानी की दृष्टि से की जाने वाली कार्रवाई जो की जा चुकी है या जिसके किये जाने का विचार है;

(iv) इस बात का संकेत कि उस राज्य का भाग लेना जिसमें वायुयान विनिर्मित हुआ है आवश्यक है या नहीं ।

(10) (क) उस राज्य के जिसमें वायुयान विनिर्मित हुआ था या रजिस्ट्रीकरण कार्यालय वाले राज्य के प्रत्यायित प्रतिनिधि को जांच में भाग लेने की अनुज्ञा दी जायेगी ।

(ख) प्रत्यायिक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार राज्य इस बात का भी हकदार होगा कि वह, जांच में ऐसे प्रतिनिधि की सहायता करने के लिए सलाहकार नियुक्त करे और ऐसा या ऐसे सलाहकार या वे सलाहकार प्रत्यायित प्रतिनिधि के पर्यवेक्षण में जांच में भाग ले सकता है या सकते हैं ताकि उसका भाग लेना प्रभावशाली हो जाये ।

(11) जांच में भाग लेना निम्नलिखित का हक प्रदान करेगा;

(क) दुर्घटना स्थल पर जाना ;

(ख) ध्वंश का परीक्षा करना ;

(ग) साक्षियों से प्रश्न करना ;

(घ) सब सुसंगत साक्ष्य पूरी तरह से उसकी पहुंच के अन्दर हो;

(ङ) अन्वेषण से संबंधित सभी संगत दस्तावेजों की प्रति लिपियां उसको दी जाएं; और

(च) जांच की रिपोर्ट के बारे में निवेदन करना;

परन्तु रजिस्ट्रीकरण वाले राज्य तथा उस राज्य से भिन्न, जिस में वायुयान विनिर्मित हुआ था, किसी राज्य के प्रत्यायित प्रतिनिधियों का भाग लेना और सलाहकारों की सहायता उन विषयों तक सीमित की जा सकेगा जिनके कारण ऐसा राज्य भाग लेने का हकदार है ।

(12) केन्द्रीय सरकार यदि आवश्यक समझा जाए तो रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें जांच के निष्कर्ष या उन का एक भाग उस सुसंगत जानकारी के साथ दिया गया हो जिस पर निष्कर्षों का आधार है प्रकाशन से पूर्व रजिस्ट्रीकरण के कार्यालय वाले राज्य, उस राज्य को जिसमें वाययान विनिर्मित हुआ था तथा किसी अन्य राज्य को जिसने जांच से सुसंगत सूचना दी हो, भेजेगा ।

(13) केन्द्रीय सरकार ऐसी दुर्घटना की, जिसमें वाणिज्यिक वायु परिवहन संक्रियाओं में लगा वायुयान शामिल है, या ऐसी दुर्घटना की, जिससे विमानन सुरक्षा की प्रोन्नति में योगदान करने वाली जानकारी मिल सकती है, रिपोर्ट के संक्षेप की तीन प्रतियां अन्तरीष्ट्रीय नागर विमानन संगठन को भेजेगी ।

**76क. भारत में रजिस्ट्रीकृत या विनिर्मित वायुयान के साथ विदेशी राज्य के राज्य क्षेत्र में या उसके ऊपर घटित होने वाली दुर्घटना**— (1) विदेश से यह प्रारम्भिक अधिसूचना प्राप्त

होने पर कि भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान दुर्घटना ग्रस्त हो गया है केन्द्रीय सरकार, दुर्घटना ग्रस्त वायुयान तथा उड़ान कर्मीदल के बारे में पास अपने उपलभ्य जानकारी यथा संभव शीघ्र, उस राज्य को भेजेगी जिस में दुर्घटना घटित हुई है।

(2) यदि ऐसी दुर्घटना के बारे में जिनका संबंध भारत में विनिर्मित वायुयान से है विदेश से प्राप्त प्रारम्भिक सूचना में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इसका भाग लेना आवश्यक है तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य को जिस में दुर्घटना घटित हुई है यह इत्तिला देगी कि क्या उसका आशय यह है कि जांच में उसका अपना प्रतिनिधित्व हो और यदि हां तो वह एक प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करेगी।

(3) जब जांच करने वाला राज्य ऐसी दुर्घटना की दशा में जो भारत में विनिर्मित वायुयान के साथ हुई है ऐसा निवेदन करता है तब केन्द्रीय सरकार प्रत्यायित प्रतिनिधि को उपस्थित रहने और जांच में भाग लेने का निदेश देगी जब तक कि एक ऐसा करना असाध्य न हो।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय जबकि दुर्घटना स्थल के बारे में पक्की तरह से यह न कहा जा सके वह अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र में है ऐसी दुर्घटना के बारे में, जिसमें भारत के रजिस्ट्रीकृत वायुयान फंसा है, जांच का आदेश देगी।

(5) (क) जब ऐसी दुर्घटना, जिसमें भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान फंसा है, उस राज्य के राज्य क्षेत्र में घटित होता है जो संविदाकारी राज्य नहीं है तब केन्द्रीय सरकार उस राज्य के सहयोग से जिसमें दुर्घटना घटित हुई है जांच का आदेश देगी, किन्तु यदि ऐसा सहयोग न मिले तो ऐसी जानकारी के आधार पर जो उपलभ्य है स्वयं ही जांच का आदेश देगी।

(ख) ऐसी जांच के अन्तर्गत जिस का आदेश इस नियम के अधीन दिया गया है अन्वेषण, और सब उपलभ्य सुसंगत जानकारी को प्राप्त करना और अभिलिखित करना, साक्ष्य का विश्लेषण, यदि सम्भव हो, तो, कारण का विनिश्चय, रिपोर्ट का पूरा करना और जहां उचित हो सिफारिश करना है।

76 ख. **विदेशी राज्य में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के साथ दुर्घटना जो भारत से भिन्न सा देश के राज्य क्षेत्र में या उसके ऊपर घटित हुई हो**— ऐसे वायुयान के साथ जो भारत में या उस के ऊपर उड़ान भरने में लगा हुआ था, हुई दुर्घटना की जांच के मामले में, यदि जांच का संचालन करने वाले राज्य से निवेदन प्राप्त होता है तो केन्द्रीय सरकार उस राज्य को वह सब सुसंगत जानकारी देगा जो उसके पास उपलभ्य है और ऐसे मामले में वह प्रत्यायित प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा

76. ग. **कार्यवाहियों में बाधा** (1) कोई भी व्यक्ति ऐसी किन्हीं शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए जो इस भाग में नियमों के अधीन अधिरोपित है काम करने वाले न्यायालय या जांच समिति के सदस्य या जांच अधिकारी या आफिसर या किसी व्यक्ति द्वारा उसके ऐसे कर्तव्यों के पालन को न तो बाधित करेगा और न उसमें अड़चन डालेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति अन्वेषण या जांच करने वाला न्यायालय या जांच समिति या जांच अधिकारी द्वारा उन नियमों के अधीन निकाले गए समन या अध्यपेक्षा का पालन करने में, बिना किसी उचित कारण के (जिस के साबित करने का भार उस पर होगा) चूक नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जब जांच अधिकारी या जांच समिति या जांच न्यायालय के सामने साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया हो ऐसी जानकारी नहीं देगा जो मिथ्या है या जिस के मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सच होने का उसे विश्वास नहीं है।

7. उक्त नियमों के नियम 77—क के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"77. **व्यावृत्ति**—इस भाग में की किसी बात से, केन्द्रीय सरकार की शक्ति, जो उस व्यक्ति को जिसने इस भाग में किसी नियम के उपबन्धों का अतिक्रमण किया है, इन नियमों के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति या दिए गए प्रमाणपत्र को, किसी अन्य कार्रवाई पर जो उस के द्वारा की जाए प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रद्द, निलम्बित या पृष्ठांकित कर सकने के, सीमित नहीं होगा।

उक्त नियमों की अनुसूची 6 में, पहले और दूसरे स्तम्भ में क्रमशः "अपराध की प्रकृति" और "सुसंगत नियम" शीर्षकों के नीचे—

(क) मद "17" से सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"वायुयान दुर्घटना जांच/नियम जो वायुयान नियम, वायुयान दुर्घटना जांच सं० 1937 के भाग 10 में बंधा किन्हीं नियमों का उल्लंघन है।"

(ख) मद "18 से सम्बद्ध प्रविष्टियां छोड़ दी जायेंगी

[सं० का० 10—ए/०43—67]

सुरेन्द्र नाथ कौल,
उप सचिव, भारत सरकार।

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

*New Delhi, the 8th February 1972*

**G.S.R. 347.**—In exercise of the powers conferred by Section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby appoints Shri R. Vittal as Company Prosecutor for the conduct of prosecutions arising out of the said Act in all courts of the State of Tamil Nadu, other than the High Court in that State.

[No. F. 46/4/72-CL. II.]

K. M. SHARMA, Under Secy.

## कम्पनी कार्य

नई दिल्ली, 8 फरवरी 1972

सा० का० नि० 317—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एतद्द्वारा श्री० आर० विट्ठल को कथित अधिनियम से उत्पन अभियोजन के तमिल नाडु राज्य के समस्त न्यायालयों में केवल उच्च न्यायालय को छोड़ कर संचालन हेतु कम्पनी अभियोजक नियुक्त किया है ।

[संख्या फा० 46/4/72—सी एल० II]

का० म० शर्मा, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

*New Delhi, the 31st January 1972*

**G.S.R. 348.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Photo Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Photo Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Amendment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Photo Division (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1962, against Serial No. 12 relating to the post of "Lower Division Clerk" in column 5, after the existing entry, the following shall be inserted, namely:—

"10 per cent of the vacancies in the grade of Lower Division Clerks shall be reserved for being filled up by Class IV employees (borne on regular establishment of the Photo Division, Ministry of Information and Broadcasting) having at least 5 years service in that grade Selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirement of minimum educational qualifications, namely, Matriculation or equivalent. The maximum age limit for the examination would be 45 years (50 years for Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates). The maximum number of recruits by this method would be limited to 10 per cent of the vacancies in the cadre of Lower Division Clerks occurring in a year; unfilled vacancies would not be carried over to the next year."

[No. A-12027/1/70-Estt/DS(I)/362.]

S. PADMANABHAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Department of Legal Affairs)**

**(Judicial Section)**

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 349.**—In exercise of the powers conferred by rules 1 and 2 of Order XXVII of the First Scheduled to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government is pleased to authorise the Embarkation Commandant Madras, to verify plaints and written statements in the suits instituted on or after, the 17th June, 1970 in the court in Madras city against the Union of India and to act on behalf of Government of India in all matters connected with the said suits.

[No. F. 16(1)/72-J.]

## विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्याय अनुभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 349.**— सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपने प्रसाद से एम्बार्केशन कमाण्डेन्ट, मद्रास को, भारत के संघ के विरुद्ध मद्रास शहर में, 17 जून, 1970 को या उसके पश्चात न्यायालय में संस्थित वादों, में वाद-पत्रों और लिखित कथनों को सत्यापित करने और उक्त वादों से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की ओर से कार्य करने के लिए, प्राधिकृत करती है ।

[सं० फा० 16 (1)/72-न्या०]

*New Delhi, the 18th February 1972*

**G.S.R. 350.**—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. S.R.O. 351, dated the 25th January, 1958, relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction by or against the Central Government, namely:—

In the Schedule to the said notification under the heading "X-Ministry of Food & Agriculture",

(i) under the sub-heading "Department of Agriculture" after the entry "Law Officers (Fertilizers)" the following entry shall be inserted, namely:—

"Deputy Conservator of Forests Andaman and Nicobar Islands Forest Department Calcutta.";

(ii) under the sub-heading "Department of Food"—

(a) the entry "Director, National Sugar Institute" shall be omitted;

(b) after the existing entry "Senior Administrative Officer" the following entries shall be inserted, namely:—

"Director, Sugar Institute, Kanpur.

Assistant Director (Survey and Information), National Sugar Institute, Kanpur.

Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur."

[No. F. 16(1)/72-Judl.]
S. K. BAHADUR,
Dy Legal Adviser

नई दिल्ली, 18 फरवरी 1972

सा० का० नि० 350.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध सिविल अधिकारिता वाले किसी न्यायालय में, वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने से सम्बन्धित, भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 351, तारीख 25 जनवर, 1958 में निम्नलिखित और आगे संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "X—खाद्य और कृषि मंत्रालय" शीर्ष के नीचे :

(i) "विधि अधिकारी (उर्वरक)" की प्रविष्टि के पश्चात 'कृषि विभाग' उपशीर्ष के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"उप-वनसंरक्षक, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, वन विभाग, कलकत्ता।"

(ii) 'खाद्य विभाग' उपशीर्ष के नीचे—

(क) 'निदेशक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान' प्रविष्टि लुप्त की जाएगी.

(ख) 'ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी' की विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'निदेशक, शर्करा संस्थान, कानपुर।

सहायक निदेशक (सर्वेक्षण और सूचना), राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।

ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर।"

[सं० फा० 16(1)/72-न्या०]

एस० के० बहादुर,
उप-विधि सलाहकार।

---

**(Department of Legal Affairs)**

*New Delhi, the 18th February 1972*

**G.S.R. 351.**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Maintenance Orders Enforcement Act, 1921 (18 of 1921) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Law No. S.R.O. 1869, dated the 27th August, 1955, the Central Government hereby declares that the said Act applies in respect of Malaysia.

[No. F. 10(4)/71-J.]
P. G. GOKHALE,
Joint Secy. & Legal Adviser.

(विधि कार्य विभाग)

(न्याय अनुभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 351.—भरणपोषण आदेश प्रवर्तन अधिनियम, 1921 (1921 का 18) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विधि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० 1869, तारीख 27 अगस्त, 1955 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम मलेशिया की बाबत लागू है।

[सं० फा० 10(4)/71-न्या०]
प० गं० गोखले,
संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार।

---

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**

*New Delhi, the 17th February 1972*

**G.S.R. 352.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Passport and Emigration Organisation (Initial Constitution and Maintenance) Rules, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Passport and Emigration Organisation (Initial Constitution and Maintenance) (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Passport and Emigration Organisation (Initial Constitution and Maintenance) Rules, 1959, in rule 14A, for sub-rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(1) The Senior Departmental Promotion Committee in respect of promotions to Grades I, II and III shall consist of:

(a) The Additional Secretary or a Joint Secretary in the Administration Division and two other Joint Secretaries in the Ministry of External Affairs;

(b) The Joint Secretary or Director in charge of Passport and Emigration work in the Ministry of External Affairs.

(1-A) The Senior Departmental Promotion Committee which considers promotions to class I posts in Grades I and II shall be presided over by a Member or the Chairman of the Union Public Service Commission"

[No. CP&EO/1/72]

K. S. SODHI, Under Secy. (PVA).

## विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 352**:—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति, केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन (प्रारम्भिक गठन एवं अनुरक्षण) नियम, 1959 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम और बनाते हैं, यथा :—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन (प्रारम्भिक गठन एवं अनुरक्षण) (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाये।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. केन्द्रीय पासपोर्ट एवं उत्प्रवास संगठन (प्रारम्भिक गठन एवं अनुरक्षण) नियम, 1959 में, नियम 14-क में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम लिख दिये जायें, यथा :—

(1) वर्ग-एक, दो और तीन में पदोन्नति के लिये वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) विदेश मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव और दो अन्य संयुक्त सचिव ;

(ख) विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट और उत्प्रवास कार्य के कार्यभारी संयुक्त सचिव अथवा निदेशक।

(1-क) वर्ग एक और दो में प्रथम श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिये विचार करने वाली वरिष्ठ विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य करेंगे।

[सं० सी पी एण्ड ओ/1/72]

कुलदीप सिंह सोढी, अवर सचिव।

---

## MINISTRY OF RAILWAYS

### (Railway Board)

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 18th February 1972*

**G.S.R. 353.**—In para 2 of the Ministry of Railways (Railway Board) notification No. 71/E(GR)I/18/2(i) dated 14th July, 1971 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India. The words "Indian Railways Personnel Branch, Assistant Personnel Officers (Class II)" shall be substituted for the words "Indian Railways Department of Stores, Assistant Controller of Stores (Class II)".

[No. 71/E(GR)I/21/1.]

V. P. SAWHNEY, Secy.

---

### (Railway Board)

*New Delhi, the 22nd February 1972*

**G.S.R. 354.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the gazetted posts of (i) Principal/Intermediate Colleges (ii) Principal or Head Master or Head Mistress of Higher Secondary or Multipurpose Schools and (iii) Principal or Head Master or Head Mistress of High Schools, on the Indian Railways, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Railways Intermediate College or Higher Secondary School or Higher Secondary Multipurpose School or High School (Principal or Head Master or Head Mistress) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule:—

Provided that the maximum age limit specified in column 6 of the said schedule may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

4. **Disqualification.**—(1) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Schedule Castes and Schedule Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Principal Intermediate Colleges. | 3 | Railway Service Class I. | Rs. 700—40—980 —EB—40— 1100. | Selection | 45 years. (Relaxable for Government Servants). | *Essential* :— (*i*) Second class Master's degree from a recognised University or equivalent. (*ii*) Degree in teaching Education from a recognised University or equivalent. (*iii*) About 5 years' experience of administrative charge of a recognised Higher Secondary School or Intermediate College including 2 years, teaching-experience. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise qualified). *Desirable.* (*i*) A Doctorate degree. (*ii*) Public School Experience. |
| 2. Principal/Head Master/Head Mistress of High/ Higher Secondary Maltipurpose Schools. | 21 | | | | | |
| 3. Principal or Head Master or Head Mistress of High School. | 25 | Railway Service Class II. | Rs. 400—30—640 —EB—40— 800. | Do. | 40 Years. (Relaxable for Government Servants) | *Essential* :— (*i*) Second Class Masters' degree from a recognised University or equivalent. (*ii*) Degree in teaching education from a recognised University or equivalent. (*iii*) About 5 years' experience of Administrative charge of a recognised High School or Educational Institute including 2 years, teaching experience. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified,) *Desirable.* Public School Experience. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion/Deputation/transfer grades from which promotion/Deputation/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age: No Qualifications: Yes. | 2 years | By promotion failing which by direct recruitment. | *Promotion.* Principal or Head Master or Head Mistress of High Schools with 7 years. service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class I Departmental promotion Committee. | As required under the Union Publice Service Commission (Exemption consultation) Regulations, 1958. tions'1 |
| No. | Do. | Do. | *Promotion.* Permanent teaching staff working as Teachers Grade I or Lecturers (Rs. 300—600) with 3 years. service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class II Departmental Promotion Committee. | Do. |

[No. E(GR)I-39RR11.]

H. F. PINTO, Secy.,

## रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 22 फरवरी 1972

**जी० एस० आर० 354.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्द्वारा सभी भारतीय रेलों के (i) माध्यमिक महाविद्यालयों अथवा प्रिन्सिपलो, (ii) उच्चतर माध्यमिक अथवा बहुउद्देश्यीय विद्यालयों के प्रिंसिपलों अथवा मुख्य अध्यापको अथवा मुख्य अध्यापिकाओं और (iii) हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों अथवा मख्य अध्यापकों अथवा मुख्य अध्यापिकाओं के राजपत्रित पदों पर भर्ती की विधि के विनियमन के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ — (1) ये नियम भारतीय रेल माध्यमक महाविद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा उच्चतर माध्यमिक बहुउद्देश्यीय विद्यालय अथवा हाई स्कल (प्रिंसिपल अथवा मुख्य अध्यापक अथवा मुख्य अध्यापिका) भर्ती नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण और वेतनमान — पदो की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध वेतनमान वही होंगे जो इससे अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की विधि आयु सीमा अर्हतायें आदि : — उक्त पद पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वही होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु उक्त अनुसूची के कालम 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयुसीमा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार व्यक्तियों के विशेष कोटियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामलों में छूट दी जा सकती है ।

4. अनर्हताएं (1) ऐसा व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, अथवा

(ख) जिसने एक पत्नी/पति के जीवित रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने की संविदा की हो,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र न होगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना अपेक्षित अथवा समीचीन है तो वह लिखित कारण देते हुए और संघ लोक सेवा आयोग परामर्श से करके, आदेश निकाल कर किसी भी वर्ग या व्यक्ति समुदाय के सम्बन्ध में इन नियमों के उपबन्धों को शिथिल कर सकती है।

6. अपवाद :- इन नियमों का असर अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार व्यक्तियों के विशेष कोटियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आरक्षण और रियायत पर कुछ नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मान | प्रवरण पद है या अप्रवरण पद | सीधी भर्ती वालों के लिए आयुसीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. प्रिंसिपल माध्यमिक महाविद्यालय | 3 | रेल सेवा प्रथम श्रेणी | रू० 700-40-980-द० रो०-40-1100 | प्रवरण | 45 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) |
| 2. उच्चतर माध्यमिक बहूद्देश्यीय स्कूलों के लिए प्रिंसिपल प्रधान/प्रधान अध्यापक | 21 | | | | |

| सीधी भर्ती वालों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामलों में भी लागू होगी | परिवीक्षा काल यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष<br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्व विद्यालय से अध्यापन/शिक्षा में डिग्री अथवा उसके समकक्ष<br>(iii) किसी मान्ता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अथवा माध्यमिक महाविद्यालय के प्रशासकीय कार्य भार का लगभग 5 वर्ष का अनुभव, जिसमें 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव भी शामिल ।<br>(अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के नाम में आयोग स्वविवेक से अर्हता में छूट दे सकता है)<br><br>वांछनीय :<br>(i) आचार्य की डिग्री<br>(ii) पब्लिक स्कूल का अनुभव | आयु—नहीं<br>अर्हताए—हां | 2 वर्ष |

| भर्ती की विधि, सीधी भर्ती या पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले रिक्तों पदों का प्रतिशत | पदोन्नति /प्रति नियुक्ति /स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की स्थिति में पदक्रम जिनमें से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसका गठन | परिस्थितियां जिनमे भर्ती के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| पदोन्नति द्वारा, जिसके अभाव में सीधी भर्ती द्वारा | पदोन्नति :<br>हाई स्कूल के प्रिंसिपल अथवा प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापिकाएं जिन्होंने नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद, इस पदक्रम में 7 वर्ष की सेवा पूरी करली हो | विभागीय पदोन्नति समिति प्रथम श्रेणी | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत यथापेक्षित |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. हाई स्कूल के प्रिंसिपल अथवा प्रधान अध्यापक अथवा प्रधान अध्यापिका | 25 | रेल सेवा द्वितीय श्रेणी | 400–30–640–द० रो० 40–800 | प्रवरण | 40 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए छूट) |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| अनिवार्य :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा उसके समकक्ष ।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अध्यापन / शिक्षा में डिग्री अथवा उसके समकक्ष ।<br>(iii) किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल अथवा शक्षणिक संस्थान के प्रशासकीय कार्य-भार का 3 वर्ष का अनुभव, जिसमे 2 वर्ष का अध्यापन-अनुभव भी शामिल है ।<br>(अन्यथा योग्य उम्मीदवारों के मामले में आयोग स्वविवेक से अर्हताओं में छूट दे सकता है) | नहीं | दो वर्ष |
| वांछनीय :<br>पब्लिक स्कूल का अनुभव | | |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| | पदोन्नति :<br>स्थायी रूप से अध्यापन कार्यरत अध्यापक ग्रेड । अथवा प्राध्यापक (लेक्चरर), जिन्होंने 300–600 रु० के पदक्रम में नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति के बाद 3 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो । | द्वितीय श्रेणी | |

[सं० ई (जी आर) 1–69 आर आर–II]

एच० एफ० पिन्टों, सचिव ।

## MINISTRY OF FOREIGN TRADE

*New Delhi, the 25th January 1972*

**G.S.R. 355.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone Administration, Gandhidham (Kandla), in the Ministry of Foreign Trade, namely:—

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Foreign Trade, Kandla Free Trade Zone Administration (Development Commissioner) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Development Commissioner, Kandla Free Trade Zone Administration, Gandhidham (Kandla) in the Ministry of Foreign Trade*

| Name of the Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether Selection Post or non-Selection Post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Development Commissioner | 1 (One) | General Central Service, Class I Gazetted | Rs. 1800—100—2000—125—2250 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promottees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In the case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made | If a D.P.C. exists, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Not applicable | Transfer on deputation | *Transfer on Deputation* :<br>Officers of the Indian Administrative Service and Central Services. Class I, eligible to hold the post of Director at the Centre.<br>(Period of deputation ordinarily not exceeding 5 years) | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. A/12018/4/71-E. I. (KFTZ)]

L. S. RASTOGI, Under Secy.

## विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

**सा० का० नि० 355.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार मंत्रालय के कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, गांधीधाम (कांडला) में विकास आयुक्त के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम विदेश व्यापार मंत्रालय, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन (विकास आयुक्त) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर भर्ती करने के लिए लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतनमान**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य बातें** :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. अनर्हताएं:—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमत है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हों तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, उन्हें लिपिबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों में कोई भी बात केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आवश्यक आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कुप्रभाव नहीं डालेगी ।

## अनुसूची

विदेश व्यापार मंत्रालय में विकास आयुक्त, कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र प्रशासन, गांधीधाम (कांडला), के पद के लिए भर्ती नियम ।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विकास आयुक्त | 1 (एक) | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग । राजपत्रित | 1800–100–2000–125–2250 रुपये । | लागू नहीं होता | लागू नही होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो | भर्ती की पद्धति/ भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा तथा पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रति-नियुक्ति/अंतरण किया जाएगा | यदि विभागीय समिति हो तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन-किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नही होता | लागू नही होता] | प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण द्वारा | प्रतिनियुक्ति पर अन्तरण : भारतीय प्रशासन सेवा तथा केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी । के अधिकारी जो केन्द्र में निदेशक के पद पर नियुक्ति के पात्र हैं। प्रति-नियुक्ति की अवधि साधारणत 5 वर्ष से अधिक नहीं होंगी । | लागू नही होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट). विनियमन, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित । |

[सं० फा० ए/12018/4/71-ई० 1 (के० एफ टी जैड)]

एल० एस० रस्तोगी, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION**

**(Department of Rehabilitation)**

*New Delhi, the 16th November 1971*

G.S.R. 356.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1969, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class-III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Rehabilitation Reclamation Organisation (Class-III and Class-IV posts) Recruitment Rules 1969 against serial No. 23 relating to the post of Junior Stenographer:—

(1) in column 6, for the existing entry, the entry "Not applicable" shall be substituted;

(2) in column 7, for the existing entry, the entry "18-24 years" shall be substituted;

(3) in column 11, for the existing entry, the entry "By selection through a test in a stenography and typewriting from amongst Lower Division Clerks/Upper Division Clerks of the Rehabilitation Reclamation Organisation who possess the qualifications prescribed in column 8, failing which by direct recruitment" shall be substituted;

(4) in column 12, for the existing entry, the entry "Not applicable" shall be substituted.

[No. 6(90)/70-RH.III.]

S. KASIPANDIAN, Under Secy.

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय**

**(पुनर्वास विभाग)**

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1971

जी. एस. आर. 356.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जी इस के द्वारा भूमि उद्धार संगठन मे (श्रेणी III तथा श्रेणी IV के पदों पर) भर्ती के नियम 1969 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) ये नियम भूमि उद्धार संगठन में (श्रेणी III तथा श्रेणी IV

के पदों पर) भर्ती (संशोधन) के नियम 1971 कहलाएंगे ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

पुनर्वास भूमि उदार संगठन मे (श्रेणी III तथा IV के पदों पर) भर्ती के नियम, 1969 में कनिष्ठ आशुलिपिक के पद से संबंधित क्रम संख्या 23 के सामने :—

(1) कालम 6 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर इंदराज लागू नहीं होता लिखा जाएगा ।

(2) कालम 7 में वर्तमान इंदराज के स्थान पर इंदराज "18–24 वर्ष" लिखा जाएगा ।

(3) कालम 11 में वर्तमान इदराज के स्थान पर इंदराज पुनर्वास भूमि उदार संगठन के उन निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों मे से जो कि कालम 8 में निर्धारित योग्यताएं रखते हों आशुलिपि और टाइपराइटिंग की परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा लिखा जाएगा ।

(4) कालम 12 मे वर्तमान इंदराज के स्थान पर इंदराज लागू नहीं होता लिखा जाएगा ।

[संख्या 6/90/70-पुन०-III]

एस० कासोपाडियन, अवर सचिव ।

---

**(Department of Labour and Employment)**
**(D. G. E. & T.)**

*New Delhi, the 16th February 1972*

**G.S.R. 357.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), the Central Government hereby appoints the Principal, Industrial Training Institute, Ambaguda, as Assistant Central Apprenticeship Adviser to assist the Central Apprenticeship Adviser in the performance of his functions.

[No. 50(2)/72-AP.]

G JAGANNATHAN, Dy. Secy.

**श्रम और रोजगार विभाग**

**(रो० प्र० महानिदेशालय)**

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1972

**सा० का० नि० 357** .— शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अम्बागुडा को केन्द्रीय शिक्षु सलाहकार के कार्य के निष्पादन मे सहायता करने के लिये सहायक केन्द्रीय शिक्षु सलाहकार के रूप मे नियुक्त करती है ।

[सं० 50(2)/72-ए०पी०]

ग० जगन्नाथ, उप-सचिव ।

---

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 19th February 1972*

**G.S.R. 358.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class III and IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mica Mines Labour Welfare Fund Organisation (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1967,—

(i) for rule 4, the following rule shall be substituted, namely:—

"4 *Disqualification* —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule;"

(ii) in the Schedule,—

(a) in Part I-Andhra Pradesh—after serial No. 26 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :—

PART I—ANDHRA PRADESH

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Electrician | G.C.S. Class III Non-Ministerial Non-gazetted. | Rs. 125—3—131—4—155 | Not Applicable | Direct recruitment | 18—25 years | Middle School standard passed. Wireman's licence holder. Experience of Joh. | Two years | Not Applicable | Not Applicable |
| 28. Laboratory Technician/ Radiographer | Do. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Do. | Do. | Do. | *Essential* Matriculation or equivalent. Training in Hospital Laboratory work.<br>*Desirable* Laboratory Technician's Diploma from a recognised Institute. | Do. | Do. | Do. |
| 29. Projector/ Cinema Operator | Do. | Rs. 150—5—175—6—205 | Do. | Do. | Do. | *Essential* Certificate of competency in working 16 mm and 35 mm projectors with experience of atleast 3 years.<br>*Desirable* Matriculation or equivalent. | Do. | Do. | Do |
| 30. Supervisor | Do. | Rs. 180—10—290—EB—15—380 | Do. | Do. | Do. | Matriculation or equivalent with Diploma in Civil Engineering, or equivalent. Experience in building work preferred. | Do. | Do. | Do. |
| 31. Health Inspector | G.C.S. Class III Non-Ministerial Non-gazetted | Rs. 130—5—175—6—205—7—212 | No Applicable | Direct recruitment | 18—25 years | Matriculation or equivalent. Sanitary Inspector's course for one year. | Two years | Not applicable | Not applicable |
| 32. Draughtsman | Do. | Rs. 110—4—150—EB—4—170—5—180—EB—5—200 | Do. | Do. | Do. | Matriculation or equivalent. Five years experience in some Drawing office as a tracer or apprentice. | Do. | Do. | Do. |
| 33. Tutors in Community Centres (Sewing and needle work instructor) | G.C.S. Class IV Non-gazetted | Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110 | Do. | Do | Do. | Middle School Standard pass with experience in Sewing and Embrodary | Do. | Do. | Do. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34. Record Sorter | G.C.S. Class IV Non-Gazetted | Rs. 80—1—85—2—95—EB—3—110 | Non-Selection | By promotion 100%, failing which by direct recruitment | Not Applicable | Middle School Standard passed. | Two years | No | Peons in the scale of Rs. 70-85 with 5 year's of service in the grade. |
| 35. Night Watchman | Do. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Not applicable. | Direct recruitment | 18-25 years | *Essential* : Middle School Standard pass.<br>*Desirable* : An ex-serviceman. | Do. | Not applicable | Not applicable |

(b) in Part II—Bihar—after serial No. 43 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely :

PART II—BIHAR

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. Assistant Music Master | G.C.S. Class III Ministerial Non-gazetted | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—180 | Not applicable | Direct recruitment 100% | 18—25 years | Matriculation or equivalent. Diploma or degree in music from recognised institute. | Two years | Not applicable | Not applicable |
| 45. Mechanic Grade I | Do. | Rs. 150—5—165—6—205—EB—7—240 | Do. | Do. | Do. | Matriculation or equivalent. Passed motor mechanic training and possessing motor driving licence. | Do. | Do. | Do. |
| 46. Stenographer | Do. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—EB—10—300 | Do. | Do. | 18—24 years | Matriculation or equivalent, with speed of 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typing. | Do. | Do. | Do |
| 47. Accountant | Do. | Rs. 335—15—425 | Selection | By promotion | Not applicable | Not applicable. | Do. | Do. | (i) Head Clerk-cum-Accountant &(ii) Divisional Accountant with 5 years service in the grade. |
| 48. Yoga Instructor | G.C.S. Class III Non-Ministerial Non-Gazetted | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—380 | Not applicable | By promotion failing which by direct recruitment. | 18—25 years | Matriculation or equivalent. Atleast 4 years experience as Yoga Teacher in some authorised institution. | Do. | Age-No Educational qualification | Field Worker (Male) Rs. 130-300 with 3 years' service in the grade. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. Head Draftsman | G.C.S. Class III Non-Ministrial Non-gazetted. | R. 335—15—425 | Not applicable | By promotion, failing which by direct recruitmem. | 18—30 years | Matriculation or equivalent with a Civil Overseer or Draftsman Diploma of a recognized Institute and experience as Senior Draftsman in the Civil Engineering Department of the Central or State Government for 5 years. | Two years | No | Senior Draftsman in the scale of Rs. 205—280 with 3 years service in the grade. |
| 50. Instructor in basket making | Do. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300 | Do. | Direct recruitment | 18—25 years | Intermediate or equivalent with a diploma in basket making. | Do. | Not applicable | Not applicable. |
| 51. Co-operative Organiser | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | *Essential* : Degree in Arts or Commerce or Science with Mathematics as one of the subjects. *Desirable* : Training in Co-operative. | Do. | Do. | Do. |
| 52. Junior Draftsman | Do. | Rs. 150—5—175—6—205—EB—7—240 | Selection | 50% by promotion and 50% by direct recruitment | Do. | Matriculation or equivalent. Qualified draftsman from a recognised Engineering Instituion with 5 years' experience in buildings, designs, drawing and sound knowledge in estimating. | Do. | Age—No Educational Qualification—Yes | Tracer in the scale of Rs. 110—200 with 5 years' service in the grade. |
| 53. Linesman | Do. | Rs. 110—3—131 | Not applicable | By promotion, failing which by direct recruitment | Do. | Certificate of competance in linesmanship | Do. | Age—No Educational qualification—Yes | Assistant lineman with 3 years' service in the grade. |
| 54. Wireman | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Experience in line. Certificate of competency in Wiremanship. | Do | Do. | Do. |
| 55. Tracer | Do. | Rs. 110—4—150—EB—4—170—5—180—EB—5—200 | Do. | Direct recruitment. | Do. | Matriculation or equivalent. 5 years' experience in some Drawing Officer as a Tracer or Apprentice ; should be able to understand drawings and trace neatly. | Do. | Not applicable | Not applicable |
| 56. Assistant Linesman | G.C.S. Class IV Non-Ministerial Non-gazetted | Rs. 85—2—95—3—110 | Do. | Do. | Do. | Experience in line. | Do. | Do. | Do. |
| 57. Helper to Mechanic | Do. | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Do. | Do. | Do. | *Essential*: Middle School standard passed or equivalent. *Desirable* : A valid motor vehicles' droving licence. | Do. | Do. | Do. |
| 58. Masalchi | Do. | Do. | Do. | Do. | Do. | Middle School standard passed or equivalent. | Do. | Do. | Do. |

(c) in Part III—Rajasthan—after serial No. 27 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted namely :—

PART III—RAJASTHAN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. Stenographer | G.C.S. Class III Ministerial Non-gazetted. | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280—10—300. | Not applicable. | Direct recruitment 100% | 18-24 years. | Matriculation or equivalent with 100 words per minute speed in shorthand and 40 words per minute speed in typing. | Two years. | Not applicable. | Not applicable. |
| 29. Overseer | Do. | Rs. 180—10—290—EB—15—380. | Do. | Do. | 18-25 years. | Matriculation or equivalent. Diploma in Civil Engineering or equivalent. Experience in building work preferred. | Do. | Do. | Do. |
| 30. Warden | Do. | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | Selection | By promotion 100% failing which by direct recruitment. | 25-40 years. | Matriculation or equivalent. Preference will be given to those who have experience in hostels. | Do. | Do. | Games Supervisors with three years service in the grade. |

[No. A/12018/3/71-MIII.]

C. R. NAIR, Under Secy.

**(Department of Labour and Employment)**

*New Delhi, the 3rd March 1972*

**G.S.R. 359.**—Whereas certain draft regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, were published as required by sub-section (1) of section 59 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), at pages 3041 to 3047 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 27th September, 1969 under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of Labour and Employment) No. G.S.R. 2295, dated the 19th September, 1969, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 1st January, 1970;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th September, 1969;

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, the Central Government after referring the said draft to the Mining Boards constituted under the said Act and after giving such Boards a reasonable opportunity of reporting as to the expediency of making the proposed amendments and as to the suitability thereof, as required by sub-section (4) of section 59 of the said Act, hereby makes the following regulations further to amend the Coal Mines Regulations, 1957, namely:—

1. These regulations may be called the Coal Mines (Amendment) Regulations, 1972.

2. In sub-clause (iv) of clause (c) of sub-regulation (4) of regulation 87 of the Coal Mines Regulations, 1957 (hereinafter referred to as the said regulations) for the words and figures "in every mine or part thereof to which regulation 144 applies", the words "in every gassy seam of the second or third degree" shall be substituted.

3. In sub-regulation (3) of regulation 113 of the said regulations, for clauses (b) and (c) the following clauses shall be substituted namely:—

"(b) the sirdar or other competent person accompanied by such assistants as may be required shall within two hours before the commencement of work in a shift, inspect every part of the mine or district assigned to him, in which persons have to work or pass during the shift and all roadways and working places where work is temporarily stopped and shall ascertain the condition thereof as regards ventilation, sanitation, the presence of gases, the state of the roof and sides, presence of spontaneous heating and other fire risks, and generally so far as the safety of the persons is concerned. Similar inspections shall be made once at least in every four hours during which the shift continues, of all the roadways and other working places to which persons engaged in the mine or district are required to have access;

(c) the examination under clause (b) shall be made with an approved flame safety lamp and in case of a fiery seam also with a cage containing suitable birds or other means of detecting carbon monoxide gas approved by the Chief Inspector."

4. Regulation 116 of the said regulations, shall be renumbered as regulation 116A, and before the regulation so renumbered, the following regulation shall be inserted, namely:—

"116. *Classification of Coal seams according to their degree of gassiness.*—(1) After the coming into force of this regulation all the coal seams shall be classified into different degrees of gassiness by the Chief Inspector or an Inspector assisted by such assistants and after such investigation as he may consider necessary,

(2) If in a gassy seam the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of such gas increases so as to bring that seam into a higher degree of gassiness, the owner, agent or manager shall within 24 hours from his knowledge of such increase inform the Regional Inspector and also observe all the precautions required to be taken under these regulations in respect of a gassy seam of that degree. The Regional Inspector shall within 30 days of the receipt of such information verify the degree of gassiness by suitable investigation and classify the seam into the appropriate degree of gassiness

Provided that if it is not practicable to observe all the precautions required to be taken under these regulations within 24 hours stipulated in this sub-regulation the Regional Inspector, on a request in writing by the owner agent or manager, may defer the observance of the required precautions, subject to such conditions as he may specify, for a period not exceeding sixty days.

(3) If, in a gassy seam the percentage of inflammable gas in the general body of air or the rate of emission of inflammable gas decreases so as to bring that seam to a lower degree of gassiness, the owner, agent or manager may inform the Regional Inspector of the same The Regional Inspector shall within 30 days from the receipt of such information verify the degree of gassiness by suitable investigations and classify the same into appropriate degree of gassiness. Till such time as the Regional Inspector so classifies all the precautions required to be observed previously shall be observed.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) or (3) the Regional Inspector may at any time make investigations and reclassify a gassy seam into the appropriate degree of gassiness.

(5) The owner, agent or manager shall at least once in every 30 days examine the rate of emission of inflammable gas in cubic metres per tonne of coal raised and the percentage of inflammable gas in the general body of air as laid down in regulation 145. The results of every such examination shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose."

5 In sub-regulation (2) of regulation 118 of the said regulations, in the proviso,—

(i) in clause (i), for the words and figures "in the case of a mine to which regulation 144 does not apply", the words "in the case of gassy seam of the first degree" shall be substituted;

(ii) in clause (ii), for the words and figures "in the case of a mine where the provisions of regulation 144 apply", the words "in the case of a gassy seam of second or third degree" shall be substituted.

6 For regulation 121 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"121. *Apparatus for testing for Carbon Monoxide.*—In every fiery seam there shall be kept at the mine constantly available for use two or more suitable birds or other means of detecting carbon monoxide gas approved by the Chief Inspector:

Provided that the Regional Inspector may, by an order in writing, require compliance with this regulation in the case of any other mine also."

7. In regulation 122 of the said regulations, for sub-regulations (2) and (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

"(2) In any working mine, in which a fire is known or believed to exist,

(a) adequate precautions shall be taken to prevent the passage of air, from any part of the mine or from the surface, into the fire area through any broken strata.

(b) no work other than the precautions required by clause (a) shall be done in any part of the mine which is not effectively sealed off from any such goaf or broken strata.

(3) In every fiery seam or gassy seam of the second or third degree, arrangements shall be made once at least in every 30 days to ascertain the atmospheric condition behind the stoppings built to seal off the area of old workings or such goaf or a fire or spontaneous heating unless such stoppings are capable of resisting the force of an explosion."

8 After regulation 123B of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

"123C *Stone dust barriers*.—(1) In every gassy seam of the second or third degree additional precautions shall be taken by providing stone dust barriers to prevent an ignition or explosion from extending from one part of the mine to the other.

(2) Every such stone dust barrier shall be of such a type as may be approved by the Chief Inspector by a general or special order in writing and shall be maintained in such manner as may be specified in the said order:

Provided that the Chief Inspector may permit in any mine or part thereof any alternative precautionary measures to be taken in lieu of stone dust barriers."

9 In regulation 124 of the said regulations,—

(i) sub-regulation (1) shall be omitted;

(ii) in sub-regulation (2) the brackets and the figure "(2)" shall be omitted.

10 For regulation 131 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"131 *Main Mechanical Ventilator, its drive and fittings etc*.—(1) Every main mechanical ventilator in a mine shall be capable of producing adequate ventilation in the mine or part and shall be installed on the surface at a distance of not less than 10 metres from the opening of the shaft or incline at any point:

Provided that the provisions of this sub-regulation in so far as they require the installation of the main mechanical ventilator at a distance of not less than ten metres from the opening of the shaft or incline, shall not apply to a mechanical ventilator installed on the surface before this sub-regulation comes into force:

Provided further that in the case of a non fiery seam or gassy seam of the first degree and where the main mechanical ventilator has already been installed belowground before the 24th October, 1957 the Chief Inspector may, by order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit the use of such mechanical ventilator for a period to be specified in the permission

(2) In every gassy seam of the second or third degree if electricity is used for driving the mechanical ventilator electrical energy shall be supplied to the drive motor of the ventilator through a separate circuit from the main distribution point of the mine.

(3) There shall be provided and maintained at every main mechanical ventilator, a recording instrument to continuously register the pressure developed.

(4) Every main mechanical ventilator shall be so designed installed and maintained that the current of air can be reversed when necessary.

(5) At every shaft or incline ordinarily used for lowering or raising of persons or materials where a mechanical ventilator is installed there shall be provided a properly constructed air lock:

Provide that unless the Regional Inspector so requires by an order in writing the provisions of this sub-regulation shall not apply to a shaft or incline where a mechanical ventilator was installed before the 24th October, 1957".

11. In regulation 132 of the said regulations;—

(i) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely:—

"*Restriction on installation of mechanical ventilator belowground in fiery and certain gassy seams*":

(ii) for the opening paragraph, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"In every fiery seam or gassy seam of the second or third degree the following provisions shall have effect in relation to the installation belowground of booster fans."

(iii) in clause (1),

(a) for the words "No mechanical ventilator other than an auxiliary fan, shall be installed belowground", the words "No booster fan shall be installed belowground in the mine" shall be substituted.

(b) in the *Explanation*, for the word "ventilator" wherever it occurs, the words "booster fan" shall be substituted.

(iv) in clause (2) for the words "any ventilator installed belowground", the words "any booster fan installed belowground in the mine" shall be substituted.

12. In regulation 133 of the said regulations,

(i) for sub-regulation (1) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(1) In every fiery seam or gassy seam of the second or third degree where a booster or auxiliary fan is electrically driven, the drive motor, unless it is so constructed, installed, operated and maintained as to prevent the risk of open sparking, shall not be placed in a return airway."

(ii) in sub-regulation (2),

(a) after the words, "mechanical ventilator", the words "and booster fan" shall be inserted;

(b) after the words "interfere with any such ventilator", the words "and fan" shall be inserted;

(iii) in sub-regulation (3), after the words "mechanical ventilator", the words "and booster fan" shall be inserted;

(iv) in clause (a) of sub-regulation (4), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that in a non-fiery seam or a gassy seam of the first degree it shall be sufficient to take the air measurement once in every 30 days.";

(v) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(5) Every such ventilator or fan shall be in charge of a competent person appointed for the purpose, who shall not be entrusted with any other additional duties which may interfere with his duties as in charge of the ventilator or fan, as the case may be".

13. In regulation 135 of the said regulations, for sub-regulation (3) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(3) In every fiery seam or gassy seam of the second or third degree for every ventilating district there shall be provided two main intake airways one of which shall be used as a travelling roadway:

Provided that if the Regional Inspector is satisfied that compliance with this regulation is not reasonably practicable, he may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant exemption from the provisions thereof."

14. After regulation 136 of the said regulations, the following regulation shall be inserted, namely:—

"136A. *Velocity of Air Current*:—

The velocity of air current measured in metres per minute at the place shown in column (2) shall not be less than that shown in column (3) for the different seams shown in column (1) of the Table given below:—

| Degree of gassiness | Place where velocity of air is to be measured | Velocity of air |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| First degree | Immediate outbye ventilation connection from the face. | 30 |
| Second degree | (i) 4.5 metres from any face whether working or discontinued on the intake side of the brattice or partition; | 30 |
| | (ii) 7.5 metres outbye of the discharge end of an air pipe; | 15 |
| | (iii) at the maximum span of a longwall face. | 60 |
| Third degree | (i) 4.5 metres from any face whether working or discontinued on the intake side of the brattice or partition; | 45 |
| | (ii) 7.5 metres outbye of the discharge end of an air pipe; | 25 |
| | (iii) at the maximum span of a longwall face. | 75 |

Provided that if in the opinion of the Chief Inspector or the Regional Inspector the compliance with the above provision is not practicable or not necessary he may by an order in writing and subject to the conditions specified therein exempt partially or totally any mine from the provisions of this regulation."

15. In sub-regulation (4) of regulation 137 of the said regulations, for the opening words, figures and brackets "In every mine to which regulations 122(2) and 144 apply", the words "In every fiery seam or gassy seam of the second or third degree" shall be substituted.

16. In regulation 143 of the said regulations, for the words figures and brackets "In any seam in a mine to which regulations 122(2) and 144 apply", the words "In any fiery seam or gassy seam of the second or third degree" shall be substituted.

17. In regulation 144 of the said regulations,

(i) clauses (a), (b) and (c) and the first proviso shall be omitted;

(ii) in the second proviso, the word "further" shall be omitted.

18. In sub-regulation (1) of regulation 145 of the said regulations, for the words and figures "mine to which regulation 144 applies" the words "gassy seam of the second or third degree" shall be substituted.

19. In regulation 146 of the said regulations,

(i) in preamble, the words and figures "or part thereof to which regulation 144 applies", shall be omitted;

(ii) for clause (1), the following clause shall be substituted, namely:—

"(1) In every gallery, the current of air shall be conducted by means of fire-resistant brattices or pipes."

(iii) after clause (6) the following clauses shall be inserted, namely: —

"(7) No gallery in a gassy seam of the first degree shall be driven to a distance of more than 45 metres from the nearest ventilation connection unless the air is coursed upto a point within 45 metres from the face.

(8) No working or gallery in a gassy seam of second or third degree or in a gassy seam of first degree which has approached within 30 metres of a known dyke, fault or other geological disturbance shall be extended to a distance 4.5 metres from the nearest ventilation connection unless the air is coursed upto a point within 4.5 metres from the face."

20. In regulation 147 of the said regulations, in preamble, the words figures and brackets "to which regulations 122(2) and 144 apply" shall be omitted.

21. In regulation 148 of the said regulations, the words figures and brackets "to which regulations 122 (2) and 144 apply" shall be omitted.

22. In regulation 151 of the said regulations, for the proviso to sub-clause (viii) of clause (b) of sub-regulation (1), the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the lighting fixtures installed in a gassy seam of the second or third degree and in the blind ends of a gassy seam of the first degree which are not ventilated by a mechanical ventilator, shall comply with the provisions of the Indian Electricity Rules, 1956."

23. In regulation 155 of the said regulations, for the preamble, the following preamble shall be substituted, namely:—

"For ensuring proper maintenance of safety lamps in use in the mines the following provisions shall have effect, namely."

24. In regulation 166 of the said regulations,

(i) For sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) No person shall be appointed to be a shot-firer unless he holds:

(a) a Manager's or Overman's Certificate or a Sirdar's Certificate together with a Gas-testing Certificate in the case of a gassy seam of the second or third degree;

(b) a Manager's, Overman's or Sirdar's Certificate or a Shot-firer's Certificate together with a Gas-testing Certificate in the case of gassy seam of the first degree; and

(c) a Manager's, Overman's, Sirdar's or Shot-firer's Certificate in the case of open cast workings."

(ii) for sub-regulation (5) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(5) The Manager shall fix from time to time the maximum number of shots that a shot-firer may fire in any shift. Such number, however shall be based on;—

(i) the time normally required to prepare and fire a shot in accordance with the provisions of these regulations,

(ii) the time required for the shot-firer to move between places where shots are fired,

(iii) the assistance, if any, available to him in the performance of his said duties; and

(iv) any other duties assigned to him whether statutory or otherwise;

and shall not in any case exceed—

(a) in the case of a gassy seam of the second or third degree or a fiery seam, forty, if a singleshot exploder is used and eighty, if a multi-shot exploder is used;

(b) in the case of other seams fifty, if a single-shot exploder is used and hundred, if a multi-shot exploder is used; and

(c) in the case of open cast mines sixty, if a single-shot exploder is used or if blasting is done with ordinary detonators and one hundred and twenty, if a multi-shot exploder is used:

Provided that, if thirty or more persons are employed blowground at any one time in any mine or district under the charge of any official who is qualified to perform the duties of the shot-firer, such official shall not fire or be permitted to fire more than half the maximum number of shots specified in Clause (a), (b) and (c) depending on the category of the seam or mine specified therein:

Provided further that where special conditions exist, the Regional Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit a larger maximum to be fixed:

Provided further that where the Regional Inspector is of the opinion that, for the proper observance of the provisions of thess regulations the number of shots so fired shall be reduced, and if he so requires by an order in writing, the manager shall fix a lower maximum number of shots as specified by the Regional Inspector."

25. In sub-regulation (1) of regulation 167 of the said regulations, for clause (f) the following clause shall be substituted, namely:—

"(f) in every seam a tool of a type approved by the Chief Inspector for detecting cracks."

26. For regulation 171 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:—

"171. *Precautions against dry coal dust.* No shots shall be fired at any place belowground unless the place itself and all accessible places, including roof and sides, within a distance of 18 metres have been treated in the manner specified in sub-clause (b) of clause (4) of regulation 123 unless such places are naturally wet as defined in regulation 123."

27. In regulation 172 of the said regulations—

(i) clause (a) of sub-regulation (1) shall be omitted;

(ii) Clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) shall be reunmbered as clauses (a) and (b) respectively;

(iii) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) In a gassy seam of the second or third degree no explosives other than the permitted sheathed explosives or other explosives equally safe or any device or apparatus for breaking coal approved by the Chief Inspector shall be used while in a gassy seam of the first degree permitted sheathed explosives or permitted explosives or any device for breaking coal approved by the Chief Inspector in writing may be used:

Provided that the Chief Inspector may by any order in writing and subject to such conditions as he may specify therein permit in any gassy seam of the first degree the use of any explosives other than the permitted explosives.";

(iv) sub-regulation (3) shall be omitted.

28. In regulation 175 of the said regulations,

(i) for the preamble the following preamble shall be substituted, namely:—

"In any gassy seam the following additional precautions shall be taken;"

(ii) Clause (1) shall be omitted and clauses (2) to (6) shall be renumbered as clauses (1) to (5) respectively.

29. In regulation 181 of the said regulations for sub-regulation (2) the following sub-regulation, shall be substituted, namely:—

"(2) In every gassy seam of the second or third degree only flame proof electrical apparatus and equipment shall be used belowground unless otherwise provided for under the Indian Electricity Rules, 1956:

Provided that the Central Government or the Chief Inspector or an Inspector authorised by the Central Government may, subject to such conditions as may be specified, permit the continuance of the use of non-flame proof apparatus or equipment for a specified period, not exceeding one year, in any mine of the first degree gassiness, which has subsequently been classified as second or third degree gassiness."

30. In sub-regulation (2) of regulataion 186 of the said regulations,

(i) for the words and figures "In every mine to which regulation 144 applies" the words "In a gassy seam of the second or third degree" shall be substituted:

(ii) the following shall be added at the end, namely:—

"Every such person shall whilst on duty be provided with and carry an approved flame safety lamp."

31. In regulation 194 of the said regulations, for sub-regulation (2) the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

"(2) No person shall be appointed as a competent person under regulations 113, 114, 117(6), 124, 127(5), 141(1) and 142 unless he is the holder of either a Manager's or Overman's Certificate or a Sirdar's Certificate together with a gas testing certificate:

Provided that so much of this regulation as requires a person holding a Sirdar's Certificate to hold a Gas-testing Certificate also shall not apply to, persons employed above ground, or in opencast workings, or competent persons under regulation 117(6) or 127(5)."

[No. 1/21/69-MI-Amendment No. XIX.]

## श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 359**:—यत: कोयला खान विनियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारुप विनियम, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 2295 तारीख 19 सितम्बर, 1969 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, तारीख 27 सितम्बर 1969, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) के पृष्ठ 3041 से 3047 पर प्रकाशित हुए थे, और उनसे संभाव्यत: प्रभावित होने सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव 1 जनवरी, 1970 तक आमन्त्रित किए गए थे।

और यत: उक्त राजपत्र जनता को 27 सितम्बर, 1969 को उपलब्ध करा दिया गया था।

और यत: उक्त प्रारुप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, प्रारुप को उक्त अधिनियम के अधीन गठित खनन बोर्डों को निर्दिष्ट करने के पश्चात और ऐसे बोर्डों को प्रस्तावित संशोधन करने की समीचीनता और उनकी उपयुक्तता के बारे में रिपोर्ट देने का युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित है, कोयला खान विनियम, 1957, में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात :—

1. इन विनियमों का नाम कोयला खान (संशोधन) विनियम, 1972 होगा।

2. कोयला खान विनियम, 1957 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 87 के उपविनियम (4) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (4) में "प्रत्येक खान या उसके भाग में जिसे विनियम 144 लागू होता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक गैसपूर्ण परत में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त विनियमों के विनियम 113 के उपविनियम (3) में, खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"(ख) सिरदार या अन्य सक्षम व्यक्ति, ऐसे सहायकों के साथ जिनकी अपेक्षा की जाए, पारी में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व दो घन्टे के भीतर, उसे समनुदेशित खान या क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे भाग का जिसमें व्यक्तियों को काम करना पड़ता है या पारी के दौरान गुजरना पड़ता है और सभी मार्गों और कार्यस्थलों का जहां अस्थायी रुप से कार्य बन्द हो, निरीक्षण करेगाऔर संवातना, स्वच्छता, गैसों की विद्यमानता, छत और पार्श्वों की दशा स्वत: तपन और अन्य अग्नि जोखिमों की विद्यमानता और साधारण रूप से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा की दृष्टि से उनकी दशा को सुनिश्चित करेगा । सभी मार्गों और अन्य कार्यस्थलों, जहां खान या क्षेत्र में नियोजित व्यक्तियों से पहुंचने की अपेक्षा की जाती है, को तत्समान निरीक्षण,उन प्रत्येक चार घन्टों में जिनमें पारी चलती रहती है, कम से कम एक बार किया जाएगा ;

(ग) खण्ड (ख) के अधीन परीक्षा अनुमोदित ज्वाला नियापद दीप से और प्रज्वलनशील जोड की दशा मे समुचित बर्डस वाले केज से या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कार्बन मोनोआक्साइड गैस का पता चलाने वाले अन्य साधन से भी की जाएगी ।"

4. उक्त विनियमों का विनियम 116 विनियम 116 क के रूप में पुन: संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: सख्याकित विनियम से पूर्व निम्नलिखित विनियम अन्त. स्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"116. कोयले की परतो का उनकी गैसीयत की मात्रा के अनुसार वर्गीकरण:—

(1) इस विनियम के प्रवत्त होने के पश्चात सभी कोयला परतों को गैसीयता की विभिन्न मात्राओं में वर्गीकरण मुख्यनिरीक्षक या निरीक्षक द्वारा ऐसे सहायकों की सहायता से और ऐसे अन्वेषण के पश्चात जैसा वह आवश्यक समझें, किया जाएगा

(2) यदि किसी गैस पूर्ण पर्त में साधारणत: हवा में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत या ऐसी गैस के उत्सर्जन की मात्रा इस प्रकार बढ़ जाती है जिससे उस परत में गैसीयता की डिग्री और अधिक हो जाए तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक, ऐसी वृद्धि की अपनी जानकारी से 24 घन्टे के भीतर, प्रादेशिक निरीक्षक को सूचित करेगा और उस डिग्री की गसपूण परत् की बाबत इन विनियमों के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित सभी पूर्वाविधानियां बरतेगा । प्रादेशिक निरीक्षण ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, गैसीयता की डिग्री को समुचित अन्वेषण द्वारा सत्यापित करेगा और परत को गैसियता की समुचित डिग्री के अनुसार वर्गीकृत करेगा ;

परन्तु यदि इस उपनियम में अनुवद्ध 25 घन्टों के भीतर इन विनियमों के अधीन की जाने के लिए अपेक्षित सभी पूर्वाविधानियां बरतना साध्य नहीं हो तो प्रादेशिक निरीक्षक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक की लिखित प्रार्थना पर, अपेक्षित पूर्वाविधानियां का बरतना, एसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह विनिर्दिष्ट करे, साठ दिन से अधिक अवधि के लिए स्थगित कर सकता है ।

(3) यदि किसी गैसपूर्ण परत में साधारणत: हवा में प्रज्वलनशील गैस का प्रतिशत या ऐसी गैस के उत्सर्जन की मात्रा इस प्रकार घट जाती है जिस से उस परत मे गैसीयता की डिग्री और कम हो जाए, तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक उसके बारे में प्रादेशिक निरीक्षक को सूचित कमेगा । प्रादेशिक निरीक्षक, ऐसी सूचना की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, गैसीयता की डिग्री को समुचित अन्वेषण द्वारा सत्यापित करेगा और परत को गैसीयता की समुचित डिग्री के अनुसार वर्गीकरत करेगा । जब तक प्रादेशिक निरीक्षक इस प्रकार वर्गीकरण न करे तब तक वह तत्पूर्व की जाने के लिए अपेक्षित सभी पूर्वाविधानियों बरतेगा ।

(4) उपविनियम (2) या (3) मे किसी बात के होते हुए भी, प्रादेशिक निरीक्षक किसी भी समय अन्वेषण कर सकता है और गैसपूर्ण परत को गैसीयता की समुचित डिग्री के अनुसार पुन:-वर्गीकृत कर सकता है :

(5) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबन्धक, प्रत्येक 30 दिन में कम से कम एक बार, निकाले गए कोयले के प्रति मीटरिक टन के हिसाब से, ज्वलनशील गैस के उत्सर्जन की प्रति घन मीटर मात्रा की और साधारणत: हवा में ज्वलनशील गैस के प्रतिशत की परीक्षा करेगा, जैसा कि विनियम 145 मे अधिकथित है । ऐसा प्रत्येक परीक्षा के परिणाम इस प्रयोजन के लिए रखी गई जिल्द-बधी पृष्ठ-संख्यांकित पुस्तक में अभि-लिखित किए जाएगे ।"

5. उक्त विनियमों के विनियम 118 के उपनियम (2) में, परन्तुक में,—

(i) खंड (i) में "ऐसी खान की दशा में जिसे विनियम 144 लागू नहीं होता" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण कपरत की दशा में "शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ;

(ii) खंड (ii) में "ऐसी खान की दशा में जहां विनियम 144 के उपबंध लागू होते है" शब्दों और अकों के स्थान पर" "द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत की दशा में' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

6. उक्त विनियमों के विनियम 121 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"121 कार्बन मोनोआक्साइड के परीक्षण के लिए साधित्र :— खान में प्रत्येक कर उत्पन्न परत में सतत उपयोग के लिए दो या दो से अधिक वर्ड या मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कार्बन मोनोआक्साइड का पता चलाने के अन्य साधन रखे जाएंगे ;

परन्तु प्रादेशिक निरीक्षक , लिखित आदेश द्वारा, किसी अन्य खान की दशा में, इस विनियम के अनुपालन की अपेक्षा कर सकेगा ।"

7. उक्त विनियमों के विनियम 122 में, उपविनियम (2) और (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किए जायेंगे, अर्थात :—

"(2) किसी ऐसी खान में जिसमें काम चल रहा हो, जहां आग के विद्यमान होने का पता या विश्वास हो, (क) खान के किसी भाग या सतह से, किसी टूटी परत के अग्नि-क्षेत्र से हवा के गुजरने को रोकने के लिए पर्याप्त पर्वावधानियां की जाएंगी ;

(ख) खान से किसी ऐसे भाग से जो प्रभारी व्यक्ति के किसी ऐसी रद्दी खनिज या टूटी परत के लिए मुद्राबन्दन कर दिया गया हो, खंड (क) द्वारा अपेक्षित पूर्वावधानियों से भिन्न कोई कार्य नहीं किया जाएगा ।

(3) द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक प्रज्वलनशील या गैसपूर्ण परत में प्रत्येक 3 दिन में कम से कम एक बार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रबंध किया जाएगा कि कार्य के पुराने क्षेत्रों या ऐसी रद्दी खनिज या आग या स्वतः ताप को मुद्राबन्द करने के लिए निर्मित रोक पीछे का वातावरण क्या है, जब तक कि ऐसी रोकें विस्फोट के बल का प्रतिरोध करने में समर्थ न हों ।"

8. उक्त विनियम के विनियम 123 ख के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"123ग. पत्थर-चूर्ण रोधें : (1) द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक गैस पूर्ण परत में , किसी ज्वलन या विस्फोट को खान के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकने के लिए पत्थर-चूर्ण रोधों की व्यवस्था करके अतिरिक्त पूर्वावधानी की जाएगी ।

(2) ऐसी प्रत्येक पत्थर-चूर्ण रोध ऐसे प्रकार की होगी जैसा मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित किया जाए और उसका अनुरक्षण इस प्रकार किया जाएगा जैसा उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट हो ;

परन्तु मुख्य निरीक्षक किसी खान या उसके भाग में पत्थर-चूर्ण रोधों के स्थान पर वैकल्पिक पूर्वावधानी-उपाय करने की अनुज्ञा दे सकता है ।"

9. उक्त विनियमों के विनियम 124 में,—

(i) उपविनियम (1) लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ii) उपविनियम (2) मे कोष्ठक और अंक "(2)" लुप्त कर दिए जाएंगे ।

10. उक्त विनियमों के विनियम 131 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"131 मुख्य यांत्रिक वातायन, उसका चलना और फिटिंग आदि :—

(1) किसी खान मे प्रत्येक मुख्य वातायन खान या उसके भाग में पर्याप्त संवातन उत्पन्न करने में समर्थ होगा और उसे सतह पर शाफ्ट या ढाल मुंह पर किसी स्थल से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा ;

परन्तु इस उपविनियम के उपबंध, जहां तक वे इस बात की अपेक्षा करते है कि मुख्य यांत्रिक वातायन शाफ्ट या ढाल के मुंह से कम से कम 10 मीटर की दूरी पर लगाया जाए, इस उपविनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व सतह पर लगाए गए यांत्रिक वातायन को लागू नहीं होंगे

परन्तु यह और कि प्रथम डिग्री की अप्रज्वलनशील परत या गैसपूर्ण परत की दशा में और जहां मुख्य यांत्रिक वातायन 24 अक्टूबर, 1957 से पूर्व भूमि से नीचे पहले ही लगाया जा चुका हो वहां मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी वह उसमें विनिर्दिष्ट करे; ऐसे यांत्रिक वातायन का उपयोग अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए, अनुज्ञात कर सकता है ।

(2) द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक गैसपूर्ण परत में यदि यांत्रिक वातायन को चलाने में विद्युत का प्रयोग किया जाए तो वैद्युत ऊर्जा वातायन से चलान मोटर को खान के मुख्य वितरण बिन्दु से अलग सरकिट के माध्यम से दी जाएगी ।

(3) प्रत्येक मुख्य यांत्रिक वातायन पर के दाब को निरंतर रजिस्टर करने के लिए एक अभिलेखन उपकरण दिया और बनाए रखा जाएगा ।

(4) प्रत्येक मुख्य यांत्रिक वातायन इस प्रकार डिजाइन किया, लगाया और बनाए रखा जाएगा कि वायुधारा यथावश्यक प्रतिवर्तित किया जा सके ।

(5) सामान्यत : व्यक्तियों या सामान को नीचे या ऊपर ले जाने के लिए प्रयक्त प्रत्येक शाफ्ट या ढाल पर, जहां यांत्रिक वातायन लगा हुआ है, एक उचित रूप से खन्नि मित वायु-बंध की व्यवस्था की जाएगी ।

परन्तु जब तक कि प्रादेशिक निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा न करे, तब तक इस उपविनियम के उपबंध ऐसे शाफ्ट या ढाल को लागू नहीं होंगे यदि यांत्रिक वातायन 24 अक्तूबर, 1957 से पूर्व लगाया गया था ।"

11. उक्त वियनयमों के विनियम 132 में, –

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"भूमि के नीचे प्रज्वलनशील और कतिपय गैसपूर्ण परतों में यांत्रिक वातायन के लगने पर निबंन्धन"

(ii) आरंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्.—

"द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक प्रज्वलनशील या गसपूर्ण परत में भमि के नीचे बूस र पखे लगाने के सबंध मे निम्नलिखित उपबंध प्रभावी होगे ।"

(iii) खंड (i) में,

(क) "सहायक पंखे के सिवाय कोई यात्रिक वातायन भूमि के नीचे नही लगाया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "खान मे भूमि के नीचे कोई बूस्टर पखा नहीं लगाया ज एगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंग ।

(ख) स्पष्टीकरण में, 'वातायन' शब्द स्थान पर, वह जहां कहीं भी आए, "बूस्टर पंखा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेगे ।

(iv) खंड (2) में "भूमि के नीचे लगाया गया कोई वातायन" शब्दों के स्थान पर "खान में भूमि के नीचे लगाया गया कोई बूस्ट पंखा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. उक्त विनियमों के विनियम 133 मे,

(i) उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"(1) द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक प्रज्वलनशील या गैसपूर्ण परत में जहां बूस्टर या सहायक पम्प विद्युत प्रचालित हो वहां चालन-मोटर, जब तक कि वह इस प्रकार सन्निर्मित, स्थापित, प्रचालित और अनुरक्षित न हो कि खुले स्फुलिंग की जोखिम से बचा सके, वापसी वायु-मार्ग में नहीं रखे जाएंगे," ;

(ii) उपविनियम (2) में,

(क) "यांत्रिक वातायन" शब्दों के पश्चात्, "बूस्टर पंखा" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "किसी ऐसे वातायन" शब्दों के पश्चात् "और पंखे" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) उपविनियम (3) में, "यांत्रिक वातायन" शब्दों के पश्चात्, "और बूस्टर पंखा" शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे ;

(iv) उपविनियम (4) केखण्ड (क) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् .—

"परन्तु प्रथम डिग्री की अप्रज्वलनशील या गैसपूर्ण परत में प्रत्येक 30 दिन में एक वायु परिमाप लेना पर्याप्त होगा ।"

(v) उपविनिमम (4) पश्चात , निम्नलिखित उपविनियम अन्त स्थापित किया जाएगा अर्थात –

"(5) प्रत्येक ऐसा वातायन या पंखा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त सक्षम व्यक्ति के भारसाधन में होगा, जिसे कोई अन्य अतिरिक्त कर्त्तव्य नहीं सौपे जाएंगे जो, यथास्थिति, वातायन या पंखे के भारसाधक के रूप में उसके कर्त्तव्यों में अड़चन डालें ।"

13. उक्त वियनयमों के विनियम 135 में, उपविनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(3) प्रत्येक वातायन क्षेत्र के लिए द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक प्रज्वलनशील परत या गैसपूर्ण परत में, दो मुख्य अन्तर्गत वायुमार्गों की व्यवस्था की जाएगी, जिन मे से एक चल रौडबे के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा ।

परन्तु यदि प्रादेशिक निरीक्षक का समाधान हो जाए कि इस विनियम का अनुपालन युक्तियुक्त रूप में साध्य नही है तो वह लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, उसके उपबन्धों से छूट दे सकेगा ।"

14. उक्त विनियमो के विनियम 136 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"136 क वायु धारा का वेग :—

स्तम्भ (2) में दर्शित स्थान पर प्रतिमिनट मीटरों में मापी जाने वाली हवाधारा का वेग नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में दर्शित विभिन्न

पंखों के लिए स्तम्भ (3) में दर्शित वेग से कम नहीं होगा—

सारणी

| गैसीयता की डिग्री | स्थान जहां हवा के वेग को मापा जाना है | हवा का वेग |
|---|---|---|
| प्रथम डिग्री | फेस के ठीक साथ वहिर्वातायन कनेक्शन | 30 |
| द्वितीय डिग्री | (i) ब्रैटिस विभाजन के अन्तर्गत पार्श्व पर, चाहे चालू हो या बन्द हो, किसी फेस से 4.5 मीटर ; | 30 |
| | (ii) हवा नली के निष्कासन सिरे का 7.5 मीटर बहिर्गम | 15 |
| | (iii) लौंगवाल फेस के अधिकतम पाट पर | 60 |
| तृतीय डिग्री | (i) ब्रैटिस या विभाजन के अन्तर्गत पार्श्व पर, चाहे चालू हो या न रहा हो, किसी फेस से 4.5 मीटर : | 45 |
| | (ii) हवा-नली के निष्कासन-सिरे का 7.5 मीटर बहिर्गम | 25 |
| | (iii) लौंगवाल फेस के अधिकतम पाट पर | 75 |

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक या प्रादेशिक निरीक्षक की राय में उपर्युक्त उपबन्ध का अनुपालन साध्य या आवश्यक नहीं हो तो वह लिखित आदेश द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी खान को, अंशत: या पूर्णत इस विनियम के उपबन्धों से छूट दे सकता है।"

15. उक्त विनियमों के विनियम 137 के उपविनियम (4) में "प्रत्येक खान में जिसे विनियम 122(2) और 144 लागू होते हैं" आरम्भिक शब्दों, अंकों और कोष्ठको के स्थान पर "द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक प्रज्वलनशील परत या गैसपूर्ण परत मे" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

16. उक्त विनियमों के विनियम 143 में "किसी खान की किसी परत में जिसे विनियम 122(2) और 144 लागू होते हैं" शब्दों के स्थान पर "द्वितीय या तृतीय डिग्री की किसी प्रज्वनशील या गैसपूर्ण परत में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. उक्त विनियमों के विनियम 144 में,

(i) खण्ड (क), (ख) और (ग) तथा प्रथम परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) द्वितीय परन्तुक में, "और आगे" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

18. उक्त विनियमों के विनियम 145 के उपविनियम (1) में, "खान जिसे विनियम 144 लागू होता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

19. उक्त विनियमों के विनियम 146 में,

(i) उद्देशिका में "या उसका भाग जिसे विनियम 144 लागू होता है" शब्द और अंक लुप्त कर दिए जाएंगे ;

(ii) खण्ड (1) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक गैलरी में, वायु द्वारा अग्नि रोधी ब्रैटिसों या नलियों द्वारा प्रवाहित की जाएगी।"

(iii) खण्ड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:-स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(7) प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण परत में कोई गैलरी निकटतम वातायन जोड़ से 45 मीटर से अधिक दूरी तक नही चलायी जाएगी, जब तक कि हवा, फेस से 45 मीटर के अन्दर किसी स्थल तक प्रवाहित न हो।

(8) द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत में या प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण परत में का कोई कार्यस्थल (वर्किंग) या गैलरी, जो किसी ज्ञात मिति, प्रंश या अन्य भूभौतिकीय विक्षोभ के 30 मीटर के अन्दर हो, निकटतम वातायन जोड़ से 4.5 मीटर की दूरी तक, नहीं बढ़ाई जाएगी, जब तक कि हवा, फेस से 4.5 मीटर के अन्दर किसी स्थल तक प्रभावित न हो।

20. उक्त विनियमो के विनियम 147 मे, उद्देशिका में, "जिसे विनियम 122(2) और 144 लागू होते है," शब्द, अंक और कोष्ठक लुप्त कर दिए जाएंगे।

21. उक्त विनियमों के विनियम 148 में, "जिसे विनियम 122(2) और 144 लागू होते हैं" शब्द, अंक और कोष्ठक लुप्त कर दिए जाएंगे।

22. उक्त विनियमों के विनियम 151 में उपविनियम (i) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (viii) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत में और प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण परत में के बन्द सिरों में, जो यांत्रिक वातायन द्वारा संवातित नहीं हैं, संस्थापित विद्युत फिक्सचर भारतीय विद्युत नियम, 1956 के उपबन्धों के अनुरूप होंगे।"

23. उक्त विनियमों के विनियम 155 में, उद्देशिका के स्थान पर, निम्नलिखित उद्देशिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"खानों में प्रयुक्त निरापद दीपों को उचित अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात् : —

24. उक्त विनियमों के विनियम 166 में,

(i) उपविनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(2) कोई भी व्यक्ति शॉट फायरर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास :

(क) द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत की दशा में गैस परीक्षण प्रमाणपत्र सहित प्रबन्धक का या ओवरमैन का या सिरदार का प्रमाणपत्र ;

(ख) प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण परत की दशा में गैस-परीक्षण प्रमाण-पत्र सहित प्रबन्धक का, ओवरमैन का या सिरदार का प्रमाण-पत्र या शॉट-फायरर का प्रमाणपत्र, और

(ग) विवृत खनिज कार्यस्थलों की दशा में प्रबन्धक, ओवरमैन का, सिरदार का या शॉट-फायरर का प्रमाणपत्र" ;

न हो।

(ii) उपविनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(5) प्रबन्धक समय-समय पर उन विस्फोटों की, जो शॉट-फायरर किसी पारी में फायर कर सकता है, अधिकतम संख्या नियत करेगा,

तथापि, यह संख्या निम्नलिखित पर आधारित होगी :—

(i) इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार विस्फोट की तैयारी करने और विस्फोट करने के लिए सामान्यतः अपेक्षित समय ;

(ii) जिन स्थानों पर विस्फोट किए जा रहे हों उनके बीच आने जाने के लिए शार्ट-फायर द्वारा अपेक्षित समय ;

(iii) उसके उक्त कर्तव्यों का पालन करने में उसे उपलब्ध सहायता, यदि कोई हो ; और

(iv) उसे समनुदेशित कानूनी या अन्यथा कोई अन्य कर्तव्य ;

और किसी भी दशा में सनिम्नलिखित से अधिक नहीं होगी—

(क) द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत की दशा में चालीस, यदि एकल शात-विस्फोटक प्रयोग किया जाए और अल्पी यदि बहु-शाट-विस्फोटक का प्रयोग किया जाए ;

(ख) अन्य परतों की दशा में पचास, यदि एकल-शाट विस्फोटक का प्रयोग किया जाए और सौ, यदि बहु-शाट विस्फोटक का प्रयोग किया जाए ; और

(ग) विवृत खान की दशा में साठ, यदि एकल-शाट-विस्फोटक का प्रयोग किया जाए या यदि विस्फोट सामान्य विस्फोट-प्ररकों द्वारा किया जाए, और एक सौ बीस यदि बहु-शाट विस्फोटक का प्रयोग किया जाए ;

परन्तु यदि किसी अधिकारी के, जो शॉट-फायरर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए अर्हित है, भारसाधान में किसी खान या क्षेत्र में, किसी भी समय, भूमि के नीचे तीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों तो ऐसा अधिकारी/ऐसे अधिकारी को, उसमें विनिर्दिष्ट परत या खान के प्रवर्क के आधार पर, खण्ड (क) (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शॉटों की अधिकतम संख्या के आधे से अधिक शाट फायर नही करेगा / करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

परन्तु यह और कि जहां विशेष परिस्थितियां विद्यमान हों वहां प्रादेशिक निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उच्चतर अधिकतम संख्या नियत करने की अनुज्ञा दे सकता है।

परन्तु यह और भी कि जहां प्रादेशिक निरीक्षक की राय हो कि इन विनियमों के उपबन्धों के समुचित अनुपालन के लिए फायर किए गए शाटों की संख्या कम कर दी जाए और, यदि वह लिखित आदेश द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा करे, तो प्रबन्धक, प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शॉटों की निम्नतर अधिकतम संख्या नियत करेगा।

25. उक्त विनियमों के विनियम 167 के उपविनियम (1) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(च) प्रत्येक परत में दरधा पता लगाने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित प्रकार का औजार।"

26. उक्त विनियमों के विनियम 171 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"171. कोयले के सूखे चूरे के प्रति पूर्वावधानियां— भूमि के नीचे किसी स्थान पर कोई शॉट तब तक फायर नहीं किए जाएंगे जब तक कि स्वयं वह

स्थान और 18 मीटर की दूरी के अन्दर सब पहुंच-योग्य स्थान, जिसमें छत और बाजू की दीवारें भी हैं, विनियम 123 के खण्ड (4) के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट रीति से साधित न किए जाएं, जब तक कि ऐसे स्थान विनियम 123 में यथापरिभाषित, प्राकृतिक रूप से गीले न हों।"

27. उक्त विनियमों के विनियम 172 में,—

(i) उपविनियम (1) के खण्ड (क) का लोप कर दिया जाएगा ;

(ii) उपविनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) क्रमशः खण्ड (क) और (ख) के रूप में पुनः संख्यांकित किए जाएंगे ;

(iii) उपविनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत में, अनुज्ञात छादित विस्फोटकों या उतने ही सुरक्षित अन्य विस्फोटकों या कोयला तोड़ने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किसी युक्ति या साधित्र से भिन्न विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जाएगा जबकि प्रथम डिग्री की गैसपूर्ण परत में अनुज्ञात छादित विस्फोटकों या अनुज्ञात विस्फोटकों या कोयला तोड़ने के लिए मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित किसी युक्ति का प्रयोग किया जा सकेगा।

परन्तु मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के जैसी वह उसमें विनिर्दिष्ट करे, अधीन रहते हुए, प्रथम डिग्री की किसी गैसपूर्ण परत में अनुज्ञात विस्फोटकों से भिन्न किन्हीं विस्फोटकों का प्रयोग अनुज्ञात कर सकता है।" ;

28. उक्त विनियमों के विनियम 175 में,

(i) उद्देशिका के स्थान पर निम्नलिखित उद्देशिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"किसी भी गैसपूर्ण परत में निम्नलिखित अतिरिक्त पूर्वावधानियां बरती जाएंगी—"

(ii) खण्ड (1) का लोप कर दिया जाएगा और खण्ड (2) से (6) को क्रमशः खण्ड (1) से (5) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, अर्थात्:—

29. उक्त विनियमों के नियम 181 में, उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) द्वितीय या तृतीय डिग्री की प्रत्येक गैसपूर्ण परत में, भूमि के नीचे केवल ज्वलनरोधी विद्युत साधित्र और उपस्कर का प्रयोग किया जाएगा जब तक कि भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधीन अन्यथा उपबन्धित न हो ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार या मुख्य निरीक्षक या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत निरीक्षक, ऐसी शर्तों के जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं अधीन रहते हुए, प्रथम डिग्री की गैसीयत की किसी खान में, जिसे पश्चाततः द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसियता वाली खान के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, एक वर्ष से अनधिक, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अज्वलनरोधी साधित्र या उपस्कर का प्रयोग जारी रखने की अनुज्ञा दे सकेगा।"

30. उक्त विनियमों के विनियम 186 के उपविनियम (2) में,

(i) "प्रत्येक खान में जिसे विनियम 144 लागू होता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसपूर्ण परत में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे :

(ii) अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जब वह कर्तव्य पर हो, एक अनुमोदित ज्वाला निरापद दीप दिया जाएगा और वह उसे साथ रखेगा।"

31. उक्त विनियमों के विनियम 194 में, उपविनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"(2) वह व्यक्ति, जिसके पास, गैस परीक्षण प्रमाणपत्र सहित प्रबन्धक या ओवरमैन का प्रमाणपत्र या सिरदार का प्रमाणपत्र न हो, विनियम 113, 114, 117(6), 124, 127(5), 141(1) और 142 के अधीन सक्षम व्यक्ति के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस विनियम का उतना, जिसमें सिरदार के प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्ति से गैस परीक्षण प्रमाणपत्र भी धारण करने की अपेक्षा की गई हो, भूमि के ऊपर या विवृत खनित में नियोजित व्यक्तियों, या विनियम 117(6) या 127 (5) के अधीन सक्षम व्यक्तियों को लागू नहीं होगा।"

[सं० 1/21/69-एम०आई संशोधन सं०XIX]

ज०डी० तिवारी, अवर सचिव।

**(Department of Labour and Employment)**

*CORRIGENDUM*

*New Delhi, the 22nd February 1972*

**G.S.R. 360.**—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour & Employment) No. G.S.R. 41 dated the 16th December, 1971, published at page 176 of the Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (i) dated the 1st January, 1972, in draft regulation 1, for "Coal Mines," read "Metalliferous Mines."

[No. S. 29012/1/71-MI.]
J. D. TEWARI, Under Secy.

---

**CABINET SECRETARIAT**

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 7th February 1972*

**G.S.R. 361.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Assistant Secretary, Central Secretariat Sports Control Board, Department of Personnel, Cabinet Secretariat, Recruitment Rules, 1971, namely:—

1. These rules may be called the Assistant Secretary Central Secretariat Sports Control Board, Department of Personnel, Cabinet Secretariat Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

2 They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to the Assistant Secretary, Central Secretariat Sports Control Board, Department of Personnel, Cabinet Secretariat Recruitment Rules, 1971 in column 11, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Assistants of the Central Secretariat Service with 5 years service in the grade having experience of organising sports meets/tournaments and cultural programmes like drama, music etc. (period of deputation—ordinarily not exceed-3 years)".

[No. A-12018/11/71-Ad I]
A. S. GUPTA, Under Secy.

**मंत्रिमंडल सचिवालय**

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1972

सा० का० नि० 361.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सहायक सचिव, केन्द्रीय सचिवालय क्रीडा नियंत्रण मण्डल, मंत्रिमण्डल सचिवालय कार्मिक विभाग भर्ती नियमावली, 1971 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम सहायक सचिव, केन्द्रीय सचिवालय क्रीड़ा नियंत्रण मण्डल, मंत्रिमण्डल सचिवालय, कार्मिक विभाग भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

सहायक सचिव, केन्द्रीय सचिवालय क्रीड़ा नियंत्रण मण्डल, मंत्रिमण्डल सचिवालय, कार्मिक विभाग भर्ती नियमावली, 1971 की अनुसूची में कालम 11 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक जिनकी उस ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो और जो क्रीडा/टूर्नामेंट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे ड्रामा संगीत आदि का आयोजन करने का अनुभव रखते हों। (प्रतिनियुक्ति की अवधि—साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा)।

[सं० ए०-12018/11/71प्रशासन I—I]

ए० एस० गुप्ता, अवर सचिव।

---

**(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 18th March 1972*

**G.S.R. 362.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the All-India Services (Dearness Allowance) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the first day of April, 1972.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires "a member of the Service" means a member of an All-India Service as defined in section 2 of the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951).

3. **Regulation of dearness allowance.**—Every member of the Service shall be entitled to draw dearness allowance at the rates specified by the Central Government from time to time

4. **Interpretation**—If any question arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for decision.

[No. 1/13/70-AIS(II).]
ANNA R. GEORGE, Jt. Secy.

**(कार्मिक विभाग)**

नई दिल्ली, 18 मार्च, 1972

सा० का० नि० 362.—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार सम्बन्धित राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(i) ये नियम अखिल भारतीय सेवा (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(ii) ये नियम अप्रैल, 1972 के प्रथम दिन से लागू होंगे।

2. **परिभाषा.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "सेवा के किसी सदस्य" का अभिप्राय अखिल भारतीय सेवामें अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 2 में वर्णित किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्य से है।

3. **महंगाई भत्ते का विनिमयन.**—सेवा का प्रत्येक सदस्य, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट की गई दरों पर महंगाई भत्ता पाने का हकदार होगा।

4. **निर्वचन :**—इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठने पर, इसे केन्द्रीय सरकार को विनिश्चय हेतु भेजा जायेगा।

[सं० 1/13/70-अ० भा० से० (II)]
अन्ना आर० जार्ज, संयुक्त सचिव।

## MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

### ORDERS

*New Delhi, the 18th December 1971*

**G.S.R. 363.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred on the Central Government by rule 93 of the Defence of India Rules, 1971 shall also be exercised and discharged by the officers mentioned below:—

(1) Director General of Civil Aviation.
(2) Deputy Director General of Civil Aviation.
(3) Any Controller of Aerodromes.
(4) Any Controller of Aeronautical Inspection.
(5) Any Senior Aerodrome Officer.
(6) Any Senior Aircraft Inspector.
(7) Any Aerodrome Officer.
(8) Any Assistant Aerodrome Officer.
(9) Any Aircraft Inspector.

[No. F. Av. 11015/9/71-A-I ]

### पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1971

सा० का० नि० 363—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 93 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग और निर्वहन नीचे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा.—

1. नागर विमानन महानिदेशक
2. नागर विमानन उप-महानिदेशक
3. हवाई अड्डों का कोई भी नियंत्रक
4. कोई भी वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रक
5. कोई भी ज्येष्ठ हवाई अधिकारी
6. कोई भी जेष्ठ वायुयान निरीक्षक
7. कोई भी हवाई अड्डा अधिकारी
8. कोई भी सहायक हवाई अड्डा अधिकारी
9. कोई भी वायुयान निरीक्षक

[सं० फा० ए० वी० 11015/9/71-ए०-1]

---

**G.S.R. 364.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred on the Central Government by rule 92 of the Defence of India Rules, 1971 shall also be exercised and discharged by the officers mentioned below:—

(1) Director General of Civil Aviation.
(2) Deputy Director General of Civil Aviation.
(3) Any Controller of Aerodromes.
(4) Any Controller of Aeronautical Inspection.
(5) Any Senior Aerodrome Officer.
(6) Any Senior Aircraft Inspector.
(7) Any Aerodrome Officer.
(8) Any Assistant Aerodrome Officer.
(9) Any Aircraft Inspector.

[No. F. Av. 11015/9/71-A

सा० का० नि० 364—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन नीचे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा :

1. नागर विमानन महानिदेशक
2. नागर विमानन उप महानिदेशक
3. हवाई अड्डो का कोई भी नियत्रक
4. कोई भी वैमानिकी निरीक्षण नियत्रक
5. कोई भी ज्येष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी
6. कोई भी ज्येष्ठ वायुयान निरीक्षक
7. कोई भी हवाई अड्डा अधिकारी
8. कोई भी सहायक हवाई अड्डा अधिकारी
9. कोई भी वायुयान निरीक्षक

[स० फ० ए वी 11015/9/71-ए]

---

*New Delhi, the 22nd December 1971*

**G S.R. 365.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 34 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby directs that the powers conferred on the Central Government by rule 175 of the Defence of India Rules, 1971 shall also be exercised and discharged by the officers mentioned below:—

(1) Director General of Civil Aviation.
(2) Deputy Director General of Civil Aviation
(3) Any Controller of Aerodromes.
(4) Any Controller of Aeronautical Inspection.
(5) Any Senior Aerodrome Officer.
(6) Any Senior Aircraft Inspector.
(7) Any Aerodrome Officer.
(9) Any Aircraft Inspector.
(8) Any Assistant Aerodrome Officer.

[No. F. Av. 11015/9/71-A.]
S. N. KAUL, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1971

सा०का०नि० 365.—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निदेश देती है कि

भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 175 द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन नीचे उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. नागर विमानन महानिदेशक
2. नागर विमानन उप-महानिदेशक
3. हवाई अड्डों का कोई भी नियंत्रक
4. कोई भी वैमानिकी निरीक्षण नियंत्रण
5. कोई भी ज्येष्ठ हवाई अड्डा अधिकारी
6. कोई भी ज्यष्ठ वायुयान निरीक्षक
7. कोई भी हवाई अड्डा अधिकारी
8. कोई भी सहायक हवाई अड्डा अधिकारी
9. कोई भी वाययान निरीक्षक

[सं०फा० ए० वी०11015/9/71-ए]

सुरेन्द्र नाथ कोल, उप सचिव ।

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

*New Delhi, the 23rd February 1972*

**G.S.R. 366.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Film and Television Institute of India (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Film and Television Institute of India (Class III and Class IV Posts) Recruitment (2nd Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Film and Television Institute of India (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1961, against serial number 42 in column number 9 for the existing entry the following entry shall be substituted, namely:—

"Below 35 years (relaxable by Ministry of Information and Broadcasting in the case of candidates otherwise well qualified)".

[No. F. A. 12018/3/71-FA.]

K. K. KHAN, Under Secy.

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1972

**जी०एस०आर० 366**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारतीय फिल्म संस्थान (श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार पद) भर्ती नियमावली, 1961 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात —

1. (1) इन नियमो को भारतीय फिल्म संस्थान (श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार पद) भर्ती (द्वितीय सशोधन) नियमावली 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय फिल्म सस्थान (श्रेणी-तीन और श्रेणी-चार पद) भर्ती नियमावली, 1961 की अनुसूची मे, क्रम संख्या 42 के सामने कालम 9 के अन्तर्गत दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"35 वर्ष से कम (अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों मे सूचना और प्रसारण मत्रालय द्वारा छूट दी जा सकेगी)।

[सं० फा० ए 12018/3/71-एफ (ए)]

के० के० खान, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 2nd March 1972*

**G.S.R. 367.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

1 (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 for Serial No. 6 "Inspector of Accounts" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "6 | Inspector of Accounts | 3 | General Central Services Class II Gazetted (Non-Ministerial) | Rs. 590—30—830—35—900, | Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | 2 years |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| By promotion failing which by transfer on deputation 33 1/3%.<br><br>By transfer on deputation 66 2/3 % | *Promotion* :<br>Administrative Officers (Rs. 350—580), All India Radio, with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.<br><br>*Transfer on deputation* :<br>Officers of the rank of Accounts/Audit Officers or S.A.S. Accountant with 5 years service in the grade, from any of the organised Accounts Department e. g. Indian Audit and Accounts Department Indian Defence Accounts Department and Indian Railway Accounts Department.<br>(Period of deputation—ordinarily not exceeding 3 years). | Class II Departmental Promotion Committee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958." |

[No. F. 17/9/69-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली 2 मार्च, 1972

**जी० एस० आर० 367.**— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रपति, आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती संशोधन नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (द्वितीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1962 की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 लेखा निरीक्षक तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| "6. | लेखा निरीक्षक | 3 | सामान्य केन्द्रीय सेवा, द्वितीय श्रेणी राजपत्रित (अलिपिक वर्गीय)] | 590—30—830—35—900 रुपये । |

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| चयन | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । | 2 वर्ष । |

| 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|
| पदोन्नति द्वारा, इसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 33 1/3 प्रतिशत । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 66 2/3 प्रतिशत । | **पदोन्नति :**<br>आकाशवाणी के वे प्रशासनिक अधिकारी (350–680 रु०) जिनकी इस पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा हो ।<br>**प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :**<br>किसी भी संगठित लेखा विभाग अर्थात् भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग, भारतीय रक्षा लेखा विभाग तथा भारतीय रेलवे लेखा विभाग से लेखा अधिकारी लेखा परीक्षा अधिकारी या वे एस० ए० एस० लेखाकार जिनका ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | द्वितीय श्रेणी विभागीय पदोन्नति समिति । | जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत अपेक्षित है । |

[संख्या एफ० 17/9/69–बी (ए)]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव ।

**MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE**

**(Department of Culture)**

*New Delhi, the 1st March, 1972*

**G.S.R. 368.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the National Gallery of Modern Art (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1966 published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Education No. G.S.R. 1283, dated the 10th August, 1966, namely:—

Dated 2nd March, 1972.

1. (1) These rules may be called the National Gallery of Meodren Art (Class III and IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Gallery of Modern Art (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1966, after Item 20 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

*As per Schedule attached.

| Name of Post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or Non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21. Station Wagon Driver | 1 | General Central Services, Class III (Non-Gazetted Non-Ministerial) | Rs. 110—3—131—4—139. | Not applicable | 22-30 years | *Essential* :<br>(i) Possession of a valid Driving Licence for motor cars.<br>(ii) Knowledge of motor mechanics experience of driving a motor car for at least five years.<br>*Desrable* :<br>A pass in the 8th standard. |

| Whether age & Educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the Case of promotion. | Per od of of probation if any. | Method of recru tment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion deputation/transfer grades from wh ch promotion deputation/transfer to be made | If a D P.C. exists what is its composition. | C rcumstances in which U.P.S C is to to be consulted in mak ng recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not appl cable | 2 years | By transfer, fa ling wh ch, by direct recruitment. | By transfer on the result of a test in driving designed to adjudge su t-abil ty for the post with reference to standards of competence considered essential in drivers of staff cars, from amongst the regular class IV employees of the National Gallery of Modern Art who possess the qualifications mentioned in Column 7. | Not applicable | Not applicable |

[No. A.12018/3/71-CAI(5).]

S. L. DUTT, Under Secy.

## शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

### (संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1972

**जी० एस० आर० 368.** —संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रपति एतद्-द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (वर्ग 3 और 4 पदों) के नियुक्ति नियमों, 1966 को, जो कि भारत सरकार के भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1293, दिनांक 10 अगस्त, 1966 में प्रकाशित किये गये थे, और अधिक संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) नियुक्ति (संशोधन) नियम, 1972 कहा जाये ।

(2) सरकारी राजपत्र में इनके छपने की तारीख से ये लागू होंगे ।

2. राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (वर्ग 3 और 4 पद) नियुक्ति नियमों, 1966 की अनुसूची में मद 20 और इससे सबन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां शामिल की जायगी अर्थात् :—

जैसा संलग्न अनुसूची में दिया गया है ।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या प्रवरण पद है अथवा अप्रवरण पद | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये आयु, | प्रत्यक्ष भर्ती वालों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य योग्यतायें |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| "21. स्टेशन वेगन-चालक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 (अराजपत्रित अलिपिक वर्गीय) | रु० 110–3–131 4–139 । | लागू नही होता | 23–30 वर्ष | **अवश्यक :**<br>(1) मोटर-कार के लिये वैध चालक लाइसेंस ।<br>(2) मोटर मैकेनिक का ज्ञान और कम से कम पांच वर्षों का मोटर–कार चलाने का अनुभव ।<br>**वांछनीय :**<br>8वीं कक्षा उत्तीर्ण । |

| क्या प्रत्यक्ष भर्ती करने वालों के लिये निर्धारित की गई आयु तथा शैक्षिक योग्यतायें पदोन्नति के विषय में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो तो | भर्ती की प्रणाली प्रत्यक्ष अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/तबादले द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता | यदि नियुक्ति,पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाये तो उन ग्रेडों के उल्लेख जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/तबादला किया जाना है | यदि विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है | परिस्थितियां जिनके अधीन भर्ती करने के विषय में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है । |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं होता । | 2 वर्ष | तबादले द्वारा ऐसा न होने पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा । | स्टाफ कारों के चालकों के लिये आवश्यक समझे गये सक्षमता के मानकों के संदर्भ मे इस पद के लिये उपयुक्तता के परखने हेतु निर्धारित वाहन चलाने (ड्राइविंग) की परीक्षा के परिणाम पर राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी के उन स्थायी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले द्वारा जिनके पास कालम 7 में उल्लिखित योग्यतायें हैं । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[संख्या ए० 12016/3/71-सी०ए०I-5]

एस० एच० बख्त, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

*New Delhi, the 6th January 1972*

**G.S.R. 369.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to class III and class IV (Non-Gazetted) Ministerial posts in the office of Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farakka Barrage Project under the Ministry of Irrigation and Power, namely:—

1. **Short title.**—(1) These rules may be called the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farakka Barrage Project (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their Publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number of posts, classification, scales of pay, method of recruitment, age limit, educational qualification etc.**—The number of posts their classification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 2—13 of the said schedule.

4. **Disqualification for appointment.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

**Provided that the Central** Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

*Recruitment rules for the Class III & VI posts (s) in the office of* SCHE *Financial*

| Name of post | No of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection post or non-Selection post | Age for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Office Superintendent. | 1 | General Central Service classIII (Non Gazetted) Ministerial | Rs. 350-20-450 25-475 | Selection | Not applicable | Not applicable |
| 2. Divisional Accountant | 1 | -Do- | Rs. 180-10-290 15-320-EB-15-440 | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 3. Selection grade Clerk | 6 | -Do.- | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-380. | Non Selection | Not appljcable | Not applicab |
| 4. Upper Division Clerk | 58 | -Do- | Rs. 130-5-160-8-200 EB-8-256-EB-8-280-10-300 | Non Selection | Not applicable | Not applicable |

DUES
*Adviser & chief Accounts officer Farakka Barrage Project.*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | In case of rectt. by promotion/deputation/ transfer, grades from which promotion/deputationt/ransfer to be made | If a DPC exist, what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is be consulted inmaking rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | Two years | By promotion failing which by transfer on deputation | *Promotion* : Selection grade Clerks with five years service in the grade.<br>*Transfer on deputation of suitable men* working in similar or equivalent grades in Central Government departments (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 year | Class II- Department Promotion Committee: | Not applicable |
| Not applicable | Not applicable | By transfer on deputation. | *Transfer on deputation* of suitable Divisional Accountants from Central Government or State Government Cadre (Period of deputation ordinarily not exceeding 2 years) | Not applicable | Not applicable |
| Not applicable | Two years | By promotion | *Promotion* : Upper Division Clerks with 10 years service in the grade. | ClassIII Departmental promotion Committee. | Not applicable |
| Not applicable | Two years | By Promotion 66 2/3 % by transfer on tation 33 1/3% | By promotion (against the promotion quota)<br>(i) Lower Division Clerk's with 3 years service in the garde 50%<br>(ii) Lower Division Clerks on the basis of the departmental competitive examination confined to Lower Division Clerks 50%<br>*Transfer on deputation* (against the deputation quota) of suitable persons from Indian Audit and Accounts Department or from other Accounts Department of the Central Government or State Government Period of deputation ordinarily not exceeding 2 (two) years. | ClassIII Departmental Promotion Committee | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. Lower Division Clerks. | 11 | General Central Service ClassIII (Non-Gazetted) Ministerial. | Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180. | Not applicable | 18-21 years | (1) Matriculation or equivalent.<br>(2) Minimum speed of 30 words per minute in type writing, provided.<br>(a) A person not possessing the above qualification in typing may be appointed subject to the condition that he will not be eligible for drawing increments in the pay scale of or quasi permanency declaration in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute in typing.<br>(b) A physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon Certified that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type. |
| 6. Cashier | 1 | -Do.- | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
| 7. Stenographer (Junior). | 2 | General Central Service ClassIII (NonGazetted) Ministerial. | Rs. 130-5--161-8-200-8-EB-256-EB-8-290-10--300. | Not applicaboe | 18-24 years | (i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) Speed in Short hand and typeing 100 words and 40 words per minute respectively. |
| 8. Stenographer | 1 | -Do.- | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425. | Selection | 18-24 years | (i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) Speed in Shorthand and typing 120 words per minute and 50 words per minute respectively. |
| 9. Junior Computor | 1 | -Do.- | Rs. 110-4-150-4-170-5-180-EB-5-200. | Not applicable | 18-25 years | Matriculation or equivalent (Knowledge of operation of computometers). |
| 10. Junior Gestetner operator. | 1 | General Central Service ClassIV, Non-Gazetted. | Rs. 80-1-85-2-95-EB-3-110 | Non selection | Not applicable | Not applicable. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable. | Two years | By *direct recruitment*:—<br>(a) 90% of the vacancies from among the open market candidates.<br>(b) 10% of the vacancies to be filled from among the Class IV employees borne on the regular establishment of the Office of the Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Farakka Barrage Project subject to the following conditions:—<br>(i) Selection would be made through a departmental examination confined to such Class IV employees who fulfil the requirements of minimum educational qualifications, *viz.* Matriculation or equivalent.<br>(ii) The maximum number of recruits by this method would be limited to 10% of the vacancie in the cadre of Lower Division Clerks occuring in a year; unfilled vacancies in any years would not be carried orward to the next year.<br>(iii) The maximum age for this examination would be 4 years (50 years for Scheduled Casts/Scheduled Tribes Candidates).<br>(iv) At least five years service in Class IV would be essential . | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | Not applicable | By deputation | *By deputation* of suitable Upper Division Clerks/S.G. C.erk either from Indian Audit & Accounts Department or from other Accounts Departments of the Central/State Government (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Not applicable. | Not applicable |
| Not applicable. | 2 years | By tranfer failing which by direct recruitment | *Transfer* by selection on the result of a competitive examination confined to Lower Division Clerks and Upper Division Clerks who possess the qualifications prescribed under col. 7 and who pass the typing examiniation at 100/40 words per minute shown in col. | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | By promotion failing which by deputation failing both by direct recruitment | *By promotion* : Stenographer (Junior) with 5 years service in the grade.<br>*By transfer on deputation* of suitable stenographers working in Central State Department (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years). | Class III D. P. C. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | By direct recruitment . | Not applicable | Not applicable. | Not applicable. |
| Not applicable. | 2 years | By Promotion | *Promotion* : Daftries and Jamadars with knowledge of Gestetener Machine operation with 3 years service in the grade. | Class IV D. P. C. | Not applicable. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. Daftry | 3 | -Do.- | Rs. 75-1-85-EB-2-95. | Non selection | Not applicable | Not applicable |
| 12. Jamadar | 1 | -Do.- | Rs. 75-1-85-EB-2-95. | Non selection | Not applicable | Not applicable |
| 13. Peons | 12 | -Do.- | Rs. 70-1-80-EB-1-85. | Not applicable | 18-25 years | Middle School Standard passed. |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | 2 years | By promotion | *Promotion* : from persons who have put in at least 3 years' service in the grade. Peons who have not passed Middle School Standard, but who have put in three years service in the grade of peon will have to qualify at a simple test designed to test their knowledge of English/ Hindi to work as Daftry. | Class IV D. P. C. | Not applicable |
| Not applicable | years | By promotion | *Promotion* : from peons with 3 years service in the grade. | Class IV D. P. C. | Not applicable |
| Not applicable | 2 years | By direct recruitment | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. F. 4/3/68-FBP.]
R. L. MOHAN, Under Secy.

## सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जनवरी 1972

**जी० एस० आर० 369.**—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के फरक्का बराज परियोजना वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी के कार्यालय में श्रेणी-तीन और श्रेणी—चार (अराजपत्रित) के सचिवालीय पदों पर भर्ती के तरीके का नियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामश:

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ** : (1) इन नियमों को वित्तीय सलाहकार और मुख्यलेखा अधिकारी फरक्का बराज परियोजना (श्रेणी–तीन और श्रेणी–चार पद) भरती नियमावली, 1971 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम–1 में उल्लिखित पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतनमान, भरती का तरीका, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उक्त पदों से संबन्ध अन्य बातें वही होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 2 से 13 में उलिखित होंगी ।

4. **नियुक्ति के लिए अनर्हताएं** :—जिस व्यक्ति ने (क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है या विवाह के लिए करार कर लिया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है अथवा (ख) पति/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया है अथवा विवाह के लिए करार कर लिया है, वह उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम की प्रयुक्ति से अवमुक्त कर सकती है यदि वह उस बात से संतुष्ट हो जाए कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह से संबंधित अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुमेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य कारण भी हैं ।

6. **शिथिलीकरण का अधिकार.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह आदेश जारी करके, कारण लिखकर बताते हुए किसी भी वर्ग और श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में, किसी भी उपबंध का शिथिलीकरण कर सकती है ।

फरक्का बराज परियोजना के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद चयनात्मक है अथवा अचयनात्मक | सीधी भरती के लिए आयु | सीधी भरती के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी तथा अन्य अर्हताएं |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. कार्यालय अधीक्षक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 (अराजपत्रित) सचिवालीय | रु 350–20–450–25–475 | चयन | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 2. डिवीजनल खाकार | 1 | —वही— | रु० 180–10–290–15–320 –द०रो०–15–440 | लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 3. चयन ग्रेड क्लर्क | 6 | —वही— | रु० 210–10–290–15–320 द० रो०–15–380 | अचयनीय | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 4. कुशल श्रेणी लिपिक | 58 | —वही— | रु० 130–5–160–8–200– द० रो०–8–256 द० रो०–8—280–10–300 | अचयनीय | लागू नहीं | लागू नहीं |

सूची

के कार्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के नियम

| क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालों पर लागू होंगी | परिवीक्षा के लिए कालावधि, यदि कोई है | भर्ती का तरीका क्या भर्ती सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भर्ती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा की जानी है तो उन ग्रेडों के नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण किया जाना है | यदि पदोन्नति की कोई विभागीय समिति है तो उसकी बनावट | परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग की भर्ती करने में सलाह ली जाती है |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण द्वारा | **पदोन्नति**—पद-क्रम में पांच वर्ष की सेवा वाले चयन ग्रेड क्लर्क<br>**प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण**—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग में समान या समकक्ष पद-क्रमों में काम करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों का (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) | श्रेणी—तीन विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |
| लागू नहीं | लागू नहीं | प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण द्वारा | **प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण**—केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कैडर से उपयुक्त डिवीजनल लेखाकारों का (प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर 2 वर्षों से अधिक नहीं) | लागू नहीं | लागू नहीं |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा | **पदोन्नति**—पद क्रम में 10 वर्ष की सेवा वाले उच्च श्रेणी क्लर्कों की | श्रेणी-तीन विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा 66% प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण द्वारा 33% | पदोन्नति से (पदोन्नति के कोटे में से)<br>(1) पदक्रम में 3 वर्ष की सेवा वाले निम्न श्रेणी क्लर्कों की—50 प्रतिशत<br>(2) निम्न श्रेणी क्लर्कों के लिये समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्न श्रेणी क्लर्कों की—50 प्रतिशत<br>(3) प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण (प्रतिनियुक्त कोटे में से) भारतीय लेखा-परीक्षा या लेखा-विभागों या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य सूखा विभागों से उपयुक्त व्यक्तियों का (प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारण तौर पर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी) | श्रेणी-तीन विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. निम्न श्रेणी लिपिक | 11 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 (अराजपत्रित) मन्त्रिमालीय | रु० 110–3–131–4–155–द०रो०–5–175–5–180 | लागू नहीं | 18–21 वर्ष | (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष ।<br>(2) टंकण में कम से कम प्रति मिनट 30 शब्दो की गति, बशर्ते कि—<br>(क) टंकण में उपर्युक्त अर्हता नही रखने वाले किसी व्यक्ति की भी नियुक्ति इस शर्त पर की जाये कि वह उस वेतन-मान मे बढ़ोत्तरिया लेने या उस पद-क्रम म अर्द्ध-स्थायित्व की घोषणा का पात्र तब तक नही होगा जब तक कि टकण मे प्रति मिनट 3। शब्दो की गति नही प्राप्त कर लेता ।<br>(ख) शरीर से विकलांग किसी व्यक्ति की, जो क्लर्क के पद के लिए अन्यथा अर्हता प्राप्त हो, लेकिन टकण मे वह उपयुक्त अर्हता न रखता हो, नियुक्ति इस शर्त पर की जा सकती है कि विकलांगो के लिये विशेष रोजगार केन्द्र से सम्बद्ध डाक्टरी बोर्ड या जहा ऐसा कोई बोर्ड न हो, वहा सिविल सर्जन इस आशय का प्रमाण पत्र दे कि उक्त विकलांग व्यक्ति टाइप करने के योग्य होने के लिये ठीक स्थिति में नही है । |
| 6. खजान्ची | 1 | —वही— | रु० 210–10–290–15–320 द०रो०–15–425 | लागू नहीं | लागू नही | लागू नहीं |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भरती से :<br>(क) खुले क्षेत्र के उम्मीदवारों के बीच से 90 प्रतिशत रिक्त स्थान ।<br>(ख) 10 प्रतिशत रिक्त स्थान फरक्का बराज परियोजना के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखाधिकारी के कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों में से नीचे लिखी शर्तों के अधीन भरे जायेंगे ।<br>(1) चयन चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों में से जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं सम्बन्धी आवश्यकताएं अर्थात् मैट्रिकुलेशन या समकक्ष पूरी करते हों, एक विभागीय परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा ।<br>(2) इस प्रणाली से नियुक्तियों की अधिकतम संख्या किसी एक वर्ष में निम्न श्रेणी क्लर्क के कैडर में होने वाले रिक्त स्थानों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी , किन्हीं वर्षों में भरी नहीं जा सकीं खाली जगहों को आगामी वर्ष में नहीं ले जाया जाएगा<br>(3) इस परीक्षा के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी (अनुसूचित जाति/आदिम जातियों के उम्मीदवारों के मामले में 50 वर्ष)<br>(4) चतुर्थ श्रेणी में कम से कम 5 वर्षों की सेवा अनिवार्य होगी । | | | |
| लागू नहीं | लागू नहीं | प्रतिनियुक्ति द्वारा । | प्रतिनियुक्ति से :<br>भारतीय लेखा-परीक्षा एवं लेखा विभाग या केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य लेखा विभागों से उपयुक्त उच्च श्रेणी क्लर्कों/चयन ग्रेड क्लर्कों की (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) । | लागू नहीं। | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. स्टेनोग्राफर जूनियर | 2 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-3 (अराजपत्रित) सचिवालीय | रु० 130–5–150–8–200–दं० रो०–8–256 दं० रो०–8–290–10–300 | लागू नहीं | 18–24 व | (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (2) आशुलिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 100 शब्दों और 40 शब्दों की गति। |
| 8. स्टेनोग्राफर | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–3 (अराजपत्रित) | रु० 210–10–290–15–320–दं० रो०–15–425 | चयन | 18–24 | (1) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष। (2) आशुलिपि और टंकण में प्रति मिनट क्रमशः 120 शब्दों और 50 शब्दों की गति। |
| 9. जूनियर संगणक | 1 | —वही— | रु० 110–4–150–4–170–5–180–दं०रो०–5–200 | लागू नहीं | 18–25 | मैट्रिकुलेशन या समकक्ष (काप्टोमीटरों को चलाने का ज्ञान) |
| 10. जूनियर जेस्टेटनर प्रचालक | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी–4 (अराजपत्रित) | रु० 80–1–85–2–95–दं०रो०–3–110 | गैर चयन | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 11. दफ्तरी | | —वही— | रु० 75–1–85 दं० रो०–2–95 | गैर चयन | लागू नहीं | लागू नहीं |

| 8. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदान्तरण द्वारा न हो सकने पर सीधी भर्ती से | पदान्तरण से उन निम्न श्रेणी क्लर्कों और उच्च श्रेणी क्लर्कों के लिए जो कालम 7 में निर्धारित अर्हताएं रखते हों और जो कालम में बताई गई प्रति मिनट 100/40 शब्दों की टंकण परीक्षा पास कर चुके हों, समिति किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम पर चयन द्वारा । | लागू न | लागू नहीं |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति से ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति से दोनों ही तरह से न हो सकने पर सीधी भर्ती से | **पदोन्नति** से—पद क्रम में 5 वर्षों की सेवा वाले आशुलिपिक (जनियर) **प्रतिनियुक्ति पर पदान्तरण द्वारा**—केन्द्रीय/राज्य विभाग में काम करने वाले उपयुक्त आशुलिपिक की (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य तौर पर 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी) । | श्रेणी–3 विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |
| *लागू नहीं* | दो वर्ष | *सीधी भर्ती द्वारा* | *लागू नहीं ।* | *लागू नहीं* | *लागू नहीं* |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा | **पदोन्नति :**<br>जेस्टेटनर मशीन चलाने की जानकारी वाले और अपने पदक्रम में तीन वर्षों की सेवा वाले दफ्तरी और जमादार | श्रेणी–4 विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा | **पदोन्नति**<br>उन व्यक्तियों में से जो पदक्रम में कम से कम 3 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों । उन चपरासियों को जो मिडल पास न हों लेकिन जिन्होंने चपरासी के पद क्रम में तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो दफ्तरी के पद पर काम करने के लिये उनकी अंग्रेजी/हिन्दी की जानकारी की जांच के लिये निर्धारित एक साधारण परीक्षा पास होना होगा । | श्रेणी–चार विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नहीं |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. जमादार | 1 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी-4 (अराजपत्रित) | रु० 75-1-85 द०रो०-2-95 | गैर चयन | लागू नहीं | लागू नहीं |
| 13. चपरासी | 12 | —वही— | रु० 70-1-80- द० रो०-1-85 | लागू नहीं | 18-25 वर्ष | मिडिल स्कूल पास |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| लागू नहीं | दो वर्ष | पदोन्नति द्वारा | पदोन्नति<br>पदक्रम मे 3 वर्ष की सेवा वाले चपरासियो मे से | श्रेणी-चार विभागीय पदोन्नति समिति | लागू नही |
| लागू नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही | लागू नही | लागू नहीं |

[सं० फ० 4/3/68-एफ बी पी]

रोशन लाल मोहन, अवर सचिव ।

*New Delhi, the 21st February 1972*

**G.S.R. 370.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to various non-gazetted Hydro-meteorological posts in the Central Water and Power Commission (Water Wing), namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Water and Power Commission (Water Wing) non-gazetted Hydro-meteorological posts Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, Classification and scale of pay.**—The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the general orders issued by the Central Government from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government in this regard.

THE SCHE

*Recruitment Rules for the Non-Gazetted Hydro-Meteorological posts in the General matte*

| Name of Post | No. of Posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Senior Professional Assistant (Hydro-meteorology) | 9 | General Central Service Class II (Non-Gazetted) (Non-Ministerial) | Rs. 325—15 475—BB—20—575 | Selection | Not Applicable | Not Applicable |
| 2. Professional Assistant (Hydro-Meteorology) | 37 | General Central Service Class III (Non-Ministerial) (Non-gazetted) | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425 | Selection | 20—28 years | Degree in Physics from a recognised University or equivalent |

DULE

*and Power Commission (Water Wing)*

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation if any | Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion transfer, grades from which promotion to be made | If a D.P.C. exists what is its composition | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No. | 2 years | By promotion | *Promotion* : Professional Assistants (Hydro-Meterology) with 3 years Service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. | Class II Departmental Promotion Committee. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption) from Consultation Regulations, 1958. |
| Not applicable | 2 years | (i) By direct recruitment 50%<br>(ii) By promotion 50 % | Senior Computor Central Water & Power Commission. Computor 'A' Central Water and Power Research Station, Poona who have rendered 3 years continuous service in the grade. | Departmental Promotion Committee Class III | Not Applicable |

[No. 37/72—F. 39/22/69-Adm-1.]

K.P.B. MENON, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर० 370** —संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति जल द्वारा केन्द्रीय जल व विद्युत आयोग (जल स्कंध) में नेक राजपत्रित जल–मौसम वैज्ञानिक पदों पर भरती के तरीके का नियमन करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते है, नामश :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ**:—(1) ये नियम केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग (जल स्कंध) अराजपत्रित जल–मौसम वैज्ञानिक पदो पर भरती नियमावली, 1972 कहे जाएं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त हो जाएंगे।

2. **प्रयुक्ति** :—ये नियम इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ–1 में उल्लिखित पदों पर भरती के लिए प्रयुक्त होंगे।

3. **संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतनमान वही होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 2–4 में उल्लिखित है।

4. **भर्ती का तरीका, आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएं** :—उक्त पदों मे भरती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य शर्तें वही होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5–13 में उल्लिखित है :

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के उम्मीदवार –व्यक्तियों के मामलों मे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों के अनुसार सीधी भरती के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ 6 मे उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा मे छूट दी जाय।

5. **अनर्हताएं** :—ऐसा कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसी स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लिया है या विवाह का करार किया है जिसका पति या पत्नी जीवित हो; अथवा

(ख) जिसने, एक पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो या उसके लिए करार किया हो;

उक्त किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष पर लागू होने वाले निजी कानून के अधीन ऐसा विवाह अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य कारण हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति की इस नियम की प्रयुक्ति से अवमुक्त कर सकती है ।

6. शिथिलीकरण का अधिकार :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है तो वह आदेश जारी करके कारण लिखकर बताते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध का शिथिलीकरण कर सकती है ।

7. व्यावृत्ति :—इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव न होगा ।

केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) में जल-मौसम वैज्ञानिक पदों पर भरती के नियम

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | क्या पद चयनात्मक है अथवा अचयनात्मक | सीधी भरती के लिए आयु | सीधी भरती के लिए अपेक्षित शिक्षा संबंधी तथा अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भरती के लिए निर्धारित आयु और शिक्षा संबंधी अर्हताएं पदोन्नति प्राप्त करने वालों पर लागू होंगी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. वरिष्ठ व्यावसायिक सहायक (जल-मौसम विज्ञान) | 9 | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी दो (अराजपत्रित) (गैर लिपिकवर्गीय) | रु० 325–15–475–दे०रो०–20–575 | चयनात्मक | लागू नहीं | लागू नहीं | संख्या |

| परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है | भरती का तरीका क्या भरती सीधी भरती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा होगी और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | यदि भरती पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण द्वारा की जानी है तो उन ग्रेडों के नाम जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/पदान्तरण किया जाना है | यदि पदोन्नति की कोई विभागीय समिति है तो उस की बनावट | परिस्थितियां जिन में संघ लोक सेवा आयोग की भरती करने में, सलाह ली जानी है । |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 वर्ष | पदोन्नति से | **पदोन्नति :** व्यावसायिक सहायक (जल-मौसम विज्ञान), जिनकी इस पद पर नियमित तौर पर नियुक्ति के बाद इसी ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो। | श्रेणी दो विभागीय पदोन्नति समिति | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के अंतर्गत यथा अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. व्यावसायिक सहायक (जल-मौसम विज्ञान) | 37 (सैंतीस) | सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी तीन (गैर-लिपिकवर्गीय) अराजपत्रित | रु० 210–10–290–15–320–द०रो०–15–425 | चयनात्मक | 20–28 वर्ष | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकशास्त्र में डिग्री या समकक्ष | लागू नहीं |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| 2 वर्ष | (i) 50 प्रतिशत सीधी भरती से<br>(ii) 50 प्रतिशत पदोन्नति से | वरिष्ठ संगणक केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग/संगणक 'अ' केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान संस्थान, पूना जिन्होंने इस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष निरन्तर सेवा की हो । | विभागीय पदोन्नति समिति श्रेणी तीन | लागू नहीं |

[सं० 37/72—एफ० 39/22/69—प्रशा०—एक]

के० पी० बी० मैनन, अवर सचिव ।

## MINISTRY OF AGRICULTURE
### (Department of Agriculture)

*New Delhi, the 31st December 1971*

**G.S.R. 371.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi Milk Scheme (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Milk Scheme (Class I and Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Schedule to the Delhi Milk Scheme (Class I and Class II posts) Recruitment Rules, 1963 for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

*Recruitment rules for the post of Stores Officer in the Delhi Milk Scheme in department of Agriculture.*

| | |
|---|---|
| 1. Name of post | Stores Officer. |
| 2. No. of posts | 2 |
| 3. Classification | General Central Service Class I. |
| 4. Scale of Pay | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. |
| 5. Whether Selection post or Non-Selection post | Not applicable. |
| 6. Age limit for direct recruits. | 35 years (Relaxable for Government Servants). |
| 7. Educational and other Qualifications required for direct recruits. | *Essential* :—<br>(*i*) A degree of a recognised University.<br>(*ii*) About 5 years' experience of purchase and accounting of Stores in a Government Department or in a public body or in a private concern of repute, preferably dealing with engineering stores.<br>(Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified).<br>*Desirable* :—<br>A degree in Mechanical Engineering and or Electrical Engineering. |
| 8. Whether age and educational qualifications rprescribed for direct recruits will apply in the case of prómotees. | Not applicable. |
| 9. Period of probation if any | 2 years. |
| 10. Method of recuirtment whether by promotion or by direct rectt. or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods. | By direct recruitment. |
| 11. In case of rectt by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion deputation/transfer to be made. | Not applicable. |
| 12. If a DPC exists what is its composition. | Not applicable. |
| 13. Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. A. 12018/11/71-EE II.]

P. U. THOMAS, Under Secy.

**कृषि मंत्रालय**

**(कृषि विभाग)**

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

**जी० एस० आर० 371.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली दुग्ध योजना (वर्ग–1 और वर्ग–2 पद) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम दिल्ली दुग्ध योजना (वर्ग–1 और वर्ग–2 पद) भर्ती संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. दिल्ली दुग्ध योजना (वर्ग–1 और वर्ग–2 पद) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियोंके स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

दिल्ली दुग्ध योजना, कृषि विभाग में भण्डार अधिकारी के पद के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| भंडार अधिकारी | दो | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग-1 | 400–400–150–30–600–35–670–द० रो०–35–950 रु० | लागू नहीं होता | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकेंगी) |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि ;<br>(ii) किसी सरकारी विभाग में या किसी लोक निकाय या ख्याति प्राप्त प्राइवेट समुत्थान में सामान खरीदने और उसका लेखा रखने का, अधिमानतः इंजीनियरी सामान में संव्यवहार करने का लगभग 5 वर्ष का अनुभव।<br>(अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी)। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| वांछनीय :<br>यांत्रिक इंजीनियरी या अथवा विद्युत् इंजीनियरी में उपाधि। | | |

| भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे अणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधी भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 के अधीन यथा अपेक्षित। |

[सं० ए० 12018/11/71-बाह्य स्थापना-2]

पौलच्चीरक्कल उम्मन टामस,
अवर सचिव, भारत सरकार।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 24th February 1972*

**G.S.R. 372.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Delhi Zoological Park (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, namely:—

1. (1) These rules may be called the Delhi Zoological Park (Class III and Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Delhi Zoological Park (Class III and Class IV posts) Recruitment Rules, 1960, for item No. 18 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:—

ANNEXURE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the Delhi Zoological Park Class III Ministerial and Non-Ministerial posts and Class IV posts*

| Name of Post | Classification | Scale of Pay | Whether Selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits, | Whether age & educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees/transferees | Period of probation, if any | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer & percentage of the vacancies to be filled by the various methods | In the case of recruitment by promotion transfer grades from which promotion/ transfer to be made | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Zoo Keeper | General Central Services Class IV Non-Gazetted | Rs. 75—95 | Non-Selection | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Two years | By promotion | Promotion :— Assistant Keepers (with 3 years' service in the grade) | Note-marks |

[No. F. 21-5/71-F.D.]

**RUP RAM, Under Secy.**

कृषि विभाग

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1972

जी०एस०आर० 372—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960, मे और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमो का नाम दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1971 होगा।

(2) ये राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगे।

2. दिल्ली चिड़ियाघर (वर्ग 3 और वर्ग 4 पद) भर्ती नियम, 1960 की अनुसूची मे, मद 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियो के स्थान पर, निम्नलिखित मद और प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

उपाबन्ध अनुसूची

दिल्ली चिड़ियाघर वर्ग 3 अनुसचिवीय और अननुसचिवीय पदों और वर्ग 4 पदो के लिये भर्ती नियम

| पद का नाम | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| चिड़ियाघर का रखवाला | आधार केन्द्रीय सेवा वर्ग 4 अराजपत्रित | 75–95 रु० | अचयन | लागू नही होता। |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताए | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतो।स्थानान्तरितियो की दशा में लाग होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 |
| लागू नहीं होता | लागू नही होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणिया जिनसे प्रोन्नति/स्थानान्तरण किया जायगा | टिप्पणिया |
|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 |
| प्रोन्नति द्वारा | प्रोन्नति :—सहायक रखवाले (जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो) | कोई टिप्पणी नही |

[सं० फा० 21–5/71–1 एफ० डी०]

रूप राम

अवर सचिव, भारत सरकार।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 28th February* 1972

**G.S.R. 372.**—The following draft of certain rules regulating the recruitment of officers and employees by the Animal Welfare Board under the Ministry of Agriculture, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 7, read with section 38, of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), is published as required by sub-section (1) of the said section 38, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the 15th April, 1972.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the date so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Animal Welfare Board (Officers and Employees) Recruitment Rules, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gaette.

2. **Definition.**—In these rules, "competent authority" means:—

(i) the Board, in respect of posts, the maximum pay of which exceeds Rs. 900 per month;

(ii) the Chairman of the Board, in respect of posts the maximum pay of which exceeds Rs. 575 per month, but does not exceed Rs. 900 per month; and

(iii) the Secretary of the Board, in respect of posts the maximum pay of which does not exceed Rs. 575 per month.

3. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Number of posts and scales of pay.**—The number of the said posts and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 and 4 of the said Schedule.

5. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 11 of the Schedule aforesaid:

Provided that the competent authority may—

(a) relax the upper age-limit prescribed for direct recruits;

(b) provide for reservations in appointments to the said posts made by direct recruitment or by promotion, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

6. **Disqualification.**—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

THE SCHE

*Recruitment Rules for various posts in the office of the*

| Sl No. | Name of Post | No. of posts | Scale of Pay | Whether Selection post or Non-Slection post | Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (5) | (7) |
| 1. | Assistant Secretary. | one | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. | Selection | 45 years and below. | *Essential :*<br>(1) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(2) Good knowledge of English and Hindi.<br>(3) Seven years administrative experience in an office of the Central or State Government or an autonomous Corporation or a public Section Undertaking.<br>*Desirable:*<br>(1) Experience in and knowledge of animal welfare work.<br>(2) Knowledge of law.<br>(3) Knowledge of the regional language in which the place of work is situated. |
| 2 | Editor or Publications. | One | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—900—EB—30—830-35—900. | Selection | 40 years and below. | *Essential:*<br>(1) Degree of a recognised University.<br>(2) Good command over English and Hindi.<br>(3) Three years' experience in editing journals, layout and design, writing original articles and other propaganda or publicity material.<br>*Desirable :*<br>(1) Experience of work in a humanitarian organisation and of public relations work for at least two year.<br>(2) Knowledge of photography, block making and publicity media.<br>(3) Knowledge of an Indian language other than Hindi.<br>(4) Experience in handling and procuring advertisements. |
| 3. | Humane Education Officer. | One | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. | Selection | 40 years and below.<br>— | *Essential :*<br>(1) A degree of a recognised University or equivalent.<br>(2) Experience in propaganda, organisational activities or journalism for a period of five years.<br>(3) Knowledge of English or and Hindi.<br>*Desirable :*<br>(1) Previous experience in an educational institution or in humanitarian organisation or experience of animal welfare work generally for a period of 2 years.<br>(2) Knowledge of an Indian language other than Hindi. |
| 4. | Veterinary Surgeon | One | Rs. 325—15—475—EB—20—575. | Selection<br>— | 45 years and below.<br>— | *Essential :*<br>(a) Degree in Veterinary Science or Animal Husbandry.<br>(b) Experience in the treatment of animals or teaching of Veterinary Science of Animal Husbandry for a period of two years.<br>(c) Knowledge of English and Hindi.<br>*Desirable :*<br>Experience in animal welfare work for a period of two years. |

DULE

*Animal Welfare Board*

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotions. | Period of probation if any. | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ transfer and percentage of vacancies to be filled by various method | In case of recruitment by promotion, deputation or transfer; grades or sources from which promotion deputation transfer to be made. |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| No | 2 years' | Promotion failing which by direct recruitment | Promotion or from amongst Editors and Human Education officers |
| No | 2 years | Direct recruitment | Not applicable |
| No | 2 years | Direct recruitment | Not applicable |
| No | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Head Clerk-cum-Accountant. | One | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—380—(Plus Special Pay of Rs. 30/- for Accountancy work) | Selection | 35 years and below | *Essential :*<br>(1) Degree of recognised University or equivalent.<br>(2) At least 5 years experience as Upper Division Clerk or in a higher grade in a Government Office or a Public Undertaking or a Statutory Organisation, including 3 years in Cash and Accounts work.<br>*Desirable:*<br>(1) Experience of working in an animal welfare organisation for two years.<br>(2) Pass in a qualifying examination in Accountancy from a recognised Institution. |
| 6. | Stenographer (Senior) | One | Rs. 210—10—290—15—320—EB—15—425—15—530. | Non-Selection | 35 years and below. | *Essential :*<br>(1) Degree of a recognised University or equivalent.<br>(2) Ability to take dictation in English with a minimum speed of 120 words per minute and to transcribe it on typewriting with an accurate speed of 40 words per minute.<br>(3) 3 years previous experience as Stenographer in a Government Office or Public Undertaking or any private establishment of repute. |
| 7. | Upper Division Clerk | Two | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—280—10—300 | Selection | 25 years and below | *Essential:*<br>(1) A degree of a recognised University or equivalent.<br>(2) At least 3 years experience in a Government Office or a public undertaking or a private establishment of repute as a Lower Division Clerk or in a higher grade.<br>*Desirable:*<br>Previous experience in a humanitarian organisation. |
| 8. | Stenographer (Junior) | Two | Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—280—10—300. | Non-Selection | 25 years and below. | *Essential:* (1) S.S L.C. or Matriculation or a recognised Institution or equivalent<br>(2) At least two years previous experience as a Stenographer in a Government Office or Public Undertaking, or a private establishment of repute.<br>(3) Speed of at least 100 words per minute in shorthand and 40 words per minute in typewriting. |
| 9. | Lower Division Clerk | Four | Rs 110—3—131—4—155—EB—4—157—5—180 | Non-Selection | 25 years and below. | *Essential:*<br>(1) Matriculation certificate or equivalent of a recognised Institution.<br>(2) Knowledge of typewriting with a minimum speed of 30 words per minute.<br>*Desirable:*<br>Previous experience of work in a Government office or public undertaking or privecte establishment of repute. |
| 10. | Gestetner Operator (Grade I) | One | Rs. 100—3—125. | Non-Selection. | 25 years and below. | *Essential:*<br>(1) Matriculation certificate or equivalent of a receognised Insitution.<br>(2) 2 years experience in operating duplicating machines.<br>*Desirable :*<br>Experience in operating 16 mm Filing Projector or tape-recorders or epidiascope or camera or other office and audio-visual equipment. |

| (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|
| No | 2 years | Promotion, failing which by direct recruitment | Promotion from amongst Upper Division Clerks of the Board with 5 years experience in the grade. |
| No | 2 years | Promotion, failing which by direct recruitment | promotion from amongst Stenographers of the Board with 5 years' experience in the grade. |
| No | 2 years | 50% by promotion and 50% by direct recruitment. | Lower Division Clerks of the Board with 3 years' service in the grade. |
| No | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |
| No | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |
| No | 2 years | Direct recruitment | *Not applicable.* |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Peon-cum-Driver | Two | Rs. 70—1—80—EB—1—85. | Non-Selection | 25 years and below. | *Essential* :<br>(1) Middle School Standard pass of a recognised Institution.<br>(2) Good experience in driving and possession of a satisfactory driving licence for a period of three years and at least elementary knowledge of automobile mechanism. |
| 12 | Peon ] | One | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Non-Selection | 25 years and below | *Essential* :<br>(1) Middle School Standard pass of a recognised Institution.<br>(2) Previous Office experience preferably in a Government Office or Public undertaking or private establishment of repute.<br>*Desirable* :<br>Persons with driving experience will be preferred. |
| 13 | Watchman-cum-Gardner | One | Rs. 70—1—80—EB—1—85 | Non-Selection | 30 years and below | *Essential* : Previous experience of about four years in watch and ward work and gardening.<br>*Desirable* : Be willing to furnish cash security of Rs. 1,000/- or character reference from at least two persons known to the Board. |

| (8) | (9) | (10) | (11) |
|---|---|---|---|
| .. | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |
| .. | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |
| .. | 2 years | Direct recruitment | Not applicable. |

[No. 18-2/71-LD III]

V. P. GULATI, Dy. Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1972

**जी० एस० आर०** 373.—कृषि मंत्रालय के अधीन पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती को विनियमित करने वाले कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की, धारा 38 के साथ पठित, धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, बनाने की प्रस्थापना करती है उक्त धारा 38 की उपधारा (1) का अपेक्षानुसार, उन सभी व्यक्तियों को, जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर 15 अप्रैल, 1972 को या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ।

ऐसी कि ही आपत्तियो या सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इन नियमों का नाम पशु कल्याण बोर्ड (अधिकारी और कर्मचारी) भर्ती नियम, 1971 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषा**—इन नियमों में, "सक्षम प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं :—

(i) बोर्ड, ऐसे पदों के सम्बन्ध में, जिनका अधिकतम वेतन 900 रु० प्रति मास से अधिक हो;

(ii) बोर्ड का अध्यक्ष, ऐसे पदो के सम्बन्ध मे, जिनका अधिकतम वेतन 575 रु० प्रति मास से अधिक हो, किन्तु 900 रु० प्रति मास से अधिक न हो; और

(iii) बोर्ड का सचिव, ऐसे पदों के सम्बन्ध मे, जिनका अधिकतम वेतन 575 रु० प्रति मास से अधिक न हो ।

3. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 मे विनिर्दिष्ट पदो को लागू होंगे ।

4. **पद संख्या और वेतनमान** :—उक्त पदो की संख्या, और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** :—उक्त पदो पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 11 तक में विनिर्दिष्ट है :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के संबंध में,

(क) सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की बाबत निहित अधिकतम आयु-सीमा शिथिल कर सकेगा;

(ख) उक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्तियों में आरक्षण की बाबत उपबन्ध कर सकेगा ।

6. **निरर्हताएं** —वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा .

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के उपबन्ध से छूट दे सकेगी ।

7. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

अनुसूची

पशु कल्याण बोर्ड के कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियम

| क्रम संख्या | पद का नाम | पदों की संख्या | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | सहायक सचिव | एक | 400–400–450–30–600–35–670 द०रो०–35–950 रु० | चयन | 45 वर्ष और उससे कम |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| **आवश्यक:**<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य ।<br>(2) अंग्रेजी और हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान ।<br>(3) केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी कार्यालय या किसी स्वशासी निगम या पब्लिक सेक्टर उपक्रम मे सात वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।<br>**वांछनीय:**<br>(1) पशु कल्याण कार्य का अनुभव और ज्ञान ।<br>(2) विधि का ज्ञान ।<br>(3) उस क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान जिसमें कार्य का स्थान स्थित है । | नही | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे, वे श्रेणियां या स्रोत जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगा । |
|---|---|
| 10 | 11 |
| प्रोन्नति, किसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | सम्पादकों और मानवीय-शिक्षा अधिकारियो में से प्रोन्नति । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सम्पादक, प्रकाशन | एक | 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु० | चयन | 40 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि ।<br>(2) अंग्रेजी और हिन्दी पर पर्याप्त अधिकार ।<br>(3) पत्रिकाओं, ले आऊट और डिजाइन के सम्पादन, मूल लेख और अन्य सम्प्रचार या प्रचार सामग्री लिखने का तीन वर्ष का अनुभव ।<br>वांछनीय:<br>(1) जनसेवी संगठन में कार्य और जन-सम्पर्क-कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव ।<br>(2) फोटोचित्रण, ब्लाक बनाने और प्रचार-साधन का ज्ञान ।<br>(3) हिन्दी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का ज्ञान ।<br>(4) विज्ञापनों की व्यवस्था करने और उन्हें उपाप्त करने का अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | मानवीय-शिक्षा अधिकारी | एक | 350–25–500–30–590–द०रो०–30–800–द०रो०–30–830–35–900 रु० | चयन | 40 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक :<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य ।<br>(2) सम्प्रचार, संगठनात्मक क्रियाकलापों या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव ।<br>(3) अंग्रेजी और हिन्दी का ज्ञान ।<br>वांछनीय :<br>(1) किसी शैक्षिक संस्था में या जनसेवी संगठन में पूर्वतन अनुभव या पशु कल्याण कार्य का साधारणत: दो वर्ष का अनुभव ।<br>(2) हिन्दी से भिन्न किसी भारतीय भाषा का ज्ञान । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | पशु-चिकित्सक | एक | 325–15–475–ब० रो०–20–575 | चयन | 45 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(क) पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन में उपाधि ।<br>(ख) पशुओं के उपचार या पशु-चिकित्सा विज्ञान या पशुपालन के अध्यापन का दो वर्ष का अनुभव ।<br>(ग) अंग्रेजी और हिन्दी का ज्ञान ।<br>वांछनीय:<br>पशु कल्याण कार्य का दो वर्ष का अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | प्रधान लिपिक-एंव लेखापाल | एक | 210–10–290–15–320–द०रो०–15–380 रु० (धन लेखा कर्म के लिए 30 रु० का विशेष वेतन) | चयन | 35 वर्ष और उससे कम। |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि समतुल्य ।<br>(2) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम या कानूनी संगठन मे उच्च श्रेणीलिपक के रूप में या किसी उच्चतर श्रेणी मे कम से कम पांच वर्ष का अनुभव, जिसमे रोकड़ और लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव सम्मिलित है ।<br>वाछनीय:<br>(1) किसी पशु कल्याण सगठन मे कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव ।<br>(2) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से लेखा-कर्म में अर्हक—परीक्षा उत्तीर्ण हो । | नहीं | दो वर्ष | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | बोर्ड के ऐसे उच्च श्रेणी लिपकों में से प्रोन्नति, जिन्हें उस श्रेणी में पाच वर्ष का अनुभव हो । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | आशुलिपिक (ज्येष्ठ) | एक | 210–10–290–15–320–द०रो०–15–425–15–530 रु० | अचयन | 35 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य ।<br>(2) 120 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से अंग्रेजी में श्रुतलेखन कर सकता हो और उसका 40 शब्द प्रति मिनट की विशुद्ध गति से टाइपराईटर पर प्रति लेखन कर सकता हो ।<br>(3) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम या किसी ख्यातिप्राप्त स्थापन में आशुलिपिक के रूप मे तीन वर्ष का पूर्वतन अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा | बोर्ड के ऐसे आशु लिपकों में से प्रोन्नति, जिन्हें उस श्रेणी में पांच वर्ष का अनुभव हो । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | उच्च श्रेणी लिपिक | दो | 130–5–160–8–200–द० रो०–8–256–द०रो०–280–10–300 रु० । | चयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि या समतुल्य ।<br>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम या किसी ख्याति प्राप्त प्राइवेट स्थापन में निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में या उच्चतर श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा | बोर्ड के ऐसे निम्न-श्रेणी लिपिक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | आशुलिपिक (कनिष्ठ) | दो | 130–5–160–8–200–द०रो०–8–256–द०रो०–280–10–300 रु० । | अचयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| वांछनीय :<br>किसी जन सेवी संगठन में पूर्वतन अनुभव ।<br>आवश्यक :<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से एस० एस० एल० सी० या मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य ।<br>(2) किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम, या किसी ख्यातिप्राप्त प्राइवेट स्थापन में आशुलिपिक के रूप में कम से कम दो वर्ष का पूर्वतन अनुभव ।<br>(3) आशुलिपि में कम से कम 100 शब्द प्रति मिनट और टंकण में कम से कम 40 प्रति मिनट की गति । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. | निम्न श्रेणी—लिपक | चार | 110—3—131—4—155—द०रो०—4—175—5—180 रु० । | अचयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक प्रमाणपत्र या समतुल्य ।<br>(ii) 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से टंकण का ज्ञान ।<br><br>वांछनीय :<br>किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम या किसी ख्यातिप्राप्त प्राइवेट स्थापन में कार्य का पूर्वतन अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | स्टेनोटेनर आपरेटर (श्रेणी I) | एक | 110—3—125 रु० | अचयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मैट्रिक प्रमाणपत्र या समतुल्य ।<br>(2) अनुलिपिक के प्रचालन का दो वर्ष का अनुभव ।<br><br>वांछनीय :<br>16 मिलीमीटर फिल्म प्रक्षेपित्र या टेप रेकार्डर या पाराघार चित्रदर्शी या कैमरा या अन्य कार्यालय या दृश्य-श्रव्य उपस्कर के प्रचालन का अनुभव । | नहीं | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | चपरासी एवं ड्राइवर | दो | 70–1–80–द०रो० 1–85 द० | अचयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड उत्तीर्ण ।<br>(1) चालन का पर्याप्त अनुभव और उसके पास तीन वर्ष की अवधि के लिए समाधानप्रद चालन अनुज्ञप्ति हो और उसे मोटोमोबाइल यांत्रिकत्व का प्रारम्भिक ज्ञान हो । | .. | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. | चपरासी | एक | 70–1–80–द०रो०– 1–85 द० | अचयन | 25 वर्ष और उससे कम |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक:<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मिडिल स्कूल उत्तीर्ण ।<br>(2) अधिमानत: किसी सरकारी कार्यालय या पब्लिक उपक्रम या किसी ख्यातिप्राप्त प्राइवेट स्थापन में पूर्वतन कार्यालय अनुभव ।<br>वांछनीय:<br>चालन का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी । | .. | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | चौकीदार एवं माली | एक | 70–1–80–ई०बी० –1–85 ई० | अचयन | 30 वर्ष और उससे कम । |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| आवश्यक: पहरा व निगरानी कार्य और बागवानी का लगभग चार वर्ष का पूर्वतन अनुभव | — | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नही होता |
| वांछनीय: जो 1000 रु० की नकद-प्रति भूति या कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों से, जिनसे बोर्ड परिचित हो, चरित्र-निर्देश देने का इच्छुक हो । | | | | |

[सं० 18-2/71-एल० डी० III]

वी० वी० गुलाटी,
उप सचिव (ए० एच०) ।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 6th March, 1972*

**G.S.R. 374.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Directorate of Marketing and Inspection under the Department of Agriculture, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1)These rules may be called the Directorate of Marketing and Inspection (Lower Division Clerk in Sub-Offices) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of the post, its classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected with the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE SCHEDULE

*Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerks in the Sub-Offices of the Directorate of Marketing & Inspection Ministry of Agriculture, Department of Agriculture.*

| Name of the post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether selection post or non-selection post | Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruitment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lawer Division Clerk. | 50 | General Central Service Class III, Non-Gazetted, Ministerial | Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180. | Not applicable. | Not exceeding 21 years | 1. Matriculation or equivalent qualifications.<br>2. Minimum speed of 30 words per minute in typewriting, provided,—<br>(a) that a person not possessing said qualification in typewriting may be appointed subject to the condition that he shall not be eligible for drawing increments in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires a speed of 30 words per minute.<br>(b) that a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post, but does not possess the said qualification in typewriting, may be appointed subject to the condition that the Medical Board attached to the Special Employment Exchange for handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in a fit condition to be able to type. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruitment will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/transfer, grades from which promotion to be made | If a DPC exists, what is its composition ? | Circumstances under which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not applicable | 2 years | (i) 90% shall be filled by direct recruitment; and<br>(ii) 10% shall be filled from amongst Class IV employees, working in the Subordinate Offices of the Directorate of Marketing and Inspection who are Matriculates or possess equivalent qualification and have rendered five years' service in Class IV, on the basis of competitive examination, the maximum age limit for eligibility for the examination being 45 years (50 years for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe employees) :<br>Provided that the maximum number of persons to be recruited by this method shall be limited to 10% of the vacancies occurring in a year, and unfilled vacancies shall not be carried over. | Not applicable | Not applicable | Not applicable |

[No. A-11020/13/71-E.E.III.]

B. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1972

सा० का० नि० 374.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि विभाग के अधीन विपणन और निरीक्षण निदेशालय में निम्न-श्रेणी-लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमो का नाम विपणन और निरीक्षण निदेशालय (उप-कार्यालयों में निम्न-श्रेणी-लिपिक) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना :—ये नियम, इन नियमो से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान .—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वें होगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक मे विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताए और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक मे विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहा वह, उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमो के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमो की कोई भी बात ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियो के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के विपणन और निरीक्षण निदेशालय के उप-कार्यालयो में निम्न-श्रेणी-लिपिको के पद के लिए भर्ती नियम ।

| पद का नाम | पदो की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| निम्न-श्रेणी-लिपिक, | सत्तावन | साधारण केन्द्रीय सेवा, वर्ग III, अराजपत्रित, अनुसचिवीय | 110-3-131-4-155-दो०रो०-4-175-5-180 रु० | लागू नही होता | 21 वर्ष से अधिक न होगी |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| 1. मैट्रिक उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हताएं ।<br>2. टंकण में 30 शब्द प्रति मिनिट की न्यूनतम गति परन्तु—<br>(क) टंकण में उक्त अर्हता न रखने वाला व्यक्ति इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वह उस वेतनमान में वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए या स्थायित्व के लिए या श्रेणी में पुष्टि के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह 30 शब्द प्रति मिनिट की गति अर्जित न कर ले ;<br>(ख) शारिरिक रूप से असुविधाग्रस्त कोई व्यक्ति, जो कोई लिपिकाय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित हो, किन्तु जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि असुविधाग्रस्त के लिए विशेष नियोजनालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा कोई बोर्ड न हो, तो सिविल सर्जन यह प्रमाणित करे कि उक्त असुविधाग्रस्त व्यक्ति टाइप करने योग्य नहीं है । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति की जाएगी | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| (i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी; और<br>(ii) 10 प्रतिशत विपणन और निरीक्षण निदेशालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य करने वाले ऐसे वर्ग कर्मचारियों में से, जो मैट्रिक उत्तीर्ण हैं या जिसके पास समतुल्य अर्हता है और जिन्होंने वर्ग में पांच वर्ष सेवा की है, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगीं,परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष) है :<br>परन्तु इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में हुई रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और बिना भरी रिक्तियां आगे नहीं ले जाई जाएंगी । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

[सं०ए०-11020/13/71-ई०ई०III]

रा० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव, भारत सरकार ।

**(Department of Agriculture)**

*New Delhi, the 2nd March 1972*

**G.S.R. 375.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Hindi Translator (Grade II) in the Central Ground Water Board, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Hindi Translator (Grade II) Recruitment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in column 4 of the Schedule hereto annexed.

3. **Number, classification and scale of pay.**— The number of the said post its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule.

4. **Method of recruitment, age limits and other qualifications.**—The method of recruitment, age limit qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age limit specified for direct recruitment may be relaxed in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

*Recruitment rules for the post of Hindi Translator, Grade II in the Central Ground Water Board, Ministry of Agriculture*

| Name of the post | No. of posts. | Classification | Scale of Pay | Whether Selection or non-selection post. | Age for direct recruitment. | Education and other qualifications required for direct recruits. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hindi Translator (Grade II) | 1 | General Central Service Class III Ministerial Non-Gazetted | Rs. 210—10—290—15—320 EB—15—425. | Not applicable | Between 21 and 30 years. | *Essential* :<br>Degree of a recognised University with Hindi and English as elective subjects.<br>At least 2 years' experience in translation work from English to Hindi and *vice-versa*. |

| Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of pomotees/ deputationists/ transferees. | Period of probation | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/tranafer and the percentage ofthe vacancies to be filled by various methods. | In the case of recruitment by promotion or transfer/deputation grades from which promotion transfer deputation to be made. | If a D.P.C. exists, what its composition. | Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Age : No. Educational qualification Yes. | 2 years | By deputation/transfer failing which by direct recruitment. | In case of deputation/transfer selection from Upper Division Clerks/Lower Division clerks of Central Secretariat Clerical Service with 5 years service as Lower Division Clerk or Upper Division Clerk. | Not applicable | Not applicable |

[No. 7-11/71-MI(A).]

L. N. LADHA, Dy. Secy.

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

**सा० का० नि० 375** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में हिन्दी अनुवादक (श्रेणी 2) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** :—(1) इन नियमों का नाम केन्द्रीय भू-जल, बोर्ड, हिन्दी अनुवादक (श्रेणी 2) भर्ती नियम, 1972 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे ।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान** :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं**:—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमायें, अर्हतायें और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं ।

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की बाबत विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं** :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के पश्चात् अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी ।

**अनुसूची**

कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में हिन्दी अनुवादक, श्रेणी 2 के पद पर भर्ती के नियम

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| हिन्दी अनुवादक (श्रेणी 2) | 1 | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 3 अनुसचिवीय, अराजपत्रित | 210–10–290–15 320–द० रो०–15 425 रुपये । | लागू नहीं होता | 21 और 30 वर्ष के बीच |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की कालावधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>वैकल्पिक विषयों के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद के कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव । | आयु नहीं, शैक्षिक अर्हता—हां । | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्त/स्थानान्तरण द्वारा तथा पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत | प्रोन्नतों, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा । | प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों, निम्न श्रेणी लिपिकों से जिनकी निम्न श्रेणी लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में 5 वर्ष की सेवा हो गई हो, चयन द्वारा । | लागू नहीं होता । | लागू नहीं होता । |

[सं० 7-11/71-एम० आई० (ए०)]

एल० एन० लड्ढा, उप सचिव ।

**(Department of Food)**

*New Delhi, the 29th January 1972*

**G.S.R. 376.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, namely:-

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food and Nutrition Board (Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment Rules, 1967, after rule 6, the following rule shall be inserted, namely:—

"7.. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. A. 12018/3/70-EI ]

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 1972

सा० का० नि० 376.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य और पोषण बोर्ड, (सचिवालयेतर राजपत्रित पद) भर्ती नियम 1967 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं :—

1. (1) ये नियम खाद्य और पोषण बोर्ड (सचिवालयेतर राजपत्रित पद) भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य और पोषण बोर्ड, (सचिवालयेतर राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 1967 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

"7. व्यावृत्ति :

इस नियम में की कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियो के लिए यथा अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर, जो समय समय पर इस सम्बन्ध में किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशो के अनुसार हों, प्रभाव नहीं डालेगी "

[सं० ए०- 12018/3/70-ई०आई०]

---

**G.S.R. 377.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Food and Nutrition Board Non-Secretariat Gazetted Posts Recruitment Rules, 1967, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food and Nutrition Board Non-Secretariat Gazetted Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Food (Class I and Class II Non-Secretariat Posts) Recruitment Rules, 1963, after rule 7, the following rule shall be inserted, namely:—

"8. *Saving.*—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. A. 12018/3/70-EI.]

J. N. GAUR, Under Secy.

सा० का० नि० 377.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए खाद्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालयेतर पद) भर्ती नियम, 1963 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं :—

1. (1) ये नियम खाद्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालयेतर पद) भर्ती (प्रथम संशोधन) नियम, 1972 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य विभाग (वर्ग 1 और वर्ग 2 सचिवालयेतर पद) भर्ती नियम, 1963 में नियम 7 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"8 व्यावृत्ति —

इस नियम में कोई बात अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये यथा अपेक्षित आरक्षण और अन्य रियायतों पर, जो समय समय पर इस सम्बन्ध में किए गए केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार हों, प्रभाव नही डालेगी ।"

[सं० ए० 12018/3/70-ई०आई०]

जं० एन० गौड़, अवर सचिव ।

**(Department of Food)**

*New Delhi, the 7th March 1972*

**G.S.R. 378.**—In pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby sanctions the issue of thirty-five thousand shares of the Central Warehousing Corporation of the value of one thousand rupees each amounting to 3.5 crores of rupees, as its third issue out of the total authorised share capital of twenty crores of rupees divided into two hundred thousand shares of the value of one thousand rupees each.

[No. F.26-20/66-S G II]

**(खाद्य विभाग)**

**नई दिल्ली, 7 मार्च, 1972**

**सा० का० नि० 378.**—भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसरण मे केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय भांडागारण निगम के प्रति एक हजार रुपए के मूल्य के कुल 3.5 करोड़ रुपए कीमत वाले 35000 शेयर, प्रति एक हजार रुपए के मूल्य के दो लाख शेयरो में विभक्त बीस करोड़ रुपए की पूर्ण प्राधिकृत शेयर पूजी मे से उसकी तृतीय पुरोवृत्ति के रूप में जारी किए जाने को मंजूर करती है ।

[स० एफ० 26-20/66-एस० जी० II]

**G.S.R. 379**—In pursuance of sub-section (2) of section 4 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby specifies the period upto the end of the year 1972 as the period by which the sixty per cent of the share capital of the third issue of the thirty-five thousand shares of the Central Warehousing Corporation may be subscribed by the institutions mentioned in column (1) of the Table below in the proportion mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table

TABLE

| Name of the institution | Proportion of share capital which may be subscribed |
|---|---|
| (1) | (2) |
| (a) State Bank of Iddia | Upto Rupees seventy lakhs |
| (b) Other Scheduled Banks | Upto Rupees thirty lakhs |
| (c) Cooperative societies. | Upto Rupees five lakhs |
| (d) Insurance companies, investment trusts and other financial institutions. | Upto Rupees one hundred lakhs. |
| (e) Recognised associations and companies dealing in agricultural produce or any notified commodity. | Upto Rupees five lakhs |

[No. F. 26-20/66-SG II]

**सा० का० नि० 379.**—भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, 1972 वर्ष के अंत तक की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिस तक केन्द्रीय भांडागारण निगम के 35000 शेयरों की तृतीय पुरोवृत्ति की शेयर पूंजी का 60 प्रतिशत नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित संस्थाओं द्वारा उक्त सारणी के स्तंभ 2 मे की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित अनुपात में प्रतिभूत किया जा सकेगा ।

सारिणी

| संस्था का नाम | शेयर पूंजी का अनुपात जिसे प्रतिभूत किया जा सकेगा |
|---|---|
| (1) | (2) |
| (क) स्टेट बैंक आफ इंडिया | सत्तर लाख रुपए तक |
| (ख) अन्य अनुसूचित बैंक | तीस लाख रुपए तक |
| (ग) सहकारी सोसाइटिया | पाच लाख रुपए तक |
| (घ) बीमा कम्पनिया, विनिधान, न्यास और अन्य वित्तीय संस्थाएं | एक सौ लाख रुपए तक |
| (ङ) कृषि उत्पाद या किसी अन्य अधिसूचित वस्तु मे व्यवहार करने वाले मान्यता-प्राप्त मगम और कम्पनिया | पाच लाख रुपए तक |

[स एफ० 26-20/66-ए० जी० II]

**G S.R. 380.**—In pursuance of sub-section (1) of section 5 of the Warehousing Corporations Act, 1962 (58 of 1962), the Central Government hereby fixes the minimum rate of annual dividend, guaranteed by it on the thirty-five thousand shares of the third issue of the Central Warehousing Corporation at three and a half per cent per annum.

[No. F. 26 20/66-SGII ]

G. C. N. CHAHAL, Joint. Secy.

**सा० का० नि० 380.**—भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58) की धारा 5 की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय भांडागारण निगम की तृतीय पुरोवृत्ति के 35000 शेयरों पर उसके द्वारा गारंटीकृत, वार्षिक लाभांश की न्यूनतम दर 3-1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष नियत करती है ।

[स० एफ० 26-20/66-एस० जी० II]

**जी० सी० एन० चहल, संयुक्त सचिव ।**

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Revenue & Insurance)

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

*New Delhi, the 25th January 1972*

**G.S.R. 381.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer and Economic Investigator in the Sales Tax Wing of the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely —

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Research Officer (Class II, Gazetted) and Economic Investigator (Class II non-gazetted) Recruitment Rules, 1972

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto

3 **Number of posts, classification and scales of pay** — The number of posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said schedule

4 **Method of recruitment, age limit and other qualifications**—The method of recruitment to the posts, age limit, qualifications and other matters relating to the posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid

Provided that the upper age limit may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5 **Disqualifications.**—No person —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any of the said posts

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

6 **Power to relax**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7 Saving – Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

*Recruitment Rules for the posts of (i) Research Officer and (ii) Economic Investigator in the Department of Revenue & Insurance in the Ministry of Finance*

| Name of the Posts | No of posts | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post | Age limits for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Research Officer | 1 | General Central Service Class II (Gazetted) Non-Ministerial. | Rs. 250—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 | Selection | 35 Years (Relaxable for Government servants) | *Essential*<br>(i) Master's degree in Economics or Commerce of a recognised University or equivalent.<br>(ii) About 5 years experience in a responsible capacity in the conduct of surveys or research studies of Economic problems including experience of problems relating to taxation<br>(Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified)<br>*Desirable*<br>Degree in Law. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Economic Investigator | 1 | General Central Service Class II (Non-gazetted. Non-Ministerial) | Rs. 325—15—475—EB—20—575 | Not applicable | (Relaxable for Government servants) | *Essential:* (1) Master's degree in Economic or Commerce of a recognised University or equivalent. (2) About 2 years experience of Statistical work preferably pertaining to taxation. (Qualifications relaxable a Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified). *Desirable:* Degree in Law. |
| 1. Research Officer | 1 | General Central Service Class II (Gazetted) Non-Ministerial | Rs. 325—25—500—EB—30—650—EB—30—800 | 25 years | (Relaxable for Government servants) | (i) Master's degree in Economics or Commerce of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years experience in the conduct of research studies or investigations relating to Economic problems including experience of handling problems relating to taxation. (Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| No | 2 years | By promotion failing which by direct recruitment | *Promotion :* Economic Investigator with 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. *Transfer on deputation :* Officers holing analogous posts under Central Government/ State Government/ All India Service or Central Secretariat Service having a minimum of 5 years of service in the grade or comparable grade, and possessing the qualifications and experience prescribed in Column 7. (Period of deputation ordinarily not exceeding 3 years) | Not applicable | Not applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[No. F. A. 12018/7/70—Ad. I]

S. K. MITAL, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय
## (राजस्व और बीमा विभाग)

### मुख्यालय स्थापन

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1972

**का० आ० नि० 381.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, वित्त-मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) के विकय कर पक्ष में अनुसन्धान अधिकारी और आर्थिक अन्वेषक के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और आरम्भ** .—(1) इन नियमों का नाम वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) अनुसन्धान अधिकारी (वर्ग 2, राजपत्रित) और आर्थिक अन्वेषक (वर्ग 2, अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1972 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना** :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. **पद-संख्या वर्गीकरण और वेतनमान** :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, और अन्य अर्हताएं** .—पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताये और पदों से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है।

परन्तु अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य विशेष व्यक्ति प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में शिथिर की जा सकेगी।

5. **निरर्हताए** — वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य प्रकार की लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति** —जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि एसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां, वह उसके लिये जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति** :—इन नियम की कोई भी बात किसी ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

वित्त मंत्रालय के राजस्व और बीमा विभाग में (i) अनुसन्धान अधिकारी, और (ii) आर्थिक अन्वेषक के पदों के लिये भर्ती नियम।

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | क्या पद अथवा चयन पद | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. अनुसन्धान अधिकारी | एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2, (राजपत्रित) अननुसूचित | चयन | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकेगी) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हतायें | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नतों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| आवश्यक :<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर की उपाधि या समतुल्य ।<br>(ii) आर्थिक समस्याओं के सर्वेक्षणों या अनुसन्धान अध्ययन के संचालन का किसी उत्तरदायित्वपूर्ण हैसियत मे लगभग पाच वर्ष का अनुभव, जिसके अन्तर्गत विनिर्धारण से सम्बन्धित समस्याओं का अनुभव भी है ।<br>(अर्हताये, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा मे आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी) । | नहीं | दो वर्ष |
| वाछनीय : विधि मे उपाधि । | | |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो का प्रतिशत | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी सरचना | भर्ती करने मे किन परिस्थितियो मे सघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनो के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । | प्रोन्नति:<br>ऐसे आर्थिक अन्वेषक, जिन्होंने उस श्रेणी मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाच वर्ष सेवा की हो ।<br>प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :<br>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के अधीन सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी, जिनके न हो सकने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे स्थायी सहायक जिन्होंने उस श्रेणी या सदृश श्रेणियों में कम से कम आठ वर्ष सेवा की हो और जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं और अनुभव हो ।<br>(प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक न होगी) । | वर्ग 2 विभागीय प्रोन्नति समिति । | सघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट), विनियम, 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. आर्थिक अन्वेषक | 1 एक | साधारण केन्द्रीय सेवा वर्ग 2 (अराजपत्रित) अननुसचिवीय | 325–15–475–द० रो०–20–575 रु० | लागू नहीं होता | 30 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिये शिथिल की जा सकेगी)। |

| 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|
| आवश्यक :<br>(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में मास्टर की उपाधि या समतुल्य ।<br>(2) सांख्यिकीय कार्य अधिमानत., विनिर्धारण से सम्बन्धित कार्य, का लगभग दो वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा , आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेंगी ।<br>वांछनीय विधि में उपाधि । | लागू नही होता । | दो वर्ष |

| 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|
| सीधी भर्ती द्वारा । | लागू नही होता । | लागू नहीं होता । | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथाअपेक्षित । |

[सं० एफ० ए० 12018/7/70–प्रशा० I]

एम० के० मित्तल,

अवर सचिव ।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CENTRAL EXCISES

*New Delhi, the 25th March 1972*

**G.S.R. 382.**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 26/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962, namely:—

In the said notification, for the words "Light Solvent Naphtha consisting of a mixture mainly of benzene and toluene", the words "Solvent Naphtha" shall be substituted.

[No. 109/72-CE—F. No. 8/6/70-CX-3.]
P. R. KRISHNAN, Under Secy

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**केन्द्रीय उत्पादक-शुल्क**

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

सा० का० नि० 382.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की तारीख 24 अप्रैल, 1962 की अधिसूचना सं० 26/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "मुख्यत बेन्जीन और टालूईन के मिश्रण से मिलकर बना लाइट साल्वेट नैफ्था" शब्दों के स्थान पर, "साल्वेंट नैफ्था" शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

[सं० 109/72-के० उ० शु०-फा० सं० 8/6/70-सी० एक्स-3]

पी० आर० कृष्णन,
अवर सचिव, भारत सरकार ।

**(Department of Revenue and Insurance)**

CUSTOMS

*New Delhi, the 25th March 1972*

**G.S.R. 383.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do hereby exempts D D. T. formulations (75 per cent water dispersible power—75 per cent w.d.p.), when imported into India by the Government of India, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Indian Tariff Act 1934 (32 of 1934)

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st December, 1972.

[No. 45/F. No. 5/6/70-Cus. I.]
J DATTA. Dy. Secy

**(राजस्व और बीमा विभाग)**

**सीमा-शुल्क**

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1972

सा० का० नि० 383.—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, डी० डी० टी० फोर्मुलेशन्स (75 प्रतिशत वाटर डिस्पर्सीबिल पाउडर—75 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी०) को, जब उनका भारत सरकार द्वारा भारत में आयात किया जाये, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है ।

2 यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1972 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[स० 45/फा० स० 5/6/70-सीमा-शुल्क I]

ज्योतिर्मय दत्त,
उप सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972